(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम विधान सभा के अष्टम् सत्र का 44 वां दिवस [संख्या 27

[2

मंगलवार

दिनांक 17 अप्रेल, 84

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री उम्मेद सिंह

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा पोषाहार कार्यक्रम

704. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति डीडवाना द्वारा पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठशालाओं में उद्यान लगाने हेतु पम्प सैट लगाये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्कूल में किस-किस तारीख को पम्प सैट लगाये गये एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? कृपया सविवरण 'सूची' सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीश राम ओला) : जी हां, व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति डीडवाना (जिला नागौर) क्षेत्र की पाठशालाओं तथा अन्य स्थानों पर उद्यानों में पम्प सैट लगाये थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने सूची दी है मुझे, इसके अनुसार बड़ारवा पंचायत में पम्प सैट डीजल इंजन पेटी में बंद पड़ा हुआ है। यह 31.1.78 से बंद पड़ा हुआ है। इसको चालू क्यों नहीं किया गया ? दूसरा, पंचायत समिति क्वार्टर्स हैं. वहां पम्प सैट लगा हुआ है, इसको वहां लगाने का क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है ?

श्री शीशराम ओला : मैं ठीक से नहीं समझ पाया। कृपया फिर से बताये।

श्री उम्मेद सिंह : आपने जो सूची दी है इसमें नौ नम्बर पर बरड़वा गांव में, बताया गया है कि डीजल इंजन पेटी में बद पड़ा है। दूसरे विकास कॉलोनी, पंचायत समिति में पम्प सैट लगा हुआ है, इसको वहां लगाने का क्या प्रयोजन है ?

श्री शीशराम ओला : यह सारे यूनिसेफ ने दिये हैं। यूनिसेफ के कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए बालबाड़ी द्वारा नाश्ते के लिए पम्प लगा दिये ताकि गाजर, मूली, टमाटर आदि पैदा करें और वह बच्चों के नाश्ते के लिए दिये जायें। यह जितने भी पम्प सैट थे, वह मेरी निगाह में सक्षम नहीं थे कि इतने नीचे से पानी ऊपर ला सकें। यह सब 5 हॉर्स पावर के हैं। कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ठीक काम हो रहा हो। पम्प सैट यदि 7, 8 या 10 हॉर्स पावर की मोटर के होते हैं तो गहरे पानी को ला सकते हैं जमीन के ऊपर यह पम्प सैट ऐसे नहीं हैं कि ज्यादा गहरे पानी

(श्री शीशराम ओला)

सकें। इसलिए पम्प सैट पेटी में बंद पड़े हैं, सारे के सारे बेकार हैं।

श्री उम्मेद सिंह : विकास कॉलोनी पंचायत समिति में पम्प सैट लगा हुआ है, इसको लगाने का क्या प्रयोजन था ? वह टंकी में भरकर शहर में पानी बेचते हैं और पैसा खा जाते हैं, कुओं में पम्प नहीं है और प्रधान ने पम्प अपने निजी कुए में लगा रखा है। जिस प्रयोजन से तारबंदी की जायेगी, वह एक तार भी स्कूल में नहीं लगाया है......

श्री शीशराम ओला : आपने यह प्रश्न में तो पूछा नहीं, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री उम्मेद सिंह : विकास कॉलोनी में लगाया इसकी तो जानकारी है ? इसका क्या प्रयोजन है ?

श्री शीशराम ओला : पंचायत समिति में लोग आते हैं उनके पीने के लिए लगा देते है।

श्री उम्मेद सिंह : लेकिन यह तो बच्चों के लिए है।

श्री शीशराम ओला : स्टाफ के भी बच्चे होते हैं, इसमें कोई खास, विशेष बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री उम्मेद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका पूरा जवाब नहीं आया। पम्प किसी [illegible] हैं, वहां बेकार पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया यह सब।

श्री उम्मेद सिंह : तो इनको नीलाम कर दिया जाय। प्रधान ने अपने कुए में लगा रखे हैं। तारबंदी के तार भी अपने फार्म पर लगा रखे हैं।

श्री शीशराम ओला : सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिये, पचायत समिति में बहुत से लोग आते हैं। जो लगाये गये थे वह भी बेकार है, सक्षम नहीं हैं।

श्री उम्मेद सिंह : तो नीलाम करो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य। कृपया मंत्री जी।

श्री छीतर लाल आर्य, श्री कैलाश मेघवाल, श्री महाराम चौधरी।

जिला भेड़ व ऊन अधिकारी नागौर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

705. **श्री छीतर लाल आर्य** (अटरू), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) व **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर, श्री ए. सी दुबे के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतें होने पर जांच कराई गयी थी और जांच प्रतिवेदन सरकार तथा निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान को मिल चुका है ?

(2) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में इनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप सिद्ध पाये गये हैं और सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर

(श्री महाराम चौधरी)

रही है ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) भेड़ एवं ऊन अधिकारी, नागौर की जीप पर दिनांक 1.4.1982 से 31 मार्च, 1983 व 1.4.1983 से 29.2.84 तक पैट्रोल, मरम्मत व अन्य कुल कितना व्यय हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 1.4.1982 से 29.2.1984 तक कितनी यात्रायें की गयी ?

(5) क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ गम्भीर अनियमिततायें, घोटाले, गबन, बलात्कार, फर्जी यात्रायें, सरकारी जीप का दुरुपयोग आदि की अनेक शिकायतें विभाग के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया जांच रिपोर्ट सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या उक्त भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर अपने सेवा-काल में पहले कभी निलम्बित हुए थे ? यदि हां, तो किस कारण ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन विभाग (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी हां, श्री ए. सी. दुबे के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमे से एक मामले में प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है तथा जांच प्रतिवेदन शासन के विचाराधीन है । द्वितीय मामले में प्रारम्भिक जांच निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग के विचाराधीन है । तीसरे मामले में प्राथमिक जांच किये जाने हेतु क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर को निर्देश दिये गये हैं ।

(2) प्राथमिक जांच प्रतिवेदन शासन एवं निदेशालय स्तर पर विचाराधीन है । श्री दुबे के विरुद्ध अभी तक विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है । अत: जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर की जीप पर दिनांक 1.4.82 से 31 मार्च, 83 तक 9115 रु. 75 पैसे एवं दिनांक 1.4.81 से 29.2.84 तक 9366 रु. 30 पैसे अर्थात् कुल व्यय 18482 रु. 85 पैसे हुआ ।

(विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" "संलग्न हैं) ।

(4) जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर के पद पर दिनांक 1.4.82 से दिनांक 29.2.84 तक दो अधिकारियों द्वारा कार्य किया गया है । इनके द्वारा कुल 145 यात्रायें की गयी हैं ।

(5) जी हां, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर श्री ए. सी. दुबे के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक मामले में प्रारम्भिक जांच कराई जा चुकी है तथा जांच प्रतिवेदन शासन के विचाराधीन है । द्वितीय मामले में प्रारम्भिक जांच निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग के विचाराधीन है । तीसरे मामले में प्रारम्भिक जांच किये जाने हेतु क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर को निर्देश दिये गये हैं । श्री दुबे के विरुद्ध अभी तक विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है । अत: जांच प्रतिवेदन की

(श्री रामकिशन वर्मा)

प्रति सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी हाँ, राजकीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण।

(विवरणों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री छीतर लाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, दुबे के खिलाफ गम्भीर शिकायतें पाई गयी, क्या सरकार उनको सस्पेण्ड करेगी ?

श्री रामकिशन वर्मा : अगर शिकायत सही पाई गयी तो सस्पेण्ड करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रारम्भिक जांच में आरोप सही पाये ? अगर पाये गये तो यह जांच किसके द्वारा कराई गयी ?

श्री रामकिशन वर्मा : यह जांच हमारे शासन सचिव, भेड़ व पशुपालन विभाग की ओर से की गयी थी। जांच सही नहीं पाई गयी थी, बाकी जांच चल रही है इसलिए उनके ऊपर कार्यवाही चालू है। इनको यहां पर इसलिये रखना उचित नहीं समझा गया कि कहीं अपने प्रभाव में लेकर जांच को प्रभावित न करें, इसलिए तत्काल उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास तीन शिकायतें आई, इनमें से एक तो बलात्कार की है, एक टी. ए. बिल के अन्दर अनियमितता की शिकायत है, तीसरी शिकायत है कि उन्होंने पशुओं के बच्चे, मेमने वगैरह खरीदे, उसके अन्दर अनियमितता की है। इतनी भयंकर अनियमिततायें होते हुये भी, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि शासन सचिव द्वारा प्रारम्भिक जांच कराई गई है। जब उनके खिलाफ शिकायत सही पाई गई, तो उनको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बतलाया कि बलात्कार की घटना की जांच की गई, वह सही नहीं पाई इसलिये सस्पेण्ड नहीं किया गया। दूसरे मामलों में जांच चल रही है......

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मंत्री महोदय, इनके खिलाफ अपने ही एक सर्वेन्ट की पत्नी के साथ बलात्कार करने की शिकायत की गई, उसमें मकान मालिक के बयान हुये। गोपालसिंह ने स्वयं लिखकर दिया, वहां के विधायक ने लिखकर दिया, इन सब बातों को लिखकर शपथ-पत्र दिया गया नम्बर एक।

नम्बर दो, जो जांच आप कर चुके हैं उस जांच में जब यह टूयर में नहीं थे, टी. ए., डी. ए. उठाने की बात थी, यह जांच से साबित हो गया कि सांठ–गांठ कर टी. ए., डी. ए. बिल गलत प्रस्तुत किये गये हैं। प्रारम्भिक जांच में यह साबित हो गया तो क्या भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर अपराध बनता है, पुलिस में देंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया कि बलात्कार की शिकायत हुई, सारी बात हुई लेकिन शिकायतकर्ता ने, गोपालसिंह की पत्नी के साथ जो घटना हुई, उसकी शिकायत 18.1.1984 को की। इतने लम्बे समय

(श्री रामकिशन वर्मा)

के बाद शिकायत की गई। अब उसमें सच्चाई क्या है, शिकायतकर्ता तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, वह पुलिस में रिपोर्ट करते लेकिन पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। जिलाधीश को लिखकर देते तो वह उसकी जांच बैठाते, वह कार्यवाही उन्होंने की नहीं.......

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने यह पूछा था कि भारतीय दण्ड संहिता के आधार पर अपराध बनता है तो क्या उनको पुलिस में देंगे ?

श्री रामधन चौधरी : (लाडनूं) अध्यक्ष महोदय, पुलिस में नहीं गये लेकिन एक इन्सान, जो कर्मचारी है, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया, उसकी वहां के जन-प्रतिनिधि ने पत्र लिखकर शिकायत की, डिपार्टमेंट में उसकी जांच नहीं कराई गई। आपने जोधपुर के डिप्टी डाइरेक्टर को जांच के लिये कहा है, अध्यक्ष महोदय, नागौर में भेड़ों के लिये तारबन्दी की है और इन्होंने 145 यात्रायें बताई हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपने पीरियड में इन्होंने एक भी यात्रा नहीं की, वहां पर भयंकर घोटाला है। आपने कहा कि जांच चल रही है। जब जांच चल रही है तो आपको स्पष्ट बताना चाहिये था। गोपालसिंह के मामले में शिकायत की जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या मंत्री महोदय कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले भी हो चुकी है, इसकी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्य जानते हैं, ज्यादा चिन्तित हैं तो अलग से जांच कराने के लिये जांच बैठा देते हैं जो एक महिने में रिपोर्ट दे देंगे। उनको वह दोषी बता देंगे तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो इसको पहले ही घर बैठा चुके थे लेकिन न जाने किसके हाथ जोड़ कर वापिस आ गये, जनता सरकार के समय हमने तो निलम्बित कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने समय में कार्यवाही कर लेंगे, इतना बता दीजिये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर-अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन श्री घनश्याम तिवाड़ी।

राजस्थान नहर की लाईनिंग की दरें

706. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) 1 अप्रैल, 1977 से अब तक राजस्थान नहर की लाइनिंग के लिये लेबर तथा कारीगरों (मेशन) की कब कब क्या क्या दरें निश्चित की हुई थी ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) दरों में कब कब किस किस अधिकारी द्वारा क्यों परिवर्तन किया गया ?

राजस्थान नहर मंत्री (**श्री चन्दनमल बैद**) : (1) आवश्यक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दरों में परिवर्तन मुख्य अभियन्ता रा. न. प. द्वारा कार्य की गति को बनाये रखने के लिये समय समय पर की गई जिसके मुख्य कारण निम्न है :—

(1) देश व्यापी मूल्य सूचकांक में वृद्धि,

(2) पैट्रोल तथा डीजल की दरों में वृद्धि,

(3) कठिन क्षेत्र व जीवन यापन की विषम परिस्थितियां।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है 15-1-1981 से 10-5-1983 आपने दर बढ़ाई है 22 से 25, 18 से 22, 7 से 9 और 11-5-1983 से निरन्तर 30 से 35, 22 से 25 और 9 से 12। मंत्री महोदय मैं यह जानना चाहूंगी कि जो एकदम 22 से 30, 25 से 35, 18 से 22, 22 से 25, 7 से 9 और 9 से 12 यह रेट्स आपने बढ़ाई हैं वह क्या प्राइस इन्डेक्स के आधार पर बढ़ाई हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि प्राइस इन्डेक्स के साथ कठिन क्षेत्र व जीवन यापन की कठिन परिस्थितियां हैं, इस कारण से बढ़ाई हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं यह जानना चाहूंगी कि मुख्य अभियन्ता ने निर्णय कब लिया और कब इसको लागू किया गया ? दूसरा यह भी जानना चाहूंगी कि ....

श्री चन्दनमल बैद : तारीख मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने यह बता दिया कि कब से लागू की गई हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, क्या यह सच है कि यह कार्य 1984 तक सामान्य तरीके से पूर्ण होना था ? केवल छः माह पूर्व इसको इसलिए पूरा कराना पड़ा क्वालिटी को घता बताकर क्योंकि 17-5-1983 को राजीव गांधी वहां पर आ रहे थे इसलिये अनाप शनाप खर्चा बढ़ाकर यह कार्य कराया गया। इसका अन्जाम यह हुआ कि, अध्यक्ष महोदय....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रचार मात्र है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप प्रश्न तो पूरा सुन लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : आप प्रश्न तो पूछ नहीं रही हैं आप तो भाषण दे रही हैं, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : आपको नाम लेते ही × × × क्यों होने लगती है।

श्री चन्दनमल बैद : आप राजीव गांधी का नाम ले रही हैं हम लोगों की नाराजगी होना स्वाभाविक है।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, मैं नाम ले रही हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप फिर नाम ले रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, सामान्य तरीके से जो कार्य 1984 में पूर्ण होना था उस कार्य को महज 6 महीने में पूरा किया, उसकी क्वालिटी घटा दी, आपने रेट्स बढ़ा दीं जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगा रही हूं, श्रीमान् राजीव गांधी वहां आ रहे थे इसलिये इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर दी गई, आपने रेट्स बढ़ा दीं....

श्री चन्दनमल बैद : आपके प्रश्न का जवाब दे दूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो आरोप लगा रही हैं वह बिल्कुल गलत है, मूल्य सूचकांक बढ़ गये थे, इसका राजीव गांधी से कोई सम्बन्ध नहीं है, वृद्धि जो बार बार होती है उसको ध्यान में रखते हुये, वहां की जीवन यापन की विषम परिस्थितियों को देखते हुए, इन सब कारणों से रेट्स बढ़ानी पड़ी, इसका राजीव गांधी के आने से कोई सम्बन्ध नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इन रेट्स को हमें फिर रिवाइज्ड करना पड़ेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी को गिराने के कारण लगातार राज्य सरकार के पास सूचना आ रही है कि नहर टूट गई रही।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य नहर कहीं से नहीं टूटी है, बार बार मैंने यह कहा है और आज फिर कहना चाहता हूं कि मुख्य नहर कहीं से नहीं टूटी है, 25 तारीख को मैं नहर पर जा रहा हूं, कोई भी माननीय सदस्य, चाहे आप मेरे साथ चलिये, मुख्य नहर कहीं से नहीं टूटी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय,

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने इस सदन में स्वीकार किया है कि नहर की एक जगह लाइनिंग टूटी है, रेगुलेटर बना रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मैंने नहीं कहा, डेमेज हुई है। 50-60 टाइल्स निकल जायें, उसको टूटना नहीं कहते हैं, आखिर इतनी बड़ी नहर है 10 ईंटें गिर जायें, खिसक जायें उसको टूटना नहीं कह सकते। उसकी मरम्मत करा रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मतलब क्षति हुई है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने माना है कि क्षति हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं खुद कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि आपने रेट बढ़ा दी और लाइनिंग हो रही है वह डिफेक्टिव हुई है। लाइनिंग के लिए रेट बढ़ाने के बाद क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए थी, वह घटिया क्यों हुई है।

श्री चन्दनमल बैद : मजदूरों की रेट का सवाल है जो रेट बढ़ाई गई है उसमें लाइनिंग का सम्बन्ध नहीं है। लाइनिंग जिस क्वालिटी की होनी चाहिए वह हमारे अभियन्ता कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें कमी रखी है उसकी जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जायेगी। अभी तक हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें कहा हो कि लाइनिंग में कमी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुरजा राम टाक (नोखा) माननीय विरोधी दल के नेता मजदूरों की भलाई की बात करते हैं। शहर के अन्दर मिस्त्री और मजदूर के मुकाबले कहां देहात वालों को पैसा मिलता है? फिर उनकी रेट बढ़ा दी गई तो इनको क्या तकलीफ है। मै मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि और भी ज्यादा रेट बढ़ानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय ...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : × × × जबाब दे दिया है मंत्री महोदय ने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह बढ़ी हुई रेट्स मजदूरों को नहीं मिल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि मजदूरों की जो रेट्स बढ़ाई गई है उसका पैसा उनको नहीं मिल कर ठेकेदार ले जाते हैं, इसलिए आपने ठेकेदारों के लिए रेट बढ़ाई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चन्दनमल बैद : आप क्या ठेकेदार बन गये?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

विधवा पेंशन में आयु सीमा हटाना

707 **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) असहाय विधवा पेंशन में आयु सीमा 45 वर्ष रखने का औचित्य है? क्या सरकार आयु सीमा हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

× × × मा. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियमों के अन्तर्गत निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रावधान है। नियम 2 (1) के अन्तर्गत पुरुष की आयु 55 वर्ष और विधवा की आयु 15 वर्ष निर्धारित है। असहाय विधवाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा सामान्य महिलाओं की अपेक्षा 10 वर्ष कम रखी गई है। चूंकि यह नियम मूलतः वृद्धावस्था में असहाय व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए सहायता देने के उद्देश्य से बनाये गये हैं अतः आयु सीमा इन नियमों का मूल आधार है। आयु सीमा हटाने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि इससे नियमों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह असहाय महिला विधवा पेंशन है, विधवा होने की कोई उम्र भगवान और समाज की ओर से तय नहीं है कि आप 15 वर्ष की विधवा या 20 वर्ष की विधवा को दीजिए, और को नहीं दीजिए। इसमें आपका क्या क्राइटेरिया है ? क्या वह इस बात का इन्तजार करेगी कि कब 45 वर्ष की हो और उसे पेंशन मिले ? पूंजीपति विधवाओं के लिए पेंशन नहीं है। मैं मंत्री महोदय से फिर प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या आपने गूंगे बहरे या लूले लोगों के लिए कोई उम्र रखी है। इस तरह इसको भी आप लें। आप अपने उत्तर में बतायें कि इसकी सीमा हटा दी जायेगी, जिससे विधवाओं को सुविधा मिले।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 45 वर्ष तक की विधवा उम्र सीमा ठीक निर्धारित है। लेकिन इसके लिए दूसरा प्रावधान है इस प्रकार की परिस्थितियों में सामाजिक कारणों से वह बाहर नहीं निकल सकती उसे देवस्थान की तरफ से पेंशन मिलती है। फिर भी आप चाहती हैं तो आपको समाज कल्याण विभाग से जवाब पूछना चाहिए।

समाज कल्याण मंत्री (श्री दूलाराम) हमसे सवाल पूछो तो हम बतायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

प्रश्न सं : 708

श्री अध्यक्ष : **श्री अब्दुल रहमान चौधरी।**

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखें)

श्री भैरूलाल मीणा

जनजाति विकास सहकारी विकास निगम द्वारा ट्रकों की खरीद

709. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति विकास सहकारी निगम द्वारा ट्रकें खरीदी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी कौन सी व किस कम्पनी की ट्रकें खरीदी गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम द्वारा खरीदी गई ट्रकों की बोडी जयपुर में बन-

(श्री भैरूलाल मीणा)

वाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? उदयपुर में ट्रकों की बोडी नहीं बनवाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की प्रति बोडी 35 हजार रुपये चुकाये गये हैं ?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री दूलाराम) : (1) जी हां, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा अब तक 11 ट्रक (चैसिस) क्रय की गई हैं। ट्रकों का वर्ष मेक एवं राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रारम्भिक वर्षों में तीन ट्रक व एक मिनी बस की बोडिया जयपुर में बनवाई गई थीं। बाद में निविदा में स्वीकृत व्यवसाई की दर के अनुसार वर्ष 1982 में दो चल उपभोक्ता वाहन बोडी अजमेर में बनवाई गई। वर्ष 1983 में दो मिनी ट्रकों की बोडी जयपुर में बनवाई तथा शेष ट्रकों पर बोडियां उदयपुर में ही बनवाई गई हैं।

प्रारम्भ में जयपुर में निर्माता के प्रतिनिधि जिनसे डी.जी.एस. एण्ड डी. दर पर ट्रक चैसिस खरीदे गये थे, उन्हीं के मार्फत ट्रक की बोडियां निर्माता द्वारा स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार वर्ष 1977 में बनवाई गई ताकि कार्य शीघ्र व अच्छा हो। बाद में निविदा लेकर उदयपुर में व अजमेर में भी बोडियां बनवाई गई। इसमें निविदा लेने, वर्कमेनशिप देखने आदि में काफी समय लगा। वर्ष 1982-83 में निविदा आदि में लगने वाले समय की बचत को ध्यान में रखते हुए निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा चैसिस की दरों के साथ ही निर्माता द्वारा निर्धारित दर पर बोडी बनाने की जो निविदा दी गई उसमें प्राप्त न्यूनतम दर वाली फर्म से 37612.99 रुपये में बोडी बनवाई गई। उदयपुर के प्रतिनिधि जिससे चैसिस क्रय की गई थी, ने बोडी बनाने की दर नहीं दी थी।

(3) जी नहीं। ट्रकों की बोडी बनाने के लिए विभिन्न वर्षों में चुकाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'च' पर उपलब्ध है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री भैरूलाल मीणा : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह बॉडी बनवाई गई क्या इसका टेंडर लिया गया था ? यदि हां, किस-किस फर्म किस-किस तरह का टेंडर दिया और किस फर्म का सबसे कम आया ?

श्री दूलाराम : वह तो मैंने निवेदन कर दिया आप, सुनते तो हो नहीं।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : जो दो ट्रकों की बॉडी जयपुर में बनवाई उसके लिए कोई निविदा आमन्त्रित नहीं की, जबकि पूर्व में उदयपुर और अजमेर के लिए निविदा आमन्त्रित की थी, क्या यह सही है ? उदयपुर में बाडी बनाने के पीछे कोई गड़बड़ी होने की आशंका है, इसकी मंत्री महोदय जांच करेंगे ?

श्री दूलाराम : अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो मुझे बतायें, मैं जांच कराऊंगा।

श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा) : इतना घोटाला हो गया, सत्यानाश कर दिया विभाग का, आदिवासियों के नाम पर।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न

श्री भैरूलाल मीणा : टेण्डर के बिना काम नहीं होता, यहां टेण्डर के बिना आर्डर दे दिया। एक तरफ टेण्डर की बात करते हैं दूसरी तरफ बिना टेण्डर के काम किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। **श्री रामकिशोर मीणा**।

श्री दूलाराम : जो बाडी बनी है, वह आपने देखी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, बातें नहीं करें।

श्री मेघराज तावड : कभी जुकाम, खांसी हो जाती है, काम नहीं होता।

राज्य में आयातित खाद्य तेल का वितरण

श्री रामकिशोर मीणा, (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खाद्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) 1 अप्रेल, 1982 से अब तक राजस्थान में किस-किस प्रकार का कितनी-कितनी मात्रा में और किस-किस मूल्य का कितना-कितना आयातितखाद्य तेल आवंटित हुआ है?

(2) इस आवंटित तेल में से राज्य सरकार ने किस-किस संस्था द्वारा अथवा स्वयं ने कितना-कितना तेल प्राप्त किया और किस दर पर किस प्रक्रिया से वितरण कराया गया ?

(3) इस आयातित तेल के वितरण की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई ? कृपया इस सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य (श्री घासीराम यादव) : (1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) समस्त आयातित आवंटित खाद्य तेल राज्य सरकार ने अपने एक मात्र राज्य स्तरीय प्रतिनिधि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से जनवरी, 1984 तक उठाया है तथा फरवरी, 84 से उपभोक्ता संघ के साथ भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ को सहयोगी अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। उठाव का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्राप्त खाद्य तेल को रुपये 9.70 प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित कराया जाता है।

(3) प्राप्त आयातित खाद्य तेल उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से जनवरी, 84 तक प्रति यूनिट 400 ग्राम एवं फरवरी, 84 से 500 ग्राम प्रति यूनिट की दर से वितरण कराया जा रहा है। वितरण

(श्री घासीराम यादव)

आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखी गयी हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (1) पूरे खाद्य तेल का जो कोटा निर्धारित किया गया है और जो मंगाया है, 10 270 टन आवंटित हुआ उसमें राज्य सरकार ने, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ ने कुल 4903 टन उठाया। तो, अध्यक्ष महोदय, पूरा कोटा नहीं उठाने के क्या कारण है? क्या जितना आवंटित हुआ था उसके अनुसार मांग नहीं थी?

प्रश्न नम्बर (2) क्या इन तेलों को सिर्फ सस्ते गल्ले की दुकानों से ही वितरित कराते हैं या प्राइवेट लोगों के द्वारा भी?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। सन् 83 और 84 में जितना कोटा आवंटित हुआ था उससे आधा उठाया गया। वजह यह है कि इसकी मांग भी कम है और इसका प्रचलन भी कम है और जगह भी इसकी खपत इतनी नहीं होती है और जो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ के द्वारा बंटवाया जाता है उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और वह पैसा नहीं दे पाते हैं इसलिए उन्होंने कम उठाया है। इसमें सरकार की कोई उदासीनता नहीं है। दूसरे आपने पूछा कि दूसरी संस्था भी है, तो यह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से आता है और क्रय विक्रय संघ मंगवाता है। क्रय विक्रय संघ से दिया जाता है और वहां से सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन कार्ड पर बेचा जाता है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो पूरा कोटा उपभोक्ता संघ ने नहीं उठाया उसका कारण एक तो मांग नहीं होना बताया है तो क्या इसको आपने शहरी क्षेत्रों में जो पहले आदेश निकाले हैं 2-2-84 में उसके तहत यह आदेश था कि शहर में ही वितरण होगा और आपने 2-2-82 और 7-2-82 के आदेश निकाले हैं उसमें 2-2-82 के लेटर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार वितरण किया जाना था लेकिन वितरण नहीं करने के पीछे क्या कारण था? वितरण क्यों नहीं किया गया और उपभोक्ता संघ ने पूरा कोटा नहीं उठाया तो क्या दूसरी संस्थायें लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनको डीलर नियुक्त करेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और लेने के लिए तैयार हैं उनको उठाने देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री घासीराम यादव : मैं सवाल के जवाब में निवेदन कर चुका हूं कि संस्थाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार की नेशनल को-आपरेटिव फेडरेशन को भी रख दिया गया है और माननीय सदस्य ने देखा होगा कि मार्च में 1700 क्वि. उठाया और फरवरी में भी उठाया है। उनको भी शामिल कर लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई

आर्डर आर्डर' मैं बाद में अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार से मांग करने पर भारत सरकार आपको आयातित तेल देती है या आपकी मांग पर देती है? क्या राजस्थान सरकार यहां के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए आयातित तेल को नहीं मगाने पर विचार करेगी क्योंकि इस तेल के आने से

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

जो तेल उत्पादक हैं उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है और यहां के किसानों को पड़ता नहीं खाता है। इसलिए किसानों के हित में आयातित तेल को कम काम लेने का सुझाव देंगे।

श्री घासीराम यादव : राजस्थान सरकार मांग भी करती है, हमारे पास ज्यादा मांग हो तो ज्यादा लेते हैं लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो दिया है उससे ज्यादा मांग आई हो। इसलिए हमारे अनुरोध करने का और बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसी स्थिति आयेगी तो हम करेंगे। बहुत से शहरों में चल रहा है और सस्ता है इसलिए हटाने का क्या सवाल है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय इन्होंने स्वीकार किया है कि जुलाई, 1983 को 1010 टन का कोटा उपलब्ध हो गया था और उसमें से लगातार जनवरी, 1982 तक आधा कोटा ही नहीं उठाया इसका कारण और कुछ नहीं व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीस और पच्चीस रुपये किलो तेल बेचा है और यह 9.70 के हिसाब से बिकता है। जब काश्तकार के पास नहीं था और व्यापारियों के पास तेल था तब तो बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस रुपये के हिसाब से तेल बिका है और जब किसानों के पास है तो 9.70 के हिसाब से तेल वितरण किया। तो उस समय क्यों नहीं उठाया और अब जब फसल का समय आ गया है तब फिर इसका वितरण करा रहे हैं और उसकी वजह से 12 रुपये का भाव रह गया है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आयातित खाद्य तेल की मांग करने के पहले क्या राज्य सरकार असेसमेंट करती है, जिससे जानकारी हो कि उपभोक्ता की कितनी मांग है? यदि हां, तो फिर मंत्री महोदय जैसा आपने कहा कि तेल की खपत कम हो रही है और उपभोक्ता कम उठा रहा है इसकी आप कोई वजह बतायें। नम्बर 2–मैं जानना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग कम है, इसकी खपत कम है, लेकिन जैसा कि 2-2-84 को आपके आदेश जारी हुए हैं उसमें आपने स्वय स्वीकार किया है कि पाम आइल के वितरण के आदेश नहीं हैं। एक तरफ राज्य सरकार स्वय स्वीकार करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाम आइल के वितरण करने के आदेश जारी नहीं किये और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ग्रामीण उपभोक्ता नहीं उठा रहे हैं तो दोनों तरफ में से कौन सी बात सही है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से पुछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जो आयातित तेल है इसको ब्लैक में बेचते हैं और सहकारी समिति के माध्यम से बेचते हैं तो वह प्रचार करते हैं कि यह खाने योग्य तेल नहीं है और इससे बीमारियां हो जाती हैं इसलिए उपभोक्ता को नहीं देकर उन्होंने ब्लैक किया है। क्या यह विभाग को शिकायत मिली है?

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्य ने अभी लास्ट में सवाल पूछा है....

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक से सुनाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : सुविधा नहीं हो तो बैठकर जवाब दे दें।

श्री घासीराम यादव : यह बात जो माननीय सदस्य ने उठाई कि विभाग को ऐसी शिकायत मिली है तो यह गलत है और शिकायत करने का कोई कारण भी नहीं बनता है। आपके ध्यान मे हो तो बतायें। राशनकार्ड पर ठीक से यदि वितरण नहीं होता है और वहां कोई गलती करते हैं तो आप खाद्य अधिकारी, कलेक्टर को हमारे पास शिकायत भेज सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह शिकायत विभाग के पास आई है और विभाग ने इस प्रकार के निर्देश जारी किये है और यह सूचना दी है। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या यह सही है कि बाजार में जो 9.70 का माल है वह बाजार में 20 रुपये और 25 रुपये के भाव से बिका फिर क्या कारण है कि वहां मांग नहीं थी। बराबर हर क्षेत्र से मांग आती है। यह ब्लैक से बेचा गया है और विभाग ने नियंत्रण नहीं रखा और इस प्रकार की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न,

सुश्री पुष्पा जैन : आप उत्तर तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया।

श्री महाराम चौधरी : क्या राजस्थान में तिलहन की अच्छी आवक....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। मैंने अनुमति नहीं दी। आर्डर, आर्डर।

श्री घासीराम यादव : माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा था मैं निवेदन कर चुका हूं। आयातित तेल कम पड़ता है। पहले 500 टन देते थे अब एक हजार टन कर दिया है, यह बढ़ा रखा है।

दूसरा इन्होंने यह कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने को स्वीकार किया है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है। हमने यह कहा है कि यदि मांग आये तो देहात में आधा दो। ग्राम एरिया में ऐसी कोई डिमाण्ड हो ही नहीं तो स्वीकार करने की बात नहीं आई, हमने तो यह लिखा है। वहां मांग है तो आधा दीजिये मांग आई हो, नहीं दिया हो, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 20 रुपये किलो का तेल 9 रुपये में नहीं लेना चाहेगा।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य बैठ जायें।

अगला प्रश्न।

अजमेर पंचायत समितियों की पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

71¹. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद, अजमेर के अधीन विभिन्न पंचायत समितियों के नियन्त्रण में चलने वाली पाठशालाओं में शिक्षा सत्र दिनांक 1-7-83 को चालू हो जाने के बाद भी अध्यापकों के कई स्थान रिक्त थे ? यदि हां, तो किस किस पाठशाला में कितने कितने अध्यापकों की आवश्यकता थी और उनमें कितने कितने अध्यापक कार्यरत थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये रिक्तियां अभी तक चल रही हैं और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को शिक्षा में बाधायें आ रही हैं ? यदि नहीं तो किस किस पाठशाला में रिक्त पड़े कितने कितने अध्यापकों के पद कब कब भरे गये और अब कितने रिक्त हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अध्यापकों के पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं और इनको भरने के क्या क्या प्रयास कब कब किये गये ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। दिनांक 1-7-83 को जिला परिषद, अजमेर के अन्तर्गत पचायत समितियों की 40 शालाओं में 50 अध्यापकों के पद रिक्त थे। इन 40 शालाओं में कुल 151 अध्यापकों की आवश्यकता थी और 101 अध्यापक कार्यरत थे। सूची सदन के पटल पर दी गई है।

(2) यह सही है कि इसमें से वर्तमान में केवल एक पद रिक्त है। ग्रामीण क्षेत्र के बालकों की शिक्षा मे विशेष बाधा इससे नही है क्योंकि इनमें से अधिकांश पाठशालाओं में दो या दो से अधिक नियुक्त थे। इन सभी शालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति अब जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर द्वारा मैरिट सूची, नियोजन कार्यालय व वर्तमान में सेवा चयन आयोग से चयनित आशार्थियों के उपलब्ध होने के कारण की जा चुकी है। समितिवार नियुक्त किये गये अध्यापकों का ब्योरा सदन के पटल की मेज पर रख दिया गया है।

(व्यवधान)

मुझे पूरा तो करने दिजिये। आप को क्या जल्दी हो गई है।

(3) अध्यापकों के पद रिक्त रहने का मूल कारण जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर से प्राप्त मेरिट सूची के अन्तर्गत अध्यापक पद के उम्मीदवारों द्वारा पंचायत समिति की शालाओं में कार्यभार ग्रहण न करना व अध्यापकों की सेवा निवृत्ति था। नियोजन कार्यालय के मार्फत पंचायत समितियों द्वारा नियुक्तियां दी गई हैं तथा अब चयनित उम्मीदवार सेवा चयन आयोग से उपलब्ध हो चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के स्कूलों के बारे में उपेक्षा और इनडिफरेंट सरकार का प्रकट होता है। एक तो पद स्वीकृत नहीं हैं उनमें 101 ही कार्यरत थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्कूल थे सिंगल टीचर्स स्कूल थे जो इन 50 अध्यापकों की कमी के कारण बन्द रहे और कितने ऐसे स्कूल थे जो डबल टीचर्स स्कूल थे एक एक अध्यापक होने की वजह से....

श्री शीशराम ओला : यह जो आपका प्रश्न है प्रश्न की परिधि से बाहर है सारे राजस्थान का प्रश्न.......

श्री कैलाश मेघवाल : सारे राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूं अजमेर के बारे में पूछा है। 151 जो पद हैं उसमें 51 पद रिक्त थे 1-7-83 को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहूंगा, अजमेर जिला परिषद ने बार बार इस विषय पर चर्चा की है और प्रस्ताव भेजे हैं। अजमेर जिले में इन 51 अध्यापकों की कमी की वजह से कितने ऐसे सिंगल टीचर्स स्कूल थे जो बन्द रहे और कितने डबल टीचर्स स्कूल में एक एक टीचर होने की वजह से छात्र ड्राप आउट हुए ? सबसे बड़ी समस्या हुई, अध्यक्ष महोदय, छात्र ड्राप आउट हो गये ? वे सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चर्चा कर रहे हैं। बात आसन के माध्यम से कही जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या यह सही है कि जिला परिषद अजमेर के बार बार प्रस्ताव आने पर भी जो पद रिक्त हैं वे नहीं भरे जा रहे हैं ? दूसरा-क्या यह सही है कि जो पद भरे गये हैं वे जनवरी और फरवरी, 1984 में भरे गये हैं जबकि सत्र समाप्त होने वाला है ?

श्री शीशराम ओला : मैंने उत्तर दिया है। अजमेर जिले में केवल 5 ऐसे स्कूल थे जहां सिंगल टीचर्स के पद रिक्त थे वे इस सत्र में भर दिये गये हैं। जो सेशन चल रहा है 1–7 से जो 50 अध्यापकों के स्थान रिक्त थे उसमें से अब पूरे जिले में एक स्थान खाली है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : गलती की है या नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया। मैं कहता हूं, फरवरी में भरे हैं।

श्री शीशराम ओला : आप तसल्ली से बोले तो मैं समझूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने यह पूछा है कि सिंगल टीचर ऐसे कितने थे जो खाली पड़े हैं ?

श्री शीशराम ओला : पांच।

श्री कैलाश मेघवाल : वहां पर बालक बालिकायें नहीं थी ? ड्राप आऊट कितने हुए ? ग्रामीण क्षेत्र के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है....

श्री शीशराम ओला : यह जो थोड़े बहुत लोग आये हैं शिक्षा से वे पंचायतों के लिये रखे हैं, उन्होंने कार्य भार नहीं संभाला है इसलिये यह जगह खाली हैं और कोई स्थान खाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : एक सवाल और। क्या आप यह उचित समझते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी।

राजस्थान नहर क्षेत्र की जोहड़ पायतान भूमि की नीलामी

712. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) राजस्थान परियोजना क्षेत्र में सरकार द्वारा जोहड़ पायतान आदि की भूमि नीलामी का निर्णय किस आधार पर लिया गया है ?

(2) राज्य सरकार ने इस तरह की कितनी भूमि कितने काश्तकारों को आवंटन की है ऐसे आवंटन से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(3) क्या यह आवंटन सरकार की समाजवादी नीति के विरुद्ध होने से राज्य सरकार इस पर पुर्नविचार करेगी ?

उपनिवेशन मंत्री : (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सरकार द्वारा जोहड़ पायतान आदि की भूमि नीलामी का निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। यह आवंटन समाजवादी नीति के विरुद्ध नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मुझे सूची दी है उसमें इन्होंने स्वयं ने माना है कि जोहड़ पायतान भूमि की नीलामी में इनको एक करोड़ दस लाख रुपये प्राप्त हुए हैं ....

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा नहीं माना है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह जो सूची है उसमें माना है। यह विशेष आवंटन के तहत दी है। इसके बारे में सूची दी है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊं, सन् 1982 के अन्दर आपने बताया था, एक प्रश्न के उत्तर में आपने 6 करोड़ रुपये की भूमि नीलामी के द्वारा बेची....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कह रहा हूं भूमि आवंटन होती है, लैण्ड लैस की रिजर्व प्राइस पर एक विशेष आवंटन होता है आवंटन के नियम हैं उसमें नीलामी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ भूमिहीनों को जमीन दे रहे हैं दूसरी तरफ जोहड़ पायतान जमीन 10 साल का राजस्थान का निवासी हो, पैसे वाला हो वही खरीद सकता है क्योंकि एक लाख में, सवा लाख में एक मुरब्बा होता है।

श्री चन्दन मल बैद : जोहड़ पायतान की भूमि अब 2067 बीघा भूमि भूमिहीनों को दी गई और कुल विशेष आवंटन में 819 बीघा जब भूमि दी गई। 202 व्यक्तियों को जोहड़ पायतान भूमि दी गई और विशेष आवंटन कुल 59 आदमियों को किया है। तो जोहड़ पायतान की ज्यादा भूमि आवंटित की जा रही है, यह सही नहीं है और विशेष रूप से 202 व्यक्तियों को जमीन दी गई है और उसमें विशेष आवंटन 59 व्यक्तियों को किया गया है क्षेत्रफल के हिसाब से 202 भूमिहीनों को जमीन जो अलाट की गयी है वह 2067 बीघा की गई है और विशेष आवंटन 819 बीघा जमीन का किया गया है!

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बिल्कुल गलत सूचना दे रहे

(श्री देवीसिंह भाटी)
हैं। मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन लाउंगा आपको तब पता लगेगा जब मैं प्रिविलेज का मोशन लाऊंगा। अध्यक्ष महोदय मैं तो मन्त्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि आपने वहां पर जमीन की रेट जो निर्धारित की है वह किस हिसाब से की है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, सूचना गलत नहीं है जो भी काम किया गया है वह नियमानुसार किया गया है। इसमें जो आवंटन विशेष की बात है उसमें एक कमेटी बनी हुई है जिसमे तीन आदमी होते हैं। उसमें एक तो एडीशनल कमिश्नर और ए. सी. सी. और एकाउन्ट्स आफिसर होता है वह अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को भेजता है उसके मारफत वह संबंधित शासन के विभाग के पास जाते हैं और वहां से वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट को जाता है। वहां जब वह मंजूर हो जाता है तब प्राइस फिक्स मानी जाती है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय इस तरह के गलत काम करके यह समाजवाद के विरुद्ध काम करते है।

श्री चन्दनमल बैद : आप क्या समझो समाजवाद को आप समाजवाद की बाते कहाँ से करने लग गये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर जो अलाटमेंट किया गया है, गरीब और भूमिहीन लोगों को जो जमीन आवन्टन की गयी है वह तो खराब जगह पर की गयी है और जिन्होंने पैसे दे दिये उन्हें जमीन सड़क के किनारे और अच्छी जगह दी है। यह कौन सा न्याय है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न का उत्तर आ गया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

अगला प्रश्न श्री नरपतराम बरवड़।

सहायक वाणिज्यक कर अधिकारियों के रिक्त पद

श्री नरपतराम बरवड़ : (सूरसागर) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के काफी पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो कुल कितने पद कहां कहां रिक्त हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय चयन समिति द्वारा वाणिज्यक कर निरीक्षकों को सहायक वाणिज्यक कर अधिकारियों के पद पर चयन लम्बे समय पूर्व किया गया था? यदि हां, तो अभी कितने व्यक्ति प्रतिक्षा सूची में हैं तथा इन्हें सहायक वाणिज्यक कर अधिकारियों के रिक्त पद पर कब तक पदस्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मन्त्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) : (1) विभाग में सहायक वाणिज्यक कर अधिकारियों के निम्नलिखित 20 पद रिक्त है :-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

1. मुख्यालय, जयपुर 14
2 वा० क० अ० एन्टी इवेजन जयपुर 2
3 वा० कर अ० एन्टी इवेजन, बीकानेर 1
4. उपायुक्त (अपील्स), बीकानेर 1
5. वा०क०अ० विशेषवृत, कोटा 1
6. वा०क०अ०, एन्टी इवेजन, कोटा 1

20

(2) जी हां, प्रतीक्षा सूची में 4 व्यक्ति हैं। अभी जो पद रिक्त हैं उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। भविष्य में होने वाले रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भी भरे जायेंगे तब प्रतीक्षा सूची से नाम लिये जायेंगे।

श्री नरपतराम बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि रिक्त पदों की लिस्ट में बताई है, एन्टी ईवेजन विभागों में रिक्त पद 33 हैं किन्तु आपने 20 पद ही रिक्त बताये है। तो यह जो 13 व्यक्तियों के पद रिक्त हैं वह आप कब भरेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न कैसे हो गया है आप बताये जब आपके विभाग ने 33 पद रिक्त बताये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह अलग इसलिये है कि वह तो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। मेरे पास जो उत्तर है वह विभाग के द्वारा दिया गया है अब आपने बताया है तो मैं उनके बारे में देखूंगा पदोन्नति के मामले में जो रूल्स बने हुए है उसमें विभागीय पदोन्नति से 50% रिक्त पद भरे जाते हैं और बाकी सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। पदोन्नति के लिये डी.पी.सी. बैठती है वह सलैक्ट करेगी इन 20 पदों के लिए जो बाकी डाइरेक्ट भर्ती के हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। आर्डर आर्डर।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 357

श्री सुखलाल सेणचा
श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित) कृपया आगे देखें।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : प्रश्न सही नहीं है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, वह हाजिर नहीं हुए।

तारांकित प्रश्न संख्या 440

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।
प्रश्न संख्या
(कृपया आगे देखें)
(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री पोरूराम (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप उसको ले लें। गंगानगर जिले के बारे में है। भूमिहीनों का मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी।

आवासन मन्डल, कोटा के निर्मित मकानों में अवैध कब्जे

714. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा स्थित आवासन मण्डल के निर्मित किस किस श्रेणी के मकानों में कब कब से कहां कहां कौन कौन से कार्यालय चल रहे हैं?

(2) निर्मित मकानों में कौन कौन अधिकारी कब से रह रहे हैं और उनसे कितना कितना किराया मण्डल को किस किस माह का कब प्राप्त हुआ?

(3) क्या यह सही है कि अनेकों मकानों में अवैध कब्जा किया हुआ है? यदि हां, तो कब से? उन पर कब कब क्या क्या कार्यवाही मण्डल द्वारा की गयी? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

आवासन मन्त्री (श्री दूलाराम) :

(1) वान्छित सूचना परिशिष्ट "क" पर सलग्न हैं।

(2) सूचना परिशिष्ट "ख" पर सलंग्न है मकानों का किराया उसमें रहने की तिथि से ही परिशिष्ट में अंकित दरों से लिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आवासन मण्डल मकान किराये पर देता है क्या वह नियमों में है? अगर है तो वह नियम बताने की कृपा करें।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, नियमों की सूचना नहीं मांगी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा यह अधिकार है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत ही नरमाई से पूछ रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं, आप कृपा करके यह बतायें कि कौन से नियम हैं जिनके तहत हाउसिंग बोर्ड अपने मकानों को किराये पर दे सकता है?

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल के मकान, जो कि लौटरी में नहीं आये किराये पर दे सकते हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : मकान किराये पर आप देते हैं यह कौन से नियमों में है और उसकी सीमा कितनी होती है। सन् 1975 से लेकर आज तक जो अधिकारी सी. पी. जोशी कोटा में आवासन मन्डल के मकान में रह रहा है उससे कितना किराया वसूल किया है? आपने कोई एग्रीमेन्ट उस अधिकारी से किराये के लिये किया है क्या?

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी किराये पर रहता है वह किराया तो देता ही है जिस मकान में कोई व्यक्ति रहता है उस मकान की जब तक लौटरी नहीं

(श्री दूलाराम)

निकलती है तब तक खाली मकान में किराये पर रहता है और जब लाटरी निकल जाती है उस मकान की तो वह मकान खाली करा लिया जाता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह व्यक्ति सी.पी. जोशी 1-6-75 से उस मकान में रह रहा है तो क्या उस मकान की लाटरी सन् 1975 से लेकर आज तक 1984 तक नहीं निकली ?

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, वह मकान अगर सन् 1975 से किराये पर दिया हुआ है तो हो सकता है वह सी. पी. जोशी शायद श्री दाऊदयाल जोशी का भाई हो बाकी कोई शिकायत उस मकान को खाली कराने की हमारे पास नहीं आयी।

श्री दाऊदयाल जोशी : पर आखिर कोई तारीख तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें फिर वही बात आ जायेगी कि आपने ढ़ाई साल में क्या किया वह भी तो बीच में आये थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सन् 1975 से लेकर आज तक वह सी पी जोशी उस मकान में किस नियम से किराये पर रह रहे हैं ? क्या उस मकान का नाम कभी लोटरी में आया ही नहीं ? और नहीं तो अब कब आयेगा ?

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड के मकानों के आवन्टन के लिये एक कमेटी बनी हुई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। आप दूसरा जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, वह व्यक्ति 25 रु. सन् में 1975 मे उस मकान में रह रहा है क्या उसका नाम मकान की लाटरी में नहीं डाला गया ?

श्री दूलाराम : उसका नाम लोटरी में नहीं आया होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने वहां लाटरी निकाली ही कब है। कोटा में ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने जिले हैं उन 26 जिलों कि ही एक आवन्टन कमेटी बनी हुई है वही अलाट करती है। इसमें अलाटमेन्ट कमेटी अलग है और प्रशासनिक कमेटी हाउसिंग बोर्ड में अलग है।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर सन् 1983 से तो कोई अलाटमेन्ट ही नहीं हो रहा है।

Page No. 22

(22)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। यों तो फिर पूरक प्रश्नों का अन्त ही नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह

सरपंच सनेट एवं भूतपूर्व सरपंच जमवारामगढ़ के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

715. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5642 दिनांक 12-10-1982 द्वारा सरपंच सनेट जिला सवाईमाधोपुर का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी सरपंच को चार्ज देने संबंधी पत्र जिलाधीश को व सरपंच को लिखे गये हैं? यदि हां, तो क्या पत्र प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजे गये थे। यदि नहीं, तो इस मामले मे किस को दोषी ठहराया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत जमवारामगढ़ जिला जयपुर के भूतपूर्व सरपंच को उक्त विभाग द्वारा दिनांक 30-8-1982 को उनके किसी फैसले की कोई नकल प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से दी गई? यदि नहीं तो इस मामले में किसको दोषी ठहराया गया। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कि गई।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दोनों मामलों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसकी कोई जांच करवाई? यदि करवाई गई है, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट की पत्रावली किसी आदेश को कागज चिपका कर दबाया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही किसके द्वारा की गई? इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(12.00 मध्याह्न)

राज्य मन्त्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) :

(1) जी हां। रेकार्ड के आधार पर की गई जांच से श्री भीमसिंह देवड़ा, कार्यालय अधीक्षक (जांच) को दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाओं (वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील नियम, 1958) के नियम 17) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 1-9-83 को दिया गया तथा दिनांक 30-9-83 को उनका स्थानान्तरण जांच शाखा से कर दिया गया। यह जांच रेकार्ड के आधार पर ही होने से एवं नतीजा स्पष्ट न होने से विस्तृत (प्रारम्भिक) जांच के आदेश जारी किये गये है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक 30-8-82 को ग्राम पंचायत जमवारामगढ़ के भूतपूर्व सरपंच द्वारा आदेश दिनांक 28-4-78 की नकल चाहने पर दी गई थी। नकल सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों से देना नहीं पाया जाता है, प्रारम्भिक जांच से कार्यालय अधीक्षक द्वारा नकल देना पाया गया है, उनके विरूद्ध विस्तृत (प्रारम्भिक) जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। उपरोक्त दोनों मामलों में "साप्ताहिक पत्र उद्बोधन" में छपे समाचार

(श्री शीशराम ओला)

द्वारा शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। जिसकी प्रारम्भिक जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

इस समाचार को प्रकाशित करने के कारण श्री भीमसिंह देवड़ा ने भी समाचार पत्र के सम्पादक एवं प्रकाशक के विरुद्ध न्यायिक दण्डनायक नम्बर 15 के न्यायालय में इस्तगासा पेश किया है। दण्डनायक के आदेश पर थाना अशोक नगर ने जांच कर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश कर दिया है।

(4) जी नहीं। किसी आदेश को कागज चिपका कर नहीं दबाया गया है। अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का पृथक टाइप शुदा आदेश श्री देवड़ा को जांच शाखा से हटाने एवं उनका स्पष्टीकरण मांगने का आगे खाली भाग पर चिपकाया गया है। इसमें कोई अनियमितता नहीं की गई है। अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्या जांच रिपोर्ट पढ़ी है? उसके अन्तिम पैरा में हां, हां का जवाब दिया है। दोषी पाया गया है तो फिर क्या कार्यवाही की गई है? बता दें।

श्री शीशराम ओला : उनके विरुद्ध अभी जांच चल रही है। जब जांच का परिणाम आ जायेगा तो कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, शासन सचिव के कार्यालय में....

(व्यवधान)

.... क्या यह सही है कि

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पीरूराम।

गंगानगर जिले में उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि का आवटन

716. **श्री पीरूराम** (टोंगी) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) गंगानगर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि आवंटित की गई है?

(2) कितने भूमिहीनों की दरख्वास्तें पेन्डिग हैं और उनमें से अनुसूचित जाति की

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री पीरूराम)

कितनी दरख्वास्तें हैं तथा सरकार द्वारा इनके निपटारे हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) गंगानगर जिले के भूमिहीनों को भूमि आवंटन के लिये नई दरख्वास्तें कब और किन क्षेत्रों के लिये ली जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद):

(1) गंगानगर जिले में प्रारम्भ से अब तक (28-2-84 तक) गंगानहर परियोजना में 134615-5 एकड़ भूमि 14286 व्यक्तियों को व भाखड़ा नहर परियोजना में 261445 एकड़ भूमि 21255 व्यक्तियों को तथा राजस्थान नहर परियोजना में 859298 एकड़ भूमि 48323 व्यक्तियों को आवंटन की गई है। इस प्रकार 83864 व्यक्तियों को 1255358-5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

(2) भूमिहीनों को भूमि आवंटन के बारे में पेण्डिंग प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :—

गंगनहर एवं भाखड़ा नहर के भूमिहीनों को भूमि आवंटन उप-जिलाधीशों द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन भूमि उपलब्ध होने पर निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

(3) गंग नहर एवं भाखड़ा नहर में भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत समय समय पर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं। राजस्थान नहर परियोजना के गंगानगर जिले के क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है तथा बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में गंगानगर जिले के भूमिहीनों को भूमि आवटन उनकी प्राथमिकता आने एवं भूमि उपलब्ध होने पर ही किया जा सकेगा।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, तीसरे नम्बर में मंत्री महोदय ने बताया कि गंगानगर जिले के भूमिहीनों को उस क्षेत्र में भूमि नहीं दी जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : यह मैंने नहीं कहा है कि नहीं दी जायेगी। यह कहां कहा है ? प्राथमिकता आने पर दी जायेगी, यह कहा है।

क्रम सं.	नाम परियोजना	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	योग
1.	गंगानहर	3216	–	1059	4275
2.	भाखड़ा	15	–	114	129
3.	राजस्थान नहर	6912	–	8232	15144
	योग	10143	–	9405	19548

श्री पीरू राम : गंगानगर जिले की भूमि नहीं दी जायगी तो मेरा यह कहना है कि—

श्री चन्दन मल बैद : यह कब कहा है कि नहीं दी जायगी ? आपने सुना ही नहीं है। मैं प्रश्न के भाग (3) को दुबारा पढ़ देता हूं :–

"गंगनहर एवं भाखड़ा नहर में भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत समय समय पर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं राजस्थान नहर परियोजना के गंगानगर जिले के क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है।" भूमि उपलब्ध नहीं है, यह कहा है "तथा बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में गंगानगर जिले के भूमिहीनों को भूमि आवंटन उनकी प्राथमिकता आने पर एवं भूमि उपलब्ध होने पर ही किया जा सकेगा।"

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसमें यह है कि गंगानगर जिले की कई दरख्वास्तें जो पेण्डिंग हैं क्या उनको उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि दी जायेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : जब भूमि उपलब्ध होगी तो दरख्वास्तें अवश्य ली जायेंगी। अभी जिस श्रेणी की दरख्वास्तें ली जा रही हैं, उसमें गंगानगर जिला नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

बैठ जायें माननीय सदस्य, भाषण नहीं आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

708. **श्री अब्दुल रहमान चौधरी** (मकराना) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मकराना, जिला नागौर में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट खोलने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट खोलने बाबत डी.जे. मेड़तासिटी ने मकराना में भवन आदि का निरीक्षण कर रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी है ?

(3) क्या यह सही है कि डी.जे. मेड़तासिटी की अदालत में सर्वाधिक अदालती मामले परबतसर उप-खण्ड के हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक मकराना में ए. डी. जे. कैम्प कोर्ट लगाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मकराना में ए. डी. जे. कैम्प कोर्ट लगाने बाबत प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 मार्च, 1984)

ग्राम पचायत भूठा एवं देवलीकलां में गबन एवं अनियमितताएं

357. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर) **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण) क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की ग्राम पंचायत भूठा एवं देवली कलां में गबन प्लाटों के मामले में अनियमितताएं हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि देवली कलां पंचायत में बड़ी भारी राशि सरपंच, ग्राम पंचायत देवली कलां ने अपने पिता के नाम चेरिटेबल ट्रस्ट को दी है ?

(3) क्या राज्य सरकार दोनों पचायतों के रिकार्ड की निश्चित रूप से जांच करावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत भूठा एवं देवली कलां में गबन एवं प्लाटों की अनियमितताओं के बारे में जिलाधीश पाली को शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच उप-खण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह बताया जा सकेगा कि अनियमिततायें हुई हैं या नहीं।

(2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह बताया जा सकेगा कि सरपंच ने चेरिटेबल ट्रस्ट को राशि दी है या नहीं।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 अप्रैल, 1984)

तत्कालीन पंचायत आमेट द्वारा कम कीमत पर श्री मांगीलाल सूर्या को प्लाट आवंटन

404 **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन पंचायत आमेट, जिला उदयपुर ने श्री मांगीलाल सूर्या को दो लाख रुपये की कीमत का प्लाट मात्र 7000/— रु में गलत तरीके से बेच दिया जिस विक्रय को जिलाधीश, उदयपुर ने दिनांक 3-11-1977 के आदेश से निरस्त किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सामुदायिक विकास विभाग ने भी दिनाक 23-8-1979 को उक्त प्लाट को विधिवत् नीलाम करने के आदेश दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने जिलाधीश, उदयपुर के उक्त निर्णय को निरस्त किया ? यदि हां, तो क्यों एवं उस समय सम्बन्धित मन्त्री कौन थे ?

(4) क्या इसके विरुद्ध वहां के नागरिकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की ? यदि हां, तो याचिका का निर्णय क्या रहा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तत्कालीन ग्राम पचायत, आमेट द्वारा एक प्लाट 7,000/—

(पंचायत राज्य मंत्री)

रुपये की कीमत में श्री मांगी लाल सूर्या को विक्रय किया गया था, जिसे जिलाधीश, उदयपुर के आदेश दिनांक 3-11-1977 के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(2) जी नहीं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 23-8-1979 के द्वारा ये आदेश दिये थे कि खरीददार श्री मांगीलाल पुनः नये सिरे से सम्बन्धित भूमि को प्राप्त करने के लिये नगरपालिका आमेट से कार्यवाही करावें।

(3) जी हां। विशिष्ठ शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग आदेश दिनांक 11-2-1981 में यह निर्णय लिया गया कि तथ्यों के आधार पर और वर्णित परिस्थितियों में ग्राम पंचायत, आमेट का निर्णय दिनांक 4-4-1972 को बहाल रखा जावे एवं उसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है। विशिष्ठ शासन सचिव ने उक्त आदेश द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश व जिलाधीश, उदयपुर का निर्णय दिनांक 7-7-75 एवं 7-6-1978 को भी निरस्त किया गया है। वर्ष 1981 में श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, पंचायत राज मन्त्री के पद पर आसीन थे।

(4) जी हां। श्री रोशन लाल द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका दायर की गई थी. परन्तु उस याचिका को दिनांक 5-5-1983 को प्रार्थी द्वारा वापस लिये जाने का कारण याचिका खारिज कर दी गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पीपल्दा क्षेत्र की हरीपुरा व कांकरा डिस्ट्रीब्युटरी की मरम्मत

911. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की हरीपुरा व कांकरा डिस्ट्रीब्यूटरी जगह-जगह पर टूटी हुई है? झाड़ झंकाड़ खड़े हुए हैं तथा सफाई आदि नहीं होने से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचने की समस्या रहती है?

(2) क्या सरकार उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत किये जाने की व्यवस्था करेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। झाड़ झंकाड़ अवश्य खड़े हुए हैं परन्तु इसके कारण किसानों के खेतों में पानी पहुंचने की कोई समस्या नहीं है।

(2) उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी के रख रखाव हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है।

छतरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी पर सिंचाई सुविधा

912. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर की छतरगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी चक्र 2 सी. एच. डी. बी. पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होते हुए भी चक के प्रत्येक किसान के मुरब्बे में एक से तीन बीघा तक ही सिंचाई हो रही

(श्री देवीसिंह भाटी)

है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि राजस्थान मुख्य नहर की छतरगढ़ वितारिका के चक 2 सी. एच.डी. "बी" पर चक के किसानों के मुरब्बे में एक से तीन बीघा तक सिंचाई उसमें उपलब्ध सिंचाई क्षेत्र पर निर्भर करती है। 1983-84 में उनके द्वारा जो कार्य किया है उसका ब्योरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र की रकाबदा माइनर में गई कृषि भूमि का मुआवजा

913. **श्री भरोसी लाल** (हिन्डौन) **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) **श्री बाल चन्द्र आर्य** (डग) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की रकाबदा माइनर में कृषि भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त बकाया मुआवजे की राशि को चुकाने हेतु अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा उक्त मुआवजा कब तक चुका दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विभागीय रिकार्ड के आधार पर पीपल्दा क्षेत्र में रकाबदा नाम को कोई माइनर नहीं है। चूंक रकाबदा माइनर में अधिग्रहित की गई कृषि भूमि का कोई मुआवजा देना शेष नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपनिवेशन क्षेत्र में नहर पर आउटलेट लगाते ही किसानों से किस्तों की वसूली

914. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में नहर पर आउटलेट लगते ही एक मुरब्बे में सिंचाई करने से पूरे चक के भूमिहीन किसानों से किस्तें वसूल करनी शुरू कर दी जाती हैं ? यह किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार मौके की परेशानियों व स्थिति को ध्यान में रखते हुये आखरी छोर के मुरब्बे में सिंचाई नहीं होने तक भूमि की कीमत की किस्तें व ब्याज वसूल नहीं करने पर विचार करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटी को भूमि आवंटित होने की तिथि से आवंटी द्वारा काश्त किये बगैर ही भूमि की कीमत पर विभाग ब्याज लगाना शुरू कर देता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने तक ब्याज नहीं लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आवंटितयों की

(उपनिवेशन मंत्री)

किस्तें एक वर्ष बाद से शुरू की जाती हैं। यह कार्यवाही राजस्थान (उपनिवेशन) नहर पारयोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय (नियम, 1975 के नियम 17(6) एवं राजस्थान इर्रीगेशन एवं ड्रेनज अधिनियम 1954 की धारा 3(4) के अन्तर्गत की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

राजस्थान में पकड़ी गई अवैध शराब

915. **श्री धनश्याम तिवाड़ी**(सीकर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक वर्ष में राजस्थान में कहां कहां, कब-कब. किस-किस अधिकारी के द्वारा कितने व्यक्तियों से कितनी-कितनी अवैध शराब पकड़ी गई ?

(2) उक्त पकड़े गये व्यक्तियों में से कितनों के मामले किस-किस कोर्ट में पेश किये गये, कितनों को सजाए हुई व वर्तमान में कितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं ? कृपया राज्य भर की जिलेवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्ष 1982-83 में राजस्थान में कुल 112 आबकारी वृतों में तैनात आबकारी निरीक्षकों व प्रहराधिकारी (निरोधक दल) द्वारा कुल 6658 व्यक्तियों मे 65132 बल्क लीटर्स अवैध शराब पकड़ी गई। पूर्ण ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ठ 1)

(2) कुल 6658 पकड़े गये व्यक्तियों में से 5497 के मामले विभिन्न न्यायालयों में पेश किगे गये न्यायालयों में पेश किये गये मामलों में से 406 व्यक्तियों को सजाऐ हुई.5 मामले अभियुक्त की मृत्यु से ड्रोप हुए, एक मामले में अभियुक्त को डिस्चार्ज किया व 4 व्यक्तियों को बरी किया गया। शेष 508! व्यक्तियों के मामले विभिन्न न्यायालयों में में चल रहे हैं। कुल 6658 पकड़े गये व्यक्तियों में से विभिन्न न्यायालयों में 5497 मामले पेश किये गये। शेष 1161 मामले गत वर्ष 1982-83 में विभागीय अनुसंधान में होने के कारण चालान होने से शेष थे, अब चालान पेश किये जा चुके हैं।

ब्यौरा मय जिलेवार सूची संलग्न की जा रही है। (परिशिष्ट 2)

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राज्य के जिला मुख्यालयों पर कार्यरत सेशन न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

917. **श्री धनश्याम जैन** (वेंगू): क्या विधी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कौन-कौन से जिला मुख्यालयों पर सेशन न्यायालय कार्यरत हैं और प्रत्येक में कुल कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां केवल अस्थाई रूप मे सेशन न्यायालय के कैम्प लगते हैं ? कृपया उनकी मय पेंडिग मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No. 30

(30)

(श्री घनश्याम जैन)

(3) ऐसे कौन-कौन से जिला मुख्यालय हैं जहां सैशन न्यायालय के लिए भवन उपलब्ध है।

(4) क्या सरकार ऐसे जिला मुख्यालयों पर मुकदमों की अधिकता एवं भवन की उपलब्धि तथा जनता को सस्ता न्याय मुहैया कराने की दृष्टि से अतिरिक्त सैशन न्यायालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान में 26 जिला मुख्यालयों पर सैशन न्यायालय कार्यरत हैं। विचाराधीन मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान में जैसलमेर ही एक जिला है जहां केवल अस्थाई रूप से अपर सैशन न्यायालय का कैम्प कोर्ट लगता है। उक्त न्यायालय में कुल 79 मुकदमें विचाराधीन हैं।

(3) राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर जिला मुख्यालय को छोड़ कर बाकी समस्त जिला मुख्यालयों पर सैशन न्यायालय के भवन उपलब्ध हैं। चित्तोड़गढ़ में आंशिक भवन सुविधा उपलब्ध है परन्तु पूरा जिला न्यायालय स्थापित करने के लिये भवन उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर मुकदमों की संख्या को देखते हुये फिलहाल सैशन न्यायालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है। यदि ए.डी.जे. का मतलब है तो 6 ए. डी. जे. अदालतें खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

राजस्थान जनजाति विकास सहकारी निगम की लेम्प्स में बकाया

919. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर)

श्री बाल चन्द्र आर्य (डग)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जनजाति विकास सहकारी निगम का लेम्प्स में 1.40 करोड़ रुपया बकाया है? यदि हां, तो किस किस लेम्प्स में कितनी बकाया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नाई, सीसारमा, सेरिया लसाडिया, कोटडा लेम्प्स के गबनों की जांच कराई गई? यदि हां, तो कब? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। 1982-83 के अन्तिम लेखों के अनुसार जिन लैम्प्स में राशि बकाया है उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट "अ"

(2) नाई, सीसारमा, सेरिया, लसाडिया कोटडा लैम्प्स के गबन के बारे में वस्तुस्थिति परिशिष्ट "ब" पर अंकित की गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

अनु. जाति/जनजाति के छात्रों हेतु अजमेर में छात्रावास

920. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये अजमेर नगर एवं जिले में कहां कहां पर छात्रावास चलाये जा रहे हैं और उनमें प्रवेश की पात्रता क्या है ?

(2) इन छात्रावासों में आवश्यक खाद्य सामग्री ईंधन, स्टेशनरी वगैराह वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन ठेकेदार किस-किस भाव से सप्लाई कर रहे हैं ? इनका ठेका कब से कब तक का है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सामग्री प्राप्त करने हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? किस-किस ने किस-किस भाव के टेण्डर दिये और ये टेण्डर किसके सामने खोले गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगर एवं जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये चलाये जा रहे छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है। प्रवेश के लिये पात्रता भी उक्त परिशिष्ट में अंकित कर दी गई है।

(2) इन छात्रावासों में खाद्य सामग्री, ईंधन स्टेशनरी वगैराह किसी ठेकेदार द्वारा नहीं सप्लाई की गई है। दिनांक 1-2-1982 से लागू किये गये नये नियमों के अनुसार उक्त सामग्रियों की व्यवस्था छात्रों की मेस समिति द्वारा की जाती है।

(3) जी नहीं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

921. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त एवं समस्या रहित गांवों में से कितने को वर्ष 1983-84 तक शुद्ध पेयजल सुलभ करवा दिया गया है ?

(2) उपयोजना क्षेत्र के कुल गांवों में से कितने गांव समस्यारहित हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) समस्यारहित गांवों में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक कितने गांवों को पेय जल सुलभ करवा दिया है ? कृपया वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें। समस्यारहित गांवों के लिए उक्त वर्षों में बजट प्रावधान क्या रखा गया एवं कितनी राशि व्यय हुई ?

(श्री नन्द लाल मीणा)

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 3578 समस्याग्रस्त ग्रामों एवं 800 समस्यारहित ग्रामों में से माह फरवरी, 84 तक क्रमश: 3046 व 36 ग्रामों को विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं द्वारा शुद्ध पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है। तथा माह मार्च, 84 में 89 गांवों को और लाभान्वित कर दिया जाना संभावित है।

(2) उपयोजना क्षेत्र के कुल 3378 आबादी वाले ग्रामों में से 800 ग्राम समस्या रहित हैं। तहसीलवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "अ"

(3) उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 से फरवरी, 84 तक 13 समस्यारहित गांवों में पेयजल सुविधा सुलभ करा दी गयी है। तहसीलवार एवं वर्षवार सूचना परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है। समस्यारहित ग्रामों के लिये अलग से कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

समाज कल्याण विभाग के तहत विभिन्न पद

922. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) **श्री बाल चन्द आर्य** (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 दिसम्बर, 1983 को समाज कल्याण विभाग में कुल कितने पद किस-किस स्तर के और कितने-कितने थे ?

(2) उक्त पदों में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद वर्ष 1982 व 83 में कब से कब तक रिक्त रहे ? पदवार, तारीखवार, अवधिवार कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बालक अधिकारी, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारियों के पद वर्तमान में किन-किन जिलों में स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? कृपया पदवार, तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) गत 2 वर्षों में 1-2-84 तक विभाग में कितने-कितने व कौन-कौन से नये पद सृजित हुए उनमें से कितनों के लिये चयन किस-किस प्रक्रिया से किये गये ?

(5) उक्त 2 वर्षों में भरे गये पदों के लिये गरीबी की रेखा के नीचे योजना में चयनित कुल कितने लोगों ने आवेदन भरे थे और उनमें से कितनों का चयन किया गया ? कृपया वर्षवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 31 दिसम्बर, 83 को समाज कल्याण विभाग में स्वीकृत पदों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) वर्ष 82-83 में रिक्त रहे पदों की सूचना परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची परिशिष्ट "ग" में सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

Page No. 33

(33)

(समाज कल्याण मंत्री)

(4) गत दो वर्षों में 1-2-84 तक विभाग में नये सृजित हुए पदों की सूची परिशिष्ट "घ" में सदन के पटल पर रख दी गई है। जिन पदों के लिये चयन किया गया है उसकी सूची परिशिष्ट "च" में सदन के पटल पर रख दी गई है। यह चयन, विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से नियमानुसार किया गया है।

(5) आवेदन कर्ताओं से इस प्रकार की सूचना नहीं चाही गई थी। मगर गरीबी की रेखा से नीचे वाले उम्मीदवार का ध्यान रखा गया है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत राज्य में पोषाहार कार्यक्रम

923. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के किन-किन जिलों में पोषाहार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और उन जिलों में कितने केन्द्रों से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा किये गये कुल प्रकाशन

924. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा अब तक कुल कितने प्रकाशन किये गये हैं ? क्या इसका मूल्यांकन किया गया है उनसे राजस्थान के आदिवासियों की प्रगति में कितना व किस तरह का सहयोग मिला है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा जनजाति जीवन से सम्बन्धित त्रैमासिक पत्रिका "ट्राइबल" नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। जिसके 1982 तक 14 वोल्यूम, अंक एक प्रकाशित किये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त 47 प्रकाशन जो अब तक प्रकाशित किये जा चुके हैं, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ") यह प्रकाशन विभागीय प्रकाशन है, इनका सम्पूर्ण मूल्यांकन करके ही इन्हें प्रकाशित किया जाता है।

जनजाति विकास योजनाओं के बनाने में ये प्रकाशन काफी उपयोगी रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

कंपीटीशन स्कीम केशोपुरा (कोटा) में आवासन मण्डल द्वारा रॉ मेटीरीयल की खरीद

925. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल की कोटा स्थित डिवीजन सैकिण्ड में कंपीटीशन स्कीम केशोपुरा के निर्माण-कार्य हेतु रॉ मेटीरियल खरीद कर लिमेंट (हाइड्रोलिक लाइम बाइन्डर) निर्मित किया गया ? यदि हां, तो इस हेतु क्या-क्या रॉ मेटीरियल कब-कब किस-किस व्यक्ति से किस भाव से कितना-कितना खरीदा गया ?

(2) क्या उक्त खरीद हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे ? यदि हां, तो खरीद के कितने दिन पूर्व किन-किन समाचार पत्रों में ? विज्ञापन पर किस-किस समाचार-पत्र को कितना-कितना धन दिया गया ? समाचार पत्रों की विज्ञापन सम्बन्धी प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह सही है कि लिमेंट बनाने हेतु ग्राइन्डिंग (पॉलोनाइजर) मशीन क्रय की गई ? यदि हां, तो कब किससे व कितने में ?

(4) यदि ग्राइंडिग मशीन क्रय नहीं की गई तो ग्राइंडिग का कार्य किस-किस फर्म से कब-कब किस भाव से करवाया गया ?

(5) क्या उक्त कार्य करवाने हेतु विज्ञापन किया गया था ? यदि हां, तो कब किन-किन समाचार पत्रों में व उस पर कितना व्यय हुआ ? कृपया सम्बन्धित पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, शेष विवरण संलग्न तालिका में दिया जा रहा है।

(2) बोर्ड में प्रचलित प्रक्रियानुसार एक लाख से कम की निविदाओं का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से करना आवश्यक नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) यह काय मैसर्स सेम इण्डिया कोटा से 110/— रुपये प्रति टन वर्क की दर से करवाया गया। तालिका "क" संलग्न है।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि निविदा एक लाख से कम की थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—20 देखें)

राज्य में भिक्षावृत्ति निवारण हेतु निर्मित संस्थाएं

926. **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग)
श्री हरीश जैन (रामगंज मंडी)
श्री अनंग कुमार शर्मा (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी संस्थाएं

(श्री अमग कुमार जैन)

हैं ? तथा इनका गठन कब-कब किया गया ? राज्य में भिक्षावृत्ति रोकने में सरकार को कितनी सफलता मिली तथा भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु भविष्य में क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

जी हां। संस्थाओं की सूची उनके गठन का वर्ष परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। भिक्षावृत्ति रोकने में आंशिक सफलता प्राप्त हुई है भविष्य की योजनाओं के विषय में अभी कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

सवर्ण जाति एवं अनु. जाति/जन-जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन

927. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की सवर्ण जाति एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बीच अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने की योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल कितने विवाह सम्पन्न हुए हैं और उनको कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि अभी तक दी गई है ?

(2) यह योजना कब चालू की गई और इसके नियम उपनियम क्या हैं ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजना सवर्ण जाति एवं अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने की है। सवर्ण जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने की नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार योजना लागू होने से अब तक 5 विवाह सम्पन्न हुए हैं उनमें से 2 को 5-5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

(2) योजना दिनांक 1-1-82 के पश्चात् हुए विवाहों पर लागू है। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

मांगरोल तहसील के चयनित ग्रामों में पेयजल का अभाव

928. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल तहसील के माडा में चयनित गांव बलवन खेडी व कैंका खेडी में पेयजल का नितान्त अभाव है ?

(2) यदि हां, तो उक्त समस्या को हल करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा उक्त समस्या को कब तक हल कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माडा योजना के अन्तर्गत ग्राम बलवन खेडी व कैंका खेडी में वर्ष 1979-80

(जनजाति विकास मंत्री)

में एक एक नया कुआ निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये। उपरोक्त कार्य सरपंच के माध्यम से करवाने थे। चूंकि वे असमर्थ रहे, अत: माडा योजना के कार्य टेण्डर्स के आधार पर करवाये जा रहे हैं। जो माह जून तक पूर्ण हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम बलवन खेड़ी व कैंका खेड़ी में एक एक कुए को गहरा कराने हेतु स्वीकृति दी गई है।

सवाई माधोपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास

929. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो जिले में कुल कितने छात्रावास चल रहे हैं तथा उन में कुल कितने छात्र रहते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उन छात्रावासों में प्रति वर्ष पहिनने-ओढ़ने व बिछाने का और खाने का जो सामान खरीदा जाता है उसके टेण्डर लिए जाते हैं? यदि हां, तो गत 4 सालों में खरीदा गया सामान किस-किस भाव से किस-किस से खरीदा गया था? अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत 4 सालों में बिना टेण्डर आमन्त्रित किये ही सामान खरीदा गया था? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त स्थानों के लेखे जोखे का उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो गत 4 सालों में किस-किस तारीख को किस किस के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या उन में कोई नोट लगाया गया है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 छात्रावास चलाये जा रहे हैं। इन सभी छात्रावासों कुल 375 छात्र रह रहे हैं।

(2) छात्रावासों में दिनांक 1-2-82 के पूर्व खाने का सामान क्रय करने के लिये टेण्डर लिये जाते थे तथा ओढ़ने, बिछाने व पहिनने के कपड़े खादी भण्डार से लिये जाते थे। वर्ष 80-81 व 81-82 में खरीदे गये सामान की सूचना परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है। दिनांक 1-2-82 से परिवर्तित नियमों के अनुसार राशन सामग्री छात्रों की मैस समिति द्वारा क्रय की जाती है अत: टेण्डर आमन्त्रित नहीं किये गये।

(3) दिनांक 1-2-82 के पश्चात् नये नियमों के अनुसार टेण्डर आमन्त्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्व में टेण्डर

(समाज कल्याण मंत्री)

आमन्त्रित कर न्यूनतम दर वाले व्यापारियों से ही सामग्री क्रय की गई थी।

(4) छात्रावासों के लेखे जोखों का विभागीय एवं महालेखाकार के अंकेक्षण दलों द्वारा निरीक्षण किया गया। जिनमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बताई गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–22 देखें)

समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कुल आंगनबाड़ी कार्य

930. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति प्रतापगढ़, अरनोद, घरियावद, सलूम्बर, सराडा, खेरवाडा, गोगून्दा, फलासिया तथा कोटडा में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कब से चल रहे हैं तथा वर्ष 1983-84 में प्रत्येक केन्द्र से कितनों को लाभान्वित किया गया ? कृपया पंचायत समिति वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में चलने वाली आंगनबाड़ियों की सूची ग्रामवार सदन के पटल पर रखते हुये कृपया बतावें कि इनमें कार्यरत कर्मचारियों में कितने आदिवासी एवं हरिजन हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अरनोद एवं घरियावद में कोई समन्वित बाल विकास परियोजना नहीं चल रही है। शेष की सूचना परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति अरनोद में कोई बाल विकास परियोजना नहीं चलाई जा रही है। पंचायत समिति प्रतापगढ़ की सूचना परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

सवाई माधोपुर में अनु. जाति/जनजाति के लोगों को दिया गया अनुदान

931. **श्री भरोसी लाल** (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोगों को वर्ष 1980 से अब तक कितना-कितना अनुदान दिया गया ? कृपया पंचायत समिति वार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–24 देखें)

राज्य को केन्द्र से प्राप्त गेहूं, पॉम आयल, चीनी, सीमेंट आदि

932. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य को 1982–83 व 1983-84 में केन्द्र से गेहूं, पॉम ऑयल, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट आदि प्राप्त हुआ ? कृपया प्रत्येक मद की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में आवंटित कोटा पूर्व वर्षों के अनुसार था अथवा अधिक ? यदि कम आवंटित हुआ तो किस कारण ?

(3) उक्त वर्षों में आवंटित कोटा क्या केन्द्र द्वारा पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया गया ? यदि कम उपलब्ध कराया गया, तो क्यों, और सरकार ने पूर्ण कोटा प्राप्ति की दिशा में क्या कदम उठाये ?

(4) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित पूर्ण कोटा सरकार ने समय पर उठा लिया है और वितरण करा दिया है ? यदि कोटा कम उठाया गया तो किस किस वस्तु का कितना कितना कम और इसके क्या कारण रहे ? क्या इसके लिये जिम्मेदारी निश्चित कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृपया (3) व (4) के संदर्भ में आवंटित कोटा और उठाये गये कोटे के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) चावल और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के कोटे में वृद्धि हुई है। चावल के कोटे में कमी का मुख्य कारण यह है कि राज्य के निवासियों का चावल मुख्य भोजन नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सामने सम्पूर्ण देश की मांग, उपलब्धि का प्रश्न रहता है, अतः भारत सरकार जिन प्रदेशों मे चावल वहां के निवासियों का मुख्य भोजन रहता है उनको प्राथमिकता के आधार पर आवटित करते हुए शेष मात्रा को मांग व उपलब्धि के आधार पर अन्य राज्यों को आबंटन करती है।

दिनांक 28.2.82 से लागू सीमेंट की दोहरी नीति से पूर्व आवंटित सीमेंट की मात्रा में राज्य के विद्युत एवं सिंचाई विभागों के लिये भी सीमेंट की मात्रा सम्मिलित थी। दोहरी नीति के बाद केन्द्र द्वारा इन विभागो को सीधे ही लेवी सीमेंट का आबंटन किया जाता है। आवटित की जाने वाली मात्रा की जानकारी केन्द्र द्वारा विभाग को नहीं दी जाती है।

दोहरी नीति लागू होने के कारण प्रदेश को भारत सरकार से कम सीमेंट का आवंटन प्राप्त हुआ है किन्तु साथ ही फ्री-सेल में भी सीमेंट सुलभता एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगी है।

(3) जी हां। पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया गया।

(4) आबंटन एवं प्राप्ति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। केन्द्र द्वारा आबंटित कोटे को पूर्ण रूप से नहीं उठाने के मुख्य कारण ये हैं कि :—

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

गेहूं :

खुले बाजार में गेहूं के भाव नियन्त्रित मूल्य के मुकाबले काफी नीचे रहने के कारण उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से क्रय नहीं करते हैं।

पॉम-आयल :—

उठाव कम होने का मुख्य कारण यह है कि जनता में इसकी लोक-प्रियता कम है किन्तु अब इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाकर अधिकाधिक उपयोग के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चावल :—

उपभोक्ताओं द्वारा चावल की कम मांग करने से चावल का उठाव कम रहा।

चीनी :—

उपभोक्ता संघ एवं सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होना, मिलों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होना, वैगनों का समय पर न मिलना इत्यादि मुख्य कारणों से चीनी का उठाव कम हुआ है।

केरोसीन :—

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जितना भी केरोसीन का कोटा आवंटित किया जाता है, वह पूरा उठा लिया जाता है किन्तु उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों को जो केरोसीन का कोटा उपलब्ध कराया जाता है, उसके वितरण एवं उठाव की सूचना खाद्य विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती जिसके कारण संलग्न विवरण में उठाव कम दिखाया गया है।

सीमेंट :—

विद्युत कटौती होने के कारण सीमेंट फैक्ट्रियों का उत्पादन निर्धारित मात्रा से कम हुआ जिसके फलस्वरूप आवंटित लेवी सीमेंट पूरी मात्रा में फैक्ट्रियों द्वारा लदान नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा केवल पब्लिक सेल के सीमेंट के उठाव की सूचना ही संकलित की जाती है, अन्य की नहीं। वही विवरण में दर्शायी गई है। कम मात्रा में सीमेंट का आवंटन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को समय-समय पर राज्य के त्रैमासिक आवंटन कोटे में वृद्धि किये जाने हेतु निवेदन किया है और इसी पर केन्द्र सरकार ने द्वितीय तिमाही, 83 में 4200 मै० टन लेवी सीमेंट की मात्रा बढ़ाई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–25 देखें)

इन्द्रा कालोनी बीकानेर में निरस्त की गई राशन की दुकान

933. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर में 5000 राशन कार्ड हैं तथा कालोनी में कार्यरत सस्ते दर की राशन को दुकान निरस्त कर दी गई है? यदि हां, तो नया डिपो आवंटित नहीं करने का क्या कारण है।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त मोहल्ले में दो नये डिपो खोलने का विचार रखती

(श्री देवीसिंह भाटी)

है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की कार्यवाही जारी है, और यथा शीघ्र दुकानें खोल दी जावेंगी।

भीलवाड़ा तहसील के गणेशलाल जाट तथा सोहनलाल पर खाद बीज की बकाया रकम

934. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा तहसील की सुवाना पंचायत के गणेशलाल जाट तथा बड़ा महुआ पंचायत के सोहनलाल विजय वर्गीय में पचायत की ओर से खाद बीज की कितनी रकम किन किन तिथियों से बाकी है।

(2) अब तक वसूली न होने के क्या कारण है ? उक्त वसूली कब तक हो जायेगी।

उत्तर

(1) श्री गणेश लाल जाट, भूतपूर्व सरपंच, सुवाना में खाद बीज की राशि 39,350/-रु. 31 पैसे दिनांक 24.4.1965 से 29.6.1968 तक की अवधि की एवं श्री सोहन लाल विजयवर्गीय, पंचायत बड़ा महुआ में 5313 रुपये 52 पैसे की राशि दिनांक 23.6.1961 से 4.11.1964 तक की अवधि की बकाया है।

(2) वसूली किये जाने के लिए मांग-पत्र तहसील को भिजवा दिये गये हैं। तहसीलदार द्वारा वसूली शीघ्र ही किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शाही पंचायत (चित्तौड़गढ़) के सरपंच द्वारा औषधालय भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि

935. **श्री शोभराजमल** (चित्तौड़गढ़)—क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शाही पंचायत (चित्तौड़गढ़) के सरपच ने औषधालय भवन के नाम पर पंचायत से पन्द्रह हजार रु. की राशि प्राप्त की तथा नागरिकों से करीब पांच हजार रु. का चन्दा एकत्र किया है लेकिन दो से तीन हजार रु. तक का ही निर्माण कार्य करवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की जांच प्रधान पं. स. चित्तौड़गढ़ एवं विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा की गई एवं जांच के पश्चात् सरपंच द्वारा राशि का गबन करना पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त सरपंच के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्या कारण है एवं अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) सरपंच ग्राम पंचायत शाही, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा औषधालय

(पंचायत राज्य मंत्री)

भवन का निर्माण कार्य कराया है, जिसके लिये पंचायत कोष से 3706.75 रुपया, पंचायत समिति से गेहूं 47 क्वि. 97 किलो (कीमत 6767–77) एवं 1685/-रु. ग्रामीण जनता से प्राप्त किये हैं। इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु 12159.52 रु. प्राप्त किये हैं जिसमें से 10474.52 पैसे निर्माण पर व्यय किया जाना बताया है नपती के अनुसार निर्मित कार्य की कीमत 2677.81 पैसे आती है।

(2) उक्त प्रकरण की प्रारंभिक जांच कृषि प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौडगढ से कराई गई जिसमें सरपंच द्वारा राशि का गबन किया जाना प्रकट है जांच रिपोर्ट पर जिलाधीश चित्तौडगढ से टिप्पणी मांगी गई है। उनकी टिप्पणी प्राप्त होने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

तहसील सिकराय के भू. पू. सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

936. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या भू. पू. सरपंच ग्राम पंचायत चौंदेरा तहसील सिकराय के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु उप-खण्ड अधिकारी दौसा को 4-3-82 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो कब तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नही, तो क्यों?

उत्तर

जी हाँ। जांच अधिकारी से अभी तक जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पाली की पंचायत समितियों के अनु. जा. जन. जाति के व्यक्तियों को ऋण

937. **श्री भैरू सिंह गुर्जर** (खारची) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक पाली जिले की पंचयत समिति मारवाड जंक्शन, रानी व देसूरी के क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के ऋण दिये गये? ग्रामवार आंकडों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जून 1980 से फरवरी 1984 तक पंचायत समिति मारवाड जंक्शन, रानी व देसूरी के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सवर्ण जाति के कितने लोगों को रिहायशी भूखण्ड आवंटित किये गये ग्राम पंचायतवार आंकडों की सूची सदन की मेज पर रखें। कृपया सूची में सवर्ण व अनुसूचित जाति के आंकड़े अलग-अलग बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी स्टेशन व देसूरी के क्षेत्र में जून, 80 से फरवरी, 84 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति-

Page No. 42

(42)

(सामप्रदायिक विकासमंत्री)
तयों को विभिन्न प्रकार के दिये गये ऋण की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी के क्षेत्र में जून, 80 से फरवरी, 1984 तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सवर्ण व्यक्तियों को आवंटित किये गये रिहायशी भूखण्डों की ग्राम पचायत वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।
(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

भीलवाड़ा जिले के व्यक्तियों को गोबर गैस प्लांट हेतु ऋण

938 **श्री बन्सीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास अभिकरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1980 से लेकर आज तक भीलवाड़ा जिले में कितने व्यक्तियों को गोबर गैस प्लांट लगाने हेतु कितना कर्ज किस किस माध्यम से उपलब्ध कराया गया ?

(2) क्या उक्त ऋण के उपभोग की जांच की गई ? यदि हां, तो क्या मौके पर सभी गोबर गैस प्लांट मोजूद पाये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से लेकर आज तक भीलवाड़ा जिले में 105 व्यक्तियों को गोबर गैस प्लान्ट हेतु 3,84,970 रुपये कर्ज के रूप में विभिन्न बैंक शाखाओं से उपलब्ध कराये गये।

(2) हां, उक्त ऋणों के उपयोग की जांच की गई एवं पाया गया कि चार व्यक्तियों के यहां गोबर गैस प्लांट का निर्माण कार्य अधूरा है।

ग्राम पचायत मौलासर द्वारा वितरित किये आवासीय भूखण्ड

939 **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या पचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत मौलासर (जिला नागौर) ने गत वर्ष आवासीय भूखण्डों के पट्टे वितरीत किये ? यदि हां, तो दिनांक सहित पट्टेधारी व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के अतिरिक्त लोगों को भी सरपंच ने पट्टे देने की अनियमितता बरती ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो, क्या अब कोई कार्यवाही करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

प. स. केशवराय पाटन के गांवों में पेयजल समस्या

940. **श्री गोपाल पचेरवाल** : (पाटन) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जनवरी, 1980 से 1 जनवरी, 1984 तक केशवराय पाटन पंचायत समिति

Page No. 43

(43)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के गांवों में पेयजल की समस्या के समाधानार्थ नये कुए निर्माण हेतु कितने गांवों में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ? वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि से कितने कुए पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं पूर्ण एवं अपूर्ण कुए की गांववार सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 तक केशवराय पाटन पंचायत समिति के 19 ग्रामों में 19 कुओं हेतु 5,58,735/- रुपये स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से 5 कुएं पूर्ण करवाये जा चुके हैं एवं 14 कुएं अपूर्ण है ग्रामवार सूची सदन के पटल पर उपलब्ध सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–27 देखें)

सिकराय प. स. में नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव

941. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सिकराय पंचायत समिति में पंचायत के पुनर्गठन व नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या विभाग को ग्राम पंचायत डैण्डा बसेडी, गुमानपुरा, अचलपुरा, उदयपुरा, फराशपुरा के पुनर्गठन व कुछ नई पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो कब-कब तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या महन्दीपुर बालाजी के नाम से कोई नई पंचायत बनी है ? यदि हां, तो किस किस ग्राम को इसमें सम्मिलित किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति सिकराय में ग्राम पचायत करोडी एवं उदयपुरा के पुनर्गठन के प्रस्ताव हैं तथा मेहन्दीपुर बालाजी नामक नई पंचायत बनाने के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा पंचायत समिति डैण्डा बसेडी को दो पंचायतों में विभाजित करने के पचायत समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(2) इस विभाग में पंचायत डैण्डा बसेडी को दो भागों में विभाजित कर दो पचायत बनाने के प्रस्ताव पंचायत समिति से प्राप्त हुए थे। जिलाधीश से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्राम पंचायत उदयपुरा के पुनर्गठन के प्रस्ताव इस विभाग से प्राप्त हुए थे जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं इसके अलावा महन्दीपुर बालाजी नामक नई पंचायत के गठन के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं। यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Page No. 44

(44)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 मार्च, 1984)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में क्रमोन्नत विद्यालय

531. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ) : क्या जन जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये, कितने क्रमोन्नत किये गये और कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया तहसीलवार एवं वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें। क्या यह सही है कि प्राथमिक पाठशाला खोलने एवं क्रमोन्नत करने के कोई मापदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो जिला आयोजना समितियों द्वारा प्रस्तावित नामों में से उक्त वर्षों में कितनी पालना हुई ?

(2) उप योजना क्षेत्र में कितनी प्राथमिक पाठशालायें भवनों रहित चल रही हैं और कब से ? राज्य सरकार द्वारा भवन रहीत विद्यालयों को भवन उपलब्ध कराने में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ? उक्त वर्षों में बनाये गये विद्यालय भवनों की वर्षवार एवं तहसीलवार सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 से 83-84 तक खोले गये व क्रमोन्नत किये विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	मा.वि.	उ.मा.वि.
80-81	65	13	19	—
81-82	69	41	--	—
82-83	—	28	—	9
83-84	116	66	—	—

इन विद्यालयों का पंचायत समितिवार विवरण सलग्न है।

विद्यालय खोलते समय व क्रमोन्नत करते समय ग्राम की जनसंख्या, स्थानीय मांग, भवन व्यवस्था, छात्र संख्या व भौगोलिक स्थिति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है।

(2) उप योजना क्षेत्र में 112 प्राथमिक पाठशालाये जब से खुली हैं तब से उनके अपने भवन नहीं हैं।

राज्य सरकार ने जन सहयोग, राष्ट्रिय ग्रामीण योजना काम के बदले अनाज योजना व बढ़िया सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो भवन निर्माण करवाये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट-28 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 मार्च, 1984)

पंचायत विभाग में कार्यरत ग्राम सेवक

541. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत राज एवं विकास विभाग में कार्यरत ग्राम सेवकों

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

को समय समय पर पंचायत प्रसार अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों पर पदोन्नत करते समय अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के ग्राम सेवकों को इनके लिये निर्धारित रोस्टर पद्धति के अनुसार पदोन्नतियां दी गयी थीं ?

(2) यदि हां, तो दिनांक 1-4-77 से आज तक कितने ग्राम सेवकों को पदोन्नत किया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित हैं ?

(3) यदि पदोन्नति में आरक्षण हेतु निर्धारित प्रतिशत का पालन नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) वर्तमान में कुल कितने ग्राम सेवक कार्यरत हैं और उनमें से अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने-कितने हैं ? कृपया जिला परिषद् के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, । परन्तु जोन आफ कन्सीडेशन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ग्राम सेवक नगण्य संख्या में ही उपलब्ध थे।

(2) दिनांक 1-4-77 से करीब 465 ग्रामसेवकों को पदोन्नत किया गया है। इनमें अनुसूचित जाति के 3 ग्रामसेवक व अनुसूचित जनजाति का कोई भी ग्रामसेवक नहीं है।

(3) पदोन्नती में आरक्षण हेतु निर्धारित प्रतिशत से सम्बन्धित नियमों का पालन किया गया है, परन्तु जोन आफ कन्सीडेशन मे अनुसूचित जाति के केवल 3 ग्रामसेवक उपलब्ध थे तथा जोन आफ कन्सीडेशन में अनुसूचित जनजाति का कोई ग्रामसेवक उपलब्ध नहीं था। व्यवहारिक दृष्टि से जोन आफ कन्सीडेशन में आने योग्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोई ग्रामसेवक यदि पदोन्नती से वंचित रह गया है, तो उसके लिए कुछ पद रिक्त रखें गये है।

(4) वर्तमान में कुल 3741 ग्रामसेवक कार्यरत हैं, इनमें अनुसूचित जाति के 143 व अनुसूचित जनजाति के 79 ग्रामसेवक कार्यरत हैं जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–29 देखें

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 1984)

जिला बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति के छात्रावास

638. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कितने छात्रावास कहां-कहां चल रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनजाति के कितने छात्रावास भवन कहां-कहां बनाये जा चुके हैं और कहां-कहां बनने बाकी हैं।

(श्री फतेसिंह)

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ जनजाति छात्रावास कई वर्षों से किराये के भवन में चल रहा है।

(4) क्या सरकार को जानकारी है कि इसके मकान मालिक व छात्रों के बीच प्रायः दिन झगड़े होते रहते हैं?

(5) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ छात्रावास भवन के लिए पंचायत कुशलापाडा द्वारा जमीन दे दी गई है? यदि हां, तो छात्रावास का भवन क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

(6) क्या राज्य सरकार कुशलगढ़ छात्रावास भवन का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या कुशलगढ़ छात्रावास के लड़कों से वार्डन के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही हुई? क्या इस छात्रावास के लड़कों को चाय, नाश्ता और वर्दी दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जन जाति के लिए चल रहे छात्रावासों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन जनजाति के छात्रावास भवन बनाये जा चुके हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है। अन्य स्थानों के लिए अभी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है।

(3) जी हां।

(4) इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी हां। छात्रावास का भवन वित्तीय प्रावधान के अभाव में नही बनाया जा सका है।

(6) वित्तिय प्रावधान उपलब्ध होने पर।

(7) जी हां। तत्कालीन छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे निलम्बित कर जांच की जा रही है। नये नियमों के अनुसार लड़कों की चाय, नाश्ता, वर्दी आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाकर छात्रों की मैस समिति द्वारा की जाती है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-29 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में बिजली की कटौती के कारण पेयजल की कमी के विषय में।

(2) सर्वश्री हरीश शर्मा, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सर-

Page No. 47

(47)

(श्री अध्यक्ष)

कारी विभागों में रिक्त स्थानों पर अन्य प्रदेशों के युवकों को नियुक्ति दी जा रही है, इस विषय में।

(3) श्री छीतर लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के अटरू तहसील के कुछ गरीब व वृद्ध लोगों को दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन एक साल से बन्द कर देने के विषय में।

(4) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर स्थित वाटर वर्क्स के टैंक में एक बच्चे की लाश को कई दिनों तक न निकालने के विषय में।

(5) श्री बाल चन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से डग पंचायत समिति की पंचायत घतुरिया में डाक्टर की लापरवाही से नसबन्दी कैम्प में एक महिला की मृत्यु के विषय में।

(6) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारी बैंक सिकराय के अधिकारियों द्वारा नाजायज तरीके से कुछ लोगों की सम्पत्ति व बैलों को कुर्क करने के विषय में।

(7) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की ओर से गत 14 अप्रेल को रूपवास के विधायक श्री राम प्रसाद से झगडा होने पर उनके भाई के साढू के विरुद्ध पुलिस द्वारा 307 का मुकदमा दर्ज करने के विषय में।

(8) सुश्री पुष्प जैन, सदस्य, राजस्थान विधानसभा की ओर से राज्य में बिजली की कटौती के कारण औद्योगिक कारोबार पूर्णतया ठप्प हो जाने के विषय में।

(9) श्री त्रिलोक सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जे.के. उद्योग समूह की चार इकाइयों में एक दिन की हड़ताल करने पर श्रमिकों का सात दिन का वेतन काटे जाने के विषय में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधानसभा की ओर से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के नायला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पानी की किल्लत के विषय में।

(11) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर मैटल्स के मैनेजमेन्ट द्वारा मजदूरों को भुगतान न करना और अनियमित तरीके से उनकी छंटनी करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(12) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अनेक स्थानों पर युवतियों की बिक्री और दहेज के कारण महिलाओं को यातनायें देने की घटना के विषय में।

यह प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है इसे सरकार की आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(13) श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधानसभा की ओर से जिलाधीश, सवा

(श्री अध्यक्ष)

माधोपुर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक कर्मचारी को क्रय विक्रय सहकारी समिति, सवाई माधोपुर में प्रशासक लगाने के विषय में।

आज सहकारी विभाग की मांगों पर चर्चा है। अतः उस समय माननीय सदस्य इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

अतः मैं इस स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री कैलाश मेघवाल—गत 12 मार्च को कुचामन सिटी, जिला नागौर में पुलिस द्वारा कमल किशोर शर्मा की हत्या।

इस विषय पर आगामी 19 अप्रैल को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

(2) श्रीमती विद्या पाठक नोखा तहसील के मूंड में एक कुएं में हरिजन मजदूरों के दबकर मर जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप गत 24 मार्च को दो व्यक्तियों के शवों को मलबे से निकाल लिया गया है और उनके परिवारजनों द्वारा अन्तिम संस्कार कर दिया गया है।

(3) श्री महाराम चौधरी–नागौर जिले में बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण पेयजल की समस्या।

इस विषय में कल विस्तृत चर्चा हो चुकी है फिर भी सरकार ने सूचित किया है कि औसतन 9 घण्टे से 20 घन्टे तक रोटेशन द्वारा बिजली की सप्लाई की जा रही हैं।

(4) श्री देवीसिंह भाटी–पुलिस थाना नोखा में मांगीलाल हरिजन की पिटाई।

सरकार ने सूचित किया है कि जाँच में मांगीलाल द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

(5) श्री देवीसिंह भाटी–श्रीमती कमला शर्मा की बीकानेर में दहेज के लालच में हत्या।

सरकार ने सूचित किया है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और चालान शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(6) श्री भगवान दास शास्त्री–नया बाजार, अजमेर में एक सर्राफ की दुकान से सोने, चांदी के जेवरों की चोरी।

सरकार ने सूचित किया है कि अभियोग में माल व मुल्जिमात की तलाश हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(7) सर्वश्री मेघराज तावड़, उम्मेद सिंह, त्रिलोकसिंह–नगरपालिका कपासन के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य का अपहरण।

सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस को दिये गये एक प्रार्थना-पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री बालचन्द्र पार्येवीर व श्री अनंग कुमार जैन—गत 27 फरवरी को पंडला ग्राम में डकैती की घटना ।

सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं ।

(9) श्री गुलाबचन्द कटारिया–उदयपुर के महिला मण्डल के छात्रावास में कुछ छात्राओं द्वारा जहर खा लेने के बाद एक छात्रा की मृत्यु के विषय में ।

सरकार ने सूचित किया है कि मृतक छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करके अभियोग का अन्वेषण वृताधिकारी, नगर पश्चिम द्वारा किया जा रहा है और केमीकल रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है ।

(10) श्री रामकंवार बैरवा–फागी तहसील में चोरियों की बढ़ोत्तरी ।

सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष प्रथम दो माह में चोरी व नकबजनी की घटनाओं में काफी कमी आई है ।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री यदुनाथ सिंह : आई एम ग्रान ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके माननीय सदस्य ।

श्री छोतर लाल आर्य (अटरू) : पाइन्ट आफ आर्डर । माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी है एक····

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी में एक बैंक को लूटने की सूचना मिली है । 19 तारीख को बूंदी में सुना, बैंक को लूटने की सूचना लुटेरों ने दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसी हमारी सदैव की परम्परा रही है जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है उन माननीय सदस्यों का एक-एक करके मैं नाम पुकारूंगा । कृपया आप अपनी बात कहने की कृपा करें । एक साथ सभी माननीय सदस्य बोलेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी और मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा····

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी में दोबारा बैंक लूटने की सूचना लूटरों ने दी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास सूचना न तो आपने दी है न कोई आयी है यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो आप लिखकर दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : कोटा में भी····

(व्यवधान)

JC

श्री छीतरलाल आर्य : यह बूंदी के अन्दर और कोटा के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था फैला रहे हैं। कृपया बैठ जायें। अंकित न हो।

श्री छीतरलाल आर्य : ××××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, समय न लें। मैं अवसर दे दूंगा। माननीय सदस्य, बैठ जायें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। अंकित न हो। समय ले रहे हैं व्यर्थ में। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय नहीं लें, माननीय सदस्य। अब जिन सदस्यों का नाम मैं पुकारता हूं, कृपया और उसके बाद में यदि किसी माननीय सदस्य की कोई कठिनाई रह जाती है तो आप मेरा ध्यानाकर्षित कर सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम प्रसाद, सदस्य विधान सभा की सुरक्षा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर। मैंने पहले आपको देख लिया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले यहां एक घटना हुई थी और माननीय विधायक राम प्रसाद जी ने सदन में....

श्री अध्यक्ष : वह आपका स्थगन प्रस्ताव आ गया, मैंने व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसमें जानकारी की जा रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है वहां। अध्यक्ष महोदय, उस आड़ में वहां और लोगों को इस तरह की छूट तो नहीं दी जा सकती, पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया विधायक को, उनको अंगरक्षक दे दिया....

श्री अध्यक्ष : यह एक विवादास्पद मामला है। इसमें यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझसे चेम्बर में मिल लें।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रोटेक्शन का नाजायज फायदा लोगों पर झूठे मुकदमे बनाकर पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तंग कर रही है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न निरस्त किया गया। श्री घनश्याम तिवाड़ी व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

उद्योग विभाग से सम्बन्धित प्रश्न

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा जब से अपना हाउस चला है तब से लेकर आज तक उद्योग विभाग से सम्बन्धित एक भी प्रश्न यहां हाउस में नहीं लगा है और उद्योग विभाग की डिमाण्ड्स भी आपने नहीं रखी है क्योंकि मुख्य मन्त्री जी के पास

××× माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इतने विभाग हो गये। इण्डस्ट्री जैसा महत्वपूर्ण मसला पर एक बार भी हाउस में डिस्कशन के लिए नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के अलावा भी अन्य माध्यम थे। माननीय सदस्य उसका उपयोग कर सकते थे। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इसको निरस्त किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्थगन प्रस्ताव भी दिये गये हैं उनको भी डिस्कशन में नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित प्रश्न भी नहीं लिये गये और इण्डस्ट्रीज की डिमाण्ड भी नहीं रखी है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। माननीय सदस्य।

प्रश्नों के बारे मे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, प्रश्न दिये जाते हैं उसके बाद में जब कुछ दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में वह प्रश्न पके हुए माने जाते हैं। एक व्यवस्था के अनुसार उसकी लाटरी निकाली जाती है उसमें जो प्रश्न आ जाते हैं, वह आ जाते हैं। उसके बाद भी मेरी ओर से यह सुविधा माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा रखी है कि यदि माननीय सदस्यों को शिकायत है, किसी तरह की प्रश्नों के बारे में तो आसन को अधिकार है कि उसको पहले ले ले, उसको ऊंचे स्थान पर रख दे। तो यदि ऐसा कुछ हुआ है और आपका ऐसा अनुभव है कि कोई प्रश्न आया ही नहीं है तो कृपया आप मुझसे मिलने का कष्ट करें और किन्हीं माननीय सदस्यों के प्रश्न हों तो मुझे बतायें, वह आगे भी रखे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इसलिए निरस्त किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) यह प्रश्न इस तरह का नहीं है, प्रश्न दूसरी तरह का है। मैं निवेदन करूं मुख्यमन्त्री जी के नाम 18 विभाग हैं, क्वेश्चन्स की लाटरी निकलती है तो मन्त्री के नाम से लाटरी निकलती है। उनके नाम 18 विभाग होने के कारण मुख्यमन्त्रीजी का पहले तो टर्न आवे और टर्न के अन्दर 18 विभाग हैं, और 18 विभागों के कारण आप जानते हैं एक मंत्री के नाम पर जितने क्वेशचन्स निकलने चाहिये वह नहीं निकल पाते। यदि किसी एक मंत्री के दो विभाग हैं तो उस मंत्री के तो क्वेशचन्स निकलते जायेंगे और जिनके विभाग ज्यादा हैं उनके क्वेशचन्स कम कम निकलेंगे। इस आधार पर यह शिकायत है कि मुख्यमन्त्री जी के विभागों के सम्बन्ध में प्रश्न कम आते हैं, 18 विभागों में जैसे जी.ए.डी. है....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि अभी तीन दिन और अवशेष हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विरोधी पक्ष के नेता और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, इस बात में तथ्य नहीं है। कितने ही लिखित प्रश्नों के उत्तर, उद्योग विभाग के प्रश्नों के उत्तर....

(व्यवधान)

Page No. 52

(52)

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

आप बीच में नहीं बोलें।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर कितने ही प्रश्नों के, उद्योग विभाग के प्रश्नों के जवाब भेजे गये हैं। यह तो रिकार्ड का सवाल है। मेरी मौखिक बात से आप सहमत नहीं हों तो आप रिकार्ड उठाकर दिखवा लें, अध्यक्ष महोदय। मुझे यह निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी पिछले सत्रों के अन्दर यही परम्परा थी। मुख्य मन्त्री जी के कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके बारे में प्रश्न ही नहीं होते। मेरा खयाल है कि कुछ विभाग तो ऐसे है जो कि बहुत कम ही महत्वपूर्ण विभाग है जिनके बारे में अभी प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। अधिकतर प्रश्न आते हैं अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग, गृह विभाग और डिपार्टमेंट आफ पर्सोनल के बारे में, डिपार्टमेंट आफ होम के बारे में, डिपार्टमेंट आफ इण्डस्ट्रीज के बारे में हैं, अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड दिखवा लीजिये, कितने प्रश्नों के लिखित उत्तर यहां पर दिए गए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप रिकार्ड देख लीजिए, एक भी प्रश्न हाऊस में नहीं आया है। एक भी प्रश्न का जवाब यहां पर नहीं दिया गया है। उद्योग विभाग के एक भी प्रश्न का जवाब यहां पर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

अब इस पर भाषण नहीं होंगे। अगर सूची में प्रश्न बहुत नीचे होते हैं तो नहीं आए होंगे। इसकी ओर आसन का ध्यान आकर्षित करते तो अभी तो तीन दिन अवशेष रहे हैं। इन दिनों में भी मेरी कोशिश होगी कि एक दो चार प्रश्न आ जायें अगर कोई नहीं आए हैं तो।

अब श्री रामकंवार बैरवा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। आर्डर प्लीज, बाधा उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का उत्तर चोरियों के मामले में आया है, मैं आपके माध्यम से ....

श्री अध्यक्ष : उसमें मैं आपको मौका दे रहा हूं।

श्री रामकंवार बैरवा : उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जब मैं आपका नाम पुकारूं तब आप उस पर धीरज से अपनी पूरी बात कह दें। मैं अवसर दे दूंगा आपको।

(व्यवधान)

अब यह प्रश्नकाल नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी करने हेतु समय का अभाव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा यह निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव आज जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किए हैं, आपने सरकार को जानकारी के लिए भेज दिए। अब सरकार के और आपके सामने तीन दिन का समय है। और आप भी....

श्री अध्यक्ष : अन्तिम दिन है और बीस को भी आयेंगे। उसमें भी मैं यही व्यवस्था दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अन्तिम दिन पर सारे एडजोर्नमेंट मोशन्स का भार पड़े तो यह वाजिब नहीं है। इसलिए आप जिनको उचित समझें उनको रिजेक्ट कर दें। जिनको आप यह समझें कि सरकार को अपना वक्तव्य देना है उनके बारे में फैसला कर दें और यह डिस्पोजल तीन दिन में हो जाये तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : कल से यह व्यवस्था लागू कर देंगे, आज तो जैसे पूर्व में व्यवस्था रही है वही रहेगी।

(व्यवधान)

अब यह प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा। आर्डर आर्डर....श्री कैलाश मेघवाल।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्तावों में से एक पर भी व्यवस्था नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : पोइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है। मेरा निवेदन है एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष : अब कोई पोइन्ट आफ आर्डर पर विचार नहीं होगा।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं एक मिनट में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जावें।

श्री हंसराज शर्मा : व्यवस्था के प्रश्न को अगर आपके आगे नहीं कहेंगे तो कहां जायेंगे। जब से सदन में आये हैं तब से कन्टीन्यूअसली आपने हमारे स्थगन प्रस्तावों को सरकार के पास जानकारी के लिए भेज दिया, बोलने का हमें मौका नहीं दिया। सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिनकी जानकारी आ गई है वह तो हमको लिखित में मिल जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर, बैठ जावें, आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यों तो.........

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आर्डर आर्डर। व्यर्थ में समय ले रहे हैं··· अंकित नहीं हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : बिजली न मिलने के कारण पेयजल की कठिनाई।

अध्यक्ष महोदय, नागौर यों तो बिजली के हिसाब से सबसे टेल पर है. टेल पर होने के साथ साथ जो नागौर के ग्रामीण क्षेत्र हैं और बिजली····

श्री अध्यक्ष : कल विस्तृत चर्चा हो चुकी पेयजल के बारे में।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो बिजली की व्यवस्था की गई है यह पर्याप्त मात्रा में····

श्री अध्यक्ष : यह पानी के लिए है

श्री महाराम चौधरी : पेयजल योजनायें हैं उनके अन्दर जो बिजली से जुड़ी हुई हैं. वह हमारे यहां बिजली की व्यवस्था सिर्फ पेयजल योजनाओं के लिए होने पर भी सुचारू रूप से नहीं चलने से हालात इस तरह के हो गए हैं कि गांव वालों के लिए पानी जुटाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। अध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर चाहे ट्यूबवेल हों, चाहे कुएं हों, उन पेयजल योजनाओं को विद्युत से जोड़ देने, उनके कुओं के अन्दर पाइप डालने और मोटर वगैरह डालने के कारण उस कुओं से हम चरस से भी पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। इस तरह की जो बिजली की अव्यवस्था है। गांवों के अन्दर पानी के लिए भीड़ लगती है. उधर से बैलों के कोठा वगैरह लेकर आते हैं, इधर औरतें पानी के घड़े लेकर आती हैं, उधर ऊंटों के छकड़े आते हैं, मैंने कई दफा देखा है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो ये बिजली के अधिकारी जान बूझकर मजा लेने की नीयत से इस तरह की कुव्यवस्था करते हैं यह तो करते हैं सो तो करते ही हैं, इसके साथ-साथ जो दूर-दूर के गाव हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि आखिरी गांव जो करणू पड़ता है वह बिजली की पेयजल योजना से जुड़ा हुआ है, उस गांव के अन्दर बिजली की गड़बड़ हो जाती है. तो पेयजल योजनाओं के साथ में एकसटा कोई आदमी नहीं होता है जो जाकर नागौर में सूचना करे इतनी दूरी से वहां जाकर सूचना करे और सूचना करने के बाद में भी अगर समय पर कार्य नहीं करते हैं तो यह पता नहीं चलता कि वहां पर कब तक पानी पहुंचेगा, कब वह मोटर स्टार्ट होगी, कब यह काम होगा? यही

× × × मा. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 55

55

(श्री महाराम चौधरी)

नहीं, अध्यक्ष महोदय, पिछली गर्मियों के अन्दर सात-सात दिन और दस-दस दिन तक वहां की योजनायें बन्द रही। जलदाय योजना बन्द रहने से क्षेत्रीय जलदाय योजना होने से 17-17 गांवों को पानी नहीं पहुंचा, भयंकर असुविधा हुई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खास बात जो मेरे को कहनी थी वह सिर्फ यह है कि जब कहीं भी शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो गांव का ट्रांसफार्मर जो ठीक काम करता है उस ट्रांसफार्मर को उठाकर शहर में लाकर काम में लेते हैं। वहां पर जाकर कई दिनों तक व्यवस्था नहीं करते हैं। इसलिए गांव के अन्दर पेयजल की समस्या बनी रहती है। सरकार को इस सम्बन्ध में सावचेत किया जाये और विशेष ध्यान रखा जाये कि सिर्फ पेयजल योजनाओं के लिए बिजली दी गई है उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। माननीय सदस्य के दो स्थगन प्रस्तावों के जवाब आ गए हैं श्री मांगीलाल के बारे में और श्रीमती कमला शर्मा की हत्या के बारे में।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री, सर्राफ की दुकान में चोरी के सम्बन्ध में।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर में नया बाजार सर्राफ बाजार कहलाता है प्राचीन समय मे ही एक चौराहे के रूप में और सुन्दरता के रूप में बिजनेस का यह एक केन्द्र है। 23 फरवरी की रात्रि को और 24 फरवरी को सुबह प्रातःकाल जब पुलिस को यह रिपोर्ट लिखाई गई कि नाले से सेंध लगा करके चोरों ने प्रवेश किया, एक लाख रुपये के जेवर चांदी और सोने के और तिजोरी तोड़ कर सामान लेकर गए जो आज दिन तक भी बरामद नहीं हुआ। आपका मुझे आदेश हुआ है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो फरवरी तो गया मार्च भी गया, अप्रैल भी जा रहा है, आज तक वह चोर और चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ। मैं खुद जाकर के माननीय अधीक्षक महोदय से मिला था। मैंने कहा कम से कम जब तक चोर को आप पकड़ें या आप हमारे सामान को अपने कब्जे में लें तब तक हमारे नागरिक जो सर्राफ बाजार में हैं उनके कुछ पोइन्ट्स हैं उन पर कार्यवाही करें। उनका यह कहना है कि नया बाजार के चारों ओर पुलिस की गश्त बिलकुल बन्द है, छोटी सी केबिन पुलिस की जिस प्रकार आप बनाते हो, उसी प्रकार की चौराहे पर छोटी केबिन है ये जो घुड़सवार हैं क्या घोड़े पालने के लिये हैं।

(व्यवधान)

घुड़सवार पहले बिश्नोई जी के दिनों में रात भर सारे चौराहों और बाजारों में घुमते थे लेकिन आज घुड़सवार का कोई भी अजमेर में नामोनिशान नहीं रहा है। नया बाजार में टैम्पो रिक्शा चालक आदि रेडियो बजाते हैं। इसके कारण आवाज सुनने में नहीं आती है। वे चारों तरफ

(श्री भगवानदास शास्त्री)

गुंडागर्दी करने में फर्स्ट नम्बर हैं। चारों तरफ दुकानों में उनकी यह दृष्टि रहती है कि कहां से चोर आयेगा कैसे चोरी हो। मैं खुद अधीक्षक महोदय को कह चुका हूं। एक तो वहां बिजली की व्यवस्था करें, दूसरा टैम्पो और आटोरिक्शा स्टैण्ड वहां से हटा दीजिये। मैगजीन के पास टैम्पो आटोरिक्शा स्टैण्ड है। जैसे जयपुर में बना रखा है वैसे बनायें। बीच चौराहे में इस घनी आबादी को बरबाद करने के कारण से चारों ओर आतंक बना रहता है। उसके साथ-साथ नया बाजार में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात होना आवश्यक है। सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में मैंने, अध्यक्ष महोदय, वहां अधीक्षक महोदय को कहा। उनको कहा, कम से कम टैम्पो आटोरिक्शा स्टैण्ड तो हटा दीजिये, गुण्डों का आना जाना बंद कर दीजिये, सब साइकिल-रिक्शा हटा दीजिये, ठेले खड़े रहते हैं उनको भी हटा दीजिये, कम से कम सुरक्षा तो दें। रात को पुलिस का पहरा हो। उन्होंने कहा, मैं देख लूंगा। मैं उनके आफिस में मिला हूं। एक विधायक के कहने पर मिस्टर हसुखा ने रत्ती भर ध्यान नहीं दिया। यह पहला अवसर है जब कि अधीक्षक अजमेर ने मेरी बात को टाला है और वह भी अच्छी अच्छी जनता के बीच में। जनता में जो आतंक का वातावरण है, जनता की जो समस्याएं हैं, मैंने कभी भी किसी भी अधीक्षक के सामने रखी हैं। उन्होंने डट कर पैरवी की है। दुर्भाग्य से, मैं कहता हूं, ऐसा अयोग्य एस. पी. का जो अजमेर को नहीं संभाल सकता है या तो ट्रांसफर कर दीजिये या वे इस्तीफा देकर घर पर जाकर आराम करें। इतनी ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़, कपासन के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य का अपहरण।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेद सिंह।

श्री त्रिलोक सिंह।

(अनुपस्थित)

अगला प्रस्ताव। श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन। गण्डला ग्राम में डकैती की घटना के संबंध में।

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निरन्तर डकैतियों और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं। इसी प्रकार की घटना ग्राम गण्डला, जो सवाईमधोपुर जिले में है, हुई। वहां पर प्रभुपुरिया के घर में डकैत आये और बन्दूक की नोक पर औरतों को डराया और 60 हजार रुपये ले गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की घटना अब पुनः बूंदी जिले में बैंक लूटने की होने वाली है, 19 तारीख को वहां पर डकैतों ने नोटिस बोर्ड पर कागज चिपकाया है। यदि पुलिस पुनः सक्रिय नहीं हुई तो पुनः वहां पर घटना घट सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, निरन्तर इस प्रकार की घटनाएं घटने का कारण एक ही है कि पुलिस विभाग डकैतों से मिला हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, बूंदी में पुनः इस प्रकार की घटना घटने वाली है 19 तारीख को वहां

(श्री बालचन्द आर्य)

पर कर्मचारियों और जनता में भयकर आतंक है इसलिये वहां पर तुरन्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : थोड़ा टाइम रिजर्व रख लें।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, उदयपुर महिला मंडल छात्रावास में छात्रा द्वारा आत्महत्या।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह निवेदन है कि गुलाब जी आज हैं नहीं कल पर रख दें, उनको सूचना भी नहीं थी कि आज आयेगा यह, तो कल पर रख दें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : या मुझे बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का आज जवाब आया है, पिछले दो महीने से चोरियों में काफी कमी आई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज से ढाई साल पहले मेरे खुद के बैलों की जोड़ी की चोरी हुई। उसके लिये पुलिस के उच्चाधिकारी धीरे-धीरे उस बात को गायब कर गये।

श्री अध्यक्ष : हां, उन्होंने देख लिया कि एम. एल. ए. साहब के वहां पोल चलने वाली है तो और जगह तो...

श्री रामकंवार बैरवा : इसके बाद पीपला के जैनियों के मंदिर में चोरी हुई। माधोराजपुरा में हुई और अनेक चोरियां हुई। उनमें से आज तक एक भी बरामद नहीं हुई। अब दिन पर दिन...

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो जैनियों की मूर्तियां दर्शन करने के लिये थीं।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे खुद के बैलों की जोड़ी चोरी हुई मुख्य मंत्री के पैट्रोल पम्प पर डकैती हुई और सत्तारूढ़ पार्टी के एम. एल. ए. की पिटाई होने लग गई, अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से आप भी इसे हल्के फुल्के ढंग से लेंगे तो आपके शासन की महिमा कम हो जायगी, मैं तो यही निवेदन करके बैठना चाहता हूं।

धन्यवाद।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

(व्यवधान)

तामीलन हेतु अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा को अपर मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित अभियुक्त गिरफ्तारी वारन्ट

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर व्यवस्था,

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 11 अप्रेल, 1984 को श्री

Page No. 58

(58)

(श्री अध्यक्ष)

भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें कहा गया था कि अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), वर्ग नम्बर-1, भीलवाड़ा ने इस सदन के एक माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हेतु जारी किये गये वारण्ट की तामील करवाने हेतु स्पीकर विधान सभा को पत्र लिखा व ऐसा करके अध्यक्ष पद की गरिमा को आघात पहुंचाया व पूरे सदन का अपमान किया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि उक्त अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), वर्ग नम्बर-1, भीलवाड़ा दिनांक 13 अप्रेल, 1984 को मेरे समक्ष उपस्थित हुए। उन्होने लिखित में उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिनमें उक्त वारण्ट जारी करने की आवश्यकता समझी, किन्तु साथ ही इस बात के लिये क्षमा याचना की है कि भूल से उन्होंने उक्त वारण्ट तामील हेतु अध्यक्ष विधान सभा को भेज दिया, उनका आशय माननीय अध्यक्ष, या किसी माननीय सदस्य की अवमानना का नहीं था और उन्होंने अपने इस कृत्य के लिये खेद प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है।

चूंकि उक्त न्यायिक अधिकारी ने खेद प्रकट करके क्षमा याचना कर ली है अतः मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए यदि इस सदन की अनुमति हो तो इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय।

श्री भवर लाल शर्मा (हवामहल) : साहब, रीजन्स बतायें जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैंने निवेदन कर दिया।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने जिन परिस्थितियों में आपको यह एड्रेस किया है, आपने भी फरमाया है कि उन्होंने उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन किया है तो वे परिस्थितियां क्या थीं। जिनमें मजबूरी से यह कदम उठाना पड़ा? एक तो यह बता दें। उनका नाम क्या था, मजिस्ट्रेट साहब का नाम क्या था? यह दो बातें बता दें।

श्री अध्यक्ष : "माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

विषय : वारण्ट गिरफ्तारी, मुकदमा नम्बर-882/77।

मान्यवर महोदय,

उक्त प्रकरण में माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध 1977 में सम्मन भेजा गया था मगर बावजूद तामील के वे उपस्थित नहीं हुए। इस पर 28-7-78 को उनके खिलाफ जमानती वारण्ट जारी किया गया जिसकी पालना में श्री बिहारी लाल 14-9-79 को उपस्थित न्यायालय में हुए तथा जमानत हो गई, 4-2-82 को उनके अनुपस्थित होने से उनकी जमानत व मुचलके जब्त करके उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने के आदेश हुए, तत्पश्चात् लगातार वारंट जारी करने के बावजूद उनकी तामील नही हो पाई, अतः मैंने भूलवश उनके वारंट श्रीमान् को प्रेषित कर दिये।

(श्री अध्यक्ष)

इससे मेरा आशय माननीय श्रीमान् एवं माननीय सदन की अवमानना का बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करता हूं तथा क्षमा प्रार्थना करता हूं।

विनीत......." जोशी है मजिस्ट्रेट।

मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त कारण है और प्रश्न यह है कि अनुमति प्रदान की जाय। जो पक्ष में हां कहें ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अनुमति बहुमत से मत लीजिये। यदि वाजिब कारण है तो सर्व सम्मति से........

श्री अध्यक्ष : सर्व सम्मति से। भूल हो जाती है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो स्पष्टीकरण चाहूंगा, इसको पढ़ कर आपने बताया कि माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा कि भूल से मैंने लिख दिया। मेरा सदन का या सदन के अध्यक्ष की, "अवमानना" शब्द है या "अपमान" है ?

श्री अध्यक्ष : यह आप स्वयं ही पढ़ लीजिये, क्या है। इसे आप दोनों ही पढ़ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दोनों नहीं हैं। मानता है, "ता" तो नहीं होता अगर "अपमान" होता, "अपमान" नहीं है "अवमानता" है, तो "अवमानता" का तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। क्वेश्चन "अपमान का था। क्या उनका इरादा सदन या सदन के माननीय अध्यक्ष के "अपमान" का था या नहीं। उन्होंने "अपमान" न करके "अवमानता" की अवमानता का मतलब है सदन ने कोई आदेश दिया हो उसकी उन्होंने पालना नहीं की।

श्री अध्यक्ष : "कटेम्प्ट" को वैसे "अवमानता" कहते हैं हिन्दी में उसका अनुवाद यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें दो बातें और भी हैं. वैसे आप आदेश देंगे वही होगा। आपने माफी दे दी है हाऊस में, अपने चेम्बर में तो उसका तो मुझे पता नहीं लेकिन आपने कुछ कर दिया है. हम तो उसी का समर्थन करेंगे। दो बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहली तो, अध्यक्ष महोदय, यह कि इस मामले में मजिस्ट्रेट ने माफी मांग ली, यह मैं समझता हूं पर्याप्त है। इस मामले को हम क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दो इश्यु ऐसे रहते हैं, पहला तो यह कि इस मजिस्ट्रेट को राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा सर्कुलर इश्यू किये गये हैं कि किन-किन माध्यम से ये सम्मन या वारण्ट की सर्विस करवा सकते हैं, वह सर्कुलर उनके पास पहुंचा या नहीं ? यदि नहीं पहुंचा, तो आज तो एक मजिस्ट्रेट ने वारण्ट तामील कराने के लिये लिख दिया, कल दूसरा लिख सकता है। और सर्कुलर नहीं गया तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? यह एक प्रश्न है जिसके कारण से यह सारी चीज हुई है। इसलिये मैं एक तो यह कहूंगा कि इस संबंध में जांच की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पत्र को पढ़ने से ऐसा लगता हैं, की माननीय सदस्य, श्री बिहारीलाल को डूप्लीकेट किया। उनके खिलाफ वारण्ट इश्यू हुए हैं, उनको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गिरफ्तार कराने दृष्टि से उन्होंने आपके पास भेजा है और उसमें आरोप लगाया है कि लगातार वारण्ट जारी करने के बावजूद इसकी तामील नहीं हो पाई, मतलब वारण्ट की तामील नहीं हुई। यह सदन के एक सदस्य के करेक्टर का, कण्डक्ट का प्रिविलेजेज का प्रश्न है कि जिस सदस्य के खिलाफ अगर वारण्ट जारी है, वह सदस्य हाउस में बैठता रहे, उस सदस्य के खिलाफ वारण्ट जारी होने का करण क्या है। तीसरा यह भी हो सकता है कि वारण्ट जारी करने के पीछे कहीं यह भावना तो नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने गुस्से में आकर और दूसरे कारणों से इस प्रकार का कोई वारण्ट जारी किया हो? इसका कुछ भी फैसला हो इसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री बिहारीलाल जी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाय ताकि इसके बैक ग्राउण्ड की पूरी जानकारी मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, यदि यह दो प्रश्न अधूरे रह जाते हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई ताल्लुक है या नहीं लेकिन क्या श्री बिहारीलाल जी इस पोजीशन को स्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

और वारण्ट जारी करने में देवेन्द्र सिंह जी इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, यह प्रश्न भी बड़ा गंभीर है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्नों के ऊपर जांच की जाय। जांच आप कर ले मुझे कोई आपत्ति नहीं या किसी कमेटी को रेफर किया जाय। लेकिन इसकी जांच होना आवश्यक है और श्री बिहारी लाल जी का वक्तव्य यहां होना आवश्यक है। बाकी आपने क्षमा प्रदान कर दी अपने चैंबर में, मैं समझता हूं हाऊस को तो एण्डोर्स करना है इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : एक पाइन्ट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप विवाद का विषय बना कर समय न लें, आर्डर प्लीज।

विपक्ष के नेता ने........

आप स्वयं कानून के जानने वाले और विधि वेत्ता हैं, प्लीज, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष के नेता ने दो प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में मैं व्यवस्था देने को तैयार हूं।

श्री महाराम चौधरी : ओफेंस कैसा है, क्रिमिनल है या ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर कृपया बैठ जायें।

पहला प्रश्न इन्होंने यह उठाया कि इस तरह के सम्मन और वारण्ट जो विधान सभाओं में भेजे जायें और जिनके अन्दर अभियोग हो अथवा जिनका संबंध अन्य किसी तरीके से माननीय सदस्य से हो तो उसमें क्या प्रक्रिया पूर्व में अपनाई गई है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि अपने यहां पर पूर्व में पिछले 20-25 सालों में कभी सम्मन आते रहे, कभी वारण्ट आते रहे और इसके लिए हाई कोर्ट को बार बार लिखा

(श्री अध्यक्ष)

गया। हाईकोर्ट को भी कम से कम 7-8 विज्ञप्तियां इस प्रकार की हमारे सामने आई जिनमें उन्होंने बार बार न्यायिक अधिकारियों को लिखा है कि विधान सभा में सम्मन अथवा वारण्ट की किसी तरह सर्विस करवानी हो तो वह सदस्य अथवा अध्यक्ष को नहीं भेजे जायें। नियमों में प्रावधान है कि यदि किसी वारण्ट की, सम्मन की तामील आवश्यक है, ऐसे बहुत ही कम मामले होंगे तो अध्यक्ष से अनुमति लेकर करवायी जा सकती है। इसकी भी प्रक्रिया निश्चित है। हो सकता है कि शायद यह अधिकारी नये हों, उनकी एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत है, छोटी अदालत है इनके पास शायद इस अदालत का गठन थोड़े समय पहले हुआ हो और इसके बारे में इनसे पूछा भी नहीं गया हो। लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ी तत्परता का परिचय दिया और मजिस्ट्रेट यहां पर मेरे समक्ष उपस्थित हो गये। उन्होंने क्षमा याचना कर दी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हाई कोर्ट का एटीट्यूड है, यह साफ हमारे सामने आता है कि उन्होंने जब कभी ऐसा प्रश्न आया तो सदैव उन्होंने आदेश बार बार प्रसारित किये कि इस तरह से सम्मन और वारण्ट नहीं भेजे जायें, विधान सभा में।

दूसरा प्रश्न विपक्ष के नेता महोदय, ने यह उठाया कि श्री बिहारी लाल जी के ऊपर जो अभियोग है उस के संबंध में कुछ कहें। उन्होंने पूछा कि कहीं ऐसा तो इरादा नहीं था कि गलत तरीके से किसी माननीय सदस्य को आरोपित करने की कोशिश की जा रही हो। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको जब यह पत्र पढ़ा उसमें स्पष्ट किया कि यह प्रकरण काफी पुराना, 1970 का है। 1978 में इसकी तामील हो गई तामील के बाद में वह उपस्थित भी हो गये। उपस्थित होने के पश्चात् दुबारा वह अनुपस्थित रहे। इस पर वारण्ट गिरफ्तारी 4-5 साल पहले जारी हुआ था। यह बार बार जारी होता रहता है। इसके अलावा भी यदि किसी माननीय सदस्य का कोई दीवानी या फौजदारी मामला है तो इस संबंध में हम यहां पर चर्चा नहीं करते। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी पैरवी करें। हमारे यहां तो इस प्रकार का प्रश्न तभी आता है जब हमारे विशेषाधिकार हैं उनका हनन हो, हमारे कार्य में कोई बाधा पैदा की जाय अथवा अन्य किसी प्रकार से इस सदन के सदस्यों या सदन की अवमानता की जाय। इसके लिये अनेक वर्षों से यह जानी-मानी प्रक्रिया है कि अवमानना के जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें क्षमा याचना करने पर शायद एकाध कोई ऐसा मामला हो, मेरी नजर में तो आया नहीं, जब कि माफी नहीं दी गई हो, माफी दे दी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि इस प्रकरण को सदन की अनुमति से यहीं समाप्त किया जाय। यही इस संबंध में निवेदन है।

अन्य जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विपक्ष के नेता महोदय ने दिया है उसमें व्यवस्था कल दी जायेगी। यह मैंने एक फैसला दे दिया, जुडिशियली फैसला देना कितना कठिन है आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं इसलिये उनकी व्यवस्था कल दी जायेगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
बीकानेर मेल के स्टोपेज बन्द करने के विरोध में हुए प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री अध्यक्ष :— सर्व श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया, श्री रेवत राम चौधरी, श्री दीपचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत है, एवम् इसी संबंध में श्री देवीसिंह भाटी का एक स्थगन प्रस्ताव है। ये माननीय सदस्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। नियम 131 के अन्तर्गत मैं पहले पहल नाम पुकारूंगा-श्रीजयदेव प्रसाद इन्दोरिया। विषय है बीकानेर मेल के स्टोपेज बन्द करने के विरोध में प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का एक दुखद घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गत 50 वर्षों से बीकानेर-दिल्ली मेल, जिसको 91 अप और 92 डाउन के नाम से पुकारा जाता है, नापासर, सूडसर, डूंगरगढ़ और राजलदेसर स्टेशनों पर ठहरती हुई जाती रही है, अभी गत मास उत्तरी रेलवे बीकानेर मण्डल के प्रबन्धक महोदय ने अविवेकपूर्ण अदूरदर्शिता का निर्णय लेकर इन चारों स्थानों की जनता पर एक निर्णय थोपने की चेष्टा यह निर्णय एक अप्रेल,1984 से लागू समझा गया, ऐसा निर्देश उन्होंने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 31 तारीख रात की घटना है। इस निर्णय से इन चारों स्थानों की जनता पर बहुत बुरा असर हुआ, लोगों में आक्रोश हुआ और आक्रोश इसलिए हुआ कि जो 50 वर्षों से जनता को रेल सुविधा उपलब्ध थी उसको समाप्त कर दिया गया। वहां की जनता ने, चार स्थानों की जनता ने शांत प्रदर्शन किया। शांत प्रदर्शन पर पुलिस ने जिस निर्ममता के साथ लाठी चार्ज करके लोगों को घायल किया है वह अपने आप में बहुत ही दुःखद घटना है। लोगों को यह अवगत नहीं कराया गया कि हम एक तारीख को रेल के स्टोपेज के विषय में कोई परिवर्तन कर रहे हैं। जब लोगों को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा कि यह जो हमारे अधिकार हैं, सुविधाएं हैं वह छीनी जा रही हैं तो उन्होंने एक शांत प्रदर्शन के रूप में विरोध किया किन्तु हिंसा के साथ पुलिस ने बुरी तरह से निर्मम पिटाई की। मैं समझता हूं जिस लोकतंत्रीय जीवन में हम जी रहे हैं उसमें यह सौभाग्य की बात नहीं है। यही घटना एक अप्रेल की रात को दुबारा हुई। काफी लोगों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, चोटें आयी हैं, स्टेशन के बाहर जाकर धर्मशालाओं में, अस्पतालों के सामने जो दुकानें हैं उनमें जो लोग बैठे थे उनको पीटा है, उनकी खोपड़ी फूट गयी, उनके हाथ की हड्डियां टूट गयीं, स्टेशन के बाहर जो दुकानें थीं वह लूट ली गयीं। पीटा ही नहीं उनके हाथ में घड़ी थी, पैसे थे वह सब छीन लिये गये। इस ढंग से बड़ा ही निर्मम व्यवहार जनता के साथ किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि न्यायिक जांच हो। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से यह चाहता हूं कि रेल मंत्रालय को लिखा जाये कि जो सुविधाएं नापासर, डूंगरगढ़, सूडसर, राजलदेसर को पहले थीं वही सुविधाएं रेल के ठहराव की उनको मिले।

इसके साथ साथ दो तारीख की सुबह रंजिश की वजह से जिन अधिकारियों ने

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर मुकदमा चल रहा है वह मुकदमा वापस लिया जाये। इन सारी परिस्थितियों की ओर मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। मुझे आशा है कि इस पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और न्यायिक जांच के आदेश देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम चौधरी।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्दोरिया जी ने बताया कि यह बहुत ही ज्यादा दुःख की घटना है। 1912 से यह रेल चालू हुई थी जिसको आज 72 वर्ष हो गये 1912 से यह नापासर, सूडसर, डूंगरगढ़, राजलदेसर में रुकती थी। अचानक कोई कारण हो गया हो, कोई ऐसी बात हो कि इस ट्रेन की गति ही तेज रफ्तार कर, रफ्तार बढ़ा कर दिल्ली 4-6 घन्टे पहले पहुंचे तो इन स्टेशनों को वंचित किया जाय, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आज के युग में हम यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने की बात कर रहें हैं वहां 72 साल पहले जो किसी राजा महाराजा के टाइम से लोगों को सुविधा मिल रही थी वह आज हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार जो रात और दिन इसमें लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिले लेकिन जानबूझकर बीकानेर के डी.आर.एम. ने बिना ही कारण × × × इस ट्रेन को, लोगों के बिना जानकारी के रोक दिया। इसकी वजह से 31 तारीख को लोगों ने इस बात को सुना कि कल से यह ट्रेन इन चार स्टेशनों पर नहीं रुकेगी तो लोगों को किसी के कहने सुनने की जरूरत नहीं रही, अपने आप ही भीड़ स्टेशनों पर एकत्रित हो गयी कि हम रेलवे से मांग करेंगे, रेलवे स्टेशन मास्टर से कहेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से यह ट्रेन नहीं रोकी जा रही है। इस प्रकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए वहां पर लोग आये, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कोई तोड़फोड़ नहीं की। माननीय मंत्री महोदय या कोई बता दे कि एक भी स्टेशन या रेल गाड़ी की खिड़की का कोई कांच, एक भी रेलवे स्टेशन-सूडसर, नापासर, डूंगरगढ़, राजलदेसर की खिड़की जनता द्वारा तोड़ी गयी हो। यदि किसी किस्म की बदमाशी की जाये तो पुलिस लाठी चार्ज कर सकती थी। (1.00 म. प.)

चेतावनी देकर कर सकती थी लेकिन कोई कारण नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मांग की कि 72 साल से जो सुविधा उनको मिल रही थी उससे उनको क्यों वंचित कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी आदेश के और बिना किसी सूचना के नापासर के अन्दर सबसे पहले यात्रियों को कहा कि हम हम ट्रेन को रोकेंगे आप आगे आकर ट्रेन के इंजन के सामने आ जाओ, जी.आर.पी. के लोगों ने कहा कि आप आगे आ जाओ धीरे धीरे आगे चले गये, धीरे धीरे उनको इंजन के आगे ले लिया और लाइट सामने आयी, उसके बाद किसने आदेश दिया पता नहीं, कोई तो कहता है कि एस. डी. एम., बीकानेर ने आदेश दिया, कोई कहता है कि बिना आदेश के पुलिस ने इंजन की लाइट के आगे जो लाये गये उनको मारना पीटना शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं पेपर में फोटो आये हैं, यह कटिंग है, छोटे बच्चों की, जिनके 19-19 टांके आये

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रेवतराम चौधरी)

हैं, अध्यक्ष महोदय, कई बुड्ढे गिर गये मुसाफिरों को मारा गया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। जो मुसाफिर थे उनको भी मारा गया, जो काली का मंदिर है, वहां जाकर पुलिस ने लोगों को पीटा। इस प्रकार हमारे सूडसर में घटना घटी। इस प्रकार, सभापति महोदय, सेम टाइप से आगे कर लिया और मारा। जो गांव का स्टेशन होता है वहां पर छोटे छोटे बच्चे अन्दर चले आते हैं। इस प्रकार के बच्चों को मारा वे बच गये यही बहुत है। कोई कारण नहीं फिर भी मारा और करीब 00 आदमियों को वहां पर चोटें लगी। इस प्रकार डूंगरगढ़ में जहां पर एस. पी मौजूद था। पूरी घटना घटी। वहां पर कम से कम दस जनों को चोटें आयी। इसके बाद में, रेल चली गयी थी, उसके बाद वे घर जा रहे थे, तो बाद मे धर्मशाला के पास आर. ए. सी. के जवानों ने लोगों को घेरकर पीटा। इस प्रकार का अन्याय आज के युग में हो, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुख और शर्म की बात है। यह क्या तमाशा है? जो 72 साल से सुविधा उनको दी जा रही थी उससे उनको वंचित करके बिना कारण लोगों को पीटा गया। इसी प्रकार राजलदेसर के अन्दर और ही भयंकर काण्ड हुआ। 16 मिनट पहले वह ट्रेन पहुंचती है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली ट्रेन कितने बजे पहुंचती है, कितनी देर पहले पहुंचती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 13 मिनट पहले।

श्री रेवतराम : मुझे सही जानकारी नहीं है 13 मिनट पहले या 16 मिनट पहले या 18 मिनट पहले पहुंचती है। हमारे 4 स्टेशन हैं, नापासर की आबादी 15 हजार है, सूडसर के पांच गांवों की आबादी 20 हजार की है, मेरे कस्बे डूंगरगढ़ की आबादी 40 हजार है राजलदेसर की आबादी 20 हजार है, ग्रामों के लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनके लिये बाधा आ रही है। 10–15 किलोमीटर के लोगों को इस प्रकार से वंचित किया जा रहा है वह तो मामला रेलवे का है, लेकिन पुलिस वाले बिना कारण ही राजलदेसर में स्टेशन से बाहर जाकर के दुकानों को लूटने चले गये, दुकानों को जला दिया, तोड़-फोड़ की, ताले तोड़ दिये। फोटो अभी मेरे पास नहीं हैं पेपर में फोटो आयी है, सामान लूटकर ले गये, लोगों को पीटा और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उन पर केस बनाये। हमारे यहां पर सूडसर, नापासर और डूंगरगढ़ में केसे नहीं बनाये, केसे कैसे बनाते हमारे यहां पर कुछ नहीं किया लोगो ने केस बनाने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार की बात हुई हैं, पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों पर जो अत्याचार किया है उसकी न्यायिक जांच निश्चित होनी चाहिए और जिन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट को रेलवे को लिखकर डी. आर. एम. बीकानेर जिसने इस प्रकार की हरकत की है, को सस्पेन्ड करने की सिफारिश करनी चाहिए। क्या हुआ था जो दिल्ली 13 मिनट जल्दी पहुंचाने के लिये जो हमारे यहां पर बहुत बड़ा कस्बा है, उसमें जो व्यापारी लोग रहते हैं, उनको कलकत्ता, आसाम, उड़ीसा, बिहार जाने से, दिल्ली जाने से क्यों वंचित किया जा रहा है? इसका कोई कारण नही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके

(श्री रेवतराम चोधरी)

माध्यम से निवेदन है कि डी. आर. एम. बीकानेर को सिफारिश करके इमीजीय—एटली सस्पेण्ड करना चाहिए, वहां से उनको तुरन्त हटाना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मन्त्री महोदय, आपसे पहले भी मैंने निवेदन किया था और फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह किसी एक आदमी का मसला नहीं है वह बीकानेर डिवीजन के तमाम लोगों का मसला है। ऐसा कोई कारण नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ट्रेनों का रुकना बन्द किया जा रहा है इसलिये इस पर पूर्ण रूप से विचार करके हमारे बीकानेर डिवीजन की मदद करनी चाहिए और रेलवे को लिख कर जल्दी से जल्दी हमारे 4 स्टेशनों का जो स्टोपेज बन्द कर दिया है वह वापस करना चाहिए. पुलिस ने जो किया है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और मुकदमें लोगों पर कायम किये गये हैं उनको वापस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय श्री रेवतराम जी ने और इन्दोरिया जी ने इस मामले में सारी जानकारी आपको दी है। ईमानदारी की बात है, मैं तो स्वतंत्रता सैनानी हूं, मुझे इस घटना के बारे में, जानकारी देने के बारे में इस हाऊस को कहते हुए शर्म आती है बीकानेर रियासत में, राजाओं के जमाने में बीकानेर के अन्दर, बीकानेर डिवीजन के अन्दर सिर्फ राजगढ़ तहसील में सत्याग्रह हुआ था, बराबर कई बार राजगढ़ में जहां जंक्शन था रेलें रोकी थीं लेकिन हल्का लाठी चार्ज हुआ था। किसी को हॉस्पिटल तक भी नहीं जाना पड़ा था। पर मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोकतन्त्र और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्दर यह घटना घटी, अशोभनीय और अमानवीय घटना घटी है। आज नौकरशाह इस प्रजातंत्र में राज करते हैं और हमारी सरकार और हमारे मन्त्री देखते रहते हैं, गलती, ज्यादत्ती नौकरशाह करें और नुकसान हो कांग्रेस संगठन का इस मामले में कांग्रेस संगठन का ही नुकसान नहीं, जनता में इस प्रकार की चर्चा चलती है कि प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र की प्रणाली में इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। इससे प्रजातन्त्र प्रणाली कमजोर होती है। वह कहते हैं कि तुम्हारे राज में हमारे ऊपर जुल्म होता है, तुम कहते हो कि मांगों के लिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करो, हमारा प्रदर्शन पूर्ण शांतिपूर्ण था कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं था, कोई तोड़-फोड़ नहीं थी। रेवतराम जी और इन्दोरिया जी ने कहा, ईमानदारी की बात है जानबूझकर पुलिस ने खिड़कियां तोड़ी, उन्होंने जानबूझकर रेलवे को नुकसान पहुंचाया। पहले बाकायदा मार कुटाई करी है और बुरी तरह से मार-पीट की, अभी मन्त्री जी कह रहे थे कि घड़ी छीन ली। लेकिन पुलिस वालों ने सी. आर. पी. ने लिस्ट बना रखी है, सेठों को साहूकारों को दिखाते हैं। उनके लड़कों को बुला लेते हैं कि तुम्हारा नाम लिस्ट में मौजूद है हजार दो हजार लेकर नाम काटते हैं वसूली हो रही है वसूली शुरू हो गयी है पैसे ले रहे हैं जनता की तरफ से माननीय मुख्यमन्त्री को बताया। अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मन्त्री जो बैठे हैं, आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र प्रणाली पर नौकरशाह हमेशा हमला करते हैं। भगतसिंह ने और उन जैसे

(श्री दीपचन्द)

लोगों ने जो ग्राजादी दिलायी थी उस ग्राजादी को बेकार कर रहे हैं। जनतान्त्रिक ग्रौर लोकतान्त्रिक प्रणाली से लोगों का विश्वास उठ रहा है। प्रजातंत्र से विश्वास उठ रहा है भरोसा खो रहा है नौकरशाही के ऊपर से। रोज रोज का है, ग्राज का नहीं, कभी बांदीकुई का ग्रौर कभी किसी जगह का। उनको परवाह नहीं है, वह किसी के नौकर भी है, किसी नौकर, किसी ग्राफिसर को इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात की परवाह नहीं है कि वह किसी जनतंत्र, लोकतन्त्र की प्रक्रिया के नौकर हैं। ग्रपने ग्रापको खुदा समझते हैं चाहे जिस पर चाहे जो कुछ करते हैं, चाहे जिस पर झूठे मुकदमें बनाते हैं। बड़े से बड़े ग्रादमी ग्रौर जन प्रतिनिधि हो, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ग्राज कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं हो, एम. एल. ए. हो, प्रधान हो, सब मायूस ग्रौर उदास हैं। कोई मायूस ग्रौर उदास नहीं है तो नौकर नहीं है। मैं जिन्दगी में कभी भी विधायक नहीं बना, जिन्दगी में कभी मायूस नहीं हुग्रा, मैंने जिन्दगी जेल में काटी है, जेल के ग्रन्दर होश में ग्राया हूं। जिन्दगी में जुल्म ग्रौर ज्यादती ग्राफिसर करते जेल के ग्रन्दर तो मेरे द्वारा पिटाई हुई है उनकी। लेकिन विधायक बनने के बाद में जो बना हूं, मेरे में तो कमजोरी ग्रायी है ग्रौर नौकरशाही के बारे में कमजोरी नहीं ग्रायी है। जो मैं कर सकता वह कोई कर नहीं सके। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज जनतंत्र के प्रतिनिधि में झिझक है, सबका होसला पस्त है, निराश है, उदास है ग्रौर मायूस है। यह कहता फिरे, भायड़ा, चार साल तो गया एक साल की बाकी जिन्दगी है, × × × माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह सबमें कमजोरी है चाहे राजी हों चाहे नाराज। मैं साफ शब्दों में कह सकता हूं कि जो सरकार के मुखिया हैं, सरकार के कर्णधार हैं, उनकी कमजोरी है, जो भायड़ा नौकरशाही के जुल्म ज्यादती उठाते हैं। हमारे कांग्रेस के विधायकों के ग्रन्दर होगा कोई एक ग्राध बेकार ग्रादमी होगा, लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के ग्रन्दर हमारे कांग्रेस के विधायक में कोई बेईमान नहीं हैं। यह नौकरशाही सख्त जुल्म ग्रौर ज्यादती करती है, रिश्वत खाती है जुल्म करती है उसका फायदा श्री भैंरोसिंह शेखावत, दूसरी पार्टी के माननीय सदस्य उठाते हैं ग्रौर कहते हैं, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। मैं तो कहता हूं, कैसे भी करिये इलाज इस बीमारी का। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से राज्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव का टाइम है, चुनाव का समय ग्रौर वक्त है, 20 सूत्री कार्यक्रम की दुहाई देते रहे, यह 20 सूत्री कार्यक्रम धरा का धरा रह गया, यह नौकरशाही जुल्म ग्रौर ज्यादती करती है, गोलियां चलाती है, लाठियां चलाती है। नापासर के ग्रन्दर, राजलदेसर के ग्रन्दर, डूंगरगढ़ के ग्रन्दर जिस तरह जुल्म किया है इससे बड़ी प्रजातंत्र ग्रौर लोकतंत्र की प्रणाली के लिए कलंक की बात नहीं हो सकती। जनता की क्या गलती है, पचास साठ साल पहले जो सुविधा दी गई थी, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की तरफ से, 20 सूत्री कार्यक्रम की तरफ से जिन गांवों में एक स्कूल नहीं था सो स्कूल हो गये, जिन गांवों में सड़क नहीं थी वहां सड़क हो गई, जिन गांवों में नहर नहीं थी वहां नहर हो गई, जिन गांवों में ग्रौर कोई कामों में सुविधायें दी जा रही हैं,

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

70 साल के पहले वह सुविधा दी गई उन गांवों में वह सुविधा वापस ले ली। अब सुविधा वापस ले ली तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वापस लेने पर जायज बात थी, स्वाभाविक बात थी वहां पर जनता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने कोई जुल्म अत्याचार नहीं किया लोकतंत्र की प्रणाली के अन्दर उन लोगों पर लाठी चार्ज किया और उनको बुरी तरह मारा। यह बात सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्दोरिया जी और एक विरोधी सदस्य ने कही है, मासूम बच्चों को मारा। अब जो आदमी उसमें शामिल नहीं था, मैं मानता हूं इस बात को, यदि हिंसा पर उतारू हो जाय भीड़, भाला मारे, लाठी चलावे, गोली चलावे तो सरकार के द्वारा नियम कानून लागू करना वाजिब है। लाठी चार्ज कोई खास बात नहीं है लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, छोटे मासूम बच्चे प्रदर्शन करें उनको अकारण पीटना- यह सबसे बड़ी कलंक की बात प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली पर है। आपके मध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति से सुन रहे हैं, सख्ती से जांच करायें और सस्पेन्ड करिये जिस दिन (म. प. 1.15)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पीठासीन)

अखबारों में यह पढूंगा कि जिन लोगों ने जनता पर अकारण लाठी चार्ज किया, इन दोषियों को सस्पेण्ड किया, यह अखबार में आयेगा तो मैं आपको बारम्बार बधाई दूंगा।

श्री सभापति : इसमें आपका नाम तो नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं इस क्षेत्र में जाकर आया हूं। आप समय दें तो.......

एक माननीय सदस्य : मेरे को इसमें टाइम दिया जाय।

श्री सभापति : श्री रेवत राम चौधरी। बस इन्हीं की तरफ से है इसमें नाम। श्री भालू खां।

श्री भालू खां (चूरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे चूरू जिले में बीकानेर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी चार स्टेशनों पर 70 साल से हमेशा रुकती आ रही है। अभी बीकानेर रेल्वे मंडल के डी. आर. एम. साहब ने मनमाने ढग से जिन चार स्टेशनों को रेल रुकने से वंचित कर दिया वहां की जनता अपने यातायात के लिये, अपनी सुविधा के लिये मालूम पड़ते ही स्टेशनों के ऊपर गाड़ी के सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत करने के लिये इकट्ठी होकर गयी और अपने अधिकारों के लिये मांग की तो वहां की पुलिस ने जनता की अनविकृत ढंग से पिटाई की और झूठे मुकदमें बनाकर वहां के कार्यकर्ताओं को छेड़ा। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बेगुनाह लोगों के साथ में जो मार पिटाई की गई है तो जिनके खिलाफ मुकदमें दायर किये गये है उनका मुकदमा वापस लिया जाय और जिन अधिकारियों ने नाजायज तरीके से बच्चों की पिटाई की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ताकि आइंदा ऐसा नहीं करें। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आप खुद वहां पहुंचकर जनता के बीच में जाकर जनता की बात सुनें ताकि वहां की जनता के अन्दर जो भय का वातावरण पैदा हो

(68)

(श्री मालू खां)

रहा है वह दूर हो और सरकार के प्रति आस्था पैदा हो उन लोगों की। उन लोगों के यहां देखिये जाकर, ऐसा भय का वातावरण पैदा हो रहा है कि अधिकारी लोग उन लोगों के बीच में जाकर, कहते है कि सेठ साहब तुम्हारे लड़के का जिलाधीश का रिमांड है तो वे सेठ क्या करते है, वे अधिकारियों को कहते है कि अपने अधिकारी को कह देना, मै आपसे मिल लूंगा। मिलना क्या होता है वह आप जानते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो यह कार्यक्रम चल रहा है और सरकारी लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनको रोका जाय और हमारे चारों स्टेशनों के ऊपर भारत सरकार के रेल मंत्री से बातचीत करके गाड़ी सदा की भांति रुकवायी जाय। बीकानेर दिल्ली मेल के टाइम टेबल में कोई अन्तर नहीं है। सिर्फ 13 मिनट का फर्क रहता है। पहले 13 मिनट पहले छूटती थी अब 13 मिनट बाद छूटती है। सुपर फास्ट गाड़ी कहां से कहां तक है वह बीकानेर से रतनगढ़ तक यानी वैसे ही स्टेशनों पर रुकती आती है। इसलिये ये किसी व्यक्ति की चाल हो सकती हैं, किसी की साजिश हो सकती है क्योंकि उन चारों स्टेशनों पर लगातार गाड़ी नहीं रुकने से वहां के दो-तीन लाख लोगों पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपने अधिकार के लिये, अपनी सुविधा के लिये लोगों ने जन आंदोलन शांतिपूर्ण किया था और उसका रूप पुलिस ने दूसरे ढंग से लेकर उनके खिलाफ मुकदमे कायम किये, उनकी पिटाई की गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो मुकदमे तीन आदमियों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं वे मुकदमे सरकार वापस ले, इन चारों स्टेशनों पर गाड़ी रोकी जाय और जिनके द्वारा नाजायज पिटाई की गयी है, उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके उनको सस्पेण्ड किया जावे।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य ने बताया कि बीकानेर देहली मेल को इन चार स्टेशनों पर पचास वर्षों से रोका जा रहा है······

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : पचास नहीं, एक अप्रैल से रोकी जा रही है।

श्री देवी सिंह भाटी : चौंतीस साल से। मैं यही तो कह रहा हूं। उस सुविधा को अचानक रोकने से यह समस्या नागरिकों के सामने आयी और नागरिकों ने पुलिस को, जिला प्रशासन को यह समझाना चाहा कि इन सेवाओं से वंचित कर रहे हैं। आपने यह बिलकुल गलत निर्णय लिया है, यह आपका बिलकुल अविवेकपूर्ण निर्णय है। आप अपने निर्णय को वापस लें, पुनः विचार करें। यह पुलिस का·······। मंत्री महोदय, जरा हम ध्यान आकर्षित कर रहे है, कृपया आप सुन लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : वह भी इसी मामले में बता रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : दोनों तो साथ नहीं चल सकते ना।

(श्री देवी सिंह भाटी)

सभापति महोदया, सवाल यह है कि पुलिस जिम्मेदार थी, अगर उसे ऐसी सूचना मिली कि वहां ऐसा कोई भी प्रदर्शन होने जा रहा है, शांति व्यवस्था भंग होने जा रही है तो, आपकी सी. आई. डी. क्या कर रही थी, आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा था? क्या उसका कर्त्तव्य नहीं था कि वह पूर्व में जन-प्रतिनिधियों से, ऐसे गांवों, कस्बों के मुखियाओं से वार्ता करता, अधिकारियों को साथ बिठाकर वार्ता करता? ऐसी नौबत आयी क्यों? सभापति महोदया, यह पुलिस विभाग को लापरवाही है, यह सी. आई. डी. की लापरवाही है जिसकी वजह से ऐसे छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज करवाया, यही नहीं कि रेल्वे स्टेशन के ऊपर प्रदर्शनकारियों पर ही आपने लाठी चार्ज किया हो, आपने एक किलोमीटर के दायरे के अन्दर भाग भागकर पीछे लाठियां बरसाईं, जुल्म किए, लोगों के साथ आपने इस प्रकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया कि आज की व्यवस्था के अन्दर कोई उम्मीद नहीं कर सकता है।

सभापति महोदया, अगर आप थोड़ी-सी.......।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिए, वहीं से कमैण्ट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, मैंने कोई कमैण्ट नहीं किया, न मैं कभी करता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, एक अप्रैल से रेल व्यवस्था बंद करने के लिए रेल्वे विभाग ने जो निर्णय लिया था उसके बारे में क्या पुलिस को इत्तला या पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी, एक अप्रैल से पहले, कि ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा? हमारी सुविधायें छीनी हैं इसके लिए आपने पूर्व में क्या कदम उठाये? आपको जब सूचना मिली थी तो आपका यह कर्त्तव्य था, आपकी सी. आई. डी. का यह कर्त्तव्य था कि ऐसी नौबत नहीं आये, कि जनता का और पुलिस का टकराव हो और जनता का और रेल्वे अधिकारियों का टकराव हो। सभापति महोदया, इस ओर इन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। आप तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर अगर गलत निर्णय भी लेता है तो, तुरन्त आर. ए. सी. के लठैत तैयार रहते हैं जो यह भी नहीं जानते कि किस जगह लाठी बरसायें, कैसे उसे उपयोग में लिया जाय। इस प्रकार आर. ए. सी. के जवानों ने, पुलिस ने सीधे.......फोटोग्राफ देखिये, कटिंग आपने भी देखी होगी कि हर एक बच्चे, बूढ़े के ऊपर, सिर के ऊपर चोट आई है। यह भी देखा जाता है कि लाठी चार्ज किया जा रहा है तो सिर्फ हटाने के लिए किया जाना चाहिए कि वह आगे नहीं बढ़ें, टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। आपने जान-बूझकर, बगैर सोचे-समझे ऐसे निर्देश दिये, ऐसे अधिकारियों को वहां भेजा और लाठी चार्ज करवाया। मैं यह चाहूंगा, आपके विभाग ने लाठी चार्ज किया है, इसकी जांच करवाई जाय। जिन अधिकारियों ने, जिनको पूर्व में सूचना मिली थी

(श्री देवी सिंह भाटी)

कि इस प्रकार से शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, उनकी यह मांग है, उसकी ओर गौर नहीं किया गया। इसकी जांच की जाय। साथ ही मैं यह भी चाहूंगा, जैसा पूर्व में माननीय सदस्यों ने फर्माया कि इन सुविधाओं से उस क्षेत्र में जनता को वंचित किया है उसके बारे में पुनः सोचें आप स्वयं, आपका कर्त्तव्य है, क्योंकि इसकी ओर आपने बराबर ध्यान नहीं दिया। तो, निश्चित तौर पर, जैसे कि कल बीकानेर के अन्दर चारों स्थानों के 700 नागरिकों ने पहुंचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, उन्होंने आपको यहां पर सूचित किया है कि हमारी जो भी मांगें हैं उनकी ओर गौर नहीं करेंगे तो निश्चित है कि वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, चाहे धरना दें, चाहे घेराव करें। आपका भी कर्त्तव्य है कि रेल्वे अधिकारियों से वार्ता करके, उनको साथ में बिठाकर कोई रास्ता निकालें। यह कोई तरीका नहीं हुआ कि 150 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर गाड़ी का कोई भी ठहराव, नहीं हो। निश्चित तौर पर सुविधाओं से वंचित करेंगे तो लोग उत्तेजित होंगे। उसके कारण चाहे पुलिस के अधिकारियों के साथ टकराव हो, चाहे रेल्वे अधिकारियों के साथ टकराव हो। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, मंत्री महोदय, इस बात की जांच करवायें। भाग-भाग कर एक किलोमीटर के अन्दर लाठी चार्ज किया, लोगों की घड़ियां छीनीं, पैसे छीने, उसकी जांच की जाय। ऐसी जो घटना पूर्व में भी व अभी भी हुई है पुनः ऐसी बात नहीं हो जाय, इसके लिए भी व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, मैं जाकर आया हूं, 2 मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनका सम्बन्ध नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका तो इसमें नाम नहीं है कहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 2 मिनट सिर्फ। मैं वहां जाकर आया हूं।

श्री सभापति : इसके अतिरिक्त फैक्ट्स हैं आपके पास ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनका कोई संबंध नहीं है।

माननीय भंवरलाल जी वो हैं जो कि जिले के हैं।

श्री सभापति : यह बात सही है, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल मेघवाल : चूरू जिले का मामला है। मुझे..........2 मिनट का समय दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : सभानेत्री महोदया, दिल्ली और बीकानेर के बीच चलने वाली 91 अप एवं 92 डाउन मेल को नापासर, सूडसर, श्री डुंगरगढ़ एवं राजलदेसर स्टेशनों पर, दिनांक एक अप्रैल से न रोकने का निर्णय रेल्वे अधिकारियों ने लिया। इस निर्णय से इन चारों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्थानों के नागरिकों में रोष पैदा हुआ और दिनांक 31.3.84 और एक अप्रैल को इस निर्णय का विरोध इन नागरिकों ने प्रदर्शन कर और ट्रेनों को रोक कर किया।

दिनांक 31 मार्च को बीकानेर से चली 92 डाउन मेल को राजलदेसर स्टेशन पर रात्रि के करीब 10 बजे हजारों नागरिकों ने घेर लिया। अपना विरोध करने के लिए और ट्रेन को रोकने की नीयत से इन प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के होज पाइप काट दिये और सिगनलों को नुकसान पहुंचाया। होज पाइप की मरम्मत कर जब मेल को पुन: रवाना करने का प्रयत्न किया गया तो इन प्रदर्शनकारियों ने रेल्वे लाइन पर स्लीपर आदि रख कर अवरोध पैदा किया और इंजन के सामने पटरी पर लेट कर ट्रेन को रोके रखने का प्रयत्न किया। जब पुलिस ने उन्हें और उनके द्वारा रखे गये अवरोधों को हटाने का प्रयत्न किया तो इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया जिससे कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों के पथराव से रेल इंजन और डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए। सूचना मिलते ही चूरू के अतिरिक्त जिलाधीश, उप-जिलाधीश, रतनगढ़ अधीक्षक एवं उप अधीक्षक पुलिस, चूरू मय पुलिस दल के वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा कर उन्हें रेल्वे लाइन पर से हटाया और प्रात: 5.50 पर ट्रेन को रवाना किया।

दिनांक 1.4 1984 को प्रात: 11 बजे कुछ प्रदर्शनकारियों ने नापासर के आउटर सिगनल को क्षतिग्रस्त किया। सिगनल के तारों को अव्यवस्थित किया और कुछ बैटरी आदि उठा ले गये। नापासर के आउटर सिगनल के क्षतिग्रस्त होने से दिल्ली से बीकानेर आने वाली 91 अप मेल को आउटर सिगनल पर कुछ देर रुकना पड़ा। सिगनल आदि की मरम्मत कर ट्रेन को पुन: रवाना किया गया।

उसी दिन शाम को नापासर पर ही कुछ प्रदर्शकारियों ने आउटर सिगनल को क्षतिग्रस्त किया और रेल्वे लाइन पर खड़े होकर बीकानेर से चली 92 डाउन मेल को रोक लिया। मौके पर उपस्थित उप-जिलाधीश. उत्तर बीकानेर एवं उप अधीक्षक, पुलिस बीकानेर, नॉर्थ ने इन प्रदर्शनकारियों से रेल लाइन से पहले हट जाने का अनुरोध किया तत्पश्चात् उन्हें चेतावनी दी। चेतावनी का असर खड़ी भीड़ पर नहीं हुआ। बल्कि भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव प्रारम्भ कर दिया जिससे पुलिस उप-अधीक्षक सहित कई पुलिस कर्मचारियों के चोटें आईं। पथराव से इंजन व कुछ डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हो गये। जिससे इन डिब्बों में सफर कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। स्थिति को गम्भीरता को देखते हुए और रेल्वे सम्पत्ति तथा कर्मचारियों की सुरक्षा कायम करने के लिए मौके पर उपस्थित उप-जिलाधीश ने इन प्रदर्शकारियों को बलपूर्वक हटाने के निर्देश दिये। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर इन उपद्रवियों को रेल पटरी से हटा दिया एवं रोकी हुई ट्रेन को रवाना किया।

जब यह गाड़ी उसी रात श्री डूंगरगढ़ पहुंची तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस ट्रेन को रोका, सिगनल के तारों को काटा और रेल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लाइन पर स्लीपर आदि लगाकर अवरोध पैदा किया। स्टेशन पर हनुमानगढ़-रतनगढ़ पैसेन्जर ट्रेन को पूर्व से ही रोक रखा था। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेल लाइन से हटाने का प्रयत्न किया तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिससे कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गये। रेल्वे सम्पत्ति एवं यात्रियों की सुरक्षा कायम रखने हेतु मौके पर उपस्थित उप- अधीक्षक पुलिस जी आर. पी. ने हल्का बल प्रयोग किया, इन उपद्रवियों को वहां से हटाया और ट्रेन को रवाना कराया।

श्रीडूंगरगढ़ से रवाना होकर हनुमानगढ़-रतनगढ़ पैसेन्जर ट्रेन राजलदेसर पहुंची और इस ट्रेन को वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने अवरोध पैदा कर रोक लिया इन प्रदर्शनकारियों ने परस्नेऊ और राजलदेसर के बीच रेल सिगनलों को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा कर पैसेन्जर ट्रेन को रवाना किया। इसके तुरन्त बाद जब बीकानेर मेल राजलदेसर पहुंची तो एकत्रित भीड़ ने उस पर पथराव किया और अवरोध पैदा कर ट्रेन को रोक लिया। भीड़ को चेतावनी दी गयी लेकिन इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ और भीड़ ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया। रेल्वे सम्पत्ति और यात्रियों की सुरक्षा कायम रखने की दृष्टि से पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को वहां से खदेड़ा और बीकानेर मेल को दिल्ली के लिए रवाना किया।

इन घटनाओं के सम्बन्ध में रेल्वे पुलिस थाना रतनगढ़ में 2 एवं बीकानेर में 4 अभियोग पंजीबद्ध किये गये और 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार व्यक्ति दिनांक 3.4 84 को जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

इन चारों स्थानों पर बीकानेर मेल को न रोकने के निर्णय से राज्य सरकार सहमत नहीं है, क्योंकि इस निर्णय से वहां के निवासियों को काफी असुविधा उत्पन्न होगी। अत: माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस पर 2-4प्रश्न पूछना चाहूंगा।

पहली बात तो माननीय मंत्री महोदय ने यह बताई है कि यह जो लाठी चार्ज 1-4-84 को डूंगरगढ़ नापासर में किया उसमें उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस कर्मियों के चोटें और रेल्वे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था, रेल पटरियां, सिगनल्स तोड़ दिये गये, स्लिपर डाल दिये गये थे, माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए जो वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय को दिया है, जो प्रदर्शनकारी थे वह शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको इन्होंने जान-बूझकर, खदेड़-खदेड़ कर पीटा, माननीय मंत्री महोदय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ने कहा कि इनके लाठी चार्ज से उनको हटा दिया. हटा नहीं किया वहां से आधे किलोमीटर दूर, मन्दिर में जाकर, मन्दिर में बैठे हुये लोगों को पुलिस ने पीटा, वहां के लोगों को पीटा, बाहर की दुकानों को लूटा और 10 साल के बच्चों को बुरी तरह से पीटा। सारी बातों को खा गये और फिर कहते हैं कि चेतावनी दी। न तो कोई चेतावनी पुलिस ने दी और न कहा रेलवे सम्पत्ति को किसी प्रकार का खतरा पैदा हुआ, न वहां सिगनल्स को नुकसान पहुंचाया गया गाड़ी पहले से लेट थी, गाड़ी उस दिन बीकानेर से लेट चल रही थी और गाड़ी हर स्टेशन पर लेट होती हुई आई थी इस कारण से लेट हो रही थी यह बात बिल्कुल मनगढ़ंत और असत्य है। नम्बर एक।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा लेकिन राज्य सरकार से पहले स्वीकृति लिये बिना या राज्य सरकार को पहले सूचना दिये बिना रेलवे मंत्रालय या डी आर. एम. बी ने जो कदम उठाया उस डी. आर. एम. बी. के खिलाफ राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को क्या लिख रही है ?

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, कि रेल पहले 6 बजे दिल्ली पहुंचती थी यह कहते हैं कि दिल्ली के आगे की ट्रेनों से जोड़ बैठाने के लिये यह परिवर्तन किया जा रहा है यह 6.25 पर सायंकाल चलती थी और प्रातःकाल 6 बजे दिल्ली पहुंचती थी। सभापति महोदया, इसके बाद क्या हुआ अब यह गाड़ी उसके बावजूद 6.55 पर दिल्ली पहुंचेगी यह नया टाइम टेबिल चेन्ज किया है उसके अनुसार 6.55 पर दिल्ली पहुंचेगी, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ इन्होंने बीकानेर से रवाना थोड़ी लेट की है, बीकानेर से जो गाड़ी आती थी उसको लेट किया है और गाड़ी वहां पर दिल्ली लेट पहुंचेगी। यह कहना है कि 13 मिनट की बचत होगी, बिल्कुल बचत नहीं होगी।

दूसरा इस गाड़ी से राजस्थान पर प्रहार किया है यह जो चार स्टेशन नापासर, सूडसर, राजलदेसर, डूंगरगढ़ इन पर गाड़ी नहीं रुकती है. लुहारू से आगे, रेवाड़ी के आगे जितने भी स्टेशन्स आ रहे हैं उन पर और जितने भी लोकल पैसेन्जर्स दिल्ली यात्रा करते हैं उन यात्रियों को लेकर यह गाड़ी जा रही है तो राजस्थान के जो 50 साल से चार स्टेशन्स थे, उन स्टेशन्स पर जो यात्री यात्रा कर रहे थे उन यात्रियों के साथ किस प्रकार का अन्याय किया गया है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय आपने जो स्टेटमेन्ट दिया है यह स्टेटमेन्ट पूर्णतया पुलिस का वर्शन है आपने यह नहीं बताया कि कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सभापति महोदया कम से कम 100 से 125 आदमी इन चार स्टेशन्स पर पुलिस के लाठी चार्ज से घायल हुये हैं, 20 आदमियों ने अस्पताल में इलाज कराया, 18 आदमियों को आपने पकड़ा है, केस रजिस्टर किया है तो बता दीजिये कि रेलवे की कितनी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है ? कोई रेल सम्पत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, जो पुलिसकर्मी घायल हुये हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट हो, इन्ज्युरी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रिपोर्ट आपके पास हो तो पेश कर दिजियेगा, किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। इस प्रकार से बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज किया लेकिन आपने जो स्टेटमेन्ट दिया वह पुलिस को बचाने का है। माननीय सदस्य जो वहां के रहने वाले है और जिन्होंने सारी घटना देखी है और मैं स्वयं वहां पर जाकर आया हूं तब मैने वहां पर लोगों से बातचीत की तो उनसे यह सब लगा कि यह असत्य है। इस प्रकार के रोल जिस तरह से स्टेटमेन्ट देते हैं; माननीय मंत्री जी, पुलिस का पूरा वर्णन इस प्रकार का आप प्रस्तुत करते है और सारे सदन के सदस्य वहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने सारी घटना आंखों से देखी हैं इस प्रकार का वर्णन किया है वह वर्णन आप नकारते हैं। आपने पुलिस के खिलाफ कदम उठाने की, कोई कार्यवाही करने की, मुकदमे वापिस लेने की बात नहीं की। मैं आपसे मांग करता हूं कि जिन बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये हैं वह मुकदमे वापिस लिये जायें. जिन लोगों के खिलाफ अनावश्यक रूप से जान-बूझकर चोटे पहुंचाई हैं; उन अधिकारियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किये जायें और मैं यह कहता हूं कि जो लोग मन्दिर में बैठे हुये थे मन्दिर में बैठे हुए लोगों को पीटा। डूंगरगढ़ के बाहर जाकर लोगो को पीटा, वहां पुलिस ने कोई चेतावनी नही दी और ए सी एम. के बाद में हस्ताक्षर कराये गये, लाठी चार्ज उन्होने पहले किया, उसके पहले मौके पर उपस्थित नहीं थे अधिकारी सारी घटना के बाद आये।

सभापति महोदया, पहले राज्य सरकार ने इस बात का ध्यान नही रखा कि टाइम-टेबिल चेन्ज किया जा रहा है, जो पचास साल से सुविधा लोगो को मिल रही है, उस सुविधा से हमारे लोगो को क्यो वंचित किया जा रहा है? इसके बाद, माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायको ने पत्र लिखे, उन्होंने मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया, उनको पत्र लिखा और वहां के लोग डेपुटेशन लेकर आये थे इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की? इसलिए मैं मांग करता हूं कि आपने जो वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल गलत है आपने अपने अधिकारियो के और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, पुलिस के द्वारा जिन लोगों पर मुकद्मे दर्ज किये है उन मुकद्मों को वापिस लिया जाय और जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनकी क्षतिपूर्ति की जाय। जिनकी दुकाने लुट गई है दुकानो का सामान नष्ट हो गया है उनकी क्षतिपूर्ति की जाय और जो रेल पूर्व में चल रही थी उसको उसी प्रकार चलाने की व्यवस्था करें जब आगे पैसेन्जर गाड़ी है, इन चार स्टेशन्स पर पहले गाड़ी रुकती थी, सभापति महोदया आप आश्चर्य करेंगी कि रेवाड़ी से आगे हर स्टेशन पर यह गाड़ी रुकती है, नये टाइम टेबिल में यह गाड़ी वहां रुकती रहेगी लेकिन इन चार स्टेशन्स पर नहीं रुकेगी। इन्होने क्या गुनाह किया है, जो राजस्थान में पड़ने वाले है? बीकानेर से चलकर वहां तो नहीं रुकेगी इन चार स्टेशन्स पर तो इन लोगों ने क्या अन्याय किया है और जो नया टाइम टेबिल जो आपने चेन्ज कराया है उसके हिसाब से उस क्षेत्र के लोग जो कलकत्ता, आसाम और बाहर जाने वाले है, उनके इस टाइम टेबिल में फर्क पड़ गया। 6.55 पर जब वह गाड़ी दिल्ली पहुंची तो आगे की वह गाड़ी नहीं पकड़ सकेंगे पूरे दिन और पूरी रात उनको दिल्ली स्टेशन पर खड़ा रहना पड़ेगा। नये टाइम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

टेबिल के अनुसार रेल्वे को भी कोई लाभ नहीं है, यहां के यात्रियों को बहुत भारी नुकसान है, रेल लेट पहुंचेगी और ये शेखचिल्ली की तरह बैठकर टाइम टेबिल बनाया गया है। इसलिये सरकार को चाहिये कि केन्द्रीय सरकार को कहकर इस टाइम टेबिल को चेन्ज, कराये, पहले का ही टाइम टेबिल रखा जाय, जो मुकद्मे बनाये गये हैं उनको वापिस लिया जाय और इसकी जांच करायें और जिस अधिकारी की गलती है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्री जी....

श्री दीपचन्द (सार्दुलपुर) : सभापति महोदया, एक सैकिण्ड। सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने जो सूची और जो रिपोर्ट पेश की है वह 90 पर्सेन्ट बिल्कुल झूठी है, 90 पर्सेन्ट झूठ है, 10 पर्सेन्ट तो ठीक हो सकती, है माननीय गृह मंत्री महोदय, 90 पर्सेन्ट झूठी है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपने जो रिपोर्ट में कहा है कि कर्मचारियों के चोटें आई हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदया के मार्फत कि उन कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों के साथ हाउस में बुलाया जाय और यदि एक भी चोट मिल जाय तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं गृह राज्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका ही सदस्य हूं, कांग्रेस का विधायक हूं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं और स्वतंत्रता सैनानी हूं, मैं 70 वर्ष का आदमी हूं झूठ नहीं बोलूंगा। माननीय सभापति महोदया, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, गृह मंत्री को कि इन कर्मचारियों को जो चोटें बताई हैं, घायल बताये हैं, लाठी बताई है, भाटे बताये गए हैं वह बिल्कुल झूठ है, बेकार की बातें हैं। उन कर्मचारियों को यहां हाउस में बुलायें ताकि तमाम सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री महोदय उन बहादुर सिपाहियों की और बहादुर अधिकारियों की शक्ल देखें, किसी के चोट मिल तो जाय दीपचन्द स्तीफा देने के लिए तैयार है नम्बर एक।

दूसरी बात माननीय सभापति महोदया, गृह राज्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके बुलावें और अगर उन्होंने ऐसा कार्य न किया तो उनको ताम्र-पत्र देवो। उन बहादुर सिपाहियों और अफसरों को जरा पंजाब भेजो जो बहादुरी से काम करते हैं ताकि पंजाब की समस्या हल हो जाय। इसलिये आप रिपोर्ट पर विश्वास न करें, ताकि कोई गुनाह नहीं हो जाय और मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की मांग है, हाउस की मांग है, आपके कांग्रेस के विधायकों की मांग है, हम चार कांग्रेस के विधायक चुरू जिले के, हम सभी की आत्मा रो रही है जनता के दुख और दर्द को देखकर, हम उस इलाके में मुंह नहीं दिखा सकते। आप हमारे गृह मंत्री जी हैं बहुत योग्य हैं, कर्मठ हैं इसलिये मुख्य मंत्री जी ने आपको यह पद दिया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह हमें मालूम नहीं था आपने बता दिया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दीपचन्द : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि ईमानदारी के साथ सख्ती के साथ जांच करवायें और उन कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड करें, बर्खास्त करें जिन्होंने निर्दोष आदमियों पर निर्दोश प्रदर्शनकारियों पर, शान्तिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर, मासूम बच्चों पर लाठी चार्ज किया है।

इस रिपोर्ट के भ्रम से मुक्त करायें नहीं तो जो उनका बतौरा है इससे कांग्रेस शासन को पार्टी को, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को धब्बा लगेगा।

श्री सभापति : आप इनके फेथफुल फैक्ट्स को....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके जवाब दें।

श्री रेवतराम चौधरी : इन्होंने जो बात कही है वह मैं नहीं कहूंगा मैं अलग से कहूंगा।

मंत्री जी ने अपना लिखित भाषण पढ़ा उसमें उन्होंने नापासर, डूंगरगढ़ और राजलदेसर में पुलिस की ज्यादतियों का जिक्र किया। सूडसर में किसी भी पथराव आदि घटना का जिक्र नहीं किया। तो फिर वहां लाठी चार्ज क्यों हुआ ? सूडसर में लाठी चार्ज क्यों हुआ जब आपने अपने भाषण जो लिखा हुआ भाषण पढ़ा आपने, में साफ तौर से कहीं जिक्र नहीं किया। हम तो लोगों की भावना बताने आये है। आपने जो लिखा हुआ भाषण पढ़ा है पुलिस का लिखा हुआ भाषण पढ़ा है उसमें बिल्कुल सूडसर का कहीं जिक्र ही नहीं किया। वहां लाठी चार्ज क्यों किया। यह गांव तो मेरे गांव के पास है एक किलोमीटर है और मैं अपने गांव में मौजूद था। मेरे पास सैकड़ों लोग आये, उन्होंने अपनी कमर दिखायी। एक व के टांके लगे दिखते थे। उसके बाद में आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं, जो पुलिस ने ज्यादती की उनके खिलाफ आप किसी प्रकार न्यायायिक जांच का आदेश नहीं दे रहे है। जो हमारे प्रदर्शनकारी बिना मतलब के गिरफ्तार कर लिये गये उनके मामले का भी सदन में कोई जिक्र नहीं किया।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, मसला बहुत महत्वपूर्ण है। जब मसला इतना महत्वपूर्ण है और माननीय दीपचंदजी ने इस प्रकार के मुद्दे उठाये, सही मायने में सदन में बड़ा चिन्तन करने का प्रश्न हो गया है। पुलिस हमले कर रही है, नाजायज तौर से, जो शान्ति से प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के ऊपर हमले किये है और पुलिस की लिखित रिपोर्ट आ गयी वह मंत्री महोदय ने पढ़ दी या दिखा दी, निश्चित तौर से सदन को इससे गुमराह कर रहे है, मंत्री महोदय। पुलिस में जिस प्रकार की स्थिति हमारे यहां पनप रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित रूप से इसकी न्यायायिक जांच होनी चाहिये....

Page No. 77

(77)

(व्यवधान)

श्री रेवतराम चौधरी : सारा सदन मामले पर एक मत है। कोई दो राय नहीं। फिर भी यह....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, मैंने जो प्रश्न पूछा इसका उत्तर नहीं आया। इसलिये मैं पुन: आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या जिला प्रशासन को पुलिस को इस बारे में, एक तारीख से पूर्व में सूचना नहीं मिली थी कि इस प्रकार का जो भी निर्णय लिया गया रेलवे विभाग द्वारा उसके प्रति लोग विरोध प्रकट करने के लिये, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिये स्टेशन पर आयेंगे? यदि हां उसके पूर्व में आपने क्या कदम उठाये? आपके सी. आई. डी. ने क्या किया? जन प्रतिनिधियों या लोगों के बीच मे बैठ कर आपने वार्ता करके ऐसा कोई कदम उठाया कि ऐसी कोई घटना न घटे इसके बारे आप जवाब दिलवा दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह :वहां पर माकूल बन्दोबस्त कर दिया गया था इसलिये वहां पर कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी।

सभापति महोदय, यह बात सही भी है कि यह ट्रेन सुविधा पिछले लम्बे अर्से से इन चार स्टेशन के यात्रियों को उपलब्ध थी। जो रेलवे प्रशासन का निर्णय हुआ इससे वहां के लोगों को निश्चित रूप से कठिनाई हुई। जैसा कि विपक्ष से आने वाले माननीय दोस्त ने कहा हमारे कांग्रेस के विधायकों ने ही इस मुद्दे को उठाया है, उसके बारे में पत्र लिखा और मुख्य मंत्री जी ने जन भावनाओं का आदर करते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखा। नम्बर एक

दूसरी बात उन्होंने पूछी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर उसका असर क्या हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, असर तो होते-होतेही होता है। प्रक्रिया है आखिर यह आप लोगों में से किसी ने इस मामले को उठाया तक नहीं आपके दल के किसी ने उठाया तक नहीं इस मामले को। यहां पर हमारे लोगों ने उठाया। तब आपको चिन्ता हो रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। मैंने इस मामले को उठाया है। मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह :सभानेत्री महोदया, दूसरा प्रश्न सीकर से आने वाले सदस्य ने यह उठाया कि गवर्नमेंट को एम्बरेसिंग पोजीशन में डाल देते हैं। पूछो क्यों, तो रेलवे प्रशासन ने राज्य सरकार से इन स्टापेजेज को भंग करने की पूर्व में स्वीकृति ली थी।

Page No. 78

(78)

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सूचना भी नहीं दी थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सूचना नहीं दी, थी। यह बिल्कुल गलत है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार को इसका पता भी नहीं चला कि यह हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पूरी पत्रावली दिखवायी, आज ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अन्दर दिखवायी, यह मेरे पास पत्रावली मौजूद है, उन्होंने हमको कोई पूर्व सूचना नहीं दी....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपकी और भी कमजोरी है। आपको बिना सूचना दिये स्टापेज बन्द किये, यह आपकी और भी कमजोरी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कमजोरी नहीं। कमजोरी या ताकत का प्रश्न नहीं है। नियम हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही नियम है कि सूचना दी जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं। मैं आपसे जब कह रहा हूं कोई सूचना नहीं दी, कोई कनविक्शन नहीं। मैं स्पेसिफिकली इस सदन के अन्दर कह रहा हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ब्रीच आफ प्रीविलेज का मोशन लायें यहां पर।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ब्रीच आफ प्रीविलेज यदि आवेगा तो पता लगेगा कि क्या होता है सदन के अन्दर गलत बयानी करने का।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बैठें बैठें नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सदन के अन्दर गलत बयानी करने के बड़े गम्भीर परिणाम होते हैं, सभापति महोदय, मैं पवित्र सदन के अन्दर कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ही की पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वहां पुलिस ने लोगों के साथ अत्याचार किया है। एक मिनट.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक-एक पाइंट पर आ रहा हूं.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक मिनट सुन लीजिये।

और आप कह रहे हैं वहां तो पुलिस ने कोई अत्याचार नहीं किया। इसका मतलब माननीय सदस्यों ने जो बात कही है वह सही नहीं है। आप उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रीविलेज का मोशन ले आइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें क्या ब्रीच आफ प्रीविलेज का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं गलत बातें कहने का पहले आपने.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके खिलाफ तो 101 मोशन आ जाते अब तक। आपके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खिलाफ 101 आ जाते। यह तो ह्यूमैनिटी है।.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिम्मत चाहिये मेरे ऊपर लाने के लिये। मैं आपकी दया के ऊपर जीने वाला नहीं हूं। आपमें हिम्मत चाहिए मेरे खिलाफ मूव करने के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं वह इम्यून है इसके अन्दर। अभी मैंने आपसे कहा कि मंत्री कभी गलत बयानी नहीं कर सकता यहां सदन के अन्दर। अगर मैं सदन के अन्दर फैक्ट्स को छिपाऊं कि राज्य सरकार ने परमिशन दी है, राज्य सरकार को सूचना मिली है तो यह रिकार्ड की बात है। वह कहां जायेगी। कई दफा अपने-अपने मंतव्य हो सकते हैं, कई दफा अपने-अपने विचार हो सकते हैं, विचारों के मत-भेद हो सकते हैं। एक बात मैंने पहले ही फर्मायी थी, सभानेत्री महोदया, लाठी चार्ज के बारे में, कितने लोग इन्जर्ड हुए हैं, रेलवे प्रापर्टी कोई डैमेज नहीं हुई है, पर सभानेत्री जी, रेलवे वालों की तरफ से कोई कम्प्लेंट दर्ज हुई है, जो उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं, उसको आप चाहें तो पढ़ कर सुना देता हूं यहां पर। यह उनके मेमो की कापी यहां मौजूद है हमारे पास। जहां पर जो भी रेलवे प्रापर्टी डैमेज हुई है, सभानेत्री जी, उसके बारे मे वहां पर रिपोर्ट उन्होंने की है और उसी आधार पर मुकदमें दर्ज हुए हैं ?.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लाठी चार्ज करने के बाद में, लोगों को पीटने के बाद में, मुकदमें दर्ज किये गए हैं। उसके बाद कैसे होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसके बाद ही तो मुकदमे दर्ज होंगे, पहले तो कैसे होंगे.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसके बाद कैसे होगा ? पहले तो लोगों को मारा, और फिर बचाव के लिए आपने केस दर्ज कर लिया ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्री महोदया, दूसरी बात, वहां पर हालात ऐसे हो गये कि पुलिस के सामने बल प्रयोग के अलावा कोई चारा नहीं रहा। क्योंकि लम्बे समय तक गाड़ियों को रोके रहना, रेलवे प्रापर्टी को डैमेज करते रहना, एक बात तो निश्चित है कि इतनी बड़ी भीड़ जहां होती है उसके ऊपर काबू पाना सम्भव नहीं होता

(व्यवधान)

नम्बर दो यहां पर एक बात और कही है, कुछ लोगों को नाहक झूठा फसाया जा गया। मैं इस मामले को दिखवाऊंगा। अगर कोई बेगुनाह है तो नहीं चाहूंगा। मै तफतीश अधिकारियों को इस बात का निर्देश दूंगा कि सही प्रकार की तफतीश की जाये, कोई बेगुनाह हो तो उसको बचाया जाए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज प्रातःकाल मेरी मुख्य मन्त्री जी से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप सदन में यह बात सूचित करें कि जब वह अगली बार दिल्ली जायेगे तब इस मामले में स्वयं रेल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मंत्री से मिलकर वह सारी बातचीत कर लेंगे, इस बात का प्रयत्न करेंगे। ऐसा इससे पूर्व में भी उनको बताया जा चुका है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : बिल्कुल गलत इस प्रकरण के लिए एक-दो घंटे तो दे दें। सभापति महोदया, उस क्षेत्र की जनता के सामने आज भी समस्या है। क्या आपने यह प्रयास अभी तक किया या आपके जिला प्रशासन ने यह प्रयास किया कि दुबारा ऐसे टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। जब आदमी चुप हो जायेंगे तो फिर इसकी नौबत आयेगी। आपकी जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वहां के लोगों को बैठाकर रेलवे विभाग को बैठाकर आपस में बातचीत करायें जिससे दुबारा ऐसी नौबत न आये। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि नागरिकों ने बीकानेर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। फिर आपकी पुलिस आयेगी, लाठी चार्ज करेगी। फिर ऐसी नौबत आयेगी, फिर जो बिल्कुल निःसहाय हैं, भोले-भाले लोग हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज होगा। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, सिर्फ दफ्तर को दे देने से काम नहीं चलेगा, आपकी जिम्मेवारी है कि दुबारा ऐसी कोई नौबत न आये कि फिर लाठी चार्ज हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

ध्यानाकर्षण

टौंक जिले की ग्राम पंचायत बजीरपुर की डूब में आ जाने वाली जमीन का मुआवजा व सरपंच, ग्राम पचायत द्वारा वसूली

माननीय श्री महावीर प्रसाद, सदस्य विधान सभा टौंक जिले की ग्राम पंचायत वजीरपुर की डूब में आ जाने वाली जमीन का मुआवजा न देने एवं सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा आपसी रन्जिश से वसूली करवाये जाने के सम्बन्ध में पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय सभानेत्रीजी, मैं सोचता हूं कि शायद माननीय मंत्रीजी पहले वक्तव्य दें। मेरा यह स्थगन प्रस्ताव है, वक्तव्य देना है या ध्यानाकर्षण करना है।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, आप बोलिये।

संक्षेप में, बिना रिपीट किये हुए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : टौंक तहसील की वजीरपुर ग्राम पंचायत में पालड़ी गांव है जो तालाब के पेटे में बसा हुआ था। 1972 में जब सिंचाई विभाग के द्वारा इसकी पाल ऊंची करवाई गई तो गांव के घर डूब में आ गये। उन्होंने जिलाधीश को, वहां के एस.डी.ओ. को निवेदन किया कि हमको जो पास ही गांव की गोचर भूमि है, वहां बसाया जाये और उस जमीन को कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद तहसीलदार और वहां के पटवारी ने वहां के सरपंच ने जिलाधीश से निवेद

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किया कि इनके जो मकान डूब में आ गये, पानी घुस गया, इनको यहां बसाया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए इनको आवादी में कन्वर्ट करने की इजाजत दी जाये। उसकी रिपोर्ट वहां के पटवारी ने, वहां के तहसीलदार ने, वहां के एस. डी. ओ. ने दी। उस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश ने उस पर क्या निर्णय दिया, पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, पहले यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सरकार ने जो तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है मैं उस मामले की ओर आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन्होंने इसमें कहा है,"इन दोनों को खसरा नम्बर में रहने वाले, सम्बन्धित मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को पानी से सम्भावित खतरे से बचाने के लिए उपरोक्त जगह से हटाया जाये जिसके लिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाना पाया जाता है।" एक बात आपने स्वीकार की है कि मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी बात कही गई है कि इन दोनों खसरा नम्बर में बसे हुए व्यक्तियों को पुन: आबाद करना चाहिए। ग्राम पालड़ी खसरा नम्बर 272 की 6 बीघा एक बिस्वा भूमि में ग्राम पचायत को आबादी हेतु दी गई है। मेरा निवेदन है कि इन्होंने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है। मैं मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 12 बीघा और 6 बिस्वा पर 2 नम्बर वहां पर आबंटित की गई, वहां पर उनको बसाया गया, लेकिन आपने जो जानकारी दी है। वह केवल एक नम्बर 6 बीघा और एक बिस्वा की जानकारी दी है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि इन्होंने घुमा-फिराकर एक जबाब दिया है कि ग्राम पंचायत को आवादी हेतु आवंटित 6 बीघा एक बिसवा भूमि में 16 परिवारों ने मकान एवं बाड़े बनाकर अधिकार कर रखा है जिनसे सम्बन्धित पत्रावलियां ग्राम पंचायत द्वारा निर्णत की जाकर इन सभी व्यक्तियों को एक रुपया प्रति वर्ग गज की दर से भूमि की कीमत वसूल करने का निर्णय लिया गया। मत्री जी, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि निर्णय दिया गया है पत्रावलियों में, यह कब दिया गया है, यह किस ने दिया, कौन सी मीटिंग में लिया गया और क्या निर्णय लेने का अधिकार पंचायत को था? वर्तमान पंचायत और सरपंच को यह नोटिस जारी करने का अधिकार किस ने दिया था, किस नियम के अन्तर्गत इनको नोटिस दिया गया?

दूसरा मेरा निवेदन यह है, इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों को पैसा जमा कराने का नोटिस दिया गया और किसी व्यक्ति के द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। सभानेत्री जी, अब तहसीलदार ने जो अपनी रिपोर्ट जिलाधीश के समक्ष पेश की, उसका कुछ पार्ट पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। यह ग्राम पंचायत ने माना कि यस किस ने कहा और इस जमीन को कन्वर्ट करने के लिये किस के निवेदन करने पर उनको बसाया गया है। यह इस तथ्य से आपको मालूम होगा, पत्रावलियां पेश हुई ग्राम पालड़ी ग्राम पंचायत वजीरपुर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गांव वालों ने यह प्रार्थना-पत्र 17-4-72 को श्री परगना

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अधिकारी महोदय के समक्ष पेश किया। वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पाया गया कि ग्रामवासियों का निवेदन है सिंचाई विभाग द्वारा तालाब को ऊंचा कर देने की वजह से मौजूद स्थिति में आसामियों के घरों में पानी चला गया जिससे घर गिर गये। उन्हें काफी नुकसान हुआ। इन सब परेशानियों से बचने के लिए खसरा नं. 242, 243 चरागाह के पुरानी आबादी को छोड़ कर नई जगह आबाद होना स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट पटवारी इस बात की पुष्टि करती है। वहां पर अधिक मिट्टी डालने से पानी घरों में पहुंचेगा, कच्चे मकान होने से कोई भी खतरा हो जाना वर्षा काल में स्वाभाविक है। अतः नक्शा सुर्खी में बताया गया है कि रकबा सुरक्षित स्थान पर है और यहां तालाब का पानी पहुंचना सम्भव नहीं है. इन परिस्थितियों में जहां नक्शा सुर्खी में बताया गया है और जहां आबादी रखना चाहते हैं वहां खसरा नम्बर 242 में और रकबा नम्बर 6 और खसरा नम्बर 243 में रकबा है 6 बीघा एक बिस्वा कुल 12 बीघा एक बिस्वा आबादी के लिए चाहते हैं और दोनों ही खसरा नम्बर चरागाह भूमि में हैं। इसके लिए सरपंच ग्राम वजीरपुर ने रिपोर्ट दी है कि यह देखते हुए मौजूदा आबादी में जनता काफी परेशान है और उक्त रकबे में 12 बीघा एक बिस्वा चरागाह की आबादी के बीच और....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका सारांश पढ़कर सुना दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वही बताना चाहता हूं।

ग्राम पंचायत के सरपंच ने यह लिख कर दिया कि इनको बसाया जाए। पचायत इसके लिए जो 20 गुना कीमत आबादी में कन्वर्ट होने की है, बस जमा कराने को तैयार है पचायत में जमा कराने के बाद 1972 में जो सरपंच था उसने अनधिकृत तरीके से रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन पास किया लेकिन उस पंचायत में कोरम नहीं था न हीं सरपंच का किसी तरह की कोई वसूली करने का इरादा था। उन्होंने वह रिजोल्यूशन बिना कोरम के पास किया कि एक रुपया गज की दर से उनसे कीमत वसूल की जाये मैं पूछता हूं कि जब उस पंचायत में प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं था, कोरम नहीं था, केवल ग्रामवासियों को डराने धमकाने के लिए एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया और पास करने के बाद उनको किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। आपने कहा है, आवंटन देकर पैसा वसूल किया गया है, लेकिन ग्राम विकास के फण्ड में उन्होंने पैसा लिया है। पैसे लेकर हमेशा झूठा बताते रहे उनको और यह कहते रहे कि तुम से यह पैसा लिया है। राजनीतिक दृष्टि से दबाव उन पर बना रहे इसके लिए 1972 में जब वह पंचायत भंग हो गई और दूसरी पचायत आई तो उन्होंने किसी तरह का न प्रस्ताव लिया और न किसी प्रकार का नोटिस जारी किया, न ही गांव वालों को तंग किया। फिर वह पंचायत भंग हुई उसके बाद वर्तमान में जो पंचायत बनी उसके सरपंच महोदय ने बिना कोई रिजोल्यूशन पास किये, बिना नियमों के अन्तर्गत 1972 की उस अनधिकृत बात के आधार पर उनको 6–7 हजार रुपये देने के नोटिस जारी कर दिये। वह किस नियम के अनुसार दिये गये? उनको नोटिस जारी करने का कोई

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अधिकार नहीं था। नियमों में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया बल्कि यह चाहिए था कि जो डूब में मकान आये उनको मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए था। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उनको मुआवजा दिया जाए, जो नोटिस दिये गये हैं उनको निरस्त किया जाए, सरपंच को निलम्बित किया जाए और जो गलत तरीके से रिपोर्ट पेश की है, जिन अधिकारियों ने गलती की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उनको जो अधर में लटका रखा है उनको किसी तरह के पट्टे नहीं दिये गये हैं, उनको निःशुल्क पट्टे वितरित किये जायें। इतना ही मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायत) : सभापति महोदय, वजीरपुर ग्राम पंचायत के कुछ लोगों के मकान डूब में आ गये, उन्हें बसाया गया, उनको तंग किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है और तरह-तरह की यातनायें दी जा रही हैं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बात कही। वजीरपुर ग्राम पंचायत में डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा नहीं देने के सिलसिले में सरपंच, ग्राम पंचायत की आपसी रंजिश से वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट कलेक्टर, टौंक से सरकार के पास आई है उसको मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप उससे सहमत नहीं हैं?

श्री शीशराम ओला : सहमत हूं या नहीं कलेक्टर की रिपोर्ट आई है उसकी सत्यता से इन्कार नहीं कर सकते। कलेक्टर की रिपोर्ट आई है वह मैं पढ़ रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई, माननीय अध्यक्ष, पदासीन

श्री अनंगकुमार : ××× आप भी तो बोलें......

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य एक एक बोलें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज बाधा न पहुंचायें। पहले उत्तर आने दीजिए, मंत्री जी का।

श्री शीशराम ओला : टौंक तहसील की ग्राम पंचायत वजीरपुर के डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा न देने के विषय में एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आपसी रंजिश से वसूली करवाये जाने के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन।

टौंक तहसील की ग्राम पंचायत वजीरपुर के ग्राम पालड़ी का खसरा नम्बर 224 रकबा 5 बीघा एक बिस्वा पड़त अंकित था जिस पर 4 बीघा 2 बिस्वा खण्डहर मकान पड़त अंकित है तथा 19 बिस्वा पर रामकिशन पुत्र मुकना, रामनारायण पुत्र उद्दा एवं भैरू लाल पुत्र नारायण जाटान द्वारा सम्वत् 2031 में जो काश्त कर अतिक्रमण किया गया था। इसी ग्राम के खसरा नम्बर 262 का 3 बीघा एक

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(84)

(श्री शीशराम ओला)

बिस्वा रकबा भूरा पुत्र रघुनाथ जाट के खाते में चौरस आबादी अंकित थी। इन्हीं खसरा नम्बरों के पास में खसरा नम्बर 239 रकबा 25बीघा एक बिस्वा सिवाय चक गैर मुमकिन तालाब स्थित था। इन दोनों खसरा नम्बरान में स्थित मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को पानी के सम्भावित खतरे से बचाने के लिए उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरों से हटाया गया जिसके लिए उन्हें मुआवजा नही दिया जाना पाया जाता है। इन दोनों खसरा नम्बरान पर बसे हुए व्यक्तियों को पुनः आबाद करने से लिए ग्राम पालड़ी के नये खसरा नम्बर 272 की 6 बीघा एक बिस्वा भूमि ग्राम पचायत को आबादी हेतु दी गई। वर्तमान में उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि अंकित है।

ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटित 6 बीघा एक बिस्वा भूमि में 14 परिवारों ने मकान एवं बाड़े बनाकर अधिकार कर रखा है जिनमे संबधित पत्रावलियां, ग्राम पचायत द्वारा निर्णित की जाकर समस्त काबिज व्यक्तियों से एक रुपया प्रति वर्ग गज की दर से भूमि की कीमत वसूल करने का निर्णय लिया गया जिसकी अनुपालना में इन काबिज व्यक्तियों को पैसा जमा कराने के नोटिस दिये गये हैं। किसी व्यक्ति द्वारा राशि जमा नही कराई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की कीमत पूर्व में पारित निर्णय की अनुपालना में प्राप्त की जा रही है। ग्रामवासियों को किसी प्रकार से परेशान, डराया जाकर लूटने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्राम में किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने ही इसको पढ़कर सुना दी है जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आई उस तथ्यात्मक रिपोर्ट में और जो जिलाधीश ने अपना निर्णय दिया, तहसीलदार ने अपना निर्णय दिया उसका मैंने कुछ जिक्र किया है। पंचायत को किसी प्रकार का यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह किसी प्रकार के नोटिस जारी करे और न उनको किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया और उनको अपनी जमीन के बजाय जमीन मिली है। उनको पहले उजाड़ा गया है फिर बसाया गया है। तो जो उनको उजाड़ा गया है, आज जो उनको बसाया गया है उनसे कीमत वसूल करने का कौन सा अधिकार पंचायत को प्राप्त है? फिर तीसरी बात यह है कि कौन सी तारीख को कब किस पंचायत ने कोरम में या बिना कोरम के निर्णय लिया और वह निर्णय आज भी स्टेण्ड करता है? इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री शीशराम ओला : एक निर्णय यदि किसी पंचायत ने लिया है तो वह निश्चित रूप से स्टेण्ड करता है। अध्यक्ष जी, इन्होंने मुआवजों की बात कही। एक जगह से दूसरे स्थान पर गये, उनसे कीमत लेने की बात कही कि नहीं ली जानी चाहिए थी। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पंचायत तो केवल आबादी के दृष्टिकोण से इसकी पिक्चर में आती है अन्यथा मुआवजा देना इर्रीगेशन विभाग का काम है या अकाल राहत और बाढ़ विभाग का काम है। विकास विभाग का इससे कोई संबध नहीं है। यह जमीन जो दी गयी यह ग्राम पंचायत को 6 बीघा और कुछ बिस्वा जमीन आबादी के लिए दी गयी। ग्राम पंचायत द्वारा भी

(श्री शीशराम ओला)

एक रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से उनसे कीमत वसूल करने की बात कही गयी है। किस ने क्या किया मैं इसके बारे में व्यक्तिश: कुछ नहीं जानता हूं कलेक्टर टोंक ने जो जवाब दिया है वह मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया और इसको पढ़कर सुनाया। इसमें यदि और कहीं कोई बात है और तथ्य को छुपाया गया है और विकास विभाग से यदि उसका संबंध है तो माननीय सदस्य कृपया लिखकर दे दें मैं उसकी जांच करवाकर जैसी जांच रिपोर्ट आयेगी उससे आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, माननीय अध्यक्ष, सबसे बड़ा सवाल यह था, माननीय मंत्री जी भी यह स्वीकार करते हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट आई और उसको पढ़कर सुना दिया। इससे यह स्वयं सन्तुष्ट नही हैं। तो आप जब स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं, मुझे लगता है कि मंत्री जी अपने आप में बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। यह कुछ निर्णय करना चाहते हैं---

श्री शीशराम ओला : कभी नहीं कहा। आप बनाकर बात ना कहें कि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं मैं कहता हूं कोई बात बना कर नहीं कहना चाहता हूं आपके समक्ष.... बात तो सुनने की कोशिश कीजिए। जो कलेक्टर, टोंक ने विकास विभाग को या राजस्थान सरकार को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह मैंने आपको पढ़ कर सुनाई है। मेरा कहना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ बिन्दु इस प्रकार के हैं कि ग्राम पंचायत के लोग जो डूब में आये है उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र पेश किये। उन प्रार्थनापत्रों पर ग्राम पंचायत ने स्वीकृति दी कि उनको बसाया जाये और उसमें यह कहा कि पंचायत जो कि आबादी में कन्वर्ट होने का, जो 74 रुपये जमा कराने के लिए है, वह उसके लिए तैयार है। पटवारी ने, तहसीलदार ने, एस. डी. ओ. ने और कलेक्टर ने भी अपने निर्णय में यह स्वीकार किया कि इनको वहां पर बसाया जाना जरूरी है। तो इनको उस निर्णय के अनुसार बसाया गया। मैं आपको कलेक्टर का जो फैसला है........

श्री शीशराम ओला : आप बात ठीक नहीं कह रहे हैं या मुझे सुन नहीं रहे हैं। दो मिनट बैठिये आप। आप कह रहे हैं कि उनको बसाने का निर्णय कलेक्टर ने लिया, तहसीलदार ने लिया एस. डी. ओ. ने लिया। मैं आपसे सहमत हूं लेकिन एस. डी. ओ., कलेक्टर और तहसीलदार किसी की जमीन छीनकर नहीं दे सकते, किसी के घर को लूट नहीं सकते। जो जमीन पंचायत को आबादी के लिए दी वह पंचायत उस जमीन के पैसे चार्ज करना चाहती है एक रुपया प्रति वर्ग गज-यही तो बात है। उसके बावजूद भी यदि कोई ऐसी स्थिति जिससे आप सन्तुष्ट नहीं हैं या कोई किया गया है उसके विपरीत कोई निर्णय लिया है तो मेहरबानी करके लिखकर दे दें हम दुबारा जांच करा लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही तो मैं कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी । मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया । इसके बावजूद भी आपको कुछ कठिनाई है तो इस केस को उनके सामने अन्य किसी तरीके से रखिये....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की और गांव वाले सारे आपके उपकार को मानते हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय समझने के लिए तैयार नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अभी वाद-विवाद से समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं वह प्रस्ताव इनवेलिड है । कोरम नहीं था उसमें ।....'

श्री शीशराम ओला : मैं कैसे कहूं गलत है । सारी कार्यवाही किसी प्रक्रिया के के तहत होती है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस प्रक्रिया के तहत नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई । स्थान गृहण करें, माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं, माननीय अध्यक्ष जी ?

श्री शीशराम ओला : मैंने कह दिया आप लिखकर दे दें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष, मेरा इसमें यह निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : अब बार-बार वही मांग दोहरायें यह तो कोई प्रक्रिया है नहीं । एक प्रश्न आप उनसे पूछना चाहें तो उत्तर दिला दूंगा और उसके बाद इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा एक ही सवाल है कि क्या मंत्री महोदय समस्त पत्रावलियां मंगाकर स्वयं देखकर निर्णय लेंगे या केवल कलेक्टर की रिपोर्ट पर....

श्री शीशराम ओला : सही बात को मानने में क्या दिक्कत है । कोई सही बात है और तथ्यों को छुपाया गया है तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष - आप तथ्य उनके सामने रख दीजिए वह सहानुभूतिपूर्वक नियमानुसार उस पर विचार करेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तथ्य मैने रख दिये । मेरा एक ही निवेदन है कि सारी पत्रावलियां मंगाकर स्वयं देख कर निर्णय दें ।

व्यवस्था

मांग सं. 27-पेयजल योजना पर कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का उत्तर

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, चर्चा समाप्त हुई । आज की कार्यसूची में ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के बाद में यह अंकित किया गया है कि मांग संख्या-27 जिस पर कल वादविवाद हुआ था उस पर सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा....

(श्री अध्यक्ष)

और उसके पश्चात् उन मांगों पर मतदान होगा। मैंने मंत्रणा करके जो नई व्यवस्था की है वह इस प्रकार है कि पहले जो आज की मांगें है मांग संख्या 36, 41, 49 वे प्रस्तुत की जायेंगी और उसके पश्चात् उन पर वादविवाद होगा। मांग संख्या 27 पर सरकार की ओर से उत्तर उसके बाद में दिया जायेगा। उसके पश्चात् दूसरी मांगों पर सरकार की ओर से उत्तर होगा और तत्पश्चात् उन पर मतदान होगा। इसलिये अब अनुदान की मांगों पर विचार।

कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज की जो विचारणीय मांगें हैं उनमें बहुत से माननीय सदस्यों की रुचि होगी इसलिये आज समय सीमा भाषणों पर बांधना आवश्यक है। इसलिये माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा अपने भाषणों की सीमा 15 मिनिट के भीतर रखें। अब मंत्री महोदय अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 36— सहकारिता, मांग संख्या 41—सामुदायिक विकास, मांग संख्या 49—स्थानीय निकायों एवं पचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन।

श्री श्रीराम गोटेवाला : (सहकारिता राज्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को (26,28,35,000) (छब्बीस करोड़, अट्ठाइस लाख, पेंतीस हजार रुपये) रुपये तक की राशि (जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है) प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास।

श्री शीशराम ओला : (सामुदायिक विकास मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41— सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को (15,02,98,000 रुपये) (पन्द्रह करोड़ दो लाख अट्ठानवे हजार रुपये) तक की राशि (जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है) प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थानीय निकायों आदि की मांगे।

श्री शीशराम ओला (सामुदायिक विकास राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 49, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को (7,16,04,000) (सात करोड़, सोलह लाख, चार हजार रुपये) रुपये तक की राशि (जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है) प्रदान की जाये।

(88)

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री माधवसिंह दीवान (खारची)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

1. प्रति ग्राम पंचायत अलग से ग्राम सेवा सहकारी समिति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

2. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

3. गणेश हाऊसिंग को-ग्रापरेटिव सोसायटी सोडाला, जयपुर का आडिट कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

4. पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार व गबन की जांच हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

5. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

6. बाड़मेर जिले के कस्बा गडरा रोड़ उप तहसील मुख्यावास पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

7. सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितता तथा पंचायत वाइज सहकारी सस्थायें बनाने एवं संस्थाओं के चुनाव कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

8. उपभोक्ता सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

9. सांचोर में 30 सहकारी समितियों के अनुपात में बैंकों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

10. सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

11. ग्राम मालासर (रतनगढ) गृह निर्माण सहकारी समिति के निर्माण में तत्कालीन प्रसार अधिकारी द्वारा गबन करने पर

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बैंगू)

12. चित्तौड़ में सहकारिता के आधार पर बना न्यू क्लोथ मार्केट में भारी भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

13. सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा से ग्रामीण वंचित हैं इस पर चर्चा के लिये।

14. अन्तोदय के अन्तर्गत चयनित परिवारों को सहकारिता विभाग से अनुदान न मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

15. ग्रामीणों को भवन निर्माण हेतु कोआपरेटिव फाइनेंसिंग सोसाइटी द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. कुशलगढ़ क्षेत्र में ताम्बेसरा पेक्स व डुगरा कसार बाड़ी लेम्पस में धनराशि के गबन की वसूली के संबंध में चर्चा के लिये।

17. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में सहकारिता में सहकारिता में किये गये भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

18. सहकारी क्षेत्र में लगी पूंजी सहकारी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उपयोगी हो, इस संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

19. जिला बूंदी सहकारी वसूली के दौरान गरीब हरिजन किसानों के साथ मारपीट एवं मुर्गा बनाने आदि पर चर्चा के लिये।

20. सहकारी वसूली में अधिकांश छोटे हरिजन किसानों की कुर्कीयां कर सामान की नीलामी करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

22. पिछड़े व हरिजन लघु सीमान्त किसानों के लम्बे ऋण को माफ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. सवाई मानसिंह चिकित्सालय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दवाओं की निर्धारित कीमतों से अधिक कीमतें वसूल करने तथा अवधि पार दवाऐ बेचने व एन. ए. सी. ईश्यू करने में आनाकानी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में उपभोक्ता भण्डार की औषधियों की दुकान में हुई अनियमितताओं पर विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

25. रेगिस्तानी क्षेत्र के ग्रामीणों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलिनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

26. भूमि विकास बैंक रामगंज मण्डी द्वारा ओरेन्ज प्लान्टेशन के लिये ऋण नहीं दिये जाने पर इसे दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये।

27. झालावाड़ व कोटा जिले की अधिकतर सहकारी समितियों में गबन पाये जाने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

28. दी कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक कोटा द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू न कर, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पदोन्नति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

29. दी बांरा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक बांरा द्वारा लिपिक पद के लिये साक्षात्कार के लिये बुलाये उनका साक्षात्कार नहीं लेकर अन्य लोगों को नियुक्ति दिये जाये पर चर्चा के लिये।

30. कोटा जिले में बनाये गये सहकारी गोदामों में से अधिकतर टूटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. दी कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव, बैंक कोटा के अधिकारियों द्वारा गबनकर्ताओं को संरक्षण दिया जाने पर चर्चा के लिये।

32. कोटा जिले की सहकारियों में लाखों रुपये का गबन करने वालों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

33. पंचायती राज्य सहकारी समितियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपाल पचेरवार (पाटन)

34. ग्राम सेवा सहकारी समिति पाड़ा जिला डूंगरपुर द्वारा वर्ष 1977-79 में की गई लेखा परीक्षण में पाये गये गबन के संबंध में चर्चा के लिये।

35. वर्ष 1980-81 में निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति के सरकारी वाहन का अधिकारियों द्वारा बरू खेती में उपयोग के औचित्य पर चर्चा के लिये।

36. उपखण्ड प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की सेवा सहकारी समिति अरनोद, वन श्रमिक सहकारी संघ चिकलाड़, गणेश क्रय-विक्रय सहकारी संघ रायपुर व ग्राम सेवा सहकारी संघ खोरोट की बकाया नहीं वसूल करने बाबत चर्चा के लिये।

37. राज्य सरकार द्वारा उपखण्ड प्रतापगढ़ में सहकारी समितियों में भेदभाव बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दातारामगढ़)

38. ग्रामों में बने सहकारी गोदामों का उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

39. सहकारिता ऋणों की वसूली में आदिवासियों, हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विभागीय कर्मचारियों

(श्री रामकिशोर मीणा)

द्वारा अपमानजनक व्यवहार करने पर चर्चा के लिये।

40 क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनियाना तहसील दौसा द्वारा झूठे ऋण दिखा कर अनुदान की राशि व्यवस्थापकों द्वारा हड़पे जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

41. जयपुर जिला भूमि विकास बैंक द्वारा की जा रही किसानों से लूट की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल शर्मा (खण्डार)

42. राजस्थान में सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार व पक्षपात के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला)

43. सलेदीपुरा में सहकारी खाद का कारखाना स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

44. सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

45. सहकारी संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप से भ्रष्टाचार के कार्य प्रणाली को समाप्त करने के लिये अंकुश की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह)

46. सहकारिता को लोकप्रिय बनाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं)

47. सहकारिता विभाग द्वारा ऋण की वसूली समय पर नहीं करना तथा समय पर ऋण नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

48. सहकारी क्षेत्र में चलने वाली दुकानों पर बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

49. सरकार भरतपुर सहकारी बैंक में हुए भारी घोटालों की जांच कराने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

50. सरकार सहकारी ऋणों में हुए घोटालों को रोकने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

51. सहकारिता बैंक द्वारा दिया गया कर्ज ब्याज के द्वारा दुगुना/तीगुना हो गया है इससे गरीब व्यक्ति को मुक्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिन्डौन)

52. राज्य सरकार सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

Page No. 92

(92)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

53. सहकारी विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर एवं सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

54. नागौर जिले में सहकारी समितियों की स्थिति सुदृढ़ बनाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

55. ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों का वेतन महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये।

56. जिला बीकानेर के ग्राम गुडा में सस्ते दर की अनाज की दुकान नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समित गुडा को आवंटित करने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

57. सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक टोंक की जीप की नीलामी से भारी क्षति पहुंचाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. सेन्ट्रल को-अपरेटिव बैंक टोंक द्वारा अधीनस्थ सहकारी समिति को समय पर ऋण नहीं दिने से कृषकों को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं सकने की वजह से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

59. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. गनेशगंज, रोणा व बिनायका ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को ऋण नहीं दिया गया के संबंध में चर्चा के लिये।

61. लुहावद ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में बरती गई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

62. रोणा, बिनायका, गनेशगंज व तलाव ग्राम सेवा सहकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबन्ध में चर्चा लिया।

63. पीपल्दा क्षेत्र की गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दिये के जाने संबंध में चर्चा के लिये।

64 पीपल्दा क्षेत्र के इटावा गृह निर्माण सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबन्ध में चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

65. सहकारिता के माध्यम से किसानों को दिये जाने वाले कर्ज पर अनिवार्य रूप से हिस्सा राशि काटे जाने की परिपाटी को समाप्त किया जावे। इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

66. सांचोर क्षेत्र में पूर्व में कृषि यंत्र

(श्री कनकराज मेहता)

उत्पादन सहकारी समिति के भूमिहीन काश्तकारों की सहकारी समितियों को दी गई भूमि व उनके निष्क्रय होने पर उनको दी गई भूमि पुनंग्रहण न करने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

67. सहकारी विभाग में एक सतर्कता सेल स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. सहकारी विभाग के आडिट आब्जेक्शनों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. चालू वर्ष में सहकारिता विभाग द्वारा गांवों में बनाये जा रहे गोदामों के निर्माण में निम्नस्तर की सामग्री का प्रयोग कर किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये।

71. सहकारी आन्दोलन को अफसरशाही तथा नौकरशाही के अवांछनीय दखल से मुक्त करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. मार्केटिंग सोसायटी एवं को-आपरेटिव बैंक मैनेजर्स का पृथक केडर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. बीकानेर जिले के ग्राम कोलासर में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा राशन व शेष ऋण वितरण न किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

74. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

75. सहकारी बैंक की कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर उन्हें अधिक गतिशील बनाने हेतु चर्चा के लिये।

76. हर एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित किये जाने के सिद्धान्त पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश के ग्रामीण आंचलों में सहकारिता कार्यक्रम को गतिशील बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

78. सहकारिता क्षेत्र में फैला भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक शिथिलता रोकने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. ग्रामों में सहकारिता के माध्यम से उन्नत बीज तथा खाद उचित मूल्य पर एवं सही समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. सहकारिता को व्यवहारिक स्वरूप देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

81. सहकारिता विभाग के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता बरते जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री उम्मेदसिंह)

82. सहकारी विभाग के अंकेक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

83. असहाय व्यक्ति जो सहकारी कर्ज नहीं लौटा सके उनसे वसूली रोकी जाय तथा जिनकी स्थिति ठीक है उनकी वसूली शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

84. सहकारी समितियों में ऋण वितरण में भारी अनियमिततायें हुयी हैं जिन्होंने ऋण नहीं लिया उनसे भी जबरदस्ती वसूलियां की जाने पर चर्चा के लिये।

85. उपभोक्ता योजना की दोषपूर्ण नीति के कारण सहकारी संघ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा अनुपयुक्त एवं महंगा माल क्रय कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आवश्यक रूप से डालकर नुकसान पहुंचाने के क्रम में चर्चा के लिये।

86. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पूर्ण सामान उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

87. ग्राम सेवा सहकारी समिति कनवाड़ा (देवली) में भूतपूर्व व्यवस्थापक द्वारा गबन करने पर चर्चा के लिये।

88. लहन ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक एवं केशियर द्वारा गबन घोटाला उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. टोंक सहकारी समिति द्वारा पैसा जमा कराने के पश्चात् पुनः मांग निकलने के संबंध में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मलानी)

90. किसानों को कर्ज से मुक्त कराने हेतु बकाया सहकारी ऋण के चुकारे के लिये मूलधन में अधिक ब्याज माफ किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

91. सेंट्रल को-आपरेटिव बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के अध्यक्ष मनोनीत करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. प्रदेश के सेंट्रल को-आपरेटिव बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के अध्यक्षों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक गंगानगर के सम्बन्ध में दिए गए चुनाव आदेश को लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. दी कोटा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. कोटा को ग्राम सभा समय पर नहीं बुलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति डड़वाड़ा, में भैंसों का फर्जी लोन बांटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. सेंटल को-आपरेटिव बैंक कोटा के वैतनिक कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

Page No. 95

95

(श्री हरीश शर्मा)

97. दी कोटा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक कोटा के अध्यक्ष को आवंटित कार के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्षों की विदेश यात्रा के खर्चे को अध्यक्षों द्वारा बिना रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बैंकों से उठा लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमबा-रामगढ़)

99. सहकारी समितियों में फैले भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर).

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

100. राजफेड के अधिकारियों द्वारा वर्ष 80-81 में दाल की खरीद में की गई अनियमिता एवं मंहगे भाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. राजफेड के द्वारा जो दाल खरीद कर सप्लाई की गई थी उसके खराब होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वितरक को पूरा भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

102. ग्राम सेवा सहकारी समिति दांता ने सांचोर द्वारा गलत पट्टा शुदा भूमि पर गोदाम निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी)

103. सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से जबरन एवं अनियमित तरीकों से ऋण वसूल करने के विषय पर चर्चा के लिये।

104 सहकारिता विभाग के द्वारा प्रदत ऋणों में व्याप्त अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

105. ग्राम विकास सहकारी समितियों का चुनाव नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

107. सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के ब्याज के भार से मुक्त कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़)

108. सहकारी होल-सेल भण्डार चूरू में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

109. भीलवाड़ा कोपरेटिव बैंक के प्रबन्ध संचालक तथा कर्मचारियों के मध्य असहयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री बंसीलाल पटवा)

110. भीलवाड़ा कोपरेटिव बैंक में अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

111. भीलवाड़ा भूमि विकास सहकारी बैंक में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

112. भीलवाड़ा जिले में पशुओं के लिये कोपरेटिव बैंक द्वारा दिये गये फर्जी लोन पर चर्चा के लिये।

113. भीलवाड़ा जिले की विभिन्न सहकारी समितियों में बकाया की वसूली करने पर चर्चा के लिये।

114. भीलवाड़ा जिले में स्वाईपुर ग्राम सहकारी समिति (कोटड़ी) में बिना कूपनों व बिलों पर बिना हस्ताक्षर लिये सीमेंट बेचने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

115. सुवाना ग्राम सहकारी समिति (भीलवाड़ा) की वर्षों से बकाया वसूल न करने पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल (मनोहरथाना)

116. सहकारी समितियों में हुए गबन की अविलम्ब ही जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

117. सहकारी बैंक सिकराय के वसूली अधिकारी एवं व्यवस्थापक सहकारी समिति गुमानपुरा (सिकराय) द्वारा बगैर ऋण लिये हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति को कुड़क करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

118. बीकानेर अनुसूचित जाति/जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज कराकर लोगों को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

119. सहकारी बैंक गंगानगर के संबंध में दिये गये चुनाव आदेश को अन्य जगह लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. सभी सहकारी संस्थाओं में अध्यक्षों द्वारा मनमाने ढंग से की गयी नियुक्तियों पर चर्चा के लिये।

121. सभी सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में व्यवस्था सौंपने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ढांचे तथा सीमा परिसीमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. अरबन को-ओपरेटिव बैंक सीकर में व्याप्त भाई-भतीजावाद जातिवाद एवं भ्रष्टाचार होने पर भी इसको दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. सहकारी संस्थाओं पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार समाप्त करने एवं भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपायों पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

125. जिला सवाई माधोपुर में सहकारी बैंक के प्रशासक द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियों में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से इसको देय सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

126. जिला सवाई माधोपुर की सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

127 झुन्झुनूं जिले के ग्राम गुढ़ागौड़जी में सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

128. उपभोक्ता थोक भण्डार उदयपुर में हुए ढ़ाई लाख के गबन के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से इसे देय सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. उदयपुर जिले की वीरपुरा सहकारी समिति में 50 हजार रुपये के फर्जी भुगतान के मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. उदयपुर जिले में सहकारी समितियों से फर्जी अंगुठे लगा कर उठा लिये गये लाखों रुपये के ऋणों की वसूली गरीब आदिवासियों से की जा रही है इस के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

131. गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में राजस्थान को-आपरेटिव हाउसिंग फाईनेंसिंग सोसायटी के मण्डप लगाने पर स्थल के किराये व अन्य मदों पर किए गये अपव्यय पर चर्चा के लिये।

132. गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ का मण्डप लगातार स्थल के किराये व अन्य पदों पर किये अपव्यय पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

133. भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक से भरतपुर जिले के किसानों को उचित व पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है जिससे इसे देय सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

134. सहकारिता विभाग डूंगरपुर के अधिकारियों द्वारा सहकारिता आन्दोलन को खत्म करने से उत्पन्न हुयी स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

135. सहकारी विभाग द्वारा ऋण वसूली में ज्यादतियों से जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

137. ग्राम सहकारी समिति लि. टोंक के गबन घोटालों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद)

137. ग्राम सहकारी समिति लि. टौंक के सदस्यों द्वारा बकाया ऋण राशि जमा करा देने पर भी उन्हें परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. ग्राम सेवा सहकारी समिति लहन के भू. पू. केशियर द्वारा समिति के सदस्यों की राशि लेकर जमा नहीं कराने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

139. टौंक केन्द्रीय सहकारी बैंक में जीपों, गाड़ियों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. टौंक केन्द्रीय सहकारी बैंक में कर्मचारियों की नियुक्ति में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से इसे देय सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

141. टौंक जिले की विभिन्न सोसाइटियों के अध्यक्षों एवं व्यवस्थापकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. टौंक जिले में ग्रामीण सहकारी समितियों में गबन भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. क्रय-विक्रय संघ निवाई को लम्बे समय से बन्द पड़ी दुकानों के नहीं खोलने से इसे दिये जाने वाले सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

144. औद्योगिक सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये।

145. भंडारागार और विपणन सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये।

146. राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में इसे दिये जा रहे ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

147. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार से इसे दिये जा रहे सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

148. टौंक सहकारी उपभोक्ता भंडार के भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से इन्हें दिये जा रहे सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

149. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से इसे दिये जा रहे कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

150. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को आवंटित खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुएं समय-समय पर नहीं उठाये जाने से इसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद)

151. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा उपलब्ध खाद्य सामग्री को ब्लेक करने से इसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

152. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के आडिट आक्षेपों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने से इसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

153. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की विभिन्न वस्तुओं पर भारी डेमरेज लगाने से इसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

154. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में लम्बे समय से बहुत बड़ी मात्रा में अनुपयोगी स्टॉक पड़े रहने से इसे दिये जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिये।

155. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में सामान के क्रय एवं विक्रय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर इसको देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

156. टौंक जिले में सहकारी समितियों द्वारा घर-घर राशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू की गई योजना की असफलता पर चर्चा के लिये।

157. टौंक सहकारी उपभोक्ता भण्डार में दवाईयां एवं अनियमित कपड़े की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. राज्य में विभिन्न सहकारी समितियों में आडिट द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर लम्बे समय तक उत्तर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. राज्य सहकारिता न्यायाधिकरण में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता सम्बन्धित मामलों पर वर्षों निर्णय नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

160. राज्य सहकारिता न्यायाधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. टौंक जिले में बुनकर सहकारी समितियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

162. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. में हो रहे लाखों रुपयों के घोटाले पर चर्चा के लिये।

163. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा आवंटियों को प्रोविजनल पट्टे नहीं दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

164. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के पदाधिकारियों द्वारा भूमि विक्रेता को भुगतान न करने से समिति के सदस्यों (भूखण्ड क्रेताओं) में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

165. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति में फर्जी

(श्री देवीसिंह भाटी)

हस्ताक्षरों के गलत दस्तावेज विभाग के समक्ष प्रमाणित कर देने पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

166. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के चुनाव में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

167. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष, अध्यक्ष के दामाद, अध्यक्ष के पुत्र ही पदाधिकारी होने पर भी विभाग द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

168. बीकानेर अनुसूचित जाति जनजाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. में भूतपूर्व मंत्री व वर्तमान अध्यक्ष द्वारा फर्जी भुगतान उठाने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

169. राज्य में सहकारिता क्षेत्र का समुचित लाभ ग्रामीण व आवश्यकता मंद लोगों को प्राप्त होने में बाधाओं व उनके निराकरण की चर्चा के लियें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

170. सहकारी विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा वसूली करते समय एवं ऋण आवेदन पत्र लेते समय जनता को परेशान करने पर चर्चा के लिये ।

171. बाड़मेर जिले में सहकारी विभाग के अधिकारियों एवं स्थानीय सहकारी अध्यक्षों की सांठ-गांठ से ऋण देते समय स्वीकृति से ऋण राशि कम देकर दस्तावेजों में ज्यादा लिख कर अनपढ़ लोगों से अंगूठा निशानी ले लेते हैं इस पर चर्चा के लिये ।

172. सहकारी विभाग द्वारा लम्बे समय तक आडिट नहीं करने एवं आडिट बिन्दुओं की पालना न कराये जाने से हो रही मनमानी व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

173. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

174. सहकारी विभाग के अधिकारी द्वारा स्थानीय अध्यक्षों, व्यवस्थापकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व नाजायज तंग करने की शिकायतों पर रिश्वत लेकर कार्यवाही नहीं की जाती इस पर चर्चा के लिये ।

175. बाड़मेर जिले की बिसारनिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक ऋण मजूरी के लिए 2% से 5% तक कमीशन लेते हैं इस पर चर्चा के लिये।

176. बाड़मेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति बिसारनिया का वर्तमान समय चुना हुआ अध्यक्ष नाबालिग है इस पर चर्चा के लिये ।

177. सहकारी क्षेत्र में स्थित दुकान की ग्राम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता है व सहकारी दुकानों में व्याप्त भ्रष्ट तरीकों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

178. बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बीकानेर की औषध शाखा के प्रभारी द्वारा हल्की व नकली दवाइयों की खरीद कर सहकारी दुकानों से बिकवाने पर चर्चा के लिये।

179. रा. रा. स. उपभोक्ता संघ जयपुर की मेडिकल शाखा में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित दवा निर्मात्री फर्मों के बारे में प्राप्त आदेशों में जाल साजी से अप्रमाणित दवा निर्मात्री फर्मों के नाम जोड़ देने पर चर्चा के लिये।

180. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ जयपुर द्वारा क्रय की जा रही दवाइयों के अभाव में हो रही वित्तीय अनियमितता पर चर्चा के लिये।

181. रा. रा. स. उपभोक्ता संघ जयपुर द्वारा चलाई जा रही दवाइयों की दुकानों पर दवाए होते हुये भी फर्जी अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र जारी करने पर चर्चा के लिये।

182. रा. रा. स. उपभोक्ता संघ, जयपुर की दुकानों पर कार्यरत विक्रेताओं द्वारा एक ही प्रमाण-पत्र के आधार पर दो-दो दुकाने चलने की अनियमितता पर चर्चा के लिये।

183. सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कोटा द्वारा क्रय की जा रही दवाइयों के डिस्काउन्ट दर कम तय कर लाखों रुपयों का घाटा उठाने पर चर्चा के लिये।

184. सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. श्री गंगानगर के द्वारा भण्डार की दुकानों को किराये पर देने में हुयी अनियमितओं पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

185. ग्राम सेवा सहकारी समिति भवानी खेड़ा (अजमेर) के व्यवस्थापकों एवं अध्यक्ष द्वारा जाली अगूंठा निशानी व फर्जी हस्ताक्षर कर के रकम उठा लेने पर चर्चा के लिये।

186. राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा के दिनोंदिन बढ़ रहे घाटे से मिल के अवसायन में आ जाने की संभावनाऐं बढ़ जाने पर चर्चा के लिये।

187. अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, अजमेर द्वारा युनाईटेड इन्श्योरेंस कम्पनी अजमेर में क्लेम दाखिल कर विथड्रा करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

188. कृषकों को अल्पकालीन मध्यकालीन एवं दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने वाले सहकारी संस्थाओं के एकीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

189. रा रा. स. उपभोक्ता संघ लि. जयपुर में व्याप्त प्रशासनिक अकुशलता व वित्तीय अनियमितताओं पर इसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

190. जिला सहकारी संघ लि. अजमेर के पदाधिकारियों द्वारा समयावधि समाप्त

(श्री कैलाश मेघवाल एवं श्री छीतरलाल आर्य)

होने पर भी पदों पर बने रहने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

191. सहकारी विभाग के ऑडिट विंग का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होने से हो रही गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये।

192. बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बीकानेर द्वारा गिरीराज कटले मुख्य बाजार की दो दुकानों को खाली करने में हुयी अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

193. रा. रा. स. उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 की ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों के निराकरण करने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

194. जयपुर जिला बुनकर सहकारी संघ लि. जयपुर में व्याप्त प्रशासनिक अकुशलताओं व वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

195. रा.रा.स. उपभोक्ता संघ जयपुर की दवाइयों की दुकानों से सेवानिवृत कर्मचारियों को वितरण की गई दवाइयों में हुई अनियमित्ता पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू):

196. सहकारिता विभाग के एक अधिकारी द्वारा फ्रेन्ड मेडिकल रिलीफ सोसायटी के लिये चन्दे की वसूली सहकारी समितियों पर दबाव डालकर करने पर चर्चा के लिये।

197. रा. रा. स. उपभोक्ता संघ लि. जयपुर के हिसाबात में बीस लाख रुपयों के गबन होने से इसके देय कर्ज के औचित्य पर चर्चा के लिये।

198. चाकसू क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि चाकसू के नाम दिनांक 2-5-83 को जाली चैक के रुपयों के गबन पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन)

199. रा.रा.स. उपभोक्ता संघ जयपुर के मेडिकल के गोदामों से दुकानों पर दवाइयां भेजने में दायित्व प्रणाली के अन्तर्गद कम रेट लगाकर की गयी वित्तीय अनियमितता पर चर्चा के लिये।

200. रा.रा.स. उपभोक्ता संघ जयपुर की मेडिकल ब्रान्च द्वारा मार्च, 1981 में ही बन्द हो गयी कम्पनी की दवाइयां दिसम्बर, 1983 तक क्रय करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

201. रा.रा.स. उपभोक्ता संघ लि. जयपुर में कार्यरत महिला कर्मचारी के निलम्बित करने के आदेश दिनांक 8-3-84 को देकर दिनांक 9-3-84 को विथ्ड्रा कर

(श्री अनंग कुमार जैन)

लेने से उत्पन्न स्थिति से इसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

202. रा.रा.स. उपभोक्ता संघ जयपुर के विभिन्न गोदामों में तीस लाख रुपयों के हल्के व घटिया माल के डम्प होने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

203. बस्सी पंचायत समिति में लम्बे अर्से से सहकारी प्रसार अधिकारी की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में चर्चा के लिये।

204. दी जयपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति कानोता के ऋणी हरिजन सदस्य के विद्युत व कृषि उपकरणों को कुर्क करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

205. ग्राम सेवा सहकारी समिति दना-ऊकला पंचायत समिति बस्सी की वसूली की कार्यवाही नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

206. ग्राम सेवा सहकारी समिति रलावता प.स. चाकसू के भू. पू. कोषाध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों से ऋण वसूल कर बैंक में जमा न कराने पर भी बैंक द्वारा रुपयों की वसूली न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

207. विशिष्ट योजना के अन्तर्गत जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर को दी गयी लघु सिंचाई योजना की यूनिट लागत व्यवहारिक नहीं होने से किसान ऋण लेने में उत्साही नहीं होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

208. ग्राम सेवा सहकारी समिति गुरूदवासी पं.स. चाकसू द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के चयनीत परिवारों को ऋण वितरण में की गयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

209. ग्राम सेवा सहकारी समिति गरूडवासी पं. स. चाकसू के कार्यक्षेत्र से ग्राम पंचायत क्षेत्र ठीकरिया गूजरान को पृथक कर पृथक से ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

210. बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्षेत्रों के पुर्न-गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जयपुर में बेचे गये आवासीय भूखण्डों की कीमत के रूप में प्राप्त राशि से आधी राशि की ही रसीद देने व आधी राशि का अप्रत्यक्ष गबन किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

212. जी.एस.एस. बड़ाभानुजा में लम्बे समय से व्यवस्थापक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

213. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर को राज्य सरकार

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

द्वारा दी गयी कैपिटल शेयर मनी 31 मार्च को देने के कारण ऋण वितरण में हुई देरी के संबंध में चर्चा के लिये।

214. छात्र जीवन में ही सहकारिता की जानकारी देने हेतु प्रत्येक रा. उ. प्रा. विद्यालय माध्यमिक व उ. मा. विद्यालय में छात्र सहकारी बैंक स्थापित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

215. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा गतवर्ष बैंक चले गांव की ओर कार्यक्रम की भांति तीन दिवस में किसान को ऋण दिये जाने हेतु पंचायत समिति स्तर पर ऋण वितरण शिविर आयोजित करने हेतु चर्चा के लिये।

216. राज्यों में एक पंचायत एक सहकारी समिति का गठन कर सहकारिता आन्दोलन के द्वारा शत प्रतिशत नागरिकों को लाभान्वित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

218. नगर पालिका क्षेत्र बस्सी में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने हेतु सहकारिता उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

219. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक को सहकार भवन में स्थान दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

220. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक को नयी जीप क्रय करने पर अनुदान नहीं दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. कंवरिया (दुदू)

221. नारायना में सहकारी उपभोक्ता भण्डार कायम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

222. दुदू में मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

223. टोंक जिले के उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में असफलता पर इस मद में दिये जा रहे सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री माणक मल मेहता (पाली)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

1-पंचायत समितियों के सदस्यों के रिक्त स्थानों की निर्वाचन द्वारा पूर्ति की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

2–पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को ज्यादा अधिकार न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवत राम चौधरी (डूंगरगढ़)

3–पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की अत्यधिक कमी की चर्चा के लिये।

4–विकास अधिकारियों के गलत तरीके से किये गये चयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

5–बाड़मेर जैसलमेर जिलों की पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

6–पंचायत समिति के प्रधानों द्वारा मनमानी एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

7–पंचायत समितियों को सहायता देने में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

8–प्रधानों व विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति की जीपों का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

9–जिला बूंदी के सरपंचों के खिलाफ लाखों के गबन साबित होने पर भी पुलिस कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

10–केशवराय पाटन पंचायत समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11–जिला बूंदी में सरपंचों के विरुद्ध पक्षपात के आधार पर झूठे मुकदमें बताकर गिरफ्तार करने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

12–ग्राम पंचायतों एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों को बजट के अभाव में मेडीकल बिल के वेतन का भुगतान समय पर नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

13–पंचायत समिति नैनवा में प्रसार अधिकारियों के रिक्त पड़े स्थानों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14–पंचायत समिति नैनवा की पचायत बाछीला, सुवाण्या, खानपुरा, करवर,

(श्री सूर्य कुमार)

मागी, आतरदा और तलवास के पुनर्गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

15-ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिये जो प्रोग्राम विभाग द्वारा चलाये जाते है उनका लाभ जनता को नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्य वीर (इग)

16-कोटा जिले की पंचायत समिति सांगोद में जीप नहीं होने स उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17-पंचायतों को सरकार द्वारा कम अनुदान देने पर विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18-सरपचों को जिला मुख्यालयों तक आने जाने के लिये रोडवेज बसों का फ्री पास नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19-झालावाड़ कोटा जिले की अधिकतर ग्राम पचायतों के सरपचों पर गबन, अनियमित कार्यवाही, पद का दुरुपयोग सिद्ध हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

20-ग्राम पंचायत भूपाल सागर जिला चित्तौडगढ़ द्वारा लगाये गये चुंगी को राज सरकार द्वारा स्थगन आदेश पर अब तक निर्णय नहीं किये जाने बावत चर्चा के लिये

21-ग्राम पंचायत कचोटिया पंचाय समिति प्रतापगढ़ में वर्ष 1981-82 शक्कर वितरण में की गई गड़बडियों विषय में चर्चा के लिये।

22-पंचायत समिति प्रतापगढ़ विभिन्न पचायतों द्वारा कृषि भूमि आबादी भूमि में परिवर्तन करने पर आव श्यक कदम नहीं उठाने के सदर्भ में चर के लिये।

23-राज्य सरकार द्वारा पंचायतों अधिकारों में बढ़ोतरी नहीं किये जाने सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24 सिरोही जिले की भण्डार ग्रा पंचायत के सरपच द्वारा नाजायज ढग पचायत की भूमि हड़पने के सम्बन्ध में चर के लिये।

25 विभाग द्वारा पंचायत समि प्रतापगढ़ के सरपंचों को जानबूझकर परेश करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय)

26-सामुदायिक विकास योजनाओं भेदभाव किये जाने से व्याप्त असंतोष चर्चा के लिये।

27-पंचायत समिति सिकराय के स पक्षपात के आधार पर योजनाओं में निध रित धन राशि का लैप्स दिखाकर विक

(श्री रामकिशोर मीणा)

की गति अवरुद्ध होने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

28–गरीब को छप्पर तथा टूटको योजना में व्यापक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन्न चौधरी (लाडनू)

29– पंचायतें द्वारा कराये गये कार्यो का समय पर भुगतान करने व समय पर कार्य पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिये।

30–ग्रामों के विकास में पक्षपात करने तथा समय पर कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

31-पंचायत एवं पंचायत समितियों को और अधिकार देने तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सम्बध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी)

32–बाड़मेर जिले में पं. सं. के अधीन प्रा. पा. में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये पदों की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

33–बाड़मेर जिले की पं. में ग्राम सेवकों के लम्बे अर्से से रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

34–सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पंचायतों के साथ बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

35–सरकार ग्रामीण विकास में सक्षम नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

36 हिण्डौन में पंचायत समिति के विकास कार्यों में घोटाले की जांच करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

37-ग्राम सेवकों को सामुदायिक विकास विभाग की स्थाई सेवा में लेने पर चर्चा के लिये।

38–ग्राम पचायतों को राजस्थान नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में आवासीय भूमि आवंटित कर पट्टे देने के अधिकार दिये जाने पर चर्चा के लिये।

39-जैसलमेर व जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के दूर दराज ग्राम की पंचायत समिति की शालाओं में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

40–जिला बीकानेर, जैसलमेर में ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिव (ग्राम सेवक) की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41–राजस्थान में ग्राम पंचायतों को वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर 2.50 रुपये अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपदा)

42–ग्राम पंचायत इटावा द्वारा आवासीय भूखण्डों के आवंटन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43-इटावा ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व सार्वजनिक निर्माण व आरक्षित स्थानों की जमीन का प्रबंध बेचान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

44–राष्ट्रीय रोजगार योजना, व एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं में व्याप्त अनियमितता, अव्यवस्था व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

45–पंचायत समितियों को सशक्त बनाने के लिये उन्हें और अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46-पंचायतें ग्राम आधारित न होकर जनसंख्या आधारित हो, इस पर चर्चा के लिये।

47-पंचायत समितियो एवं जिला-परिषदों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रभावी कार्यक्रम बनाने एवं एक पंचायत मे एक ग्राम सचिव लगाने हेतु चर्चा के लिये।

48-पंचायतों को अधिक सक्षम बनाने एवं आय के स्रोतों को बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

49–डूंगरपुर जिले में विकास के लिये सहायता की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

50–करेड़ा (भीलवाड़ा) में सरपंच द्वारा हरे वृक्ष की कटाई की कार्यवाही दबाये जाने पर चर्चा के लिये।

51-भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़, गुरलॉं करेड़ा की पंचायतों में सरपंचों द्वारा भू-खण्ड आवंटन में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

52–पंचायत समितियों के अधीन शिक्षा, सहकारिता, कृषि विभाग के कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53–पंचायतों को अपने हिस्से की आय में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

54-पंचायत समिति, डीडवाना में भयंकर अनियमिततायें व भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज महता (सांचौर)

55–पंचायत समिति की जीप के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टीबी)

56-टीबी विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समितियों को दिये जाने वाले सहायतार्थ अनुदान के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

57-पंचायत स. कुशलगढ़ के ग्राम प रामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा कर की वसूली में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

58-पंचायतों द्वारा रेगिस्तानी इलाकों में आवास के लिये जो जमीन एलाट की जाती है वह बहुत ही कम होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

59-प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु 50 छात्र-छात्राओं पर एक अध्यापक लगाने के लिये छात्र संख्या के अनुपात से पंचायत समितियों को अध्यापक के पद उपलब्ध करा कर अनुदान देने पर चर्चा के लिये।

60-जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू क्षेत्र के पंचायत के अधिनस्थ गवाई तालाबें व तलाई की मरम्मत व रखरखाव के लिये विभाग द्वारा पंचायत समितियों को राशि आवंटित किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (रामगढ़-रामगढ़)

61-ग्रामों की नजूल भूमि मे फलदार पेड़ों का वन लगाकर पचायतों की आय बढ़ाये जाने के सबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

62-गांवों में गरीबों को छप्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास विभाग से 750 रु. प्रति मकान दी जानी वाली सहायता राशि नकद न दी जाकर इस कीमत की चद्दरें दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

63-20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह विहीन लोगों को पचायत द्वारा आवासीय भूखण्ड आवटित न करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

64-जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतकृत ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में टी. वी. सेट स्थापित किये जाने के सदर्भ में चर्चा के लिये।

65-ग्रामीण क्षेत्र मे सम्बन्धित विभागों की प्रभावी क्रियान्विति में पचायतों को सम्बन्धित विभागों से वांछित सहयोग दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

66-जिला विकास अभिकरण का कार्य एवं प्रशासनिक नियत्रण जिला परिषदों को दिये जाने एव जिला परिषद को सुदृढ़ बनाये जाने के सदर्भ में चर्चा के लिये।

110

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

67–अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये पंचायत समितियों को आवश्यक धनराशि आवंटित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

68–राज्य में माडा योजना के अन्तर्गत निर्मित आश्रम स्कूल की व्यवस्था शिक्षा विभाग को न देकर सम्बन्धित पंचायत समितियों को दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

69–पंचायत समितियों में परिवार एवं बाल कल्याण योजनायें जो चल रही हैं उनका नियंत्रण सम्बन्धित पंचायत समिति को दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

70–जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में परिवार एवं बाल कल्याण योजना चलाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये

71–पंचायत समिति चाकसू द्वारा हुडको योजनान्तर्गत मकानों के पाटोल डालने वाले ठेकेदार को किये गये अनियमित भुगतान के संदर्भ में चर्चा के लिये।

72–हुडको योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की लागत को दृष्टिगत रखते हुये पंचायत समिति को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री माणक मल मेहता (पाली)

73–विकास विभाग द्वारा घोषित नीतियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

74–पंचायत समितियों को अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (चिड़ावा)

75–ग्राम पंचायतों के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने एवं विकास हेतु सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर-ग्रामीण)

76–प्रत्येक पंचायत में एक कम्युनिटी हाल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़)

77–पंचायतराज शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बन्सी लाल पटवा (भीलवाड़ा)

78–विकास विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध में कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

79–विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में नीति के विपरीत किये गये स्थानान्तरणों पर चर्चा के लिये।

80–विभाग द्वारा सरपंचों के विरुद्ध पक्षपात के आधार पर कार्यवाही कर भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहर थाना)

81-मनोहरथाना समीपवर्ती कालीरवाड़ नदी पर पंचायत द्वारा निर्मित अपूर्ण निर्माण कार्य को पूरा कराया जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

82-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जाँच के दौरान दोषी कर्मचारियों द्वारा रेकार्ड के निरीक्षण के बहाने रिकार्ड प्राप्त कर उसमें हेराफेरी करने पर चर्चा के लिये।

83-सामुदायिक विकास संस्थाओं को एकीकृत एजेन्सी के तहत कार्य में लाने की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

84-पंचायतों के परिसीमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85-पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के अधिकारों की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

86-विकास अधिकारी झोटवाड़ा द्वारा अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का पैसा उनके हैड में जमा न करके अन्यत्र काम में लेने पर चर्चा के लिये।

87-विकास अधिकारी, झोटवाड़ा द्वारा अकाल के नाम पर सीमेन्ट और गेहूं के वितरण के सम्बन्ध में कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

88-विकास अधिकारी, झोटवाड़ा द्वारा अदालत के आदेश के पश्चात् भी बागवान को नौकरी पर न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89-सरपंच मूडिया रामसर त. जयपुर द्वारा पंचायत में सचिव की नियुक्ति करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी)

90-पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री बन्सी लाल पटवा (भीलवाड़ा)

91-सुवाना पंचायत समिति द्वारा सुवाना सरपंच के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

92-झुन्झुनू जिले में पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग में फैल रही अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

93-जिला डूंगरपुर की पंचायत ओछीवाड़ा एवं पंचायत माडा के सरपंच के विरुद्ध चल जाँच को अधिकारियों द्वारा दबाये रखने से उत्पन्न हुई स्थित पर चर्चा के लिये।

Page No. 112

(112)

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

94-पंचायत धोलीवाड़ा द्वारा अवैधानिक तरीके से प्लाट एलाट किये जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

95-टोंक निर्वाचन क्षेत्र में पक्षपात के आधार पर सरपंचों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96-भ्रष्ट सरपंचों की फाइलें उच्च स्तर पर दबा लेने एवं कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्यापाठक (सांगानेर)

97-प्रतिवर्ष हर पंचायत समिति की कम से कम दो योजनाओं का मूल्यांकन किसी निष्पक्ष ऐजेन्सी से कराया जाकर उस रिपोर्ट के अनुसार योजना की क्रियान्विति किये जाने पर चर्चा के लिये।

98-पंचायत समिति, चाकसू के ग्राम जानकी वल्लभ पुरा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99-चाकसू प. समिति के गॉव जानकी वल्लभ पुरा के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ड्यूटी पर शराब पीकर आने और बच्चों को पढ़ाई न करवाने के विषय में चर्चा के लिये।

100-पंचायत चुनावों में चुने गये सरपंचों प्रधानों व प्रमुखों से उनकी चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा मांगने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

101-ग्राम पंचायत स्तरों पर न्याय उप समितियों का पुनः गठन करा कर न्याय सम्बन्धी अधिकार देकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों के मामले में गांवों में ही निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102-ग्राम पंचायत क्षेत्रों में हुए अधूरे विकास कार्य को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103-काम के बदले अनाज योजना में किये गये सभी कामों का मूल्यांकन करा कर भ्रष्ट सरपंचों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104-ग्राम पंचायतों के जिन ग्राम पंचायत सचिवों ने 10-15 वर्ष काम किया उन्हें हटा दिये गये इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105-ग्राम पंचायतों की अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106-पंचायत समितियों के क्षेत्र को विधान सभा के क्षेत्रों के जितना बड़ा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

107-पंचायतों को सरकार द्वारा कम अनुदान देने से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

108–जिला टोंक के सरपचों के खिलाफ लाखों रु के गबन की शिकायत जिलाधीश द्वारा करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

109–पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

110–प्रधानों एवं विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति की जीपों का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

111 सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पंचायतों के साथ भेदभाव बरता जाता है, पर चर्चा के. लिये।

112–टोंक जिले में पचायतों को अनुदान देने में विभाग द्वारा भेदभाव किये जाने पर चर्चा के लिये।

113–टोंक जिले की पचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं को आर्थिक अनुदान देकर छात्र संख्या के आधार पर अध्यापक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

114–पंचायत समितियों को जो विकास योजनायें दी जाती है उनके क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित विभागों से सहयोग न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

115–राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में रिक्त पदों के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित करने एवं चयन करने में शीघ्रता न किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

116–ग्रामीण शौचालयों के निर्माण हेतु पंचायत समिति बस्सी को विशेष सहायता दिये जाने के सदर्भ में चर्चा के लिये।

117–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पृथक अस्तित्व को समाप्त कर जिला परिषद में विलीन कर व्यवस्थित व्यवस्था किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

118–पंचायतों के कार्य संचालन को व्यवस्थित करने हेतु एक पंचायत एक सचिव की व्यवस्था लागू किये जाने व भू राजस्व की वसूली का कार्य पंचायतों को दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119–अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी में पोषाहार कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

120–जिला प्रमुख को दैनिक यात्रा भत्ता जिलाधीश के समकक्ष, प्रधानों को विकास अधिकारी के समकक्ष तथा सरपंच को ग्रुपसचिव के समकक्ष दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

121–"राजस्थान विकास पत्रिका" प्रभावी व उपयोगी सामग्री देकर लोकप्रिय बनायी जावे तथा स्थाई/अस्थाई में पंचायत स्तर के समाचार प्रकाशित किये जावे इस पर चर्चा के लिये।

122–दामोदर का बास अनुसूचित जाति बाहुल्य 300 से अधिक आबादी के

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

ग्राम प्राथमिक विद्यालय व देहलाला में कन्या प्राथमिक शाला नहीं खोलने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

123-पंचायत समिति स्तर पर गठित समिति की एक भी बैठक न बुलाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

124–राज्य में पंचायत समिति के विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों का निरीक्षण नहीं करने से निर्माण कार्य हेतु पंचायतों को दी गई राशि का समय पर उपयोग नहीं करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

125–राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के मामले में विकास अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

126-पंचायत समिति, चाकसू में बाढ़ से प्रभावित पशुधन क्षति से सम्बन्धित लोगों को देय सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि देने व पशुधन क्रय न करवाने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

127-पंचायत परिषद को सक्रिय एव गतिशील बनाने हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

128-पंचायत समिति; चाकसू के प्रधान द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रसारित करने तथा व्यक्तियों को हुडको के अन्तर्गत एक मुश्त ऋण दिये जाने में हुयी अनियमितताओं के संदर्भ में चर्चा के लिये।

129-अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने हेतु पंचायत समितियों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

130-ग्राम पंचायत बिचून पं. स. दूदू द्वारा कब्रिस्तान की भूमि को बेच दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

131-ग्राम पंचायत, कोटखावदा पं. स. चाकसू में हुई अनियमितताओं एवं पंचायत रिकार्ड में हेराफेरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132- 2 लाख तक के सभी निर्माण कार्य पंचायत समितियों को दिये जाने की सरकारी घोषणा के क्रियान्विति के संदर्भ में चर्चा के लिये।

133-बस्सी पंचायत समिति की जीप खराब रहने के कारण किराये की जीप से पंचायत समिति की निजी आय पर पड़े भार के औचित्य पर चर्चा के लिये।

134-ग्राम पंचायत लालपुरा पं स. चाकसू के संरपच द्वारा पंचायत कोष राशि को निजी उपयोग में लेने व हजारों रुपये अपने पास रखने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

135-ग्राम पंचायत बडथल पं स. बस्सी के भूतपूर्व संरपच के विरूद्ध उप जिलाधीश, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

136-ग्राम पंचायत माधोगढ़ पं स. बस्सी के विरुद्ध पंचायत समिति से प्राप्त

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

राशि को गोलड़ में जमा न करने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिये।

137-ग्राम पंचायतों के निजी आय के स्रोत बढ़ाने हेतु चारागाह विकास चारागाह, भूमि में वृक्षारोपण पंचायत मार्केट हेतु दुकानों का निर्माण आदि को प्राथमिकता दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

138-राज्य में पंचायत समिति के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव की स्थित को दूर करने हेतु 50 छात्र एक अध्यापक के अनुपात से अध्यापकों के पद सृजित करने हेतु चर्चा के लिये।

139-प्रत्येक पंचायत को उन्नत नस्ल के सांड़ों के रख रखाव हेतु अनुदान न दिये के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

140-पंचायत समितियों व पंचायतों की आडिट रिपोर्ट पं. समिति का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

141-पंचायत समिति में सामुदायिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 49 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 49 मुख्य शीर्षक स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :-

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1 मनोरंजन कर व सीमा कर का उचित हिस्सा नगर पालिकाओं को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

2. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव बाड़मेर व बायतू को अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

3. नगर परिषद नगर पालिकाओं को मनोरंजन कर व सीमा कर का हिस्सा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा केलिये।

4. पंचायतों के अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

5. ग्राम पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान देने में हो रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

6. पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिये पर्याप्त सहायतार्थ अनुदान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

(श्री भगवानदास डोसी एवं श्री देवदत्त तिवारी)

7. पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड)

8. ग्राम पंचायतों को अधिक अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

9. पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

10. पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान की अधिक राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

11. पंचायत समिति खेराबाद को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर भूमि पर अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगी लाल आर्य (जालोर)

12. नगरपालिका और नगर परिषदों को मनोरंजन कर मे हिस्सा देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

13. ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा अनुदान देने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

14. सरकार पचायतो को पर्याप्त सहायतार्थ अनुदान देने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिन्डौन)

15. राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अनुदान देने में अक्षम रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)

16. मकराना शहर तथा परबतसर शहर की नगर पालिका को मनोरंजन कर व सीमा कर में हिस्सा देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

17. पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सहायतार्थ अनुदान दिये जाने के सबंध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

18. मनोरंजन कर की राशि नगरपालिका एवं नगर परिषद को प्रत्येक वर्ष की आमद के हिसाब से नही देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

19. पचपदरा तहसील मे पंचायतों की आर्थिक हालत को सुदृढ़ बनाने के लिये अनुदान की अधिक राशि दिलाने के विषय पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

20. सरपंच मूंडिया रामसर तहसील जयपुर द्वारा गोचर जमीन को बेच देने से ग्रामीण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

21. सरपंच मुंडिया रामसर तहसील द्वारा 1974 में दिये गये रिहायशी पट्टों की भूमि को अन्यत्र बेचने पर चर्चा के लिये।

श्री माणकचन्द मेहता (पाली)

22. नगर पालिकाओं को मनोरंजन कर व सीमाकर का उचित हिस्सा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी)

23. ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अनुदान की राशि बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

24. पंचायतों में दी जाने वाली अनुदान राशि का लाभ ग्रामीणों को नहीं दिये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

25. नगर पालिकाओं को मनोरंजन कर का हिस्सा देने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

26. जयपुर नगर परिषद को दिये जाने वाली सीमा कर एवं मनोरंजन कर की राशि को बढ़ाये जाये की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. नगरपालिका सांगानेर को सीमा कर व मनोरंजन कर में हिस्सा न देने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)

28. पचायत राज संस्थाओं को कम अनुदान देने पर चर्चा के लिये।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

29. स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिये मनोरंजन कर व सीमा कर की राशि बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

30. स्थानीय निकायों द्वारा सफाई व रोशनी के प्रबन्ध ठीक नहीं किये जाने पर इन्हें दिये जाने वाले मनोरंजन कर एवं सीमा करों के हिस्से के औचित्य पर चर्चा के लिये।

31. राज्य सरकार द्वारा पालिकाओं व परिषदों को दी जाने वाली मनोरंजन कर की राशि बढाये जाने पर चर्चा के लिये।

32. परिषदों व पालिकाओं को मनोरंजन कर वसूल करने के कार्य पुनः देने पर चर्चा के लिये।

33. भीलवाड़ा नगर परिषदों को सीमा कर की राशि न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

34. सांगानेर नगर पालिका के वार्ड नम्बर 10, 11, 12 में सार्वजनिक नल नगर, पालिका द्वारा नहीं लगाये जाने पर उसे दिये जाने वाले मनोरंजन कर के हिस्से के औचित्य पर चर्चा के लिये।

Page No. 118

(118)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

35. पंचायत बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला उदयपुर को दी गई अनुदान की राशि में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

36. पंचायत खाखड तहसील झाडोल जिला उदयपुर के सरपंच द्वारा दी गई अनुदान की राशि में से हजारों रुपयों की हेराफेरी कर दी गई है, इस पर चर्चा के लिये।

पंचायत पारसोला तहसील धरियावद जिला उदयपुर को दी गई अनुदान की राशि में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. पंचायत थोबीखेडी तहसील मावली जिला उदयपुर के सरपंच द्वारा अनुदान की राशि में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. सरपंच दानवाई जिला सिरोही द्वारा अनुदान की राशि में की गई गड़बड़ी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

40. राजस्थान की सभी स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले मनोरंजन करों के हिस्से के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

41. नगर परिषद, उदयपुर में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उसे दिये जाने वाले मनोरंजन कर की हिस्सा राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

42. नगर परिषदों में जनता के हित के कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभ कमाने में चल रहे हैं जिससे इसे देय मनोरंजन कर की हिस्सा राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

43. नगर परिषद उदयपुर में खरीदी गई सिवरेज मशीन घटिया होते हुए भी लाखों का पेमेंट कर परिषद ने मनोरंजन कर के हिस्से राशि का दुरुपयोग किया है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

44. पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान की राशि में वृद्धि की जानी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द अामलिया (चौरासी)

45. नगर पालिका, डूंगरपुर को मनोरंजन कर की हिस्सा राशि कम देने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा)

46. सराड़ा पंचायत समिति को दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

47. स्थानीय निकायों को दी जाने वाली मनोरंजन कर की राशि अपर्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण)

48. नगर पालिकाओं द्वारा कच्ची बस्तियों में सफाई व रोशनी की समुचित व्यवस्था न करने पर उनको दिये जाने वाले मनोरंजन कर की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. जयपुर नगर की चौकड़ियों में मुख्य सड़कों पर गटर के मैन होल टूटे, खुले, ऊँचे व नीचे होने से हो रही प्रतिदिन की दुर्घटनाओं से जयपुर नगर परिषद को देय मनोरंजन कर के हिस्सा राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. जयपुर नगर परिषद द्वारा नगर की गन्दी गलियों की सफाई नहीं करवाने से उत्पन्न कठिनाई पर दिये जाने वाले मनोरंजन कर की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

51. नगर परिषदों व पालिकाओं के मनोरंजन कर में हिस्सा देने के साथ ही राजस्व में चोरी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. जयपुर नगर में मनोरंजन कर की राशि का पुनः पुनंरीक्षण किये जाकर सम्पूर्ण राशि नगर परिषद को दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

53–मनोरंजन कर का उचित हिस्सा नगर पालिकाओं को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54–नगर पालिकाओं को सीमा कर का अधिकांश भाग दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55–ग्राम पंचायतों को जो सहायतार्थ अनुदान दिया जाता है, उसके औचित्य पर चर्चा के लिये।

56–टोंक जिले की ग्राम पचायतों को विकास के लिये सहायतार्थ अनुदान देने में भेद भाव किये जाने पर चर्चा के लिये।

57–पंचायत समितियों को दी गयी सहायतार्थ अनुदान राशि का गलत उपयोग किया गया है, इस पर चर्चा के लिये।

58–पंचायती राज संस्थाओं के पर्याप्त सहायतार्थ अनुदान न देने से अधूरे विकास कार्यों का जनता और सरकार दोनों को लाभ नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

59–ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु भू-राजस्व अंश के बदले दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 36, 41 व 49 पर विचार

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, आज की जो मांगें रखी गई हैं उन मागों का सीधा संबध ग्रामीण क्षेत्र से है। महात्मा गांधी का यह स्वप्न था कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जब तक हम सर्वांगिण विकास नहीं करेंगे तब तक इस देश का पूर्ण विकास नहीं कहलायेगा। इसी को आधार मानते हुए, सभी ने यह सोचा

(श्री महाराम चौधरी)

था कि एक गांव के लिये एक ग्राम पंचायत, एक सहकारी समिति और एक प्राथमिक पाठशाला हो जो विकास करने की एक धूरी कहलाती है। अध्यक्ष महोदय जिस उद्देश्य और जिस नीति को सार्थक बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहा था उसके लिये जिस योग्यता से या जिस लगाव से इन संस्थाओं को पनपाना चाहिये था, उनको उस तरह से पनपाया नहीं गया और जो विकास होना चाहिए था, विकास ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हुआ नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में से सहकारिता, जो सबसे प्रथम है, से जो ग्रामों का आर्थिक विकास और आर्थिक उन्नत करके सही रूप में विकास हो सकता है। सरकार ने सबसे पहले यह वायदा किया था कि हम सभी सहकारिता समितियों का चुनाव करा करके इन संस्थाओं को एक तरह से स्वयं सेवी संस्थायें मानेंगे, चुनाव की प्रक्रिया से इन संस्थाओं का काम सुचारू रूप से चलेगा लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पूर्ण रूप से चुनाव नहीं कराये गये और बाकी भी बहुत सी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भी बिना चुनाव के ही रख दिये। अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियो का कराने के बाद में उनसे जो ऊपर की मार्केटिंग सोसायटीज और क्रय विक्रय समितियां और भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं इनके लिये उन्होंने बार बार घोषणा करने के बाद, एलान करने के बाद भी इस कार्य को इस पद्धति को नहीं अपनाया। यों समझिये इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऊपर एक तरह का सरकारी अंकुश सा लगा हुआ है। यह अंकुश लगा रहने की वजह से इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद लाने के लिये जो होना चाहिये था वह नहीं हुआ। आज भी यह सहकारी समितियां एक तरफ से डिफंक्ट पड़ी हैं, यानि मृत जैसी पड़ी है और इसमें कोई सुचारु रूप से कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो एक यूरोपियन आर्थिक सहायता से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर गोदाम निर्माण का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, हालांकि यह अन्य देशों की आर्थिक सहायता से है लेकिन आर्थिक सहायता से यह मतलब नहीं है कि इस आर्थिक सहायता से जहां फायदा पहुंचना चाहिये वहां जो गोदाम निर्माण का कार्य है वह कार्य घटिया हो। कार्य घटिया नहीं होना चाहिये, ठीक ढंग से होना चाहिये किन्तु यह नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जगह जगह पर भ्रष्टाचार सबंधी बातें या भ्रष्टाचार के काम जो आप सुन रहे हैं। मैं इस विधान सभा के सामने प्रथम बार यह कह रहा हूं कि यदि यह सही रूप से ग्रामीण गोदामों का निर्माण हो रहा है, अगर उसको देखा जाये तो 70 हजार रुपये की मध्यम गोदाम योजना है, या बड़ी गोदाम योजना एक लाख रुपये की है, इसकी थोड़े दिन बाद जांच की जाये कि उसके अन्दर कैसा मैटीरियल लगाया जा रहा है और उसमें कितना घपला है तो एक गोदाम पर 50, 50 हजार और 40, 40 हजार रुपये का एक तरह से गबन जैसा मामला है। इस तरह से.........

श्री अध्यक्ष : यह गोदाम के निर्माण के लिये कितनी धन राशि स्वीकृत की जाती है ?

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो लघु गोदाम हैं उन पर 70 हजार से 75 हजार रुपये की राशि स्वीकृति दी जाती है और जो बड़ी साइज के गोदाम बना रहे हैं, मेरे अन्दाजे से १।। लाख के आस पास उसका निर्माण कार्य है। इन्होंने अभी तक जो गोदाम बनाये हैं, वह गोदाम इन्होंने करीब 1929 आज तक बनाये हैं। उन गोदामों में उन्होंने यह बताया है, 1 लाख 49 हजार मैट्रिक टन अनाज हम रख सकते हैं और 693 गोदाम बनाने का निर्माण कार्य अभी चालू है। 272 गोदाम, यह कह रहे हैं, तुरन्त ही हम चालू करने वाले हैं। यदि इन सब गोदामों की संख्या का जोड़ करें और जो घटिया काम हुआ है उसका यदि 25 हजार भी एवरेज करें, तो मैं समझता हूं करोड़ों रुपयों का एक तरह से घपला है। अध्यक्ष महोदय, यह गोदाम निर्माण कार्य कहां से किस लिये लाये हैं आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जितने गोदाम सहकारी गोदाम सहकारी समितियों के बने हुए हैं, उनमें कितने गोदाम सहकारी समितियों को हैण्ड ओवर कर दिये हैं ? हैण्ड ओवर कर दिये हैं, तो कैसी हालत के अन्दर कर दिये हैं ? गांव वालों को इस मामले में कुछ मालूम ही नहीं है। दस्तखत कराके दिये हैं। लेकिन गोदामों की हालत यह है कि नीचे गिरने के लायक हैं। इसके साथ साथ आपके पास ऐसे कितने गोदाम हैं जिनके अन्दर जो आपने 1 लाख 45 हजार मैट्रिक टन अनाज भरने के लिये कहा है, उतना आपने अनाज भरा है ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी गोदाम ऐसा नहीं है जिसके अन्दर एक किलो भी अनाज गांव वालों ने या किसानों ने उसमें स्टोरेज किया हो। यानि जिस उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कतई नहीं हो रही है और एक तरह से यह आर्थिक सहयोग जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय का सहयोग है उसका उपयोग अधिकारियों के लिये, इंजीनियर्स के लिये हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह सहकारी समितियों के मार्फत.......

एक माननीय सदस्य : मंत्री नहीं हैं। एक भी मंत्री नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : अब इन मंत्री जी से उम्मीद ही क्या है। आप विराजो।

श्री छोगाराम बाकोलिया (राज्य-मंत्री, समाज कल्याण) : मैं नोट कर रहा हूं, आप निश्चित होकर बोलिये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इन गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में.......

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप तो निश्चित रूप से बोलिये, आप क्यों परेशान हो रहे हो।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके मार्फत यह मांग करता हूं कि जिन गोदामों का निर्माण कार्य चलता है, उसका आप किसी अन्य एजेन्सी से चाहे मेटीरियल कन्ट्रोल टैस्ट लेने वाली एजेन्सी है और चाहे कोई दूसरी एजेन्सी

(श्री महाराम चौधरी)

तुरन्त निरीक्षण करा कर उसमें जो अनिनय मिलताएं हैं और उनको हटा करके जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने बड़ा भारी घपला किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष महोदय. इससे बड़ा घपला यह है कि इसका कोई मालिक ही नहीं है। ग्राम वालों को यह पूछते नहीं है बगैर पूछे ही यह काम शुरू करा दिया। को-आपरेटिव बैंक वाले अलग इसमे कमीशन लेते हैं, सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक वाले जो ठेकेदार होता है उस ठेकेदार मे किश्त चुकाने के लिये लेते हैं और इन्जीनियर अपनी फीस लेते है। निर्माण कार्यों में तो चाहे पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत का घपला होता होगा लेकिन इन गोदाम निर्माण में 25 पर्सेन्ट मे एक नया पैसा भर भी घपला कम नहीं हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय।

अध्यक्ष महोदय सहकारी समितियों के मार्फत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले के अन्दर इन्होंने करीब 175 परियोजनाएं आरम्भ की हैं उन 175 में 17 ऐसी जिन्स हैं जिनको चयनित करके उनका ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करायेंगे। इन चीजों को कभी बाजार से खरीदते हैं या दूसरी एजेन्सी से खरीदते हैं। जो कपड़ा जो सस्ता मिल का आता है, वह या ऐसी चीजों को सलेक्ट किया है जो बाजार के अन्दर जो मिलती हैं। चाहे साबुन को देख लीजिये, या कोई दूसरी चीज को देख लीजिये कपड़ा देख लीजिये यह सब घटिया चीजें जो बाजार में या शहर से नहीं खरीदते हैं या जो डेड स्टाक है, पुराना स्टाक है या वहां पर खर्च न होने वाला स्टाक ऐसी चीजें इस वितरण व्यवस्था के अन्दर भेजते हैं। इससे गांव वालों को कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो सहकारी समितियां ऋण वितरण का काम करती है उनमें यह घाटा और मिल जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिये आप कर्मचारियों पर पाबंदी लगाइये। ऐसी चीजें जो गांवों में नहीं चाहियें, उन चीजों पर रोक लगाइये। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अर्पेक्स बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मार्फत जो ऋण वितरण करने की शुरू में योजना सहकारी आंदोलन में चला करके उनकी तरफ गांव वालों की एक तरफ से रुचि बढ़ाई थी, वह रुचि आजकल दिनों-दिन गिरती जा रही है। सभी जगह आपने यह प्रगति विवरण मे भी लिखा है कि सहकारी अधिकारी मार्ग दर्शन करके उनकी उचित व्यवस्था करेंगे, इन्होंने मार्गदर्शन उचित तरफ तो किया नहीं और मार्गदर्शन गबन कराने की ओर कर दिया। बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां है जिनमें एक-दो आदमियों को गांवों के साथ मिलाकर के फर्जी लोन की एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन बनाकर अध्यक्ष से पास कराकर फर्जी लोन एप्लीकेशन बैंक से पास करा लिया और पास कराकर जिन लोगों ने लोन लिया ही नहीं उन लोगों से अंगूठे करवा लेते तो उनको मालूम रहता लेकिन किसी ने पैर का अंगूठा लगा लिया तो किसी ने दाहिने हाथ का जो अंगूठा लगाना चाहिये उसके बजाय जीवने

(श्री महाराम चौधरी)

हाथ का लगा लिया। इस तरह की लोन एप्लीकेशन बना करके सैकड़ों रुपया.......

श्री अध्यक्ष : आपको काफी गहन जानकारी है, इसकी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रात दिन गांवों के अन्दर फिरते हैं। 8-10 साल पहले के आदमी मिलते हैं। वह कहते हैं कि हमने तो यह लोन लिया ही नहीं, मेरे दादाजी ने नहीं लिया, पिताजी ने नहीं लिया इस तरह से वह कहते हैं। और उनके पास जब नोटिस जाता है तो उनको भयंकर परेशानी महसूस करनी पड़ती है उसको कोई देखने वाला नहीं कोई सहकारी समितियों का इन्सपेक्शन करने वाला नहीं, कोई सहकारी समितियों में जाते हैं टी. ए., डी. ए. उठा लेते हैं, विजिट की कार्यवाही रजिस्टर में लिखने का नाम लेते नहीं और अध्यक्ष महोदय, आडिट का तो ऐसा हाल है कि इनके अधिकारी स्थानीय जगहों पर बैठे-बैठे ही सहकारी समिति का रजिस्टर मंगा लेते हैं और वहां आडिट रिपोर्ट लिख देते हैं। यदि भयंकर अनियमिततायें पायी जाती हैं, तो उन भयंकर अनियमितताओं की तरफ भी ध्यान नहीं देते। गंभीर आक्षेप जैसी चीजें भी उनकी खुली की खुली पड़ी रहती हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि आप अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से यह जानकारी करें कि जो आडिट सिस्टम है उसमें इन्होंने एक महीने में कितनी आडिट रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज किया और स्क्रूटिनाइज करके कितनों की पालना करवाने की कार्यवाही की।

इसी तरह से जो स्थानीय अधिकारी हैं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पूरे क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियों का विजिट किया? विजिट किया तो उन्होंने विजिट करते समय उस सहकारी समिति में किस तरह की अनुपालन या पालन जो करनी चाहिये थी वह पालना कराई। इसी तरह से इन्सट्रक्शन्स हैं यानि सहकारी समितियों में दौरा करने के बावजूद भी यह देखते हैं कि इस में कोई घपला है, यदि हमने रजिस्टर में कहीं दस्तख्त कर दिये, तो ख्वाहमख्वाह फंस जायेंगे यानि अपने ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आपने 1982-83 में सहकारिता में 84 प्रतिशत परिवारों को सम्मिलित करने का अभियान बताया है और 1983-84 में उन्होंने 90 प्रतिशत परिवारों को सम्मिलित करने का बताया है और शायद 1984-85 में 100 प्रतिशत कर देंगे, तो फिर 1985-86 में क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो 90 प्रतिशत और 84 प्रतिशत आंकड़े बताये जा रहे हैं, ये आंकड़े तो जब चुनाव की तारीखें तय होती हैं तो चुनाव की तारीखें तय होने पर लोग यह देखते हैं कि प्रबन्ध कारिणी में किस तरह से हम जीत सकें, किस तरह से नहीं जीत सकें। एक-एक घर में 10-10 हैं मतलब जो बच्चा 15- 6 साल का है उसको भी धोती पहना कर, साफा बांध कर मेम्बर बना दिया, औरतों को भी बना दिया। इस तरह से सहकारी समितियों के अन्दर.......

एक माननीय सदस्य : यह आपके समय में बने जब आप को-आपरेटिव में थे।

श्री महाराम चौधरी : यह नागौर में भी है। मैं तो बहुत पहले था उस समय चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव की प्रक्रिया में डाल करके सहकारी समितियों का सत्यानाश कर दिया। आज से बहुत वर्षों पहले अन-रिटिन कान्स्टीट्यूशन के तहत बावड़ी भी चलती थी, बड़े-बड़े र वे होते थे, शामिल भी बंधे थे। पानी पीने के जो कुए थे.....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर में ही समाप्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदस्यता का मामला है इसमें आप देखें, ऐसा नहीं हो जाय कि 100 प्रतिशत के बजाय करते करते 200 प्रतिशत चले जायें और वास्तव में कुछ काम हो नहीं। जितनी भी अपर्नी डिफेक्ट सोसाइटियां पड़ी हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान दीजिये। विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिन्होंने कर्जा लिया नहीं और कर्जा बगैर लिये भी उनसे वसूली की कार्यवाही चल रही है। इस वसूली की कार्यवाही में आप के अधिकारी उनसे मिले हुए रहते हैं इसलिये इसमें बहुत सा ऐसा है। जिसे आप सावचेती से जिसे देखिये मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी विशेष जानकारी नहीं है और इसमें आपका लगाव भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे विभाग हैं जो बिलकुल ग्रामीणों से सम्बन्धित हैं। इनकी दिनों दिन अवहेलना हो रही है क्योंकि इसके अन्दर आकर्षण नहीं है। अभी आपका सैल्स टैक्स हो, आबकारी हो या ज्यादा मिलने जैसे हों उनमें तो मंत्रीजी लगाये जाते हैं और अधिकारी भी अच्छे लगाये जाते हैं लेकिन इसमें मंत्री भी ऐसे ही लगाये जाते हैं और अधिकारी भी ऐसे ही लगाये जाते हैं जिनको दूसरे विभागों में कहीं स्थान न मिले। उन अधिकारियों को सजा देने के लिये लगा देते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : ये दोनों ही विभाग मेरे पास हैं।

श्री महाराम चौधरी : हां, पशुपालन और यह तो ऐसे ही विभाग हैं इसलिये आपकी अवहेलना की है। इसका यह मतलब नहीं है कि मिनिस्टर बना देने के बाद भी इसकी कोई तरक्की हो जायेगी। इस विभाग की तरक्की तो ऐसे ही होगी। जिन अधिकारियों और मंत्रियों को इसके प्रति लगाव है और काश्तकारों के प्रति और ग्रामीण क्षेत्र के प्रति लगाव है, ऐसे लोगों को लगाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट को आपरेटिव हाऊसिंग फाइनेन्सिंग सोसायटी इन्होंने काफी अर्से से बना रखी है मैं तो इस फाइनेंसिंग सोसायटी के मामले में जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर कब तो बनायी, कब सदस्यों

(श्री महाराम चौधरी)

से इन्होंने शेयर मनी इकट्ठी किया ? बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि हमारी मनी कहां है, उसका भी पता नहीं है। जहां कहीं भी इन्होंने अनुसूचित जाति और गरीब लोगों के मकान बनवाने की बात कही है, इन लोगों ने जो भी मकान बनाये हैं एक भी मकान सम्पूर्ण बना हुआ नहीं है। यदि इन्सटान्स के लिए देखना चाहें तो जब हम कुचेरा से आना चाहते हैं तो मूंडवा जाते है, मूंडवा के पास में 1975 के अन्दर नींव रखी थी वह आज भी ढूंढ की तरह पड़ा है। इसी तरह से मेरे गांव के पास में भाकडोल के अन्दर उन्होंने फाइनेन्सिंग सोसायटी की तरफ से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था की थी और दिवारें खड़ी कर दीं और उसके ऊपर पट्टी आज तक नहीं पड़ी। अगर उसके आगे और हम जाते हैं तो खींवसर के एक टीबे पर इन गरीबों को मकान बनाने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करायी लेकिन वहां भी मकान कम्पलीट नहीं हुए, अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्राथमिक पाठशालाओं और पंचायतों के मामले में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर कम से कम जहां कहीं भी 250 और 300 की आबादी हो जाये और 20-25 लड़के जहां कहीं भी हो जाये, वहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने का एक तरह से सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन सालों साल हम देखते हैं कि उनकी नीति अलग बना देते हैं। इस साल इन्होंने गांवों के अन्दर प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए कह दिया कि जिस गांव की आबादी 350 से ऊपर है उस प्रत्येक गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां रेगिस्तानी क्षेत्र में गांवों का रेवेन्यू रकबा बहुत छोटा है। पूरा क्षेत्र गांवों के अन्दर बस हुआ है। उसमें एक प्राइमरी स्कूल तो हो गया अब दूसरा प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए चाहते हैं कि 250 की आबादी वाला गांव है। जो पूर्वी राजस्थान के गांव हैं, भीलवाड़ा के आसपास के गांव हैं जो किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के आसपास गांव हैं, वहां तो नजदीक-नजदीक गांव होने से 250 की पोपुलेशन का एक गांव भी है। छोटे छोटे गांव हैं वहां तो प्राइमरी स्कूल 15-15, 20-20 खोले गये और जहां बड़े-बड़े गांव हैं जहां पर 4-4, 5-5 हजार की जो आबादी रहती है उसके अन्दर प्राइमरी स्कूल अव्वल में कहीं एक है, कहीं दो हैं. उन्हें ठीक करने के लिए जब स्कूलों की मांग करने के लिए हम गये तो यह तो अच्छा हो, भला हो जो शीशराम जी जैसों के पास में यह विभाग था उन्होंने तो कहा ही था कि तारीफ करना, अध्यक्ष महोदय, इसलिए.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने गलती की, मैंने आपको नहीं कहा।

श्री महाराम चौधरी : तो, अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी थी तो आपने चलते चलते आखिर में जाकर फरवरी के आस पास वहां पर

(श्री महाराम चौधरी)

5-5, 7-7 प्राइमरी स्कूल दिये। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले साल के अन्दर पश्चिमी राजस्थान के जो रेवेन्यू के पूरे रकबे में फैले हुए हैं पहले वहां स्कूलों की पूर्ति करें और उसके बाद में पूर्वी राजस्थान के गांवों के प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था करें।

धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री रामसिंह विश्नोई : रुटीन ही है।

श्री हेमाराम चौधरी : (गुड़ा मालानी) अध्यक्ष महोदय; बोलने का....

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत बढ़िया है।

श्री हेमाराम चौधरी : सबसे पहले मैं.......

श्री अध्यक्ष : समय सीमा 15 मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी : पंचायत राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को जो अनुदान ढाई रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है, आज के समय को देखते हुए और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, गांवों में विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए ढाई रुपये से बढ़ाकर के 5 रुपये किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और गांवों के विकास के जो माध्यम है वह पचायती राज संस्था है। पंचायती राज संस्था को जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जायेगा तब तक उनको विकास के काम करने के जो अधिकार दिये गये है उनके द्वारा ग्रामीण जनता को वास्तविक लाभ, सही मायने में जो लाभ हम पहुंचाना चाहते है वह नहीं मिल पायेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि वह इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करे और ढाई रुपये से राशि अवश्य बढ़ाये।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, से हमारे बाड़मेर जिले की पंचायत समितियां जो हैं उनमें ग्राम सेवकों के 80 प्रतिशत पद खाली पड़े है। तो, अध्यक्ष महोदय, 2-3 पचायतों के बीच में स्वीकृत पद ग्राम सेवकों हैं वह भी पद 80 प्रतिशत यदि खाली पड़े हों, तो स्टाफ के अभाव में उन पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान के द्वारा जो कुछ विकास के काम कराये जाने वाले हैं इनके सम्पादन में पंचायतों को और पचायत समितियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पद स्वीकृत हैं, पिछले 3-4 साल से खाली पड़े हुए है, तो सरकार कोई न कोई इसकी व्यवस्था करे। जहां ग्राम सेवक के पद हैं, गांवों में जो हिसाब किताब रखने और कार्यवाही लिखने के लिए अब तक प्रत्येक पंचायत या कम से कम दो पचायतों के बीच में एक ग्रामसेवक नही होगा तब तक वह ग्रामसेवक उन पचायतों का काम सुचारू रूप से नही कर पायेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो यह खाली पद

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं इनके लिये यहां पहले यह बताया गया था कि कृषि विभाग में कुछ स्टाफ सरप्लस हो रहा है उसको ग्रामसेवकों के पदों पर लगायेंगे। लेकिन उस बात को भी करीब डेढ़ साल हो गया है, बार-बार निवेदन करने के बाद भी अभी तक ग्रामसेवकों के पद वैसे के वैसे खाली पड़े हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग में जो सरप्लस स्टाफ है वह न तो अभी ग्रामसेवकों के पदों पर आने वाला है और न ही यदि किसी को यहां से नियुक्त करके भेजेंगे तो वह वहां जाने वाले हैं। एक बार नौकरी के लिए वहां आ भी जायेंगे और जोइन भी कर लेंगे तो इसके बाद में फिर वह वापस यहां पहुंचने की बराबर कोशिश में लगे रहेंगे। वह कभी वहां रहने वाले नहीं हैं, न कभी वहां पंचायत का काम करने वाले हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के अन्दर जो ग्रामसेवकों के खाली पद हैं, पचायत समितियों को यह अधिकार है कि वह बाड़मेर के स्थानीय लोगों को अस्थायी तौर पर लगा सकते हैं। अस्थायी तौर पर पंचायत समितियों को ग्रामसेवकों को लगाने के लिए सरकार इजाजत दे तो जो ग्रामसेवकों के खाली पद हैं उनको अस्थायी तौर पर भर कर पंचायत का काम है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नहीं तो चार साल से बराबर यह पद खाली पड़े हैं और फिर इसी तरह से यह पद खाली चलते रहे तो पंचायती राज का जो काम जिस गति से चलना चाहिए, विकास के काम जिस गति से होने चाहिए वह नहीं हो पायेंगे। फिर पंचायत समिति को बदनाम किया जाता है कि काम ठीक ढंग से किया नहीं जा रहा है, हिसाब ठीक रखा नहीं जाता है, हिसाब समय पर पेश नहीं किया जाता है, रिकार्ड ठीक मेनटेन नहीं किया जाता है यह वाउचर टाईम पर, समय पर हिसाब पेश नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह सब जो कुछ दिक्कतें हैं वह इन ग्रामसेवकों की वजह से पंचायतों के सामने आ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें और कम से कम इसकी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था तो करें। आज यदि आप स्थायी तौर पर लगा देते हैं तो अच्छी बात है लेकिन यदि आप स्थायी तौर पर नहीं लगाते हैं तो वहां अस्थायी तौर पर पंचायत समितियों को ग्रामसेवकों को लगाने का अधिकार दिया जाय। पहले पंचायत समितियों को ग्रामसेवक स्थायी लगाने का अधिकार दिया भी था, कई जगह ग्रामसेवक अस्थायी तौर पर लगायें भी थे लेकिन बाद में उन ग्रामसेवकों को हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह से कई ग्रामसेवक आये नहीं। यदि स्थायी ग्रामसेवक आ जाते तब तो अस्थायी ग्रामसेवकों को हटाना मैं समझता हूं, उचित था लेकिन बिना किसी दूसरे ग्रामसेवक आये ही उनको हटाना, मैं समझता हूं, उचित कदम नहीं था इसलिए इसके ऊपर पुनःविचार करें। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कुछ पंचायत समितियों ने ग्रामसेवक लगा दिये और कुछ पंचायत समितियां लगा ही रही थीं कि इस बीच में आदेश चला गया कि अब जिन्होंने लगा दिये हैं, वह लगा दिये हैं बाकी नहीं लगायें और लगे हुओं को भी 6 महीने के बाद हटा दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

दूसरा, हमारे बाड़मेर जिले में जो पंचायत समितियां हैं, उसमें शिक्षा प्रसार अधिकारी और कृषि प्रसार अधिकारी और दूसरे कई अधिकारी हैं, पंचायत समितियों के स्वीकृत पद हैं वह सब. अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां करीब करीब सब पद खाली हैं एक दो को छोड़ कर। इस तरह से सब पद स्वीकृत हैं वे खाली पड़े रहें। जैसे प्रत्येक पचायत समिति मे बाड़मेर जिले में मेरी जानकारी है कि दो शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद हैं और एक भी शिक्षा प्रसार अधिकारी नहीं है और प्राइमरी स्कूल हैं, पंचायत समितियों के अधीन हैं तो फिर उनकी देख भाल कौन करेगा ? कौन स्कूलों का इन्पेक्शन करने जाये, कौन उन टीचर्स को देखे और जब यह नहीं होगा तो यह स्कूल ठीक ढंग से नहीं चल पायेगा। और जब ठीक ढंग से नही चलते हैं, तो फिर बाद में दूसरे लोगों इस तरह की उनके ऊपर छीटा कशी करते हैं कि पचायत समितियों के स्कूल ठीक ढंग से चल नहीं पाते। तो इसके लिए दोष किसका है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा यह सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर ध्यान दें।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्राथमिक पाठशालाओं के बारे में निवेदन है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बाड़मेर जिला, एक जो रेगिस्तानी जिला है, सीमावर्ती जिला है और वहां पर अपने राजस्थान के अन्दर जो 27 जिले है इन सब में बाड़मेर जिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यह बात 1981 की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट है। तो, इस तरह से जब वह सबसे पिछड़ा हुआ जिला है तो इस जिले में प्राथमिक पाठशालायें खोलते समय सबसे ज्यादा वहां पर खोले जाने की जरूरत है। जैसा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ढाई सौ की आबादी और जहां पर तीस विद्यार्थी हों वहां पर कम से कम एक स्कूल खोली जावे। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि जहां पर तीन सौ क्या, आप चार सौ ही रख दें लेकिन जहां पर चार सौ की आबादी हो, वहां तो कम से कम आप एक प्राथमिक पाठशाला खोल दें और जहां तीस नहीं पचास विद्यार्थी आने के लिए तैयार हों वहां ही खोल दें तो भी मैं समझता हूं कि हमारे लिए यह जो प्राथमिक पाठशालाओं की कमी है वह काफी हद तक दूर हो जायेगी। हालांकि इस बार प्राथमिक पाठशालायें खोलते समय हमारे बाड़मेर जिले का विशेष ध्यान रखा गया है इसलिए मैं माननीय मत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस साल जितना ध्यान हमारे जिले का रखा गया, पहली बार यह ध्यान हमारे जिले की तरफ प्राथमिक पाठशालाओं को खोलते समय रखा गया, उसके पहले हमारे जिले की तरफ प्राथमिक पाठशालायें खोलते समय कोई ध्यान नहीं रखा गया और उसी का परिणाम है कि हमारा जिला शिक्षा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा रहा। प्राथमिक पाठशालाओं की हमारे वहां पर सबसे ज्यादा कमी है और हमारे वहां आज से पहले जो कमी प्राथमिक पाठशालाओं की रही है उनकी पूर्ति करने के लिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष 1984-85 में भी, जिस तरह से 1983-84 में आपने प्राथमिक पाठशालायें खोलते समय हमारे वहां का ध्यान रखा, उसी तरह से इस वर्ष भी ध्यान रखेंगे, तभी जाकर हमारी

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्राथमिक पाठशालाओं की समस्या हल हो जाएगी, नहीं तो बराबर का हिसाब आपने भाग देकर के दो सौ के अन्दर स्कूल बांटने की, स्कूल खोलने की नीति अपनाई तो, अध्यक्ष महोदय, हमारा तो स्टेटस् जो अभी है शिक्षा की दृष्टि से वह वैसा का वैसा रहेगा और हम साक्षरता में ऊपर नहीं उठ पायेंगे और अभी पिछड़े हुए है तो पिछड़े हुए ही रहेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें। जिस तरह से इस साल ध्यान दिया गया है उसी तरह अगले साल ध्यान दें। इस साल वास्तव में ध्यान दिया गया है उसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है, उनके साथ में कम से कम एक ग्राम सेवा सहकारी समिति अगर हो तो वह ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो सहकारिता के सदस्य हैं, उनको लाभ पहुंचा सकती है। यदि दो पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है और वह ग्राम सेवा सहकारी समिति जिस पंचायत मुख्यावास की होगी तो दूसरी पंचायत जो है उस पंचायत के रहने वाले जो सहकारी बन्धु हैं उनको उस सहकारी समिति का लाभ कभी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का मामला बहुत सी सहकारी समितियों में है। बाड़मेर जिले में जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति गरल है और पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति हाथीकला थी और उस हाथीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति को गरल के अन्दर मर्ज कर दिया। इसके अन्दर मर्ज करने से अभी हाथीकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति के रिकार्ड का भी अता पता नहीं। उसको एक आफिशियल तौर पर आदेश निकाल कर उसमें मर्ज कर दिया। अब न तो वह गरल ग्राम सेवा सहकारी समिति के मेम्बर हैं न उनको किसी प्रकार से कोई कर्ज ही मिलता है। इसलिए हाथीकलां पंचायत है उसका आज की तारीख में गरल ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक भी सदस्य नहीं है और इस तरह से सहकारी समिति से जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिल रहा है। तो वहां पर इसके बारे में रिपोर्ट भी मंगाई इसको अलग करवाने के लिए वहां से रिपोर्ट आई कि हाथीकलां ग्राम पंचायत के गरल ग्राम सेवा सहकारी समिति में सदस्य ही नहीं है इसलिए अलग करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यही तो समस्या है। इसलिए हम भी निवेदन करना चाहते हैं कि दो पंचायतों को शामिल बनायेंगे और ग्राम सेवा सहकारी समिति जिस पंचायत हैड क्वाटर पर है उस पंचायत के लोगों को उसमें सम्मिलित हो जायेंगे। वह तो अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति समझते हैं, उसका गोदाम भी वहां पर होता है लेकिन दूसरी जिसको आप उसमें मिलते हैं, उस पंचायत के लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं और उसमें उस क्षेत्र के लोगों को, किसानों को इसका कोई लाभ कतई मिलता नहीं है। इसलिए कोई लम्बा चौड़ा यह मामला नहीं है। बहुत कम ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें दो पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कम से कम हर पंचायत के बीच में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए सरकार निर्णय लेकर के इसका फैसला

(श्री हेमाराम चौधरी)

करें तो हमारे सहकारी बन्धुओं को जो सही लाभ है वह मिल सकेगा और हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो वास्तव में सहकारी बन्धुओं को लाभ मिलेगा। नहीं मानते हैं तो जिस तरह से मामला चल रहा है वैसे ही आगे चलता रहेगा। उनको लोन नहीं मिलेगा तो वापस कर्जा चुकाने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से कर्जे में वसूली होती है, हाथी कला वाले इस साल यही सोच रहे हैं कि नहीं है तो ठीक ही है। लेकिन या तो आप इनको रखो ही मत. इन सहकारिता की सोसाइटियां वगैरह को बन्द कर दें तो अपने आप बात नहीं करेंगे लेकिन अगर आप करते हो, तो यह आपको लागू करना पड़ेगा।

दूसरा, अध्यक्ष, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो सी. सी. बी., सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक है, इस बैंक का दूसरा मैं समझता हूं कि भूमि विकास बैंक होगा। केवल इन बैंकों को कुर्की का अधिकार दिया हुआ है कि वह कर्जे के पेटे में जो उनकी कोई फसल है खड़ी, मवेशी है या डीजल पम्पिंग सैट के लिए लोन दिया था, वह डीजल पम्पिंग सैट कुएं पर खड़ा है और फसल को पिला रहा है उस बीच में उसका कर्जा बाकी है तो उसके बीच में जा करके उसको कुर्क कर देते है जिससे कि फसल भले ही सूखती रहे लेकिन वह उस इंजिन को कुर्क कर लेते हैं। इसी तरह से जो मवेशी हैं उसको कुर्क कर लेते है। ऐसा, अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यावसायिक बैंक है उन बैंकों में किसी भी बैंक का कर्जा वसूली के लिए सीधा उसकी मवेशी या पम्पिंग सैट को कुर्क करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल इन बैंकों को यह अधिकार दिया गया है। जब बाकी बैंकों के बराबर यह बैंक आप समझते है तो इस बैंक को ऐसा अधिकार क्यों दिया गया है? दूसरे बैंकों में आप किसी में पैसा मांगते हैं तो आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। आप सूट फाईल करके डिग्री हासिल करने के बाद ही उस डिग्री का आप एक्जीक्यूशन करा सकते है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, सी सी. पी. में इसका प्रोविजन है। तो फिर यह इसके लिए आपने अलग कैसे कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि किसानों का बैंक है, काश्तकारों का बैंक है और दूसरी तरफ अपना स्पेशल अलग से अधिकार लेकर बैठे है कि आप जब चाहें जा करके इसकी मवेशी या उसका पम्पिंग सैट वगैरा कुर्क कर लेते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह कुर्की का अधिकार बैंकों के पास नहीं होना चाहिए जबकि दूसरे जितने सारे बैंक हैं वह भी कर्जा दे रहे हैं, जगह जगह, यह बैंक भी दे रहा है दूसरे बैंक भी दे रहे हैं। तो इनमें भिन्नता क्या है? इसलिए इसके ऊपर मन्त्री महोदय, मैं समझता हूं कि विचार करेंगे तो काश्तकारों को जो वसूली करते समय नाजायज तरीके से परेशान किया जाता है वह परेशानी से दूर होंगे। हमेशा एक तरह से उनको परेशान किया जाता है तभी यह सहकारिता का जो वास्तविक लाभ है वह हमारे किसानों को, सहकारी बन्धुओं को मिल पाएगा नहीं तो इसका जो सहकारिता के अन्दर काम करने वाले जो इन्स्पेक्टर हैं, अधिशासी अधिकारी हैं वह इसका नजायज लाभ उठाते हैं। उनको खुश रखना पड़ता है। खुश नहीं रखते हैं तो कभी नाराज हो जाते हैं थोड़ी सी बात के लिए तो जिस समय यह वसूली का मौका आता है उस

(श्री हेमाराम चौधरी)

समय वह सारी कसर निकाल लेते हैं। इसके लिए इसके ऊपर में समझता हूं कि आप गम्भीरता से विचार करेंगे। बाकी तो जो सहकारिता के बारे में और भी माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप ने समय पहले ही निश्चित कर दिया है। लेकिन मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर आप मुख्य रूप से विचार करें और एक बार पुनः निवेदन है कि स्कूल खोलने में इस साल बाड़मेर जिले पर ध्यान दिया है, इसके लिए मैं हमारे मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आज की मांगों के सम्बन्ध में मैं अपने विचार सहकारिता से सम्बन्धित मांगों के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। श्रीमन्, जैसा कि यह प्रगति विवरण हमको दिया गया है उसके अनुसार सहकारिता का क्षेत्र नित्य प्रति बढ़ता चला जा रहा है। आपने यह भी निश्चय किया है कि गत वर्ष सहकारिता के माध्यम से जो 80 प्रतिशत किसानों का कवरेज था उसको इस वर्ष 90 प्रतिशत तक आप लेकर जायेंगे। इस बात के लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से किसानों का ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपने क्षेत्र को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्। जब आपने 80 से 90 प्रतिशत किसानों के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की बात तय की है, हमारे भरतपुर जिले में जो सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक हैं, वह, श्रीमन्, एक डिफाल्टर बैंक है। उसे कोई सुविधा प्राप्त नहीं है कि रिजर्व बैंक से, नेबार्ड से ऋण फाइनेन्स करा सके। इसके कारण उस बैंक के पास पैसा नहीं है। वह बैंक 80 से 90 प्रतिशत किसानों को तो क्या 10 प्रतिशत किसानों को ऋण नहीं दे पाता। इसे उसकी मजबूरी कह लीजिये या कोई भी कठिनाई, उसकी वजह से भरतपुर जिले के किसानों को नुकसान होता है। क्योंकि पहले भरतपुर जिले के अन्दर उस बैंक के माध्यम से काफी किसानों को ऋण दिया गया है, उन किसानों को डिफाल्टर की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, इसकी वजह से उनको किसी और बैंक से भी कर्जा नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है, श्रीमन्, कि हमारे क्षेत्र के किसानों को न उस बैंक से कर्ज मिलता है और न किसी बैंक से कर्ज मिल पाता है। इसके कारण उनको न खाद के लिये, न बीज के लिये और न किसी और चीज के लिये कर्ज मिल पाता है। हमारा पूरे का पूरा जिला, पूरे के पूरे जिले के किसान ऋण सुविधा के अभाव में अपने किसी भी काम को कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, श्रीमन्, मैं और यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने दो तीन बातों के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। निर्णय अत्यधिक सराहनीय है। आपने यह निर्णय लिया है कि जिन बैंकों ने कर्ज दिया और उस कर्ज के सम्बन्ध में किन्हीं किसानों को एतराज है, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता सदस्य कह रहे थे, किन्हीं किसानों

(श्री हरिसिंह)

के लिये कर्ज बैंकों के कागजात में दर्ज है लेकिन वास्तव में उन्होंने कर्ज नहीं लिया है। ऐसे हमारे यहां भी बहुत मामले हैं। सरकार ने उन पर विचार करके यह तय किया कि बैंकों के कर्ज की गड़बड़ी के संबंध में किसी आर ए. एस अधिकारी से जांच करायेंगे। हमारे यहां भी जांच हो रही है इस बात की। लेकिन दिक्कत और परेशानी यह है कि एक तरफ तो गड़बड़ियों के सम्बन्ध में आर. ए. एस अधिकारी जांच कर रहा है, दूसरी तरफ बैंक के अधिकारी उन्हीं किसानों से जिनके सम्बन्ध में जांच करवा रहे है, वसूली कर रहे हैं। दोनों कार्यवाहियां समानान्तर चल रही हैं। अधिकारी महोदय उसकी जांच कर रहे है इस आदमी ने कर्ज लिया है या नहीं लिया है, इसके ऊपर कर्ज बकाया है या नहीं है दूसरी तरफ बैंक के अधिकारी कर्ज की वसूली कर रहे है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका मकसद है, जो आपका पर्पज है वह पूर्णरूपेण किसानों के लिये लाभप्रद नहीं हो सका है। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी मामले आर. ए. एस. अधिकारी के पास विचाराधीन हैं उसके सम्बन्ध में कर्ज की वसूली, जो बैंक के माध्यम से हो रही है, उसको स्थगित कर दिया जाना चाहिये। दूसरी बात, श्रीमान् मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बैंकों ने यह सुविधा दी है, पहले जो आपकी सुविधा थी, 30.11.83 तक, जो लोग एकमुश्त अदायगी कर देंगे चाहे सीमान्त किसान हैं, लघु कृषक हैं या चाहे कमजोर वर्ग के लोग हैं उन से सरकार मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं लेगी। उस अवधि को बढ़ा कर 1984 तक कर दिया है लेकिन इसके जो आदेश हैं वे हमारे जिले में अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं, इसलिये जो सुविधा है हमारे यहां पर लोगों को मिल नहीं रही है। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं, जो भी आदेश हैं उनकी प्रतिलिपि बैंक के अधिकारियों को भेजें और अगर आपने भेज दिये हैं तो उनकी पूर्णरूपेण पालना करने के लिये उन्हें पुनः हिदायत दें जिससे जो लोग कर्ज एकमुश्त देना चाहते हैं उनसे ब्याज की रकम माफ करके वसूली हो सके और किसान अपने लाभ को ले सकें।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं पंचायत की मांगों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। ये संस्थाएं एक प्रकार से निष्क्रिय पड़ी हुई थीं, एक प्रकार से मूर्छित अवस्था में थीं इन संस्थाओं के चुनाव करा कर सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। वह चुनाव हुए, चुनाव बहुत ही अल्पावधि में हुए, उसके बाद जो हम एक कल्पना करना चाहते हैं राज सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो उस काम को करने के लिये सरकार अपना एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकी। मैं, श्रीमन्, यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जब सरकार का अपना लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहती है कि किस प्रकार से ये संस्थाएं मजबूत हों तो इसकेलिये आवश्यकता इस बात की है कि उन संस्थाओं को सरकार मजबूत करे। देखने में यह आता है कि जो पंचायत या पंचायत समितियां हैं उनके पास अपनी निजी आय के स्रोत नहीं हैं। इसके अभाव में वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती हैं।

(श्री हरिसिंह)

आपने पंचायत और पंचायत समितियों से अपेक्षाएं तो अत्यधिक बढ़ा ली हैं, आपने यह भी तय कर लिया कि सरकार का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है जिसके ऊपर पूरे इलाके की प्रगति का भार है, डवलमेंट जिसके ऊपर मुनहसर है. इतना इम्पार्टेंट काम आपने पंचायत और पचायत समितियों को दिया है लेकिन उसके पास धन का प्रबन्ध नहीं किया कि किस प्रकार से अपना काम कर सकें। जैसा मैं उदाहरण प्रस्तुत करू, श्रीमन्, कि आपने शिक्षा विभाग का काम पंचायत समितियों को दिया। पंचायत समितियों को आपने भी ट्रांसफर कर दिया, शिक्षकों की सैलेरी का, लेकिन उसके साथ साथ जो मेडिकल बिल, टी. ए., डी. ए. बिल्स हैं उनके पेमेंट करने के लिये बजट नहीं दिया नतीजा क्या होता है, अध्यापकों में बहुत ही रोष व्याप्त हो जाता है। उनको तनख्वाह के अतिरिक्त मेडिकल बिल्स वगैरह का समय पर पेमेंट नहीं हो पाता है। वास्तव में लोग यह समझते हैं कि पंचायत समिति पेमेंट नहीं करती है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार ने उनको इस बात का बजट नहीं दिया। उनकी खुद की जो आय है, जो ओन इनकम है, उसमें से वह पेमेंट नहीं कर पाती हैं इसलिये सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में तुरन्त ध्यान देकर सैलेरी के साथ-साथ जैसे विभागों में होता है, पूरा मेडिकल बिल्स, टी. ए., डी. ए. का पेमेंट करने के लिये बजट ट्रांसफर होना चाहिये।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा में जो प्रगति पंचायत, पंचायत समितियों में हुई है वह सराहनीय प्रगति हुई है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं सरकार ने इस वर्ष जितने प्राथमिक स्कूल खोले, श्रीमन्, मैं समझता हूं, राजस्थान के इतिहास में कभी इतने सम्भवत: नहीं खोले गये होंगे। 1800 से लेकर 1900 तक प्राइमरी स्कूल, श्रीमन्, इस साल राज्य सरकार ने खोले वह खोले क्राइटेरिया के हिसाब से, एक स्कूल के हिसाब से, निष्पक्षता के हिसाब से, जितने भी 300 की आबादी के गांव हैं उन सभी गांवों के अन्दर सरकार ने वचनबद्ध होकर स्कूल खोल दिये। आज हम बड़े फख़्र के साथ कह सकते हैं, हमें इस बात को कहने में गर्व है राजस्थान के अन्दर आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है, कितने ही दूर सुदूर क्षेत्र के अन्दर कोई गांव हो, जहां 300 की आबादी हो और वहां कोई प्राइमरी स्कूल नहीं हो। बहुत बड़ा एचीवमेंट सरकार ने इस सम्बन्ध में किया है, श्रीमन्, आज राजस्थान के कोई 22-23 हजार गांवों के अन्दर प्राथमिक शालाएं हैं। करीब 70 प्रतिशत आबादी, प्राथमिक शिक्षा जो मुख्य चीज है उसमें कवर हो चुकी है। आवश्यकता इस बात की है, यह प्राथमिक शिक्षा ही हमारी शिक्षा का बेस है। हमारे देश की प्रगति का बेस है, इन प्राइमरी स्कूल्स को खोलने के बाद अब यह भी देखने में आता है कि वहां पर कितने हो अध्यापकों की आवश्यकता है और अध्यापक वहां है नहीं। यह बात सही है।

सरकार ने इस वर्ष में 2000 नये अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में भेजे। लेकिन आवश्य-

(श्री हरिसिंह)

कता के अनुसार बहुत कम हैं, श्रीमान् । एक गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल में अल्प सख्या के हिसाब से जहां 2-3 अध्यापक होने चाहिये, वहां हैं नहीं । जब कभी प्रश्न पूछा जाता है पंचायत विभाग के अध्यापकों की कमी है, उत्तर यही मिलता है शिक्षा विभाग इस काम को करता है । शिक्षा विभाग से जितनी पोस्ट्स हैं उतनी पोस्ट्स मिल नहीं पाती हैं । मैं पंचायत राज्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा जब सारा आपने पंचायतों को दिया है, इस सम्बन्ध में, तो ग्रामीण लोग तो यह देखते हैं पंचायत समिति वहां अध्यापक नहीं भेज पा रही है । वहां पर सीधा ब्लेम पंचायत समिति पर, प्रधानों पर, चुने हुए प्रतिनिधियों पर लगता है और आप उनके लिये पूरा बजट नहीं दे पाते । तो सरकार को जितने भी शिक्षकों की कमी है, बजट बढ़ा कर शिक्षकों की कमी अविलम्ब पूरी करनी चाहिये । यही नहीं, क्योंकि यह बेस है प्राइमरी शिक्षा का प्राइमरी शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने के लिये जो साधन हैं, टाट पट्टी है, इन चीजों का भी पूर्णरूपेण ढंग से इन्तजाम होना चाहिये । मैं यही आपसे निवेदन करता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा ।

जो मैंने सहकारिता के सम्बन्ध में अपनी बात रखी वह और पंचायत विभाग के सम्बन्ध में मैंने कहा, पंचायत डिपार्टमेंट ने इस वर्ष स्कूलों के खोलने में तरक्की की है, यह स्कूलों की तरक्की नहीं है श्रीमन् इस साल जितने भी पंचायत प्रसार अधिकारी और जितने भी दूसरे अधिकारी हैं करीब 1981 पोस्टें इस वर्ष नयी सृजित की हैं, पंचायत समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिये, इन बातों की सराहना करता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा ।

जय हिन्द ।

(3 00 म. प)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 49 के सम्बन्ध में......

श्री अध्यक्ष : समय सीमा 15 मिनट ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे से पूर्व वक्ता ने तो आधा घण्टा ले लिया था ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र था वह जयपुर नगर परिषद् में लागू नहीं हुआ । 73 के बाद आज तक यहां चुनाव नहीं कराये गये । सबसे पहली गलती 20 सूत्री कार्यक्रम को नहीं मानने के बारे में है । मैं कहना चाहूंगी और जो हमारी नगर परिषदें हैं उनके अन्दर न तो चुनाव कराये गये और सबका समन्वय करके विकास किया जा सके इसके लिये विकास प्राधिकरण बनाया गया वह भी लक्ष्यों में पूरा नहीं उतरा । मेरी मांग है कि जयपुर में नगर निगम की घोषणा मंत्री महोदय करें जिससे जयपुर नगर की जो भी ईकाइयां हैं उनको पूरा किया जा सके । मैं कहना चाहूंगी कि हमारी नगर परिषद् जो है उसकी जिम्मेदारी पर कुछ क्षेत्रों का काम छोड़ा गया । एक बहुत बड़ा काम था, अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नगर शहर की कच्ची बस्तियों को बसाने का काम, यहां पर कच्ची बस्तियों को बसाने के लिये बार-बार बातचीत की जा रही है और वह बार-बार टाला जा रहा है। केवल नियमन-पत्र कुछ नगर परिषद की कच्ची बस्तियां हैं, उनको दे दिये गये और उनका नाम दिया जा रहा है कि हमने पट्टे दे दिये। पट्टे की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि जयपुर की जो समस्या कच्ची बस्तियों की है उसे सुलटाये जाने का प्रयत्न करें। उसको टालें नहीं आवंटन-पत्र को पट्टा नहीं कहें, अपने नियमों में इसका सुधार कर लें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कोली बस्ती है जिसमें 9 मकान आते हैं। मंत्री महोदय के विभाग ने उस पर नियमन कर दिया और नियमन करने के बाद वह मकान बनाने लगे, उनको पट्टे भी दे दिये। जब दूसरे आदमी बोले कि यह जमीन नगर पालिका में नहीं है तो कोर्ट से आर्डर लेकर सारे मकान तुड़वाये गये, 9-9 कोलियों के और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पट्टे दे दिये। इस प्रकार के गलत काम हो रहे हैं जो आपकी जमीन नहीं उसको बेच सकते हैं और आपने अगर बेच दिया तो दूसरा आदमी तुड़वा कैसे सकता है। आप कोर्ट में जाकर अपना दावा पेश क्यों नहीं करते, आप अपनी वकालत क्यों नहीं करते ? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी। उन्होंने अभी कुछ सुविधा देने की बात कही कि हम कच्ची बस्तियों में, नियमों में यह था कि 110 गज जमीन दी जायेगी। बरकत साहब के समय में तय किया गया था और अब जमीन दी जा रही है 40 गज, 44 गज। तो अब आदमी का जो पूर्ति करने का है कि एक मकान में 10 आदमी, पांच आदमी, छः आदमी कैसे रह सकते हैं। 1971 में तो 110 गज जमीन में रह सकते थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस पर कृपया व्यवस्था दें, यह जो आज डिमाण्ड है मांग संख्या 49 जो है.......

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्थानीय निकायों पर नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह सिर्फ संबंधित है ग्रान्ट्स जो दी जाती हैं नगरपालिकाओं को। न तो इसमें यू. आई. टी. सम्मिलित है न नगरपालिकाओं की कोई विस्तृत चर्चा से सम्बन्धित है। यह कट मोशन्स आये थे, मैंने सचिवालय से जानकारी प्राप्त की थी उन्होंने मुझे यही बताया था उसी हिसाब से मैंने तैयारी की है। यह व्यवस्था का प्रश्न मेरा है, आप कृपया देख लें वरना बिना तैयारी उत्तर देना संभव नहीं हो पायेगा। पूर्व में यही बताया गया था कि जो ग्रान्ट्स मनोरंजन कर या सीमा शुल्क के बारे में होंगी उसी दायरे तक डिबेट सीमित रहेगी, इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो आपत्ति की है उसके बारे में क्या कहना है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ने जो आपत्ति की है, स्थानीय निकायों की मांग है हम से यह पैसा लेना चाहते हैं, हम जो इनको पैसा देना चाहते हैं तो इनको हमारी सब बातें सुननी पड़ेंगी और उनका जवाब देना पड़ेगा। यह इस बारे में है। नगरपालिकाओं और नगर परिषदों पर खर्चा जो हो रहा है आप मांग में यह मनोरंजन कर ले आयें, आप और ले आयें और आप कान धरें नहीं, आप बचना क्यों चाहते है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या ने जो कहा है मैं उनसे सहमत हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 110 के बजाय 44 गज के प्लाट देने लगे और 44 गज में भी अभी किसी को दिये हैं नहीं। मुरलीपुरा और विद्याधरनगर में कुछ मकानत दिये हैं......

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो जे. डी. ए. की कालोनी है, यू. आई. टी. के हैड में तो आती नहीं। आप कृपया हैड मगा कर देख लें एक मिनट, अगर यू. आई. टी. हैड इसमें आता है तो मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : यू. आई. टी. इसमें आता नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, दोनों के मंत्री हैं और जो कच्ची बस्तियां नगर परिषद् की सीमा में हैं वहां के लोगों को ले जाकर इन्होंने मुरलीपुरा विद्याधर नगर बसाये, वे कहां आवेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के बाहर की बस्तियां है। यहां गलत बयानी न करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के अन्दर की बस्तियों को ले जाकर इन्होंने मुरलीपुरा में बसाया। आज इस बात को सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये गलत काम कर बैठे हैं उसको उजागर करना नहीं चाहते, खैर.........।

श्री अध्यक्ष : नगरपालिका क्षेत्र में नहीं हैं तो पंचायत क्षेत्र में आती हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जयपुर के अन्दर भी दो क्षेत्र हैं, नगर परिषद् क्षेत्र है परकोटे के अन्दर नगर परिषद है जो कच्ची बस्तियों का काम करती है और परकोटे के बाहर जे डी. ए. काम करता है। नगर परिषद् के एक भी व्यक्ति को ले जाकर विद्याधरनगर, मुरलीपुरा में नहीं बसाया यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात दावे से कह सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है लेकिन यह बड़ी गलत परम्परा पड़ जायेगी। अभी आप 49 हैड मगवा लें और आप स्वय देखें तो संतुष्ट हो जायेंगे कि जो मैं निवेदन कर रहा हूं उसमें कितना वजन है आप स्वयं देख लें।

श्री अध्यक्ष : वैसे हमारे संविधान के अनुसार माननीय सदस्यों को विचारों की थोड़ी स्वतन्त्रता है। वह विषय से थोड़ा हट भी सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है कि विकास के काम, माननीय मंत्री महोदय, आप कोई बातचीत ना करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया आसन के माध्यम से.........

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि नगरपालिका का काम है वह शहर की सफाई का, शहर की व्यवस्था का और सिविल एम्यूनिटीज का है वह प्राप्त करने का काम है। श्रीमन्, नगरपालिका के जो बाहर का कुछ एरिया था उसमें कुछ काम करके या विकास करके वापस नगरपालिका को दे दें, इसके लिये यू. आई. टी. का निर्माण किया गया इसलिये क्षेत्र तो नगरपालिका का ही है। नगरपालिका के खिलाफ पर यह यूनिट कायम कर दी गई इसलिये आप यह कहें कि यू. आई. टी. और नगरपालिका में इतना अन्तर है..........

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पचासों कटमोशन्स रिजेक्ट कर दिये गये इस आधार पर विधान सभा सचिवालय द्वारा। अगर यही बात होती तो हमारी तरफ से माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से अवसर मिलता अपनी बात कहने का। आप इसकी जानकारी ले लीजिये कि मांग संख्या 49 के सम्बन्ध में पचासों कट मोशन्स रिजेक्ट हुए या नहीं सचिवालय द्वारा।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो निर्णय दे दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय दे दिया है अगर आपसे सम्बन्धित बात नहीं कही जाती है तो उत्तर ना दें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो मैं यह मान कर चलूं कि मांग संख्या 49 के सम्बन्ध में बात कही जायेगी तो उसका उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मांग का नाम लेकर कोई बात नहीं कही जाती। यहां पर तीन मंत्रियों की डिमाण्ड्स हैं। तीनों के बारे में कहा जा रहा है। कुछ उनसे अलग हट कर भी कहा जा सकता है। तो जिस बात से आपका सम्बन्ध हो उसके सम्बन्ध में अपना उत्तर दे दें।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन से कोई भी संबंधित है उसमें यू. आई. टी. आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप अगर यह चाहेंगे कि हमारी सब बातों का उत्तर देंगे तो चर्चा चलेगी 6-7 घण्टे फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि जितनी बातें कही जायें उन सब का उत्तर देंगे तो दिया नहीं जाता।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर में जितनी कच्ची बस्तियों के लोगों को बसाया गया उनको लिख कर तो यह दिया गया कि निर्माण की नई दरों में 8 हजार में मकान

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देंगे लेकिन उनके मकानों के लिये एक नोटिस भेज कर कहा गया कि 17 हजार में मकान देंगे और उसके साथ जो 19 रुपये की किश्त थी वह बढ़ा कर 66 रुपये किश्त कर दी और एक परिपत्र भी निकाला कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मान्यवर, बाढ़ में जो लोग ग्रस्त हुए थे, उनको आंशिक क्षतिपूर्ति और पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिये 100 रुपये और 300 रुपये दिये जाने थे, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था जब मकानों की जमीन देंगे तो उसके नियमन में पैसा जमा कर लेंगे लेकिन एक भी बता दें कहीं भी किसी को 100 और 300 रुपये तीन साल बाद भी उनकी भूमि की रकम के नियमन के शुल्क के रूप में समायोजित किया हो तो, क्या मंत्री महोदय, जब उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि वह पैसा उनको क्यों नहीं दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय, इससे दुःख की बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी इस वर्ष यहां पर बाढ़ के लिए 2 करोड़ 35 लाख रुपये इनको दिये गये थे कि यहां पर नालियां, सड़कें आदि जो टूट गयी हैं उनका निर्माण करें। मंत्री महोदय के, इन्हीं की पुस्तक है, इन्हीं के आंकड़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया और कुछ विशेष कालोनियों में फुटपाथ पर चौके लगा कर काम किया गया। मान्यवर, बाढ़ के काम का जो पैसा दिया गया था वह यों का यों ही रखा और कहते यह हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए रखा है इसलिए हमने तो इनका काम नहीं किया। हमने कहा कि तुम तो प्रोजेक्ट बनाओ, अरे, जब बाढ़ आ जायेगी दुबारा बरसात आने वाली है तो आप प्रोजेक्ट को लिये बैठे रहना और फिर डूब जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस काम के लिए यह नहीं सौंपा था। यह इनका वास्तव में विषय नहीं है, अगर इनका विषय हो तो ये काम करते। मैं बताना चाहूंगी कि बाढ़ के लिए जो डेढ़ करोड़ पैसा दिया वह यों का यों वापस छोड़ दिया जो नयी कॉलोनियों को बसाने के लिए ढाई करोड़ दिया इसके लिए उन्होंने कह दिया कि आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए पैसा लौटाया जाता है। जे. डी. ए. बना, वाह वाही हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन मंत्री महोदय को काम नहीं करना है, नहीं करना है अभी आप यह कह रहे थे कि मैं नगरपालिका पर बालूं। मैं कहना चाहूंगी कि प्रशासन शहरों की ओर आया और चला गया, गांवों की ओर आया और चला गया, काम नहीं हुए, अध्यक्ष महोदय, उससे घबरा कर हमारे राज्यपाल महोदय जयपुर नगर की सफाई के लिए चिंतित हुए, उन्होंने हाथ में झाड़ू उठायी, जब इन्होंने मिट्टी उठाने के बाद कहा मिट्टी वहीं की वहीं जम गयी, झाड़ू नहीं लगा नहीं लगा तो नहीं लगा। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरा बिगाड़ लो, कोई क्या बिगाड़ेगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा। सुबह एक कोई उनके यहां हाजीरी दे देता है। जयपुर राजधानी है। अध्यक्ष महोदय, राजधानी का नगर सड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सब जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और दिखला कर भी लायी हूं और दिखलाने के बाद भी सफाई नहीं हुई है। सफाई की दुर्व्यवस्था का पहला कर्त्तव्य है नगर परिषद के काम नहीं होते हैं, इनकी क्या व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब सी बात है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, काम होते ही नहीं, एक व्यवस्था हो। वहां केवल एक कर्मचारी रखा हुआ है और वह कर्मचारी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भी काम करता नहीं है, रात के 10 बजे के बाद इनके पास लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, जयपुर शहर में, गलियों, सड़कों पर अंधेरा पड़ा हुआ है, सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं, मंत्री महोदय की देन के अनुसार। जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं लोग, मंत्री महोदय तो कभी बाजार निकलते नहीं सिविल लाइन में बंगला है, इनको जरूरत क्या है आने की। मन्त्री महोदय देखें तो मालूम पड़ेगा। आपसे नहीं सम्भलता है तो आप यह काम विद्युत विभाग को दे दें जिनके पास पूरी यूनिट है काम करने के लिए, आपके वस का नहीं है, सही सुझाव देती हूं। जयपुर पर अपना एक्सपेरीमेन्ट मत करो....

श्री प्रद्युम्नसिंह : गोटेवाला जी के वस का काम है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, आपको, सारी जिम्मेदारी है। आप कह दो, गोटेवाला जी को मन्त्री बना दो हम तो उनसे बात कह लेंगे, आपको नहीं करना है तो मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, गटर की पुरानी लाइन मेरे यहां नयी लाइन से नहीं जोड़ी गयी। गटर की लाइन बाजू शहर में डाली ही नहीं गयी। दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद एक तो मेरी बहन प्रधान मन्त्री बनी बैठी है और दूसरी मेहतरानी मैला उठा रही है। मन्त्री महोदय, सिर पर मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आप यहां पर वचन बद्ध हैं लेकिन उसकी ओर प्रयत्नशील नहीं हैं। अब भी बहिनें मैला ढोती हैं, सड़कों पर देखा जाता है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई। वैसे भी नहीं होगी। मान्यवर, गटर लाइन ओवर फ्लो है, गन्दी नालियों का मैला व कीचड़ भी बाहर निकल रहा है बाहर कूडे में पानी भर रहा है, सडक पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, घरों की दीवारों पर। शहरों में कीड़े पेट में पड़ जाते हैं वह बीमारी मक्खियों से फैलती है। आप देखते हैं कि पूरे देश की 90 पर्सेन्ट दवाइयां जयपुर में खर्च होती हैं। सफाई नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगी, मन्त्री महोदय से, कि दैनिक सफाई, पाक्षिक सफाई और स्पेशल सफाई, इस पर आप आ जायें। जो हमारे शहर की फुटपाथ के नीचे नालियां हैं उनकी सफाई करायें। गन्दी नालियों की सफाई करायें, गाड़ियां बगाकर कूड़ा उठायें और कूडे को अस्पताल की तरफ न डालें इससे कुष्ठ फैलेगा। मक्खियों से कुष्ठ फैलता है। मैं कहना चाहूंगी आपसे, आप इस सफाई पर आ जायें। जो आपके मैन हॉल हैं, टूटे पड़े हैं, जो आपके खुले पड़े हैं उनकी व्यवस्था करायें। श्रीमन् एक बात और है यह कि एन्क्रोचमेन्ट हटाने वाली संस्था है लेकिन इन्होंने एन्क्रोचमेन्ट कर रखा है, खुद ने। घाटगेट का दरवाजा, जिसको हम गुलाबी से रंग पुतवाने की कोशिश में हैं, वहां उन्होंने शराब की दुकान खोल दी है एन्क्रोचमेन्ट बहुत गन्दा लगता है। यह और भी कई जगह एन्क्रोचमेन्ट किए हुए हैं। जो संस्था एन्क्रोचमेन्ट हटाये वह इस शहर को बिगाड़ने में लगी है। सुन्दरता के लिए एन्क्रोचमेण्ट कभी नहीं हो सकता। मन्त्री महोदय से कहूंगी कि आप इस बात पर नहीं जायें। आप शहर में घूमें, आपका काम शहरों की चौकीदारी करना है, सुरक्षा करना है, सफाई करना है लेकिन वह नहीं हो रही है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एक सब्जी वाली जो फुटपाथ पर बैठती है और भी लोग जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए सब्जी बाजार की 4 फीट की, 6 फीट की, 8 फीट की पर्चियां काटी जाती हैं लेकिन मन्त्री महोदय ने, जब यह सरकार आयी, उन्होंने बन्द कर रखा है, सब्जी बाजार की पर्चियां नहीं काटेंगे। आये दिन पुलिस वाले इनसे पूछते है, आये दिन नगर-पालिका के कर्मचारी तंग करते है। मान्यवर, पर्ची काट दें जब तक कि उनके बाजार की व्यवस्था नहीं करते हैं। आप सब्जी बाजार दे दीजिये वे फुटपाथ पर नहीं बैठेंगे। बड़ी अभागी लड़कियां हैं, औरतें है. बेचारी कोई छोड़ी हुई है, कोई सतायी हुई है और वह बैठती है तो आप उन पर डण्डे चलाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। आप पर्ची काटने के लिए वायदा कीजिये और उनके लिए, पूरी व्यवस्था करने के लिए, बाजार बनायें। हम आपके साथ हैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे लेकिन व्यवस्था नहीं करेंगे, सड़कों पर बैठने नहीं देंगे। आज जौहरी बाजार में ट्रैफिक की हालत है कि हजारों गाड़ियां जौहरी बाजार में निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि मेला आया हुआ है, उनकी कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जयपुर शहर में पार्किंग की व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : समय पूरा हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं थोड़ा सा बोलूंगी।

बड़ी दर्दनाक स्थिति है, बड़ी बुरी कथा है। यहां पर इन्होंने जौहरी बाजार में कटला बनाया, कटला बनाने की क्या जरूरत थी? उसमें आपको कटले के बजाय पार्किंग का स्थान बनाना चाहिए था। कई जगह ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर मकान खाली करवाकर, एक्वायर करके पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, न केवल नीचे की मंजिल तक की जानी चाहिए, बल्कि ऊपर तक खुर्रा बना देना चाहिए जिससे कारें अन्दर चली जायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी बात कह रही हूं, कितना अच्छा सुझाव था लेकिन यहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो बैठ जाते हैं फुटपाथ पर वह आंख में चुभती है यह बड़ा गलत तरीका है। जयपुर शहर में अग्निशमन के छः केन्द्र होने चाहिए यहां आये दिन आग लगती है, कभी यहां तो कभी वहां, कहीं भी आग लगी, लोग जल कर भस्म हो जाते है। एक घाटगेट पर टूटा-फूटा केन्द्र है जबकि शहर का ऐरिया कई रिजन में हो गया, आपके मुताबिक रीजन में हो गया तो छः केन्द्र होने चाहिए थे। अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए थी। मान्यवर, उनके सेवा नियम भी बनाने चाहिए थे। जो भट्टी में झोंके जाते हैं बेचारे, उनके पास हैट नहीं, बचाव के कोई साधन नहीं, न ही उनके कोई नियम हैं, यदि कोई मर जाता है तो आप 20 हजार रुपये की घोषणा कर देंगे उससे उसका घर परिवार नहीं चलने वाला है। मान्यवर, इसमें बड़े चिन्तन की आवश्यकता है। मैं कच्ची बस्ती के लिए जो आपने यहां पर बात की कि हम नगरपालिका की सीमा में.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें, सभी माननीय सदस्यों ने उसका पालन किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष : कृपया आर्डर। माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बस्सी नगरपालिका के बारे में कहना चाहूंगी। बस्सी नगरपालिका अध्यक्ष कितना गलत काम कर रहा है। सडकों के बनाने लिए और अन्य के बारे में रसीद दी जाती हैं, पैसे लिये जाते हैं और उनकी जांच करवाने के लिये अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री तक ने लिखा है। उनकी जांच करायें, उनको सस्पेण्ड करना चाहिये। नगरपालिका अध्यक्ष जो वहां के पैसों का दुरुपयोग अपने लिए कर रहा है और वहां लोगों से लिए पैसे खर्च नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि उस ओर ध्यान दें, वह बस्सी नगर पालिका का अध्यक्ष है, जिसके काले कारनामे हैं और मुख्य मंत्री ने लिखा था कि जांच हो रही है। उस जांच पर आप अपना निर्णय लें और उसको तत्काल सस्पेण्ड करें और जयपुर की व्यवस्था है वह तो आपको सम्भालनी है, नगर परिषद है उसको आप संभाले।

श्री अध्यक्ष : श्री नानू राम कुमावत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कहां से बीच में आ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब आपको खिलाफ थोड़े ही बोलना है।

श्री नानूराम कुमावत : (आसीन्द) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले बोलने का अवसर दिया है, इसलिये तो मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-36, और 41 और मांग संख्या-49 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले मांग संख्या-36 पर बोलूंगा। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। कि एक साल बाद ही सही कम से कम इस साल बजट में हमारे यहां पर को-आपरेटिव स्पनिंग मिल की घोषणा बजट में हुई है, प्रावधान रखा है। उसके लिये मैं मेरी तरफ से और सारी तहसील की तरफ से और जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जनता का ठेका आपने जल्दी ले लिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता के चुने हुए हैं, ऐसे ही नहीं आये हैं।

श्री नानूराम कुमावत : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस मिल में देरी हुई। जहां 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद दो साल के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस मिल का जिक्र किया उसके ठीक एक साल बाद जाकर इस साल बजट में इसको लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2 साल के पीरियड में इस मिल की कास्ट कितनी बढ़ गयी, इसका आम आदमी के ऊपर क्या

(श्री नानूराम कुमावत)

असर होगा, सरकार के ऊपर कितना असर होगा, यह थोड़ा सोचनीय और विचारणीय विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय आज से दो साल पहले की घोषणा है को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल की, इसकी पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर काश्तकारों ने शेयर कैपिटल के पैसे दिये, उसके बाद उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी का टैस्ट हो गया, वाटर टैस्ट हो गया गवर्नमेंट को मूव कर दिया गया लेकिन उसके बाद दो साल में जाकर के इस साल यह मिल बजट में ली गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में केवल जिक्र किया गया है लेकिन बजट में पैसे का अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। कम से कम अब पैसों को जल्दी से दिला दें और इसको एप्रूव करा के काम चालू करा दें ताकि मिल जल्दी से जल्दी चालू हो जाये और हजारों किसानों को फायदा हो।

दूसरी चीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं यह सहकारिता आम आदमी और आदिवासियों के जीवन का प्रश्न है। सहकारिता के आधार पर लोगों को एम. टी. आर. एस. टी. लोन दिया जाता है लेकिन इसको कुछ कठिनाइयां हैं, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। जहां आप एम. टी और एस. टी. लोन देते हैं, फसली लोन देते हैं, एल. टी लोन देते हैं लम्बे समय के लिये लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। इसको थोड़ा सा देखें। भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच चुका है, अधिकारी किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : भ्रष्टाचार की निश्चित सीमा होनी चाहिए।

श्री नानूराम कुमावत : इसमें मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसायटी का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद लोगों को लोन दिया जाता है और उस लोन के जरिये से जो काश्तकार हैं उनकी माली हालत सुधरे, इसके लिये लोन दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग घुसे बैठे है, कुछ कर्मचारी ऐसे बैठ गये जो कि पनपने नहीं देना चाहते हैं और किसानों का खून चूसते है। मैं उदाहरण के तौर पर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं उदाहरण दूंगा दो तीन जिलों का, आज जैसे भीलवाड़ा जिले को ले लीजिये एक धानका ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें, अध्यक्ष महोदय, आज से डेढ़ साल पहले करीब एक लाख 8 हजार रुपये का गबन हुआ, यह कर्मचारी ने गबन किया कोई पब्लिक के आदमी ने नहीं किया, बैंक का जो कर्मचारी था उसने किया जिसके ऊपर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों से यह ऋण वसूल कर रहे हैं। अधिकारी पैसा खाकर बैठ गये हैं जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्री जी से कहें।

श्री नानूराम कुमावत : दूसरी यह चीज निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक जटपुरा ग्राम सहकारी समिति है, इस के लिये एम. टी. लोन के बारे में निवेदन

(श्री नानूराम कुमावत)

करना चाहता हूं। बैंक के मार्फत एम. टी. लोन काश्तकारों को दिया गया है बैल खरीदने के लिये या भैंस खरीदने के लिये या गाडी खरीदने के लिये या ऊंट खरीदने के लिये या लड्डा खरीदने के लिये यह लोन दिया जाता है। उसके अन्दर सब्सिडी दी जाती है और जो यह सब्सिडी दी जाती है वह लोग खा जाते हैं। इस पालिसी को चेन्ज करना चाहिए अगर इसे चेंज नहीं किया तो काफी मिसयूज हो रहा है इस सब्सिडी की खातिर लोगों को पूरा पैसा मिलता है। अधिकारी मिल जाते हैं और सारे का सारा पैसा खा जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि जटपुरा कोआपरेटिव सोसायटी में तीन आदमियों को भैंस खरीदने के लिये किसानों को लोन दिया गया जिसमें 18 हजार रुपया एक आदमी खा गया। उसके खिलाफ केस रजिस्टर केस रजिस्टर होने के बाद अब वह 12 हजार, साढ़े 12 हजार एक आदमी से वापस वसूल किया है बाकी पैसे का पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हू इस पालिसी को चेंज करना चाहिए ताकि जो कम से कम सब्सिडी के हिसाब से भ्रष्टाचार होता है वह न हो। अगर सब्सिडी देनी है तो सीमांत काश्तकार को, लघु काश्तकार को और चयनित परिवार के काश्तकार हैं उनको अलग से सब्सिडी के माध्यम से दिया जाय तो दे दें। अलग से दें लेकिन ऋण के माध्यम से नहीं देना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन यह करना था कि आज भी एक मार्केटिंग सोसायटी है उसका प्रश्न मेरे ध्यान में बैठे-बैठे आ गया। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हू मार्केटिंग सोसायटी को गवर्नमैन्ट ने एक आदेश दिया कि गेहूं की तमाम सप्लाई का काम वह करेगी। मार्केटिंग सोसायटी वह सप्लाई का काम करती है। अभी थोड़े दिनों पहले जब फेमिन का काम चल रहा था राजस्थान में अकाल था सरकार ने व्यवस्था की कि गांव-गांव में अनाज की व्यवस्था करें। ताकि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो इसलिये एफ. सी. आई. की मार्फत सोसायटी को माल उठा कर के खुदरा व्यापारियों को देने के लिये अधिकृत किया गया। उसके बाद वहां के कलेक्टर को आथोराइज किया कि कलेक्टर जिस किसी को परमिट देगा उस को यह मार्केटिंग सोसायटी अनाज वितरित करेगी। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर ने परमिट नहीं दिया, मार्केटिंग सोसायटी के पास राज्य सरकार के आदेशानुसार माल पड़ा है लेकिन उसके बाद में जो कंट्रोल का गेहूं है या दूसरा अनाज है वह पडा रह गया और उसके पड़ा रहने की वजह से भाव कम हुए, माल उठा नहीं, सोसायटी को घाटा हो रहा है। इसी प्रकार की राजस्थान में एक सोसायटी नहीं है, बहुत हैं, जहां पर कि अनाज पड़ा हुआ है। 171 रु. क्विंटल वाला गेहूं आज 140 में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। इन सारी मार्केटिंग सोसायटी का भट्टा बैठ गया है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री उसके बारे में राज्य सरकार से बात करें, खाद्य मन्त्री से बात करें और जो डूबती हुई मार्केटिंग सोसायटीज हैं उनको बचायें।

(श्री नानूराम कुमावत)

नहीं तो सारी सोसायटी डूब जायेगी और ग्राम व्यक्ति पर असर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा सा अब पंचायत राज के ऊपर दो एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय बांध दिया है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। पचायती राज के बारे में मैं इसलिये मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम को हमारे यहां पांच ही स्कूल होने चाहिए थे। हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद 11 स्कूल दिये हैं। उसके लिये धन्यवाद देता हूं मन्त्री जी ने हमको मेहरबानी करके कम से कम 5 के बजाय 11 स्कूल दिये। उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची): हम क्या दें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगाद): आप धन्यवाद दे रहे हैं, हम क्या दें जहां पर पिछले तीन साल में एक भी स्कूल नहीं खोला गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: आप तो भाषण दो।

श्री दाऊदयाल जोशी: राजनैतिक भेदभाव के कारण,—

चुनाव आ रहा है। जनता निपट लेगी आप लोगों से। बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। जनता तैयार है।

श्री भैरू सिह गुर्जर: दाऊदयाल जी, थोड़ा च्यवनप्राश दे देंगे तो मंत्री जी उनका भी ख्याल रखेंगे।

श्री नानूराम कुमावत: तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि पंचायत समिति में जो आपने ग्रुप सचिव लगा रखें हैं वे करीब दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पचायतों में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय गांव में बहुत समस्या है। एक तरफ हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान में, दूसरी तरफ पंचायत के जो काम है स्टाइपेंड, स्कूल का काम चल रहा है, कहीं रास्ते पर काम चल रहा है, कहीं कुओं का काम चल रहा है, कहीं गांवों में आबादी का प्रश्न है, कहीं और कुछ का प्रश्न है तो एक ग्रुप सचिव चार-चार, तीन-तीन, दो-दो पंचायतों को नहीं संभाल सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि एक पचायत में एक ग्रुप सचिव रखा जाय ताकि उन पचायतों का काम सुचारू रूप से चल सके।

शिक्षा के बारे में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा क्वेश्चन आवर चल रहा था, उस समय बड़ा स्पष्ट किया कि जहां पर अध्यापकों की कमी है उसकी पूर्ति कर दी जाय लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्या अध्यापकों की अभी तक पूर्ति हुई है? इसलिये इस के बारे में आपको कोई न कोई ठोस निर्णय लेना चाहिये। हर साल जितने स्कूल बढ़ रहे हैं जैसे इस साल भी बजट जो प्रावधान है उस आधार पर अगर आप हजार स्कूल खोलें और उसके ऊपर अगर आप दो हजार अध्यापक लें तो यह, अध्यक्ष महोदय मेरा अन्दाज है संभव नहीं होगा कि आप अध्यापकों की पूर्ति कर देंगे। इसके लिये आपको कोई न कोई ठोस निर्णय ले करके अध्यापकों की पूर्ति करनी चाहिये

(श्री नानूराम कुमावत)

ताकि गांवों में जो छोटे-छोटे गांवों में, देहात में जो लोग रहने वाले हैं उनके बच्चे बच्चियां वहां पढ़ तो नहीं सकते वहां पर वह अध्यापक स्कूल समय पर जाता नहीं और सिंगल टीचर जिस स्कूल में हो वहां पर वह छुट्टी में चला जाता है तो स्कूल बन्द पड़ी रहती है, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

दूसरी चीज है, एक माननीय सदस्य ने ने अभी एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा प्रसार अधिकारी नहीं है। मै माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पंचायत समिति में जहां पर तीन पोस्टें शिक्षा प्रसार अधिकारी की हैं वहां चार-चार, पांच-पांच आदमी बैठे हुए हैं मेहरबानी करके जो मैंने बताया उनको तो वहां से हटा दें। एक जगह नहीं है जैसा बोल रहे थे तो वहां भेज दीजिये उनको, ताकि कम से कम संस्थान तो चलता रहे। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा।

दूसरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, जो पंचायत समिति के माध्यम से चल रही है, उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, पूरी व्यवस्था नहीं है। यह केवल एक गांव में एक-एक रोजगार देने के लिए बात अगर हो तो फिर मैं कुछ कहना चाहता नहीं और वाकई अगर इसको चलाना है तो पहले जो एजूकेशन डिपार्टमेंट के पास थी तो उस समय तो फिर भी थोड़ी ठीक चली लेकिन इस समय मामला ठीक नहीं है। मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता। मैं निवेदन करना चाहूंगा व्यवस्था के तौर पर कि इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिये ताकि वहां पर गांवों में जो गरीब लोग हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ सके, नहीं जा सके तो उनको शाम को कम से कम ठीक ढंग से शिक्षा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं नाराज हो जायेंगे कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं इसलिये मैं एक नगरपालिका के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। नगरपालिका के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां छोटी छोटी नगरपालिकाएं हैं, अध्यक्ष महोदय और आपके यहां भी हैं।जो नयी नगरपालिकाएं घोषित हुई हैं, क्रियेट हुई हैं उनमें दस हजार, ग्यारह हजार, बारह हजार की पोपुलेशन होती है और उसमें टोटल काश्तकार होते हैं। नगरपालिकाओं के ऐसे नियम हैं कि ए क्लास, बी क्लास, और सी क्लास, डी क्लास की नगरपालिकाएं हैं इनके नियम ऐसे हैं कि उन नियमों के आधार पर उन काश्तकारों को बहुत सी प्रोब्लम हो जाती है और प्राब्लम ये हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, कि एक काश्तकार की अगर एक भैंस भी मर गयी, तो नगरपालिका के नियम ऐसे हैं कि वह काश्तकार उस भैंस को वहां से नहीं उठा सकता, किसी आदमी को कह करके उठवा नहीं सकता, नियम ऐसे हैं कि नगरपालिका उठायेगी, नगरपालिका को आमदनी है क्योंकि हड्डियों का ठेका नगरपालिका देती है, चमड़ी है नगरपालिका उसका ठेका करती है तो काश्कारों को कितनी बड़ी तकलीफ है....

श्री अध्यक्ष : आजकल भैंस के चमड़े पर भी 250 रु. हैं।

श्री नाथूराम कुमावत : हां 250 रुपये लगते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज एक है कि जो छोटी नगरपालिकाऐं हैं उसमें काश्तकार आते हैं और उन काश्तकारों के यहां पचायतों में कोई काश्तकार बिना नाम जमीन पर या आबादी की जमीन पर कोई काश्तकार नाजायज कब्जा कर लेता है तो वहां पर उसके नाम पर रेगुलेराइज हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है जो उस सीमा में आता है रेगुलेराइज होता है। लेकिन नगरपालिका के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पर नगरपालिका की सीमा हो उसमें काश्तकार का कहीं नाजायज कब्जा जमीन पर हो चाहे वह 20 साल पुराना हो और या जो नगरपालिका बनी है तो उसके बावजूद भी उसके नाम पर रेगुलेराइज नहीं होगा और वह काश्तकार 91 के तहत ठोकरें खाता फिरता है और उसको 50 गुणा पैनेल्टी देनी पड़ती है और वह काश्तकार के साथ अन्याय हो रहा है और उसको चारों प्रकार की सजा मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से ? तो पहला तो उसको 91 के तहत 50 गुणा पैनेल्टी और दूसरी तरफ उसको उस जमीन से बेदखली और तीसरी उसकी फसल नीलाम और चौथी तरफ उसको तीन महीने की सजा। इस प्रकार से उस काश्तकार को चार प्रकार से सजाएं दी जा रही हैं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से नगरपालिकाऐं, जो छोटी नगरपालिकाएं हैं उन नगरपालिकाओं के इस नियम में प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि उन काश्तकारों को लाभ मिल सके।

दूसरी चीज, मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि गये साल सरकार ने एक आर्डर निकाला कि प्रशासन गांव की ओर जायेगा। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा वह जो नियम निकाला उसमें एक बात की आपने, जिस व्यक्ति का 40 साल पुराना कब्जा है उस व्यक्ति को पट्टा दे दिया जाय लेकिन अंत में, अध्यक्ष महोदय, यह कंडीशन नीचे ही नीचे लास्ट में लगा दी और यह लगा दिया कि वह काश्तकार उस जमीन को, उस प्लाट को, उस मकान को न रेहन रख सकता है और न बेच सकता है। अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका में और कोई आमदनी नहीं। जिस बेचारे गरीब आदमी के पास कोई एक प्लाट पड़ा हुआ है और अपना भरण पोषण करने के लिये, अपने बाल बच्चों की शादी करने के लिये अगर किसी के यहां रेहन रख करके, गिरवी रख करके या छोटा टुकड़ा करके उसको बेच कर अपने घर का काम चलाना चाहे तो चला नहीं सकता। इस प्रकार की कंडीशन माननीय मंत्री महोदय ने लगा दी है, यह गलत है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये, नियम में एमेंडमेंट किया जाना चाहिये ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट लास्ट में कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा माननीय हमारे सहकारिता मंत्री जी के ऊपर ही है यह मैंने इसलिये छोड़ा, अध्यक्ष महोदय, लास्ट में, बीच में कह दूंगा तो ये भूल जायेंगे क्योंकि उस पर परत जमती रहेगी तो भूल जायेंगे यह मैं कई बार कह चुका हूं अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर

(श्री नानूराम कुमावत)

रहा था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो गया जिसके दो उदाहरण तो पहले दे दिये हैं और तीसरा मैं दे रहा हूं इसलिये इसको लास्ट में रखा ताकि कम से कम मंत्री जी इस बात को भूलें नहीं। माननीय मंत्री महोदय, 1970 में यहां नगर परिषदके मैम्बर थे और इनके एक साथी और थे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो नाम ले लूं। एक आदमी जो इनके साथी थे, यहां पर जो जयपुर में थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि जयपुर में एक माधवनगर गृह निर्माण सहकारी समिति है, अध्यक्ष महोदय, उसमें लाखों रुपये का नहीं करोड़ों रुपयें का घोटाला है और उसमें आप जिनके....

श्री दाऊदयाल जोशी : श्री रामजी ने जितना घोटाला किया है उससे भी ज्यादा है न।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर- ऑर्डर।

श्री श्री राम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय मैं एक बात का अनुरोध करना चाहूंगा चूंकि सम्मानीय सदस्य ने बातचीत में कहा है कि 1970 में मैं नगरपालिका का सदस्य था और मेरे एक साथी उसमें माधवनगर गृह निर्माण सहकारी समिति में हैं जिसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। मै अनुरोध करूंगा आपसे कि उनके नाम बताने के लिये जरूर आप कहें क्योंकि मेरे तो कोई साथी किसी माधवनगर में या किसी सहकारी समिति में नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जयपुर में तो सारे आपके साथी हैं।

श्री नानूराम कुमावत : मैं निवेदन यह कर रहा था कि भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच चुका है। मंत्री महोदय ने यह तो स्वीकार कर लिया कि मेरा साथी तो जरूर था।

श्री अध्यक्ष : इन्कार किया है उन्होंने तो।

श्री नानूराम कुमावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जयपुर में माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के जो मंत्री हैं, × × × जो आपके दोस्त थे और उन्होंने इस सोसायटी में रहकर..........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। यदि कोई माननीय सदस्य आरोपित करने वाली कोई बात कहना चाहे तो अपने नियमों के अन्दर उसका प्रावधान है। नियमों के अन्दर सूचित करना चाहिए। मुझे भी, मंत्री महोदय को भी, ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। इसलिए, कृपया..............। नाम है, वह एक्सपंज किया जाता है। आप अपने दूसरे तथ्य रख सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक गलतफहमी रह जायेगी इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, × × × का नाम लिया है, वह मेरे साथ जयपुर नगर परिषद् के सदस्य थे और वह भारतीय जनसंघ की तरफ से आये थे, जिनके साथ मेरी तो राशि भी मिलने वाली नहीं है।

श्री नानूराम कुमावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कररहा था........

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार नाम अपलोपित किया गया।

श्री मेघराज तावड़ : दोस्ती जनसंघ कांग्रेस को नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है, यह कहिये आप तो।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, शिवराम जी भी तो आपके दोस्त हैं ना, जिनका मकान पहाड़िया जी ने तुड़वाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माधवनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की बात कर रहे थे, मैंने उसके बारे में निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दाऊयाल जोशी : शिवराम जी की जायदाद जब्त करने..........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, जिस पर कि मुख्यमंत्री जी का मकान बना हुआ है.......

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य। कृपया। अंकित न हो। कृपया बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री नानूराम कुनावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था.... ....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया। एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री नानूराम कुमावत : मैं निवेदन कर रहा था कि माधवनगर गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसा आपने निवेदन किया.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, आपको कानून की जानकारी है। यदि आप किसी सोसायटी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न उठाना चाहें तो नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री नानूराम कुमावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, उदाहरणार्थ निवेदन कर रहा था.......

श्री अध्यक्ष : उदाहरण या दूसरे तीसरे, इस तरह आप कानून से बच नहीं सकते। बात यह है कि इसकी अपने नियमों में जो व्यवस्था है, नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। ऑर्डर प्लीज, भाषण समाप्त हुआ।

श्री नानूराम कुमातत : एक पॉइन्ट रह गया, अध्यक्ष महोदय। बीच में डिस्टर्ब हो रहा था। इस प्रकार भ्रष्टाचार फैल गया कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया उस कोर्ट के फैसले का मंत्री महोदय के अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हाई-कोर्ट ने फैसला दे दिया, डबल बैन्च ने फैसला दे

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नानूराम कुमावत)

दिया उसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार फैला है, कम से कम उनके खिलाफ आप सख्ती से कार्यवाही करें। आपको अगर किसी प्रकार का डर हो तो आपके पास गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं। फिर आपको डर किस बात का है ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री नानूराम कुमावत : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ यही कहना चाहूंगा, बीच-बीच में माननीय सदस्य बोल रहे थे, मेरा समय इसमें काफी खर्च हो गया।

श्री अध्यक्ष : वह समय भी फिर हो गया।

श्री नानूराम कुमावत : अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इन लोगों को 5 साल का समय मिला था। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी पांच साल का समय मिला। हमारे विरोधी दल के माननीय नेता महोदय पधार गये हैं। इनके माननीय सदस्य बार-बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं इसलिए कह देना चाहता हूं। क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, सन् 77 में गलती से जनता पार्टी का राज आ गया। उस समय के मुख्य मंत्री जी, तत्कालीन मुख्य-मंत्री जो अब विरोधी दल के माननीय नेता महोदय हैं, वह कहते थे। वह यह कहते थे, कोई आदमी काम के लिए गया, तो उनके 2-3 शब्द रटे हुए थे। देख लेस्यूं। दूसरी बार गया, कह देस्यूं। तीसरी बार गया तो, कर देस्यूं। दूसरे शब्द आज इन्होंने और रट लिये, उस समय की आदत पड़ी हुई है, आज इन लोगों ने एक और रट लिया है। सरकार अच्छे काम कर रही है, उसके लिए क्या कहते हैं ? एक तो रावी-ब्यास-सतलज का झगड़ा आ जाता है, और दूसरी रट कर रखी है इन्होंने, कि भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत है।

श्री मेघराज तावड़ : आप खुद भी कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात तो।

श्री अध्यक्ष : आप भी यही कह रहे थे।

श्री नानूराम कुमावत : लेकिन मैं इन लोगों को बता रहा हूं। जो बात मैं कह रहा था। इन लोगों को कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि कोई माननीय सदस्य बोले, अपने विचार रखे उनको शांति से सुनें। इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। यह रटे हुए 2-3 शब्द कह लेते हैं और रटे हुए 2-3 शब्द ही आज हैं इनके पास। इनके पास न कोई नीति है, न कोई कार्य-क्रम है........

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हो गया। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी

(152)

(श्री नानूराम कुमावत)

हूं। मैं अपनी बात यही कहता हुआ कि मंत्री महोदय, जो बातें मैंने कहीं उनका उत्तर ध्यान देकर सख्त कार्यवाही करेंगे। यही बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की डिमांड्स में काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जो विषय आज विधान सभा में चर्चा के हैं। जिसमें लोकल बॉडीज, सहकारिता और पंचायत व्यवस्था, यह तीनों ही राजस्थान की जनता से सीधा सम्बन्ध रखने वाले डिपार्टमेंट्स हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे सुझाव के रूप में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन अच्छी तरह जानता है कि खास तौर से जयपुर शहर आज 14 लाख की आबादी का शहर हो गया है। 14 लाख की आबादी के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे विकास प्राधिकरण और नगर परिषद् द्वारा विकास की गति को तेज करना चाहिए, वह सही मायने में नहीं कर पा रही है। आज समस्यायें एक तरह से बढ़ती जा रही हैं। उन मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार ने नीति संबंधी निर्णय लिये तो हम निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार, मुख्य मन्त्री जी और मंत्री जी के आभारी हैं लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो निर्णय राजस्थान की सरकार ने किये हैं उनकी क्रियान्विति क्या पूर्ण हो चुकी है? अगर उनके आंकड़ों मे जायें तो स्वयं मंत्री महोदय इस नतीजे पर पहुंचेंगे, जिस नौकरशाही के भरोसे के ऊपर मंत्री महोदय इस जयपुर के विकास की बात सोचते हैं वह कतई सम्भव नहीं है। जहां एक तरफ राजस्थान के अन्दर एक लाख सत्तर हजार कच्ची बस्तियां हैं व उन कच्ची बस्तियों में रहने वाले हैं। राजस्थान में 190 शहर हैं, जिनके अन्दर आज कच्ची बस्तियों की समस्या बनी हुई है। उनके अन्दर कितना हल निकाल पाये है? जो फैसले 71 में हुए, 76 में हुए हैं, 80 में हुए हैं और उसके बाद जितने फैसले हुए हैं उसमें हम कितनी गति से सही मायने में पूरी कर पाये हैं, कितनों को फायदा मिल पाया है, यह बहुत सोचने का गम्भीर प्रश्न है। क्या किसी योजनाबद्ध तरीके से इन सारे कामों की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार ने कोई योजनाबद्ध तरीके से स्कीम बनाई है? मैं सोचता हूं, मंत्री महोदय, इस सारे विषय पर गम्भीरता से चिंतन करके जो उन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं………। मैं तो यह देखता हूं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर मैं स्वयं भी विधायक रहा हूं, 72 से 77 तक जितने फैसले हुए वह, आज हम देखते हैं वैसे के वैसे पड़े हैं। आज उनकी क्रियान्विति नहीं हो सकती है। जहां भाई श्रीराम जी गोटेवाला।

(3.47 म. प.)

(श्री हरीसिंह कुम्हेर, सभापति, पदासीन)

.........शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने अपने, मंत्रिमण्डल में रहने के बाद विधान सभा क्षेत्र का विकास शायद तेज गति से किया होगा लेकिन जहां तक देखा जाय, जयपुर शहर का कोने-कोने का पूर्ण रूप से, योजनाबद्ध तरीके से विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं, जिस प्रकार से, सभापति महोदय, जनता पार्टी के राज में 50 गज जमीन जयपुर शहर में देने का फैसला किया गया था कि 50 गज जमीन, हर निवासी, जो बैठा है इन कच्ची बस्तियों में, उसको 50 वर्ग गज जमीन देने का फैसला किया था। मैं सोचता हूं, विरोधी दल के नेता महोदय यहां बैठे हैं, आज हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा ही कि निर्णय तो राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण किये हैं। जनता पार्टी की सरकार ने 50 रुपए गज इन जमीनों के अलॉटमेंट के ऊपर, नियमित करने के ऊपर लगाने का फैसला किया था आज हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने.......उसका रुपया घटाकर 5 रुपए कर दिया। उसके लिए तो वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न है, सभापति महोदय, जो जनता पार्टी को उपलब्धि नहीं मिल सकी थी वह कांग्रेस सरकार को, वह उपलब्धि तब सही मायने में फलीभूत होगी, इनके विभाग के कर्मचारी, इनके विभाग में जितने लोग बैठे हैं वह इसके अन्दर नियमित करने के लिए उनको फैसला करने के अन्दर जिस प्रकार ढिलाई कर रहे हैं. मैं सोचता हूं, उसका हल जल्दी नहीं ढूढेंगे तो कोई जनता को फायदा होने वाला नहीं है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहे बिना नहीं रह सकता, सभापति महोदय, कि जयपुर शहर के अन्दर 6000 गन्दी गलियां हैं जयपुर के परकोटे के अन्दर जो आजादी के पहले, वर्षों पुराना यह जयपुर शहर जो अपने आप में अनोखा शहर कहलाता है, जहां हिन्दुस्तान में गुलाबी नगर के नाम से पुकारा जाता है, जहां विदेशी पर्यटक आते हैं उस जयपुर के अन्दर गलियों की हालत है, जिस ढंग से सुधारने की आवश्यकता है, है, उनको पक्का करने की आवश्यकता है मैं सोचता हूं कि उसके अन्दर जो काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है, दो मकानों के बीच की गलियां कम से कम 6000 गलियां हैं, 6000 गलियों को वहां यदि योजनाबद्ध तरीके से काम हाथ में नहीं लिया गया तो निश्चित तौर से जयपुर शहर के विकास के अन्दर तेज गति आनी चाहिये थी वह नहीं आ पा रही है, जयपुर शहर के अन्दर सफाई पूरी नहीं हो पा रही है।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि 7 करोड़ रुपयों की स्कीम्स पर विश्व बैंक ने जयपुर शहर के विकास के ऊपर फैसला किया था, जयपुर के विकास को तेज गति से करने के लिये 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 7 करोड़ के अन्दर कितनी राशि उन्होंने खर्च की है ? मुझे जैसा मालूम

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

है राशि में से 1 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि अब तक खर्च हो पाई है, इसलिए अगर इस मन्द गति से सरकार चलेगी और उसके अधिकारी इस प्रकार से काम करेंगे तो जयपुर शहर का विकास नहीं हो पायेगा, इसलिए मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय इस विकास की कड़ी को तेज करने के अन्दर इस 7 करोड़ रुपये की राशि का पूरा प्रावधान कर दिया गया था उसका इस्तेमाल किया जाय और जयपुर के विकास को तेज गति प्रदान की जाय।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते है कि जयपुर शहर के अन्दर अलग विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि रूपान्तरण की समस्यायें खड़ी है। आज यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जयपुर शहर के 50 प्रतिशत आदमी आज कृषि भूमि के अन्दर मकान बनाकर बैठे हैं और बनाये जाने के बाद पिछले दिनों नाहरी के नाके के अन्दर राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी गये थे और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि इन सारे मकानों को नियमित करा दिया जायेगा जो भी जिस जगह बन चुके हैं अगर प्लान के अन्दर सड़क बीच में नहीं आती है, तो उन सारों को क्रियान्विति करके उनको अमली जामा पहना दिया जायगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं आपके विभाग ने उसमें किस प्रकार की मुस्तैदी बरती, क्या उन्होने मुस्तैदी की? आपने आदेश दिये होंगे, आपने लिखित में नोट भेजा होगा लेकिन कितनी प्रगति हुई? मैं जानता हूं, मंत्री महोदय आपके सामने कठिनाई हो सकती है लेकिन आपने यह जो जयपुर विकास प्राधिकरण बनाया है वह एक सफेद हाथी राजस्थान सरकार ने बनाया है। निश्चित तौर पर से इस प्रकार का जो माहौल वहां पर है उससे विकास नहीं हो सकता है। बड़े-बड़े अधिकारियों की भर्ती आप वहां कर सकते हैं, आई. ए. एस. आफिसर्स की लाइन वहां पर लगा सकते हैं, उनके लिए गाड़ियां उपलब्ध करा सकते हैं, उनके मकानों की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में जो बैठे हुये लोग हैं उनकी वह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनको एशोआराम से फुर्सत नहीं है। उनकी बिल्डिगें कैसे सुन्दर हों, एयरकन्डीशन हवा कैसे आये, सड़कों पर वातानुकूलित कारें मिल सकें। सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को, आप खुद उसके अन्दर जाकर देखें, चाहे मंत्री जी के कार्यालय की हालत ज्यादा खराब होगी लेकिन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उसके सेक्रेटरी के चैम्बर्स कितने एशोआराम के बने हुए हैं। वह कच्ची बस्तियों में जाने की स्थिति में नहीं हैं। कितनी बार उन्होंने कच्ची बस्तियों के दौरे किये होंगे, कितनी बार लोगों की फरियादें सुनी होंगी? आज वहां पर लोग बाहर खड़े रहते है, कोई सुनने वाला नहीं है, कच्ची बस्तियों के लोग खड़े-खड़े वहां पर दरवाजे पर भटकते रहते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी, राजस्थान सरकार, जो प्रगतिशील सरकार है, शिवचरण माथुर की सरकार है और मंत्री महोदय आप विकास की कड़ी में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा, आप सरप्राइज चैकिंग के लिए जायं, उन मोहल्लों में जायें और देखें कि किस

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

प्रकार के हालात है ? विकास प्राधिकरण सही मायने में जयपुर की 14 लाख जनता के लिए एक सफेद हाथी समान है वह सही मायने में विकास की कड़ी में एक रोड़ा है, वह विकास की कड़ी में कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहा है।

मैं सोचता हूं कि मकानों के सही मायने में आज नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, जो 24 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को कृषि भूमि के रूपान्तरण के रूप में मिला, आज राजस्थान की जनता इस बात के लिए आंख लगाये हुये बैठी है कि कब हमारे को स्वीकृति मिले. कब हमारे नक्शे पास हों, कब हम उसका लोन ले सकते है ? मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार की नीयत साफ थी, नीयत तो साफ है और हम उसके निर्णय का भी स्वागत करते हैं, उसने जो निर्णय लिये हैं वह काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसकी क्रियान्विति में जिस प्रकार के रोड़े अटक रहे हैं अगर इन रोड़ों को नहीं निपटायेंगे तो, माननीय मंत्री महोदय, सही मायने में जो आपकी मंशा है राजस्थान की गरीब जनता को सहूलियतें देने को, वह पूरी नहीं हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार के हालात हम देखते हैं जयपुर के विकास की दृष्टि से गत वर्षों के अन्दर, देश के अन्य प्रान्तों के अन्दर भी देखा है जिस प्रकार से रोपड़ है, चण्डीगढ़ है, अहमदाबाद में गांधी-नगर और हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों की राजधानियों के अन्दर जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया और भारत सरकार से उसके लिए राशि मिली इसलिये राजस्थान सरकार को भारत सरकार से राशि प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण योजनायें भारत सरकार के समक्ष पेश हों, ताकि हमारे जयपुर का, हिन्दुस्तान के अन्दर जिसका नाम है, जैसा कि हिन्दुस्तान के अन्दर गौरवशाली नाम रहा है, जो पर्यटकों का बहुत बड़ा केन्द्र रहा है और आज भी उसका स्थान बना हुआ है इसलिए दूसरे प्रदेश की राजधानियों के अन्दर जिस प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से विकास किया हैं उन योजनाओं का अध्ययन करने के लिए आप अपने अधिकारियों को भेजें, यहां नहीं बैठे रहें। गांधी नगर का विकास कैसे हुआ है, भोपाल का विकास कैसे हुआ है, चण्डीगढ़ का विकास कैसे हुआ है, दिल्ली का विकास कैसे हुआ है—मंत्री महोदय, आप वहां पर अध्ययन करने के लिए भेजें और भेजकर इन सारे मामलों को करने के लिए कार्यवाही करें लेकिन इतना भी मैं निवेदन कर दूं, सभापति महोदय, कि अध्ययन करने के लिए जिनको भेजा जाय, ऐसा न हो कि आने से पहले ही उनका ट्रांसफर हो जाय, आज तक यही परम्परा रही है कि जो विदेश गये किसी योजना के तहत या किसी योजना का अध्ययन करने के तहत वह आदमी जब लौटकर आता है तो उस पद पर नहीं रह पाता है और उसके एक्सपीरियन्स का फायदा नहीं मिल पाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप अध्ययन करना चाहेंगे वहां जाकर के ?

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(व्यवधान)

श्री हरि सिंह (फुलेरा) : माननीय मंत्री महोदय खुद जायेंगे आपको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मंत्रीजी जब अध्ययन करने के लिए विदेश जायें तो डा. हरि सिंह जी को भी साथ ले जायें तो व्यवस्था ज्यादा ठीक हो पायेगी।

इसलिए, सभापति महोदय.......

श्री प्रद्युम्न सिंह : साहब लगता है निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाला है?

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अब हम देखते हैं कि जयपुर शहर के अन्दर कारपोरेशन की मांग चली आती रही है जयपुर शहर के लोगों ने, जयपुर की कांग्रेस ने, जयपुर की नगरपालिका ने बार-बार इस प्रश्न को उठाया, मुझे जयपुर शहर के अन्दर कुछ दिनों अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला था, भाई श्रीरामजी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और उधर बैठने वाले श्री भंवरलाल जी शर्मा भी जानते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के सामने, जयपुर को कारपोरेशन बनाने का मामला आज काफी वर्षों से विचाराधीन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्राधिकरण को और नगर परिषद को समाप्त करके कारपोरेशन का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि कम से कम और प्रान्तों के मुकाबले में हमारे जयपुर का विकास तेज गति से हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते है कि चारों तरफ सड़कों पर लोग नाजायज कब्जा करके बैठे हैं। शहर के अन्दर जो बाहर बस्तियों में लोग बैठे हैं उनको रेगुलराइज करने का प्रश्न है लेकिन शहर को सुन्दर बनाने की दृष्टि से आज जयपुर शहर के अन्दर हम देखते है कि एम. आई. रोड जैसा सबसे बड़ा हमारा आकर्षित बाजार कहलाता है, उस एम. आई. रोड के अन्दर जब निकलते है तो सड़क के बरामदों में दुकानें आगे आती जा रही हैं, आज पांच बत्ती के चौराहे के ऊपर चार महीने पहले दुकानें नहीं थी, वह दुकानें आज बरामदों के अन्दर लग लग कर आगे बढ़ रही हैं जिन दुकानों में लोग बैठते थे उन्हें सब-लेट करके दुकानें लगानी शुरू कर दीं। मैं सोचता हूं कि जयपुर के ब्युटिफिकेशन की दृष्टि से राजस्थान सरकार के सारे अधिकारी और सारे मंत्री इस रास्ते से होकर गुजरते हैं उनको दिखता नहीं है। इस प्रकार से जयपुर के विकास की दृष्टि से उनको रोकने के लिए मैं सोचता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से काम करना है।

मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा नाजायज मामले, सभापति महोदय, करने के लिए विधान सभा सत्र, विधानसभा चल रही है,

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कोई आवाज उठा दे, कोई कुछ नहीं करेगा, नाजायज कब्जे विधान सभा सत्र के समय में होते हैं, माननीय मंत्री महोदय.......... उनको रोकने के लिए तो कम कम आपको

(4.00 म.प.)

प्रयत्न करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कुछ मुद्दों की बात मैंने की, अरबन असेसमेंट का मामला आज दुबारा विचाराधीन होना चाहिए। अरबन असेसमेंट पर ब्याज नहीं लेना चाहिए लेकिन जयपुर शहर में इसको अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए ताकि हाउस टैक्स की वसूली हो सके। मन्त्री महोदय, मैं आपको सुझाव के तौर पर कहता हूं, जयपुर में हाउस टैक्स की पिछले दिनों निश्चित तौर से काफी वसूली हुई है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं हुई, जो काम अच्छा हुआ है उसकी तो मुझे तारीफ करनी पड़ेगी लेकिन इसका एक योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाय और उसके लिए कुछ रियायत की घोषणा भी आपको करनी चाहिए। असेसमेंट के अन्दर 10 पर्सेन्ट की छूट अगर आप जयपुर की जनता के लिए अनाउन्स करेंगे तो निश्चित तौर से लोग अपने आप पैसा जमा कराने आयेंगे। एक अभियान के साथ वसूली हो जाय तो आपकी हैसियत बढ़ेगी।

सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार के हालात जयपुर शहर के अन्दर बने हैं, उसके कारण जयपुर शहर के अन्दर बिजली पानी के कनेक्शन बन्द हुए हैं। निश्चित तौर से यह बात तो माननी पड़ेगी कि इनके बन्द होने के बाद नये मकान बनने के अन्दर कमी आई है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि जयपुर का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से हो। बिजली पानी के कनेक्शन नहीं मिलने से, यह कहा जा सकता है कि नये नाजायज कब्जे कम हुये हैं लेकिन, सभापति महोदय, एक तरफ तो हम पानी बिजली के कनेक्शन करें जयपुर शहर की जनता के लिये और एक तरफ हमारी मशीनरी नक्शे पास करने में देरी कर रही है। तो यह बात कैसे संभव होगी। या तो एक तरफ पानी और बिजली के कनेक्शन बन्द रखें, दूसरी तरफ रेगुलराइजेशन की गति तेज कर उसका फैसला जल्दी करें ताकि जो यह दोहरी मार जनता पर हो रही है कम से कम उससे बच सकें। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि माननीय लोकल बॉडीज मन्त्री के हिस्से की तो ज्यादा समस्या का जिक्र कर दिया।

अब सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां सहकारिता के बहुत बड़े घपले आपने देखें होंगे। यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान में सहकारिता के अन्दर कोई भ्रष्टाचार का मसीहा है तो वह भरतपुर है। अगर दूसरा कोई नाम है तो वह सवाई माधोपुर जिला है जहां से मैं आता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह कोई व्यक्तिगत मंत्री जी पर आरोप नहीं है मंत्रीजी ने सहकारिता का चार्ज अभी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

लिया है। उसके बाद मैं यह कहू कि इन्होंने बड़ी मुस्तैदी, बडी सख्ती से कई मामले हाथ में लिये है लेकिन यह कहा जाय कि सहकारिता विभाग और भ्रष्टाचार अपने आप मे एक पर्यायवाची शब्द है तो अतिशयोक्ति नही होगी। यह विभाग ही अपने आप मे भ्रष्टाचार है। कोई मंत्री इसके अन्दर मुस्तैदी से काम करेगे तो निश्चि तौर से उनको काफी मुकाबला करना पडेगा' बहुत बड़ा हौसला इनको रखना पडेगा, बडी हिम्मत इनको रखनी होगी। जिस पर भी हमला होगा वह यह कोशिश करेगा कि यह मामला दबे। माननीय सभापति महोदय, मैं मत्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त सोसायटीज हैं उनका भण्डाफोड आप कीजिये। कई मामलों में आपने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग के लोग जिस प्रकार से खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो जो सोसाइटीज सही मायने में नपुंसक हो गई, जिन सोसाइटीज में काम बन्द हो गये, जिन में लाखो रुपये लोग खाकर चले गये उसके मामले आज तक भी नहीं निपटाये गये राजस्थान सरकार के कहे जाने के बाद भी। मैं करोली का जिक्र करूं, करौली में करोली शहर की सोसाइटी, पीपला की सोसायटी और तरह की सोसायटी है। मत्री महोदय, यह बात समझ के रखें एक ही नहीं इन सारे मसलों को आपके विभाग के लोगों ने दबा के रखा है, किस के अन्दर भ्रष्टाचार नहीं किया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार का जिन लोगों ने अपना रिकार्ड बना लिया हो, जिन लोगों के खिलाफ वारण्ट जारी हो चुके हों उसके बाद में आपके विभाग के अधिकारी आंखे मीचे बैठे हैं, फैसला नहीं कर पाते कारण क्या है? इसलिए मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, सहकारिता के विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं उन जैसे भ्रष्टाचार के अधिकारी आप और कहीं नही देखेंगे। आपके भ्रष्ट अधिकारी और बाकी भ्रष्ट लोग मिलकर अपना धन्धा चालू रखते है ताकि उनका हल नहीं हो सकें। मैं आपको स्पष्ट उदाहरण दूं, सवाई माधोपुर जिले में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री राम जी गोटेवाला ने भेजा है, उसकी जांच करायी जाय। अगर वह भ्रष्ट नहीं हो तो या तो वह इस्तीफा दे दे या मैं इस्तीफा दे दूं। सभापति महोदय, ऐसे भ्रष्ट लोगों की यदि ऐसी जगह पर नियुक्ति की जाती है उसके बाद इन सोसाइटीज की छत्र-छाया में उन लोगों को रोका जाता है और उन पर कार्यवाही नहीं होती है।

माननीय सभापति महोदय, इन सारे मामलों को आप गम्भीरता से लेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुये थोड़ी सी बात आपसे कह कर मेरी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, जिन सोसाइटीज की जांच अब तक हो चुकी है और उनको रोका गया है, उसे पूरा कराया जाय।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पंचायती राज विभाग की बात है एक बात मुझे आपसे कहनी है।....

(व्यवधान)

एक बात नहीं, आप कहते हैं तो दो बात कह दूंगा लेकिन दो से तीन नही करूंगा।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सभापति महोदय, जहां साल में राजस्थान सरकार ने 1900 स्कूल खोले हैं। निश्चित तौर से यह कहा जा सकता है कि 300 की आबादी तक के गांवों में स्कूल खोल चुकी है लेकिन उससे नीचे भी डेढ़-डेढ़ सौ की आबादी की ढाणियां है वहां भी स्कूल खोल दिये हैं। श्री शीशराम जी, जो इस विभाग के मंत्री हैं और राजस्थान सरकार दोनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षा के अन्दर इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके लिये हम आभारी हैं. लेकिन सभापति महोदय, सही मायने में यह कहा जा सकता है कि पचायती राज विभाग में मंत्री महोदय के स्तर पर तो हमें पूर्ण रूप से संतोष है और हमें इस बात को निश्चित तौर से खुशी होती है कि मंत्री महोदय कागज के डिस्पोजल में एक मिनट की देरी नहीं लगाते लेकिन मालूम नहीं इस विभाग के अन्दर नीचे क्या हो रहा है? इस विभाग के अन्दर नीचे क्या हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है. मंत्री महोदय तो ठीक हैं लेकिन ऊपर नीचे क्या हो रहा है। आज पचायत विभाग में वी.डी.ओ का जो सलेक्शन हुआ है, कौन हुआ है जो सही मायने में डिफेम थे। जिन लोगों पर करप्शन के चार्जेज साबित हो गये थे, जिन पर पुलिस ने केस बनाये आज वह आदमी सलेक्ट हुये हैं। राजस्थान सरकार के अन्दर ऐसे तत्व बैठे हैं, जिनका नीचे के स्तर पर एस.डी.आई. की परीक्षा में सलेक्शन नहीं हुआ, कई बार फेल हो चुके उनका एस.डी.आई. से वी.डी.ओ., आर.ए.एस. में सलेक्शन हो गया। जिनका मैरिट रिकार्ड था, जिनको प्रशंसा पत्र मिल चुके थे उनका सलेक्शन नहीं हुआ। मुख्य मन्त्री जी यहां हैं नहीं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी या तो बोडिया जी को मन्त्री बना दें और शीशराम जी को हटा दें ताकि यह लगे कि अभी श्री अनिल बोडिया जी राजस्थान में पंचायत मंत्री हैं, या तो उनको मंत्री बना दें या श्री शीशराम जी को मंत्री रखें, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर प्रश्न है राजस्थान के 200 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर 232 पंचायत समितियों में इस बात का प्रश्न है कि जहां एक तरफ राजस्थान सरकार प्रगति की राह पर बढ़ रही थी, जहां राजस्थान का पंचायती विभाग मुस्तैदी से काम करना चाहता है, जहां एक गरीब से गरीब आदमी पचायती मंत्री के दरवाजे पर जाकर अपने काम की बात कर सकता है वहां उसका कागज सेक्रेटेरियेट में जाकर सात तालों में बन्द हो जाता है और कागज रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं। इसलिये मैं सोचता हूं, सभापति महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मैं इसमें खास तौर से कुछ नहीं करना चाहूंगा लेकिन मुख्य मंत्री महोदय को इसके अन्दर मुस्तैदी से कोई फैसला करना चाहिये ताकि पंचायती विभाग की जो साख इस राजस्थान में बनी है उसमें चार चांद लग सकें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, मेरे पास यह लिस्ट है जो हमारी पार्टी की तरफ से आपको दी हुई है, उसमें मेरा नाम पहले है।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(व्यवधान)

नहीं नहीं, आप अपने डिस्क्रिशन से इसमें कितना चेन्ज करेंगे यह एक विचार है।

श्री सभापति :नहीं, नहीं, मैंने अपने डिस्क्रशन से इसमें कोई चेन्ज नहीं किया है। यह आपको अपनी पार्टी का अन्दरुनी मामला है।

श्रीमती विद्या पाठक : फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आप बोलें।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : श्रीमती विद्या पाठक को बोलने दीजिये। इन्होंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं.......

डा. हरिसिंह : विद्या पाठक जी को पहले बोलने दें, उनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं?

डा. हरिसिंह : मैं इसलिए हो रहा हूं कि यह मेरी गुरुआनी हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आप चिन्ता रहित हो जाये, यह हमारी अपनी अंडर स्टेंडिंग है।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सबसे पहले मैं पंचायती राज मंत्री से मुखातिब हो कर जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने पंचायती राज सम्मेलन बहुत समय पहले बीकानेर में किया था उसमें मुख्य मन्त्री जी ने राजीव गांधी के प्रभाव में आकर कई तरह की बड़ी-बड़ी घोषणायें की थीं। मन्त्री महोदय मैं जानना चाहूंगी कि उन घोषणाओं के बारे में आज तक आपने क्या किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया या नहीं ? अगर हो गया तो कहां तक हो गया ?

सभापति महोदय, पंचायतों को कई तरह के अनुदान दिये जाते हैं। यह अनुदान की राशि पंचायत समितियों के माध्यम से दी जाती है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि पंचायत समितियों को अनुदान देने के मामले में मनमानी करती हैं, राजनीतिक प्रभाव काम में लिया जाता है, व्यक्तिगत सम्बन्ध उठाये जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगी कि राजस्थान में कई पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें अनुदान की राशि तीन-तीन साल से नहीं दी गई। उन्होंने कई तरह की शिकायतें की हैं जो मन्त्री महोदय, के पास भी हैं जिनकी प्रतिलिपि विधायक होने के नाते मेरे पास भी है। एन. आर. ई. पी. के तहत स्कूलों को राशि दी जाती है। उस राशि के लिए

(सुश्री पुष्पा जैन)

आपने आदेश दे रखे हैं कि यह राशि जिसको चाहे प्रदान कर दें, और जिसको चाहे नहीं करें। मैं यह जानना चाहूंगी कि खादी ग्रामोद्योग योजना के तहत कुटीर उद्योग लगाने के लिए पंचायत समितियों के माध्यम से केसेज रिकमण्ड होते हैं। सभापति महोदय, केसेज रिकमण्ड हो गये, खादी ग्रामोद्योग योजना के तहत कुटीर उद्योग लगाने के लिए गरीब लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं लेकिन उनके केस रिकमण्ड हो रहे हैं जिनका राजनीतिक........

श्री शीशराम ओला : अनुदान नहीं मिल रहा है 20 वर्ष से है क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : तीन वर्ष। मन्त्री महोदय तीन वर्ष पूर्व खातीपुरा पंचायत समिति झोटवाड़ा में एक केम्प लगा था वहां 5600 रुपये मकान बनाने के लिए और मुर्गियों की खरीद के लिए तय किये गये। लोगों ने मकान बना लिये हैं और आज तक वह मकान और मुर्गी के लिए पीछे-पीछे घूम रहे हैं उनको कोई राशि नहीं दी जा रही है। यह सबसे बड़ा अन्याय किया है........

श्री शीशराम ओला : कौन-सी पंचायत........

सुश्री पुष्पा जैन : झोटवाड़ा पंचायत समिति।

श्री शीशराम ओला : किस काम के लिए ?

सुश्री पुष्पा जैन : मुर्गी पालन के लिए ट्रेनिंग दी थी।

मंत्री महोदय सबसे बड़ा अन्याय जो जनता के साथ आपने किया गांवों में वहां जो सरपंच है उनको चरागाह की भूमि बेचान में देने का अधिकार था क्या ? मैं कहना चाहूंगी कि सरपंच मनमानी कर रहे हैं जहां गरीब जनता चाहती है कि चरागाह रहे, सरपंच अपने मन से चरागाह भूमि को लाखों रुपये में बेच रहे हैं। वह पैसा किस फण्ड में जा रहा है, कहां जा रहा है मालुम नहीं। मत्री महोदय मैं गलत नहीं हूं आपके पास इस तरह की कई शिकायतें आई है। नजीर के तौर पर उदाहरण देना चाहूंगी, मुण्डिया राम सर पंचायत है, श्री इन्द्रजीत सिंह जो वहां सरपंच है उनके खिलाफ कई शिकायतें ग्रामवासियों ने की। आप मना नहीं कर सकते कि शिकायत नहीं की है। मैं कुछ समाचार-पत्रों का हवाला भी दूंगी। मन्त्री महोदय, इन्होंने चरागाह की जमीन को बेच दिया, ग्राम वासियों ने कहा कि मकान हैं, गांव के पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं है इसलिए चरागाह भूमि रहना चाहिए। इसके बावजूद जयपुर के बाहर के लोगों को चरागाह भूमि बेच दी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चरागाह भूमि पहले बेची गई और बसकी किश्त परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन बाद में लगाई। आपको यह जानकर और भी ताज्जुब होगा कि जिलाधीश जयपुर ने इस चरागाह भूमि पर मकान बनाने के लिए जिसमें अधिकांशतः जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारी हैं उनको लोन स्वीकृत कर दिये हैं। यदि गरीब जनता की जमीनों को इस तरह के बाहर के लोग शहरों के लोग, सरपंचों के माध्यम से

(सुश्री पुष्पा जैन)

हथिया लेंगे तो वह किस से फरियाद करेंगे? आप से करेंगे। आपके पास इसकी कई शिकायतें आई, आपने सुना नहीं। मजबूर होकर उन्होंने समाचार-पत्रों का सहारा लिया। 25 जून के राजस्थान पत्रिका में छपा है गोचर भूमि आबादी में नहीं बदलने की मांग। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम सरपंच ने गोचर भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिए जिलाधीश जयपुर से सिफारिश करवा कर राज्य सरकार को भेजी है। गांव का एक भी आदमी इस भूमि में प्लाट खरीदने का इच्छुक नहीं है। इस भूमि के प्लाट कटने से पशुओं के लिए चरागाह के लिए जमीन नहीं रहेगी। यह 26-6-1983 को राष्ट्रदूत में छपा है गोचर भूमि को आबादी में नहीं बदलने की मांग ग्राम वासियों ने कहा है। मैं इसको पूरा पढ़कर समय खराब नहीं करना चाहती। दैनिक नवज्योति में छपा है 10 वर्ष से बसे लोगों को 24 घण्टे में हटने को कहा गया। यह मामला अलग तरह का मामला है। 1974 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी गरीब लोगों को आवासीय भूमि के लिए छप्पर, पट्टे दिये गये। उसी पट्टे योजना के तहत मूण्डिया रामसर ग्राम पचायत में पट्टे बंटे थे। आपको पता होगा उन पट्टों को जयपुर के लोगों को बेच दिया सरपंच ने। इसकी शिकायत की गई और उस आवासीय पट्टा योजना के तहत गरीब को छप्पर योजना जो चलाई जिसको आवासीय पट्टे पहले से ही मिले हुए है उस गरीब ने छप्पर योजना के तहत पैसा ले लिया, छप्पर डाल कर वह रह रहें हैं।

श्री शीशराम ओला : यह पंचायत कौन-सी थी जो पट्टे बेच दिये?

सुश्री पुष्पा जैन : मुण्डीया रामसर। आवासीय भूमि निशुल्क आवासन पट्टे आबादी........

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमवा रामगढ़ में भी चार हजार पट्टे बटे थे, उन्हें भी लिख लें, मन्त्री महोदय।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 31 के अन्तर्गत भूमिहीन अनुसूचित जाति एवम् जन जाति और कृषि कर्मी, कारीगर तक को रिहाइशी भूमि हेतु निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जिसकी फोटो-स्टेट कापी मेरे हाथ में है।

श्री शीशराम ओला : पंचायत समिति का नाम?

सुश्री पुष्पा जैन : ओम प्रकाश पुत्र श्री भरतलाल को 30-12-1974 को दो पट्टे मिले। पंचायत का नाम मुण्डीया रामसर है पट्टे को बेचने के लिए श्री इन्द्रजीत सिंह मंत्री महोदय मुझे कहते हुए खेद है कि आज किस प्रकार आप मुझ से जानकारी ले रहे है, लोगों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की थी, उन सबकी कापियां मेरे पास हैं अंगूठा लगा-लगाकर उनके हाथ घिस गये, अगर सुनवाई हो जाती तो यह नौबत आज नहीं आती। मुण्डीयां रामसर सरपंच के द्वारा जो अराजकता फैलाई जा रही है,

(सुश्री पुष्पा जैन)

जो गोचर भूमि को बेचा जा रहा है.. लोगों के आवासीय पट्टे छीन कर उनको भूमिहीन किया जा रहा है उनकी आप खैर खबर लें, वरना बड़ा अन्याय होगा। सभापति महोदय, यही नहीं इस सम्बन्ध में पुलिस की मदद ली है। जो लोग आवासीय पट्टा नहीं छोड़ रहे हैं उनको पुलिस के जरिये डण्डे मार-मार कर हठाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस समस्या की ओर आप तत्काल ध्यान देंगे।

ग्रामों में जो हैण्ड पम्प लगाने की योजना है। आपकी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 30,97 हैण्ड पम्प पंचायत समितियों के अंडर में दे दिये गये हैं। अब इनमें से पांच हजार नो सो चालीस खराब हैं। जिन्हें ठीक कराने का खर्चा होगा अट्ठाइस लाख बारह हजार एक सौ बाइस। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी यह पैसा कहां से आयेगा। प्रति हैण्ड पम्प आपने कहा है कि 150 रुपया दिया जायेगा। सभापति महोदय, आप बता सकते हैं कि 150 रुपयों में खराब हैण्ड पम्प ठीक हो जायेगा ? कभी नहीं होगा। 150 रुपये में हैण्ड पम्प तो ठीक नहीं होगा। लेकिन इस पैसे का बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होगा। कल सरपंच यह करेंगे कि उस पैसे से न तो हैण्ड पम्प ठीक करायेंगे और वह पैसा स्वयं रख लेंगे, कह देंगे हैण्ड पम्प पर 150 रुपये लागा दिये वह ठीक नहीं हुआ। लिहाजा इसको आप दुरुस्त कीजिए, नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा घपला होगा। दूसरे मैं जानना चाहूंगी कि इन खराब हैंड पम्पों को ठीक करवाने के लिए जितनी राशि बताई है वह राशि का इन्तजाम कहां से करेंगे ? लिहाजा करेंगे या नहीं करेंगे।

अब मन्त्री महोदय आपके पास और भी शिकायतें आई हुई हैं झोटवाड़ा पंचायत समिति के बी. डी. ओ. के खिलाफ आपके पास कई शिकायतें आई हैं बहुत लम्बे समय से और मैंने स्वयं भी आपको कई शिकायतें दी हैं और इस संबंध में एक अर्ज और भी करना चाहूंगा कि मुण्डिया रामसर में जो मैं आपको बता रही थी उस संबंध में आपके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुख्य मन्त्री जी को भी एक पत्र लिया और आपके जिला महा मंत्री कांग्रेस ने भी आपको एक पत्र लिखा। उन पत्रों के जवाब में आपने कहा कि कार्यवाही की जायेगी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं इस बी' डी. ओ के संबंध में कहना चाहूंगी मन्त्री महोदय 1980 में बी. डी. ओ. झोटवाड़ा ने बेगट पंचायत समिति में अकाल के नाम पर फर्जी गेहूं और सीमेन्ट का वितरण किया। लोगों ने शिकायतें की और इसकी जांच शुरू हुई। एस. डी. ओ ने जांच की। एस. डी. ओ. की जांच से जब सन्तुष्ट नहीं हुए तो ए. डी. डी. ओ. से जांच करवाई गयी। दोनों बार दोषी पाया गया यह बी. डी. ओ. लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही आज तक भी नहीं हुई।

सभापति महोदय, इसी पंचायत समिति झोटवाड़ा में पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोषाहार कार्यक्रम के तहत जो अधिकारी लगे हुये हैं, कर्मचारी लगे हुये हैं वेतन के अलावा हजारों रुपयों के यात्रा भत्ते उठा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि तीन साल से इस पोषाहार कार्यक्रम में कोई काम नहीं चल रहा है। लिहाजा मैं जानना चाहूंगी कि वह पैसा किस मद में उठाया जा रहा और कहां जा रहा है ?

(162)

(सुश्री पुष्पा जैन)

मंत्री महोदय, मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी कि मूंडिया रामसर के सरपंच श्री इन्दर सिंह बारेट इन्होंने शिक्षा राशि के नाम पर लाखों रुपया एकत्रित किया है रसीदें जारी करके। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि यह शिक्षा के नाम पर जो पंचायत से और लोगों से वसूल किया वह पैसा कहां गया किस मद में जमा हुआ और उस पैसे को किस अधिकार से इस सरपंच ने एकत्रित किया? मैं समझती हूं कि आप जब उत्तर देंगे अपना तो इस संबंध में मुझे जानकारी देंगे....

श्री शीशराम ओला : इसकी कोई रसीदें हैं किन्हीं के पास ?

सुश्री पुष्पा जैन : रसीदें हैं मैं आपको दे दूंगी।

सभापति महोदय, राजनीतिक आधार पर किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है मैं इस ओर जरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। महुआ में एक पंचायत नाहेड़ा का एक नामांतरण है मेरे हाथ में। मंत्री महोदय, उप-प्रधान हैं यहां के भागीरथसिंह जी पुत्र कल्याण सिंह जी। अब इन्होंने अपनी जमीन का नामांतरणकरण स्वयं ही खोल लिया। इनके ऊपर न कोई पंचायत है और न कोई पंचायत का कोई अन्य सदस्य है। यह खुद की जमीन, खुद का नामांतरणकरण और खुद ही खोलने वाले और खुद के दस्तखत और जमीन लेकर बैठ गये।

मांगेसिंह पुत्र कल्याण सिंह गूजर गैर खातेदार स्वीकार किया गया। मांगेसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नाहेड़ा अलाटमेंट दिनांक 9–12–67 शेष अवधि 5 वर्ष का ढाई गुना लगान 39 रुपये की कायमी की जाकर नामांतरणकरण खोला गया। इस तरह के मामले हैं और दूसरी तरफ इन्होंने सरपंच महोदय ने एक फर्जी प्रमाणपत्र दिया। श्री मांगेसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नाहेड़ा उप-प्रधान पंचायत समिति महुआ को अविलम्ब निलम्बित कर गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में। मंत्री महोदय जिस व्यक्ति को अनुसुचित जनजाति का प्रमाणपत्र दिया गया है बाद में जब मालुम हुआ कि यह प्रमाणपत्र फर्जी है और वह व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का नहीं गूजर जाति का है तो उनके खिलाफ लोगों ने शिकायत की जिसके ऊपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर ने कहा :

"उपरोक्त विषय में श्री मांगेसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नाहेड़ा उप-प्रधान पंचायत समिति महुआ के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत करने पर उसकी जांच मौके पर की गयी। श्री हरविलास पुत्र ऊमण्डी गूजर के उक्त प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर सरपंच श्री मांगेसिंह के होना प्रतीत नहीं होता है"।

मैं पूछना चाहूंगी कि जिलाधीश किस तरह से फिगर एक्सपर्ट हो गये। उन्होंने यह कैसे तय कर लिया कि इसके हस्ताक्षर होना प्रतीत नहीं होता है और जब गुजारिश की गई कि फिगर एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई जाये तो आगे वह कहते हैं :

"प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर सरपंच श्री मांगेसिंह के होना प्रतीत नहीं होता है

(सुश्री पुष्पा जैन)

यदि आप हस्ताक्षर विशेषज्ञ की फीस जमा कराने को तैयार हो तो इसकी जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराई जा सकती है"।

बहुत खूब मंत्री महोदय कोई फर्जी कार्यवाही करे, गरीब लोग उसकी शिकायत करें और राज्य अधिकारी यह कह दें कि आप फीस जमा करायें तो यह कार्यवाही हो सकती है और फीस जमा नहीं करवायें तो कार्यवाही नहीं हो सकती। तो भई, गरीब जनता के पास इतनी ताकत नहीं है, एक तो वैसे ही डरते डरते लोग शिकायत नहीं करते और बड़ी हिम्मत करके कोई शिकायत करे तो फीस के नाम पर आप राशि मांग लें तो कौन शिकायत करेगा और किसकी जांच होगी। मैं समझती हूं कि भ्रष्टाचार को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, एक तरफ तो मैंने ऐसे सरपंचों की बात बताई और अब दूसरी तरफ जैसा मैंने राजनैतिक भेदभाव के लिए कहा था, कार्यालय पंचायत समिति थानागाजी सरपंच श्री मूरालाल ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ को पंचायत समिति विकास अधिकारी ने एक अभियोगपत्र कहें या क्या कहें इसको तो आप स्वयं ही सुनकर समझ लें। इन्होंने एक अभियोगपत्र इनके खिलाफ जारी किया है। इस मुकदमें में इसके कालम नम्बर 5 को मैं पढ़ रही हूं सभापति महोदय:

"इस मुकदमे में प्रभुदयाल वादी के वकील शिवनारायण भारतीय जनता पार्टी अलवर के जिलाध्यक्ष हैं तथा मूरालाल सरपंच भारतीय जनता पार्टी का क्रियाशील सदस्य है तथा जनता पार्टी थानागाजी कार्यकारिणी का सदस्य है तथा प्रभुदयाल स्वयं भी जनता पार्टी का सदस्य है अतः आपको नोटिस दिया जाकर लेख हैं कि उक्त बिंदुओं का सात रोज के अन्दर जवाब दें अन्यथा बाद मियाद आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही 17(4) की करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या किसी पार्टी का सदस्य होना गुनाह है? गुनाह है तो आपको यह अधिकार किस ने दिया कि आप उसको इस तरह सलाह दें। आप बैन क्यों नहीं लगा देते कि राजस्थान में कि कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरी किसी पार्टी का सदस्य होगा तो उसको आप सजा देंगे। आपको यह अधिकार किसने दिया? जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरपंच जनता पार्टी का है लिहाजा आप उसको 16(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करके सजा दे देंगे? मैं समझती हूं कि यह सबसे बड़ी भूल है आपकी। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो थानागाजी का चुनाव अभी आने ही वाला है। मंत्री महोदय आपको बहुत जल्द इसका अन्जाम मालुम हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : आप हारेंगे और हम जीतेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : हां, हां समय आयेगा, मालुम पड़ जायेगा।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : हां समाप्त ही कर रही हूं।

(सुश्री पुष्पा जैन)

अब मैं थोड़ा सा को-आपरेटिव मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा स्केन्डल है गुलाबपुरा को-आपरेटिव मिल का। बहुत से मेरे माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी का बहुत हवाला दिया है। जरा मैं भी जनता पार्टी शासन का हवाला देना चाहूंगी। गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल-जिस समय जनता पार्टी के सदस्य मिस्टर चचानो इसके अध्यक्ष थे तो यह मिल फायदे में जा रही थी। उसके बाद उनके अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद आपने स्पिनिंग मिल में प्रशासक नियुक्त किया तब भी यह स्पिनिंग मिल फायदे में जा रही थी। वापिस अध्यक्ष होते हैं श्री देवेन्द्रसिंह जी भट्ठा बैठा दिया इन्होंने। इनके टाइम में मैं बताना चाहूंगी कि 70 लाख रुपये का घाटा हुआ इस स्पिनिंग मिल में। मौजूदा कृषि मंत्री जी और तत्कालीन अध्यक्ष गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगी कि मौजूदा अध्यक्ष श्री जतनसिंह जी और तत्कालीन अध्यक्ष श्री देवेन्द्रसिंह जी इन्होंने दोनों ने मिल कर.......

श्री सभापति : कृपया नियमों का ध्यान रखें। किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने के पहले नोटिस देना जरूरी है।

सुश्री पुष्पा जैन : ....जयपुर में लाखों रुपया खर्च करके एक मकान बनाया। मैं पूछना चाहूंगी कि वह मकान कहां से आ गया उसके पास ? किस पैसे से इन्होंने, अध्यक्षों ने मिलकर मकान बनाया। यह दूसरी बात है कि श्री देवेन्द्रसिंह जी के भानजे के नाम से वह कोठी बनी। मनों मे फर्क आ गया और जतनसिंह जी का पत्ता काट दिया गया और झगड़ा अभी तक बरकरार है।

मंत्री महोदय एक गांव की एप्लीकेशन मेरे पास आई थी जिसकी कापी है मेरे पास और जिसकी मूल प्रति आपको गांव वालों ने दी। रोजदा पंचायत के रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण ग्राम सरदारपुरा पचायत रोजदा। सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति रोजदा के मार्फत 2500 रुपये का लोन मार्च, 83 में स्वीकृत हुआ था जिसकी राशि मुझे अभी तक नहीं मिली है मुझे और मेरे साथी अन्य व्यक्तियों को इसी प्रकार की लोन राशि का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री महोदय यहां मुझे नजर नहीं आ रहे है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप अपनी बात आरम्भ रखिये।

सुश्री पुष्पा जैन : पूछें किस से ?

श्री सभापति : मंत्री जी विराज रहे है। मंत्री जी हैं, चेतराम जी बिराज रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : सहकारिता मंत्री तो गायब हैं। वह जवाब देंगे।

श्री सभापति : सदन के नियम यही हैं कि कोई भी मंत्री उपस्थित रह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : नोट क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री सभापति : यह तो हृदयंगम कर रहे हैं। नोट नहीं कर रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं मंत्री महोदय महोदय से पूछना चाहूंगी कि इस तरह का भेदभाव क्यों ? आप अगर नहीं दे सकते तो लोन मन्जूर करना ही नहीं चाहिये। आप गरीब लोगों के लोन मंजूर कर देते हैं और उसके बाद उनको कितना परेशान होना पड़ता है, आप इसका अन्दाजा नहीं लगाते। आप स्वयं ग्रामीण को रिप्रेजेन्ट कर रहें हैं आपने अन्दाजा नहीं किया है गरीब आदमी, जिसको खाने को दो वक्त रोटी नसीब नहीं होती, आपके पीछे पीछे भागते फिरें। जयपुर में आने जाने के लिये पैसा खर्च करें, किस बात के लिये, किसलिये, अच्छा हो, बेहतर हो आप उसकी अर्जी अस्वीकृत कर दें लोन आपको नहीं मिलेगा, लिहाजा स्वीकृत नहीं करें। मैं समझती हूं इतनी बड़ी परेशानी तो नहीं हो।

सभापति महोदय, अब मैं....

श्री सभापति : आपकी समय सीमा 15 मिनट थी, माननीय सदस्या, आप 20 मिनट ले चुकी हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं पांच मिनट और लूंगी।

नगरपालिका मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे अपने क्षेत्र अजमेर में बदनसीब दो बच्चे, जिनका कोई भी नहीं, न मां, न बाप, न दादा न दादी, नाम अगर कहूं अनाथ हैं उनमें से छोटा बच्चा जो अजमेर स्कूल की छत गिर गई थी लिहाजा उसमें दुर्घटना का शिकार हुआ और उसका पांव डाक्टरों को काटना पड़ा। जो बड़ा बच्चा है उसका दादा, श्री रामचन्द्र वह इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करता था, म्यूनिसिपैलिटी में पल्लेदार या। दुर्भाग्य की बात है कि 13-3-82 को दादा का देहावसान हो गया। उसके बाद इस बच्चे ने नगरपालिका रूल्स के तहत, सरकारी रूल्स के तहत नगरपालिका को दरख्वास्त दी कि उसका कोई नहीं उसे अपना और अपने भाई का भरण पोषण करना है, वह अपंग है, लिहाजा उसको नोकरी दे दी जाये आपको सुनकर ताज्जुब होगा, नगरपालिका के अधिकारियों ने जिस तरस का जवाब दिया मंत्री महोदय, × × × अधिकारियों ने कहा....

एक माननीय सदस्य : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, आपको सुनकर दुख होगा, अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया कि सरकारी रूल्स के तहत अगर बच्चे का पिता नगरपालिका में नोकर होता तो हम उसको नोकरी दे देते, पिता नोकर नहीं था, दादा नोकर था इसलिये नोकरी नहीं देंगे। मैं पूछना चाहती हूं अनाथ बच्चे है जिनका आगे पीछे कोई नहीं, जिसके मां, बाप पिता जिस भी नाम से कहें वह दादा ही था, वह गुजर गया। आप कानून की आड़ में नोकरी देना नहीं चाहते। यह कानून जनता के लिये बने हैं या जनता कानून के लिये बनी है ? क्या इस तरह से कानून के हम गुलाम बन रहे हैं। हम विधान सभा में बैठकर कानून किस लिये बनाते हैं, अधिकारियों के लिये या जनता के

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलेपित की गई।

(सुश्री पुष्पा जैन)

लिये ? अगर जनता के लिये बनाते हैं तो मंत्री महोदय कहें।

सभापति महोदय, यहां कोई मंत्री है ही नहीं। इतनी मेहनत करके हम यहां ऐसे ऐसे मुद्दे उठायें और अगर मंत्री महोदय सजीदगी से सुनें भी नहीं—

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कृपया डिबेट की तरफ ध्यान रखिये।

सुश्री पुष्पा जैन : इनका तो यह पोर्ट-फोलियो ही नहीं है, यह × × × क्या करेंगे।

श्री सभापति : सरकार को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, यही नहीं....

श्री सुजानसिंह यादव : मंत्री महोदय को तो हाऊस में रहना चाहिये। आप बुलाइये।

श्री सभापति : मंत्री जी यहां हैं।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आप इनसे पूछ लीजिये, इन्होंने क्या बात कही है, अगर यह नोट कर रहे हैं। सभापति महोदय, कन्सर्निग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है....

श्री सभापति : सदन के नियम के अनुसार कोई भी मंत्री सभा में उपस्थित रहेगा, यही पर्याप्त है।

सुश्री पुष्पा जैन : कोई कैबिनेट मंत्री तो बैठा हो ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर : केवल यूं ही सभी चुपचाप करके बैठे रहेंगे—

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, समय जा रहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या मंत्री मण्डल का कोई भी सदस्य यहां पर है, कोई कैबिनेट मंत्री यहां बैठा ही नहीं है। नियमानुसार क्या उनका यहां बैठना आवश्यक नहीं है ?

श्री सभापति : नियम यह नही है। कोई अलग नियम हों तो आप बतायें।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे बड़ा अफसोस है, सभापति महोदय....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, इसका कोई....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। मंत्री की परिभाषा में डिप्टी मिनिस्टर भी आता है। कृपया विराजिये। मंत्री की परिभाषा देखिये, नियमों में यही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो बोलेगें माननीय मंत्री जी नोट करेंगे। माननीय विधायिका ने जो बात कही है उसको नोट किया है क्या ? अगर किया हो तो कहिये।

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आप समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें बतायें तो....

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अपना फर्ज पूरा करती हूं, मुझे नहीं पता राज्य सरकार अपना फर्ज पूरा करेगी या नहीं !....

श्री सभापति : अब तो दूसरे मंत्री भी आ गये हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : आपका आदेश है तो मैं अपना कर्त्तव्य पूरा करती हूं ।

श्री सभापति : मैं तो नियमों के अनुसार ही कहूंगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, जिस नद किशोर मीणा का मैं अभी जिक्र कर रही थी, उस बच्चे का दादा का पी. एफ नगर पालिका में बकाया है, उसकी ग्रेच्युटी की राशि बकाया है, बार बार ठोकरें खाने के बाद भी उस लड़के को नहीं मिली । अब मैं पूछना चाहती हूं, आखिर वह बच्चा अपने भाई का और अपना गुजारा किस तरह से करे ? क्या आप चाहते है वह कटोरा लेकर दर दर की भीख मांगे ? भिखारी बन जाये यही चाहते हैं आप ? अगर ऐसा नहीं चाहते तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, आप रहम करें इन बच्चों पर और उनका अधिकार उनको दे । अगर उनको नौकरी नहीं दे सकते तो उसके दादा की पी. एफ. की राशि ग्रेच्यूटी की राशि तो कम से कम उनको दें जिससे अपना धन्धा करके वह अपना गुजारा कर स ।

सभापति महोदय, थोड़ा सा ध्यान जे. डी. ए. की तरफ दिलाना चाहूंगी । यह बड़ा अजीबोगरीब महकमा है । जब चाहे नींद खुल जाये, जिसकी चाहे-चाहे तामीरात कानून हो, चाहे गैर कानूनी हो, तोड़ कर आ जायें और अगर इनका जी चाहे, इनकी आंख के सामने इनकी नाक के नीचे गलत तरीके से निर्माण हो जायें, यह अपनी कुंभकरण की नींद सोते रहते हैं । इसका उदाहरण देना चाहूंगी । अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी रोड के तख्तेशाही रोड पर एक लम्बे समय से मन्दिर का निर्माण हो रहा था....

श्री सभापति : कृपया जल्दी बात समाप्त करें ।

सुश्री पुष्पा जैन : हमने, सब ने इसकी शिकायतें की जे. डी. ए. को, जौहरी बाजार से जीत कर आने वाले माननीय सदस्य नालेज में भी यह बात है, उस मन्दिर को नहीं हटाया, यू. आई. टी. ने नहीं हटाया, जे. डी. ए. ने नही हटाया । उसके बाद जब जे. डी. ए. की मीटिंग हुई, हमने शिकायत की तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक फौज से लेकर कम से कम सैकडों सिपाही होगे जे. डी. ए. के लोग जाकर घनाघन मूर्तियां तोड़ने लगे । वहां एकत्रित पब्लिक ने एतराज किया, एतराज इस बात का नही किया कि गलत निर्माण को न हटायें, उन्होंने कहा आप मूर्तियों को न तोड़ें, हम हिन्दुस्तानी लोग हैं उनका आदर करते हैं हमारी आस्था है । हम इनको दूसरी जगह स्थापित कर देंगे । आपको जानकर ताज्जुब होगा, एडीशनल एस. पी. श्री शेरवी, ने दो तीन लड़कों जिन्होंने एतराज किया था, को मार मार कर खाल में भूसा भरने जैसी स्थिति में छोड़

(सुश्री पुष्पा जैन)

दिया उसके बाद उनके ऊपर दो क्रिमिनल केस बना दिये। यह अजीब न्याय। फिर सभापति महोदय, हुआ क्या जो गलत तामीरात हटा रहे थे, सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं मंत्री महोदय, आज उस साधु ने उस जमीन पर वापस कब्जा कर लिया है आपकी नाक के नीचे, आपकी आंख के सामने जहां जे. डी. ए. का कार्यालय बना हुआ है। अलावा इस बात के आपने उन लड़कों को पीटा, मारा और उन पर गलत तरीके से झूठे मुकदमें बनाये और फौजदारी मुकदमें के तहत अदालतों के चक्कर खा रहे हैं और साधु ने वहां के वहां पर वापस निर्माण कर लिया है।

सभापति महोदय, जिस जगह पर मैं रहती हूं मोती डूंगरी रोड, जो माननीय शिवराम जी का विधान सभा क्षेत्र है, नायला हाऊस के सामने जो गली है, सोना रूपा के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग है सारे रास्ते को रोक कर वह मकान बना हुआ है। कई दफा जे डी. ए. की जानकारी में लाया गया है कि यहां कई एक्सीडेंट होते है, कोई बड़ा व्हेविल घुस नही सकता, इस गलत निर्माण को हटाया जाये....

(समय समप्ति सूचक घंटी)

यही नहीं, सभापति महोदय, इसी आदर्श नगर में श्री महेन्द्र कुमार सेठी का मकान है जिसने सरकारी सड़क को रोक कर पूरी तामीरात कर ली और उसके नीचे कार्मशियल व्यापार कर रहा है। रेजिडैंशियल एरिया, कामशियल पर्पज से मकान इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन जे डी. ए को इस बात की चिन्ता नहीं है, चिन्ता कहां हो, झोटवाड़ा में सन् 1970 के पहले के जो काबिज हैं उन लोगों के जे. डी. ए. ने वहां जाकर कब्जे तोड़ डाले, उन लोगो को वहां से खदेड़ दिया। सभापति महोदय, मैं जानना चाहती हूं, कूकस में....

श्री सभापति कृपया समाप्त कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : समाप्त कर रही हूं। कूकस की मेन रोड पर करनैल सिंह जो पंजाब के सगरूर जिले के हैं उन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर लिया, पक्का होटल बना लिया क्योंकि सरकारी अधिकारियों की वे सेवा करते रहते हैं, उनकी तामीरात नहीं हटी। हटी किस की ? कूकस गाव के अन्दर कुछ लोगों ने जो दुकानें बना लीं, जे. डी. ए. को जैसे रात में सपना आया, सवेरे जाकर उनकी दुकानें तोड़ दीं। सभापति महोदय, नियम तो सब के लिये बराबर हैं, जो व्यक्ति अधिकारियों को एप्रोच कर लेता है, जो न्याय को एप्रोच कर लेता है लेकिन जो बेचारे सच्चे है गरीब है, रोटी रोजी का जरिया नहीं, उनकी मदद नहीं करके और उनके निर्माण तोड़ दें, चाहे लाख रुपये का बना हो, चाहे सही बने हों, चाहे गलत बने हों। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मैंने जो बातें कहीं हैं उनमें बातें बड़ी गम्भीर है, अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप गरीब जनता की ज्यादा ज्यादा से सेवा कर पायेंगे और जो राज्य सरकार का मकसद है आप उसकी पूर्ति कर पायेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आज की मांग संख्या 36 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। वैसे पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं नगर पालिका क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित है। उनके बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत विचार व्यक्त किये हैं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का आपके माध्यम से विनम्र ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दर असल से सहकारिता एक जीवन दर्शन है, भारतीय संस्कृति और इस देश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है। आज भी सहकारिता को देश की आर्थिक नीति घोषित किया गया है। मैं समझता हूं हमको सारे कार्यक्रम को इसी सन्दर्भ में देखना, परखना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, अलग-अलग स्टेट्स में राजस्थान में जो अलग-अलग स्टेटस थी, अलग-अलग तरह का सहकारिता का आन्दोलन अपनी शैशव अवस्था में था उसके बाद सम्पूर्ण रूप से राजस्थान एकीकृत हुआ। उसके बाद सहकारिता को नियमित रूप से गति मिलने लगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्राम का जो किसान है सहकारिता के जरिये उसने अपनी आर्थिक स्थिती को सुदृढ़ करने में काफी कामयाबी हासिल की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण जनता को अनेक रूप में आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद मिलने लगी, ऋण व्यवस्था के रूप में मदद मिलने लगी चाहे लघु ऋण हो, चाहे मध्य कालीन ऋण हो और चाहे दीर्घ कालीन ऋण हो। उसके बाद उसकी फसल का क्रय-विक्रय करने के लिये क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के जरिये। और जो ज्यादा सरप्लस फसल है उसका औद्योगिकरण प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिये चाहे वे बड़ी हों, चाहे छोटी हो, किसान को लाभ मिलना प्रारम्भ हुआ। जो किसान पैदा करता है, उपभोक्ता को किस तरह से ठीक से चीज मिले, उसके लिये उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से करने लगे और इस प्रकार से देश के स्तर पर, शहर के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर, जिला के स्तर पर, तहसील के स्तर पर और गांव के स्तर पर, सहकारिता का एक ताना-बाना तैयार हुआ और आन्दोलन का एक स्वरूप पैदा हुआ। सभापति महोदय, आप भली-भांति परिचित हैं, सहकारिता ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का क्रान्तिकारी कदम है और इस क्रान्तिकारी कदम से पुरानी परम्परायें, पुराने समाज की मान्यताएं टूटी हैं इसलिये बिचौलिये लोग, पूंजीवादी लोग और प्रतिगामी लोग उसके हमेशा विरोधी रहे हैं उनके स्वभाव के अनुसार। ऐसी परिस्थितीयों में भी राजस्थान में सहकारिता ने कदम जमाया, अपना कार्यक्रम रखा और देश के सन्दर्भ में राजस्थान भी आगे बढ़ने लगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां भी सहकारिता में वहां गैर सरकारी भिन्न-भिन्न दृष्टि से प्रयास होते रहे हैं वहां पर सरकारी लोग कार्यरत रहे हैं और उन्होंने इस सहकारिता में अनेक प्रकार के प्रयोग किये। माननीय सभापति महोदय, ऋण की व्यवस्था के लिये सबसे पहले लार्ज स्केल सोसायटीज बनी। कुछ दिन बाद फिर बदलाव आया और जैसा पं. जवाहर लाल नेहरू का मानना था, एक ग्राम पंचायत में एक स्कूल हो, एक सहकारी समिति हो लेकिन ठीक 1972-73 में रिजर्व बैंक के डाक्टर दांते की सिफारिश के अनुसार 2-2,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

3-3 गांवों की सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया और इस सारे मामले में काफी लम्बे चौड़े एरिया को फिर से इसमें लगाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, का क्योंकि यह बहुत ही गंभीर और अहम सवाल है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां दांते ने यह सिफारिश की थी कि दो लाख का कारोबार जिस सहकारी समिति में हो वह स्वतन्त्र रूप से हो, दो हजार हैक्टेयर जमीन जिस सहकारी समिति में हो वह स्वतन्त्र रूप से हो और बहुउद्देशीय कार्यवाही करने के तौर तरीके जिस सहकारी समिति में हो वह स्वतन्त्र रूप से हो। मैं समझता हूं राजस्थान में इनी गिनी सहकारी समितियों को छोड़कर आज के दिन में तमाम सहकारी समितियां दो लाख से ऊपर का कारोबार करती हैं बल्कि 20-20, 25-25 लाख तक का कारोबार करती है। आज विशेष रूप से मुझे याद है मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में कोई 50-50 60-60 वर्ग किलोमीटर में एक सहकारी समिति है उसमें मैं समझता हूं सहकारिता के आयाम लाभ अर्जित होना चाहिये, उससे वहां का किसान लाभान्वित नहीं हो पाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा 10-11 वर्ष पहले तो दांते कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है सरकार को, उस पर फिर से विचार करना चाहिये और एक ग्राम पंचायत और एक सहकारी समिति के पं. जवाहर लाल नेहरू के उस सिद्धान्त को फिर से प्रतिपादित करने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिये ताकि सहकारिता ठीक से चले मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदियों सदियों से चली आ रही प्राचीन परम्पराओं को बदलने के लिये यह आर्थिक कार्यक्रम अपने ढंग से चले। यह भी अच्छा होता कि इस कार्यक्रम को सरकारी तन्त्र से ज्यादा मुक्त रखा जाता। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी तन्त्र इस कार्यक्रम पर इतना हावी रहता है कि जब जब भी जिसके दिमाग में जो जो बात आई उसको सहकारिता के प्रयोगों में थोपने का प्रयास किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह एक निरन्तर प्रोसेस यानि निरन्तर ऐसे विकास की प्रक्रिया. निरन्तर ऐसे विकास का ससाधन है जिसके जरिये हमें आगे बढ़ते रहना है। सभापति महोदय, मुझे दुख है, विधि मंत्री इस पर विचार करें तो मैं आपको बताऊंगा, प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमारा सहकारिता पर 1 5 प्रतिशत का व्यय था, द्वितीय पंच वर्षीय योजना से पांचवी पंच वर्षीय योजना तक हमारी सहकारिता पर 1.9 प्रतिशत का व्यय भार था लेकिन छठी पंच वर्षीय योजना में 1.1 हमारा खर्चा रह गया जिससे कि हमारा जो सहकारी नेतृत्व का उदय और कहानी निरन्तर आगे बढ़नी चाहिये वह थोड़ा सा पीछे रह गई। मैं चाहूंगा प्रयोग तो हमने बहुत किये, प्रयोगों का जिक्र भी करना चाहूंगा लेकिन उसके लिये जितने आर्थिक संसाधन जितने तौर तरीके से जुटाने चाहिये थे, वह नहीं जुटा पाये। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर राज्य सरकार का कुल बजट काफी घाटे का हो, जहां पर आर्थिक संसाधन काफी कमजोर हों, उस समय में सहकारिता में सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये और इन्स्टीट्यून्स से फाइनेन्स लेना चाहिये, एन. सी. डी. सी.

(श्री रामपाल उपाध्याय)

से लोन लेना चाहिये, वर्ल्ड बैंक से लेना चाहिये ताकि हमारे यहां पर जो किसन का मूल आधार है, आगे बढ़ाने का वह निरन्तर आगे बढ़ता रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आज के दिन में हम कुछ साज सम्भाल समितियां बना रहे हैं और इस साज सम्भाल समिति के कुछ यूनिट्स भी बनाये हैं-तेल की बनाई है, चने की दाल की बनाई है उसके बाद चावल की बनाई है, स्पिनिंग मिल बनाई है और इसी प्रकार से दूसरी मिल बनाई। अभी भी मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस बात का लेखा जोखा करना चाहिये राजस्थान को कि राजस्थान में कितना कृषि उत्पादन बढ़ा है उस टोटल उत्पादन को हम अभी तक सहकारिता के क्षेत्र में कितना प्रतिशत ले पाये है? मेरा निवेदन है केवल मात्र एक उदाहरण दूं कि हमारे राजस्थान में जहां 1972-73 में 4।। लाख गांठ कपास की, रूई की होती थी आज करीब पौने आठ लाख होती हैं। अकेला गंगानगर जिला ऐसा है जिसमें पौने चार लाख गांठ रूई की होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे को-आपरेटिव सेक्टर हो अभी हम केवल 2 लाख 63 हजार गांठें ही काम में ले सकते हैं बाकी सारा कपास सरप्लस पड़ा हुआ है। मेरा विनम्र निवेदन है, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को, सहकारी विभाग को इसके लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उनके स्मरणार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि 12 को-आपरेटिव मिल भारत सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति के लिए दिये थे। मैं निवेदन करूं कि कम से कम उनकी क्रियान्विति हमको करनी चाहिए। एन. सी. डी. सी. और दूसरी जितनी अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे हमको पैसा मिलता है। इस प्रकार से 200-300 करोड़ की हम किसानों के मध्य इसकी संरचना कर सकते हैं और किसान को एक अच्छा लाभ दे सकते हैं। मेरा प्रस्ताव था कि गंगानगर जिला अकेला ऐसा जिला है जिसमें 5 को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल लग सकती हैं। यह प्रस्ताव था किशनगढ़ के अन्दर एक का था, विजयनगर का था, भीलवाड़ा का एक था, चित्तौड़ का एक था और उसके बाद फतहनगर का, आमेर का, सुमेरपुर का इस तरह की 12 को-आपरेटिव मिल हैं जिसमें एन. सी. डी. एफ. ने सिद्धान्ततः तय कर लिया और उसके बाद भारत सरकार ने भी इसको प्रशासनिक दृष्टि से तय किया। मेरा यह निवेदन है कि हमारे राजस्थान के किसान के उस कपास का पूरा-पूरा उपयोग हो पूरी-पूरी कीमत मिलने की खातिर, यहां के नौजवान लोगों को काम मिलने के खातिर, किसानों को अपनी फसलों का ज्यादा लाभ मिलने की खातिर ज्यादा क्रियान्विति की जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमन् कि आज के दिन जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मुझे आप क्षमा करें, उनका प्रारम्भ और संचालन इतनी धीमी गति से हो रहा है। प्राइस एक्सक्लेशन होने से उनकी कीमत डबल हो रही है। मुझे कहते हुए अत्यन्त दुख है कि श्रीगंगानगर की हनुमानगढ़ को-आपरेटिव मिल 1974 में रजिस्टर्ड हुई उस समय 34 लाख 25 हजार रुपये किसानों की उसके अन्दर हिस्सा राशि हुई और आज 1984 है 10-11 वर्ष के बाद जहां किसान का

(श्री रामपाल उपाध्याय)

पैसा ब्लाक रहा, जहां हमारा जो प्रोजेक्ट है इसकी कीमत करीब करीब ड्योडी हो गई तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी ढिले क्यों है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है, कि जैसे पंजाब में है उन्होंने पंजाब में स्पिनिंग मिल फैडरेशन बनायी है। मेरा निवेदन है कि एक स्पिनिंग फैडरेशन बनाया जाय, क्योंकि किसी संस्थान के गठन होने से निर्वाचन होने से उसमें एक्सपर्टाइज नहीं हो जाता, उन्होंने वहां पर एक स्पिनिंग फैडरेशन बनाया है जो अपने वित्तीय, अपने टैक्निकल अपने सिविल इन्जीनियरिंग और छोटी–छोटी खुद की आवश्यक चीजें हैं उन सब को इस प्रकार से वह मार्गदर्शन देते हैं। मुझे याद है जहां बलराम साहब का अबोहर है, फाजिल्का है वहां पर एक साल में उनका को-आपरेटिव यूनिट खड़ा हो गया जबकि हमारे यहां को-आपरेटिव यूनिट खड़ा होने में 10–10, 11–11 साल लगते हैं और अनेक प्रकार की उसमें उलझनें होती हैं·······

श्री दाऊदायल जोशी : पण्डित जी, आपने जल्दी से काम नहीं किया, आप अगर कर जाते तो कर ही जाते आपने धीरे–धीरे काम किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें, कृपया विराजें।

श्री महाराम चौधरी : जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल सही सुझाव दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उनको व्यवधान नहीं करें आप। सुझाव दे रहे हैं तो सुझाव देने दीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आज तो याद आया आपको।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया विराजें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है·······

श्री महाराम चौधरी : उस वक्त तो किया नहीं·······

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो अनुभवों के आधार पर कहें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो बात कही है केवल एक विनम्र निवेदन करना है कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों को पता है विलीनीकरण के सारे मामले में, दांते कमेटी के विरोध में होते हुए भी, जिस प्रकार आवश्यक था, उसी तरह से उनकी सहकारी समितियों का प्रकटीकरण किया गया और राजस्थान कई तरह की जो विलीन होने वाली समितियां हैं जो सक्षम इकाई हैं उसके आधार पर करने की कोशिश की। मैं यह मानकर चलता हूं मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई जीवन का शाश्वत सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य तो वह है कि आज हमारे यहां के को-आपरेटिव मूवमेंट को, सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ायें। मैं आगे निवेदन कर रहा था·······

श्री महाराम चौधरी : नागौर वालों से क्या व्यवस्था थी आपकी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : उनको तो पशुपालन से ही फुरसत नहीं है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, आज के दिन, माननीय मन्त्री महोदय, आप तो गम्भीरता से सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपकी हर बात सुन रहा हूं और आपकी हर बात नोट कर रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इनकी एक भी बात को क्रियान्वित नहीं करोगे, देख लेना।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निश्चित रूप से आपके इन्सट्रक्शन्स को नहीं मानूंगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : कोई बात नहीं, चर्चा तो हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज के दिन सहकारिता का आन्दोलन सदियों से चली आ रही आर्थिक व्यवस्था को एक क्रांतिकारी तौर तरीके को अपनाना है। इसके लिए हमारे सहकारिता के दार्शनिकों ने कुछ सैट अप तैयार किया है। राज्य स्तर पर राजस्थान सहकारी संघ, जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ, माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन जो 26 सहकारी संघ हैं उनमें 18 डिफंक्ट हैं, निष्क्रिय हैं, उनकी मैम्बरशिप का पता नहीं है, किसी इन्सपैक्टर के वारे न्यारे होंगे, भगवान जाने क्या है। मैं समझता हूं जिसको आप क्रांति कहते हैं, जिसको आप आर्थिक क्रांति कहते हैं जिसको आप पूंजीवादी और सामन्तवादी व्यवस्था को हटाना कहते हैं.......

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : कृपया विराजिये। सदन की अनुमति से आज की बैठक का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक बजे तक।

मांग संख्या 36, 41 व 49 पर विचार

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जिला सहकारी संघों का। जो हमारा मूल आधार है जिसके आधार पर कि गांव और जिला और राज्य की सारी प्रवृतियों का तालमेल होता है वह सहकारी संघ आज डिफंक्ट हैं, आज निष्क्रिय हैं। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि कृपया सहकारिता में नये आयाम को, नये आंदोलन को गति देने के लिए हमें इनको सक्रिय करना होगा। मैं आपको उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, पास में हमारे से आधा स्टेट है क्षेत्रफल में हरियाणा। वहां का जो हैफेड है उसका वार्षिक टर्न ओवर 670 करोड़ का है, पंजाब का मार्कफेड है उसका 980 करोड़ का है, उसके बाद गुजरात 640 करोड़ का है, महाराष्ट्र का है 840 करोड़ का और हमारे राजफेड का, सभापति महोदय, मेरे यहां माननीय सदस्य विराजमान हैं, मैं समझता हूं उसकी तुलना में काफी कम है। तो मेरा यह निवेदन है कि हमको ऐसी गतिविधियां तैयार करनी चाहिए, ऐसा कार्यक्रम तेजी से चलाना चाहिए। अब तो आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम

(श्री रामपाल उपाध्याय)

राकेश शर्मा की गति से सहकारिता को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ज्यों ज्यों मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। दवा तो हो रही है और मर्ज बढ़ता जा रहा है......

श्री मेघराज तावड़ : इसीलिए ताकत नहीं आने वाली है इसमें।

श्री रामपाल उपाध्याय : आप चिंता मत करिये।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें माननीय सदस्य, समय जा रहा है उनका। आपकी समय सीमा 15 मिनट है इसलिए आज उनको व्यवधान न करें आप।

श्री रामपाल उपाध्याय : दूसरे पक्ष का सामना करना आप लोगों का काम है, मेरा तो केवल रचनात्मक काम है जो मुझे करना है। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, आज हमारे विभाग में क्या हो रहा है। विभाग में मोटे रूप से ग्राम स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर और राज्य स्तर, मैं विनम्र बहुत शब्दों में क्षमा मांगूंगा कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर कीसहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हुए पड़े हैं, वह निर्वाचित हैं। हमारे तहसील स्तर के जो ग्राम स्तर की सोसायटी है एक दूसरी इकाई है तहसील स्तर की, उसके अन्दर वहां हमारा प्रशासक बैठा हुआ है, थोड़े से संचालक मण्डल मनोनीत हैं, हमारे जिले लेविल के सी. सी. बीज. हैं, पी. एन. डी. बीज हैं उनमें कुछ में मनोनीत संचालक मण्डल हैं और कुछ में प्रशासक हैं और राज्य स्तर पर कुछ इस प्रकार की बात है। मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इसको एक प्रक्रिया के अन्तर्गत लेना पड़ेगा। इसको अगर हम एक प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं लायेंगे तो अलग अलग मनोदशा और अलग अलग भावनाओं के अनुसार काम होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार का इसमें काम किया जाय। मैं आगे यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि आज बड़े बड़े मिल को-आपरेटिव सैक्टर में हो रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो रही हैं। उसी तरह से हमारे भीलवाड़ा में फलों की बहुत जबरदस्त खेती होती है तो पी. एन. डी बी. संघों द्वारा अपने कम से कम फ्रुट ज्यूस प्लान्ट वहां होने चाहिए। इसी तरह से जहां जहां से जो फसलें हैं चाहे कोटा में हैं, मुझे बहुत खुशी है कि विश्व बैंक की सहायता से 40-45 करोड़ रुपये का कोटा में सोयाबीन का कारखाना लगाने का सरकार विचार कर रही है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के पास की केशोरायपाटन शुगर मिल आखिर में वह एक को-आपरेटिव संस्थान है वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक माईल स्टोन, एक प्रकाश स्तम्भ है और उसके हालात क्या हैं? आखिर में हमको उसको बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। केवल मात्र भारत सरकार को सौंप देने से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए पैसा चाहे जितना बढ़ा हो वहां की उस सोसायटी के ऊपर भार बढ़ रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि कम से कम हमको को-आपरेटिव के आधार पर जो जो काम हम लें उनको एक इस प्रकार का टैक्नीकल सैल तैयार

(श्री रामपाल उपाध्याय)

करके चाहे वह मिल हो चाहे वह फ्रूट ज्यूस प्लान्ट हो, चाहे वह शुगर मिल हो और कोई तेल के, चावल के जो कुछ हों। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चावल मिल 7 हैं, आज करीब करीब 7 मिल बंद सी हैं इसलिए कि उन पर लेवी इम्पोज कर दी गई है भारत सरकार ने। अब कितना फर्क है उनमें और प्राइवेट सैक्टर में।

(5.00 म. प.)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि राज्य सरकार को व्यावहारिक कदम उठाना चाहिए जिसके आधार पर हमारी चावल की मिलें सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। आखिर में प्राइवेट सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर में मूलभूत अन्तर है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमन्, कि हमारा जो यह कैडर है, हमारी सर्विसेज हैं उस सर्विस के कैडरको देखना परखना पडेगा। आज किसी आदमी को एम. डी. लगा दिया, किसी को पी.सी.बी. में लगा दिया। और किसी जगह लगा दिया इस प्रकार से हमारा मामला चलेगा नहीं। इससे हमारा एक्सपरटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, दक्षता नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर. ए. एस. अफसर कभी कहीं जाकर वह एम. डी. बन रहा है, कल दूसरी जगह कर रहा है, परसों तीसरी जगह कर रहा है। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में सहकारी सेवा का विकास होना चाहिए और जहां सहकारी सेवा का विकास होगा वहां दक्षता आएगी और दक्षता से हमारा सहकारी आंदोलन तेज गति पकड़ेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि हमारा वर्तमान अधिनियम और उपनियम हैं.......

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं तो दो मिनिट में खत्म कर रहा हूं, 1964 के अन्दर हमारे अधिनियम बने और नियम हमारा बना.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं सुन नहीं पा रहा हूं, आप क्या फरमा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये मंत्री रह चुके हैं, इनका तजुर्बा है इसलिए फायदा लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : मैंने भी इनसे संक्षेप में ही अपनी बात करने के लिए निवेदन किया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको जो हमारा अधिनियम है, 1965 का, इसको करीब करीब आज लगभग 18-19 वर्ष होने आये हैं। मैं चाहूंगा राज्य सरकार से, कृपा करके आप सारे वर्तमान कंटैक्स्ट में, आज जो सहकारिता का डवलपिंग कंसैप्ट हो गया है, उस कंसैप्ट के आधार पर वर्तमान अधिनियम और नियमों में आपको परिवर्तन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए ताकि उसके आधार पर व्यावहारिक

(श्री रामपाल उपाध्याय)

स्वरूप देते हुए इस विभाग के साथ और इस विभाग के जरिये हजारों लाखों करोड़ों किसानों को लाभ दे सकें उनकी मंशा के आधार पर, उनकी प्रगति के आधार पर यह हमारे नियम और अधिनियम काम करें।

मैं बहुत संक्षेप में आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ······मुझे खुशी है कि सभापति महोदय तो मुझसे भी कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारा विभाग है इस विभाग का पुर्नगठन होना बहुत आवश्यक है और मेरी तो यह दृढ़ मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रारम्भ से को-आपरेटिव सेवाओं में, को-आपरेटिव के ताने बाने में रह कर अपना कारोबार करता आ रहा है कम से कम उन व्यक्तियों को आगे तक ऊपर तक शीर्ष स्थान तक उनको पहुंचाना चाहिए। जब तक को-आपरेटिव सर्विसेज में को-आपरेटिव का आदमी सर्विस में नहीं होगा तब तक दक्षता नहीं होगी, एक्सपरटाइजेशन नही बढ़ेगा तब तक वह काम सारा ठीक से नहीं चल सकेगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रजातांत्रिक आर्थिक कार्यक्रम है और प्रजातांत्रिक आर्थिक कार्यक्रम में हमको हमारी निर्वाचन की प्रक्रियाओं को कभी नहीं भूलाना चाहिए। आज जो स्टेग्नेंसी आ गई है, आज जो जड़ता आ गई है उसके मूल में यही बात है। और मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सहकारिता के निर्वाचन सभी स्तर के हर सम्भव कोशिश करके उसको करवाने की बात करनी चाहिए। यही मैंने आपको संक्षेप में अपने सुझाव दिये हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के माध्यम से सहज की एक कल्पना होती थी कि एक शोषणहीन समाज का निर्माण होगा। मगर इसके विपरित आज जब हम देख रहे हैं कि किस तरह से सहकारी समितियां और विभाग स्वय में फाइनेंशियल मैस बने हुए हैं। को-आपरेटिव बैंक्स स्वय में एक मैस बने हुए हैं। लोन रिक्वरीज होती नहीं। जहां रिक्वरीज होती है वहां ज्यादतियां और अन्याय होता है। यदि लोन की राशि कोई जमा करवाते भी हैं तो उसके अकाउण्ट्स में जमा नहीं होती और इस तरह जो सारे अकाउण्ट्स गलत हैं।

(5.5 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

नियम हैं पर उनकी पालना सही नहीं होती। पालना होती ही नहीं है और इस तरह से सहकारिता को जितना गहरा कब्र में गाड़ दिया गया है वह कैसे उभर कर आएगा यह एक बहुत मुश्किल कल्पना की बात है। राज्य में लगभग 18 हजार सह-

(श्रीमती विद्या पाठक)

कारी समितियां हैं जिनमें 160 करोड़ के करीब रुपया अटका हुआ है, जो ऐड के माध्यम से, लोन, शेयर कैपिटल या अन्य इसी तरह से जो अनरिकवरीज, इस तरह के के माध्यम से फंसा हुआ है। इसकी एका-उण्टेबिलिटि, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 16 जो अपैक्स सोसायटीज हैं केवल उन्हीं कि आडिट रिपोर्ट, अथेंटिक आडिट रिपोर्ट इम्पारशल आडिट रिपोर्ट जितनी भी बन सकती हैं वह सरकार के पास केवल मात्र इतनी ही पहुंच पाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तरह से राजनीति, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी शिकार को-ओपरेटिव मूवमेंट को बनाया गया है, उसका अभी रीसेंटली, अभी थोड़े ही दिन पहले का उदाहरण मैं बताना चाहती हूं। 6.1.83 के नवभारत टाईम्स में एक खबर छपी थी। मुख्य मंत्री महोदय और सहकारी मंत्री महोदय दोनों में टसल बनी हुई है। मुख्य मंत्री महोदय और सहकारी मंत्री महोदय के बीच में जो अपोइन्टमेंट्स, कुछ पोस्टिंग को लेकर जो झगड़ा हुआ और जो डिफरेंसेज हुए, नतीजा यह हुआ कि मंत्री के मंत्रालय में ही उसके आर्डर बाई पास होने लग गए और इस तरह से जहां जो केबीनेट काम करेगी उसमें कोई भी अच्छी से अच्छी योजना भी किस तरह से सफल हो सकती है यह एक विचारणीय विषय है। यहां तक कि इस विभाग के अधिकारी स्वयं मांग कर रहे हैं कि इसमें जो अनियमिततायें हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। सहकारिता सचिव महोदय ने यद्यपि अभी तक बहुत एक्शन न लिया हो मगर नजदीक विधान सभा को देख करके और इसकी गम्भीरता को देख कर और इस आशंका के साथ कि यह चर्चायें विधान सभा में अवश्य उठेंगी, इस तरह का वृहद दौरा किया। उन्होंने स्वयं ने भी इस बात को महसूस किया है और उन्होंने यह कहा कि कर्मचारियों को तेजी से वसूली करनी चाहिए, अधूरे गोदामों को पूरा करना चाहिए। गड़बड़ और गबन के मामलों में तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए। आडिट की पूरी व्यवस्था की जानी और ढिलाई बरतने वाले लोगों के प्रति एक्शन लिया जाना चाहिए। पिछले साल भी मार्च में यही स्थिति थी। सहकारी समितियों में 96 लाख का गबन और इस तरह से कम से कम एक दर्जन खबरें केवल मार्च महीने में पिछले साल अखबारों में आई और सदन में उठाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां संस्था राज्य है और इसके माध्यम से किस तरह से घोटाले हुए हैं और किस तरह से सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसका एक ज्वलन्त उदाहरण मैं बताना चाहती हूं। 80-81 में अन्य केन्द्रों से मंगवा कर भरतपुर क्रय–विक्रय संघ में कुछ परचेजेज की गई और ये परचेजेज 20.1.83 को इसकी अन्तिम बोली जो लगाई गई वह 435) रु. क्विण्टल प्लस टैक्सेज के भाव से लगाई गई। और उसी बोली में, मैं सरसों की दो हजार बोरियों का मसला मैं बताना चाहती हूं। उस बोली पर जो 435) रु. क्विण्टल प्लस टैक्सेज इस भाव पर वह सरसों नहीं बेच करके और 425) 25 प्लस माइनेस टैक्सेज, टैक्सेज सरकार देती है, विभाग ने दिये, इतने कम दाम पर उस

(श्रीमती विद्या पाठक)

सरसों को बेचा गया। लगभग दो हजार बोरियां बेचीं जिनमें 41 हजार से अधिक का नुकसान राज्य सरकार को हुआ। सभी वित्तीय प्रावधान, सारे नियम, रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स फाइनेंशियल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब को ताक पर रख कर यह काम किया गया है। इसकी शिकायत यह नहीं है कि इसकी जांच नहीं हुई हो इसकी जांच हुई। मिस्टर डी. के. जैन जो इसके चीफ आडिटर हैं, दिसम्बर, 82 में ये चीज उनके नोटिस में लाई गई परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह मिस्टर डी. के. जैन जिनकी मैं आगे चल कर चर्चा करूंगी, भ्रष्टाचार को पनपाने और उसको किस तरह से दबाया जाता है इस योजना में बहुत माहिर हैं और इनके असंख्य केसों से विभाग की फाइलें भरी पड़ी हैं जिसमें इन्होंने कार्यवाही नहीं की।

जांच में श्री हरिशंकर गुप्ता, जो काटन सैक्टर में मैनेजर थे, उनको दोषी पाया गया, नैफेड और राजफैड के भी कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अरहर खरीद का मामला है। 80-81 में अरहर खरीदी। और खरीदी कहां? कामां क्रय विक्रय संघ में। कामां क्रय विक्रय संघ में यह अरहर खरीदी गयी आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सैक्टर में जो जांच अधिकारी गये, उन्होंने मालूम किया, इस एरिया में इस तरह की अरहर बोयी ही बहुत कम जाती है आस पास के एरिया से अरहर मंगवा कर खरीदी गई। अरहर सब स्टेण्डर्ड थी। उसी दिन उस अरहर को खरीद कर कोल्ड स्टोरेज अलवर में भेज दिया गया। यह अरहर सब-स्टेण्डर्ड थी और दूसरी जो अरहर होती है उससे 30 से 50 रुपये प्रति क्विन्टल इसमें फर्क आता था। यह अरहर जो खरीदी गई वह 296.80 रुपये प्रति क्विण्टल के हिसाब से खरीदी है। फिर इसी अरहर को इसकी 1575 बोरियों को 2.3.82 को 246.25 रुपये प्रति क्विण्टल के हिसाब से आक्शन कर दिया गया, बेच दिया गया और इसकी जांच विभागीय अधिकारियों ने की। खरीदी कितने में? 296 में और एक ही साल के अन्तराल में बेची 246 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से। इसको कोल्ड स्टोरेज में भेजा गया और दूसरी जगह भेजा उसमें खर्चा हुआ वह अलग है। इसकी जांच विभाग के अधिकारियों ने करके रिपोर्ट की कि इसमें 1,23,544 रुपये की हानि विभाग को हुई है। इस जांच में राजफैड, नैफेड और दूसरे इसी तरह के स्थानीय अधिकारियों को दोषी पाया गया। एक × × × रूपकिशोर मिर्धा जो जनरल मैनेजर, कोल्ड स्टोरेज अलवर हैं......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, किसी का नाम न लें। पद के नाम से सम्बोधित करें।

श्रीमती विद्या पाठक : यह तो रिकार्ड में नाम है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, रिपोर्ट में कुछ भी है, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : जांच रिपोर्ट इनके पास पहुंची है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पद से सम्बोधित करें।

श्रीमती विद्या पाठक : उनके जो इन्सपेक्टर हैं उन्होंने दो लाख रुपये का चैक लेकर महेन्द्रा एण्ड कम्पनी को माल हैंड ओवर कर दिया। यानि जो आवश्न होना चाहिए था उसमें नहीं हुआ। और यह दो लाख का जो माल हैंड ओवर कर दिया। जो ड्राफ्ट से पैसा वसूल किया जाना चाहिये था, चैक से दिया गया। चैक बाउंस कर दिया गया। 6382 के चैक को 10.582 को रिवेलाइज किया गया। जिसमें 6000 रुपये की एडीशनल हानि इस विभाग को हुई। इसकी भी जानकारी श्री जैन, जो चीफ आडिटर हैं विभाग में, उन को कार्यवाही के लिये दिया गया है कि इस पर कार्यवाही की जाय, नियम 74 के अन्तर्गत परन्तु उसको भी दबा कर बैठ गये। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,23,044 रुपये और 6000 रुपये इस तरह से एक अरहर की खरीद में इतना भारी घोटाला हुआ है। केवल यही नहीं, 80–81 और 81–82 में जोइंट वेंचर के अन्तर्गत करीब 18 करोड़ रुपये का माल खरीदा गया। इसमें भी यही किया गया। जो सैल किया वह लो कास्ट में और जो परचेज किया गया वह हायर कास्ट में किया गया। इसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक रुपये की हानि राजफैड को हुई, राजस्थान सरकार को हुई। इसमें नैफेड भी शामिल है। नैफेड वालों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कर दी परन्तु हमारे यहां राजस्थान में इन लासेज को ग्रेजुअली, धीरे-धीरे करके अकाउन्ट्स में डाला जा रहा है। ताकि सारे लासेज एक साथ बहुत बड़े नहीं लगें। इसका आडिट भी हुआ। और अब इन दोनों वर्षों का आडिट, अरहर और सरसों के बाद का, विभागीय अधिकारियों द्वारा राजफैड और नैफेड के जोइंट वेंचर में नहीं करवाया गया। इसका आडिट करवाया किससे? स्थानीय अधिकारी, जो चीफ आडिटर हैं वह गये, चीफ अकाउन्ट्स आफिसर, जनरल मैनेजर, फाइनेंस क्रय-विक्रय संघ वह गये। प्रिफेसिली जिन्होंने इसका आडिट किया, वह चार्टर्ड अकाउन्टेंट मिस्टर जी. आर. जैन, वह गये। इन तीनों ने जाकर संघ के आफिस में ही लिख कर दे दिया इसका आडिट चार्टर्ड अकाउन्टेंट मे करवा दिया जाय। तो चार्टर्ड अकाउन्टेंट से इन लोगों ने मिल कर आडिट करवाया और फिर उसमें परिवर्तन भी किये। जो अपरिवर्तित आडिट रिपोर्ट है वह मेरे पास है। कहां किस तरह ये आडिट हुआ, यह अगर आप चाहें तो सदन की मेज पर रखा जा सकता है कि इसमें चेंजेज कहां कहां हुए। सिर्फ इतने में ही मामला समाप्त नहीं हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, 80–81 में उक्त माल को अलवर, भरतपुर, और बांदीकुई, कोटा, पाली और कुछ डिपोज में भेज दिया गया। अलवर कोल्ड स्टोरेज में किसी केस के चक्कर में इसमें गबन और भ्रष्टाचार का केस पाया गया। नतीजा क्या हुआ कि वहां के जो मैनेजर, कोल्ड स्टोरेज हैं, मिस्टर मिर्धा उनको सस्पेन्ड कर दिया गया। अब उन पर कार्यवाही करने के लिये चार्ज शीट चाहिये। अगर कहीं आडिट इनके अधिकार क्षेत्र में हुआ होता तब तो ये उस आडिट में से उनकी चार्ज शीट निकाल कर दे देते। पर जो आडिट

(श्रीमती विद्या पाठक)

इन्होंने चार्टर्ड अकाउन्टेंट से करवाया वह रजिस्ट्रार के आदेशों की अवहेलना करके करवाया, सारे नियमों को समाप्त करके एडीशनल 8000 रुपये चार्टर्ड अकाउन्टेंट को फीस देकर करवाया। नियमों के विपरीत करवाया। अब वे चार्जेज फ्रेम कैसे करें? क्योंकि उस आडिट रिपोर्ट में इनकी कहीं मेंशन ही नहीं है। तो अब यह कोशिश की जा रही है कि अब इसका फिर से अकाउन्टिंग करवाया जाय, फिर से आडिट करवाया जाय वरना यह सज्जन जो 82-83 से सस्पेण्डेड हैं, उनको न चार्ज शीट दी जा रही है न केस आगे बढ़ रहा है। और इस तरह की जो परिस्थिति बनी हुई हैं, यह एक बड़ा घोटाला है। इस तरह इस विभाग की अन्य बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं हैं जो की जा सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विभाग के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक, है। यह कटिंग मेरे पास है, तारीख........अभी इसी महीने की कटिंग है। इण्डस्ट्रियल बैंक, जयपुर 73–74 में नल बिजली के बिल जमा करता था। नल बिजली के बिल जो जमा करता था, चार-पांच वर्ष यह कांट्रेक्ट तो खत्म हो गया। इसने क्या किया कि बिल्स पर तो स्टेम्प्स लगा-लगा कर बैंक के अधिकारियों ने दे दिये और उनके पैसे बिजली पानी विभाग को जमा ही नहीं करवाये। इस तरह से साढ़े तीन लाख का बगलिंग हो गया, 10 वर्ष पूर्व। और दस वर्ष बाद इसकी जांच भी हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जांच में ब्रांच मैनेजर श्री सुखाड़िया जो चांदपोल ब्रांच में मैनेजर थे, उनके भाई मोहन खाड़िया हैं, जो इसी विभाग में क्लास फोर्थ एडहॉक टैम्प्रेरी डेली वेजर था, वह भी इसमें शामिल है। अब इन्होंने दस वर्ष बाद कार्यवाही क्या की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मैंने इस कटिंग, जो इसी महीने की कटिंग है, 4–5 जनों को सस्पेण्ड किया। उनमें से चार डेली वेजेज हैं, घोटाला कितना? साढ़े तीन लाख का। 10 वर्ष बाद उसका निर्णय हुआ। मीर मारा इन्होंने कितना बड़ा हाथी, 10 वर्ष बाद चार डेली वेजर को सस्पेण्ड किया, एक वहां का जो परमानेंट कर्मचारी था, उसको भी सस्पेण्ड किया। और इस तरह यह 30.3.84 की विज्ञप्ति है। इस केस की जांच दस वर्ष बाद हुई। सस्पेण्ड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया ठीक है, पर रिकवरी की क्या पोजिशन है। यह 30.2.84 तक तो इसकी रिकवरी नहीं हुई थी, होने की सम्भावना भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बैंक का एक दूसरा घोटाला है। कांग्रेस आई के श्री ××× बागड़ा वर्तमान में इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। ख्याति प्राप्त है के टाइम में गुड़ घोटाला कांड में। बहुत भयंकर रूप से इसमें लिप्त थे और जाने माने भी हैं और अभिनेता भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी एक फर्म

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

है—मैसर्स एग्रो एन्टरप्राइजेज, जयपुर। इन श्रीमान् ने 30,000 रुपया किसी अन्य के खाते के नाम अपने खाते में जमा करवा लिया। इन्होंने उसको ओवर ड्रा भी करवा लिया। और जब इसका पता लगा तो इन्होंने बैंक डेट में उसको समायोजित कर दिया। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी सहकारी विभाग को गई है, और यह गई है लास्ट ईयर। यह भी श्री ××× के पास ही। वहीं उन्हीं के फिक्स डिपाजिट जिसे पचायत मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में निवेदन किया था किसी का नाम नहीं लें, आप कृपया ओहदे से.........

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनीशियल लगा रही हूं।

श्री अध्यक्ष : उनको पद से सम्बोधित करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 82-83 में माया मैसर्स एजेन्सीज........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिनके पद नहीं हों उनका क्या करेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : मैसर्स माया अपने एजेन्सीज, जिन्होंने व्यक्तिगत को-आपरेटिव बैंक के कर्मचारी की रिपोर्ट पर, उसकी जमानत पर 3 लाख रुपये ऋण दे दिया गया, रिकवरी की कहीं कोई संभावना नहीं है, उस आदमी की कोई स्टेंडिंग भी नहीं है।

इसी तरह लाखों रुपया बिना किसी जमानत के मैसर्स जांगीड़ एण्ड कम्पनी, साझेदारी की फर्म है, साझेदारी तो वह झगड़ा हो गया, समाप्त हो गई।

श्री अध्यक्ष : और समय भी पूरा हो गया।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 20-25 दिनों में पहली बार बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है लेकिन मैंने पूर्व में ही सूचित कर दिया था, माननीय सदस्यों को कि आज बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक है और चार मंत्रीगण उत्तर देंगे इसलिए समय सीमा बांध दी थी 15 मिनट का समय हो गया, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक मेरे से पूर्व में बोलने वालों ने किसी ने 15 मिनट में पूरा नहीं किया यह पार्शियालिटी मेरे से ही क्यों की जा रही है?

श्री अध्यक्ष : कोई पहले की कार्यवाही हो तो वह आगे के लिए उदाहरण नहीं बन जाती। मैंने तो 15 मिनट में सभी माननीय सदस्यों को बैठा दिया था।

श्रीमती विद्या पाठक : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर बाद पधारते। अभी मैं जल्दी ही अपनी बात कहकर समा-

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्त करती हूं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इण्डस्ट्रियल बैंक ने अभी कुछ दिनों पहले मैसर्स जगन्नाथ हरिनारायण पटवारी जनरल मर्चेन्ट फर्म है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं बता रही हूं, अक्टूबर-नवम्बर, 83 में रिजर्व बैंक ने इस फर्म का इंसपेक्शन किया। इस फर्म के मालिक के भाई इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक में हैं, एम. आई. रोड ब्रांच में कोई कर्मचारी हैं इनकी साजिश से साढ़े तीन लाख का फर्जी तरीके से भुगतान इस फर्म को किया गया। विभागीय अधिकारियों के, इस बात को नोटिस में लाया गया और यह भी श्रीमान् जैन साहब के पास डिपोजिट है। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च तक जिसका मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, 31 मार्च तक पिछले 30 जून तक के एकाउण्ट, वेरिफाइड एकाउण्ट, आडिटेड एकाउन्ट नाटिफाइड हो जाने चाहियें और रिजर्व बैंक को पहुंच जाने चाहिए, रिलीज कर दिये जाने चाहिए। अन्यथा बहुत सीरियस चार्ज माना जाता है, लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है मगर 10 वर्ष के घोटाले हैं अब तक विभागीय कर्मचारियों ने कहा कि सारे एकाउंटस आपके गड़बड़ हैं हमसे सत्यापित करवाना चाहते हो, हम नहीं करेंगे। नतीजा यह हुआ कि अभी तक वह एकाउन्ट आर. बी. आई. में नहीं पहुंचे हैं और इसके इंप्लीकेशन होंगे जो बहुत गम्भीर होंगे, 31 मार्च निकल गया परन्तु अभी तक, इसका फेट क्या होगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक की ब्रांच में लेनदारियों और देनदारियों की पुष्टि विभागीय अधिकारियों ने नहीं की है, और करने से मना कर रहे हैं, की जा सकती नहीं। इनकी इन्टरनल आडिट या चार्टर्ड एकाउटेन्ट से इनकी आडिट करवाई जाय, ऐसा कोई प्रावधान विशेष है नहीं। इस सम्बन्ध में फरवरी, 84 में चार अधिकारी अपेक्स को-आपरेटिव बैंक ने डेपुटेशन पर इस इण्डस्यिल को-आपरेटिव बैंक में भेजे गये उनको न रिकार्ड दिया गया और न को-आपरेट किया गया इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन बाद वहां शट आउट इनको कर दिया गया, सिर्फ यही नहीं, इसके बाद मार्च, 84 में भी क्योंकि फिस्कल ईयर वाज कमिंग टू एन एंड, तो इसमें मार्च, 84 में भी 2-3 चार्टर्ड एकाउटेन्टस को भेजा गया। वो बेचारे तो इनकी व्यवस्था से ऐसे घबरा गये और अधिकारियों ने इनको इतना पेस्टर किया कि उन्होंने अपनी फीस की भी परवाह नहीं की और वहां का सारा आडिट का काम छोड़कर आ गये। रिजर्व बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस बैंक में 67 लाख रुपये का इरोजन, अपव्यय, इतना रोंग पेमेंट एण्ड स्पेंडिंग इस बैंक में हुई है और यह बैंक तो खुद अपनी शेयर कैपीटल भी खा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां काम किस तरह से होता है, सीनियर अधिकारी जूनियर को आडिट इंसपेक्शन के लिये आदेश देते हैं, और उसमें लिखकर देते हैं कि यह सिविल समितियां हैं, अतः कार्यालय में ही बैठ कर इनका आडिट कर दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी ऐसा आदेश

183

(श्रीमती विद्या पाठक)

पढ़ा है। यह फाइल में है, इसी भाषा में है, फाइल का नम्बर भी मैं बता सकती हूं। यह जो जाली डाकूमेंट बनाने के आदेश हैं और इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं, उस जूनियर कर्मचारी ने उन आदेशों की पालना की, जगह-जगह उस आदेश को जो सीनियर अधिकारी ने दिया है उसको मेन्शन किया वो भी इसके रेकार्ड में है। बिना बैलेन्स शीट, बिना एकाउन्टस बिना बैलेन्स शीट के आडिट पुट-अप नहीं की जा सकती मगर मेरे पास कापी है, जिसमें न बैलेन्स शीट है और उसके बिना रिलीज कर दिया गया है। इन्होंने प्रेस कर्मचारी सहकारी समिति की मेरे पास आडिट भी है, जिसमें बैलेन्स शीट वगैरा कुछ भी नहीं है, मगर आप चाहें तो मैं इसको सदन में रख सकती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैस एजेन्सी सं. 81,400) का घाटा इस सहकारी समिति, उपभोक्ता सघ, सहकारी बाजार बन्द हो गया उसके बाद यह काम दे दिया गया राज. जनता क्रय विक्रय सघ को जब लिक्विडेटर इसमें नियुक्त किया गया था उसमें जो फिजिकल वैरीफिकेशन.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्या कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं दो मिनट में समाप्त कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या बैठ जायं। श्री भैरोंसिंह।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्या, यह कोई अच्छा नहीं लगता हमारे लिये कि मैं 15 मिनट का कहूं, फिर दो मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 3 मिनट। माननीय सदस्या, कृपया विराज जायें। श्री भैरोंसिंह

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह। आर्डर माननीय सदस्या बैठ जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस भैरों सिंह को आवाज दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट का समय, कृपया ध्यान रखें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सहकारिता, पंचायत और स्थानीय निकाय विभागों की मांगें हैं इसमें भी मैं कुछ विचार आपकी आज्ञा से प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रतिवेदन में जहां प्रगति का विवरण दिया है इसमें उस प्रगति की ओर इशारा नहीं है जहां सहकारिता में दो करोड़ के लगभग घोटाले चल रहे हैं........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, और आज राजस्थान के किसी भी जिले की को-आपरेटिव बैंक,

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को उठाकर उनका आडिट करवा लिया जाय तो यह पता चल जायेगा कि प्रत्येक बैंक में लाखों करोड़ों के घोटाले व्याप्त हो गये हैं और वहां के प्रबंध निदेशक और कई जगह तो चेयरमैन भी इसमे लिप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात की शुरुआत करता हूं जयपुर से जहां पर एक गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति जो 1968 में रजिस्टर्ड हुई थी और 1968 में उसने जमीन खरीदी उसके बाद उसमें जो सदस्य बने थे, अध्यक्ष महोदय, उनको 79 प्लाट अलाट कर दिये गये थे तात्कालीन समय में। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है कि उसमें से आधे से ज्यादा सदस्यों ने अपने प्लाटों की रजिस्ट्री भी करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद विभाग ने उसमें कुछ अनियमिततायें पाई तो वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया और प्रशासक नियुक्त करने के बाद यह सौभाग्य था हम लोगों का कि 1980 में हम जीत कर आये तो कुछ लोग हम भी उसमें इन्वाल्वड हो गये और इन्वाल्वड हुए तो चुनाव कराये गये और चुनाव कराने इस सदन के माननीय सदस्य शिवदानसिंह राठौड़ इस गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति........

श्री रामसिंह विश्नोई : नाम ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने इसमें परमीशन ले ली है।........इसके अध्यक्ष बने और अध्यक्ष महोदय और सोसाइटी के अध्यक्ष एक विधायक बने, कोषाध्यक्ष श्री माधोसिंह दीवान, जिनको आपने जन लेखा समिति का सभापति बना रखा है वो बने उसके बाद इसमें प्रक्रिया शुरू हुई। अध्यक्ष महोदय, और प्रक्रिया क्या शुरू हुई कि जो 79 प्लाट्स अलाट कर दिये गये थे उनको दुबारा अलाट करना शुरू कर दिया। जिनकी आधे से ज्यादा सभी की रजिस्ट्री भी पूर्व में हो चुकी थी और लोगों ने कइयों ने हत्थे बना रखे हैं और कइयों ने 'मकान बना रखे हैं और अलाट करने के नाम पर अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि अभी उन्होंने दुबारा प्लाट बेचे हैं जिनकी शिकायत हुई है, कोर्ट में भी केस गया है, लेकिन उनकी जितनी इन्कम हुई, जितना पैसा आया वह पैसा कहां है। हिसाब से इस को-आपरेटिव सोसाइटी का खाता नं. 2652 यहां के सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक जयपुर में इसका खाता है और उस खाते में जिस समय, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वाल्वड हूं, और इसका सदस्य हूं इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ....

श्री अध्यक्ष : इन्वाल्वड किस कार्यवाही में हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जितने इन्होंने अलाटमेंट किये हैं जितने इन्होंने पैसे उठाये हैं उसमें नियम तो यह है कि बोर्ड की स्वीकृति ली जाय जिस बोर्ड का मैं मैम्बर हूं लेकिन बोर्ड में सात सदस्य होने पर केवल तीन सदस्यों ने जिसमें एक अध्यक्ष ने, एक कोषाध्यक्ष ने और एक और कर्संनिग मत्री

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

श्री भागीरथसिंह ने, इन तीनों ने इसकी प्रोसीडिंग बना बना कर, चार मैम्बर्स को बुलाया नहीं गया, हस्ताक्षर कराये नहीं गये, बिना बोर्ड की स्वीकृति के ही उसमें 70 हजार रुपये थे उसमें से 40 हजार इस नाम से उठा लिये कि सोसाइटी की जमीन पर लेवलिंग करानी है और सड़क बनानी है और आपसे मैं निवेदन करूंगा ध्यान दिलाऊंगा अध्यक्ष महोदय, कि 1968 से चली आ रही सोसाइटी में लेवलिंग और सड़कें पहले से मौजूद हैं। इन लोगों से अगर बिल मांगे जायें तो मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पैसे का हिसाब मांगा जाय और जितने प्लाट्स बेचे हैं उन का हिसाब लिया जाय तो एक पैसे का भी हिसाब इनके पास नहीं है क्योंकि मैं भी इसका सदस्य हूं इसलिए सारी की सारी मुझे जानकारी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सोसाइटी के मैम्बर हो तो आपको हिसाब समझाया या नहीं ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको हिसाब समझाने गया था। मैं इनसे निवेदन करने गया था सहकारिता मंत्री जी से कि आप जांच करवाइये, आडिट करवाइये तो सहकारिता मंत्री ने यह कह कर नकार दिया कि मैं अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों के खिलाफ जांच नहीं करवाऊंगा।

मैं आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय, चाहे हमारी पार्टी के सदस्य हों, चाहे विपक्ष की पार्टी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों अगर कहीं गबन में या घोटाले में किसी जगह लिप्त हों और उनके विभागीय प्रूफ मैं दे रहा हूं या दूसरे माननीय सदस्य दे रहे थे तो आपको चाहिये था कि उसकी आप जांच करवाते लेकिन आपने स्पष्ट इन्कार कर दिया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जरा आप विराजें। मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि श्री गणेश निर्माण सहकारी समिति की ही नहीं जयपुर शहर की 154 करीब सोसायटियों की बाकायदा जांच की कार्यवाही चल रही है, उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही हमारे पास विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में इस समय तो बताऊंगा नहीं लेकिन यह जो आपका चार्ज है जो मेरी पार्टी के मैम्बर है, चाहे कोई भी आदमी हो अगर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो राजस्थान में शिवचरण माथुर की सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : देखूंगा आगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन तीनों महारथियों ने मिलकर, जिन बेवा औरतों को, जिन गरीब लोगों को 1968 से जहां एलाटमेंट हो गये थे, जिनकी रजिस्टरी हो गयी थी। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सोसायटी के अध्यक्ष श्री शिवदान सिंह जी राठौड़ ने वहां पर एक गरीब बेवा औरत का प्लाट था और अन्य गरीब लोगों

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

का था, उनमें श्री शिवदानसिंह जी के पिताजी का नाम श्री किशनसिंह जी राठौड़ था। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्होंने प्लाट किस किस के नाम एलाट किए। श्री दलेलसिंह पुत्र श्री किशनसिंह यह इनका भाई है, मुरली मनोहर सन ऑफ श्री किशनसिंह जी, यह इनका भाई है, विजयराजसिंह सन ऑफ श्री किशनसिंह, यह इनका भाई है, प्रहलादसिंह पुत्र श्रीकिशन यह उनका नौकर है। आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार दो हजार गज के लगभग जो जमीन है वह अपने ही परिवार वालों को एलाट कर दी जबकि अध्यक्ष और मंत्री को केवल अलाटमेंट देने का अधिकार तब होता है जब कोई उस जमीन को स्वीकृति कर दे और रेग्यूलराइज हो जाय। इस प्रकार मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि जब इसकी शिकायतें सहकारिता मन्त्रीजी को की गयीं, मुख्य मंत्री जी को की गयीं, कांग्रेस आई के महा मंत्री श्री राजीव गांधी को की गयीं, प्रधान मंत्री जी को की गयीं और कन्सनिंग ऑफिसर को की गयीं तो अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि दिल्ली में श्री राजीव गांधी का प्रतिउत्तर तो आ गया, उस शिकायत के बाबत में प्रधान मन्त्री जी श्रीमती इन्दिरा गांधी का उत्तर आ गया लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी और हमारे सहकारिता मन्त्री जी से अभी तक इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि जांच करा रहे हैं या क्या करा रहे हैं। हालांकि मुझे आशा है, विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी जरूर उसकी जांच करायेंगे और दोषियों को सजा देंगे। लेकिन सहकारिता मन्त्री जी ने मुझे स्पष्ट मुंह पर मना किया इसलिए मैं कैसे विश्वास करूं, ये अब सामने बैठे हैं, बता दें, कितने दिन में इसकी जांच करायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझसे विश्वास किया करें, मेरी जुबानी बातों से विश्वास मत किया करो।

श्री भैरूंसिंहगुर्जर : इसलिए अध्यक्ष महोदय,मैं निवेदन कर रहा था कि अगर प्लाट का दुबारा आवंटन किया जाता है, दुबारा बेचा जाता है तो ए. आर. की स्वीकृति ली जाती है, सहायक रजिस्ट्रार की बिना स्वीकृति के किसी प्रकार से दुबारा अलाटमेंट कर दिया गया इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सोसायटी में कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा का घोटाला है, गोटेवाला जी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी ऑडिट करायें और ऑडिट करवाने से पहले आज इस बात की घोषणा करें कि वर्तमान बोर्ड को भंग करके वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करें ताकि वहां पर जितने कारनामे हैं उनको सही नहीं किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि आप जांच करें तब तक सारे के सारे रिकार्ड में हेराफेरी हो जाय। लिए सइ मेरा निवेदन है कि आज की आज इस बात की घोषणा करें, इस बोर्ड को भंग करेंगे क्योंकि 7 में से 4 सदस्य उनके विरुद्ध हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सोसायटी में मन्त्री वो व्यक्ति है जिसको 1.11.70 को श्री भागीरथसिंह जिनके खिलाफ में रसीदें गायब करके, गबन करने का आरोप था और उस आरोप के विरुद्ध में उस समय बोर्ड ने एक प्रस्ताव ले करके उनकी जगह दूसरा कोषा-

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

ध्यक्ष बनाया गया था। आज वही मन्त्री दुबारा इस सोसायटी का है और खुल्ले आम इसका गबन हो रहा है। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन था। अब मैं आता हूं पाली जिले की ओर अध्यक्ष महोदय मैं केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली के बारे मे आपसे निवेदन करना चाहूंगा...... अब भी हूं.......मैं आपसे निवेदन कर रहा था जैसा कि कॉपरेटिव सैक्टर का यह काम है, कापरेटिव बैंक का यह काम है कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा लोन दे और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाऐं उपलब्ध करायें। वहां मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज बैंकों का काम केवल यह रह गया है कि जब वसूलियां करने जायें तो उनसे किश्तें तो जमा नहीं करें और पहले अपना चन्दा 100-200 होता है वह इक्ट्ठा करेंगे और उसके बाद उनको लोन देते समय भी पैसा लिया जाता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इसी प्रकार सैन्ट्रल कापरेटिव बैंक, अध्यक्ष महोदय, हमारे उस बैंक के अध्यक्ष हैं माननीय सुखलाल जी सैंणिचा जो इस सदन के सदस्य भी हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने अपने अध्यक्ष पद के दौरान जितना मिस यूज कापरेटिव बैंक की कार का किया है आज भी मैं मन्त्री महोदय निवेदन करता हूं, कि अभी आप अपना आदमी भेज कर 5 एम. एल. ए. क्वार्टर्स में पता करवा लें, आर. जे. पी.—7080 अभी भी वहां खड़ी है और रोज विधान सभा के प्रांगण में आकर खड़ी होती है। क्या कापरेटिव बैंक के अध्यक्ष को इसलिए बनाया गया है कि बैंक की गाड़ियों का मिस यूज करें, उसको कापरेटिव बैंक से बाहर लाकर जयपुर चलायें, दिल्ली ले जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा..........मैं उसमें बैठकर नही आया, मेरे पास खुद की गाड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था एक ताज्जुब की बात है कि इस कापरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री रघुवीरसिंह भाटी नाम का व्यक्ति जो उस कापरेटिव बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मात्र एक यू. डी. सी. है 15 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है, जो स्वयं में अपने आप में एक सबसे बड़ा घोटाला है कि आज से 15 साल पहले जब वहां पर पोस्ट खाली थी तो यू. डी. सी. को कार्य वाहक चार्ज दिया गया था और आज तक वह मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ है। और आज की तारीख में वहां न तो किसी डिप्टी रजिस्ट्रार, को पोस्टिंग दिया न जोइंट रजिस्ट्रार को जबकि कायदा यह है कि हरेक कापरेटिव बैंक में जोइन्ट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट का ही व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर लगता है। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पहले तो आप तत्काल यह आदेश प्रसारित करें कि रघुवीरसिंह भाटी को अपनी स्थायी स्थिति पर पहुंचायें और उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे व्यक्ति को लगावें। क्यों? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनके संरक्षण में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दीं। गबन घोटालों में जिनके रिकार्डेड प्रूफ हैं अध्यक्ष महोदय, मैंने आज इस डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार और एडीशनल रजिस्ट्रार को लिख कर दिया है, अपने हस्ताक्षर से लिख कर दिया है, रिकार्डेड

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

जानकारियां दी हैं कि इस मामले की जांच करायें जानकारी करायें। अब अध्यक्ष महोदय, सत्यता तो उसी समय सामने आ जायेगी जिस समय उसकी इन्क्वायरी करवा लेंगे और इन्क्वायरी नहीं होती है, मन्त्री महोदय इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह समझूंगा कि चाहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़े, मैनेजिंग डायरेक्टर भ्रष्टाचार बढ़ावे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष के सलेक्शन में कितने घोटाले हुए। इस बैंक की शाखा है लक्ष्मी मार्केट शाखा जहां पर गणपतसिंह कच्छावा नाम का एक मैनेजर था, उसने 10 हजार रुपये खो दिये, जब 10 हजार रुपये खोने की जब शिकायत हुई, पुलिस ने जांच की दूसरी एजेन्सी ने जांच की तो यह बताया गया कि 10 हजार रुपये खोये नहीं, चोरी गये। आप ताज्जुब करेंगे कि इस मैनेजर को आज तक न तो सस्पेंड किया न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गयी और दो-ढ़ाई साल से आज भी एज एट ईज वहीं पर वर्क कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि लक्ष्मी मार्केट शाखा के मैनेजर द्वारा जो दैनिक बचत योजना है, इसमें एजेन्ट बनाये जाते हैं वहां पर इन्होंने अपने रिश्तेदारों को एजेन्ट बना लिये और रिश्तेदारों को एजेन्ट बनाने के बाद तीन साल तक लगातार उनके खातों को बताया नहीं गया, अध्यक्ष महोदय, और जब उसका गबन हो गया और डेढ़ लाख का गबन सामने आया तो पुलिस ने जांच की और पुलिस ने जांच करके यह साबित कर दिया कि इसमें गबन हुआ है उसके बावजूद आज तक न तो मैनेजर के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है, केवल यह हुआ कि उस एजेन्ट की एजेन्सी खत्म कर दी। लेकिन उस डेढ़ लाख रुपये का क्या होगा जो इस जनता का, इन किसानों का बैंक के मार्फत वे लोग खा गये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सूरजपोल शाखा वाली, शाखा व्यवस्थापक ने 35 हजार रुपये खोना बताया अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ी अच्छी परम्परा है कि पैसे खो गये, क्यों खो गये पुलिस जांच करके रिपोर्ट देती है कि खोये नहीं, चोरी गये और करने के बाद चोरी का आरोप सिद्ध होने के बाद, पुलिस ने इन्श्योरेन्स ने चोरी बतायी और संचालक मण्डल ने जब जोर दिया तो उसको सस्पेण्ड कर दिया था कुछ समय बाद संचालक मण्डल में कुछ ऐसे सदस्य आ गये जिन्होंने जोर दिया कि बहाल कर दिया है। तो यह कर्त्तव्य होता है एम. डी का कि जोइन्ट रजिस्ट्रार से संचालक मण्डल की प्रोसीडिंग्स को एप्रूव करावे उसके बाद ही उसको बहाल करें। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे क्योंकि वह श्री रघुवीरसिंह भाटी का रिश्तेदार था जो यू. डी. सी. से एम. डी. बने हुए हैं, उनके रिश्तेदार होने की वजह से उसके खिलाफ न तो उन्होंने जोइन्ट रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजी न एप्रूव कराया और उसको बहाल कर दिया।

सोजत सिटी शाखा, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि वहां पर पहले से ही श्री त्रिवेदी करके व्यावस्थापक लगे हुए थे, वहां एक पेमा राम परिहार को हमारे अध्यक्ष जी और एम. डी. ने फिर भेज दिया और कई महीनों तक दोनों व्यक्तियों ने वहां से तनख्वाह उठायी। यह तो हमारे वहां को-आपरेटिव बैंक की पोल है और

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

एम. डी. ने जानबूझ कर यह कार्यवाही की क्योंकि वे श्री त्रिवेदी को हटाना नहीं चाहते थे और अध्यक्ष महोदय, श्री सेरिचा श्री परिहार, को लगाना चाहते थे इसलिए उन्होंने यह किया दोनों ही व्यवस्थापक वहां रहे और इस प्रकार दोनों ने ही तनख्वाह ली। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धाकड़ी कापरेटिव सोसायटी में धारा 70 के तहत गबन की राशि व दुरुपयोग का मामला सिद्ध हो गया, कापरेटिव बैंक द्वारा जब जांच करायी गयी तो सिद्ध हो गया लेकिन कार्यवाही नहीं की गयी। एग्जयूक्यूटिव ऑफिस जो कापरेटिव बैंक का है उसने रिपोर्ट लिख कर दी, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको अपनी फाइल में दाखिल दफ्तर कर दी और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, विशेष कर श्री त्रिवेदी धाकड़ी जो इस को-आपरेटिव सोसायटी में मैनेजर हैं। जब उस पर सिद्ध हो गया गबन का आरोप तो उनको प्रमोशन देकर सुपरवाइजर और बना दिया गया, बोलो लीजिये आपने गबन किया इसलिए आपको सुपरवाइजर बना दिया जाता है। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था इस प्रकार ग्राम सेवा सहकारी समिति के मैनेजर हैं निजाम में श्री हुकम सिंह, उनके खिलाफ भी डेढ़ लाख के गबन का आरोप सिद्ध हो गया। गबन की एक तो चर्चा होती है, एक आरोप लगाया जाता है, लेकिन जब सिद्ध हो जाय उसके बाद उसकी जांच नहीं कराके हुकमसिंह को भी सुपरवाइजर बनाकर प्रमोशन दे दिया गया?

अध्यक्ष महोदय, यह इसका फैसला 3-12-80 को हुआ था कि इन्होंने गबन किया है, लेकिन इसके बाद फैसले के बावजूद उनको प्रमोशन दे दिया गया, इसी प्रकार से बिलाड़ा गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ भी गबन के आरोप 9-3-81 को जहां सिद्ध हो गये तो इन लोगों को पुलिस में देने के बजाय सुपरवाइजर बना दिया गया। कमाल है क्योंकि ये एम. डी. के रिश्तेदार है।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : होने वाला है साहब।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। एक मिनट में।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी 15 मिनट का और है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। समय नहीं दिया जा सकता कृपया 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इसी प्रकार इस बैंक के प्रेमचन्द और दीपचन्द के खिलाफ 420, 407, 120 का मुकदमा है, कुछ भी नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने लिखित में शिकायत की है रजिस्ट्रार महोदय को, उसमें सारी डिटेल दी है अगर वह इस मामले में जांच करा दें तो अपने आप पता चल जायेगा। एक निवेदन और करूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय और एम. डी. साहब क्या करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपतिजी का प्रोग्राम पाली जिले में, मुख्य मंत्री जी का प्रोग्राम पाली जिले में, परसराम मदेरणा जी का

(190)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

और रामनिवास मिर्धा जी का किसान सम्मेलन सहकारिता मंत्री जी गोटेवाला पधारते। जब जब कभी ये लोग गये, बैंक से इस नाम से उठाया गया कभी 30 हजार, कभी 25 हजार कभी पचास हजार ऐसा किसलिये, उनके आयोजन प्रयोजन में खर्च किये जायेगो। अध्यक्ष महोदय, न तो बैंक में कोई प्रावधान है और न कोई नियम है।

श्री श्री राम गोटेवाला : मैं कब गया था, मैं तो गया ही नहीं। मेरा नाम क्यों जोड़ दिया आपने इसमें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : वह वहां जाकर देख लें। मैं यह एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि और जब किसान सम्मेलन बुलाया जिसमें परसराम जी और मिर्धा जी गये तो उन्होंने प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को बाध्य किया कि किसानों को लाने और ले जाने के लिये 1-1 हजार रुपये प्रत्येक सोसायटी के व्यवस्थापक दें जो उनके खातों में रिकार्ड में मौजूद हैं। उन्होंने अपने खातों में लिखा है। इस प्रकार 50 कोआपरेटिव सोसायटियों के ढाई लाख रुपये का गबन ये लोग कर गये यह मेरा आपसे निवेदन था।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। समाप्त करें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : एक मिनट। मारवाड़ जक्शन एक ऐसा कस्बा है, जहां न नगरपालिका है और न पंचायत है, घोषणा दोनों की है, चुनाव हुए नहीं है मैं पंचायत राज मंत्री से आग्रह करूंगा कि आप नगरपालिका बिथड़ा करके पंचायत ही कर दें। आप एक जागरूक मंत्री हैं बोल्ड हैं, आपने स्कूल खोलने में कितनी मदद आपने हमारी की है मेरे ख्याल से किसी मंत्री ने नहीं की होगी। और आप कार्यवाही तो तुरन्त रूप से करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि जितने अध्यापकों की कमी है, वर्तमान में जो इन्टरव्यू चल रहे हैं, इन इन्टरव्यू को भी आपने फोर्स देकर करवा दा है कि इन अध्यापकों की कमी को दूर किया जाये। मेरा आपसे आग्रह है कि अध्यापक यहां पर तुरन्त ही लगाये जायें।

अध्यक्ष महोदय केवल आधा मिनट लूंगा जे. डी. ए. के बारे में इस गणेश गृह निर्माण समिति में जब अनधिकृत निर्माण हो रहे थे तो मैंने लिखित में एस. पी. को लिख कर के दिया जे. डी. ए. के, और जे. डी. ए. के सैकट्री से मिला, दो बार टेलीफोन करके जे. डी. ए. के कमीश्नर श्री माथुर से मैंने कहा तो मेरे को वहां यह जवाब मिलता है इनमें किसी अधिकारी ने यह कहा कि यह तो आपकी विधान सभा के माननीय सदस्यों की सोसायटी है और प्रद्युम्न सिंह जी का फोन आता है कि इनको तोड़ा नहीं जाय। अब प्रद्युम्न सिंह जी यहां बैठे हैं अगर आपने ऐसा फोन किया कि नहीं तोड़ा जाय तो बड़ी कृपा है। आपकी और जगह जगह जयपुर में निर्माण हो रहे है उनको भी होने दीजिए अगर और आपने किया है तो मेरा निवेदन है कि आज आज आप उनको फोन करें कि जितने निर्माण वहां हो रहे है आज के आज ही तोड़े जायें आपके इन्सपेक्टर, आपके जे. डी.

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

ए. के कर्मचारी वहां पर जाकर खुद बैठकर निर्माण करवाते हैं, बड़ी शर्म की बात है, मंत्री महोदय के लिये, डिपार्टमेंट के लिये। आप आज का आज जे. डी. ए. कमीश्नर को फोन करके कहें कि सोडाला गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति में जितने निर्माण हो रहे हैं इनको तोड़ा जाय। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य। समाप्त हुआ भाषण। ऑर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में कुछ कहा। मैं निवेदन कर दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो?

श्री यदुनाथ सिंह : जवाब में कह देना।

श्री अध्यक्ष : जवाब में कह दें....

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाम लेकर कहा है, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : नाम लेकर बहुत सी बातें कहीं जा सकती है आप उत्तर दें, जब कह दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने अध्यक्ष महोदय, किसी को टेलीफोन नहीं किया, किसी निर्माण को तोड़ने के लिये मैंने किसी को टेलीफोन नहीं किया, कि तोड़ा जाय या नहीं तोड़ा जाय।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : आपने तोड़ने से रोकने के लिये किया होगा? अगर नहीं किया तो आज की आज जो निर्माण कार्य हैं वह तुड़वा दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम। ऑर्डर ऑर्डर।

कृपया समय का ध्यान रखें सरकार की ओर से उत्तर 7 बजे दिया जाना प्रारम्भ होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, 8 बजे।

श्री अमराराम (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज गांधी जी का सपना था, जिस को हमारे स्वर्गीय पंडितजवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1960 को नागोर में पंचायती राज की स्थापना करके जो ज्योति प्रज्ज्वलित की थी उसके बाद में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने बीकानेर के अन्दर उसी पंचायती राज को पुनःगठन करके और ज्योति को प्रज्जवलित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो पंचायती राज के माध्यम से जो गांवों में जो ग्रामस्वराज्य की स्थापना जो गांधीजी चाहते थे, जनता को गांवो मे ही न्याय सुलभ हो उसके लिये पंचायती राज की स्थापना की गयी। पंचायत समितियों के माध्यमसे जो इन पिछले सालों में कार्य हुए हैं, स्कूलों का निर्माण हों टांकों का निर्माणा हो और गरीबों लोगों को जो उनको ऊपर उठाने का उनके जीवन स्तर को किसी प्रकार से ऊपर उठाने का, किस प्रकार से ऊपर उठे उसके लिये प्रयास

(श्री अमराराम)

किये हैं वह बहुत सराहनीय हैं। शिक्षा के बारे में जहां हम हमेशा ढाणी ढाणी स्कूल हो उसके बारे में हमारा जो सपना था वह सपना साकार हुआ उसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम है और वाकई में हम यहां बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पंचायत समिति के अन्दर जो विकास अधिकारी और अधिकारी लोग होते हैं, गांव के और लोग होते हैं और गांव में ग्राम सभा होती है, गरीब आदमी का चयन होता है और उसके बाद में उसके लिये उसकी इच्छा होती है कि मुझे बैल गाड़ी चाहिए या ऊंट गाड़ी चाहिए या भेड़ बकरी चाहिए उसके लिए परचेजिंग कमेटी होती है और उस परचेजिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है वह विकास अधिकारी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आप जबसे पंचायती राज के मंत्री हैं कुछ दिनों तक आपके डायरेक्टर का पद खाली रहा। जब डायरेक्टर का पद खाली था तो जब आपके एक्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे थे, मिनी डायरेक्टर जब काम कर रहे थे तो उन्होंने अधिकारियों को बरगलाया और उन्होंने उनको अन्धकार में रखा और एक ऐसी योजना बनायी और योजना बनाकर जो लोग जो विकास अधिकारी 9-10 साल से लगे हुए थे, हमारे जो नियम 68 में बनाये थे वह इसलिए बनाये थे कि पंचायती राज तभी सफल होगा जब हमारे एनीमल हसबेंण्डरी के लोग आयें, हमारे एग्रीकल्चर के लोग आयें, जब एग्रीकल्चर का और एनीमल हसबेंण्डरी का काम हमारे गांवों में ही ज्यादा है तो जो गांवों के ही लड़के हैं वह अच्छे हैं, उनका चयन कर लिया, जो सही व्यक्ति हैं, गरीब के उत्तथान के लिये उनके मन में पीड़ा है वही समझ सकता है उनकी पीड़ा को। वह आज अच्छी तरह से ढांचा चल रहा था, हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम जहां-जहां हमारे काम बहुत अच्छे हुए। उनको एक ही झटके के अन्दर 10 साल से जो आदमी नौकरी कर रहे थे उनको हटा दिया गया उसके पीछे एक एक्टिंग डायरेक्टर का हाथ था और उसने मध्यस्था करके ऐसा काम करवाया। मैं माननीय मन्त्री जी इस बात को मैं आपके नोटिस में लाया हूं, मुख्य मन्त्री जी को भी मैंने इस बारे में कहा है और आपने आश्वासन दिया है कि जो इस प्रकार के काम हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने वाले थे उनको हम पुनः लगायेंगे। मैं यह कह रहा हूं कि किस को लगाय किस को नहीं लगायें, किस का सलेक्शन करें इस बारे में मैं नहीं कहता। हमारी पंचायत समिति है 237 और उसमें से एस सी. का जिनका सबका ताल्लुक हमारी इन्दिरा गांधी के कार्यक्रम से है और जिनका जीवन स्तर है उसको ऊंचा करना है, गांव के जो लोग हैं सबसे गरीब हैं उन्हीं में से चयन करने के लिये एस. सी. का कोटा होना जरूरी है और इसमें 66 हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अमराराम : नहीं बोलेंगे तो आप की मर्जी है। 66 इसमें अधिकारी होने चाहिए एस. सी. के उनका चयन जो किया

(श्री अमराराम)

गया उनके पहले हमारे 20 आदमी एस. सी. और एस. टी. के थे आज मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कितने मात्र रह गये हैं मेरी नोलेज में है कि 6 व्यक्ति ही हैं और 14 आदमियों को हटा दिया है, जो कि आलरेडी 9-10 साल से नौकरी कर रहे थे। आपको 66 भरने थे आप किस को लगाये किस को नहीं लगायें वही लोग हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हैं और आप उनको अंधेरे में रख कर गलत आंकड़े देकर आप भ्रमित करने वाले हैं उन अधिकारियों के खिलाफ मैं चाहूंगा इसके बारे में जांच करें और जांच करके उनके खिलाफ में कार्यवाही करें। चाहे किसी को भी दें हमारे संविधान की धारा है उसकी क्या मंशा है ? हमने डा. अम्बेडकर जयन्ती अभी 16 दिन पहले मनायी उन की क्या मंशा है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि संविधान की जो धारा है। -15 क्लाज (4), 16 क्लाज (4) और 335 इसके अन्दर यह पूर्ण स्पष्ट है कि शिड्यूल कास्टस को संरक्षण देना चाहिये। आपका यह सचिवालय संदेश निकला। सचिवालय संदेश जो अभी इसी महीने का निकला है इसके अन्दर समय-समय पर आरक्षण के बारे में पूरे नियम बताये गये हैं। इसके अन्दर तदर्थ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिये आरक्षण जो निकला है, विभाग के आदेश संख्या 15 क्लाज 24 कार्मिक क. 275 दिनांक 3/1975 और समय-समय पर जो आवश्यक निर्देश दिये जाते रहे हैं कि आवश्यक पदोन्नति करते समय भी आरक्षण नीति अपनायी जायेगी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी पालना नहीं हो रही है। यह जो आपका समय-समय पर निकला है, किसी के बारे में भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इतना मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो 20 सूत्री कार्यक्रम हैं जनता इनके बारे में अच्छी तरह से जाने और जिन अधिकारियों के बारे में आई. ए. एस. ने सर्टिफिकेट दिये हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप एक झटके के अन्दर उनको भेज रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के लिये बताऊ कि ऐसे 17 व्यक्ति थे जो जी हुजूर से इसमें लगाये गये हैं। जिनके इनक्रीमेंट रोके गए उनका चयन किया गया, जिनके खिलाफ चार्जेज थे, चालीस ऐसे एस. डी. आई. थे जिनका शिक्षा विभाग में एस. डी. आई. के पद पर चयन नहीं किया गया, चालीस ऐसे एस. डी. आई. थे 17 के इन्क्रीमेंट रोके गये, और 2 आदमी निकाले गये हैं, उनके खिलाफ एक भी इतने साल में इन्क्रीमेंट नहीं रूका और एक भी उनकी सी. आर. खराब नहीं है। जहां तक मेरी नोलेज है, मैंने मालूम किया है इसी लिये मैं यह कह रहा हूं कि हम दुहाई देते हैं तो दुहाई पूरी होनी चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बारे में कहा है कि मैं जल्दी इसके बारे में निर्णय लूंगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आपके जो आदेश वगैरह हुए हैं उसको कोई रोक रहा है तो उसके बारे में आप पूरी कार्यवाही करेंगे।

जहां तक सहकारिता के बारे में है, माननीय उपाध्यक्ष साहब ने फर्माया हरियाणा के बारे में, गुजरात के बारे में, राजफैड के बारे में हमारी स्थिति दूसरों से कम है, यह बात सही है कि हमारी भौगोलिक स्थिति हरियाणा से अलग है, गुजरात से हमारी अलग है उसके बावजूद भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब से हमारा राजफैड, काम कर रहा है 30/6/1983 को राजफैड

(श्री अमराराम)

के रिजर्व फण्ड्स अन्य निधियां 49 करोड़ 40 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त 30/6/1983 तक संचयित लाभ 39 करोड़ 80 लाख रुपये हो चुका है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो काम है इसका, मैंने बुरा नहीं कहा, दूसरे जो स्टेट्स हैं उसका ठीक है, उनकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है पानी वगैरह अच्छा है, उनकी लोगों की प्रति-व्यक्ति आय अधिक है। अपने यहां की प्रति व्यक्ति आय कम है। सूखा एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा बीज वगैरह की बिक्री नहीं होती है लेकिन दिनोंदिन हमारी खाद वगैरह की बिक्री हुई है उससे हमारी इन्कम बढ़ी है और एक संतोष-जनक प्रगति कही जा सकती है, हमारे स्थानीय निकाय मंत्री जी विराजमान नहीं हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो प्रशासन शहरों की ओर चला, जहां तक मेरे शहर बालोतरा का प्रश्न है उसमें बहुत सी समस्याएं थीं, उनमें से पट्टों के बारे में समस्याओं के समाधान हुआ, सड़कों के बारे में, चार साल पहले का मुझे याद है, सिर्फ दो रोड के हमारे यहां डामर रोड नहीं था वहां आज गली-गली में कम से कम 30 रोडें हैं। वे डामर रोड़ बन चुकी हैं। मेन लाइन विस्तार हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ में जो आपकी ये नालियों का सिस्टम है उसमें सुधार करना जरूरी है। कई बार मैंने प्रश्न भी पूछा आपसे कि वहां के नाले बारे में चार साल पहले स्कीम बन चुके हैं लेकिन जिस विभाग से आप कराना चाहते हैं, वह साल में एक बार आते हैं और उसको देखकर जाते हैं फिर जब सैक्शन चेंज हो जाता है फिर भी उनके ध्यान में नहीं रहता। ड्रेनेज का जहां तक सवाल है जो बांकिया नाले जो, बालोतरा के लिये वाटर पोल्युशन का प्रश्न बना हुआ है, की सारा पानी इकट्ठा होता है आस-पास जो लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तो इस बांकिया नाला को आप फौरन ही प्रारम्भ करावे, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारी म्युनिसिपलिटी के पास पैसा है। पैसा भी जमा करवा दिया सके बावजूद आपका विभाग, जिससे आप नाला तैयार करवा रहे हैं, बहुत ही मन्द गति से काम कर रहे हैं एवं अभी तक कार्य चालू किया नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जब जवाब दे तो उस समय कहेंगे कि यह नाला बहुत शीघ्र महीने भर के अन्दर प्रारम्भ हो जायगा क्योंकि इस हाऊस में पहले भी आश्वासन दे चुके हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में आपसे यह अर्ज करूंगा कि जहां तक बाड़मेर का सवाल है, नयी सहकारी समिति हर पंचायत स्तर पर होनी चाहिये। आज हमारा कारो-बार बढ़ गया है कहीं-कहीं तो 30-29 कि.मी. से एक किलो शक्कर लाने की कपड़ा लाने की एक बहुत बड़ी समस्या काश्तकारों की रहती है। ज्यादा से ज्यादा सहकारिता पनपे और लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसलिये हर क्षेत्र में, हर पंचा-यत हेड क्वाटर्स तो अनिवार्य हो जाना चाहिये। मेहता कमेटी की रिपोर्ट जो बतायी उपाध्याय जी ने, वह बहुत पुरानी हो चुकी है। 16 हैं हमारी सोसायटी आपके पास में 28 हम ने भेजी हैं। मैं तो चाहूंगा कि 28 सोसाइटी आप जल्दी से जल्दी खोल दें लेकिन 28 में से कई नॉर्म्स में नहीं आती हैं लेकिन 16 सोसायटी नॉर्म्स के अनुसार हैं

(श्री ग्रमराराम)

वह बिल्कुल ग्रापने रीकमण्ड की हैं। उसका शीघ्र ही एक दो दिन के ग्रन्दर ग्रादेश जारी हो जाय ताकि लोग उसकी कई दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे वह पूरी हो जाय। वैसे तो 28 भी नॉर्म्स में जाती हैं क्योंकि दिनों दिन लोगों की भावना बन रही है, व्यापारी बिचौलिये खतम हो गये, व्यापारी लोग थे, यह खत्म हो गये।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री ग्रमराराम चौधरी : एक सैकंड। सोसाइटी एक माध्यम ऐसा है जो गरीब ग्रादमी को समय पर पैसा देता है। उनकी जो समस्या हैं खेती करने की, कृषि के साधन लेने की, सब उसके माध्यम से पैसा लेने से दूर जाती हैं ग्रौर उसको दूर हो नहीं जाना पड़ता है। इसलिये शीघ्र ग्रादेश फर्मायें।

धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप........

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापके दल का समय दस मिनट का है।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले लोकल बाडीज की तरफ ग्रापका ध्यान, मंत्री जी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि ग्राप जानते हैं कि मैं तो झोपड़ी की ग्रोर गन्दी बस्तियां की बात ज्यादा करता हूं क्योंकि उसी वर्ग से ग्रा रहा हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, जे. डी. ए. की ग्रभी सरकार ने एक योजना बनायी। ग्रध्यक्ष महोदय, कि जितनी भी गन्दी बस्तियां हैं उनको सही ढंग से बसाने की, गन्दगी से बचाने की सरकार ने योजना बनायी। मुझे खेद है इस बात को कहते हुए कि कल परसों मैं मुरलीपुरा ग्रौर विद्याधर नगर में जब गया था, ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर जो सरकार की तरफ से हुड़ोक की तरफ से योजना बनायी गई ग्रौर मकान बनाये गये ग्रध्यक्ष महोदय, केवल इन्होंने योजना दे रखी है। प्रधान मन्त्री जब यहां पधारीं थीं उस समय का गोटेवाला साहब का वित्त मन्त्री जी का, सब का एक शानदार फोटू है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज हालत क्या है? जिस बस्ती को मैंने देखा, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप देखकर के ताज्जुब करेंगे, मैं चाहूंगा कि ग्रभी ग्राप जा करके देखें तो ग्रापको मालूम पड़ जायेगा कि सरकार कितने बढ़िया खूबसूरत नारे देती है, खूबसूरत किताब छापती है लेकिन जो गन्दी बस्तियों में लोग रह रहे हैं जिनको मकान बनाकर दिया, एक कमरा जो 8 × 10 का होगा या 8 × 10.5 का ऐसा कुछ है लेकिन उसके ग्रन्दर न तो एक भी ढांड़ लगा हुग्रा है, न कहीं वेंटिलेशन है। इस तरह का है जैसे मुर्गी का दड़बा बना हुग्रा है इस तरह से कमरे में इन्सान रह रहे हैं।

श्री शिवराम गोटेवाला : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा। सम्माननीय सदस्य जिस दड़बे की बात कर रहे हैं। बंगाल में इनके

(6.00 सांय)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

भी जो बड़े भाई हैं, जहां कम्युनिस्ट पार्टी, वही उनके लोग कहते, उन मिनिस्टर । तक आकर तारीफ करके गये है, इनका बड़ा काम तो.......

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप दूसरों के बारे में........वैस्ट बंगाल की सरकार, सी. पी. एम........

श्री मेघराज तावड़ : अपनी गलतियों को मत छुपाइये, कहने दीजिये, मालूम है, जब हमारा पूरी तरह से राज्य आयेगा तब हम बतायेंगे आपको कि हम क्या कर सकते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सपने तो सपने ही रहने हैं । आपका राज तो आना नहीं । अभी आप एक मात्र प्रतिनिधि हो ।

श्री मेघराज तावड़ : बंदूकों के बल पर आयेगा और आप जैसे लोगों का पता नहीं लगेगा । यह आपको कहना चाहता हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम तो फिर रहेंगे ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय ।

मेरा टाइम बर्बाद न करें । नालियों वगैरह की जिस तरह की व्यवस्था है, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, यह बतायेंगे । सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, उनको प्लाट देने की बात आयी–आज 50 वर्ग गज, जिसमें एक कमरा निकला, किचन, बाथरूम, लेट्रिन लगाये गये हैं, उसके साथ न तो पानी दिया है, न नल दिया गया है, कुछ भी नहीं है । खाली एक बरामदा, किचन, बाथरूम यह सब खाली छोड़ दिया । एक ही कमरा है जिसमें वेन्टिलेशन नहीं है । बाहर जितनी नालियां बनी हैं, इतनी गन्दी हैं, पानी रुका हुआ है, मच्छर वगैरह सब पड़े हैं । उमसे भी ज्यादा उन लोगों की हालत भी खराब है । मुद्दे की बात है, 8000 में जो प्लाट दिया गया, मकान बनाकर, जो कमरा बना कर उसकी बात कर रहा हूं, 8 हजार में दिया गया है । 66 रुपए पर मंथ के हिसाब से किश्त ली जा रही है । 20 साल में उसकी कीमत 17 हजार रुपये पड़ती है । अध्यक्ष महोदय, नियमों में कहीं नहीं लिखा कि 17 हजार कितने जाकर पड़ेंगे, यह भी नहीं लिखा है कि व्याज किस हिसाब से लिया जायेगा । मैं चाहूंगा मंत्री महोदय इसके बारे में जवाब दें ।

खेद है इस बात को कहते हुए, कल परसों कुछ लोग जब मंत्री जी के यहां गये तो मंत्री जी ने उनकी दरख्वास्त लेने से मना कर दिया, उनकी दरख्वास्त फेंक दी गई । मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह स्लम और कच्ची बस्तियों को बसाने की बात करते हैं तो उनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा ।

(श्री मेघराज तावड़)

यह नहीं है कि उनकी बात को नहीं सुनें, और फेंक दें। 8 हजार मूल में प्लाट बना था। उसकी साइज है साढ़े बारह × आठ का, कुल मैटीरियल 6 हजार का लगता है जो 17 हजार का जाकर पड़ता है। मैं चाहूंगा, मंत्री जी, इस बारे में आप अधिकारियों से बातचीत कर लें कि 17 हजार किस तरह से आता है, दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहता हूं, यू आई. टी. के सिटी के आस पास नगर पालिका की जितनी जमीन है, एग्रीकल्चर लैण्ड है माननीय गोटेवाला जी ने घोटाला करके लास्ट ईयर प्राधिकरण कानून तो बनवा दिया लेकिन आज उसमें जितने घाटे हैं, सब लोग आपको रो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर लैण्ड उन गरीब लोगों से सस्ते दामों पर खरीद ली और आज एक आदमी पैसे वाला बनता जा रहा है। यू. आई. टी. और जे. डी. ए. के पास कोई प्रोविजन नहीं है। नीलाम करें और पैसा लें। अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आयेगा, नगरपालिका और यू.आई.टी. जहां है उनको बन्द करना पड़ेगा और उनको पैसा देने के लिए सरकार के पास कोई इन्कम का सोर्स नहीं रहेगा, यही बात कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक और कहना चाहता हूं।

मंत्री जी, आपके यहां हथरोई का जो किला है इसके पास में श्रद्धा माता जी ने जितनी जमीन घेरी है एक ट्रस्ट बनाकर, अध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट गैरकानूनी है। ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट कोई वैधानिक तरीके से वह रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन आपको यह मालूम होगा, आपकी विधायक पुरी और विधायक पुरी का थाना, यह तमाम के तमाम अपने ट्रस्ट में बताये है, आप क्या कर सकते हैं उनका ? मुझे कहते हुए अफसोस होता है, मंत्री जी और एम. एल. ए. वहां श्रद्धा माता के भोग लगाने जाते हैं। ट्रस्ट बनाकर हजारों लोग करोड़ों रुपयों की जमीन हड़प कर बैठे हैं। आपके ऊपर भी दावा कर रखा है, वह बताते हैं कि हमारे ट्रस्ट के अन्दर आ गये, क्या आपमें हिम्मत है ? वहां पर अराष्ट्रीय तत्वों का अड्डा बना हुआ है, आपकी श्रद्धा माता के एक टेलीफोन के ऊपर पुलिस भागती हुई जाती है, और जिन लोगों के खिलाफ वह टेलीफोन करती है पुलिस उनको पकड़कर ले जाती है, वह जांच नहीं करती उसकी, वहां जो गुण्डे रख छोड़े हैं, उन गुण्डों के खिलाफ वहां के आदमी पुलिस में एप्लीकेशन भी देते हैं तो उसको सुना नहीं जाता है। मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, क्या आपमें हिम्मत है ? श्रद्धा माता अपने आपको × × × बताकर आप सब लोगों को, कांग्रेसी और सत्ताधारी लोगों का मुंह बंद कर कर रखा है, आपमें हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने की ? मैं चाहूंगा जवाब देते समय इस बात का भी खुलासा करें कि आप उनके खिलाफ क्या कर सकते है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(१९०)

(श्री मेघराज तावड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की ओर से भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज हरिदास जी मगरी, जो करोड़ों रुपये की जमीन है, मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि क्या हरिदास जी की मगरी की कोई योजना है, क्या वह मास्टर प्लान में आती है, अध्यक्ष महोदय, वह जमीन प्राइवेट पार्टियों से कहकर करोड़ों रुपए की जमीन यू. आई. टी की ले ली और यू. आई. टी. चुप है, क्या हुआ आपके चम्पा बाग का, मुझे बताइये, चम्पा बाग का केस, आप कहते हैं, हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आज चम्पा बाग में अवैध निर्माण कार्य चालू है, और आप कहते हैं. हाई कोर्ट में केस पेण्डिंग हैं, कौन कर रहा है पैरवी आपको ? आपने वह जमीन यूनिवर्सिटी देने के लिए एजुकेशन परपज से एक्वायर करने की बात कही थी क्या हुआ उसका, आप बतायेंगे। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो केस यहां उठ चुका है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इसके पास ही जितनी नाजायज कच्ची बस्तियां हैं उनमें न तो पानी, लाइट और सड़कों का कोई प्रावधान नहीं है, और आप कहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी इन कच्ची बस्तियों को बसा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि कच्ची बस्तियों को उजाड़ने की कार्यवाही यू. आई. टी. कर रही है लेकिन इनको बसाने की कार्यवाही नहीं। आप एक तरफ तो गरीब को छप्पर की बात करते हैं, छप्पर क्या आप जमीन तो उसको दे नहीं सकते, लेकिन उसके अपने बलबूते पर छप्पर पड़ा हुआ है, छोटी-मोटी झोपड़ी बनाकर उसमें रह रहा है और आप उसको उजाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय कम है मैं ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन केवल यह जो मुद्दा है उसकी भावना मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आप अपना स्टैप लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायती राज की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और विपक्ष के माननीय सदस्य भी कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक वर्ष तक सरपंच रहा हूं, मुझे मालूम है आज सरकार जो अनुदान दे रही है ढाई रुपया. वह ढाई रुपये काफी नहीं हैं, कई पंचायतें. अध्यक्ष महोदय. हमारे गांवों में, हमारे आदिवासी इलाके में ऐसी पंचायतें हैं जिनमें एक नये पैसे की भी इन्कम नहीं होती है पंचायतों को। सरकार की तरफ से ढाई रुपये पर हैड के हिसाब से अनुदान दिया जाता है, वह किसी तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रजातन्त्र के जमाने में आप जब डि सैण्ट्रलाइजेशन की बात करते हैं........

(श्री मेघराज तावड़)

तो गांव को, उन ग्रामीण इलाकों में पंचायती विकास का कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप, जो अनुदान है हैं उसकी राशि बढ़ायें।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक नीतिगत प्रश्न है, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, आपकी नीति है कि सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए. मैं यह नहीं कहता कि सरपंच मैट्रिक या बी. ए. का हो लेकिन सरपंच कम से कम ऐसा भी होना चाहिए कि पढ़ना लिखना जाने, कुछ भी समझ लें, लेकिन कई एक ऐसे सरपंच हैं जो सिर्फ साइन करना जानते हैं, दस्तखत करना जानते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं जानते। इसी से कई बार तो उनका दुरुपयोग वहां के ग्राम सेवक वगैरह करते हैं। पहले हमारे 12 साल के एक सरपंच को 3 साल की सजा हुई थी अंगूठा लगाया और उस से सारा गबन का आरोप लगाया और 3 साल की सजा भुगतनी पड़ी। मैं चाहूंगा, मंत्री जी इस सम्बन्ध में सोचें, पहली किताब पढ़ने से लेकर जो बतायें उसका पालन नहीं होता है। चुनाव के टाइम में अधिकारी ऐसे आदमी का सरपंच के लिए फार्म पास करते हैं जो केवल दस्तखत करना ही जनता है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की शिक्षा के अन्दर प्राइमरी स्कूलों के बारे में कई साथियों ने कहा, मैं भी कहना चाहता हू सरकार ने पंचायती राज के हाथ में शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा दी, पचायती राज के तहत है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है? आज पंचायती राज के अन्तर्गत किस तरह की शिक्षा दी जाती है प्राइमरी? प्राइमरी स्कूल है वहां पर न तो भवन है, न गांव में कोई इन्टीरियर इलाका है, अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मैंने प्रश्न पूछा तो, 57 स्कूल बन्द थे, इस वर्ष पूछा तो 45 स्कूल, जहां पर हैं, बन्द पड़े हैं, मास्टर नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, कि इसका करण क्या हैं, उसका कारण है, क्यों गांवों में प्राइमरी टीचर भी नही जाना चाहते, अध्यक्ष महोदय, उनको रहने के लिए न तो कोई मकान देता हैं, न मकान गांवों में इतने ज्यादा होते हैं जो उनको किराये पर दे सकें, इसलिए मैं चाहूंगा कि ग्रामीण इलाके में जो प्राइमरी शिक्षक है उनको मकान किराये भत्ते में ग्रामीण अलाउन्स उनकों दे ताकि वह उन गांवों में रह सकें। आपका अट्रैक्शन शहरों की तरफ ज्यादा हो रहा है। शहरों में चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, मिडल का हो, सैकण्डरी स्कूल का टीचर हो उसको आप सब तरह की शहरी सुविधा देते हैं, वह शहरी सुविधा गांव के लोगों को दीजिए अट्रैक्शन पैदा करिये ताकि गांवों में मास्टर रह सकें। अध्यक्ष महोदय, आज जो पंचायती राज के कर्मचारी हैं उनको भी राज्य कर्मचारियों की तरह से मैडिकल भत्ता, मकान भत्ता जो सुविधा आप देते हैं। वह सुविधा भी उनको दें ताकि वह लोग वहां जायें और आपकी पचायती राज की जो कल्पना है, डीसैन्ट्रलाइजेशन है वह पूरी हो सके।

अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे पास मैटर बहुत है मैं तो बहुत शार्ट में बोल रहा हू लेकिन आप चाहेंगे तो मैं........

श्री अध्यक्ष : आज इतना ही पर्याप्त है। आगे और अवसर मिलेगा।

(200)

श्री मेघराज तावड़ : धन्यवाद देते हुए मैं सहकारिता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मन्त्री जी के पास बहुत पहले यह विभाग था अब तो एक्सट्रा विभाग इनके पास आ गया। पता नहीं क्या कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य उपाध्याय जी कह रहे थे, सहकारी आन्दोलन ग्रामीण इलाके की आर्थिक जड़ है। मैं तो कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन समाजवाद की पहली सीढ़ी है। किन्तु सहकारिता आन्दोलन आज इस तरह से फैल किया गया है आपकी गलत नीति के कारण अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है इस बात का कि जब सहकारिता आन्दोलन शुरू हुआ, जिन लोगों के हाथ में आन्दोलन सौंपा गया, व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में सौंपी गयी, उन्होंने उसका मिसयूज किया। अधिकांश जो सूदखोर थे गांवों में उन लोगों को इसमें ज्यादा भागीदार बना लिया। उन्होंने इस सहकारिता आन्दोलन को फैल किया। अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचा जाना चाहिए। जैसा माननीय पूर्व सहकारिता मन्त्री उपाध्याय जी बता रहे थे, उनके विचार बड़े दुरुस्त थे, बड़े सही थे लेकिन क्या कारण है कि जिस मन्त्री के हाथ में विभाग होता है वह तो कुछ कर नहीं पाता, उसके बाद अपने सुझाव बहुत अच्छे देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह पूरे का पूरे विभाग में कहीं न कहीं भारी गड़बड़ घोटाला है वह इस समाजवाद के कदम की, समाजवाद की बात तो भूल ही गये। सहकारिता आन्दोलन को तो भूल ही गये, वह तो केवल घोटालों में लिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, उन घोटालों को कोई भी मिटा नहीं सकता। आज सहकारिता आन्दोलन में छोटी से छोटी सहकारी समिति से लेकर बड़े-बड़े सहकारिता मिल हैं उनके जो घाटाले हैं वह माननीय सदस्य आपके सामने पहले प्रस्तुत कर रहे थे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं आप इनको सुधारें और सुधारने में भी आप केवल जनप्रतिनिधियों को लें, आप इन अधिकारियों के हाथ में आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों के हाथ में सहकारिता आन्दोलन को सुधारने का कार्य न दें। आप जनप्रतिनिधियों को यह काम सौंपें। और जनप्रतिनिधियों को उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वाल्व करें तो सहकारिता आन्दोलन सफल हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी इलाके में सहकारी समितियों में घोटाले हुए हैं। आज तक बहुत आदिवासी लोग ऐसे है जो कभी न तो सहकारी समिति के नजदीक गये और अध्यक्ष महोदय, न उसके सदस्य बने लेकिन उनके नाम से हजारों रुपये उठ गये, हजारों से मतलब मेरा, अध्यक्ष महोदय, कहीं एक दो हजार 500 से ज्यादा नहीं लेकिन आज भी उनसे वसूली हो रही है। जो सदस्य नहीं रहे, जो निर्दोष हैं जिन्होंने कर्जा ही नहीं उठाया उनसे वसूली हो रही है आज बहुत सारे घोटाले साबित हो गये हैं उनसे वसूली नहीं की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, नोट कीजिए, गोगुन्दा की ग्राम सेवा सहकारी समिति, कोटड़ा तहसील में देवड़ा ग्राम सहकारी समिति, झाड़ोल तहसील में खाकड़ सहकारी समिति, इसी तरह से गोगुन्दा में सूरजगढ़ सागवाड़ा सहकारी समिति, इसी तरह से.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । समाप्त कीजिए भाषण, माननीय सदस्य । आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट में ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । बैठ जायें ।

श्री मेघराज तावड़ : मेरी पूरी बात हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : एक ही बात आखिर में.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें । आर्डर प्लीज ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, एक बात.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आज की मांगों पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और सुझाव दिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी हद तक मेरा काम हल्का किया । क्योंकि मेरा सोच विचार का केन्द्र-बिंदु गांव हैं इसलिए मैं जो आज की तीन मांगें हैं उसमें से जो गांवों के हिस्से की मांगें हैं उन पर अपने मोटे-मोटे सुझाव देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद भी आज जो देश की हालत नजर आ रही है, हमारे प्लानिंग के फैल्योर की स्थिति नजर आ रही है, सारी योजनाओं में हम पीछे चलते जा रहे हैं उसका मुख्य कारण, अध्यक्ष महोदय, यह है कि हमने जो योजनाओं का केन्द्र बिन्दु शहर को माना है, गांव को नहीं माना है । योजनाओं का केन्द्र बिंदु, विकास का केन्द्र बिंदु हम गांवों को मानकर चलते जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है । जिस तरह से हमारी योजनायें असफल हुई हैं, जिस तरह से विकास की गति में हम पीछे गये हैं, उसको देखते हुए आज हमें इस बात पर सोचने की आवश्यकता है आज हमारे विचार में विकास के प्लानिंग के केन्द्र बिन्दु गांव हों या शहर हों । अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शहरों का विकास आज नजर आ रहा है इसलिए यह सोचने की जरूरत है कि गांव का विकास किस प्रकार से किया जाय । मेरी दृष्टि, अध्यक्ष महोदय, 7292 जो पंचायतें हैं उनकी ओर जाती है । जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, पूर्ण स्वराज्य गांव की इकाई ग्राम पंचायत को जब तक नहीं दिया जायेगा, वह गांव की इकाई जब तक इतनी सक्षम नहीं होगी कि अपने गांव का नियोजन अपने गांव की पूर्ति कर सके, गांव का प्रशासन, धारा सभा, नगरपालिका और कार्यपालिका का काम पूरी तरह से स्वतन्त्र रूप से जब तक पंचायतों के हाथ में और गांवों के हाथ में नहीं आयेगा तब तक हम सही आजादी हासिल नहीं कर पायेंगे । फिर नतीजे भी आज हमारे सामने आते चले जा रहे हैं इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे यहां पर जिस प्रकार से संविधान में संरक्षण मिला हुआ है कि विधान सभा और लोक सभा को उसी प्रकार से ग्राम पंचायतों

(श्री यदुनाथ सिंह)

को संरक्षण मिलना चाहिए। आज सरकार के भरोसे ये पंचायतें चल रही हैं, चाहे जब पंचायतों को सरकार भंग कर सकती है, चाहे जब पंचायतों का सरकार निर्माण करती है और चाहे जहां सरकारी अधिकारी को बिठाकर काम करा सकती है, जहां चाहे एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकती है। इसलिए जब तक हम पंचायतों को स्वतन्त्र रूप मे एक इकाई के रूप में प्रशासन का एक हिस्सा नहीं मानेंगे, थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज, विधान सभा और लोक सभा इस तरह का जब तक राज कायम नही करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। यह इसलिए नही हो सकता, अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग गांव के स्तर पर नहीं होगा अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को लें। राजस्थान के लिए एक प्लानिंग की जाती है, एक ही योजना बनायी जाती है जब कि परिस्थितियां क्षेत्र के हिसाब से अलग है, एरियों के हिसाब से अलग हैं, एक जिले में भी अलग अलग परिस्थितियां होती है और एक जिले में भी अलग अलग योजनाओं को लगाने की जरूरत होती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरत है गावों को सुदृढ़ करने की गांवों में अब पचायती राज पैरेलाइज्ड है। पैरेलाइज्ड इसीलिए है कि उसको अलग से संविधान का संरक्षण कोई प्राप्त नहीं है इसलिए चाहे जब भंग कर देते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा मन्त्री महोदय को, पिछली बार मैंने जब प्रश्न रखा था, भरतपुर और धौलपुर की जिला परिषदों के बारे में मैंने कहा था कि शीशराम जी अपने मुंह से कुछ कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है। लेकिन आपने तपाक से कहा कि यह राजस्थान सरकार कह रही है। मैंने तभी कहा था कि राजस्थान सरकार आपने कह दिया तो मेरा विश्वास आपसे उठ गया क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस विधान सभा में जितनी भी घोषणाऐं की हैं ज्यादातर घोषणाऐं सभी मिथ्या हुई है। आपने कहा था कि दो महीने के अन्दर जिला परिषद का चुनाव करा दूंगा क्या हुआ? आप आज उत्तर देंगे जब 6 महीने बाद हम मिल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पंचायतों की हालत बना दी गयी है इस हालत को जब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक पूरे अधिकार पचायतों के हाथ में नही आयेंगे। आज मैं भाषण दे जाऊंगा, कल दूसरा दे जायेगा, आज पचायतों के माध्यम से स्कूल खुलवा दिये जायेंगे, आज पंचायतों के माध्यम से दूसरे छोटे मोटे काम करा दिये जायेंगे, ढ़ाई रुपये की जगह 5 रुपये ग्रान्ट दे दी जायेगी उससे भला होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह विधान सभा एक संकल्प पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजे, पार्लियामेंट को भेजे कि जब तक पूरी तरह से पूरे अधिकार जब तक पचायतों के हाथ में नहीं आयेंगे तब तक भला होने वाला नही है। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मैं गांव के विकास में इत्तफाक करता हूं माननीय उपाध्याय जी से जो कि सहकारिता है वह एक जन आन्दोलन है, एक जीवनदर्शन है और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था करने का एक माध्यम बिल्कुल है। सिवाय सहकारिता के कोई ऐसी दूसरी एजेन्सी नही है जो गांव में

(श्री यदुनाथ सिंह)

जा कर किसान को उसको राहत पहुंचाने का काम करे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यहां पर गांव से सम्बन्धित काम, विकास से सम्बन्धित गांवों को उठाने से सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं, जितनी भी योजनायें हैं उनका इसी से अन्दाज लगाइये, अध्यक्ष महोदय, उनको इस सरकार ने बहुत महत्वहीन मान रखा है। पंचायत मन्त्री जो हैं वह कैबिनेट स्तर के नहीं हैं, कृषि मंत्री जो है वह कैबिनेट स्तर के नहीं हैं, सहकारिता मन्त्री जो हैं वह कैबिनेट स्तर के नहीं हैं, पशुपालन मंत्री कैबिनेट स्तर के नहीं हैं, वन मंत्री कैबिनेट स्तर के नहीं हैं, भेड़ व ऊन मंत्री कैबिनेट स्तर के नहीं हैं यानि गांवों के संबंध में जितना भी आपको अपनी राय देना है, जो नीति बनानी है, नीति पर राय लोग नहीं दे सकते इसलिये सेक्रेटेरियेट में बैठे-बैठे आदमी बना रहे हैं वह नीतियां बन रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। 18 हजार से ऊपर हमारी सोसाइटियां काम कर रही हैं, काम की देख रेख कर रही हैं। समय कम है, अध्यक्ष महोदय, काम किस प्रकार का हो रहा है? आप आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, सारी आडिट रिपोर्ट देख कर। होना यह चाहिये था कि गांवों को सोसाइटीज के चुनाव आपने करा दिये, उनके हाथ में काम सौंप देते इससे काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह का शिकन्जा को-आपरेटिव सोसाइटियों में है, को-आपरेटिव का यह गलत क्लास गांव में बन चुका है उस क्लास को आप जब तक तोड़ने का काम नहीं करेंगे यह को-आपरेटिव मूवमेंट आपका बुरी तरह से असफल हुआ है और भी ज्यादा असफल होने का काम होगा। हो क्या रहा है, अध्यक्ष महोदय? मैं अपने यहां की नजीर देना चाहूंगा। जिन जिन लोगों दादा ने, परदादा ने कभी एक पैसा बैंक से लोन लिया नहीं उनकी जमीनें कुर्क हो रही हैं, उनके मकान कुर्क हो रहे हैं, उनकी मवेशी कुर्क हो रही है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि वह जब तक वहां से एन. ओ. सी. नहीं लाते दूसरी बैंकों से भी उनको कोई सहायता मिलने का नाम नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य तब होता है जब सारा का सारा एम्बैजलमेंट, जो भरतपुर को-आपरेटिव बैंक में हुआ है, सामने आया है, वह पांच करोड़ का है। आडिट रिपोर्ट के हिसाब से, उनको जांचों के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा यह की जाती है कि दस करोड़ रुपये से ज्यादा वहां पर एम्बैजलमेंट में है। इस तरह से वह एग्रीमेंट मान लिया गया वहां पर किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है, सोसाइटियों से कोई काम नहीं लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 503 सोसाइटियों को खत्म करके 344 सोसाइटियां भरतपुर में बनायी गयीं। उस पर कुछ लोगों का एक गैंग पिछले 15 सालों से कब्जा किये हुये हैं। कुछ लोगों का गैंग हड़पे जा रहे हैं और जो लोग दाने-दाने के लिये तरसते थे उन लोगों की भरतपुर में 5–5, 10–'0 लाख की बिल्डिंग बनी हुई हैं, अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ गरीब आदमी, जिसने कभी एक नया पैसा कभी बैंक से लिया नहीं, उनकी जमीनें नीलाम

(श्री यदुनाथ सिंह)

हो रही है, घर नीलाम हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ नजीर रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं है बहुत सी बात कहने का इसलिये भरतपुर सहकारी बैंक में, अध्यक्ष महोदय, देखिये आप, किस तरह से पैसा हड़प करने की योजना बनायी गयी। अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराने समय से यह चल रहा है इसकी जांच भी हुई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मेरे एक-एक प्रश्न का जवाब दें। मैं चाहूंगा कि आप अपने दफ्तर में अपने अधिकारियों से पूछें और जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, 30.9.74 को भरतपुर लैंड डेवलपमेंट बैंक जो थी वह डिफाल्टर हो गई डिफाल्टर हो रही थी। डिफाल्टर होने से बचाया जाय इस बैंक को। बचाया क्यों जाय? जो भरतपुर डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि आये थे वही चुन कर राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष आये वह बैंक अगर डिफाल्टर हो जाती तो जिस मापदण्ड से रिप्रेजेन्टेशन था और अध्यक्ष थे उससे वह हट जाते। इससे बचने के लिये क्या तरकीब निकाली? उन्होंने किया क्या कि सोसाइटियों की ओर से बैंक की ओर से मांग मांगी, 10 लाख रुपया दिया जाय। 10 लाख रुपये से डिफाल्टर हो रही थी। 30.9.74 को उनके पुत्र को-आपरेटिव बैंक के वहां पर चेयरमैन थे तो उनके माध्यम से मांगी गयी 10 लाख रुपये की मांग बैंकों के लिये जबकि वहां पर पूरा खरीफ फसल का लोन बंट चुका था। उस पैसे को लिया गया और नदबई, नगर, कुम्हेर, रूपवास और सेवर, डीग इन पंचायत समितियों की 44 सोसाइटियों के मार्फत से उनके खातों में पैसा जमा किया और हाथ के हाथ भरतपुर भूमि विकास बैंक में दस लाख रुपया जमा कर दिया। यानि अपनी चेयरमैनशिप को बचाने के लिये दस लाख रुपये का गबन किया। अध्यक्ष महोदय, मोटी-मोटी बात बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट 1974-75, जिसका जिक्र आ गया है, अभी बता रहा हूं, आडिट रिपोर्ट 74-75, 75-76 में एक बोरोनी काप काण्ड हुआ अध्यक्ष महोदय, वहां पर चार लाख रुपये का फर्जी समायोजन किया गया, बैंक की कैश बुक को फाड़ दिया गया और बैंक की कैश बुक फाड़ कर वहीं के प्रेस से छपवा कर वहां पर पन्ने लगाये गये। उनको पकड़ा गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ए सी डी में भी प्रूव हो गया। ए सी डी से भी इन्क्वायरी हुई लेकिन कार्यवाही कुछ होने का कार्य नहीं कर रही है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, 1973-74, 74-75 की आडिट रिपोर्ट में एक जीप काण्ड हुआ भरतपुर में 81 जीपों का। तमाशा क्या किया कि बैंक के अधिकारियों को, मण्डल अभियन्ता को, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स, उन लोगों ने गुलछर्रे उड़ाने शुरू किये। जीप को ले जा रहे हैं शिमला, जीप को ले जा रहे हैं चण्डीगढ़, जीप को ले जा रहे हैं आगरा, मन चाहे जहां जीप को ले जा रहे थे और अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बैंक की वसूलियों में गये थे। लेकिन जब वहां से मिल आये जहां-जहां यह गये थे, वहां से पेट्रोल, डीजल के बिल आये तो यह पोल खुली। उसकी जांच हुई। ए. सी. डी. में उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद कलेक्टर को रिपोर्ट

(श्री यदुनाथ सिंह)

दी गयी 1979 में। कलेक्टर को रिपोर्ट दी गयी तो उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायी गयी। लेकिन उनका बिगड़ा कुछ नहीं अब तक। विभागीय कार्यवाही उनके खिलाफ आज तक कोई की नहीं गयी है, कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है। जिनको प्रमोशन मिलना था प्रमोशन मिला है, डायरेक्टर रिटायर होने वाले थे, रिटायर हो गये। सब चले गये। बैंक के भूतपूर्व संचालक, भरतपुर को-आपरेटिव बैंक के संचालक, शौक आया कि मैं विदेश घूमने जाऊंगा विदेश घूमने के लिये उन्होंने एक मीटिंग की 28.9.75 को। कार्यकारिणी की मीटिंग में पास करा लिया लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रार से परमिशन लेना, अध्यक्ष महोदय, आवश्यक होता है जाने के लिये, रजिस्ट्रार जब तक अनुमति नहीं दे तब तक नहीं जा सकता। वह घूम आये। आडिट रिपोर्ट में उस पर आब्जेक्शन हुआ। आज दिन तक उस पैसे को जमा कराने का काम यह को-आपरेटिव बैंक करा नहीं पायी है। बैंक की आडिट रिपोर्ट 1979–80 में बैंक की, सोसाइटियों की मांग, अध्यक्ष महोदय, जोड़ यदि देखा जाय, बैंक की मांग और सोसाइटियों के मांग में 1 करोड़ 80 लाख रुपये का अन्तर है, यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपया बैंक सोसाइटियों से मांग रहा है लेकिन सोसाइटियां सदस्यों से नहीं मांग रही हैं। 1 करोड़ 80 लाख रुपये सीधे-सीधे। अब तो यह 5 करोड़ हो गया है। मेरे को अन्दाजा है कि 5 करोड़ तक घोटाला पहुंच चुका है। यह घोटाला सोसाइटी और बैंक के सदस्यों के बीच में हो गया। सदस्यों के नाम भी फैले हुए हैं। यह सोसाइटी और बैंक के सदस्यों के बीच का घोटाला है। जो घोटाले हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, एक जांच हुई थी मैं धन्यवाद दूंगा उस टाइम के सहकारिता मंत्री को, वह जांच हुई थी 79 में अध्यक्ष महोदय, 37 सोसाइटीज की वहां पर जांच हुई और सबको, एक-एक को एम्बैजलमेंट में फंसाया गया और 32 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। लोगों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, कुर्क हो रही हैं और जिन लोगों को प्रमोशन मिलने थे उनको प्रमोशन मिल गये हैं और कोई उन पर हाथ डालने की उम्मीद नहीं करता है। नातेदार, रिश्तेदार, भाई, साढ़ू, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक में भर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, फिर जब यह मंत्री महोदय मौके पर गये, वहां के लोगों को सस्पेण्ड करने का काम किया इसलिये धन्यवाद के पात्र हैं बाकी......

(व्यवधान)

मंत्री श्रीमान् अपने मेघवाल साहब थे। यह जब भरतपुर गये, तब प्रदर्शन किया हम लोगों ने तो वहां पर तो हाथ के हाथ करवाया था लेकिन उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई है........

श्री अध्यक्ष : एक बार तो कर देते हैं बाद मे उसको पूछ नहीं करते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : करते पर क्या करें हमारी सरकार चली गयी, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सन् 1979 में जांच हो गयी थी और सरकार 1980 में गयी थी। एक साल आप क्या कर रहे थे।

श्री यदुनाथ सिंह : आप क्या कर रहे हैं ? हम तो नालायक थे आप एक-एक का जवाब दीजिये और आप कुछ नहीं करते हैं तो आपकी भागीदारी मानेंगे उसमें। अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माल तो खा गये भरतपुर वाले और भागीदारी मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : उसको सजा दीजिये उसको सजा दीजिये। उसके लिये आप बैठे हैं। नहीं तो घर जाइये आप। आप उन गरीबों की तरफ जाकर देखिये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बैंक में एक नियम है। हो क्या रहा है, हमारे यहां मैं आपको बताऊं। बैंक के लोकल आदमी हैं। खुद दादा बनते हैं। उनकी तरफ बदमाशों की भी फोर्स है। एक गैंग लगा रखा है। पिछली बार सरकार ने बदलने की कोशिश की वहां पर तो एम. डी. बदला तो दे जूते दे जूते लहूलुहान कर दिया वहां पर। मजा हुई उन लोगों की इस तरह की कार्यवाहियों को रोकने का काम करें, अन्यथा आप खूब आंकड़े दे दीजिए, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर कोई कार्यक्रम चलायें, कभी और सूत्र के नाम पर चलायें, ज्यादा समय नहीं है वरना आपको 20 सूत्री कार्यक्रम की पोल खोलकर बताता....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रूफ रह गया इनकी मदद करेगा, इनके पास भी होगा, लेकिन यह मानेंगे नहीं। पत्र है संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति, भरतपुर का। इसमें उन्होंने कहा है कि राजगोपाल साहब, जब को-आपरेटिव सेकेटरी थे, यह लिखते है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पैकेज आफिसर द्वारा जनवरी, 1977 में बैंक के लिये किये गये निरीक्षण पत्र के अनुसार बैंक में ऋण वितरण एवम् वसूली में घोर अनियमिततायें हुई हैं। प्रत्यक्ष एडजस्टमेंट का मामला आपके समक्ष आपकी गत यात्रा के समय आ चुका है। वर्तमान आडिट 75–76 के सम्बन्ध में मुझे जानकारी मिली है कि बैंक की समितियों की तरफ मांग ज्यादा है, जब कि समितियों की मांग सदस्यों की तरफ कम है। बैंक समितियों से लगभग 105 करोड़ रुपया अधिक मांगता है जबकि समितियां सदस्यों से 105 करोड़ रुपया कम मांगती हैं। चूंकि इस राशि को चुकाने वाला कोई नहीं है अतः इसकी वसूली असम्भव है इसी कारण बैंक का अभी बैलेंस ठीक नहीं मिला है. बैलेंस शीट को अन्तिम रूप नहीं दिया है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : देखिये यह क्या कहते हैं इसी दृष्टि से मैं अमानतदारों की अमानतें खतरे में मानता हूं। राजकीय

(श्री यदुनाथ सिंह)

मनोनीत संचालक मण्डल के उपरान्त ही दस जिले में कर्मचारियों एवम् गैर सरकारी प्रतिनिधियों का एक आचरणहीन गिरोह बहुत सक्रिय है, जिसकी जड़ें निहित स्वार्थी तत्वों की छाया में गहरी हो चुकी हैं अतः राज्य स्तर से ही कठोर एवं सक्रिय कार्यवाही किये जाने के उपरान्त यह नियन्त्रित किया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा निवेदन है कि जो हमारे ब्यावर नगर का मास्टर प्लान बना है, काफी महीने हो गये, उसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई, उसकी मीटिंग बुलाकर उस मास्टर प्लान को फाइनेलाइज जल्दी से जल्दी करें ताकि हमारे ब्यावर नगर का विकास ठीक रूप से हो सके।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे ब्यावर नगर के अन्दर और पूरे राजस्थान के अन्दर जो हाउस टैक्स के ऊपर मंत्री महोदय ने छूट दी है उसके बारे में निवेदन है कि जिन लोगों ने सही समय पर पैसा भरा उनको छूट का लाभ नहीं मिलता, लेकिन जिन्होंने आज तक पैसा नहीं भरा उन लोगों को छूट का फायदा मिल रहा है, इस पर मंत्री महोदय आगे के लिए ध्यान करें। अगर छूट देनी हो तो जिस प्रकार से जलदाय विभाग 25 प्रतिशत की छूट देता है उसी प्रकार से आप भी हाउस टैक्स के अन्दर परमानेंट छूट घोषित करें। ताकि हर एक लोग को इसका लाभ मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से यह छूट दी गई, उसका जिन लोगों ने पैसा भर दिया उनको लाभ नहीं मिल रहा और जिन्होंने आज तक नहीं भरा उनको लाभ मिल रहा है जो लोग समय पर पैसा भरते हैं उनके दिल में ख्याल आता है कि हम फालतू क्यों पैसा भरें। लोग हाउस टैक्स का पैसा जमा नहीं कराते इस तरह से नगर परिषद की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती चली जाती है।

एक मेरा निवेदन और है कि हमारे यहां जो पिक्चर हाल हैं, उनसे जो मनोरंजन कर आता है वह आज के 15-20 साल पहले जो निर्धारित कर रखा था उसी हिसाब से आता है, वह नगर परिषदों को उनकी इनकम के हिसाब से देते हैं। यह बहुत कम है. मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति और इसके विकास को देखते हुए मनोरंजन कर जो पिक्चर हाउस से आता है, नगरपालिका को 50 प्रतिशत दिया जावे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरा ही देने के लिए कह दीजिए।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : इसके अलावा आपके माध्यम से मैं निवेदन करूं कि ब्यावर नगर में जो गन्दा पानी का नाला है उसका सारा का सारा गन्दा पानी है मौजूदा वाटर वर्क्स में जाकर मिलता है।

(श्री विष्णुप्रकाश बजारी)

मकरेड़ा में है, में मकरेड़ा वाटर वर्क्स है वहां से हमारे ब्यावर नगर को पीने का पानी उपलब्धहोता है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अभी हमारे हाउंसिग कमीशनर महाब आये थे उस समय भी हमने निवेदन किया था, आपसे भी कर रहा हूं कि योजना को हाथ में लेकर इस नाले को ओर कहीं डाइवर्ट करें ताकि यह पानी कहो ओर जावे और जो पीने के पानी में इससे गन्दगी फैलती है, उससे बचा जा सके।

इसके अलावा, मंत्री महोदय,जो एक लाख से कम आबादी वाले शहर हैं हमारा ब्यावर नगर भी है, उनको विकास की योजना लाभ दिलवाने की मेहरबानी करेंगे। नगरपरिषदों के अन्दर जितने भी आयुक्त महोदय हैं, मैं उनके बारे में कहूंगा कि आर. ए एस. केडर के अधिकारी वहां लगाये जायें ताकि उनका प्रशासन ठीक तरह से चल सके। साथ ही नगरपरिषदों के चुनाव जो पिछले 10-12 साल से नहीं हुए हैं उस के कारण हर एक नगरपरिषद के अन्दर बहुत हालत खराब हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो नगरपरिषद के चुनाव हैं वह जल्दी से जल्दी कराये जावें।

इतना ही कहकर आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

श्री भालू खां।

श्री अध्यक्ष : पहले ताम्बी जी बोलेंगे, आपको इनके बाद अवसर दूंगा। श्री रतन लाल ताम्बी कृपया समय का ध्यान रखें, 15 मिनट हैं आपके।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की डिमांड्स ऐसी हैं जिससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों की जनता का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले अपनी बात पंचायती राज से शुरू करना चाहूंगा राजस्थान में 1953 के पंचायत अधिनियम और 1959 के पंचायत अधिनियम के साथ पंचायती राज, जो हम आज देख रहे हैं, चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बीच में कई कमेटी बनाकर पंचायती राज की समीक्षा की गई और उसके आधार पर पचायती राज को पुनर्गठित किया गया। किन्तु मैं यह कह दूं कि पुनर्गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ बिन्दू पर कार्यवाही कर बाकी छोड़ दिया जाता है। इसलिए पचायती राज आज अभी भी हमारा अधूरा है, लंगड़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज नीचे से जुड़ा है और जनता से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। प्रशासन की दृष्टि से और सभी दृष्टि से नौकरशाही के हाथ में सब कुछ है। इसलिए पंचायती राज के सम्बन्ध में मैं चाहूंगा सबसे पहले इन अधिनियमों की विशेष समीक्षा करके आज के परिपेक्ष्य में एक बृहत पंचायत कोई और उसके अन्तर्गत नियम बनाने की आवश्यकता है। आज ग्राम पचायतों की जो आर्थिक स्थिति है जो स्रोत हैं उनकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि ढाई रुपये प्रति व्यक्ति अनुदान दिया

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जाता है वह आज के आधार पर बहुत ही कम है। इसलिये सभी तरफ से मांग रही है और मैं भी इसमें अपनी बात को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि पांच रुपये प्रति व्यक्ति विशेष तौर से अनुदान हो, तब जाकर पंचायतें मजबूत हो सकती हैं। 1951 की जनसंख्या के आधार पर हमारी ग्राम पंचायतें गठित हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में आज 1981 के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन, वार्डों का पुनर्गठन बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में जनता को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है........

(6.31 सायं)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर,) सभापति, पीठासीन)

समय के अभाव में मैं मोटे-मोटे सुझाव देना पसन्द करूंगा सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि विक्रय के अधिकार जो पंचायतों को दिये हुए हैं उन अधिकारों में कई कमियां हैं और उसमें भूमि विक्रय के नाम पर जो प्रश्न आपके सामने आते हैं, जो विचार आते हैं हम भी गांवों में देखते हैं बहुत बड़ी इसमें घपलेबाजी रहती है। विकास का पूरा ध्यान इसमें नहीं रह पाता। कहीं रोड बाउन्ड्री, कहीं विकास के जो भवन हैं उसके आसपास की जमीनें इधर उधर दे दी जाती हैं। उसका जनता को मालूम नहीं पड़े। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो नियम हैं उनकी धारा 255 से 275 में बहुत संशोधन करने की आवश्यकता है और नियम बनाने की राज्य सरकार को शक्ति है और अधिनियमों में संशोधन किये बिना नियमों में काफी संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक कमेटी इस तरह की बनानी चाहिए परिवेक्षण की जिसमें सरपंच भी हों, उप सरपंच भी हों और जिस वार्ड में वह जमीन स्थित है उस वार्ड का पंच हो एक शिड्यूल्ड कास्ट का पिछड़े वर्ग का पंच हो और उसके साथ राजस्व का एक पटवारी भी होना चाहिए जो यह देखे कि जमीन कहीं विवादास्पद तो नहीं है और उसकी विकास के कामों के लिए आवश्यकता तो नहीं है। इस प्रकार से वहां की स्थानीय संस्थाओं से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके उस जमीन को नीलाम करने की प्रक्रिया परिवेक्षण के बाद शुरू हो। इसी तरह से निलामी की जो कमेटी होती हैं कई बार बैठ करके पंचायतों में नीलाम कर दी जाती हैं। कई बार घर पर कागज बन जाते हैं। इसलिए इसमें भी इसी तरह एक कमेटी का गठन हो तब जाकर सारा काम ठीक चल सकता है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों के लिए प्रावधान किया हुआ है एक्ट में कि वह सहसदस्य हैं। तो मुझे यह कहते हुए दुख है कि राजस्थान की सारी पचायतों मे आज के दिन भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्षों को कहीं नहीं बुलाया जाता है और गठन एक तरह से अधूरा ही चल रहा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जब सहकारिता पंचायती राज गांव की धुरी है और उसका एक्ट में आज प्रावधान है उसके बाद भी उसकी पालना नहीं हो रही है उस दिशा में भी आपका ध्यान जायेगा।

पंचायतों की राशि के मामले में बड़े सख्त मामले सामने आते हैं। बड़े गबन, बड़े घोटाले और कई बड़ी बड़ी राशि सरपंच लोग अपने पास रखते हैं। तो मैं यह चाहूंगा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कि इसका आडिट और परिवेक्षण इन दोनों में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज के दिन उपखण्ड अधिकारी के पास में बहुत कम काम है। पंचायतों के जो अधिकारी होते हैं प्रसार अधिकारी वह उपखण्ड अधिकारी के अन्तर्गत लगाये जाये और वह पंचायतों का बराबर निरीक्षण करें। आज के इस राजनैतिक वातावरण में पंचायत समितियों में बैठकर कोई निरीक्षण और प्रसार अधिकारी सारी कार्यवाही कर लें इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

पंचायतों की राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ फाइन्डिंग्स और जो पुराने केसेस चल रहे हैं वह और अन्य जो चलते हैं धारा 17 (4) में इस प्रकार का प्रोवीजन किया जाये कि एक बार के अतिरिक्त, एक बार, पहली बार चेतावनी दे दें और उसके बाद नियमित रूप से जो राशि का दुरुपयोग करें और बैलेन्स राशि अपने पास रखें उनके खिलाफ धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये और ऐसे व्यक्ति चुनाव में अगली बार खड़े नहीं हो सकें इस तरह का प्रावधान सख्त किये बिना राशि के दुरुपयोग का मामला सामने नहीं आयेगा। मैंने पिछली विधान सभा के सत्र में एक प्रश्न पूछा कि 25 लाख रुपये सरपंचों के पास निजी रूप से भीलवाड़ा जिले में बैलेन्स का मिला तो यह स्थिति रोकने की प्रक्रिया भी आप निश्चित रूप से करेंगे।

पंचायतों की कार्यवाहियों के रजिस्टर बैठे-बैठे लिख लिये जाते हैं और कई बार उसमें परिवर्तन कर दिये जाते हैं। तो इसके लिए जैसे ही पंचायत समिति की कार्यवाही निकलती है, पंचायत की ज्योंहि कार्यवाही हो तीन दिन के अन्दर अन्दर विकास अधिकारी के पास और जिला स्तर के विकास अधिकारी के माध्यम से एक कापी पहुंच जाये तो इस तरह की कार्यवाही भी समय पर निश्चित रूप से ठीक हो सकती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी खर्चा है। वह बजट के अधीन है, नियमों के अनुकूल है यह ग्रुप सैक्रेटरी उसमे नोट लगायें और उसके आधार पर पंचायत फोरम में रखा जाना चाहिए और नियमों के विपरीत यदि पंचायत उसकी स्वीकृति देती है तो तत्काल तीन दिन के अन्दर अन्दर विकास अधिकारी को ग्रुप सैक्रेटरी को यह निर्देश हों कि वह सूचित करे।

मैं एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज खर्च करने की सारी व्यवस्था बड़ी विचित्र है। ग्रुप सचिव और पंचायत के सरपंच को दोनों को आप साथ जोड़ें खर्च करने में जिम्मेदारी के दायित्व में तब जाकर इसमें सुधार आयेगा वरना बहुत सी राशियों का जगह-जगह दुरुपयोग होता है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो कई प्रकार की आगे योजनायें चलती हैं, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश में महात्मा गांधी की कल्पना और पंडित नेहरू की पंचायती राज को लागू करने की लगन और राजस्थान में स्वर्गीय श्री सुखाड़िया साहब ने जो पंचायती राज की शुरूआत की उस पंचायती राज को पुनर्जन्म माननीय माथुर साहब के प्रशासन में अभी मिला है इसमें दो राय नहीं है लेकिन इसके साथ पुनर्जन्म की बात हम कह सकते है मगर इसमें कोई नयापन मुझे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगता नही इसलिए इसमें पंचायती राज को इस परिपेक्ष में देखे जाने की आवश्यकता है। योजनाओं की जहां तक स्थिति है इन पंचायती राज संस्थाओं में योजनाओं में जो विशिष्ट योजना और विशेष तोर से आई. आर. डी ए. के कार्यक्रम जो चल रहे हैं इनके बारे में गांवों में घूमने से जो स्थिति सामने आती है मैं समझता हूं कि इसके आज फिर मूल्यांकन की भारी आवश्यकता है और इसके लिए जितना डी. आर. डी. ए. काम करता है लोकस्तर पर भी इस तरह की कोई कमेटी हो जो समीक्षा भी करती रहे और इस सारे कार्यक्रम को लागू करने का काम अलग जिम्मे हो और उसको देखने का काम और परिवेक्षण करने का काम अलग जिम्मे होगा तब जाकर इन योजनाओं का सही ढंग से गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कई जगह बड़े गड़बड़ घोटाले चलते हैं। अपने खुद के गांव में जब मैं पिछले दिनों गया तो पंचायत के सरपंच के खिलाफ बहुत बड़े मामले सामने आये। आबादी की जमीनें चुपचाप बेच दी गयीं। विकास के कामों के लिए पुरानी पंचायत ने जो जमीनें रिजर्व कर रखी थीं उनको इधर उधर कर दी गयी। तो आज सारा विकास रुक जाता है। इसलिए यह तय किया जाना चाहिए कि आबादी भूमि बेचने से पहले विकास के कार्यों के लिए भूमि सुरक्षित हो और इसी तरह से सब गरीब व्यक्ति को जिससे पट्टा दिलाने के नाम पर सरपंच ने पैसा ले लिया, कलेक्टर ने उसकी जांच कर ली और रिपोर्ट भेज दी। भूमि विक्रय में काफी घोटाले कर दिये और जांच करके रिपोर्ट भेज दी। और वह राज्य सरकार के यहां दफ्तरों में बन्द रहती है यह बड़ी अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे गंभीर मामलों को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान जाना चाहिए। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सौभाग्य से मुख्य मन्त्री जी जिला प्रमुख रहे हुए हैं, पंचायती राज मन्त्री भी जिला प्रमुख रहे हुए हैं। इनका पंचायतों के बारे में अनुभव भी है, दृष्टिकोण भी है। तो आज सारे कार्यक्रम को फिर से देख कर और समीक्षा करके राजस्थान में एक नया वातावरण बनाने को आवश्यकता है। इसको पुनर्जन्म और नये कार्यक्रम देने के बावजूद भी जो उत्साह पंचायती राज के माध्यम से गांवों में पैदा होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। एक जमाना था जब गांवों में पंचायत समितियों के काम काज में उत्साह से योगदान जनता देती थी। आज जितना पैसा चाहे योजनाओं के नाम से दे रहे हैं, एन. आर. पी. के नाम से दे रहे हैं उन पैसों का भी सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। तो यह भी देखने की बात है कि जितना पैसा आये वह गांवों के विकास में निश्चित रूप से लगे।

पंचायत समितियों में आर. ए. एस. के बी. डी. ओ. लगाने का फैसला किया गया वह पंचायतें चयनित की गयीं वह वहीं की वहीं प्रक्रिया रह गयी। राजस्थान में भी आज उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जिनको कोई अनुभव नहीं, जो इस स्तर के नहीं, कहीं पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारी दो दो साल से काम करते हैं, कहीं बी. डी. ओ. लगे नहीं, उनका प्रसार प्रशासनिक दृष्टिकोण नहीं तो इतनी घपले

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बाजी पंचायत समितियों में हो जाती है कि जीपों के दुरुपयोग के मामले सामने आते हैं कई प्रकार की, इस प्रकार की बातें आती हैं। इससे मैं समझता हूं कि इन सारे नियमों को कठोर और अच्छे ढंग से किये जाने की आवश्यकता है।

बीस सूत्री कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है पंचायत समितियों के माध्यम से काम चालू करने का कार्यक्रम सौंपा गया। अभी मैं अपने इलाके में गया, 57 जो गोबर गैस के प्लान्ट के लिए ऋण अनुदान दिया गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक वहां चालू है और 56 आज तक पूरे बने ही नहीं और पैसा लग गया अनुदान का। तो एक तरह से हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर चलेंगे तो हमारे देश के साथ और गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

इसी तरह से माडा स्कीम है। हमारे यहां माडा स्कीम की योजनाओं का मामला है। वृक्षों का मामला है। वृक्ष लगते नहीं, खड्डे खोदे जाते हैं उसका पेमेन्ट हो जाता है। बच्चों की ड्रेस के लिए अच्छे कपड़े का बिल, अच्छा कपड़ा वहां लाने की बात कही जाती है और साधारण कपड़ा खर्च आ गया और ड्रेस 1।। मीटर में एक बच्चे की बनाने का कपड़ा खर्च किया गया और उधर पौन मीटर की ड्रेस बना दी। वह कपड़ा और ड्रेस सब के सब स्कूलों में पड़े हुए हैं और कोई पहनता नहीं है। तो यह सब बातें देखेगा कौन? इसके लिए भी समय-समय पर आज देखने की आवश्यकता है। खरीद के मामलों में भी कई प्रकार के मामले सामने आते है। तो मैं चाहूंगा पंचायती राज में जहां मन्त्री जी इतने जागरूक हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शिक्षा की दृष्टि से इन्होंने इस साल बहुत ही अच्छा काम किया। स्कूलें गांव गांव में जितनी आवश्यकता थी पूर्ति करके राजस्थान के शिक्षा के विषय में ग्रामीण क्षेत्र में नयी क्रांति पैदा की है इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंचायत समितियों में प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है उसको आज देखने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा का प्राथमिक आधार पंचायत समितियों में चलने वाली शिक्षा है जिसके आधार पर बच्चे का भविष्य बनता है। उन संस्थाओं की जो हालत हो रही है कई जगह कई महीने तक बन्द रहती हैं, कहीं टीचर्स नहीं पहुंचते हैं। आपने स्कूले खोल दी और आज तक 15–20 परसैन्ट स्कूलें तो हमारे इलाके में आरम्भ भी नहीं हुई। अध्यापकों की कमी और सब बातों को देखते हुए मैं इसको भी मानता हूं कि पंचायत समितियों के माध्यम से शिक्षा का संचार निश्चित रूप से ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। प्राइमरी शिक्षा निदेशालय अलग बना करके अलग प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत चलाया जाये तो ज्यादा मजबूती से चलेगा।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सहकारिता के क्षेत्र में कि सहकारी समितियां जैसा आप और हम सब जानते हैं कि यह हमारी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का आधार है। शोषणविहीन समाजवादी समाज की रचना का एक आधार है। इन सहकारी समितियों में मजबूती आनी चाहिए। भ्रष्टाचार कई लेवल पर है। वह चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति के द्वारा हो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होकर समय पर वसूली हो और यह सारे मामले इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं वह समाप्त हों, यह बहुत आवश्यक है।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज सहकारी समितियों के चुनाव जो कुछ हो गये थे उसके बाद के चुनाव नहीं हुए। मुख्य मन्त्री जी ने पहले घोषणा की थी और उसके आधार पर कुछ चुनाव हो गये और होने के बाद मैं समझता हूं कि कहां अटक गया, कहां इसके अन्दर दिक्कत आ गयी। आज इन चुनावों को फिर से करके उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हों चाहे जिला स्तर के चुनाव हों या प्रदेश स्तर के सहकारिता चुनाव हों हमें जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है ताकि सहकारिता आन्दोलन में गति आये।

अभी थोड़ी देर पहले माननीय हमारे विरोधी पक्ष से आने वाली सदस्या विद्याजी जब बोल रही थीं तब उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताईं जिन पर मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता था मैंने जो स्टडी की उसके आधार पर, जनप्रतिनिधियों की निष्ठा के आधार पर, काम करने की जो क्षमता होती है वह संस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाती है। क्रय विक्रय संघ के संबंध में कुछ उदाहरण दूंगा जिनकी आपने चर्चा की उनके खिलाफ उस क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष ने कार्यवाही करके सस्पेंड किया, उनके विरूद्ध कार्यवाही शुरू की और क्रय विक्रय संघ जो बिल्कुल घाटे में था, जिसकी हालत खराब थी, उस क्रय विक्रय संघ को आज की स्थिति में लाभांश की स्थिति में पहुंचा दिया। सरकारी प्रशासक, जो सब जगह संस्थाओं में लगाये जाते हैं, ही सब कुछ नहीं कर सकते मगर दूसरे व्यक्ति निश्चित रूप से निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। इसका एक उदाहरण क्रय विक्रय संघ का है। जिस क्रय विक्रय संघ का 1980-81 में केवल मात्र 3678 लाख का टर्न ओवर था उसका 4995 लाख 84 हजार का टर्न ओवर हो गया है। मैं समझता हूं, क्रय विक्रय संघ ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इसी तरह जो लाभांश का स्तर है जो पहले की स्थिति थी, 1983 की बैलेंस शीट सामने आती है उससे 3981 लाख रुपये का लाभांश एक तरह से संचित लाभ जिसे हम कह सकते हैं वह हुआ है। क्रय विक्रय संघ की जो हालत मैंने देखी है उसको उभारकर जिस स्थिति में आज पहुंचाया है उसके क्रय विक्रय संघ, माननीय अध्यक्ष जी और उनके सहयोगी सदस्य और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। शिकायतें सबकी की जा सकती हैं लेकिन तारीफ करने वाला

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कोई नहीं। उस संस्था की हालत क्या थी आज किस जगह पहुंचा दिया है। मैं कहना चाहता हूं आप अच्छे व्यक्तियों को सामने लायें.......

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी समय बाकी है।

श्री सभापति : समय पूरा हो चुका है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं देख रहा हूं घड़ी को, थोड़ा सा और बाकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं इस मौके पर पंचायती राज, सहकारी समिति, प्रत्येक पंचायत में सेक्रेटरी की बात का निवेदन करते हुए नगरपालिका में जो बोर्ड बने हुए हैं उसका मैं जहाजपुर नगरपालिका का उदाहरण देना चाहूंगा, 1961 के वार्ड आज सन् 81 में चल रहे हैं उन वार्डों का पुनर्गठन करें। उसके साथ नगरपालिका की जो स्थिति है, जो पवित्र नदी नागदी है वह गन्दगी का ढेर है, सारे शहर का वातावरण खराब किये हुये है। मैं चाहूंगा, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से उन हालात को जाकर मालूम कर लें, सारा जहाजपुर कस्बा तंग है, उसकी व्यवस्था आप ठीक कर दें। वहां सड़कों पर खड्डे पड़े हैं, दुनिया भर की वहां गन्दगी है, सफाई रोशनी, पानी सबसे जनता परेशान है उस तरफ आपका ध्यान जाय तो उसके लिए पैसा नहीं।

श्री सभापति : भाषण खत्म हुआ, माननीय सदस्य। कृपया विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रशासन शहरों की ओर थोड़ी बात कर लूं।

श्री सभापति : कृपया विराजें। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता और पंचायती राज मेरे पास था और शायद समय सीमा में मैं अपनी डिबेट के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आप का आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने बोलने के लिए मेरा नाम पुकारा और मैं मेरे इस अधिकार को आदरपूर्वक छोड़ता हूं, उपयोग नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : श्री भालू खां।

श्री भालू खां (चूरू) : सभापति महोदय, मैं सहकारी संस्थाओं के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। ग्राम पंचायत वाइज एक ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी चाहिए। हमारे चूरू जिले के अन्दर कई पंचायतें.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गोटेवाला साहब को आराम हो गया........

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्यमंत्री, पशुपालन) : मुझे तो आराम हो गया, मेरी तकलीफ से मत घबराइये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको तकलीफ हो जाती, मुख्य मन्त्रीजी ने स्टे आर्डर पास कर दिया, वे सब कागज आते यहां पर....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौन से कागज आते ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको तो आराम हो गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं नहीं कोई कागज नहीं........

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कभी-कभी बहुत गलत बातें कह देते हैं।

श्री सभापति : आप गलत बातों में आते क्यों है।

श्री भालू खां

श्री भालू खां (चूरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हर पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, उस पंचायत का, उस सहकारी समिति का हिसाब किताब बराबर रह सके और जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को चीनी, कपड़े वगैरह का लाभ मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में दूर-दूर क्षेत्र हैं इसलिए उन लोगों को जो सुविधा है जो लाभ है वह नहीं मिल सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि भूमि विकास बैंक जो है उनकी जमीन की कीमत जो 20 वर्ष से 600 रुपया बीघा तय की हुई है जबकि चूरू जिले के अन्दर तहसीलों में अलग अलग किस्म की जमीने हैं जैसे रामगढ़ तहसील में 10 हजार रुपये बीघा की है, तारानगर 800 रुपया, एक हजार रुपया बीघा की जमीन है, चूरू में चार हजार रुपया बीघा की जमीन है, सरदार शहर में 3 हजार रुपया बीघा की है, डूंगरगढ़ में 2 हजार रुपया की जमीन है, सुजानगढ़ में 5,6 हजार रुपया बीघा की है इसलिए तहसील वाइज जमीनों की कीमत होनी चाहिए ताकि किसान ज टैक्स देते हैं उनको दिक्कत न आये। इस बात की मुझे जानकारी है, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन होने के नाते, किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि राजगढ़ वालों को 200 बीघा जमीन देनी पड़ती है, डूंगरगढ़ में भी 200 बीघा जमीन देनी पड़ती है। दो सौ बीघा जमीन किसी भी किसान के पास नहीं मिलती, तीन, चार, पांच आदमी अपनी जमीन इकट्ठी करके बैंक में रखते हैं और ट्रैक्टर वगैरह लेते हैं, और अपना काम चलाते हैं। उसकी जमीन

(श्री भालू खां)

की पूरी कीमत निर्धारित होनी चाहिए ताकि किसानों को होने वाली दिक्कत न हो, और ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों में काम कर सकें। मेरा निवेदन है कि राजगढ के अन्दर, गंगानगर जैसी जमीन नहीं है, अच्छी जमीन है, तारानगर में अच्छी है, दो फसलें हैं, बाकी पांच तहसीलें हैं उनमें करीब-करीब मिलती जुलती है। रजिस्ट्री के हिसाब से उस जमीन का मूल्यांकन होना चाहिये ताकि किसानों को टैक्स देने में दिक्कत न हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूरू क्षेत्र ऐसा है जहां पर दूध उत्पादक बहुत ज्यादा हैं। हमारे चूरू के अन्दर किसानों की दूध बेचने के लिए न सोसाइटी बनाई गई है, न वहां चिलिंग प्लांट बनाया गया है। तो चूरू जिला हैड क्वार्टर है, वहां चिलिंग प्लांट बनाया जाये।

(6.58 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

दूध की सहकारी समिति बनाई जाय ताकि जो पशु पोषक इलाका है वहां किसानों को राहत मिल सके। अब मनमाने ढंग से लोग उनका दूध लेते हैं उनको पूरा फायदा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत चूरू मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में चिलिंग प्लांट होना चाहिए और दूध की सोसाइटी होनी चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

कृषि उपज मन्डियों के विकास के लिए जो भी ऋण देते हैं वह भूमि विकास बैंक के माध्यम से ऋण दें ताकि भूमि विकास बैंक को भी उसका फायदा मिल सके। भूमि विकास बैंकों के पास ऐसी कोई आय नहीं है जिससे वे आगे बढ़ें।

मैं ज्यादा आपका समय न लेकर एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे चूरू के अन्दर गांवों में जहां पर कुएं खुदे हुए हैं वहां अच्छी फसल होती है लेकिन यह भू-जल विभाग वालों ने वहां पर कुओं के लिए ऋण देना मना कर रखा है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चूरू में जहां मीठा पानी है वहां पर कुओं के लिए ऋण भी दिलाने की कृपा करें ताकि वहां के किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और उनको दिक्कत न आये। वहां पर कोई पानी का साधन नहीं है, जिस गांव के अन्दर मीठा पानी है वहां अगर कुएं बना लिये जायं तो 20,20 मन बीघा की कनक हो सकती है। आज हमारे यहां जहां कुएं हैं, वहां पर कनक हो रही है। इसलिये चूरू तहसील का सर्वे कराकर जहां मीठा पानी उपलब्ध है वहां कुआ करने की इजाजत देने और कुआ कराने वालों को भूमि विकास बैंक से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाये।

(7.00 रात्रि)

(श्री भालू खां)

मैं आपका समय ज्यादा न लेकर एक बात और बताना चाहता हूं कि चूरू जिला ऐसी जगह पर है जहां से कुछ दूर ही पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान नहर गुजर रही है, और हम, महोदय, देख रहे हैं। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूरू में भी नहर आ जाय तो चूरू जिला गंगानगर से कम नहीं है। चूरू की अच्छी जमीन है। इसलिए मैं आपकी मार्फत हमारे नहर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चूरू जिले में नहर आनी चाहिए। चूरू जिले में अगर नहर जाती है तो इन्दिरा गांधी का सपना, महात्मा गांधी का सपना साकार होगा और श्रीमती इन्दिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम भी होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में नहर चली गई और हम बीच में बैठकर देख रहे हैं। अगर नहीं जायगी तो चूरू की जनता अध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं करेगी। 500 किलोमीटर इधर पूर्व वाले पानी पी रहे हैं और पश्चिम वाले पी रहे हैं और बीच वाले प्यासे मर रहे हैं इसलिए हमारा हक है, चूरू में नहर आनी चाहिए।

मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशी लाल पटवा।

श्री पटवा के पश्चात् सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट का समय दे दीजिये।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमें मौका तो मिलना चाहिए बोलने का।

श्री अध्यक्ष : मौका तो कई माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। लेकिन समय का अभाव है वरना कोई........

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय दें........।

श्री अध्यक्ष : आपने दिन भर इच्छा व्यक्त नहीं की। हम करते रहे उस वक्त तो आप गैर हाजिर थे। जब दलों को अलग-अलग समय दिया और अब जब मैंने समाप्ति की घोषणा कर दी तो उसके बाद आप भोग रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने किसी व्यक्ति का नाम नहीं पुकारा।

श्री अध्यक्ष : आप थे नहीं। मैंने सब ध्यान रखा है, अब बहुत देर हो गई इसलिये मजबूरी है।

आगे अवसर आसानी से देंगे।

श्री पटवा।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों की दृष्टि से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अपने राजस्थान में जहां जहां भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं कोंसिल्स हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है कोंसिल्स के चुनाव। उसके बाद अधिकांश कोंसिल्स के चुनाव आज दिन तक नहीं हुए। म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव बीच में करा दिये गये और जहां जहां भी चुनाव नहीं हुए उन कोंसिल्स में प्रशासक लगे हुए हैं और म्यूनिसिपैलिटीज की ऐसी दयनीय स्थिति है कि आज वहां पर अवटाय की कई लीकेज है। चुनी हुई म्यूनिसिपैलिटीज में लीकेज कम होती है, आमदनी बढ़ जाती है। आखिर वह राज्य सरकार ने कमिटमैंट किया था और पिछले सदन में भी घोषणा की थी कि चुनाव अमुक तारीख में, अमुक महीने में, या अमुक दिनों में करा देंगे लेकिन आज तक चुनाव नहीं हुए। चुनावों के अभाव में दयनीय स्थित है चुनाव कराये जायं, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि बैठेगा तो वह अफसर शाही में और उसमें कोई फर्क होगा क्योंकि आज म्यूनिसिपैलिटिज की हालत यह है कि जहां पर नाली 6 इंच की बननी चाहिये थी। वहां 6 इंच की नहीं बन करके 9 इंच की बन जायेगी। फीट की बन जायेगी एस्टीमेट तखमीने गलत बनाये जाते हैं. सड़कों पर बैंच में फर्जी बैंच बनाया जायेगा एक फीट खड़ी की जायेगी इस तरह रोड बनायी जायेगी इस तरह से फिजूल खर्ची को आप रोकिये और किस तरह से लीकेज बन्द करके स्थानीय निकायों को हम मजबूत बना सकते हैं इसके बारे में आप गंभीरता से सोचिये। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है म्यूनिसिपैलिटीज में जो खरीद फरोक्त में जो घोटाले किये जाते हैं उनके बारे में भी आपको गंभीरता से देखना चाहिये। जैसा मैं भीलवाड़ा कौंसिल का उदाहरण दूं–। पिछली वर्ष 575 चेयर्स खरीदी गयी और पर चेयर्स के 350 रुपये दिये गये लेकिन वहां पर क्या बताऊं 575 चेयर्स मांगी थी। बैंक से बिल्टी 575 चेयर्स की पैमेंट की आई और 300 चेयर लेकर बैंक से बिल्टी छुड़ा ली गई और 575 चेयर्स का पेमेन्ट कर दिया गया, ऐसी स्थिति है स्थानीय निकायों में और पेरेन्ट डिपार्टमेंट्स का कोई कन्ट्रोल नहीं है। और मैं आपको निवेदन करूं 575 चेयर्स के बारे में जब लोगों ने वावेला किया, जब लोगों ने शिकायत की उस समय फिर तार किया कम्पनी को अमरावती में और किस तरह से वे कुर्सियां आईं। तो मेरा यह निवेदन है छोटे छोटे मामले हैं, जिस तरह से कपड़ा खरीदा गया और के एन. गुप्ता जो वहां प्रशासक थे, जिन्होंने उस पर आवजेक्शन लगाये, प्री-आडिट मे आबजेक्सन लगाया लेकिन वह 80 हजार का बिल पैमेन्ट कर दिया गया और जो आबजेक्शन लगाये गये वे रिमूव कर दिये गये और के. एन. गुप्ता ने जो आवजेक्शन लगाये हटा दिये गये के. एन. गुप्ता एक अच्छे प्रशाशक थे लेकिन इस तरह के जो षड्यन्त्र रचे जाते हैं उन षड्यन्त्रों से बचाने का एक मात्र रास्ता है कि इन कोंसिल्स के चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जाय। चाहे किसी भी दल का प्रतिनिधि बैठे लेकिन जन प्रतिनिधियों के हाथ में जो सत्ता जायगी तो व्यवस्था ठीक होगी। इसके साथ ही मैं आपको अर्ज करूं कि पेरेन्ट डिपार्टमेंट में जो जयपुर में बैठा हुआ है वह भी भेदभाव के आधार पर सिमिलर केसेज में निर्णय करता है। कई प्लाटस के ऐसे मामले हैं जिनके बारे में

(श्री वंशीलाल पटवा)

पहले तो मना कर देते हैं कि हम उनको नियमित नहीं कर सकते हैं, हम इनको वदल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद में 6 महीने बाद उन प्लाट्स के बारे में वह का वह कागज चलता है, और पता नहीं फिर ऐसे कौनसे आधार खड़े हो जाते है जिन के आधार पर वदलने के आदेश दे दिये जाते हैं। इस तरह के सिमिलर केसेज में इसी तरह की फाइलें आज भी पड़ी हुई हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इन स्थानीय निकाय अपने प्रार्थमिक कर्त्तव्यों से भी वंचित है। लाइट वगैरह का सफाई का प्रबन्ध भी ठीक प्रकार से नहीं है तो मेरा यह निवेदन है पेरेन्ट डिपार्टमेंट में कम से कम कम्पीटेन्ट व्यवस्था करिये, कोई इस तरह की कम्पीटेन्ट व्यवस्था करिये जिसके आधार पर म्यूनिसिपैलिटियों के और कौन्सिल्स के जो पेपर्स यहां पर आते हैं वे पेपर्स निपटाये जा सकें और यदि पेरेन्ट डिपार्टमेंट में कम्पीटेन्ट व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं समझता हू कि यह कौन्सिल्स और म्यूनिसिपैलिटीज इसी तरह से चलती रहेंगी और पेरेन्ट डिपार्टमेंट की जलालत की नीति की वह शिकार होती रहेगी तो इस बारे में हम गंभीरता से सोचें विचारें क्योंकि यह स्तर दिन प्रतिदिन कौन्सिल्स का और म्यूनिसिपैलिटिज का गिरता जा रहा है उसके बारे में हम गम्भीता से सोचें और यत्रार्थता के आधार पर इन स्थानीय निकायों को हम अच्छो वनाने की कोशिश करें नहीं तो मैं समझता हू कि यह कौन्सिल्स उजड़ जायेंगी म्यूनिसिपैलिटीज उजड़ जायेंगी और धीरे-धीरे जो शहर की आवादी बढ़ रही है वहां गन्दगी के ढ़ेर लगेंगे और प्राइमरी फंक्शन्स भी नहीं कर पायेंगे। आज. कौन्सिल्स की दयनीय स्थिति यह है। भीलवाड़ा की, तनख्वाह नहीं चुका पाते हैं। हम विकास की घोषणायें करते हैं लेकिन कोई जमीन लेंगे और भू-खण्ड बेचेंगे, फिर दुकानें वनायेंगे फिर लायब्रेरी हाल वनायेंगे तो इस तरह की व्यवस्थाओं से हम कब तक इन म्यूनिसिपैलिटिज और कौन्सिल्स को चलायेंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि समुचित दृष्टि से म्यूनिसिपैलिटिस और कौन्सिल्स का विकास किया जाय।

इसके साथ साथ कई म्यूनिसिपैलिटीज के खिलाफ जैसे शाहपुरा म्यूनिसिपैटिज के चेयरमेन के खिलाफ जिलाधीश ने कुछ पत्र लिखे और अपनी रिपोर्ट भेजी है आखिर यदि रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो उस कार्यवाही को समाप्त करिये और अगर रिपोर्ट में कुछ है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। इसके साथ मेरा एक और निवेदन है कि जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज में सन् 75 में कुछ हरिजन परिवारों को मकान दिये। उनमें से मैं आपको अर्ज करूं जिन हरिजन परिवारों को दिये उसमें नानू पिता भैरू, सन्नू पिता मिट्ठू, शान्ति पिता मिट्ठू, डूंगा पिता कल्ला, बाबू पिता मांला, जट्टू पिता मांगू और गोकल पिता कृष्णा—ये सात आदमियों को इस तरह से भू-खण्ड दिये हैं जो हरिजन हैं और उनको पट्टे की फोटो स्टेट कापियां मेरे पास हैं। इनके पैसे जमा हो चुके हैं। उस सुभाष नगर में सन् 75 से आज तक कब्जा नहीं दिया गया है। यह पेरेन्ट डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है। आप कहते हैं कि हम हरिजनों का उत्थान करना चाहते हैं अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन आज दिन तक उन सात परिवारों को पट्टे देने के बाद भूखण्ड नहीं दिये गये ऐसी दयनीय स्थिति है आज सरकारी मशीनरी की। और पेरेन्ट डिपार्टमेंट कोई ध्यान नहीं देता। वह बराबर चिल्लाते हैं वह मारे मारे फिर रहे हैं।

इस तरह से हरिजनों के बारे में 20 प्लाट गांधी शताब्दी पर देने का निर्णय लिया गया भीलवाड़ा में लेकिन उनको भी आज तक नहीं दिया गया। लाटरी निकाल दी, वह पैसा जमा कराना चाहते हैं लेकिन उनको आज दिन तक भूखण्ड नहीं दिया गया है और हरिजनों के नाम पर हम

(श्री बंशीलाल पटवा)

वावेला करते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं हम तो यह डाक्यूमेंटरी आधार आपके सामने पेश कर रहे हैं तो हमारा यह निवेदन है कि या तो हरिजनों का नारा देना बन्द करें और यदि बन्द नहीं करते हैं तो हरिजनों के उत्थान के नाम पर तो कम से कम यथार्थता का पालन करें। जहां इरेगुलरिटीज होती हैं और कौउन्सिल में इस तरह से पट्टे देकर हरिजनों को मकान नहीं दिये जाते हैं, भूखण्ड नहीं दिये जाते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ हम कार्यवाही करें और यदि हम कार्यवाही नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं सारी घोषणाएं पोथी साबित होंगी। तो मेरा यह निवेदन है कि कौंसिल और म्युनिसिपैलिटीज को इस तरह से आप सुधारिये।

इसके साथ साथ सहकारिता के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि आज सहकारिता की दृष्टि से हम को-आपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम कितना बढ़ा पाये हैं और गुणगान गाते हैं। को-आपरेटिव मूवमेंट आज फैल्योर क्यों हो रहा है? छठी पंचवर्षीय योजना में अरबन को-आपरेटिव बैंक्स की स्थापना करने के लिए 12 शहर हमने चुने थे लेकिन उन 12 शहरों में आज तक अरबन को-आपरेटिव बैंक की स्थापना कर पाये हैं? एक की भी स्थापना नहीं कर पाये। भीलवाड़ा में इस तरह से पिछले साल दो लाख के शेयर्स बेचे गये, लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके अरबन को-आपरेटिव बैंक की स्थापना करने की बात कही लेकिन आज को-आपरेटिव विभाग उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ है, क्यों नहीं रिजर्व बैंक से बराबर कोरस्पोंडेंन्स की जाती और करके आज उस अरबन को-आपरेटिव बैंक की स्थापना की जाय। जब दो लाख की जमा पूंजी इक्ट्ठी हो चुकी है, लोगों को मेम्बर्स बनाया जा चुका है और आज हम अरबन को-आपरेटिव बैंक की स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जिन्होंने 2 लाख रुपया दिया है। सौ सौ रुपये के शेयर्स खरीदे हैं, आज उनके मन में शक है और इस विभाग को शक की निगाह से देखने लगे हैं और आज कोई अच्छे करैक्टर लोगों की निगाह में साबित नहीं हो रहा है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से जो चीज आगे बढ़ चुकी है उसमें यदि कोई मान लो आब्जर्वेशन्स लगते हैं तो उसको आप सामने लाइये, भीलवाड़ा की जनता उस को पूरी करेगी और जो सारे बैंकों ने जो आब्जेक्शन और जो दे दिये, रिजर्व बैंक ने भी रिकमण्ड कर दी, सारी बातों की पूर्ति हो चुकी। कुछ मान लो यदि थोड़ी सी कोई बात है तो उसको पूरा करके उस अरबन को-आपरेटिव बैंक को सस्पेण्ड किया जाना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग इस तरह से नहीं करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : 150 लोगों पर जिन पर कार्यवाही की गयी है बी. जे. पी. के लोगों पर 150 सरपंच आपके हैं।

श्री बंसीलाल पटवा : 150 का किया है जिसमें से दूसरे दल के भी क्या नहीं हो सकते हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : नहीं, राजस्थान में 150 सरपंच बी. जे. पी. के हैं क्या, जिन पर कार्यवाही की गयी है ?

श्री बंसीलाल पटवा : तीन साल की अवधि में यह मन्त्री महोदय का रिप्लाई आया है और आप क्यों उलझ रहे हैं। पीछे पूछ लेना मन्त्री महोदय से उन्होंने ही रिप्लाई भेजा है उसी के आधार पर कहा है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था सवाणा पचायत समिति में इस तरह से औरों के बारे में भी है और मैं आपको बताऊं कि स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण देने की बात ही नहीं की और अभी आपको उन्होंने फिर एक कागज भेजा है जो स 26 तारीख की और 28 तारीख की शो दी है उनको भूपालसिंह जी सवाणा के रपंच को और वह मिलता है दो तारीख ो। मेरे पास वह लिफाफा है उस पर छाप गी हुई है। मैं आपको बताऊं यह दो रीख को यहां से डिस्पैच किया उसी म्बर का लैटर है और आप 26 को लिख रहे हैं और दो तारीख को वहां मिल रहा किस तरह से जवाब देंगे। डवलपमेंट शन में मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय, इसका सुधार करिये और नहीं तो ये यतें मजबूत नहीं होंगी। मैं यह नहीं ता हूं कि कोई सरपच गलती करता है के खिलाफ कार्यवाही नहीं करें, शो काज स देते हैं, अवधि देते हैं तो उसके साथ जो आप अवधि देते हैं तो उत्तर आने बाद आप कार्यवाही करें। शो काज स के दिन ही आप सस्पेण्ड करते हैं तो दुर्भावना जाहिर होती है, मैलाफाइड इन्टेंशन्स जाहिर होता है तो आप इसमें सुधार करिये, मेरा यह निवेदन है।

इसके साथ साथ कुछ पंचायतों ने गलत तरीके से पट्टे दे दिये और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज गुड़ला पचायत में, स्पोन्सर सिवाना पचायत समिति से किया गया भेड़ और बकरियों के, मवेशियों के नाम पर लोन लेने के लिए लेकिन वहां सरपंच ने सारा लोन उठा लिया। मवेशी उन लोगों को मिले नहीं और इस तरह से कार्यवाही हो रही है, जो सरपंच इस तरह की गलती करते हैं। शिकायतें आती है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करिये, नहीं तो आपका यह डी. आर. डी. का प्रोग्राम और जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, चयनित परिवार हैं उन पर आपका विश्वास जमेगा नहीं और इसके साथ साथ तरेड़ा में मैं आपको बताऊं कि सन् 1974 में जहां आज के मुख्य मन्त्री हैं शिवचरण जी माथुर यह उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने यहां प्लाट वितरित किये, निशुल्क वितरित किये और आज उन प्लाटों की

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

क्यों नहीं स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह बताऊं कुछ सोसायटियां ऐसी हैं सवाणा ग्राम पंचायत सोसायटी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्जे नहीं लिये हैं आज उनसे तो वसूलियां की जा रही हैं और जिन्होंने कर्जे लिये है उनसे वसूलियां नहीं की रही हैं क्योंकि वह राजनैतिक दृष्टि से प्रभावी व्यक्ति हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि जहां जहां भी सोसायटीज में इस तरह की गड़बड़ है उसको ठीक

(श्री बंशीलाल पटवा)

की जाय। जैसे सवाईपुर सोसायटी है, मैं आपको बताऊं सीमेंट बेचा गया। कहते हैं कि पांच कट्टे सीमेंट घरेलू परपज के लिए, और के लिए देते हैं, अब घरेलू परपज के लिए देते हैं तो कूपन में भी दर्ज किया जाता है बिल्स में भी लेने वाले के हस्ताक्षर किये जाते हैं लेकिन मेरे पास इस तरह के कूपन्स है जिनके आधार पर मैं आपको अर्ज कर सकता हूं कि वहां न तो कूपनों पर कहीं दर्ज हुआ और मैं आपको अर्ज करूं इस तरह से उन बिलों पर भी खरीदारों के दस्तखत नहीं हैं। मैं आपको बताऊं करैप्ट प्रैक्टिस हुई है जो अपनी सवाईपुर सहकारी समिति, सवाईपुर कृषक सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड, सवाईपुर यह सारे बिल्स मेरे पास हैं जो फर्जी बिल काटे गये हैं, फर्जी सीमेंट जारी किया गया है, इनको सागौल दे दिया गया है और ये कूपन्स भी मेरे पास जिनमें कहीं सीमेंट दर्ज नहीं है तो इस तरह से जो करैप्ट प्रैक्टिस हो रही हैं सोसायटीज में यदि हम को-आपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो करैक्टर की दृष्टि से इनको हमको खड़ा करना पड़ेगा। अन्यथा मैं सोचता हूं कि ये सोसायटीज यह सारी को-आपरेटिव मूवमेंट फेल हो जायेगी और हिन्दुस्तान में हमारी साख उजड़ जायेगी। इसके साथ साथ पंचायतों के बारे में संक्षेप में अर्ज करना चाहता हूं। अब पंचायतों की बहुत दयनीय स्थिति है। आज राजस्थान में पंचायतों के जितने भी सरपंच लगे हुए है उनमें से पिछले तीन वर्षों की अवधि में 150 सरपंचों को सस्पेण्ड किया गया है और 150 में से 42 को हमने बहाल कर दिया, किस आधार पर किया जब हमने उनको दोषी माना तो फिर 42 को इस तरह से कि उनको पटाया गया या कोई राजनैतिक कारण हैं जिसके आधार पर हमने उनको इस तरह से बहाल कर दिया। मैं आपको बताऊं मेरे क्षेत्र में मवाणा है पंचायत क्षेत्र के सरपंच हैं भूपालसिंह करके, उनको पिछले 18 फरवरी को शो काज नोटिस दिया गया और शो काज नोटिस में 19 मार्च की तारीख दी गयी कि 19 मार्च तक तुम इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। 18 तारीख को शो काज नोटिस के साथ साथ उनको निलम्बन के आदेश दे दिये गये केवल राजनैतिक कारणों के आधार पर कि वह बी. जे. पी. के थे इसलिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई बी. जे. पी. का सरपंच गलती करे तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, कांग्रेस का कोई सरपंच गलती करे तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, सजा दो लेकिन तकनीकी आधार पर छोटे छोटे कारणों को लेकर आप यदि इस तरह से सस्पेण्ड करोगे तो मैं सोचता हूं कि यह पंचायतें मज्बूत नहीं होंगी और जिन पंचायतों में करैप्ट प्रैक्टिस होती है, चाहे वह किसी भी दल का आदमी हो, चाहे किसी भी दल का सरपंच हो, उनको निश्चित रूप से मैं आपको अर्ज करूंगा बन्दर बांट कर डाली। हालात खराब हो गये हैं तो इसकी आप जांच करिये और इसके साथ साथ धमेरगढ़ में इसी तरह से है प्लाटों के बारे में हुआ, गुड़ला में भी इसी तरह से प्लाटों को बेच दिया गया और पैसा हजम कर गये। तो मेरा यह निवेदन है कि जहां जहां भी इस तरह से इर्रेगुलरिटीज हुई हैं पंचायतों में उनको रोकिये। को-आपरेटिव मूवमेंट को ठीक करने के लिए आप सुधार करिये और इसके साथ साथ म्यूनिसिपैलि-

(श्री बशीलाल पटवा)

टीज को आप जलालत की नीति से बचाइये। स्थानीय निकायों को मजबूत कराइये और यदि आप नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सरकार की ओर से माननीय सदस्यगण समय का अभाव है और चार मन्त्रियों को आज जवाब देना है और कल की मांग पर भी इसलिए सम्भव नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब सम्भव नही है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, कृपया सहयोग दें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं थे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय के संरक्षण जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मन्त्री महोदय। आर्डर प्लीज कृपया माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का जब समय था तब आप उपस्थित होते तो समय मिल जाता आप उपस्थित नहीं थे। आर्डर प्लीज। इस पर वाद विवाद नहीं होगा। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, मेरी मजबूरी है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह मिनट में क्या बिगडेगा.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अन्याय हुआ है हमारे साथ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अधिकार है मैं सदन, का ध्यान गांव की समस्याओं की ओर पहुंचाना चाहता हूं....

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, अब यह सम्भव नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ में बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अंकित नहीं हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अंकित नहीं हो, मंत्री महोदय।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

आपने जो फर्माया था उसको लिखकर मैंने भेज दिया था। मैंने समाप्त कर दी चर्चा, मन्त्री जी अब उत्तर देंगे। कृपया बैठ जावें।

श्री नन्दलाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कल का वादविवाद फिर खुल जाता है, यह सम्भव नहीं होगा। आप वयोवृद्ध सदस्य हैं, नियमों से परिचित हैं। कृपया।

श्री नन्दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां, व्यवस्था का फरमायें।

श्री नन्दलाल : मैंने सभी डिमाण्ड्स पर अपने कटमोशन दिए थे। आज दिन तक मेरा नाम नहीं लिया गया। उसके बाद माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने मेरा नाम कल भी पुकारा था और मुझे इस आसन की ओर से इंगित भी किया गया था। यह सदन बोलने के लिए है इसलिए मुझे बोलने के अधिकार का प्रयोग करने दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : किस विषय पर आप बोलना चाहते हैं, आर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल : दो मिनट का समय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल की डिबेट आज वापस नहीं खोलूंगा।

श्री नन्दलाल : माननीय मन्त्री महोदय बहुत टाइम से आए हैं, अभी आये हैं थोड़ा उनको....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दें। माननीय सदस्य कल की डिबेट नहीं खुलेगी।

श्री नन्दलाल : यह जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : यह गलत परम्परा होगी। कल डिबेट समाप्त कर दी थी। कृपया बिराज जावें।

श्री नन्दलाल : मैंने व्यवस्था चाही थी आपसे।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। कृपया।

××× माननीय अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मांग संख्या 27–पेयजल योजना पर विचार

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 26 माननीय सदस्यों ने कई उपयोगी और व्यवहारिक सुझाव भी दिये और योजनाओं में सुचारू रूप से अनवरत पानी मिलता रहे उसके सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव भी वैकल्पिक तौर पर सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किए, मैं उनका बहुत आभारी हूं। जिन मुख्य बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों ने यहां विचार दिए उनको मैंने कुछ श्रेणियों में विभक्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य तौर पर माननीय सदस्यों ने जो बड़े बड़े मुद्दे यहां पर रखे, वह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के अन्तिम छोर के गांवों में पानी नहीं पहुचने, साथ ही ऐसी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं में पशुओं के पाने के लिए पानी का प्रावधान नहीं किये जाने और यह टेल एण्ट विलेजेज के अन्दर पानी नहीं पहुंचने की बहुत बड़ी बाधा के सम्बन्ध में हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि ऐसी योजनाओं का री-आर्गेनाइजेज और पुनर्गठन किया जाये। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि छोर के गांवों के लिए डायरेक्ट फीडर पाइप लइन डाली जाय ताकि टेल एण्ड गांवों को पानी मिल सके। यहां पर, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी सामने आया कि टी. एस. एस. की योजनायें व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही हैं, अतः उस सम्बन्ध में भी जो पंचायतों का अनुदान है कुछ और अनुदान मिला करके उसकी धनराशि बढ़ाई जाय ताकि पंचायतें बिजली के बिल का भुगतान कर सकें। नही तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है और वह बिजली के बिल भुगतान नहीं कर सकती। दूसरी यहां पर यह भी बात कही गई कि क्योंकि टी.एस.एस. योजनायें सब इलेक्ट्रिक पम्पिग से चलती हैं वोल्टेज कम होने की वजह से वहां पर कई दफा पम्प जल जाते हैं, जिनकी रिपेयर का बोझ भी पंचायतों पर पड़ता है। उसके साथ ही दूसरी योजनाओं के लिए चाहे वह हैण्ड पम्प हैं, चाहे वह रीजनल पाइप लाइन स्कीम है, चाहे वह पी. एन. बी. स्कीम्स हैं उनसे अगर आप मुफ्त में पानी पिलाते हैं जनता को तो यह टी. एस. एस. योजनाओं के जो गांव हैं उनके साथ में सौतेली मां का बर्ताव हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी यहां पर आया कि रेगिस्तानी इलाकों में ढाणियां और राजस्थान के अन्दर इलाकों में जो मगरे, मंपाले और फलियां कहलाती हैं, जो कि मुख्य गांव के केन्द्र से काफी दूर हैं, वह आबादी काफी बड़ी दूरी के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वहां पर भी जल स्रोत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प योजनाओं के सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्यों ने मांग की कि हैण्ड पम्प योजना हमारे यहां सफल हुई है, इसके विपरित कुछ माननीय सदस्यों ने हैण्ड पम्प योजनाओं की असफलता पर भी अपने विचार प्रकट किए। इसके साथ ही साथ यहां पर रख-रखाव के सम्बन्ध में भी कहा। यह भी कहा की हैण्ड पम्प का पानी खारा है इसलिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता, कुछ जो हैण्ड पम्प पंचायतों को ट्रांसफर कर दिए उसमें जो मिस्त्री हैं वह प्रशिक्षित नहीं हैं इसलिए सुचारू रूप से रिपेयर्स का काम नहीं कर पा रहे हैं। हैण्ड पम्प की खुदाई और खुदाई के सम्बन्ध

(श्री परसराम मदेरणा)

में अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रतिपक्ष के नेता ने एक बहुत बड़ी अनन्त आरोपों की शृंखला खड़ी की थी, एक पैरामिड खड़ा किया था साथ ही यहां पर यह प्रश्न भी, अध्यक्ष महोदय, आया कि राजस्थान में 24037 गांव हैं जिनको आप समस्याग्रस्त की श्रेणी में मानते हैं। इन 24037 गांवों के अलावा समस्या रहित जिनको आप गांव कहते हैं, उनमें भी कई कारणों से जो फिजिकल कारणों से आज पीने के पानी की किल्लत खड़ी हो गई है इसलिए उनको भी प्रोब्लमैटिक विलेजेज की कैटेगरी में लिया जाना चाहिए। यहां पर यह भी प्रश्न उठाया गया कि जलप्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें अलग से डाली जायें और उन ट्रांसमिशन लाइनों पर बिजली 24 घन्टे लगातार इनमें फ्लो होनी चाहिए ताकि जिस बीस घण्टों को लेकर या 16 घण्टों को लेकर आपने डिजाइन की हैं योजना से क्योंकि बिजली 16 घण्टे मिलती है इसलिए पानी छोर के गांवों में नहीं पहुंचता। स्वच्छ जल के सम्बन्ध में कहा कि पानी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। चाहे सी. पी. एच. ओ. है, चाहे इंडियन इस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च है और चाहे वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन है ने जो माप दण्ड और मानक निर्धारित किये हैं सब के अनुसार ही राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पीने का पानी मिलना चाहिए। यहां पर यह भी बात कही कि जिन क्षेत्रों में भूमिगत स्वच्छ जल उपलब्ध है यहां आज आप पम्पिंग के जरिये ट्यूबवेल लगा करके आप उस पानी का एक्सप्लायटेशन और ओवर लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आशंका है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो आज अण्डर ग्राउण्ड जल है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जावे। इसका आल्टरनेटिव आपको ढूंढना चाहिए। यह बात कही थी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी आसन पर बिराजमान थे, कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में भी कहा कि एक करोड़ के ईनाम की घोषणा सरकार को करनी चाहिए ताकि बादल जो ऊपर से निकलते हैं किसी तरह से बाड़मेर में बरसाए जा सकें। बरसात के प्रेसिपिटेशन, यों तो राजस्थान पूरे देश का एक पर्सेंट है लेकिन बाड़मेर में उससे भी कम है। इसलिए बादल बिना बरसे जब बाड़मेर के ऊपर से निकलते हैं तो माननीय सदस्य के दिल में कटार चलती है कि यह बरसात यहां होती क्यों नहीं है। हम यहां अकाल से हमेशा प्रभावित रहते हैं। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने श्मशानों पर हैण्ड पम्प लगाने की बात कही। वे आज आए नहीं, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम यहां पर मौजूद हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यहां यह भी बात आई, ट्यूब वेल की लाइफ पूर्व के वर्षों के मुकाबले में अब कम हो गई है। कम अवधि होने का कारण क्या है, इस टेक्निकल मामले की भी जांच करवायी जानी चाहिये। और इसके साथ ही टैक्निकली दिखवा कर उस संबंध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान है, राजस्थान में पिछली छः पंचवर्षीय योजनाओं में, और ईयरली प्लान में 1948 के बाद आज 37 वर्षों के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर हम सब गावों को कवर नहीं कर सके हैं. कमीशन नहीं कर सके हैं। यह बात भी सही है, अध्यक्ष महोदय, कि जहां हम 32 साल के अन्दर; 33.305 गांवों में से केवल 4859 गांवों को कमीशन कर पाये, उसके बाद में जो कुछ भी प्रगति रही है, वह 3623 गांव प्रतिवर्ष पिछले चार वर्षों में हो रही है। जहां 32 वर्षों में केवल 4800 या 4850 है वहां इन तीन वर्षों के अन्दर प्रतिवर्ष का जो एवरेज रहा है: वह 3623 है। और 3623 का एवरेज रखने का मतलब यह था कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में, चूंकि मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह लम्बी चौड़ी स्पीच करेगा।

To put the record straight here in the House.

यह मेरे लिये बहुत आवश्यक हो गया है कि अब मुझे थोड़ा सा संदर्भ में जाना पड़ेगा। संदर्भ और परिवेश को समझे बिना, मैं समझता हूं, कुछ इन्फरेन्सेज कुछ परिणाम या नतीजे निकाल सकते हैं जो तथ्यों से बहुत परे होंगे। वह भी पंचवर्षीय योजना के साथ ही साथ जो 1980 में प्रारम्भ होता है-एक छठी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होती है 1980 के अप्रेल से-दो। और छठी पंचवर्षीय योजना के साथ ही जून में चुनाव होकर नयी सरकार जनता के मेंडेट के बाद में आती है-तीन। और इस सरकार के आने के बाद में यहां पर सरकार नीति के तौर पर घोषणाएं करती है। पहली घोषणा सरकार ने यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण में की 8 जुलाई, 1980 को, "पहले के मुकाबले में ज्यादा गांवों को लाभान्वित करेंगे। क्योंकि हम काफी पिछड़े रह गये"।

दूसरी, 28 जुलाई, 1980 को उस वक्त के तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो वित्त मंत्री भी थे, ने इस सदन के प्रांगण में उन्होंने यह घोषणा की, "अतः विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपनी क्षमता बढ़ा कर प्रतिवर्ष 5,000 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के स्तर पर लायें। अब से शुरू होने वाले अगले 12 महीनों में लगभग 4000 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा"। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद में यह पहला पालिसी स्टेटमेंट था, हालांकि इसका उल्लेख राज्यपाल महोदय, ने अभिभाषण में कर दिया था और 5,000 ग्राम प्रतिवर्ष हम लेना चाहते हैं। 32 साल में तो कवरेज 5,000 गांव ही नहीं कर सके और एक साल में पांच हजार। तो हम स्नेलस स्पेस से चल रहे थे वहां हमको सुपरसोनिक की स्पीड से चलने के लिये अपने आर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना पड़ा और अगर हमको बिल्ड करना था, यह बातें नहीं हैं इस सदन के सामने, उसके लिये हमें कुछ तैयारियां भी करनी थीं और बहुत ही तेज रफ्तार से चलना था। बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई एक ऐसा हो जिसमें 5,000 गांवों को पानी दिया हो।

(228)

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा। मैं तो कल एक शब्द नही बोला, मैं समझा मैं बोलूंगा तो कल आप रिपीट करेंगे, एक शब्द नहीं बोला। मैं कभी कभी खड़ा भी हो जाता हूं। लेकिन मैं भी अपने पर रेस्ट्रेन्ट रहा था।

शेक्सपियर ने एक बहुत ही ठीक बात कही है, "वो लोग कितने गरीब हैं जिनमें थोड़ा बहुत भी धैर्य नहीं है।" इसलिये अपने आपकी निर्धनता को यहां व्यक्त नहीं करना चाहिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में भारत सरकार ने भी जो नीति निर्धारित की है, जिसका उल्लेख कल प्रतिपक्ष के नेता ने किया। जो 1.7.82 को भारत सरकार ने पत्र लिखा उसके साथ ही जो नीति निर्धारित की भारत सरकार को तो निर्धारित करनी थी भारत सरकार के सामने तो 2,31,000 प्रोब्लेमेटिक विलेज सामने थे, सारे देश भर में। राजस्थान में 24035 थे, भारत सरकार ने यह आदेश दिये कि आप ऐसा सोर्स लीजिये।

for the hard rock areas, tube-wells with handpumps should be the first preference. Paped water supply schemes might be necessary in cases where water is brakish or source of water is at a distance. However, piped water supply schemes or power pumps should be the last alternative.

और इसी का परिणाम था, अध्यक्ष महोदय, एक्सिलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अन्तर्गत जो भारत सरकार हमको अनुदान देती है, बाकी तो हमारे जो है एम एम पी प्लान का हिस्सा है उसमें वह कोई भी पाइप लाइन मंजूर नहीं कर रही थी और बाड़मेर की पाइप लाइन बनने के अन्दर और भारत सरकार को कन्विन्स करने के अन्दर राजस्थान सरकार को एक साल का वक्त लगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को, उनके प्रभारी मंत्री, जो वर्क्स एण्ड हाउसिंग के हैं, को कई मीटिंगों में सम्मिलित होना पड़ा और उससे कहना पड़ा कि हमारे यहां की समस्याएं हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की समस्याओं से बहुत भिन्न हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिती और जियोफिजीकल स्ट्रेटा, राजस्थान में पानी की कमी,

(7 34 रात्रि)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर,) सभापति, पीठासीन)

राजस्थान में पशुधन की संख्या, राजस्थान में मीलों तक पानी का अभाव, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबध में जो भी आप यहां पर मानदण्ड निर्धारित करते है, वह राजस्थान के अन्दर लागू नहीं होते। राजस्थान अपने आप में एक समस्या है। खास तौर से रेगिस्तानी इलाकों में आप इन योजनाओं को स्वीकृत कीजिये। क्योंकि रेगिस्तानी इलाके के अन्दर हैण्ड पम्प वगैरह लग नहीं सकते। उसी संदर्भ में मैंने जो कोई बात 24 मार्च, 1981 को कही थी, हालांकि वह किताब पड़ी हुई थी, मैंने तो मंगायी मिनिस्टर का वक्तव्य देखने के लिये, उसमें

(श्री परसराम मदेरणा)

उसमें से तो मैं बोला हूं, फिर मुझे ही यह पता नहीं था। आप बोल रहे थे यदि आप बड़ी........

(व्यवधान)

लेकिन मैंने उस वक्त के, तत्कालीन पी एच ई डी मिनिस्टर थे बनवारी लाल जी उनकी स्पीच पढ़ने के लिये मंगाई थी, चूंकि वे मेरे बाद में बोले हैं। मैं सोच रहा था मेरे पास है सब यह मार्क की हुई, मैं समझा कि सदन में यह बात कही है। मैंने कही, कि रेगिस्तानी इलाकों में क्योंकि आज भी सदन को यह पता होना चाहिये कि 1980 के अन्दर सबसे पहले यहां पर एक मैकेनिकल आर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ने बिल्ड किया, पहले एक रिंग नहीं थी। इंडिया मार्क-टू का अन्वेषण हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और यह उपलब्धि मैं नहीं कह रहा हूं, जो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने इंडिया मार्क टू के सबंध में कहा है कि ऐसा पम्प आ गया है जो 50 गज से पानी ऊपर ले सकता है। इसलिये कुछ इलाकों के अन्दर हैण्ड पम्प लगे हैं, जहां पानी मीठा है। पचपदरा के माननीय सदस्य यह कहेंगे। लेकिन वहां पर जो पशुधन है, आज राजस्थान की 3.41 करोड़ आबादी के मुकाबले में राजस्थान का पशुधन, कुल मिलाकर 8 करोड़ के आसपास है। इसकी बहुतायत रेगिस्तानी इलाकों में है, वहां पर हैण्ड पम्प से पशुओं को पानी पिलाना पड़ता है। एक आदमी सुबह से शाम तक जब लगा रहता है, आज भी जैसा कि शिव से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे एक आदमी रात को जाता है, दो घड़े पानी लाता है, बाहर रहता है फिर अपने घर आता है। इसलिये ऐसे स्थानों पर जहां मवेशी को पानी पिलाना पड़ता है, उस संदर्भ में मैंने यह बात कही थी, मेरा इतना ही उद्देश्य था। मैंने बहुत सी बातें उसमें और भी कही हैं। अब जो मैंने कही हैं उस वक्त वे आज के संदर्भ में भी काफी लागू हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा उसको सही मानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो सोफेस्टिकेटेड स्कीम्स हैं, पैरामीटर के अन्तर्गत पानी के लिए हर एक को 1.6 किलोमीटर से दूर किसी को जाना नहीं पड़े और हमने 24000 गांवों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है. सभापति महोदय, पहली श्रेणी है, जहां पीने का पानी 1.6 किलोमीटर से दूर है, या पानी सतह से 15 मीटर से ज्यादा गहरा है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं वही बात कर रहा हूं जो आपने कही है, आपकी भाषा अंग्रेजी थी, मेरी भाषा हिन्दी है।

दूसरी श्रेणी, इसमें 11317 गांव हैं। दूसरी श्रेणी के पानी में खनिज, लवण है जहां क्लोराइड अत्यधिक मात्रा में घुली हुई है, इस श्रेणी के अन्दर 8559 गांव हैं, और तीसरी श्रेणी जहां का पानी नाहरू अथवा हैजे के कीटाणुओं से ग्रस्त हो, ऐसे 2124 गांव हैं कुल। इन तीनों ही श्रेणियों में विभक्त किये गये कुल 24035 गांव हैं। इन 24035 गांवों में से 17732 गांवों को तो अभी तक कमीशन किया जा चुका है।

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे कन्फेस करने में कोई एतराज नहीं है कि जो कमीशन किये गये गांव हैं जो रीजनल वाटर सप्लाई के टेल एंड के गांव हैं उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है। मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि अधिक कठिन परिस्थितियों और अकाल के मौके पर कई हैण्ड पम्प खोद दिये गये और उस वक्त की समस्या को मीट आउट करने के लिए इमरजेंसी और कंटिजेंसी एरायज हो गई थी वहां पर कवरेज जो है इसको पूर्णतया नहीं माना जाना चाहिए और शुरु से ही मैंने जबसे यह विभाग संभाला है, सभापति महोदय, हमेशा से ही मेरा इस बात पर इम्फेसिस रहा है कि रीजनल पाइप लाइन स्कीम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक की पशुओं के पीने के पानी की आवश्यकता है। उसका प्रावधान इस योजना के भीतर ही सम्मिलित नहीं करते। क्योंकि पहले पहला गांव, दूसरा गांव और तीसरे गांव में पशु पी लेते हैं तो छोर के गावों में जो है जनसंख्या को पानी उपलब्ध नहीं रह सकता। और सभापति महोदय, राजस्थान में ऐसी भी योजनायें हैं जो 110 कि.मी. दूर हैं जिनके अन्दर बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी योजनायें है जो 80, 70 और 50 कि.मी. के फासले पर स्रोत हैं और यही नहीं जोधपुर में आज हम पानी दे रहे हैं, सभापति महोदय, 180 कि.मी. से पानी आ रहा है। माही के डैम में, 163 में 17 और एड्ड हो गये। 180 कि.मी. से पीने का पानी, तमिलनाडु में जो है रायलसीमा में और कहां से स्पेशल ट्रेने गई थी लेकिन बाकी मैं जहां तक समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी गांव में 180 कि.मी. के फासले से पीने का पानी किसी भी राज्य में उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियों में जियो फियोलोजिकल कडीशंस में और ऐसे क्षेत्र में जिस राज्य के अन्दर जो हिन्दुस्तान का भौगोलिक दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है और उस राज्य के अन्दर आज हमारे स्रोत बहुत कम हैं और कम स्रोत होने की वजह से दूसरे माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव दिये उस सम्बन्ध में नहीं कहते हुए भारत सरकार का हमेशा इस बात पर जोर रहा है कि आप अभी योजनायें सोफेस्टिकेटेड मत बनाइये, अभी योजनाएं बना कर कम से कम एक स्रोत दे दीजिये एक गांव के अन्दर, उसके बाद में आगे की बात को देखिए सेवेन्थ प्लान के अन्दर। भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस पर सूत्र नम्बर 8 पर जो निर्देश दिये हैं वो इस प्रकार है–Considering the magnitude of the problem in a vast country like India and the constraint of resources, it is obvious that we cannot afford expensive or sophisticated water supply services nor it is possible to have a uniform mode of water supply everywhere. The wide variety of climatic conditions and of the sources of water surface and underground, permits us to adopt a variety of solutions

(श्री परसराम मदेरणा)

which are economical in keeping with local needs and conditions and capable of speedy implementation.

स्पीडी इम्पलीमेंटेशन—साढ़े उन्नीस हजार को छठी पचवर्षीय योजना के अन्त तक कवर करना है—

Simple, even austere, standards will be necessary so that maximum population coverage specially or the poor and the under-privileged sections of the community, can be achived within the limited funds available.

सभापति महोदय, फण्ड्स की बहुत कमी है और मुझे यह कहते हुए भी संकोच नहीं है कि कुल मिला कर आज जो प्रावधान रह रहा है, मैंने इस बात का सर्वेक्षण कराया था और अभी मैंने कुछ सकिल आफीसर्स को लगाया था। चूरू जिले में पी.एच.ई.डी. की जो रीजनल वाइप लाइन्स हैं उनमें छोर पर पानी नहीं पहुंचता इनको री-आर्गनाइज किया जाय और पुनर्गठन के सम्बन्ध में आप इसकी टेक्नीकल जांच करें। बाड़मेर के सम्बन्ध मे भी ऐसे ही आदेश दिये थे, एक-एक स्कीम को इन्होंने देखने के बाद में यह कहना है कि अगर री-आर्गनाइज़ इस स्कीम को करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने 24-12-81 को री-आर्गनाइजेशन की बात कही है और मैंने कहा कि इसमें 24-25 करोड़ रुपये लगेंगे री-आर्गनाईजेशन में, पानी नहीं पहुंच रहा है छोर पर तो। 11 करोड़ रुपये अगर हम यहां इन्वेस्ट करें तो बाडमेर के छोर तक पानी पहुंच सकता है और स्थिति चूरू में और भी ज्यादा है। चूरू के अन्दर 22 करोड़ लगेंगे तब जाकर छोर के गांव में पानी पहुंचेगा। आज जो योजना चालू करते हैं इसलिए लिमिटेशन्स आफ फन्ड्स का हमारे सामने सबसे बड़ा कसट्रेंट है। इस कसट्रेंट को देखते हुए जो कुछ किया जा सकता है, सभापति महोदय, राज्य सरकार निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी। यह बात सही है कि पानी के स्रोत हमारे पास हमेशा के लिए जो उपलब्ध हैं वह ध्वस्त हो सकते हैं और इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक ने, जैसा कि आप कह रहे थे कि पानी सूख जायेगा, एक वैज्ञानिक मि. मेनन है, अभी प्लानिंग कमीशन के मैम्बर हैं उस वक्त वो टाटा इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट में डायरेक्टर थे तारीख 7-1-70 को यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर में कन्वीकेशन एड्रेस देते वक्त रेगिस्तान के सम्बन्ध में यह बात कही है—

"Before the tubewells are used extensively and man learns to depend heavily on a bountiful suqply of water from there, it is important to measure the size of the underground supply and the rate at which it is being recharged otherwise if the resource is comparatively small and the recharge slow, the supply will run out and large societies that have learnt to

(श्री परसराम मदेरणा)

depend on it will be put to untold trouble".

I am reproducing his voice.

मेरे कहने का, सभापति महोदय, मतलब यह है कि अगर हम ऐसी बात सोच रहे हैं और इस सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करूंगा। मेरे निवेदन करने के पूर्व यहां पर कुछ बातें कही गईं, मैं इतना ही यहां कहना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में जब आपको 3623 ग्राम प्रति वर्ष का एवरेज आ रहा है उस वक्त उसको कवर करने के लिए कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के समय पर वहां पर एक बोर्ड था और बोर्ड के ऊपर पालिसी निर्णय के लिए एक कमेटी ग्राफ डायरेक्टर्स थी और कमेटी ग्राफ डायरेक्टर्स ने सितम्बर के अन्दर 80 निर्णय लिये बोर्ड और कमेटी दोनों हैं, एक फाइनेंस कमेटी भी थी जिसको इस सम्बन्ध में टेण्टर इन्वाइट करने के और निर्णय लेने के अधिकार थे। इस सदन के माननीय सदस्य, खास तौर से विपक्ष के नेता यह बात भली भांति जानते हैं क्योंकि वो मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं, राज्य का प्रशासन चलाया है, कि पब्लिक वर्क्स में फाइनेंशियल एंड एकाउंट्स रूल्स, फाइनेंशियल बजटरी रूल्स में सेकेण्ड प्रावधान डेलीगेशन ग्राफ पावर्स हैं वो टेण्डर इन्वाइट करके और वो काम ठेके पर दे सकते हैं और इसी सन्दर्भ में उन्होंने यहां पर निर्णय लिया और निर्णय लेकर तय किया कि अब कंट्रेक्टर्स को काम देंगे। पहले पर यहां प्रश्न आया था कि आप के पास में जो रिग्स हैं, फुल केपेसिटी में आप यहां पर उनको इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उस वक्त हमारे पास जिस वक्त ठेके हुए 30 रिग्स थीं। अब तो विभाग के पास 90 रिग्स हैं और प्राइवेट कंट्रेक्टर्स को देने का कार्य कांग्रेस सरकार ने प्रारम्भ नहीं किया था जैसा, कि प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि आर्डर्स तो दिये थे लेकिन कैंसिल हो गये। यह प्राइवेट कंट्रेक्टर्स को हैण्ड पम्प खुदाने का काम जनता सरकार के वक्त में हुआ था और जिस वक्त यह निर्णय 4-9-80 को यह निर्णय लिया कि इस प्रकार से यूनिफार्म रेट्स राजस्थान में तय करते हैं तो उन्होंने उसी 4 सितम्बर को प्रोसीडिंग के पेज 9 पर एक कम्परेटिव स्टेटमेंट दिया है। उस कम्परेटिव स्टेटमेंट में अभी जो रेट्स आई हैं जून और जुलाई में उनको तो रखो एक तरफ और उसके पहले आई हैं जनवरी 1980 और फरवरी, 1980, हालांकि प्रतिपक्ष के नेता पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री 16-2-80 तक थे लेकिन यह रेट्स जो आई हैं वह 150 रुपये प्रति मीटर एल्यूवियल में और 240 रुपये रोक में और इसके साथ ही उस वक्त कंट्रेक्ट और ठेके दिये गये, इस सदन को सोच कर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा प्रति पक्ष के नेता कल कह रहे थे कि जब यह बात थी तो चार साल तो आपने चुप्पी साधी और चार साल के बाद में इस मामले को लेकर, उखाड़ करके अब जो ला रहे हैं। इस सम्बन्ध में गंगानगर के चुनाव की बात अब ला रहे हो चुनाव लास्ट ईयर हो गया। आपका उम्मीदवार हार गया और हारने के बाद आपको इलेक्शन पिटीशन करनी चाहिए थी। हमने कोई करेप्ट प्रक्टिस नहीं की है इसलिए आपने इलेक्शन पिटीशन नहीं की और इस सदन के अन्दर कुछ बातें कह गए। आपके

(श्री परसराम मदेरणा)

पास कानूनी दावा करने का एक रास्ता खुला था उसके इस्तेमाल करते तो हम भी कोर्ट में खड़े होते। अब जोधपुर के हैण्ड पम्प के नाम से जघन्य अपराध करके, मुझे कोर्ट में खड़ा करो, फिर मैंने कुछ कहा, आपने कहा दोनों ही कोर्ट में खड़े हो जायं। तो मैं समझता हूं इस तरह से कहने से कोई मतलब नहीं लेकिन जो आदेश दिये वे पांच जिले उदयपुर डिवीजन के थे और तीन जिले कोटा डिवीजन के थे। उस वक्त जो आदेश दिये और आदेश देने से जो कंट्रैक्ट हुआ दो पार्टी के साथ में, इसमें एक प्रकार का क्लाज डाला गया "The validity of this contract will be for one year, with effect from the date of issue of order excluding rainy season."

31-1-80 के लेटर को पढ़ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि उसके 25 दिन में जनता सरकार नहीं रही लेकिन क्योंकि उस वक्त टेण्डर फ्लोट किये थे अलग-अलग एक एडीशनल चीफ इन्जीनियर, अजमेर ने और मैं उस रूल्स का हवाला दे रहा हूं जिसमें एक सरकारी मशीनरी को सरटन पावर्स दिये गये हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कहीं भी पिक्चर में नहीं आते। एक पिक्चर में पहले सरपंच आता था एन्टी करप्शन के कई केस बने, इसलिए बाद में ग्रूप सचिव लगाया, ग्राम सेवक को उसका सचिव बनाया। एक इलेक्टेड मेम्बर था जिसको कैश हैण्डल करना पड़ता था। यहां पर आडिटर है, एकाउन्टेन्ट जनरल है, कन्ट्रोलर आडिटर है जनरल और आडिटर जनरल आफ इण्डिया है, फाइनेंशियल रूल्स बने हुए हैं, आडिट भी होता है। अब कानूनी अनियमितता होना पाया जायेगा, जिसने गल्ती की है तो कहां उसका पक्ष लेने का जिसको बचाने का प्रश्न कहां आता है। इसलिए कल यह कह रहे थे कि "The validity of this contrat will be for one year with effect from the date of issue of order excluding rainy season" एक्सक्लूडिंग रैनी सीजन इसी तरह से कम्प्रोमाइज करने का जो फर्जी है इन चार पार्टियों ने मिलाकर नीचे के लेवल पर जो कम्प्रोमाइज का लेटर इश्यू कराया था जिसमें अपनी मियाद सितम्बर, 85 तक बढ़ायी थी। उनमें उनका मैन मुद्दा था, मैं इस ए पी सी पी के नोटिस से पढ़ रहा हूं उन्होंने यह बात कही है : "it is dermed desirable to point by way of example one broad aspect that no work was to be alloted during the four months of the rainy reason". और जिन लोगों ने कोलुजन अरके ऑफिसर्स से जिसको सस्पेण्ड किया गया था बाद में, उन्होंने मैन ग्राउण्ड यही लिया है कि इनको रेनी सीजन में काम करने का मौका नहीं दिया एक बात तो ये और जो नोटिंग हुआ फाईल पर और दूसरा यह कि इनको काम पूरा नहीं दिया गया। मेरा निवेदन करने का मतलब यह था, क्योंकि एक दफे इनको रैनी

(श्री परसराम मदेरणा)

सीजन एक्सक्लूड कर लिया गया था इसलिए उनको धक्के आ रहे थे कि हमको तो रैनी सीजन में एक्सक्लूड करके, टर्न तीन साल का है सितम्बर, 82 तक का उसको आगे एक्सटेन्ट कर दिया जाय। जब इस सदन में इस बात की चर्चा हुई और सदन में चर्चा के बाद यह हुआ कि रेट्स जो कुछ भी मुकर्रर की गयी है। अब कम्पीटीशन लोग ज्यादा आ रहे हैं इतना स्ट्रिक कम्पीटीशन हो गई है इसके अन्दर हैण्ड पम्प के लिए एक प्रकार की स्थिति और दूसरे प्रकार की स्थिति में बहुत फर्क है। 1914 की लड़ाई में किस प्रकार के हवाई जहाज इस्तेमाल में आ रहे थे, 1971 की लड़ाई में किस प्रकार के काम में आ रहे थे, 1945 में किस प्रकार के काम आ रहे थे और 1914 में किस प्रकार के आये, उसमें बड़ा फर्क है। अब दूसरी तैयारी हो रही है चन्द्रमा में जाने के लिए तो चन्द्रमा में पधारो आप। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, कि इसी सन्दर्भ के अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह आॅर्डर कैंसिल नहीं किए, उसमें से भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़ जिले में 103 पोइन्ट भुगतान हुआ 10 लाख और 10 हजार रुपये और वह आॅर्डर कैंसिल नहीं हुए कोटा, बूंदी और झालावाड़ में 81 पोइन्ट दिये गये, 81 होंगे शायद या 80 होंगे या 81 होंगे, 82 होगा, 6 लाख 75 हजार रुपये का पेमेन्ट हुआ कुल मिलाकर 16 लाख 85 हजार रुपये का पेमेन्ट हुआ। प्रारम्भ में······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता पार्टी के शासन में जो निर्णय है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वह गलत हैं या सही यह बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : प्रति पक्ष के नेता मैं यह बात कह रहा हूं कि जो कुछ भी निर्णय है कि प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर को काम में लगाया जाय, जिस वक्त, अब किस वक्त लगाया जाय········,जब आपके वक्त में दो साल आठ महीने में 2100 गांव आपने कमीशन किये, उस रफ्तार से जब आप चल रहे थे तो भी आपको आवश्यकता पड़ी। ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की मशीनरी काम रही थी और डिपार्टमेंट दूसरे से काम करवा रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले 26 वर्षों में जब आपकी पार्टी का शासन था केवल 2881 गांव कमीशन हुए। अब आप उनकी तुलना कर लीजिये कि ढ़ाई वर्ष में जहां आप कह रहे हैं 1726 गांव कमीशन हुए।

श्री परसराम मदेरणा : 4859 के अन्दर 2100 आपके हैं कुल अप्रैल, 1980 को जो टोटल गांव कवरेज हुए हैं, वह 4859 हैं. और उनमें से 2100 आपके हैं तो माइनस प्लस आप कर लिजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कर लीजिये। माइनस प्लस ढ़ाई साल का देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : प्रति पक्ष के नेता ने यह बात कही कि मैंने पी. एस. एस. पम्प एण्ड टैंक्स की स्कीम लगायी थी, मैंने कोई हैण्ड पम्प नहीं लगाये थे। उन 2100 गांवों के अन्दर आपने तत्कालीन जनता सरकार ने जिसके मुख्य मन्त्री और पी. एच.

(श्री परसराम मदेरणा)

ई. डी. मन्त्री प्रति पक्ष के नेता थे उस वक्त उन्होंने कुल मिलाकर के 1726 के अन्दर मैं नहीं फसूंगा ।

(व्यवधान)

जो गांव हैं उसमें हैण्ड पम्पों की संख्या तो फाइव टाईम्स है, गांव को कवर करने में, मैं हैण्ड पम्प के लिए नहीं कह रहा हूं । उन हैण्ड पम्प का अगर आप यह कह रहे हो कि 2100 गांव किए उसमें 750 गांवों के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर से नीचे दर्जे का पानी है लेकिन राजस्थान के अन्दर सोफेस्टिकेटेड स्कीम बनाकरके इस योजना को लागू कर लेते । आप कह रहे थे कि हमने कुबड़े आदमी को यहां खड़ा कर दिया और उसकी फोटो छाप दी । हैण्ड पम्प से आपके जो गांव कवर हुए हैं वह 358 हैं । 1450 हैण्ड पम्प जो खुदे वह 358 गांव में है इतने हैण्ड पम्प आपने यहां खोदे उसमें बी. एस. एम. में भी हैण्ड पम्प आप खोद रहे थे । आपने प्राइवेट कान्ट्रेक्टर से 211 हैण्ड पम्प खुदवाये । इसमें सम्मिलित जो 1400, 211 हैण्ड पम्प जो है......

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको करेक्ट फिगर बता देता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये आपकी करेक्ट फिगर बहुत पुरानी हो गयी है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पुरानी नहीं हो गयी है ।

श्री परसराम मदेरणा : एक दफे फिगर के मामले में आपने यहां प्रिविलेज मोशन आया था और रिकन्साइल करने थे आपको और मुझे बैठकर यह बात कम से कम एक डिबेट के पहले की है । इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सब बात होते हुए भी उन्होंने आरोपों की शृंखला और पैरामिड किया कि ये तमाम चीजें थी उसका क्या हुआ, ज्यूडिसियरी इन्क्वायरी बैठ गयी । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हू, सभापति महोदय, सदन से कि जब हमने यह सोचा कि चारों तरफ से कम्पिटीशन होने लग गया है, लिस्ट लोगों के पास आ गयी है, इंडीजीनस इजिन्स का मैन्यूफैक्चरिंग होना शुरू हो गया हैं । तो हैदराबाद में भी हो रहा है, बम्बई में भी हो रहा है, अहमदाबाद में भी शुरू हो गया है । तो 17 जिलों का इसलिए ऑर्डर नहीं किया और हमने टेण्डर इन्वाइट कर लिये और अगर डिपार्टमेंट रीग्स की केपेसिटी वह यूटीलाइज करें, इस बात को इन्श्योर करने के बाद में 10 जिलों में उनको ठेका दिया हुआ है उन पार्टीज को जिन्होंने स्टे आर्डर ले लिये थे वह हमने कैंसिल कर दिये और कैंसिल करने के बाद दूसरे टेण्डर इन्वाइट कर लिये । तो सरकार के मार्ग पर कहां बधान्ति है, कहां छिपाना चाहतो है । जो कुछ भी टैक्निकल गलती उसमें थी और वहां पर पाईप लाईन की लम्बाई ठीक नहीं थी तो उनको सस्पेण्ड कर दिया उनके खिलाफ डिसीप्लीनरी कार्यवाही की जा रही है, और जब यह सब कुछ मामला चल रहा है तो आप कह रहे हैं कि बहुत ऊंची रेट दी गयी है । आज वो नहीं हैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और यह मुझे मालूम नहीं था कि यह कम्पेरिजन 80 का

(श्री परसराम मदेरणा)

लिखा हुआ है वह आप वाले तमाम कागज हैं। और इसलिये ये मेरे खिलाफ लांछन लगाने के लिए रोजना हर वक्त मुझे डोक में रखने की कोशिश करते हैं। इसलिये हैं यह सब कागज चूंकि डिपार्टमेंट में जो नये साफ है। उन्होंने केलकुलेशन करके उस वक्त का खर्चा बनाया है प्रति हैण्ड पम्प का कवरेज में 266 रुपया था उसके मुकाबले में यह रेट आयी। एक आदमी था उस कमेटी में, लाइनिंग सैकेट्री मौजूद बोर्ड का चेयरमैन मौजूद बोर्ड के चेयरमैन के साथ में स्पेशल सैक्रेट्री प्लानिंग मौजूद और स्पेशल सैक्रेट्री के साथ टैक्निकल मौजूद जो भी मेम्बर रहे हैं। मैकेनिकल एडीशनल चीफ इन्जीनियर मौजूद, हैड क्वार्टर का एडीशनल चीफ इन्जीनियर मौजूद उन्होंने नेगोसियेशन किये, नेगोसियेशन करके 4 तारीख को नेगोसियेशन कम्पलीट किया दो दिन के बाद में कमेटी आफ डायरेक्शन में बनी हुई है इस बोर्ड के कांस्टीट्यून में राजस्थान कैनाल के लाइन्स पर यह बोर्ड है। कमेटी आफ डायरेक्शन के सामने यह मामला गया। चूंकि उस समय यह विभाग पहाड़िया जी के पास में था चूंकि उस समय वे मुख्यमंत्री थे और कमेटी आफ डायरेक्शन तीन व्यक्तियों की थी उस वक्त, पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर, फाईनेंस मिनिस्टर प्लानिंग मिनिस्टर······

श्री यदुनाथ सिंह : और तीनों वे ही थे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उसके बाद में 81 में चीफ सैक्रेट्री का अमेंडमेंट होकर के आया और 18.1.83 के अन्दर वर्तमान में जो प्रभारी पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर है वह उसका चेयरमैन बना। इस सम्बन्ध में यह सब जो हैं प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर्स को देने की बात, किस किस को ठेके दिये गये, किसे कितने दिये गये, रेट कैसे एप्रूव हुआ कौन से एक्स. ई. एन. के पास में गई वह सब सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों रखते हो. सब के पास है, क्यों तकलीफ करते हो।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं तो रखूंगा ही। अब सभापति महोदय, इसी के साथ जाता हूं मुझे जो आखिरी मुद्दा उन्होंने उठाया था कल अपना 25 वां या 27 वां बिन्दु था। आपने जो उस शृंखला के अन्दर क्रेडिट में निराम कानून पास किया था जब मैं उस जगह बैठता था मैं उस वक्त नहीं था अपोजिशन के लीडर उस समय भूतपूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको आपने अविश्वास का प्रस्ताव करके वहां से हटाया था, उनकी संख्या वहां पर काफी हो गयी थी और हमारी संख्या सैकण्ड नम्बर की थी मैं बैठा तो वहीं पर था उसी बैंच पर लेकिन प्रति पक्ष के नेता वहां थे······इन्दिरा गांधी

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उस समय के साथ भी नहीं थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो उस वक्त इन्दिरा गांधी के साथ था या नहीं था जब वे पदनार गयी थीं तो मैं खड़ा हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी को कंपकपी मच गयी

(श्री परसराम मदेरणा)

जब पहली दफा वो एक्स पी. एम. रोड़ के मकान से निकल कर विनोबा भावे जी से मिलने गयी थी तो इस सदन की प्रोसिडिंग्स को पाटं है मुझे मालूम था कि आपको कहां कपकपी छूट रही थी। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैं निगमों और बोर्डों की बात सदन में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो शुरू से उसी पार्टी में रहा हूं आपको कपकपी छूटी थी ? तो कांग्रेस (एस) को छोड़कर उस कांग्रेस में चले गये थे। कंपकपी किसके छूटी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने अविश्वास का प्रस्ताव जो 79 में उनके उतरने के बाद में इमीजीयएटली जो आया मैं बोला हूं। तीसरे दिन शायद 28 सितम्बर को आपने बोला था मैंने कहा कि आपके दिल्ली में जो सरकार है वह तो पालियामेंट को फेस नहीं कर सकी और चुनाव हो गए तो लोग आपकी मुट्टियों धूल से भरा देंगे। अब आप अंदाज नहीं तो दूसरे लोगों का अप चुनाव होने दीजिए, आप भी सभा में बैठे थे तो आपने कहा कि तुमने यह स्टेचुटरी निगम बनाने की बात सोची थी और वह स्टेचुटरी निगम बनाने की इसलिये सोची थी बात कि हम आई. आर. से कुछ फण्ड लेना चाहते थे, और वर्ल्ड बैंक ने यह शर्त रखी थी कि इस प्रकार का अलग आर्गनाईजेशन बनाया जाय जिसमें रेड टेपीजम नहीं हो, कॉमर्शियल लाईन के अकाउन्ट्स हों, नहीं तो हम आपको फण्ड नहीं देंगे। आपने कहा कि राजस्थान के पानी का प्रश्न है यहां बहस भी हुयी लेकिन इसके वह प्रोविजन के ऊपर कुछ क्लाजेज के ऊपर आपस में मतभेद था बाहर अपन बैठकर लाये और लेने के बाद में जिस दिन आप जा रहे थे उसके थोड़े दिन पहले फरवरी के महीने में आपने इसको लागू करने का आदेश दिया। आप भी सोते रहे और जब आदेश आपने दिया 2 महीने आप सोते रहे और आपने नोटीफिकेशन निकाला, तो राष्ट्रपति का शासन हो गया 16 की रात को उन्होंने जाकर के 20 अप्रैल के आसपास यह नोटिफिकेशन मेरे पास है, उन्होंने राष्ट्रपति ने, प्रशासन ने यह तय किया कि स्टेचुअरी कारपोरेशन नहीं होना चाहिए। इसको राजस्थान कैनाल की लाइन्स के ऊपर एक बोर्ड बनाया जाय। और राष्ट्रपति का शासन हो गया। अब आपका तर्क और लौजिक यह रहेगा कि राष्ट्रपति ने कर दिया होगा फैसला लेकिन आप तो जनता के प्रति उत्तरदायी इस सदन के बनाये हुए एक्ट जो है फिर यह क्यों नहीं लागू हुआ इस संबध में मैं आपका ध्यान 7 मार्च 1979 के मेरे वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें मैंने लिखा है कि आपने इस राजस्थान के अन्दर मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने 21 निगम कोष और निधियां बनायी हैं, और उस सम्बन्ध में यह निगम जो आप बना रहें हैं यह अच्छी परम्परा नहीं है। एक तरफ कमीशन बढा रहे हो, निगम और निधिया बना रहे हो इसमें आपकी एक जोखिम निधि भी शामिल थी और जो आदमी अपोजिशन में रह सकता है। जनता पार्टी मैन्डेट नहीं था हमारे पास लेकिन जब इस तरफ बैठते हैं तो निगम के बारे में मेरी क्या राय रही है, वह सरदार वहां बैठे थे तो और हो और

(श्री परसराम मदेरणा)

जो भवित कर रहे थे इस तरफ आये जो अपनी मान्यताओं के बारे में और राय रखें। चूंकि बोर्ड फंक्शन कर रहा था और फंक्शन करने के अन्दर मेरा चेयरमैन बनने का एक ही उत्तरदायित्व था कि 18 जनवरी 1983 तक जो व्यक्ति इस विभाग का प्रभारी मंत्री है जिसके पास एक हैंड पम्प सैंक्शन करने की पावर नहीं है वह आन्सरेबल है इस हाउस में He is answerable on the table. करे कोई और भुगते कोई और यहां पर मैं आन्सरेबल हर बात में मैं आन्सर-बिलिटी जो वहां नहीं है उसका हाऊस के प्रति उत्तरदायित्व है ? इसलिये मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि आप मुझे मंत्री रखना चाहते हैं तो कमेटी आफ डायरेक्शन में, आप निर्णय लीजिए और कमेटी आफ डायरेक्शन में भी निर्णय हुए सितम्बर, 82 में और फिर ब्यूरोक्रेसी के बीच में लूज एण्ड है, दो प्रकार का फंक्शन हो जायेगा और गवर्नमेंट का मिनिस्टर तो रहना ही नहीं चाहिए वहां पर राजस्थान कैनाल में नहीं है। फिर लिखा पढ़ी होने के बाद में यह तय हुआ 18 जनवरी 1982 को यह आदेश निकाला कि इसके संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए और मैं अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व का निष्ठा और ईमान-दारी से पालन कर रहा हूं और मैं यह समझता हूं कि लोगों की समस्यायें क्या हैं ? मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मेरी चापलूसी कीजिये। मैंने जो कुछ भी उन्होंने कहा है यह बात लोग कह रहे हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं, इस तरफ का जो एरिया है जयपुर के आस पास लोगों की ज्यादातर मांग यही है कि हमारे गांव जो समस्याग्रस्त नहीं हैं उनको भी समस्याग्रस्त में ले करके हैंड पम्प खुदाइये। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य कल हैंड पम्प की तारीफ कर रहे थे, मैंने उनसे कोई बात नहीं की मैं इस प्रकार की बातों का आदि भी नहीं हूं और मैं इस प्रकार का कोलीजन भी नहीं करता। आप कम से कम इस बात को तो बेयर आउट करेंगे कि विरोधी पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को मैं यह कभी यह नहीं कहता कि आप मत बोलना, या बोलना ? या क्या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सदन के माननीय सदस्य फ्री है, कोई चापलूसी नहीं करता। अगर चाप-लूसी करने वाले यदि कोई यहां पर प्रति-निधि आता है तो वह जन प्रतिनिधि नहीं है। यहां जन प्रतिनिधि बैठे हुए हैं इसलिए इस संदर्भ में हर बात को तो देखना चाहिए। आज मांग है चित्तौड़गढ़ जिले के सभी एम. एल. ए. वहां के प्रमुख और कई पंचायत समिति वहां के मैम्बर आफ लोक-सभा से भी, हमारे करीबन 500 गांव हैं जो समस्याग्रस्त नहीं है वहां पर हैंड पम्प खुद-वायें। हमारे यहां हैंड पम्प बहुत सकसेस-फुल हैं और इसलिए धन तो आपके पास में कम हैंड पम्प आज खोदो नहीं और जो कल आप कम्पेरिजन कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिये प्राइवेट पार्टियों से खास तौर से राकी एरिया में तो दिया ही वही टेन्डर मंजूर किये हैं। और ये रेट्स जो आयी है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की, कोटा डिस्ट्रिक्ट की और एक डिस्ट्रिक्ट में 260 रुपये के उसके ऊपर भी आयी है उसको हमने स्वीकार नहीं की

(श्री परसराम मदेरणा)

और उन लोगों की भी स्वीकार नहीं की है जिसमें से एक जो है ऐसी पार्टी के नाम पर वह एम आर. ट्रेडर्स बन करके बहुत ऊंची रेट दे दी और मैं एक बात आपसे और निवेदन करू इस सदन को जिन्होंने नीची रेट दी है, खास तौर से दो जिलो के अन्दर उदयपुर का नाम मुझे याद है अभी उसमें उस पार्टी को कहा गया कि ये हैंड पम्प ड्रील कीजिए वह पार्टी तैयार ही नहीं हुई। उसको तो रेट नीची करके और यहां सरकार को भुलावे में रखना था। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये। प्रतिपक्ष के नेता मुझे रास्ते में मिले थे वे कह रहे थे कि आप 15 मिनट में खत्म करो तो ठीक है लेकिन मैंने कहा 15 मे तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समय निश्चित तौर पर लगेगा।

अब मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा और वह बात यह है कि जोधपुर के हैंड पम्प की। जोधपुर के हैंड पम्प के संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं जोधपुर के सम्बन्ध और वह जोधपुर के हैंड पम्प का जो निर्णय लिया गया है कोई आइसोलेटेड निर्णय नहीं था। जब 8 सितम्बर 1981 को निर्णय जोधपुर की मीटिंग में लिया गया तो जोधपुर में 220 हैंड पम्प खुदवाने का निर्णय लिया गया और पाली में 320 खुदाने का निर्णय लिया गया। पाली की स्थिति क्या थी? पाली से जो आने वाले सभी माननीय सदस्य जानते हैं 14 अगस्त, 1981 को मुख्य-मंत्री जी और मैं पाली नहीं रोड तक गये थे जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं था और कंटिजेंसी प्लान बनाने के आदेश दिये थे। पर जोधपुर में मीटिंग हुई और ब्यावर के अन्दर तो सारे राजस्थान के अन्दर पोपुलेशन के हिसाब से देखें तो ब्यावर आपका तो कीर्तिमान है, माननीय सदस्य सबसे ज्यादा पोपुलेशन के हिसाब से कहीं भी हैंड पम्प हैं, जैसा की मैंने कल कहा था कि 350 हैंड पम्प ड्रिल किये गये उदयपुर में भी, तो आपके तो सबसे ज्यादा किये गये। लेकिन जोधपुर के संबंध में इतना ही निवेदन कर दूं आपसे और ज्यादा मैं समय नहीं लेते हुए जो डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रतिपक्ष के नेता को प्रवोक कर दिया इसलिये उनको बोलने की मजबूरी आ गयी नहीं तो वे कह रहे थे कि मैं बोलने का विचार ही नहीं कर रहा था और उन्होंने यहां एक डीजीज बतायी और वह डिजीज बतायी कि वह ग्राउंड वाटर बोर्ड को एक एस. ई. है उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर के अन्दर का हवाला देते हुए जो उसने 1981 में लिखा था, गुप्ता ने, उसमें मैथोमाइक्रोपाइनीमिया, क्या है?

(व्यवधान)

ये बीमारी क्या है? तो वह बीमारी आपकी और मेरे इतनी गहरी चली गई है कि जिसका ईलाज ही नहीं है, इनक्योरेबल है। और इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि ये फ्लू बेबी हो जाते है। नाइट्रेट 50 तक और अभी इंगलैंड में यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ सोफिस्टिकेटेड स्कीमस बनाती है जहाँ पानी अवेलेबल नहीं हैं वहां नाइट्रेट का पानी पीलाइये उसमें को जो है ये मैथो माइक्रोवाइनीमिया बीमारी नहीं होगी। बच्चे जो हैं फ्लू नहीं पड़ेंगे और इसलिये मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहता मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

यहीं समाप्त करते हुए उसकी आवश्यकता उस वक्त थी आज आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं, कि परिस्थितियां अलग होती है। मैं देखता हूं जिस वक्त आपके पेट में, मेरे सिर में दर्द होता है तो आप सभी महसूस करते हैं कि जिन्दगी में ऐसा कभी दर्द कभी नहीं हुआ। अकाल और फेमीन होता है, पानी नहीं है। 9 फरवरी के बाद में जोधपुर में पानी बन्द हो गया आना जवाई से और जवाई और बीच मे पाईप लाईन स्कीम है ये सप्लाई जो है नहरों के ऊपर पानी की मांग कर रहे थे मेन स्टोरेज के जो कैलकुलेशन किये गये थे वह पानी एक बूंद नहीं आया। 335 दिन की व्यवस्था करनी थी राशनिंग किया पानी का उसके साथ में सप्लीमेंट किया और वह भी अलग-अलग....

(8.14 रात्रि)

(श्री पूनम चंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं तो जाना नहीं चाहता क्योंकि आपने ये बात कही इसलिये मैं ये कहने का चाहता हूं कि वह पानी भी जो जोधपुर में पानी वहां पर दिया गया है वह टोटल पानी का जो बहुत ही मीठा पानी जिसको आप बरसाती पानी कहते है। रेन वाटर, उसकी जितनी हम राशनिंग करते थे उस वक्त उसका परसेंटेज 6% थी जवाई के अन्दर जो स्पष्ट रूप से जवाई दो दफा भरा है या तो 1974 में या 1983 में। कभी भी 61 फुट तक यह बंधा नहीं भरा है। पानी हो गया खूब। सितम्बर का हो गया महीना और प्रतिपक्ष के नेता ने जो है ये कहा कि आपने ये हैंड पम्प वोट के लिये ड्रिल करवाये थे और वोट नहीं दे रहे हो वोट के साथ मौत को वोट दे रहे हो उनको। आपके 550 गांव में मैं तो सप्लीमेंट करने के लिये टोटल पानी का जो है अब तो जो हम सप्लाई कर रहे हैं। 80 गैलन पर डे उसमें तो 4% पर ही नहीं आता। जो 100 हैंड पम्प्स तो बहुत बढ़िया पानी है। आपने कहा कि मैं वहां गया, दौसा में गया तो वहां पर एक लाल टोपी और दौसा सीधे से मैं दरियापुर गया तो वहां पर एक लाल लकीर खींची हुई थी और दरियापुर से मैं सीधे धौलपुर गया तो मैं पढ़ नहीं सकता। अब आप, पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई।

और अंत में ये कहते हुए कि जोधपुर की सिचुएशन को मीट आउट करने के लिये वहां रीजनल पाइप लाइन भी पाल से पानी लाया गया। स्थिति खराब थी और इसलिये वहां पर हमने, अब हम राजस्थान के नाल से पानी लेने की एक योजना स्वीकृत कर चुके हैं। इस वर्ष राजस्थान के अन्दर साला गदेली की एक बहुत बड़ी योजना जो राजस्थान के इन इलाकों में चुरू के 353 गावों में पानी लायेगी। चुरू से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि पश्चिम और पूर्व में तो ये संभावना है और हमको बीच में आप कहां छोड़ रहे हो। मैं उनसे ये निवेदन किया था कि हम आपको बीच में नहीं छोड़ते और निश्चित तौर पर अब राज्य सरकार ऐसा सोच रही है कि हमें और जिलों में नागौर, जोधपुर, चुरू और इन जिलों के अन्दर और बीकानेर, जहां पर बहुत लम्बी-लम्बी रीजनल पाईप लाईन्स हैं, मैं मेरे विभाग को आदेश दे रहा हूं कि

(श्री परसराम मदेरणा)

अविलम्ब उसके सर्वे का काम प्रारंभ कर दें ताकि हम राजस्थान केनाल से लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के साथ में डब टेल कर देंगे और अगर आवश्यकता हुई तो अलग से प्रोजेक्ट तैयार किये जायं। चूंकि जो मेनन की बात मैंने कही थी उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मैं यहा यह भी निवेदन करू, सदन को कि इस संबध में कैटल पोपुलेशन. राजस्थान के अन्दर आज जो स्थिती है हार्डकोर एरिया के अन्दर और सदन में जो 1200 क्यूमेक्स पानी पीने के लिये जो कांग्रेस सरकार ने रिजर्व किया है, वह आपने 500 किया था, लेकिन मैं और समझता हूं कि अब बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर और मेनन का कन्वोकेशन महकमे के ऐड्स के संबंध में और मेरा यह मानना है, मैंने इसका तैयार किया है मेमोरेंडम और उस मेमोरेंडम को मैं तुरन्त ही रूल्स ऑफ बिजनेस सेक्रेटेरियट के आर्टिकल 166 के नीचे बदल गया है? मुख्य मंत्रीजी को एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं अन्त में समाप्त कर रहा था लेकिन समाप्त करते-करते जैसे कल प्रोकेशन प्रतिपक्ष के नेता को डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने करवा दिया बोलने के लिये ये तो चाहते भी नहीं थे ऐसा सदन में कह रहे थे। एक और बात आपने जो अच्छी बुरी की चाका पट्टी की बहुत जोर से सीना तानकर बात करते हैं जो करनी नहीं चाहिये क्योकि गांधीजी ने ये बात कही है कि जब आदमी की बहुत बड़ी जीत हो तो उस वक्त आदमी को सबसे अपने आपको तुच्छ समझना चाहिये और मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि रीजनल पाइप लाइन की स्कीम सबसे पहले 1968-69 में जब मैं रिलीफ मिनिस्टर था यहाँ पर ही नहीं बाड़मेर में भी रीजनल पाइप लाइन वहाँ पर, ट्यूबवेल खुदवाने का काम उस वक्त प्रारम्भ किया था और मैं जानता हूं एक नहीं लेकिन जो वर्स्ट एरिया थे उसके अन्दर कई जिलों के अन्दर स्वीकृत की थी। जो डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम आया था वह अलग से प्रोग्राम था दस जिलों का उसमें पीने पानी की व्यवस्था नहीं थी। प्लानिंग कमीशन से लड़ करके तीन साढ़े तीन करोड़ रुपये लेकर मैंने रीजनल पाइप लाइन स्वीकृत की थी और उसी के अन्दर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, जो यह पापड़दा वाली स्कीम है, वह डी. ए. पी. के अन्दर स्वीकृत हुई थी। मेरे कहने का मतलब यह है, लच्छीपुरा के सम्बन्ध में आपने बात कही है, रामसिया और दूसरे लच्छीपुरा की 42-44 गांवों की स्कीम है उन दूसरे गांवों के अन्दर फ्लोराइड पर्मिसिबल फ्लोराइड 3 पी. पी. एम है। 3 पी. पी. एम. के अन्दर आज जो कुए चल रहे हैं इसमें, 3.6 है, 3.6 है, 1.6 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.9 है, 2.80 है और एक के अन्दर 6 पी. पी. एम है। यह कूबड़ा, हमने लिखा है कि हमने छिपाई थोड़ी है, एक्सेस फ्लोराइड जहां होगा, यह भी ध्यान नहीं....। रामसर के अन्दर गया था 1969 के अन्दर, तो रामसिया के गांवों का चित्रण किसी ने ले लिया, कई अखबारों में भी पब्लिश हुआ था, और यहां पेपर्स ने भी दिया था। मुझे मालूम भी नहीं था। मैं यहां कैमरे वाले को, हर एक मिनिस्टर को प्रेस अटैची मिलता है, इन दोनों को मैं साथ नहीं रखता हूं।

242

(श्री परसराम मदेरणा)

तीसरा, मुझे जो आप कह रहे थे कि मशीन आगे और आप पीछे, माला उसमें पड़ जाती है। मैं ईमानदारी से इस बात को आपको कह रहा हूं कि अगर मेरे अन्दर कोई मैण्टल ऑनेस्टी है, माला से मैं नफरत करता हूं। दूसरी, मै यह निवेदन कर रहा हूं, माला तो गांधी जी और दूसरे ऐसे आदमियों को पहनायी जानी चाहिए थी। अपन यहां पर ह्यूमन बीग्स, इस स्टैण्डर्ड के और माला जो लोग पहनाते हैं तो काम काज के लिए पहनाते हैं, बाकी तो श्रद्धा और सम्मान कहां है? सम्मान और श्रद्धा हमारी ही नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपका तो हमारे से बुरा हाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था। लच्छीपुरा की एक बात कही स्टॉक की पोजीशन में हमारे पास 1-3-84 तक हमें सभी पाइप लाइन योजनाओं के लिए स्टॉक रखना पड़ता है। स्टॉक परचेज कमेटी है और उसका निर्णय होने के बाद में स्टॉक करते जाते हैं। आज अगर नहीं हो और कही भी पाइप लाइन टूट गयी, सप्लाई करनी पड़े और कई पाइप लाइनें हमको मालूम हैं कि स्वीकृति हो रही हैं, इनका काम शुरू करने के लिए। 50-40 करोड़ का कहां से बता रहे थे? 11 करोड़ 19 लाख 95 हजार का स्टॉक तो अभी है। 1.4 तक अगर मैक्जिमम हुआ तो 12 होगा, 12 से ऊपर नहीं है। यह जो आपने बात कही है, यह किसी ने आपको बताई है, यह भी सही नहीं है।

एक बात, तमिलनाडु की रेट्स आई थीं, उसको आपने नही लेकर के बोर्ड की मशीनों को आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? जैसा कि मैं पूर्व में सदन को बता रहा हूं, उसके सन्दर्भ के अन्दर, सैनिटेशन एण्ड वाटर सप्लाई डिकेड, सिक्स्थ प्लान, और 3-4 हजार गांवों का कवरेज प्रति वर्ष करना, सरकार के पास में मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं और हमको परिणाम लेने थे, लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, उसके सिवाय रास्ता क्या था? 28 जुलाई की स्पीच के अन्दर 7 करोड़ का प्रावधान जो वहां, वोट ऑन अकाउण्ट हुआ था पालियामेण्ट के अन्दर हुआ, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 21 करोड़ दिया, दूसरे साल 31 करोड़ कर दिया नई योजनाओं के लिए, और भारत सरकार ने भी हमारी परफॉर्मेंस को देखकर साढ़े सात करोड़ का बोनस इसी साल दिया है अंत में जाकर के यही आप कह रहे थे कि यह आपके लिए फख्र की बात नहीं है, बातों से कोई योजना पूरी नहीं होती।

"सदा करे सिर फोड़, सदा मृदंग बजावैं"

कोई भी स्कीम, कॉस्टली बाई स्कीम, इतनी खर्चीली लागत है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत सही बात कह रहे थे कि बिजली की जरूरत नही है और खर्चीली बिलकुल नहीं है। जहां लोग इन्ट्रेस्ट नहीं ले रहे हो। हुआ ऐसा कि रफ्तार से चल रहे थे, न तो एम. एल. ए. साहब को पूछा, न प्रधान जी को पूछा, धड़ा धड़ गांव हो रहे थे कवर। पहले चल रही थी धीरे-धीरे। कई जगह ऊंट की पीठ पर बैठा था और मैं जीप में बैठा था 1952 में तो वह दिशा चूक हो जाते क्योंकि ऊंट तो अपनी रफ्तार से ही चल सकते हैं.......।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1945 में।

श्री परसराम मदेरणा : उसी को समझ सकते हैं और उनके साथी जो हैं। जो सोचते हैं, कहां पर है। मैं पूछता हूं, अरे कहां आ गये अपन। साहब, नीचे उतर जाओ, रात को, मैं देखता हूं, खेजड़ी-बेजड़ी को। वह तो ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ आदमी था। और, ऊंट पर, अध्यक्ष महोदय, आप और मैं तो बहुत बैठे हुए हैं। और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह तमिलनाडु की बात कही। तमिलनाडु की जो ऑफर थी, फाइनेंस, उसमें मोहता ट्रान्सपोर्ट के सामने गया। ट्रान्सपोर्टेशन के बहुत ज्यादा चार्जेज मांग रहे थे। हमने यह कहा कि हम 3 रुपए प्रति किलोमटर आपको भाड़े के ट्रान्सपोर्टेशन के देंगे। अंत में उन्होंने 28.1.81 को चिट्ठी भेजी। प्रतिपक्ष के नेता को पहली वाली बता दी, आखिरी नहीं बताई। उसमें लिखा है।

With reference to your letter, I am to state that Tamil Nadu Board is unable to spare to your State at present due to many constraints posed for the drought relief programme to be effective in this State. However, the position will be reviewed after some time.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1981 का लैटर है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, 1981 का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो 1980 का लैटर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : 1981 का रैफरेंस दिया था आपने तो। 1981 में तो मैंने साफ मना कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1980 में हां भरी थी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट भरे थे।

श्री परसराम मदेरणा : टोटल खर्चा 315 रुपए आता तो फिर आज यहां पर चौक में खड़ा करते। यहां पर यह बात कही गयी। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि रेट्स दुवारा आई थीं 45 प्रतिशत डूंगरपुर में। गांव तो हो गये सब कवर। काम वहां पर कुछ करना नहीं। डिपार्टमेंट की रिग्स कर रही हैं। इस साल प्राइवेट पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद केवल 884 पॉइन्ट खोदे हैं तीन जिलों में।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर्स बहुत लेट दिये। जिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास रिग्स होती हैं, वह आइडल पड़ी रहें तो उनको खा जायं। आपने जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्सैप्ट किया उसके बाद में उनको पॉइन्ट्स बहुत लेट दिये, उन्होंने दूसरी जगह अपनी मशीनें भेज दीं। इसमें नई बात कौनसी है ?

श्री परसराम मदेरणा : अब इनको जाने दो। मैं तो राजस्थान के बाहर ही भेजना चाहता हूं। उनको रखना ही नहीं चाहता हूं। अब डिपार्टमेंट से करायेंगे। हमारे पास 2 गांव बचे हैं। उसमें 250 की आबादी के, 300 की आबादी से नीचे के

(श्री परसराम मदेरणा)

गांव है, और कैपेसिटी 6 हजार हैण्ड पम्प खोदने की है, करीब करीब 6 हजार ही वाले गांव में बचे हैं, इनको तो आप रुखसत ही करने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी से इजाजत ले लो।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्री जी की इजाजत के बिना मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मुख्य मन्त्री जी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हम दोनों जो बातें करते हैं वह एक है दिखते आपको अलग अलग है।

यहां पर हैण्ड पम्प की रिपेयर के सबंध में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 6 हजार हैण्ड पम्प और 5 हजार पंचायतों को, कुल 11 हजार 11 हजार में से 15 हजार का एवरेज कैलकुलेट करके, यह हुआ घपला। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा,

I am placed between the devil and the deep sea. What is the alternative for me?

हैण्ड पम्प पंचायतों को ट्रांसफर करने का निर्णय आज नहीं लिया था, पंचायतों के चुनाव होने के बाद में निर्णय लिया गया, जनवरी, 1981 में। फिर दोबारा केबिनेट में विचार करके मई, 1981 में निर्णय लिया और आज का नहीं केबिनेट का निर्णय है, और केबिनेट का निर्णय यह है कि ट्रांसफर करो। मिस्त्री हमारे पास थे नहीं। जनवरी, 1982, जनवरी, 1981 नहीं वह जनवरी, 82 है। फिर मई, 82 में केबिनेट ने पुनर्विचार करके कि हैण्ड पम्प को ट्रांसफर कर दिया जाय बाकी कोई योजनायें ट्रांसफर नहीं की जायं। तो भी हमने यह देखा कि टैक्स भी पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया इसी के डायरेक्शन में। फिर यह निर्णय लिया कि पंचायतों में आपस में पार्टी बाजी है तो पंचायत समितियों के थ्रू काम कराया जाय। फिर यह सोचा गया कि जब तक इनके पास प्रशिक्षित मिस्त्री नहीं होंगे, आई. टी. आई. के, 600 मिस्त्री आ गये हैं, 350 के आस पास इनको टूल्स दे दिये गये हैं। मेरा ऐसा मानना है, तो भी सरकार ने तीन कैम्पेन चलाये। 3 कैम्पेन चलाने के अन्दर पहला कैम्पेन चलाया 5.5.83 से लेकर 21.5 तक 11245 हैण्ड पम्प्स की मरम्मत की, दूसरा कैम्पेन चलाया 10.10.83 से 31.10.83 तक, 4981 हैण्ड पम्प्स की मरम्मत की, और तीसरा कैम्पेन अभी फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चला जिसमें 11236 हैण्ड पम्प्स की मरम्मत की कुल 27372 हैण्ड पम्प्स की मरम्मत की। हैण्ड पम्प्स कोई राजस्थान में खोदे गये हों, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 60 या 70 हजार हैं, मध्य प्रदेश में 80 हजार और बिहार में 70 हजार हैण्ड पम्प वाली स्कीम पूरे देश में लागू हो रही है, जहां पर पानी, यह बात ठीक है कि वहां पानी, बहुत ऊंचा और मीठा है। और जहां पानी ऊंचा और मीठा नहीं है, हैण्ड पम्प सप्लीमेंट करने के लिए या उसी तरह से स्थिति को मीट आउट करने के लिए खोद दिये हैं। उन योजनाओं को, मैं नहीं समझता कुल मिलाकर आज जो स्थिति है, वह आप लोगों के सब के सामने है।

यह जो कम्पेरिजन किया गया, आपने कम्पेरिजन किया जो रेट्स अब आई हैं और

(श्री परसराम मदेरणा)

पहले रेट्स थीं, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं सरकार ने निर्णय लिया उसके बाद टेण्डर्स फ्लोट किये, टेण्डर्स फ्लोट किये अन्य राज्यों के अन्दर आज कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में जो प्रिविलेंट रेट्स हैं उससे 23 पर्सेन्ट कर्नाटक में एल्यूवियल में ज्यादा है. रॉक में 9.54 पर्सेन्ट ज्यादा है, उड़ीसा के अन्दर 41.25 पर्सेन्ट ज्यादा है और करीबन 3.36 पर्सेन्ट उड़ीसा में रॉक के अन्दर ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि……

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिहार में और यू. पी. में कितना है ?

श्री परसराम मदेरणा : यू. पी की होती तो मैं यू. पी. की पढ़ देता आप तो मुझसे पूछ रहे हैं जैसे मैं यहां कोई एनसाइक्लोपीडिया हूं……

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिहार, यू. पी. और हरियाणा की स्थिति भी बता दें ?

श्री परसराम मदेरणा : जो फेक्ट्स मेरे पास हैं वह आपके सामने रख रहा हूं। और इसको रखते हुये कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कई मुद्दे उठाये थे और माननीय सदस्य यह नहीं समझें कि मैं इण्डिविजुअल कटमोशन के संबंध में कोई बात नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आप समय दें, तो करीबन आधा घण्टा और लगेगा, इण्डिविजुअल कटमोशन्स के संबंध में भी कुछ कह दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप उत्तर भेज दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने गुंजाइश रख छोड़ी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले से ही दो घण्टे तय किये हुये हैं आपके लिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आप और मैं कम से कम 40 साल पहले आपका और मेरा परिचय है सबसे पहले हम मिले थे इसलिये मेरी आदत से आप अनभिज्ञ नहीं और आपकी दरियादिली से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि टी. एस. एस. योजना के संबंध में यहां पर पंचायतों को अनुदान देने के संबंध में जो बात कही है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यह बिंदु राज्य सरकार के विचाराधीन है और महिने भर में निर्णय लेकर के जो पंचायतें टी. एस. एस. की स्कीम को चलाना चाहती हैं उन पंचायतों को अनुदान दिया जायेगा ताकि उन पर यह आर्थिक बोझ नहीं पड़े। अभी जो हमने मानदण्ड और क्राइटेरिया ग्रामीण गांवों के अन्दर पी. एस. पी. का तय कर रखा है आबादी का 500 की जनसंख्या पर जहां पाइप लाइन है एक पी. एस. पी. दी जायेगी। लेकिन नगरीय क्षेत्र के अन्दर एक हजार की आबादी पर एक पी. एस. पी. और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जहां पर जनसंख्या है उन मोहल्लों में वहां पर 500 पर एक पी. एस. पी.।

(श्री परसराम मदेरणा)

यह बात सही है कि लूनी से आने वाली माननीय सदस्य कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पैसा देना चाहिये, 32 साल में अपने को कुछ कम मिला है, अब कुछ रफ्तार बढ़ रही है। इसलिये गांवों के अन्दर क्योंकि 500 की जनसंख्या के ऊपर एक है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जहां बस्तियां हैं उन मौहल्लों के अन्दर 250 की जन संख्या पर एक पी. एस. पी. लगाई जायेगी यहां जो ढाणियों के संबंध में और मगरों और फलियों के संबंध में भी बात कही गई कि फलियों में आबादी है उसके आधार बदलना चाहिये क्योंकि हैण्ड पम्प के लिए तो हमने यह कह दिया कि 250 की आबादी है तो वहां एक हैण्ड पम्प लगा दिया जाय लेकिन ढाणियों में रीजनल पाइप लाइन हैं। इस संबंध में 5 मिलीमीटर की परिधि में अगर 250 की जनसंख्या है, तो उनको एक केन्द्रीय बिन्दु, सेंट्रल पाइन्ट दिया जायेगा चाहे ई. एल आर. निर्माण करके, पाइप लाइन खींचने की आवश्यकता है तो और अन्य प्रकार के स्रोत, ट्यूब वैल लगाकर देने की बात है, इस संबध में भी किया जायेगा और यह भी राज्य सरकार ऐसा सोच रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में गैर समस्या ग्रस्त गांवों के बीच में, अब समय आ गया है कि हमें स्वच्छ जल देना चाहिए और इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिये। इसलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में हम यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे लेकिन इस कार्यवाही को हम पहले ही प्रारम्भ कर देंगे।

हैण्ड पम्प के संधारण के संबंध में और उसकी रिपेयर्स और रख-रखाव के संबध में यहां पर बात आई कि यह काम विभाग को अपने पास में लेना चाहिये, विभाग ने कभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झटके हैं। यह हमने······

श्री यदुनाथ सिंह : अल्टीमेटली आपको पंचायतों को यह कार्य देना पड़ेगा ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपने बहुत व्यावहारिक बात कही है यू. आर. प्रेक्टिकल डाउन टू दी अर्थ। और मैं आपकी इस संबंध में तारीफ किये बिना नहीं रहूंगा लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि प्रशिक्षित लोग आये हैं उनको टाइम देकर, गर्मी का मौसम आगे आ रहा है अगर दो महिने के बाद में सरकार का अनुभव हुआ कि मिस्त्री लोग हैण्ड पम्प रिपेयर नहीं करते है, लोगों को ठीक तरह से नहीं रखते हैं। क्योंकि आप यह कह रहे हैं कि हैण्ड पम्प खराब कैसे हो गये। ढाई साल में जब ट्यूब वैल्स खराब होते हैं, सोइल के अन्दर इस बात को तो उन्होंने कहा था कि लौंगेविटी आफ लाइफ ट्यूब वैल्स की कम कैसे आ रही है, आपको टैक्नोक्रेट्स को देकर आपको इस आस्पेक्ट्स को देखना चाहिये, तो ढाई वर्ष में साइल होती है यह उस पर डिपेन्ड करता है और ऐसी सूरत में हैण्ड पम्प, क्या आप नयी कार लेते हो, अब प्रतिपक्ष के नेता महोदय के पास में पुरानी हिन्दुस्तान गाड़ी है। मैंने भी एक टैक्सी ली थी कुछ रोज पहले टैक्सी मिल जाती थी उन दिनों में, लेकर के मैं चला गया सपोटरा, डीजल की थी, पानी ऊपर से चल रहा था, मैं अन्दर बैठा था, वापिस आया तो उस टैक्सी का इन्जिन खुलवाना पड़ा उसके बाद में खराबी

(श्री परसराम मदेरणा)

गई हो नहीं। और कर्जा लिया हुआ है बैंक से बराबर कहा उन्होंने 2 साल का पीरियड निकले कैसे मैंने कहा कि यह खराबी हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं टैक्नीकली खराबी नहीं मानते हैं, दो साल के बाद आप बेच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि गाड़ी की रिपेयर नहीं हो, प्लेन में जब हम रवाना होते हैं तो एक एक पुर्जे को चैक किया जाता है। हैण्ड पम्प का वाशर भी खराब हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं जैसे पपिहा बादल की तरफ देखता है कि बून्द सीधे मेरे मुंह में आ जाय। आप कोई रेस्पोन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं और पूरी गवर्नमेंट पर टिके रहना चाहते हो तो इतने बड़े प्रोग्राम में थोड़ी बहुत कमियां निश्चित तोर पर रहेंगी। लेकिन मेरे आदेश में इस बात की हर प्रयत्न कर रहा हूं कि यह कमियां दूर की जायं। क्योंकि पानी ऐसी चीज है जिसके लिए हम एक दफा दे दें और दूसरी दफा नहीं दें यह बात नहीं चल सकती। बिजली का आदमी बिना पंखे के तड़फने लगता है तो पीने को पानी जीवन के लिए हवा के बाद मुख्य आवश्यकता है और इसलिये हम चाहते हैं कि दो महीने के बाद में यह बात सही नहीं हुई तो सरकार इस पर पुनर्विचार करके, मैं इस मसले को कैबिनेट के सम्मुख ले जाऊंगा।

आर सी. पी. के संबंध में मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया है कि मैं सर्वे बाड़मेर, नागौर और प्रथम स्टेज में चूरू तीन जिलों का यह जल्दी से जल्दी करवा कर, उनकी प्रोजेक्ट तैयार करवा रहा हूं,

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के संबंध में मैं अपना उत्तर यहीं समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ जानकारी करनी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो यह फीगर्स दी हैं और आपकी पत्रावलियों में जो फीगर्स आ रही हैं कि राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में 13,486 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि इनमें से कितने गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की आपने जांच कराई और निर्धारित पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर, शुद्ध जल माना गया, पहला प्रश्न।

दूसरी आपसे मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि इसी सदन में आपने घोषणा की थी, टेण्डर्स के मामले में और हेण्ड पम्प के मामले में कि मैं 3 कमेटियां बना दूंगा, एक कमेटी हैण्ड पंम्स की जांच करेगी, दूसरी कमेटी रेट्स की जांच करेगी और तीसरी कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जो नेगोशियेशन्स किये गये या रेट्स जो एप्रूव की गयीं उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है।

तीसरी, मैं यह जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि हैण्ड पंम्स की आवश्यकता इसलिये भी है कि कई गांवों के अन्दर जानवरों के लिये पीने के लिये पानी नहीं है और उस पानी की पूर्ति के लिये भी हैण्ड पंम्स की आवश्यकता है......

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह बात नहीं कही ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या कहा ?

श्री परसराम मदेरणा : 24 मार्च का पढ़ लें कि मैंने क्या कहा था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो पढ़ा है। आपका मतलब यह था जो कि हैण्ड पम्प की आवश्यकता इसलिये भी है कि गांवों में भी मिल जाय जानवरों के लिये। अध्यक्ष महोदय, जिस 23 मार्च का रैफरेंस दे रहे हैं उस 23 मार्च का उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय 270 पेज निकालें, जिसमें आपने कहा है, इसका मतलब यह हुआ, उस दिन ध्यान आकर्षित कर रहा था कि ऊंट के पेट में 12 थैलिया होती हैं उन थैलियों में 150 गैलन पानी एक साथ पीता है और हैण्ड पप से पानी निकालते निकालते आपको साढ़े सैंतालीस मिनट लगेंगे। आगे और कहते हैं आप, भैंस को पानी पिलाने मे करीबन आपको साढ़े पैंतालीस मिनट लगेंगे। मैं तो सोच रहा था हैण्ड पंप के बारे यह योजना प्रैक्टिकेबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पशु अलग रखे हुए हैं, इसमें पेयजल में शामिल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने जस्टिफिकेशन दिया। तो पेयजल......

श्री अध्यक्ष : मनुष्यों के लिए पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, पशुओं का जो पेयजल का मामला है वह तो अभी केन्द्रीय सरकार के साथ डिस्कस किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह नहीं है। हैण्ड पंप को जानवरों को पानी पिलाने के साथ जोड़ा गया इसलिए मैंने मांग की, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

चौथा मेरा प्रश्न होगा कि जनता पार्टी के शासन में हैण्ड पम्प खुदवाने के संबंध में जो कान्ट्रेक्ट्स हुए, आर्डर दिये, मैं सरकार से जानकारी करना चाहता हूं क्या वे आर्डर्स सही थे या आर्डर्स गलत थ ?

ये चार बातें आपसे जानना चाहता हूं ? उचित मानते हुए आर्डर्स दिये, सही थे, या गलत ? इन आर्डर्स को आप उचित मानते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो साढ़े सैंतालीस, सैंतालीस मिनट का पेज 270, इस सदन की जो कार्यवाही है 24 मार्च, 1981 की उसमें से उल्लेख किया। मैं सब बातें मवेशियों के संबंध में कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं यह कह रहा हूं कि पशु उनके जान से ज्यादा प्यारे हैं इसलिए उनकी इकोनोमी नष्ट हो जायेगी। गांव में पेयजल योजना से मनुष्यों के लिए और रूरल पापूलेशन के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। बीच में अपने मवेशियों को पानी पिलाते हैं और पिलाने के फलस्वरूप जो छोर के गांव हैं, जहां रीजनल पाइप लाइन आपकी बिछी हुई है, दस दस साल हो गये हैं टेल एण्ड पर पानी नहीं जा रहा है। पाइप की जो योजना बनायी गयी है जो रूरल पॉपूलेशन की है मर्दुम शुमारी 1971 का आधार लिया है।

249

(श्री परसराम मदेरणा)

रीजनल पाइप लाइन में आपने कैटल पापूलेशन को कन्सीडर नहीं किया है और कैटल पापूलेशन के संबंध में आप कहते हैं, हमारी और भारत सरकार की नीति यह है कि हम कैटल पापूलेशन के लिए कतई तौर पर कोई प्रोविजन नहीं रखने वाले हैं। इस संदर्भ में मैंने कहा कि अगर किसी जगह हैण्ड पंप भी अगर आप बना रहे हो जहां फिजेबल है जहां पर कैटल ज्यादा है, सवाल यहां पर ह्यूमन पापूलेशन का है, 250 की पापूलेशन के ऊपर एक हैंड पंप लगा रहे हैं। जहां 250 पापूलेशन रेगिस्तान में हैं वहां पर 500 मवेशी हैं। उस हैण्ड पंप पर अगर ऊंट वाला आकर के खड़ा हो गया। अब सोफिस्टिकेशन स्कीम बन गई। मैं कुड़ियों में घी डाल डाल कर उसमें डाल करके फलौदी बेचने गया, दो रुपये का घी बेच कर आया हूं मार्केट में और आते वक्त, डेढ़ आने लाया था कान्दे की, हरे कान्दे को कुली और एक रुपदे की चने की दाल लाया था। जो मैं समझ रहा था कि बहुत सारा सामान यहां से लेकर जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि उस संदर्भ में आपको देखना चाहिए कि वहां की कैटल पापूलेशन इकोनोमी का आधार है और इस संबंध में.......

श्री अध्यक्ष : इस समय भी याद है....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार राजस्थान सरकार के अथक प्रयत्नों के बाद भी कैटल पापूलेशन के बारे में सोचने को तैयार नहीं थी। प्रधान मंत्री जहां पर केबिनेट को शेयर करती हैं इन प्रिंसिप्ली यह बात मान ली है कि राजस्थान की स्थिति भिन्न है और उसमें कैटल पापूलेशन का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

And we have received the letter from the Government of India to this effect.

इसलिए मैं यह बात कह रहा था जो बात 33 साल तक भारत सरकार मान नहीं रही थी। मैं आपको प्रतिपक्ष के नेता बताऊं कि उस संबंध में मैंने चार चार पेज के पत्र लिखे हैं वहां के मिनिस्टर को.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : कि हमारे यहां के विलेज का मतलब क्या है। ये गांव मिसनोमर हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले में और यहां पर 12–12 मील पर है। मवेशी का मतलब क्या है। एक ही सोर्स है पानी का इसलिए यह बात मैंने कही थी उसी संदर्भ में.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी संदर्भ में, आपने उल्टा कह दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि 10758 गांवों में हैण्ड पंप दिये हैं। आपने जो यह बात कही थी कि जब तक कैटल पापूलेशन को इन्क्लूड नहीं किया जायेगा उस समय तक यह स्कीम अधूरी रहेगी। उस 10758 गांवों में जहां हैण्ड पंप योजना के अन्तर्गत आपने शुद्ध पानी उपलब्ध कराया है क्या उसमें कैटल पापूलेशन शामिल होगी।

श्री परसराम मदेरणा : कैटल पापूलेशन अभी तक हमने कहीं भी शामिल नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

की है। इसलिए आज जो हैण्ड पंप की मांग वहां कर रहे हैं जहां पर कैटल पापूलेशन ज्यादा है। कैटल पापूलेशन पानी वाले इलाकों में भी है लेकिन हमारे पास मे......

श्री अध्यक्ष : फिर यह बात कही थी उस वक्त कोई मंत्री की हैसियत से थोड़ी कही थी।

श्री परसराम मदेरणा : आगे ज्यों ज्यों हमारे पास में एल्वो स्पेस होगी निश्चित तौर पर हम कैटल पापूलेशन को कन्सिडर करेंगे।

दूसरी बात कही कि आपने जो तीन कमेटियां बनायी थीं उन कमेटी के बारे में यहां पर टेकनीकल कमेटी के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई थी। मैं इसका बहुत उल्लेख कर चुका हूं बहुत डिटेल के अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब ?

श्री परसराम मदेरणा : आप तो उस वक्त थे नहीं जब मैं यह बात एक सवाल के जवाब में कह रहा था।

दूसरा, जो ये रेट्स हैं, रेट्स के सम्बन्ध में आपने जो बात कही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप संक्षेप में बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : रेट्स के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर दूं जो मैंने कमेटी बैठायी थी उस कमेटी ने यह निर्णय लिया है, जब टेण्डर एक्सेप्ट हुए थे उस वक्त यह बताया गया था कि यहां जो रेट आ रही है वह 266 रुपये थी। और जो रेट वर्क आउट की थी मैंने पांच आदमियों की कमेटी बनायी थी, उसमें गवर्नमेंट की रेट आयी 190, दोनों प्रकार के एवरेज निकाले, प्राइवेट की रेट आयी है वह 195। इस कमेटी की यह सिफारिश है। एक फाइनेंस कमेटी में मैंने रैफर करने की बात कही थी। फाइनेंस कमेटी में भेज दी गई। जो रूल्स वगैरह में यह मामला हुआ है इसलिये अब इसको हम री-कन्सिडर नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं मानते कि इसमें फाइनेन्सियली कोई इरेगुलेरिटी हुई। होनी थी वह तो हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो उन्हीं को भेज दिया।

श्री परसराम मदेरणा : फाइनेंस सैक्रेटरी उस वक्त जो मौजूद थे अब मेरे पी. एच. ई. डी. के सेक्रेटरी बने हुए हैं। उनकी ईन्टेग्रिटी पर डाउट करने का सवाल नहीं। जिस आदमी का संदिग्ध आचरण हो उस आदमी पर डाउट करने की बात होती है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर मुख्य मंत्री जी का इस प्रांगण के अन्दर, इस सोवरिन हाउस में घोषणा की कि पांच हजार गांवों को कमीशन करना है यह संदिग्ध नहीं होगा, यह इसमें आप स्वयं तोड़ मरोड़ कर दूसरी तरफ से यहां पर ला रहे हैं।

इसी के साथ ही मैंने, अध्यक्ष महोदय, यहां पर पैरामीटर की बात कही। पैरामीटर्स केमीकल पैरामीटर्स, जो स्टेण्डर्ड पैरा-

(श्री परसराम मदेरणा)

मीटर्स हैं, मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान की स्थित डाउन है। जिस वक्त आपने गवर्नर को पत्र लिखा था और मैंने प्रेस कान्फ्रेंस की थी। आपने यह मांग की थी कि इसमें बहुत जघन्य अपराध कर दिया। वहां की नाली है इसमें दरारें आ रही है, बरतन टुकड़े हो रहे हैं। वहां आसमानी हो गये बच्चे और आदमी अन्धे हो गये हैं, उनकी आतड़िया बिल्कुल सड़ गई, वहां पर सब होस्पीटल में भर्ती हुए, एक को भेज दिया है जोधपुर में मैंने जो 24 मार्च को रूरल एरिया की बात कही है और मैंने जो हैंड पम्प खुदवाये हैं वह जोधपुर की बात है उसको इसके साथ कहां जोड़ रहे हैं। मैं तो रूरल एरिया में हैं उनकी बात कर रहा हूं। और जोधपुर में रोज ब्लैण्ड होता है प्लेन वह प्लेन भी बोइंग प्लेन। अध्यक्ष महोदय, बोइंग प्लेन में उड़ने वाले रंगीन टी. वी. की बात कर कर रहे हैं जोधपुर के अन्दर। मेरा रंगीन टी. वी. जाय खड में, अभी तक पीने का पानी पांच किलोमीटर में मिल जाय उस आदमी को। इनकी मांग हुई है कि पांच किलो मीटर में एक पाइप लाइन दे दीजिये, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे इस सरकार के। वहां लोग आज दस दस किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। उस संदर्भ में पैरामीटर्स को आंकना चाहिए। इसलिए न तो मैंने यह कहा, उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता मुकदमा चलाये हुए हैं, इन्होंने बहुत कमीशन बनाये इनका परिणाम इनको....

(व्यवधान)

कमीशन बैठाये, निगम बैठाये इनको मिल गया परिणाम....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमीशन में फंस जाते आप।

श्री परसराम मदेरणा : हम ऐसी गलती दोहराने वाले हैं नहीं। प्रतिपक्ष के नेता के सम्बन्ध में मुझे एक शब्द भी नहीं कहना है। यह बात मैंने प्रेस कान्फ्रेंस में कही थी। उसी को रिइट्रेट करते हुए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आया मेरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लियरकट क्वेश्चन है कि इस सरकार ने आंकड़ें देकर यह बताया कि 13486 गांवों में हमने शुद्ध पानी की व्यवस्था की है जिसमें 10758 गांवों में हैंड पम्पस से जोड़ दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से, दोनों बैठे हैं, से यह जानकारी करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो पैरामीटर्स प्रेसक्राइब्ड किए हैं उन पैरामीटर्स के अनुसार कितने गांवों में शुद्ध पानी है और कितने गांवों में खारे पानी को जांचक करायी।

श्री अध्यक्ष : एक एक गांव में कैसे पता चले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं जितनों में भी किया हो संख्या बता दें। और अध्यक्ष महोदय, ये संख्या नहीं बता सकते....

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार के पैरामीटर्स की सभी के पास में मौजूद है, मैं इस टेबल पर पांच दफा रख चुका हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह मेरे पास है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास तो कई चीजें हैं जो सिर्फ सरकार के पास होनी चाहिये।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, अब ये मुख्य मंत्री जी पर कुछ हम पर थोप रहे थे चुनौतियां। अब मुख्यमंत्री जी को केमिस्ट बनाना चाहते हैं। यह कोई पानी का टेस्टिंग करते हैं यहां पर बैठकर हद हो गई, कौन सी बात है यहां पर जिस पर मुख्य मंत्री जी हर बात का जवाब देंगे He is the Leader of the House for all policy matter he is answerable to the members of the House.

यहां पर कितना पी. पी. एम. है, मुख्य मंत्री जी बतायेंगे। राजस्थान के जो 19 हजार गांवों के आपने जो आंकड़े दिये हैं उनमें 550 के अन्दर जो प्रेसक्राइब्ड पैरामीटर्स से ज्यादा हैं उनका मैंने आंकड़ा नहीं निकाला, आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आंकड़ा निकाल कर बताने की बात। ···· ···· लेकिन मेरे पास यह आंकड़ा है नहीं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस के शासन कालमें जो स्कीम्स हैं जहां पर कोई दूसरा पानी उपलब्ध नही था वह तो थोड़ी बहुत पैरामीटर के बाहर हो सकती हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर पैरामीटर के अन्दर हैं।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामसिह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से एक प्रश्न है कि राजस्थान के अन्दर 19 हजार गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लिया है कागजों के अन्दर। ऐसे कितने गांव है जहां पर प्रतिदिन या अल्टरनेटिव डेज में पानी नही पहुंचता है। वहां पर अगर पानी प्रतिदिन नहीं पहुंचा सकते हैं तो हर दूसरे दिन या तीसरेदिन तक या कब तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। यह बता दें।

श्री परसराम मदरेणा : यह बात सही है कि बहुत से गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां हम भी गये थे, वहां यह प्राब्लम है।उसके लिये यह हल निकालने की सोच रहे हैं कि एन-रूट के अन्दर पाइप के अन्दर कुछ जी. एम आर. बना दी जाये ताकि दो गाव के बीच जो लोग आये हुये है वह पाइप लाइन को तोड़े नहीं उसके अलावा जितने गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा है पाइप लाइन मोटी डाली है। यह सब कुछ री-आर्गेनाइजकरने का जैसा माननीय सदस्य को भी इस बात का पता है, मैंने यह आदेश दिये हैं कि छोर पर पहुंचने के लिए इसको री-आर्गेनाइज स्कीम को करने के अन्दर कितना खर्चा आयेगा और धनराशि की उपलब्धि के आधार पर सब गांवों के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जहां तक सम्भव है वर्तमान पाइप लाइन में मेकैनिकल या टेक-

(श्री परसराम मदेरणा)

नौकल कोई डिफेक्ट पूरे होने के बाद में, बीच में पाइप लाइन लगाने के बाद में, पास में सोर्स होने के बाद में जहां तक सम्भव हो सके इस तरह के प्रयत्न किए जायेंगे और मैं इस बात की पूरी कोशिश में हूं और मैंने इम्फेसाइज दिया है, पिछले 6 महीने में विभाग को मैंने निर्देश दिये हैं और कहा है कि टेल एण्ड तक पानी पहुंचाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए और विफल हो जायें तो अल्टरनेटिव स्कीम बनायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : शिवदान सिंह जी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

स्पष्टीकरण

श्री शिवदानसिंह राठौड़ का स्पष्टीकरण

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : (जैतारण) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज को-आपरेटिव की डिमांड पर बोलते हुए माननीय सदस्य श्री भैरूसिंह गुर्जर ने मेरे पर कुछ आरोप लगाये, जिनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। जो भ्रष्टाचार के पुतले स्वयं हैं जिन्होंने सोसाइटी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया और मैंने इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की है, वह आज मेरे पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जो साहूकार को डांटने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के साथ हुई बात की मेरे पास टेप्स हैं, मैं आपको चैम्बर में बुलाकर सुनाना चाहूंगा कि इन्होंने कितने सौदों में पैसे खाने की बातें की हैं, पैसे लिये हैं, पैसे का सौदा किया है जिसकी मेरे पास टेप है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इनको दर्द है, इनका पेट किस जगह से दुख रहा है और यह बता कहां रहे हैं। पीपलीया फैक्टरी से पैसे खाकर, जाकर मजदूरों को डराने लगे, मजदूरों ने इनको पीट दिया इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। यह मेरे को खींचना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात होगी। सोसाइटी का जब पूर्व में रजिस्ट्रेशन हुआ था उस वक्त गणपतसिंह और भागीरथसिंह ने इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया और सोसायटी बनाई और सोसायटी बनाकर गणपतसिंह ने कई लोगों को पट्टे दे दिये और उनके पैसे ले लिये जिसका इसकी प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों में आपस में विवाद खड़ा हुआ। सहकारिता विभाग को उसकी शिकायत की गई और विभाग ने इस बोर्ड को भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर लगा था उसने चूंकि जो गणपतसिंह ने पट्टे दिये थे और जिनके पैसे भी लिए थे उसके बाद सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया था और कार्यकारिणी थी। बाद में गणपतसिंह पर प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा कार्यवाही की गई थी। इसलिए दामोदर द्वारा इस कार्यवाही को निरस्त किया गया। दामोदर जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने पुनः उस सोसाइटी के पट्टे जारी किये। पहले तो गणपतसिंह के वक्त में 54 पट्टे दिये गए थे और दामोदर ने जयपुर यू. आई. टी. से वापिस इसका नक्शा पास कराया और 84 पट्टे प्लाट काटे गये और 84 के लोगों को जो दूसरे थे, उनको पट्टे दे दिये। सारा अलाटमेंट कर दिया। हालांकि दामोदर लगा था कि वह दो महीने में सोसाइटी के चुनाव करा देगा और चुनाव के बाद में जो वापिस प्रबन्ध कार्यकारिणी आयेगी वह इन पट्टों

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

का वितरण करेगी. लेकिन दामोदर ने पांच-छः साल तक इस सोसाइटी के चुनाव नहीं कराये। दामोदर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों में और आई. ए. एस., आई. पी. एस. लोगों से मिलकर इस सोसाइटी के पट्टे दे दिये। सहकारिता विभाग के एडीशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और आई. ए. एस. अधिकारियों ने उन लोगों ने इस सोसाइटी के दामोदर से मिलकर पट्टे ले लिये और बहुत पुराने पट्टे की जो कार्यवाही थी वह सब निरस्त कर दी। उसके बाद सोनी इसका एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। सोनी ने जो दामोदर के द्वारा कार्यवाही की गई थी उस कार्यवाही को निरस्त करवा दिया। इसलिए कि दामोदर डेढ़ दो महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगा था उसको पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं था, इस आधार पर उस कार्यवाही को पुनः निरस्त किया गया। उसके बाद लादूराम रवाला को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। लादूराम को भी चुनाव के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, उसने भी चुनाव नहीं कराए और उसने भी कुछ अलाटमेंट जारी किये। इस तरह से तीन-तीन दफा अवैधानिक ढंग से सोसाइटी में ऐसी बातें होती रहीं। उसके बाद इस सोसाइटी के चुनाव हुए हमारे पास कई लोग आए उन्होंने यह शिकायतें की कि हमारे मौके पर कब्जे हैं उनको आई. ए. एस., आई. पी. एस. और बड़े अधिकारी मिलकर हमको हटा रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे पास में पांच-सात साल से कब्जे हैं हमें यह जमीन नियमन की जाये। उसके चुनाव हुए और मैं भी सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार था और जीता। और ये भैरूंसिंह जी भी माननीय सदस्य ये उसके सदस्य हैं, ये भी चुनाव में आए गोकुलचन्द शर्मा वह भी आ गए और दूसरे भी तीन-चार सदस्य बनकर आये। उसके बाद प्रबन्ध कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और प्रबन्ध कारिणी में यह तय किया गया कि जो लोग वास्तव में पांच-सात साल से मौके पर काबिज हैं उन लोगों को बिना पैसा लिये नियमन कर दिया जायेगा और वह जमीन जिनका मौके पर कब्जा है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आरोपों का उत्तर दें, संक्षेप में।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय जो आरोप लगाये हैं, उनका स्पष्टीकरण किये बिना खुलासा नहीं होगा। इसलिए मुझे थोड़ा समय देना होगा। बार-बार प्रबन्ध कार्यकारिणी ने रिजोलूशन लिया जिसमें माननीय सदस्य भैरूंसिंह जी भी थे, जितनी भी इसकी मीटिंगें हुई हैं सब में इनके दस्तखत हैं। और उसके आधार पर ही मैंने कोई कार्यवाही की है। प्रबन्ध कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि जिनका एजेशन मौके पर है उन लोगों को निशुल्क यह जमीन नियमित कर दी जाय। क्योंकि उन्होंने पैसे चाहे दामोदर के जरिये दे दिये, चाहे गणपतसिंह के जरिये पैसे दे दिये उनको दिये जाये। समाननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसमें जो सी डी. देवल आर. ए. एस. अधिकारी का लड़का है वह और यह दोनों मिलकर उस जमीन को वेचना चाहते हैं और उससे हजारों रुपये कमाना चाहते हैं। और मैं इसमें इनका भागीदार नहीं हो रहा हूं इसलिए आज इनको यह

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

तकलीफ है। मैंने जो भी किसी को पट्टे दिये हैं एक पैसा भी किसी से नहीं लिया है। मैंने केवल उन्हीं लोगों को जो प्रबन्ध कार्यकारिणी ने रेगुलेशन किया है। नियमन किया है, उन लोगों को ये पट्टे दिये गए हैं। उनसे भी एक पैसा जमा नहीं कराया गया क्योंकि उनका पैसा पहले जमा था और उन लोगों के वहां मौके पर कब्जे थे। जिनके जमीन पर कब्जे नहीं थे उनको पट्टे नहीं दिये गए हैं। मैंने कहा कि ग्राम सभा बुलाई जाये और ग्राम सभा के द्वारा नियमन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ इनको यह है कि इस जमीन को ये और सी. डी. देवल अधिकारी मिलकर उस जमीन को बेचना चाहते हैं, लाखो रुपया हड़पना चाहते हैं और इसमें हम इनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इनको यह तकलीफ हो रही है एक भी माननीय सदस्य यह बता दे कि एक पैसा किसी से लिया हो तो यह बता सकते हैं। सोसाइटी में जो पैसा जमा था वह भी इनके दस्तखतों से इनके प्रस्ताव से पैसा उठाया गया, वहां लेबल किया गया, उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। मेम्बरों ने किया, पैसा उठाया........

श्री अध्यक्ष : आपका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक है, खत्म कीजिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि इनको तकलीफ किस चीज की है? इनको तकलीफ यह है अध्यक्ष महोदय, कि इन्होंने जो पैसा खाने के सौदे किये हैं उन पैसों की मैंने इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी को शिकायतें की हैं इसकी इनको जलन हो रही है। इनके ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ने जो शिकायतें की हैं, और मैंने भी इनकी हाईकमान को, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शिकायत की है और इन पर यह चार्ज लगाया है पंचायत समिति, ब्लाक कांग्रेस... ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

अंकित नहीं हो।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर प्लीज........

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें........

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर अंकित नहीं किया जा रहा है।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 256

(256)

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा ब्योरे में नहीं जाऊंगा ....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। या तो इसके लिए समय निकाला जा सकता है, दोनों ही माननीय सदस्य आरोप प्रत्यारोप आसन को लिखकर दे दें ताकि वह प्रकरण कहीं न कहीं समाप्त हो।........

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आरोप नहीं लगाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : ताकि मैं आपके स्पष्टीकरण से उस सीमा से बाहर आपको नहीं जाने दूंगा। आर्डर प्लीज। आप स्पष्टीकरण देंगे उसमें तीन आप और आरोप लगा देंगे, प्रत्युत्तर में और आरोप लगा देंगे। इस तरह का यह सिलसिला चल नहीं सकता। केवल यदि आरोप लगाये जाते हैं तो स्पष्टीकरण के तौर पर संक्षेप में बात कही जाती है। उस पर कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए माननीय सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अभी शेष हैं इसलिए इस मांग पर तो चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मैटर है। आज इस सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य एक दूसरे पर इस प्रकार से गम्भीर आरोप लगायें और मुख्य मंत्री जी मौन बैठे रहें तो क्या सदन के नेता के नाते और कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस सदन को वास्तविकता की जानकारी दें। माननीय सदस्य ने इनके ऊपर आरोप लगाये, इन्होंने उन पर लगाये और मुख्य मंत्री जी मौन बैठे हैं। क्या मुख्य मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? इस सदन के नेता के नाते आपकी जिम्मेदारी है मुख्य मंत्री के नाते आपकी जिम्मेदारी है। क्या इस सम्बन्ध में आप कुछ कह सकते हैं इस हाउस को? या यह हाउस मखौल है। इस हाउस को आप मखौल बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण करते रहें और सदन के नेता मौन बैठे रहेंमैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में वह वक्तव्य दें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है और निश्चित रूप से दोनों सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसके बारे में अलग से जानकारी करके उस पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन आप मुझे मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी मत बताइये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

एक माननीय सदस्य द्वारा दूसरे माननीय सदस्य पर लगाये गये गम्भीर आरोप पर सरकार से जानकारी

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा नम्रता

Page No. 257

(257)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से। यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक सदस्य ने आरोप लगाये इनके ऊपर बलात्कार के। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज से दस दिन पहले आरोप लगया आपने इस सदन में कोई जानकारी दी? क्या बलात्कार का मामला, मैंने नहीं लगाया माननीय शिवदानसिंह जी ने मैरूसिंह जी के ऊपर आरोप लगाया और लगाकर सीधे कहा कि इन्होंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। मुख्य मन्त्री जी क्यों मौन हैं? अगर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचे हुए हैं तो अब तक आपको इस सदन में जानकारी देनी चाहिए थी कि माननीय शिवदानसिंह जी ने जो आरोप लगाया वह कहां तक सही है। अभी इन्होंने जो आरोप लगाये उस संबंध में भी आप को जानकारी हाऊस को देनी चाहिए थी। आप को कांग्रेस पार्टी के लोग ही इस हाउस का सारा डीकोरम बिगाड़ दें, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ऐसी स्थिति आप पैदा क्यों करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि दोनों दोषी हैं तो दोनों को सजा मिले और, एक दोषी है तो एक को सजा मिले और अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया कि माननीय सदस्य आरोप प्रत्यारोप जो भी लगायें वह अध्यक्ष महोदय को दे दें ताकि जांच करवाई जा सके। मैं ऐसा समझता हूं कि इस संबंध में जांच में नहीं पड़ सकते अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में जांच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अध्यक्ष जांच करवाने की आवश्यकता समझते हैं....

श्री अध्यक्ष : जांच का तो मैंने जिक्र नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो अध्यक्ष महोदय, फिर काहे को देंगे आपको।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह बात कही है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इसका कोई अन्त नहीं होता इसलिए मैंने कहा कि जो एक दूसरे के खिलाफ जो शिकायतें हैं मुझे लिखकर दे दें। उसके बाद में स्पष्टीकरण के तौर पर यदि मैं आवश्यक समझूंगा, आपको अवसर दे दूंगा। और जो आपने लिखकर दिया है उसकी सीमा से बाहर में उनमें से किसी माननीय सदस्य को जाने नहीं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बोलने का सवाल है। आप बोलने को रेगुलेट करना चाहते हैं कि मैम्बर्स बोलें नहीं और बोलना चाहें तो आपको लिखकर दें। उसी सीमा के अन्दर आप बोलने कि अनुमति देंगे। लेकिन इस मामले का निपटारा तो नहीं हुआ ना, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप उसको और तरह ले जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहता हू कि पिछले बीस दिनों से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाये जाते रहे हैं। अभी सुखलाल सेंगचा नहीं हैं उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाये, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाये। पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कि यह सदन के प्रांगण को आप बनाना क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस सदन की गरिमा को खतम करते रहें? क्या आप यह चाहते हैं? क्या मुख्य मन्त्री जी इस मसले पर बोल नहीं सकते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि पिछले बीस दिनों में जो आरोप लगाये उनका आप क्या स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। क्या मैम्बर्स को एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए आप प्रोवोक कर रहे हैं? क्योंकि उनका निपटारा नहीं होता इसलिए मैम्बर्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उन्होंने मुख्य मन्त्री पर तो नहीं लगाये। उन्होंने आपस में एक दूसरे पर लगाये हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये जरा आप तसल्ली रखिये।

यह सदन है कोई पार्टी नहीं है। इस

(व्यवधान)

सदन के अध्यक्ष महोदय, रूल्स बने हुए हैं। आपने आरोप और प्रत्यारोप लगाने के नियम बना रखे हैं मैम्बर्स नोटिस देते हैं। आखिर आरोप प्रत्यारोप की कोई गरिमा होती है कोई महत्व होता है और मुझे इस बात की चिन्ता है कि सरकारी पक्ष इस मसले में मौन रह रहा है और मौन का सीधा कारण है कि रिपीटेडली इस प्रकार के चार्जेज लगाये जा रहे हैं। सरकार पहले ही दिन खड़ी हो जाती तो न भैरूंसिंह जी चार्ज लगाते. न सेणचा जी चार्ज लगाते, न शिवदानसिंह जी आरोप लगाते यह सरकार मौन रहकर माननीय सदस्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि सदन के प्रांगण में एक दूसरे पर आरोप लगायें और इस प्रकार की जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री जी की है, मुख्य मन्त्री जी ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं किया और सदन की गरिमा को गिराया है।

श्री अध्यक्ष : इजाजत दूंगा उस समय। माननीय सदस्य बैठ जायें।

प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकार की और मुख्य मन्त्री जी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस तरह का व्यवहार सत्तारूढ़ दल के सदस्य करते हैं जिसमें सदन की गरिमा गिरती है। आप स्वयं बहुत ही अनुभवी सांसद हैं, विधायक हैं और आप तो इस सदन के जो प्रक्रिया के नियम हैं उनको जानते हैं। कोई भी माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर बात कहता है तो उनकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होता है और यदि उसका प्रदर्शन किसी तरह से भद्दा है अथवा असंसदीय है तो उसमें मैं समझता हूं कि सत्तापक्ष और उसका अनुशासन वह एक सदन के बाहर की चीज है लेकिन अगर उन्होंने अनुशासन भंग किया है, अपनी मर्यादायें तोड़ी हैं, अवमानना कि है तो उस संबंध में उचित कार्यवाही यह होगी कि कोई भी माननीय सदस्य उनके खिलाफ जो अपने नियमों के अन्दर हैं उसमें कार्यवाही करें। यदि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायें। इसके सिवाय मैं समझता हूं कि कोई न कोई सरकार के पास इलाज है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास नहीं है। सरकार के पास तो है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास तो यह है कि दल में अनुशासन की कार्यवाही करें। किसी दल के सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासन कि कार्यवाही करें, नहीं करें, वह उनका आन्तरिक मामला है लेकिन उससे भी ज्यादा गम्भीर स्थिति तब बनती है कि जब इस सदन के अन्दर इस तरह का व्यवहार या

(श्री अध्यक्ष)

आचरण किया जाये जो अपनी मर्यादाओं का हनन करता है तो इस पर जो कुछ हुआ है, इस सत्र के अन्दर अच्छा नहीं हुआ और उस संबंध में ठंडे दिल से विचार कर लीजिए। अभी दो दिन का समय है। यदि प्रस्ताव आयेगा तो आसन उस पर विचार करेगा। मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन कर सकता हूं और इस प्रकरण को आज यहीं समाप्त कर दिया जाता है और अपना जो आज का कार्य सूची का कार्य है उसको हाथ में लिया जायेगा। मांग संख्या 27 के ऊपर चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री यदुनाथसिंह : एक प्रश्न रह गया, अध्यक्ष महोदय, इसमें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, एक बात समझ लीजिए यह संसदीय प्रणाली है, एक तरह से पंचायत प्रणाली नहीं है। सरकार है अपना लेखा जोखा सदन के समक्ष रख देती है। यहां पर खुली कार्यवाही होती है। पंचायत में आपने देखा होगा कि किसी गांव की पंचायत है। या पुरानी अपनी परम्परागत पचायत हो तो उसमें यह जरूरी नहीं होता है कि सब घर के बोलेगें और सभी विषयों पर बोलेंगे। 1-2-4 आदमी क्योंकि विषय वह खुले हैं सामने रखे गये बजट के प्रस्तावों के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है, महीने भर से यही कार्य चल रहा है इसलिए फिर उसको बहुत ही गहराई में देखें और प्रत्येक माननीय सदस्य उसके लिए अवसर प्राप्त करना चाहें तो इस ढंग से कोई पंचायत, या आप जानते हो कि यह घर-घर की पंचायती होगी तो यह घर-घर की पंचायती यह चीजें चल नहीं सकतीं। कल से इस मांग पर विचार कर रहे थे और आज भी मन्त्री जी ने करीब डेढ़, पौने दो घण्टे सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा, हो सकता है कि कई शंकायें माननीय सदस्यों को हों लेकिन हमारे यहां जो चर्चा है वह समय सीमाओं में बन्धी हुई होती है बहुत सी शंकायें रह जाती है तो हमारे पास और बहुत से माध्यम हैं जिनसे हम उसका निवारण कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, हो सकता है कि आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न हों लेकिन बहुत समय हो गया, अभी तीन मन्त्रियों को और जवाब देना है। इसलिए कृपया माननीय इस प्रकरण को....

श्री यदुनाथसिंह : मेरी प्राब्लम दूसरी तरह की है, टच ही नहीं की। यह रेगिस्तान के बारे में बोलते रहे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत देर हो गई। मैं जानता हूं, कि राजस्थान में 5 तरह के क्षेत्र हैं नहरी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर बहुत ही अधिक उद्योग धन्धे लगे हुए हैं इस तरह के क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र है, जहां पर पानी है। कहीं कड़वा पानी है, कई तरह की समस्यायें हैं। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि जनतंत्रवाद है, यह तो लम्बी प्रक्रिया है और कई तरह के माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं, उन से हमारी जो भी शंकायें हों, जो हमारी समस्यायें हों उसको हम सरकार के समक्ष रख सकते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। उसमें रचनात्मक सुझाव भी दे सकते हैं। तो मैं यह नहीं

(श्री अध्यक्ष)

कहता कि आपकी सभी समस्याओं पर चर्चा हो गई। लेकिन यह बजट के प्रस्ताव सामने आये, उसमें प्रत्येक दल ने अपने अपने नाम अध्यक्ष को दे दिये, जिन माननीय सदस्यों को अवसर देना मैंने सीमित समय में उचित समझा, उनको अवसर दे दिया। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा काफी समय हो गया है। अब इस मांग पर चर्चा समाप्त की जाये और अब मैं मंत्री जी जो सबसे पहले बोलना चाहें, आज जिन मांगों पर विचार हुआ है, वे अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सूक्ष्म मेरा है, अध्यक्ष महोदय,

इसलिये अध्यक्ष महोदय,....

स्पष्टीकरण

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर का स्पष्टीकरण

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं अवसर नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। अब मैं आपको कल अवसर दे सकता हूं, कार्यवाही देखकर के उसमें कौन सी बात आई है....

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर : आप मेरा पाइंट आफ आर्डर सुन लें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर।

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यही था कि आपने इन माननीय सदस्य का अपना स्पष्टीकरण जो आरोप मैंने लगाये उसको देने का प्रावधान है। उन्होंने इसके अलावा जो बातें कहीं, मेरा आपसे इतना ही है, मैं पूर्व में भी आपको त्याग-पत्र लिखकर दे चुका हूं अगर वे टेप....

श्री अध्यक्ष : त्याग पत्र की बात तो आप मेरे सामने मत करिये। यह और नया विषय हो जायेगा इसलिये इन्होंने जो कुछ भी कहा है मैंने इजाजत दी थी स्पष्टीकरण देने की स्पष्टीकरण की सीमाओं में यदि इनका वक्तव्य नहीं आता है तो इन्होंने भी हमारे सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है। तो नियमों को पढ़ें लिखें, यह मेरा उद्देश्य है, पढ़कर के कल कार्यवाही....

श्री भैंरूंसिंह गुर्जर : एक मिनिट मे निवेदन कर रहा हूं, यदि इनके पास कोई टेप या, कोई डाकूमेंट या, किसी प्रकार का प्रूफ है, तो वह आपको दें, मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है....

(व्यवधान)

इन्दिरा जी और राजीव जी को भेजने की बनिस्वत यह अगर मुख्य मन्त्री को देते, मैं एक माननीय सदस्य हूं जो मुख्य मन्त्री जी के पास खुद गया हूं और मैंने निवेदन किया आरोपों की जांच करायी है, या नहीं और जांच करा कर आप सदन को अवगत करो तो स्थिति का पता चले और मैंने जो आरोप लगाये वह माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी एज इट इज दे रहा रहा हूं उनमें फैक्ट्स हैं, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप इस प्रकरण की आडिट करालें, जांच करालें और, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोई भी कार्यवाही हो तो मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं इस विधान सभा का

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)

सदस्य रहूं, नहीं तो माननीय सदस्य भी विघान सभा में त्यागपत्र लिखकर दें कि अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वे त्यागपत्र देंगे....

श्री अध्यक्ष : बहुत थोड़ा समय रह गया इसलिए हम तो यह चाहते हैं....

श्री भैरूंसिह गुर्जर : इसी के साथ मुख्य मन्त्री जी को यह कागजात पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष :.... कि सभी माननीय सदस्य पूरे पांच साल तक रहें यहां पर। प्रद्युम्नसिंह।

मांग संख्या 36, 41 व 49 पर विचार

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-49 के सम्बन्ध में जिसका कि संबंध सिर्फ एन्टरटेनमेंट टैक्स के डिवैल्यूशन में है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में मुझे ऐसा ध्यान था कि इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं होगी और सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर ही चर्चा होगी। लेकिन चूंकि आपकी अनुमति से कुछ माननीय सदस्यों ने जिनकी संख्या करीबन 10 है, इस मुद्दे के अलावा सम्बन्धित नगर पालिकाओं के संबंध में कुछ चर्चा की है, अध्यक्ष महोदय। मैं अपना उत्तर प्रारम्भ करूं उसके पूर्व, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

(9.15 रात्री)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पीठासीन) कि राजस्थान के अन्दर अधिकतर नगरपालिकाओं की माली स्थिति अच्छी नहीं है और माली स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अक्सर हर नगर पालिका क्षेत्र से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है कि कहीं पर नालियों का निर्माण नही हुआ, सड़कों की दुर्दशा है, रोशनी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई इत्यादि की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस प्रकार की शिकायतें विभिन्न नगर पालिकाओं से आती रहती हैं और उसी संदर्भ में कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने आज यहां पर दिये, जिनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे बड़ा सवाल जयपुर के बारे में यहां पर जयपुर ग्रामीण से आने वाली सदस्या ने इस प्रकार का चित्र सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जैसे कि जयपुर के अन्दर सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रोशनी की व्यवस्था यहां कौलेप्स हो चुकी है, गन्दगी का यहां साम्राज्य है। इस प्रकार का चित्रण यहां उन्होंने यहां पर पेश किया है, सदन के समक्ष, उसके बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन खास तौर से करना चाहूंगा। पांच मिनिट, तो नहीं लगेगा माननीय सभापति महोदय, कुछ ज्यादा ही समय लगने की संभावना है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें जिससे कम समय में ही मंत्री जी उत्तर दें सकें।

एक माननीय सदस्य : यह विषय ही पलट रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो मैं इतना ही कह दूं, कि जो उन्होंने जो आरोप लगाये हैं वे असत्य हैं। जयपुर के अन्दर सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहां पर 5।। हजार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस साल हमने बिजली के ऊपर करीब 12।। लाख रुपया खर्च किया अगले साल में 15 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं सफाई व्यवस्था के ऊपर 48 लाख रुपये के नये उपकरण खरीदने जा रहे हैं जिसके अन्दर कि एक मैकेनिकल प्रोसेस से सफाई शुरू होगी, वह उपकरण लेने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं जयपुर के बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा। और उन्होंने 6000 नालियों के बारे में करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने गलियों के बारे में यहां पर इस प्रकार से से जो गलियां बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं जिनकी सफाई अक्सर देरी से शुरू होती है, प्रशासन ने पूर्व में भी इस बात के आदेश दिये हैं। पहले हमेशा यह होता था, सभापति महोदय, कि इन नालियों की सफाई अभियान के रूप में तीन महीने, चार महीने, 6 महीने बाद या साल भर बाद में की जाती थी। आज ही मैंने इस बात के आदेश दिये हैं कि हमको और भी यदि कुछ सफाई मजदूर इस कार्य के लिए रखने पड़ें तो रखें, लेकिन इन गलियों की सफाई की व्यवस्था हमको निश्चित रूप से नियमित तरीके से करनी चाहिये। अब मैं आपके समक्ष यहां पर जो कुछ हमारी उपलब्धियां हैं मामलों में खास तौर से बहुत अच्छी उपलब्धि रही है, सभापति महोदय, एक तो एनवायरमेंट इम्पूवमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान के अन्दर पिछले साल के अन्दर बहुत अच्छा काम हुआ। राज्य सरकार ने अपने बजट के अन्दर इस कार्य के लिये 55 हजार रुपया निश्चित किया था और 47 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन नगरपालिकाओं और यू. आई. टी. ने अपने साधनों से इस संख्या को बढ़ाकर 88 हजार कर दिया, सभापति महोदय....

श्री यदुनाथसिंह : किसी योजना का लाभ, समय में नही आया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं.......

(व्यवधान)

मैं समझता था आपने पढ़ा होगा इसको, हमारा प्रगति विवरण है लेकिन बदकिस्मति है कि हमने आपको भेजा और इसको पढ़ने की चेष्टा नहीं की।

श्री यदुनाथ सिंह : एक रात पहले भेजते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो बहुत पहले वितरण हो चुका है, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : चलिये, अब पढ़ लेंगे आप तो बहुत संक्षेप में बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : संक्षेप में ? इतना महत्वपूर्ण है राजस्थान के अन्दर हुआ, उस महत्वपूर्ण कार्य के बारे में समय के अभाव में मैं प्रकाश नहीं डालूं यह भी उचित नहीं रहेगा, सभापति महोदय। यह राजस्थान की उपलब्धि अपने आप में देश के अन्दर सबसे अच्छी उपलब्धि रही है, इसलिए मैं इस कार्य के अन्दर निश्चित रूप से इस बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : डालिये।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, ये तो अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। यहां पर अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

यह इनकी पुरानी आदत पड़ी हुई है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इशारे में क्या कह रहे हैं.........।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता आप कैसी बात कह रही हैं माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

अब माननीय सभापति महोदय, एनवाइरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो हमारी कच्ची और गन्दी बस्तियां हैं, उनके अन्दर पीने का पानी, बिजली और नालियों की व्यवस्था की जाती है और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक बस्ती के अन्दर हमको कितने परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इन चारों चीजों का लाभ एक साथ पहुंचाया जाता है तभी इ. आई. पी. प्रोग्राम की प्रगति पूरी मानी जाती है। ये इसके नार्म्स हैं। ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इस कार्य के तहत जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, इसको मैं दोहराना तो नहीं चाहता पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। 55 लाख रुपये का प्रावधान राज्य सरकार ने अपने बजट के अन्दर किया था और उसके तहत 47 हजार लोगों को इसमे हमको लाभ पहुंचाना था इस योजना के तहत। तो मैंने इस बात के लिये नगर परिषदों से, नगरपालिकाओं से और यू. आई. टीज. से कहा कि आप इस 55 लाख रुपये के आवंटन पर ही ध्यान न दें। आपको भी अपने साधनों से इस प्रोग्राम के तहत कुछ खर्चा जो भी आज कर सकें आपको निश्चित रूप से खर्चा करना है और फरवरी तक हमने इस योजना के तहत 88 हजार लोगों को लाभान्वित किया है, श्रीमन्, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी उपलब्धि को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने इस कार्य के हेतु हमको 31 मार्च जो पिछले साल समाप्त हुई, 1 करोड़ 35 लाख रुपये का आवंटन किया। उस एक करोड़ 35 लाख रुपये के आवंटन हेतु जिन नगरों के अन्दर हमारी यह योजना चल रही थी, उन नगरों के अतिरिक्त हमने 76 नये नगरों के अन्दर जो हमारी कच्ची और गन्दी बस्तियां हैं, उसके अन्दर इस कार्य को अपने हाथ में लिया और हमने इस बात के लिये हमने निर्देश दिये, इस बात की ओर इंगित किया कि नगर परिषद और नगरपालिका की इतने पर इतने लोगों को आपको लाभान्वित करना है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, माननीय सभापति महोदय, यह मैं आपके मार्फत सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

दूसरे, यहां पर प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत जो हमारी उपलब्धि हुई उसके बारे में यहां पर.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो लिखी हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह लिखी जरूर है लेकिन उसको दोहराने में क्या दिक्कत आ रही है। आपको तकलीफ क्या हो रही है.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांति बनाये रखें। आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां सुनना क्यों नहीं चाहते आप। माननीय सभापति महोदय, यहां पर मजाक उड़ाया गया प्रशासन शहरों की ओर का। कहा गया प्रशासन पहले गांवों की ओर गया, अब शहरों की ओर गया और अब किधर गया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्मशान की तरफ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्मशान की ओर तो अब मैं क्या कहूं। वह तो मुझको और आपको दोनों को चलना पड़ेगा। मैं पहले जाऊंगा और आप पीछे से आयेंगे।

माननीय सभापति महोदय, तो हमारी यह उपलब्धि थी। अगर आप इसको इम्पारशियल तरीके से बिल्कुल इस प्रकार से सोचें, मैं यह मानता हूं कि समस्यायें बहुत रही हैं बैकलाग बहुत बड़ा था। अगर आपने इसके अन्दर 70%, 80 परसेन्ट अचीव कर लिया तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग यह कहते हैं दो-चार पोलिटिकल इनसीडेन्ट्स गिना दिये कि फलां आदमी डोल रहा था और वहां मारा मारा डोल रहा था लेकिन जो उपलब्धि हुई है. जो कार्य हुए हैं उसके बारे में यहां कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जनता के बीच में विरोध पक्ष बात का भ्रम फैलाना चाहता है कि प्रशासन शहरों की ओर अभियान के दौरान यह अभियान फेल हुआ और जनता को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं आपके समक्ष यह प्रशासन शहरों की ओर जो अभियान है और जो इसके मोटे आंकड़े अन्दर हैं इसके मंत्री मण्डल के निश्चय के अनुसार आर्डर इनकौंसिल हुए जिसके अन्दर इस बात के लिये पाबन्द किया गया कि पी. एच. ई. डी. डिपार्टमेंट को. पी. डब्लू. डी. डिपार्टमेंट को और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि वे भी अपना इसके अन्दर कन्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि अधिकतर नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये उनको भी इसके अन्दर योगदान करना पड़ेगा। उसके बावजूद नगरपालिका के सीमित साधन होते हुए भी हमने नगरपालिकाओं से कहा कि जो भी थोड़ा बहुत विकास का कार्य आप हाथ में ले सकते हैं—नालियों का निर्माण, गलियों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और जो पुराने प्रकरण पड़े हुए हैं जिसके अन्दर आज दिन तक फैसले नहीं हुए हैं वर्षों से लोगों के प्रकरण पड़े हुए हैं उन प्रकरणों को निपटाया जाय। सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में भी एक नगरपालिका आती है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सब काम नहीं हुए होंगे, विकास के सारे काम पूरे नहीं हुए होंगे लेकिन बहुत से जहां जिन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अच्छी नहीं थी, उन नगरपालिकाओं ने कम से कम जो पुराने प्रकरण उनके यहां पड़े हुए थे, उनका निश्चित रूप से निस्तारण किया। इसके साथ साथ पी. एच. ई. डी. ने 485 हैण्ड पंप नगरपालिका क्षेत्र में खुदवाये। हैण्ड पंपों के साथ साथ उन्होंने नई पाइप पी. एच. ई. डी. के लोगों ने डलवाई, नगरपालिकों ने डलवाई, उसके अलावा पी. एच. ई. डी. के लोगों ने इस विभाग ने भी नगरपालिका क्षेत्र में नई लाइनें डलवाई।

मैं अब आपके समक्ष इसी प्रकार बिजली के खम्भे, नई लाइनें डालना, पी. डब्लू. डी. की सड़कें जो नगरपालिका क्षेत्र में थी उनकी मरम्मत का काम हाथ में लिया। मैं अब आपके समक्ष संक्षिप्त में चार लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि क्या हमारी मोटी उपलब्धियां इस अवधि के दौरान रहीं जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिकाओं में विचाराधीन प्रकरणों में और समस्याओं का मौके पर निष्पादन हेतु दिनांक 15.9.83 से 31 3.83 तक प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाया गया। अब इसके अन्दर इस अभियान में राजकीय नगरपालिकाओं द्वारा 40 वर्ष पुराने स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत, सभापति महोदय, कोई लाभ ही नहीं उठा रहा था। आज भी शहरों में बहुत से ऐसे निवासी निवास करते हैं जिनके 40-50, 60-60 साल से कब्जे हैं लेकिन उनके पास पट्टे नहीं हैं। पुरानी रियासत के समय से वे काबिज हैं लेकिन उनके पास पट्टे नहीं होने की वजह से उनको कई प्रकार की कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वित्तीय सुविधा जो उनको बैंक इत्यादि से मिल सकती है, उसका भी लाभ वे नहीं उठा पाते इसलिये प्रशासन ने अब यह तय किया पूर्व में जो एक्ट था केवल हरिजन परिवारों के लिये था कि 120 गज तक की जमीन पर कोई 40 वर्ष पुराने हरिजन बैठे हैं तो एक रुपये के अन्दर पट्टा उनको वितरित किया जायेगा इसके अलावा हमने नया निर्णय लिया कि हरिजनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए है, आज भी वहां बसे हुए है जो वहां 50 सालों से बैठे थे लेकिन उनके पास पट्टे नहीं हैं तो हमने एक निर्देश दिया कि जो 40 साल पुराने बसे हुए हैं और जहां तक सबूत का सवाल था, उसको भी हमने सरल कर दिया, हमने सबूत की प्रक्रिया एवीडेन्स की प्रक्रिया उनको 5) रुपये का पट्टा देकर उनको नियमित कर दिया जाय और उनको पांच रुपये की फीस लेकर पट्टा दे दिया इससे हमारे राजस्थान के अन्दर स्टेट ग्रांट्स एक्ट के तहत 14296 लोगों को हमने पट्टे वितरित किये राजस्थान के अन्दर, इसके अलावा 2125! भू खण्ड जिनके पुराने कब्जे थे उनका नियमन किया हमने। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने 1 लाख 50 हजार 781 मीटर लम्बी गलियां जो बनी हुई हैं, उनका निर्माण किया, 1 लाख 52 हजार 240 मीटर नई नालियों का निर्माण कराया और भवन निर्माण आदि के 43807 प्रकरण हमने पुराने इस अभियान के तहत निपटाये। यह मैं आपके मार्फत इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं। तो यहां पर जो एक प्रकार से इसके बारे में कहा गया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ लोगों की मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये कत्तई तैयार नहीं हूं। अलबत्ता यह जरूर हो सकता है कि जो लोगों की आकांक्षायें थीं और लोग ऐसा समझ रहे थे कि इस अभियान के दौरान हमारे जितने प्रकरण हैं और जितनी समस्यायें है या जितना निर्माण कार्य होना है पूरा हो जायेगा धन के अभाव में वह पूरा नहीं हो पाया लेकिन निश्चित रूप से वर्षों पुराने प्रकरण निपटे हैं और उसमें विकास का कार्य हमने हाथ में लिया है। श्रीमन्, क्योंकि मैंने पूर्व में.......

श्री यदुनाथ सिंह : पांच मिनिट कही थी आपने।

श्री हंसराज शर्मा : ××× आंकड़े हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ×××

(व्यवधान)

यहां पर एक बात यह बताई गई जयपुर के बारे में कि जयपुर के अन्दर कच्ची बस्तियों के अन्दर हालांकि यू. आई. टी. का विषय है, नगरपालिका क्षेत्र का कुछ कहा नहीं है, डिमाण्ड में भी नहीं है.......।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर जवाब क्यों दे रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रेकार्ड पर आ गया है। देखिये कोई चीज रेकार्ड पर आ जाय तो रिकार्ड पर स्टेट करना ठीक रहता है.......

श्री यदुनाथ सिंह : मैं आपकी डिमांड के बजाय इरीगेशन पर भी बोलने लगूं तो आप उसका भी उत्तर देंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और मैं सदन की भावनाओं का आदर करते हुए श्रीमन्, क्योंकि साढ़े नौ बज रहे हैं, सदन की भावनाओं का आदर करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चौकड़ी के अन्दर है नगर परिषद् सीमा में है। आप समझे नहीं तो मैं क्या करूं मैंने तो जयपुर के अन्दर की बात कही थी, सभापति महोदय, मुझे कुछ प्रश्न करने हैं।

सुश्री सभापति : माननीय सदस्य; विराजें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, हमने सफेद हाथी के बारे में पूछा था मन्त्री महोदय ने कोई जवाब ही नहीं दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सफेद हाथी बहुत भाग्यवान होता है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इसकी ताईद करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें। मैं अवसर दे रहा हूं पूछने के लिए। श्री पटवा कृपया विराज जायें।

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No. 267

267

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय मंत्री महोदय ने यह रिप्लाई दिया, इस संबंध में मेरा तो एक ही प्रश्न है प्रशासन शहरों की ओर के बारे में उपलब्धि बतायी, मैं यह नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं हुई, उपलब्धियां हुई होंगी लेकिन आज भी कई तरह के मामले पेंडिंग हैं जो भीलवाड़ा में कई स्कूलों को जो प्लाट दिये गये हैं या इस तरह के दिये गये हैं, आज भी वह पेंडिंग हैं, एक तो उसके बारे में क्या रिप्लाई है। दूसरा यह कि मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसमें यह बात कही थी कि हरिजनों को जिन 7 परिवारों को सुभाषनगर में भूखण्ड दिये गये, पट्टे दिये गये उसके बारे में मैंने बात कही थी और आज दिन तक उनको पट्टे देने के बाद कब्जे नहीं दिये गये तो इसके बारे में उनका क्या उत्तर है।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय, जैसा कि आपने प्रशासन शहरों की ओर बताते हुए कहा कि आपने कई पट्टे दिये और मकानों के नियमन किये। क्या आप जानते हैं कि आमेर में जो लोग कम से कम 25–30 साल से वहां रह रहे हैं आप का प्रशासन शहरों की ओर जब चला तो उन लोगों से 15 से 25 रुपये तक प्रतिगज के हिसाब से नियमन हेतु मांगे गये। क्या आप नहीं समझते कि जो लोग रिक्शा चलाते हैं, थड़ी पान की लगाते हैं या और छोटे छोटे मजदूरी करते हैं उनके लिए यह दर बहुत ज्यादा है? क्या मंत्री महोदय इस पर रीकन्सीडर करेंगे कि छोटे छोटे लोग जो 30–30·······

श्री सभापति : प्रश्न आ गया आपका, विराजें। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अब इतना बड़ा राजस्थान और 7 प्लाट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। सम्भव नहीं है तो उसका जवाब आयेगा कैसे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं इसका उत्तर दे सकूं लेकिन फिर भी चूंकि सदन के अन्दर उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है मैं उनका आभारी हूं। मुझे विस्तार से इस बारे में लिख दें तो मैं इसकी जांच करूंगा·······

श्री सभापति : इसका उत्तर भिजवा दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उत्तर भिजवाऊंगा। जो भी कार्यवाही हो सकेगी वह करवाऊंगा। दूसरा आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने आमेर के बारे में कहा है, अब जमीन किस किस्म की है, 1971 की है, 1981 के अन्दर एक रेट निश्चित की गयी थी इन्कम के हिसाब से·······

एक माननीय सदस्य : नये रेट हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब लोग कोई नये बैठे हुए हैं वहां पर पुराने बैठे हुए हैं अब यह यहां पर एक डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमी जो है कि इण्डीविजुअल प्राब्लम से यह डिपार्टमेंट भरा पड़ा हुआ है। अब किसी व्यक्ति विशेष को या ग्रुप आफ पीपुल्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को, 10 आदमियों, 15 आदमियों की समस्या के बारे में यकायक यहां उत्तर देना, पालिसी के बारे में तो आप कह सकते हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्या ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं·········

श्री सभापति : सदैव करते रहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा मैंने पूर्व में कहा था, अगर मुझे लिखकर देंगी तो निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके उनकी समस्या का निदान करने की चेष्टा करूंगा।

श्री सभापति : विराजें, विराजें। मैं अवसर दे रहा हूं। मैं सब को तो अवसर नहीं दे पाऊंगा। सब माननीय सदस्य उठ खड़े हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने प्रशासन शहरों की ओर अभियान का तो यहां उल्लेख किया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज के जवाब में माननीय मंत्री महोदय नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों को क्या दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि आने वाले साल में राज्य सरकार नगरपालिकाओं और परिषदों के लिए कुछ नहीं कर रही है और यह साल उनके लिए ब्लेंक साल होगा।

श्री सभापति : इसीलिए तो डिमाण्ड रख रहे हैं वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया·······

श्री सभापति : कृपया विराजें अब।

(व्यवधान)

श्री सुंदरलाल पटवा : उसके मुकाबले में 17 लाख रुपये मिलते हैं, इसके ऊपर मन्त्री महोदय ऐसा उत्तर दे रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया·······

श्री सभापति : अब आप भाषण शुरू नहीं करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह जो यहां कहा है इन्होंने, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैंने अपना रिप्लाई प्रारम्भ करने से पूर्व ही निवेदन किया था कि यह रेगुलर डिमाण्ड नहीं है, न आपने कुछ कहा, रेगुलर डिमाण्ड नहीं है इसलिए यह एक सिर्फ छोटा सा पार्ट था उससे डिपेण्ड करता है, कनेक्टेड था उसके बाद अभी आपने समय 5 मिनट का दिया। आप....

श्री सभापति : बड़ा मुश्किल था। आपने भी सीमित कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप उसके बाद कह रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं हम तो यह करने जा रहे है कि आप देखते रहिये आपका डिब्बा साफ हो जायेगा अगली बार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप देखते रहिये आप इधर आकर बैठेंगे।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री महावीर प्रसाद : भीलवाड़ा को ये बंदर बांट रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री हंसराज।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, ये सवाल पूछेंगे। एक दो सवाल हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोला।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो बोले ही नहीं हैं। सवाल का क्या सवाल है।

हंसराज शर्मा : माननीय मन्त्री महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जैसा गत वर्ष भी आया था और इस साल भी, सवाई-माधोपुर में जो जयपुर उद्योग क्षेत्र है वहां जो 5000 आदमी रहते हैं, मतदाता....

श्री सभापति : कट मोशन दिया है क्या इस पर आपने ?

श्री हंसराज शर्मा : कट मोशन तो दिया है। वह नगरपालिका और पचायत समिति दोनों में ही हैं।

श्री सभापति : अगर कटमोशन नहीं है और डिबेट में नहीं आया है तो नया प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री हंसराज शर्मा : नहीं, कटमोशन तो दिया है। कटमोशन दिया है मैंने। उसमें राज्य सरकार से कहा है कि उसको नगर-पालिका में मिलाने का वहां के प्रशासन के द्वारा सभी लोगों ने लिखकर दिया था तो मिलाने कब जा रहे हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामसिंह विराजें मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जो राजस्थान के अन्दर चुंगी वसूल की जा रही है और जिससे आम जनता को असुविधा हो रही है। क्या राज्य सरकार ने एक लाख की आबादी से कम के जो छोटे शहर हैं और जगह जगह मेन रोड पर यह बैरियर्स लगा रखे हैं इनको आप कब तक बन्द करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : और लगायेंगे यह तो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज श्री तावड़। विराजें, मैं आपको अवसर दे दूंगा। मैं सब को तो अवसर नहीं दे पाऊंगा, मेरी मजबूरी है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों में जो मकान बनाये, उसके संबंध में मेरा मन्त्री जी से पूछना था कि 6000 में जो मकान मुरलीपुरा और विद्याधर नगर में....

श्री सभापति : आपने कट मोशन दिये है इस पर ?

श्री मेघराज तावड़ : जी हां।

श्री सभापति : दिया है तो उसका उत्तर आ जायेगा आपके पास में लिखित में आ जायेगा।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, यहां तो स्पष्ट हो जाये कि 6000 में मकान बनाकर के दिये हैं कि जिसकी कास्ट 17 हजार की जाकर 20 साल में पड़ती है क्या आपकी कोई नीति है, ब्याज किस हिसाब से लगायेंगे और 8000 का मकान 18000 में पड़ रहा है इसका उत्तर दे दें।

श्री सभापति : कटमोशन दिया है तो उत्तर आ जायेगा आपके पास में लिखित में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सभापति : उजला अरोड़ा। दे देंगे जवाब आ जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने दो नीतिगत प्रश्न कहे थे उसको तो मन्त्री महोदय ने उड़ा दिया कि नगर निगम यहां बनाया जाय क्योंकि नगरपरिषद और प्राधिकरण दोनों मिलकर शहर की पूरी सेव नहीं कर रहे हैं। उस प्रश्न को उड़ा गये। और दूसरा मैंने कहा था सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी चालू है जबकि आप वचनबद्ध हैं और यहां से समाप्त करेंगे, उसको उड़ा गये। फिर आपने यह कहा कि यहां पर सफाई बहुत अच्छी है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है....

श्री सभापति : माननीय सदस्या आप विराजें। भाषण नहीं प्रश्न पूछने की बात थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मन्त्री महोदय, क्या देखने की कृपा करेंगे गलियों में मेरे साथ चलकर, यह जो आपको आंकड़ें मिले हैं, सफाई की गयी यह बिल्कुल आपको गलत बताये गये हैं।

श्री सभापति : यह प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्या, प्रश्न नहीं है कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रशासक अगर काम करना चाहें और उनको कोई कोआपरेट नहीं करें, आप भी करना चाहें कोई कोआपरेट नहीं करें आपने अपनी नगरपरिषद की परिस्थितियों को देखा है? मन्त्री महोदय, आपने जयपुर को बिल्कुल नर्क बना रखा है। मैं फिर कहना चाहूंगी, और निमंत्रण देना चाहूंगी कि आप आइये जयपुर के अन्दर देखिये क्या स्थिति है, मेरे कहने से यकीन नहीं आयेगा।

श्री सभापति : इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे सकता। कृपया विराजें चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो आज चलकर देखिये, आप वहां रहते हैं आपका उत्तरदायित्व इसके प्रति भी है। आप लीपा पोती में जायेंगे तो ठीक नहीं है।

श्री सभापति : अब आप विराजें। सहकारिता मन्त्री जी....

श्री अमराराम : यह भाषण दे रही हैं मैं प्रश्न पूछूंगा।

श्री सभापति : मजबूरी है, आप कृपया विराजें।

श्री अमराराम : मेरा मन्त्री जी ने जवाब दिया नहीं है। सिर्फ एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है।

श्री सभापति : कृपया विराजें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जवाब दे दूंगा। आप विराजें अब।

श्री सभापति : कृपया विराज जायें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री अमरा राम : सभापति महोदय, मैं तो मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, कृपया विराजें। माननीय सदस्य। सहकारिता मन्त्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, सहकारिता) : सभापति महोदय, आज यहां पर सहकारिता विभाग की जो मांगें प्रस्तुत हुई उन पर 17 सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। 223 कटौती प्रस्ताव भी यहां पर इस डिमाण्ड के बारे में पेश हुए हैं, मैं जो इन 223 कटौती प्रस्ताव आये हैं, मैं उनका प्रत्येक माननीय सदस्य के पास अलग-अलग जवाब भेजूंगा। ताकि

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत जल्दी भेजूंगा। घबराओ मत आप....

श्री यदुनाथसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर आ गया आपका। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री यदुनाथसिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि हम जो कटौती प्रस्ताव देते हैं वह तो हमारी प्रोसीडिंग का पार्ट हो जाते हैं लेकिन उनका जवाब आता है वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होता। सीधा भेजते हैं। मान लीजिये इन्होंने कोई आश्वासन दिया तो वह हाउस की प्रोसीडिंग का पार्ट कैसे होगा ? इसलिये कटौती प्रस्ताव का जवाब विधान सभा के मार्फत हमारे पास आने चाहिये और वह प्रोसीडिंग का पार्ट होने चाहिये।

श्री सभापति : वह तो जैसी परम्परा रही है वैसी चलेगी।

श्री यदुनाथसिंह : अब मेरी बात का जवाब नहीं आया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हो गई व्यवस्था, व्यवस्था दे दी ना आपने।

श्री यदुनाथसिंह : क्या व्यवस्था दे दी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : व्यवस्था दे दी, जो पहले व्यवस्था है।

श्री सभापति : जैसी अभी व्यवस्था है वैसी ही चलेगी।

श्री यदुनाथसिंह : सुधार करिये, सभापति महोदय, जब हमारा कटौती प्रस्ताव प्रोसीडिंग का पार्ट है....

श्री सभापति : आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया था उसके लिये व्यवस्था दे दी। सुधार की बात बाद में की जायेगी। सहकारिता मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, 17 सम्माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर सहकारिता विभाग के संबंध में दिये हैं। महत्वपूर्ण सुझावों के साथ-साथ कई बातें भी इस प्रकार की कही हैं, जैसा सम्माननीय सदस्य, कटौती प्रस्ताव की बात कर रहे थे, उसी के साथ-साथ उन्होंने कहा कि भरतपुर में 10 करोड़ रुपया करीब डूब में आ रहा है या कुछ ऐसे लोग ले गये हैं, जिन लोगों का कहीं अता पता नहीं है। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने इस बात के बारे में भी कहा कि जो दांते कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार करके जिस प्रकार से जो ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां बनायी गयीं, उनमें काफी दूरी का अन्तर रह गया है, और कई जगहों पर उनमें कामकाज पूरा नहीं हो पा रहा है। दो-तीन बार सम्माननीय सदस्यों ने कई जगहों के बारे में भी उस सारी बात के बारे में कहा। कई सम्मानीय सदस्यों ने उपभोक्ता संघ के बारे में तथा अन्य कई इस प्रकार की बातों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, उनके बारे में भी यहां पर कहा। मैं बहुत संक्षेप के अन्दर, क्योंकि काफी समय हो रहा, जो मेरे विभाग के संबंध में जो कुछ कहा गया है उसके संबंध में मैं उत्तर दूंगा।

जैसा सराड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य, जो पहले राज्य के सहकारिता के कामकाज भी देख चुके हैं, सम्माननीय रामपाल जी उपाध्याय ने सहकारिता जीवन दर्शन के बारे में भी काफी विशद विवेचना उन्होंने की थी। मैं स्वयं भी, सभापति महोदय, यह मानता हूं कि जब 15 अगस्त, 1947 को यह देश आजाद हुआ, आजाद होने के साथ ही हमारे महान् नेता स्वर्गीय जवाहर लाल जी नेहरू ने सहकारिता के आधार पर समाजवाद कायम करने की यहां पर घोषणा की और उसके अनुसार हमारे सारे कार्यक्रम चले। पर जैसा कि राजस्थान विधान सभा के अन्दर मैं आज, सभापति महोदय, अपनी बात आपके समक्ष यहां पर रख रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान राजपूताना कहलाता था। यहां पर एक तरफ पुराने समान्तों का प्रभुत्व था, दूसरी तरफ गांवों के अन्दर बोहरों की व्यवस्था थी इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में जब यह सहकारिता का कार्यक्रम यहां पर चला तो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे पैमाने पर यह सारा का सारा कार्यक्रम यहां पर प्रारम्भ हुआ। आज जो स्थिति है इस सहकारिता की उसके बारे में मैं अभी बाद में निवेदन करूंगा। लेकिन जैसा मैं आपसे निवेदन करूं 1947 में जो एक क्रान्ति हुई थी और उसके बाद में, मैं यह भी स्वीकारता हूं कि 1977 के अन्दर एक प्रतिक्रान्ति भी हुई। और जैसा सामान्तों और बोहरों की बात मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य समझिये इस राजस्थान का उस × × × भैरोंसिंह शेखावत यहां पर 1977 के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री बने राजस्थान के मुख्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने.......

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(273)

श्री यदुनाथसिंह : × × ×

श्री सभापति : कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री सभापति : आसन पैरों पर है कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी × × × राजस्थान में सबसे ज्यादा घोर भ्रष्टाचार श्री श्रीराम गोटेवाला......

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें। आसन पैरों पर है। कृपया विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आसन पैरों पर हैं तो × × ×

श्री सभापति : कृपया, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं,

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान) × × ×

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

आपसे × × × राजस्थान विधान सभा में नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, विराजें, कृपया उत्तेजित नहीं हों, उत्तेजना की कोई बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उत्तेजित करने कि बात कर रहे हैं आप।

श्री सभापति : कह नहीं रहे हैं उत्तेजना की बात और आप उत्तेजित न हों।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : .... इस पर चर्चा, बहस की जायेगी, यहां पर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें, माननीय सदस्य, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। श्री महाराम जी, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं, कृपया विराजें।

श्री यदुनाथसिंह : × × ×

श्री सभापति : अब आप विराजें, आप काफी कह चुके।

(व्यवधान)

विराजें। मन्त्री महोदय,

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं जिस बात के बारे में निवेदन कर रहा था, पता नहीं सदस्य महोदय....

श्री सभापति : जो प्रश्न उठे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिनट, जिस संदर्भ में मैं इस बात को निवेदन कर

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(274)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रहा था, क्योंकि यहां पर इस सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कई बातें यहां पर कही गई हैं उस संदर्भ में मेरे को यह सारी भूमिका लेना आवश्यक था, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, आज आप यहां पर भ्रष्टाचार के लिये सारी बातें करते हैं, आज आप ही नहीं जिस समय भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे उन्होंने इसी विधान सभा के अन्दर कहा था कि मैं भ्रष्टाचार नाक में से निकलवा लूंगा। सभापति महोदय, उन्होंने तो भ्रष्टाचार नाक में निकाला या नहीं निकाला, अभी श्रीमती विद्या पाठक जब यहां पर भाषण दे रही थीं, वह राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक के बारे में बात कर रही थीं, मैं कहना चाहता हूं, इस बात के बारे में चार साल तक उनके द्वारा नामिनेटेड चेयरमैन श्री सत्यनारायण धामाणी उस बैंक के चेयरमैन रहे, क्यों नहीं उस गबन और घपलों को उन्होंने पकड़ा जो सन् 1974 में हुए थे, यह राजस्थान की वर्तमान सरकार है, जिसके गबन और घपला करने वालों के खिलाफ में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री मेघराज तावड़ : आप क्या कर रहे हो.... कुछ पता नहीं लग रहा है।

श्री सभापति : ये तो अपना उत्तर दे रहे हैं, इसमें उत्तेजित होने की बात नहीं है,

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, ढाई साल में........

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने क्या किया यह बताओ।

श्री सभापति : मैं आपको अवसर दे दूंगा, कोई प्रश्न पूछने होंगे तो, इसमें उत्तेजना मत लाइये आप, इसमें उत्तेजना की कोई बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कटमोशन नहीं, इस पर बहस नहीं, किस बात के मुद्दे है, यह जनरल डिबेट नहीं है, यह अभिभाषण पर बहस नहीं है, बजट पर आम बहस नहीं है, को-आपरेटिव डिपार्टमेंट पर है, उसका जवाब दीजिये।

श्री सभापति : श्री तिवाड़ीजी, कृपया विराजें।

श्री मेघराज तावड़ : निकालो.... जो लोग दोषी हैं उनको फांसी के तख्ते पर ले जाओ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री तावड़, विराजें, आप अभी कह रहे थे समय काफी हो गया है, उनको अपनी बात जल्दी समाप्त करने दीजिये, आप उत्तेजित मत होइये।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, ××× आप सुनो तो सही, भाई ××× मैं अब आप लोगों की और बातें नहीं कहूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज तक किसी भी डिमाण्ड पर कभी भी सही बात

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं रखी, इनका हर जवाब मैला होता है, क्योंकि × × ×

श्री सभापति : कृपया विराजें, आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय,........

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य घनश्याम जी तिवाड़ी ने × × × शब्द का इस्तेमाल किया है, कृपया उनको एक्सपंज करने के आदेश दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं, × × × कि बात कर रहे हैं, और बात करी, इनको अपना आंचल दिखाई नहीं देता, × × ×

श्री सभापति : जो असंसदीय शब्द प्रयोग किये गये हैं उनको एक्सपंज किया जाता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सत्य बहुत कटु होता है और मुझे भी ज्यादा कटु सत्य इनके बारे में कहना नहीं चाहिये।

श्री सभापति : आप कटुता क्यों बढ़ाते हैं, आप तो अपनी बात कह दीजिये।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय एक्सपोज हो रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमको भी × × × ए. बी. सी. डी. की जानकारी है × × × जानकारी में नहीं हैं क्या वे बातें।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें, आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं जिन बातों के बारे में निवेदन कर रहा था, मैंने जो भ्रष्टाचार के बारे में बात कही, मैं इसी बात के साथ साथ यहां इस बात के बारे में भी कहता हूं, मैं आज इस सदन के नेता माननीय शिव चरण जी माथुर को इस बात के लिये बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने आपको भी गौरवान्वित महसूस करता हूं इस बात के बारे में कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का यह प्रदेश हमारे यहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति करने के अन्दर प्रथम रहा है। इस प्रथम रहने के अन्दर मैं उस सारी बात के बारे में भी अब कई लोग कहते हैं अब ये लोग कहते हैं ये तो झूठे आंकड़े देते हैं, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती........

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें, बाद में आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : इनकी यह प्रोग्रेस रिपोर्ट है।

श्री सभापति : मैं आपको प्रश्न करने का अवसर दे दूंगा, इनके बीच में व्यवधान न डालें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यदुनाथसिंह जी जरा तसल्ली रखो, मैं यह जो सारी

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बात करने के पीछे इनके पीछे रीजन्स हैं, और यह रीजन्स मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं सम्माननीय सभापति महोदय, कि हमारा एक बैक ग्राउण्ड है, हमारा एक कमिटमेंट, हमारे मुख्य मन्त्री का भी एक कमिटमेंट, उन लोगों के बीच के अन्दर इन लोगों ने काम किया है जो बहुत पिछड़े हुए लोग थे, आदिवासी तबके के लोग थे। अपने विद्यार्थी काल से ही जिस मुख्यमन्त्री ने इस प्रकार की सेवा के काम किये हों और उस व्यक्ति के शासन काल में जब आज यहां इस को-आपरेटिव मूवमेंट के मार्फत हम यहां पर आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं ग्रामीण स्तर के ऊपर......

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपने आदिवासियों के गाय और बैल नीलाम कर दिये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको अवसर बाद में दे देंगे, आप अपनी बात कह दीजियेगा लेकिन आप उनकी बात में व्यवधान नहीं डालिये।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें.......

(व्यवधान)

महावीर प्रसाद जी कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

कृपया विराजें। कृपया विराजें, मेरा आपसे यह निवेदन है, सहयोग करें इनका उत्तर प्राप्त होने दीजिये, उसके बाद आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद : जवाब ही नहीं है इनके पास।

(व्यवधान)

श्री सूर्य कुमार : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से विरोध पक्ष से कि अगर विरोध पक्ष ने हमारे मन्त्री महोदय को शांतिपूर्वक जवाब नहीं देने दिया तो हम विरोध पक्ष के एक सदस्य को भी नहीं बोलने देंगे। हम इतने सदस्य बैठे हुए हैं, इनको हम नहीं बोलने इनको।

(व्यवधान)

एक को नहीं बोलने देंगे। एक को नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया विराजें। माननीय सूर्यकुमार जी, कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : हम भी नहीं बोलने देंगे, हमारे भी........

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया उत्तेजित कोई भी माननीय सदस्य न हों। उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया विराजें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।........

(व्यवधान)

कृपया विराजें। मेरा आपसे निवेदन है कृपया

(277)

(श्री सभापति)

विराजें। कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें। कृपया इस प्रकार उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। विराजें, आर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से सहकारिता की भावना अपनाने की अपील करूंगा। मैं आपसे यही कहता हूं कि यह जो सहकारिता का कार्य है और जो हमारे राज्य में जिसका उद्देश्य है, सहकारी आन्दोलन कृषकों के उत्पादन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना, पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, स्वावलम्बी बनाने और सहायक उद्योगों का विकास कर श्रमिकों की आमदनी में वृद्धि करने की ओर उन्मुख होने का प्रयास है और उसके बारे में राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से आगे बढ़ रही है। यहां पर इन बातों के बारे में जो चर्चायें की गई हैं, आलोचनाएं की गई हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा, गत वर्ष हमने 101 करोड़ 34 लाख रुपये का अल्प कालीन ऋण बांटा है। 12 करोड़ का हमने मध्य कालीन ऋण बांटा है। और 22करोड़ का दीर्घ कालीन ऋण गत वर्ष बांटा है और इस साल के हमारे जो टारगेट्स हैं वे टारगेट्स भी मैं निवेदन कर दूं-अल्प कालीन ऋण 135 करोड़ रुपये के हमारे लक्ष्य हैं, मध्य कालीन ऋण में 14 करोड़ है और दीर्घ कालीन ऋण में 25 करोड़ रुपये के हमने हमारे लक्ष्य निर्धारित किये हैं। यहां पर कुछ सम्माननीय सदस्यों ने वसूली के संबंध में भी कुछ आलोचनाएं की हैं कि वसूली में कुछ ज्यादतियां हुई हैं। मैं जब डूंगरपुर गया था और उदयपुर भी जब मैं गया तो वहां पर मुझे यह शिकायत प्राप्त हुई, मैंने वहां पर भी इस बात के बारे कहा था कि अगर मुझे एक भी आदमी एक भी मिसाल इस बात के बारे की बता दे कि किसी को मुर्गा बनाया गया है या किसी को ठण्ड में खड़ा किया गया या इस तरह की ज्यादतियां की गई।

श्री मेघराज तावड़ : बिल्कुल गलत, मैं बता सकता हूं कि मुर्गा किसको बनाया गया, किसको ठण्डे पानी में खड़ा किया गया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, मैं आपको अवसर दे दूंगा। कृपया विराजें।

श्री मेघराज तावड़ : आप गलत-बयानी कर रहे हैं सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें मैं बाद में आपको अवसर दे दूंगा, आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, आप भाषण दे रहे हैं उसको सही मानें या वित्त मन्त्री महोदय ने भाषण दिया उसको, किसको सही मानें।

श्री सभापति : वो प्रश्न आप बाद में उठा दीजियेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मैंने वहां पर भी इस बात के बारे में कहा था, अभी कुछ सम्माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि यहां किसानों ने जिसने ऋण लिया था.......

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब तो मैंने सहकारिता की भावना की अपील कर दी. अब तो मेरा भी सुन लो भाई 5-7 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, नहीं तो और ज्यादा लंबे होवोगे, क्या फायदा निकालोगे। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर यह क्या गया....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : महारामजी आप तो जबरदस्ती × × × हो रहे हो आप। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर जो सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां पर जमीनें बेच दी गई किसानों की, नीलाम कर दी गई, गाय बैल बेच दिये गये। मेरे सामने ऐसा कोई भी केस नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, मैंने 6 महीने पहले भी जो जमीन नीलाम कर दी गई थी उसको भी मैंने यह मानकर कि हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का यह लक्ष्य है हम गरीब को ऊंचा उठायें, पिछड़े को पहले हमारा कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह नीलामी रुकवा दी और उसको उस जमीन का मालिक वापिस मैंने बना दिया और उसके उस अल्प कालीन ऋण को दीर्घ कालीन ऋण में परिवर्तित करवाने की बात की। कई सम्मानीय सदस्य मेरे पास पधारते हैं, और मुझे इस बात के बारे में भी कहते हैं कि साहब यह नहीं दे सकता मैं उनसे बार-बार इस बात के बारे में अनुरोध करता हूं और आज सम्मानीय सभापति महोदय इस सदन के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो यह छूट दी है, पहले हमने 30 नवम्बर तक की छूट दी थी, राज्य सरकार ने अब यह 30 जून, 1984 तक की जो छूट दी है कि जितना रुपया उससे ज्यादा ब्याज नहीं। एक हजार मूल है तो एक हजार ही ब्याज इस ढंग से दो हजार रुपयों में उसका चुकारा हो जाता है। सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि ब्याज की राशि मूल से कई बार चौगुनी से आगे तक बढ़ जाती है। मैं सम्माननीय सदस्यों से इस बात के बारे में भी अनुरोध करता हूं। मैंने सारे सरपंच साहेबान को भी चिट्ठी लिखी है, पंचायत समितियों के प्रधान को भी चिट्ठियां लिखी है, एम. एल. एज. साहेबान को भी मैंने अर्ज किया कि आप कृपा करके इस कार्य में राज्य का सहयोग कीजिये क्योंकि हमारे ऊपर एक तरफ तो रिजर्व बैंक का तकाजा है। रिजर्व बैंक यह कह रहा है कि आप अगर वसूली नहीं करेंगे, अगर आपके बैंक वसूली नहीं करेंगे तो वापिस आपकी दुबारा लोनिंग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। भरतपुर से आने वाले सम्माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह जी ने सवाल उठाया था अभी ये कह रहे थे कि वहां पर लोगों को लोन नहीं मिल पाता और सभापति महोदय, आपके भी भाषण की करीब–करीब मन्शा यही थी। अभी तो मैंने फिगर्स दिये और माननीय सदस्यों ने दस करोड़ के लिए कहा था, मैंने इसके बारे में निवेदन किया, 5.82 करोड़

× × × नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ओवर ड्यू हैं भरतपुर में और 1.57 करोड़ के बारे में डाउट्स है और जैसा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, 8 एस. डी. ओज. को लगा कर जांच करवायें और मैं जिस पुराने सन्दर्भ में फिर आना चाहता हूं इस बात के लिये कि जिस दिन राजस्थान बना था 8 प्र. श. लोग यहां पर पढ़े लिखे थे। आज भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मुझे भी इस बात का पता है, बहुत सारे केसेज मेरे पास इस बात के आते हैं कि अंगूठा चिपवा लिया, और लोग रोते हुए वापिस आते हैं कि साहब हमने तो रुपये लिये ही नहीं थे, आज हमारे मकान कुर्क हो रहे हैं, जमीनें कुर्क हो रही हैं। हम ऐसे केसेज को भी छंटवा रहे हैं। 8 एस. डी. ओज. की ड्यूटी इस बात के बारे में लगाई गई है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि सरकार जो गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जिस सरकार का यह कमिटमेंट है, जो सरकार बिलो पावर्टी लाइन में आये हुए लोगों को ऊंचा उठाने की कल्पना करके उस कल्पना को साकार करके चल रही है वह सरकार कैसे गरीबों को तंग कर सकती है। उस सरकार का कर्त्तव्य तो यह है कि आज लोगों के माथे में यह बात बैठ गई कि राज का रुपया है खा जाओ, वापिस नहीं चुकाना पड़ेगा और यह सहकारिता आन्दोलन में जैसे भ्रष्ट तत्व आकर के घुस रहे थे जिन्होंने व्यक्तिगत मोनोपोली बनाकर चाहे वो राजनीति कर रहे हों या किसी भी क्षेत्र का कार्य कर रहे हों वे लोग आकर घुस गये और इसका दुरुपयोग किया। सभापति महोदय, मैं आप से यही निवेदन कर सकता हूं, खारची से आने वाले सम्माननीय सदस्य कह रहे थे मैंने उस समय भी कहा था कि यहां पर चाहे गृह निर्माण सहकारी समिति हो, चाहे इन्डस्ट्रीज की सहकारी समिति हो, चाहे हमारे कोई क्रय विक्रय की सहकारी समिति हो, किसी भी प्रकार की सहकारी समिति हो मैं तो यही बात कहूंगा चाहे कोई सदस्य नाराज हो चाहे राजी हो, उन्होंने तो खाली इस बात की घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार नाक में से निकालेंगे। मैं नाक में से तो नहीं लेकिन अगर भ्रष्टाचार के बारे में कहीं पर भी कोई भी प्रकरण आये। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय बिल्कुल क्लीन हैण्ड हैं। कहीं किसी बारे में किसी भ्रष्टाचार को बचाने की हमारी कोई भी स्थिति है नहीं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आर्थिक मामलों में जांच करनी पड़ती है। एकदम किसी के कहने से किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। जहां 1010 करोड़ का लोन सारे राजस्थान में को-आपरेटिव सेक्टर में चल रहा हो वहां पर मैं, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि हमारे पास अन-आफिशियली फिगर 10 या 12 करोड़ अधिक से अधिक अर्ज कर रहा हूं जिनके बारे में डाउट हो सकता है, जिनके बारे में बात कही जा सकती है उनको लेकर कैसा भ्रष्टाचार का वातावरण बना दिया गया है और यह बात जिस पुरानी पृष्ठभूमि में निवेदन कर रहा था ....आज हमारे कृषि विभाग के मन्त्री देवेन्द्र सिंहजी बैठे हैं। खरीफ और रवी का अभियान चलाकर गांव के किसानों के पास जाकर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उनको खाद व बीज देने की बात कृषि विभाग, सहकारी विभाग करता है हम उस जगह रांड्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो लोग शोसण करते हैं, जो लोग किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं. अभी थोड़े दिन पहले मैं जोधपुर गया हमारे रजिस्ट्रार साहब को मैंने इस बात के बारे में कहा कि रायडा और जीरा वहां पर उसके भाव आज डाउन हो रहे हैं। उनके भावों को रोकने के लिए आज यह आवश्यक है कि हमारा सहकारी विभाग और सहकारी समितियां, हमारी मार्केटिंग सोसाटियां इस कार्य में आगे आयें। मुझे खुशी है यह कहते हुए कि हमने इस कार्य को प्रायोरिटी के ऊपर फाइनेन्स करने की बात तय की है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। हम किसानों की भलाई के लिए, किसान को किसी प्रकार से उसके घर पर सुविधायें पहुंचाना चाहते हैं। हम यह जानते हैं कि राजस्थान की 80 पर्सेन्ट जनता, किसान खेती पर निर्भर करते हैं। खेती और पशु पालन किसान का प्रमुख व्यवसाय है, उस व्यवसाय तक पहुंचने के लिए उसको जो साधन चाहिए यह सहकारी विभाग उसका स्वयं का विभाग है। सम्माननीय सदस्यों को इस बारे बात में निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग की जो परछाइयां हैं, उनको देखें, केवल मात्र नारों के आधार पर न कहें। नारा लगा दिया कि को-आपरेटिव का मतलब तो करैप्शन है, को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये आकड़े जो मैंने आपसे निवेदन किये कि 1010 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ऊपर मात्र 10 करोड़ के बारे में हमारे पास डाउट्स हैं, बाकी अब तो आप बता दीजिये यह तो कोई .0006 पर्सेन्ट के ऊपर जाकर टिकता है। लेकिन मैं जानता हूं। रोटी के ग्रास के अन्दर एक कंकड़ भी आता है तो मजा किरकिरा हो जाता है। आज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्दर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग चेयरमैन हैं, जो भी क्षेत्र के अन्दर जुटे हुए हैं, उनसे मैं विनम्र अनुरोध इस बात के लिए करना चाहता हूं कि वे कृपया इस कार्य को देखें।

माननीय सभापति महोदय, जहां ग्रामीण क्षेत्रों की बात, शहरी क्षेत्र के अन्दर भी अभी कुछ सम्माननीय सदस्यों ने कहा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अरबन को-आपरेटिव बैंक के बारे में कहा, इस बारे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहरी तबके के गरीब एवं मध्यम श्रेणी के परिवारों तथा शहरी दस्तकारों, लघु उद्योग की इकाइयों को उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 12 नागरिक सहकारी बैंक कार्यरत हैं। अभी भीलवाड़ा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने भीलवाड़ा में अरबन को-आपरेटिव बैंक के बारे में सवाल उठाया था, मैं उसके बारे में निवेदन कर दूं। भीलवाड़ा और अलवर दोनों के लिए रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही वहां पर अरबन को-आरेटिव बैंक की व्यवस्था करने की कार्यवाही की रही है।

यहां पर गोदामों के बारे में भी बात कही गयी थी। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि 1795 गोदाम यहां पर बन चुके हैं और एक हजार गोदाम और बनाये जाने का हमारा इस साल का लक्ष्य है जिससे करीब

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

6.24 लाख टन भण्डारण की हमारी क्षमता होगी। गोदाम निर्माण के संबंध में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाये गये, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं अभी उसके बारे में इतना सा ही बता दूं कि भ्रष्टाचार के मामले में, जहां तक हमारे पास इसके इन्जीनियर्स वगैरह हैं, दिखाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कई जगह से शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है। उसमें हमारा वहां पर पुलिस प्रकोष्ठ इस को-आपरेटिव के सारे कार्यों की देख-देख के लिए कायम है। इस प्रकोष्ठ में अब तक 449 मामले जांच के लिए दिये हैं जिनमें से 200 का चालान कोर्ट में प्रस्तुत हो गया। इसके लिए वसूली हेतु विभाग में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत भी मामले पंजीकृत कर उन पर कार्यवाही की जा रही है। विभाग के स्तर पर 2619 मामले रुपये 499 57 रुपये लाख राशि के विचाराधीन हैं। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 157 मामले विभाग में विचाराधीन हैं। दोष साबित होने पर 5 कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये और 36 को प्रताड़ना एवं वेतन वृद्धियां रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

गवन एवं दुरुपयोग के मामले रोकने की दृष्टि से अल्पकालिन ऋणों का वितरण सदस्यों को सीधा बैंक से पे-आर्डर के माध्यम से करवाया जा रहा है। इससे गवन एवं दुरुपयोग के मामलों पर रोक लगी है। सभापति महोदय, मैं शहरी बैंक की बात कर रहा था। अभी रिजर्व बैंक के अधिकारियों से, गवर्नर साहब से बात हुई और बहुत ही जल्दी इस बारे में अरबन बैंक की तरफ से लोन दिलाये जाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

उपभोक्ता सामग्री के बारे में, पहुंचाने के बारे में कई प्रश्न उठाये गये थे। इस बारे में मैं निवेदन कर दूं कि 4237 सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। 13 भ्रमणशील दुकानें, भी वस्तुओं का वितरण कर रही हैं जो हमारे यहां को-आपरेटिव की हैं।

शहरी ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय समस्या का कार्य बहुत बड़ा कार्य है, उस कार्य के बारे में भी सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर 20 हजार मकान सहकारी क्षेत्र के अन्दर बनाकर दिये जायेंगे। जैसा मैं अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में निवेदन कर रहा था, शहरी क्षेत्र में गरीब तबके के लोग जो कच्ची और गन्दी बस्तियों में रहते हैं उनको आवासीय व्यवस्था करवाने के लिए यहां पर अरबन को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से रुपया दिलाये जाने की व्यवस्था होगी।

यहां पर कपास के बारे में बहुत सारी बातें कही गयी। हमारे सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य पधार गये दिखते हैं, उन्होंने कपास के बारे बातें कहीं, मैं यही निवेदन करूंगा कि राज्य के कृषकों को कपास का उचित मूल्य दिलाने एवं बुनकरों को उत्तम किस्म का सूत उपलब्ध कराने की दृष्टि से सहकारिता क्षेत्र में कताई मिलें स्थापित की गई हैं तथा और मिलें स्थापित करवाई जा रही हैं। गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल काफी समय से कार्यरत है। गंगानगर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है और शीघ्र ही उत्पादन कार्य प्रारम्भ होने की आशा है। यह 1980 में पूरा हो जाना चाहिए था। मैं वहां गया था और 15 दिन की लास्ट डेट दी है। 15 दिन में हनुमानगढ़ के अन्दर स्पिनिंग मिल चालू हो जायेगी। गंगानगर स्पिनिंग मिल्स लि., भीलवाड़ा का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसके लिए आवश्यक धन राशि उपलब्ध भी करवा दी गई है। विश्व बैंक ने भी राजस्थान में एक अतिरिक्त सहकारी कताई मिल व इसके साथ जिनिंग, प्रेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु सहमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त आसीन्द, जिला भीलवाड़ा तथा फतहनगर, जिला उदयपुर में एक एक सहकारी कताई मिलें स्थापित करने हेतु संस्थायें पंजीकृत हो चुकी हैं। शाहपुरा (भीलवाड़ा) में 25000 तकुओं की एक पृथक से कताई मिल की स्थापना हेतु भी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजें हैं। गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल को अपनी विस्तार योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ 50 लाख रुपये का ऋण "दि इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली" द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है

श्री मेघराज तावड़ : ताली बज नहीं रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बज जायेगी ताली। आप ताली की चिंता मत करो, अभी परसराम जी ने यही कहा था कि मालाओं की, तालियों की चिंता तो आप जैसे बड़े लोग किया करते हैं, हमारे जैसे लोग तो काम में भरोसा रखते हैं। इसलिए आप चिंता मत करो जरा।

इसके अतिरिक्त विस्तार के बाद इस मिल में 25000 तकुओं के स्थान पर 50000 तकुए हो जायेंगे तथा उत्पादन दुगुना हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त केशोरायपाटन शुगर मिल्स लि., केशोरायपाटन, जिला बून्दी में कार्यरत है जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही है।

वर्ष 1982-83 में 70774 मैट्रिक टन गन्ने की पिराई की जाकर 7392 मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 1976 में दि गंगानगर को-आपरेटिव आयल शीड प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर की स्थापना की गई। इस मिल की क्षमता 100 टन प्रतिदिन पिराई कर तेल निकालने की है।

उक्त के अतिरिक्त राजफैड के लिये सोयाबीन की एक बड़ी फैक्टरी कोटा में स्थापित करने के प्रस्ताव पर वर्ल्ड बैंक ने सहमति प्रदान कर दी है। इसकी प्रारम्भिक कार्यवाही, सभापति महोदय, प्रारम्भ कर दी गई है। इस फैक्टरी पर लगभग 41 करोड़ की राशि का विनियोजन का प्रस्ताव है।

श्री यदुनाथ सिंह : पढ़ कर बोल रहे हैं, जुबानी बोलो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी बात भी बोलनी पड़ेगी ना।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की चीजों की उपलब्धि निरन्तर कराने के लिए 2542 वितरण केन्द्र स्थापित किये जाकर खाद, व कीटनाशक दवाइयों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य श्री भालू खां ने चूरू डेयरी कार्यक्रम के बारे में बात कही, यहां पर उनसे इतना ही निवेदन कर दूं कि डूंगरगढ़ में एक अवशीतन केन्द्र लगाये जाने का निश्चय किया जा चुका है और, माननीय सभापति महोदय, मैं डेयरी कार्यक्रम के बारे में आपसे यह निवेदन करूंगा कि 3354 सोसायटीज हैं जो इस सारे क्षेत्र में कार्यरत हैं और लगभग ढाई लाख लीटर दूध आज हम प्रतिदिन दिल्ली को भेज रहे हैं और हमारे इस दूध भेजने के साथ-साथ कई सम्मानीय सदस्यों को गलतफहमी है कि यह दूध हम शहरी क्षेत्र से लेते हैं। नहीं लेते हैं, शहर से दूर-दूर 50-50 100-100 किलोमीटर तक जाकर दूध इक्ट्ठा करके वहां से भेजे जाने की व्यवस्था की है। फिर भी मैं एक ही बात इन सारी बातों के बारे में अनुरोध करूंगा, हमारा डेयरी कार्यक्रम बड़ी तीव्र गति से चलाया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि इतना बड़ा सहकारिता क्षेत्र है उसके अन्दर जहां पर जो मैंने शुरूआत में बात कही कि जहां पर यह वातावरण नहीं था, जहां पर यह एडजेस्ट करने की मन की क्षमता नहीं रही, जहां पर ऐसे वातावरण में नयी व्यवस्था को लागू किया जाता है, जहां पर आर्थिक क्रांति आयी है वहां पर प्रतिक्रियावादियों द्वारा सदैव इसके मार्ग में रोड़े अटकाकर इसको रोकने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी राजस्थान में यह कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी का यहां पर गठन किया है जिसका मकसद यह होगा कि

Coordination Committee for Implementation of 20 Point programme through co-operative institutions.

हम यहां पर गांवों की उन 5 हजार सोसायटियों के अध्यक्षों को बुलाकर एक कार्यक्रम इस बात के बारे में देना चाहते हैं जिससे गांवों की तरक्की हो सके और गांवों में आदमी को वहीं पर सारे साधन उपलब्ध करा सकें। सभापति महोदय, मैं समझता हूं सहकारिता विभाग की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर चलाये जा रहे हैं। उन सारे कार्यक्रमों को यदि सम्मानीय सदस्यगण समझें और एकमात्र, केवलमात्र भ्रष्टाचार का वातावरण उन लोगों ने बना रखा है जो स्वयं उस भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं दूसरे ढंग से लिप्त हैं, कई प्रकार की इस प्रकार की बात वहां पर सामने आयी कि जिन लोगों ने खुद मंजूर किया कि हमने इसमें ढाई लाख का गबन किया है वही लोग आकर के हमारे पास पैरवी कराते हैं और यह कहते हैं कि हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारी गृह निर्माण सहकारी समितियों आदि सबके बारे में मैंने कहा, हमारा मकसद तेज गति से आगे बढ़ाने का है। जहां पर इस आंदोलन में खराबियां हैं, मैं सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बैठकर इसके बारे में मुझे समझायें, मार्गदर्शन दें, मेरी कोशिश

284

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इस बात की होगी कि उसको ठीक करें। यहां पर माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह जी ने एक लम्बा चौड़ा चिट्ठा दिया था अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन निश्चित रूप से उनको भरोसा दिलाता हूं कि उसकी जांच करायी जायेगी, कोई भी गड़बड़ होगी, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा तो यह राज्य सरकार उसको कहीं बख्शने वाली नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को चूंकि अब काफी देर हो रही है इसलिए यह प्रस्ताव करता हूं कि,

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं भाषण दे दूं, मेरा भाषण तो खत्म होने दें। 26 करोड़ 28 लाख 75 हजार की मैंने जो मांग प्रस्तुत की वह मांग स्वीकृत की जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सब को दे दूंगा। जिनको उचित समझूंगा मैं सबको अवसर दे दूंगा। श्री गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी और सहकारिता मन्त्री जी जिस प्रकार की प्रगति राजस्थान में सहकारिता की कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं, एप्रिसियेट करता हूं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय से कि राजस्थान के अन्दर सहकारिता विभाग में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार की जितनी शिकायतें पहले से हैं उनमें कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया, कितनों पर केसेज चलाये और कितनों के सर्च वारंट जारी हुए हैं और किन-किन अधिकारियों की वजह से वह मामले रोके हुए हैं और मंत्री महोदय के सामने कौन सी कठिनाई है जिसकी वजह से रोके हुए हैं? मैंने करौली का स्पेशल मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि राज्य सरकार के 10 बार आदेश होने के बावजूद वहां के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं? हम क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं यह बता सकते हैं, हम उसके सदस्य नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या? सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, क्या हम उसके मैम्बर हैं? मैंने यह मुद्दा उठाया तो क्या मैं उस सोसायटी से संबंधित हूं?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक एक का जवाब दे दूं, नहीं तो मुश्किल हो जायेगी। माननीय सभापति महोदय, मुझे खेद है कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरे रूप में ले लिया। मैंने कभी यह नहीं कहा कि जिन सदस्यों ने उठाया है वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचार की बाहर बात करते हैं वह सारे लोग इस कार्य में एक तरह से लिप्त हैं। इसमें करौली की बात कही मैं निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं कि हमारे सामने न तो कोई बात है. मैंने जब जवाब दिया था तो मैंने सारे फैक्ट्स दिये हैं कितने लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, कितने लोगों को सजा हुई, कितनों की तरक्की रोकी गयी है। मैं समझता हूं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कि चाहे करौली का मामला हो, चाहे सवाई-माधोपुर का मामला हो उस प्रश्न के बारे में आज जो सम्मानीय सदस्यों ने उठाया है उसके लिये मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कान में जो बात कही।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कान में कही उसका कान में ही जवाब दे दिया होगा, अब सदन के सामने मैं इस को कह रहा हूं। मैं निश्चित रूप से इस बात के बारे में निवेदन करना चाहता हूं आप इसके बारे में विस्तृत सूचना दे दें, निश्चित रूप से अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति : श्री तेजपाल।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो करेप्ट है उसको हटायेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : सभापति महोदय, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तीन सोसायटीज की एक सोसायटी बना दी। आज एक सोसायटी ने जो डिलिंग की थी उनको जब दूसरी सोसायटी में मिलाया गया तो वह भी डिफाल्टर हो गयी, वह भी कारोबार नहीं कर रही है। तीन पंचायतों में एक-एक सोसायटी बना दी, वह सोसायटी 10-12 लाख की है, जबकि आपका क्राइटीरिया दो लाख का है। क्या मन्त्री महोदय एक पचायत में एक सोसायटी करने जा रहे हैं और यह कब तक कर देंगे ?

श्री सभापति : मंत्री जी समझ गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य जो चौमूं क्षेत्र से आते हैं—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चौमूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जी हां।

श्री सभापति : महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना होता तो दुबारा यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं रहती....

श्री तेजपाल यादव : जवाब ही नहीं दिया आपने।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने इस बात के बारे में यह कहा था कि राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है। बाड़मेर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था, कहीं पर एरिया ज्यादा है दो-तीन पचायतें हैं उनके बारे में गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार ने दो-तीन के लिये तो निर्णय भी कर दिया है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के समक्ष यह विचाराधीन है। दो लाख का कारोबार करने की बात है या इतनी दूरी की बात है इस मामले के ऊपर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

राज्य सरकार, राज्य मन्त्रिमण्डल जो निर्णय करेगा उससे आपको अवगत करा दूंगा।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : सभापति महोदय, तीन साल से चल रहा है, भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार जल्दी ही कर रही है, आप यह कहते ही रहते हैं कुछ करते नहीं हैं, आपको क्या परेशानी है? डिपार्टमेंट के 80 प्रतिशत कर्मचारियों की तनख्वाह तो सहकारिता से देते हैं फिर कौन सा खर्चा आ रहा है? आप अलग–अलग पचायतवार कर दें ग्रूप सैकेट्री वगैरह तो रहते ही हैं........

श्री सभापति : भाषण नहीं। प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री तेजपाल यादव : लगातार निवेदन कर रहा हूं। लगातार कहा जा रहा है, उत्तर आ रहा है कि विचार कर रहे हैं। यह कब तक कर लेंगे? या नहीं करेंगे।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल मीणा।

श्री भैरूंलाल मीणा : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सही है जैसा आपने फरमाया कि जो राज्य सरकार दुगने से ज्यादा पैसा हो गया उसको माफ कर देगी। उसमें लोन तीन तरह के बंटते हैं अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। कौन से लोन की माफी की है? तीनों की की है या एक की है?

श्री सभापति : विराजें। मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सम्माननीय सदस्य ने इस बात के बारे में जो जानकारी चाही है उनको चिट्ठी मिल चुकी है वे स्वयं एक बैंक के चैयरमैन हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा लोन के लिये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्माल फार्मर्स है, ग्रामीण काश्तकार हैं जो वीकर सैक्शन में आते हैं.......

श्री सभापति : श्री देवीलाल, कृपया विराजें। एक बात आपकी काफी है। श्री देवीलाल।

श्री भैरूंलाल मीणा : बैंक दो तरह के होते हैं भूमि विकास बैंक व सहकारिता और सहकारिता लोन के लिये.......

श्री सभापति : एक प्रश्न से ज्यादा अलाउ नहीं किया जायेगा। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। विराजें।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, जो सहकारी समितियां हैं और मंत्री महोदय बता रहे हैं कि सहकारी समितियां रे म्हारे घनो लाभ हो रह्यो है और किसानों रो भलो हो रह्यो है।

श्री सभापति : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। आपको जो पूछना है, पूछिये।

श्री देवीलाल : एक अर्ज म्हारी है पैलयां भी मनैं मौको नहीं दियो। अब भी टैला दियो कि सहकारी समिति के म्हाने जो लोगां के फर्जीनाम मांड दीना और जो लोग एक कट्टो लियो, दो कट्टो लियो, चार कट्टा लिख दिया और जो 200 रुपया लिया, 600 रुपया लिख दिया बाकी कार्यवाही के बारे में मन्त्री जी ने, याने रामपाल जी ने 3 वेरी पहलयां लिखकर दे दी।

(श्री देवीलाल)

अभी भी उकी कार्यवाही कदे भी नहीं हुई है तो वां काश्तकारां के फायदो तो कोनी हुग्रो अर वां के कुड़कियां हो रही हैं। वां का वड्द वैल छीना जा रिया है....

श्री सभापति : कृपया विराजें। श्री रामसिंह। उत्तर एक साथ दे दीजियेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय दाते कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भूमि विकास बैंक को और अरबन को-ऑपरेटिव बैंक दोनों बैंकों का एकीकरण करने की योजना थी। उस समय गांव जो सोसायटीज थीं उनको लागू करना चाहते हैं या नही, एक। दूसरी, जब दाते कमेटी रिपोर्ट ने दोनों बैंकों के एकीकरण करने की, उस समय गांव की जो सोसाइटियां हैं उसको एक समक्ष इकाई मान करके जो छोटी सोसायटी थी उसको उसमें विलीन कर दिया। दाते कमेटी के अनुसार दोनों बैंकों का एकीकरण नहीं किया तो आपको क्या अधिकार है, गांव की जो सोसायटीयां काम कर रही थीं उसमें वीलीन करके गांव के अन्दर ये बहुत बड़ी समस्या आपने पैदा कर दी। क्या आप वापस अगर दाते कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कराना चाहते हैं तो जो सोसाइटिया है आपके एकीकरण से पहले जो विलीन किया उसके पहले थी उनको उसी स्थिति में लाना उचित समझते है ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, इन प्रश्नों का मैं जवाब दे चुका हूं। जहां तक आप सुनो तो सही, जब आप बोलते हो तो मैं चुपचाप सुनता हूं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा इस बात के बारे में, जहां तक चौमू से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने जो पी. एस. डी. पी. और सी. डी. पी. के बारे में बात कही दाते कमेटी की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने उसके बारे में स्वीकार नहीं किया। यहां पर जो आपने सी. डी. पी. के बारे जो बात कही उसके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं, राज्य सरकार के विचाराधीन है और हम स्वयं इस बात के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि जो सोसायटी वायबल होगी उसके बारे में राज्य मंत्री मण्डल के फैसले पर निश्चित रूप से जो सोसायटी वायबल होंगी उनको अलग बनाया जायेगा।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरे को मंत्री महोदय के गणित पर तरस आता है। इन्होंने कहा है कि 110 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये के राज्य....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने 1010 बोला है।

श्री यदुनाथ सिंह : ठीक है, अच्छा तो 000.6% नहीं बनता है फिर भी, हजूर। सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप भरतपुर के को-ऑपरेटिव बैंक में ओवरड्राफ्ट से मेजरमेंट को न जोड़िये। सुनिये आप जरा, ओवरड्राफ्ट से मेजरमेंट को न जोड़िये आप। ओवरड्राफ्ट बता रहे हैं पाँच करोड़ 57 लाख का, ओवरड्राफ्ट है उससे आप मेजरमेंट न जोड़िये, पूरा ट्रांसफर, बुक समायोजन से

(श्री यदुनाथ सिंह)

आ रही है वही होती है। उसके लिये आप विस्तृत जांच कब तक कर लेंगे। बहुत दिन से यह मामला पेंडिंग पड़ा है। सभापति महोदय, दूसरा आपने अभी बताया ये माननीय वित्त मंत्री महोदय का भाषण है और आपने अभी बताया कि अल्पकालीन ऋण तो आप 135 करोड़ का देंगे मध्यकालीन ऋण आप देंगे 14 करोड़ का और दीर्घकालीन देंगे आप 22 करोड़ का लेकिन वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 150 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण और 14 करोड़ का मध्यकालीन ऋण तथा 27 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य है तो ये 22 करोड़ जो जो आपने कहां से काट लिया, कहां गया। वित्तमंत्री महोदय सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं ?

श्री सभापति : विराजें। फिर आ जायेगा। श्री....

श्री यदुनाथ सिंह : ये बताइये फीगर कहां गायब हो गये।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री यदुनाथ सिंह : अलहदा दिया जायेगा। मिक्स अप हो जायेगा, सभापति महोदय। सबको अलग उत्तर दे रहे है मेरा अब अलग से उत्तर आना चाहिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपका अलग दे देंगे।

श्री महाराम चौधरी : मैं इस बात के लिये सहकारिता मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री महाराम चौधरी : सहकारी गोदाम निर्माण कार्य है उसके संबंध में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी तो जांच करायेंगे और ये जांच कितने महीने के अन्दर करा देंगे एक तो यह और आप ने जो सहकारी समितियों के इन्सपेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर जो गम्भीर आरोप, अनियमितताएं हैं वे ऐसे केसेज आपके पास में कितने हैं, उनका निवारण कब तक आप करवा देंगे ?

श्री सभापति : श्री हंसराज।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, एक बात मैं जानना चाहूंगा। सहकारिता विभाग में ऑडिट इन्सपेक्टर का गृह जिले में रहने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जिस प्रतिबंध को लगाने वाला हो संसार में नहीं रहे तो क्या आप उसको विदड़ा करेंगे। यदि हां तो कब तक। यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी समझ में नहीं आया, कृपया दुबारा बोल दें।

श्री हंसराज शर्मा : को-आपरेटिव में ऑडिट इन्सपेक्टर पर गृह जिले में रहने की राज्य सरकार द्वारा पाबंदी लगायी हुई है। क्या आप इस पाबंदी को विदड़ा करेंगे और यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्या

(श्री हंसराज शर्मा)

अधिकारी की मेहरबानी से जो आडिट इन्सपेक्टर लगे हुए हैं गृह जिले में अवैध रूप से हटायेंगे। यदि हां, तो कब तक।

श्री सभापति : अंतिम प्रश्न होगा श्री ताम्बी का।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैंने सहकारिता विभाग से संबंधित दो-तीन बातें उठायी थीं....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक बात तो यह कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्तर की जो भी सहकारी समिति हो, लैंड बैंक हों और एपैक्स बैंक है उनके चुनावों के संबंध में मैंने निवेदन किया था और दूसरा मैंने यह निवेदन किया था कि बड़े-बड़े लोगों में जो बकाया है वे वसूलियां होती नहीं हैं, छोटे लोगों को तंग किया जाता है तो क्या राज्य सरकार सबसे पहले बड़े लोगों से वसूल करेगी।

श्री सभापति : विराजिये मंत्री महोदय।

श्री रतनलाल ताम्बी : तीसरा प्रश्न एक है छोटा सा कि कई लोग बड़ी बड़ी रकमें डकार करके घोटाला और गबन करके यहां पर अपीलें करके स्टे ले लेते हैं वहां कोई कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे मामले को निबटाने की कोई सीमा निश्चित है क्या, करायेंगे क्या ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, अभी सम्माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं मैं एक निवेदन तो यह कर दूं कि मेरे पास जब से विभाग है मैंने किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं की है। जो जा बड़ी रकमें डकारने के जो सम्मानीय सदस्य बता रहे हैं अब ये स्टे करीब दो ढ़ाई करोड के अन्दाजन बता रहा हूं मैं जब–जब जिस जिस तारीख पर पेशी पर मामला आता है उन स्टे को हम फेस करते हैं जहां तक बड़े बड़े लोगों से बकाया वसूली का मामला है न बड़े को देखते हैं न छोटे को देखते हैं, वसूली का मामला है क्योंकि इन बैंकों से जिसके लिये आगे इस तरह के काम करवाने हैं ये इन लोगों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहते हैं। छोटे बड़े की कोई बात ही नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से तो कहा है एक जगह कोई कुर्की की व्यवस्था करो ताकि आम आदमी में ये वातावरण पैदा हो कि भई ये रुपये तो वसूल होंगे ताम्बी जी के मन में कोई गलत फहमी हो तो उस गलती का निवारण कर लें।

एक, सम्माननीय सदस्य यदुनाथ सिंह जी बजट भाषण का.......

श्री रतनलाल ताम्बी : साथ साथ मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिजिए न, साहब।

चुनाव के बारे में पूछा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका जवाब भी दे रहा हूं अभी मैंने जवाब समाप्त

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

नहीं कर दिया। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय यदुनाथ सिंह जी ने........

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री श्रीराम गोटेवाला :....जिस बात के बारे में कहा था, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण बताया था, मैं उनको निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार का वित्त वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च तक होता है और को-ऑपरेटिव का वित्त वर्ष 30 जून तक का होता है इसलिए कृपा करके आप उसको जोड़ ले उसके हिसाब से एज को-ऑपरेटिव मिनिस्टर ने जो लक्ष्य दिये हैं वह सही है। वित्त मंत्री जी और मेरे बीच में कोई लक्ष्यों के अन्दर, आंकड़ों के अन्दर टकराव की बात नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : पर्ची नहीं आती तो पता नहीं होता आपको।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारा काम पर्चियों से ही चलता है, आपका मेरा दोनों का। घबराओ मत आप। मुझे भी पता है, आपको पर्चियां कहां से मिलती हैं।

एक आपने कहा, वह जांच कब तक करवा लोगे। यही निवेदन कर सकता हूं कि जांच की प्रक्रिया, फार्मेलिटीज पूरी करवाकर शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही पूरी हो जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : चार्ज शीट तो दो, जिस पर चार्ज पूर्व हो रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : देंगे, साहब। मेरे को आज दिया आपने। आज यदि मैं आधे घण्टे में कर दूं तो, यह तो मेरे बस की बात नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो मैं चार साल से बोलता आ रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था आपके भाषणों को सुनने का।

जी. एस. एस. लेवल के ऊपर चुनाव के बारे में बात कही। चुनावों के बारे में घोषणा की जा चुकी थी। कानूनी दिक्कतें रह गयी थीं। दुबारा मंत्रिमण्डल के समक्ष

(व्यवधान)

दिक्कतों को दूर करके। प्रश्न विचाराधीन है, जैसे राज्य सरकार ने सारा किया है, मान लीजिए, 82 प्रतिशत के ऊपर चुनाव सहकारी क्षेत्र के अन्दर करा चुकी है, बाकी के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करवाये जावेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हंसराज शर्मा : ऑडिट इम्पैक्टर्स के ट्रान्सफर का उत्तर नहीं आया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न विचाराधीन है, उसके बारे में कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सभापति पंचायती राज मंत्री जी।

श्री शीशराम ओला (पंचायती-राज मंत्री : सभापति महोदय, 141 कटौती प्रस्ताव आये, उनमें से 17 माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार रखे। मैं, सबसे पहले उन सब को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने विकास विभाग की प्रशंसा की और उसके कार्यों से संतोष प्रकट किया।

(व्यवधान)

तसल्ली रखिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री शीशराम ओला : तसल्ली रखिये, सुनिये।

श्री सभापति : कृपया, बैठे बैठे बातें नहीं करें।

श्री शीशराम ओला : गरीब को छप्पर के तहत राजस्थान में 50 हजार मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले में 66118 भूखण्ड निःशुल्क आवंटित किये गये हैं। इस प्रकार इसकी उपलब्धि 132 प्रतिशत रही। 31970 के लक्ष्य के विरुद्ध 43572 ग्रामीण गृहों का निर्माण अनुदान तथा ऋण देकर करवाया, इसकी उपलब्धि 136 प्रतिशत रही। मेरे ख्याल में पूरे राष्ट्र में यह इस प्रकार की प्रथम उपलब्धि है। 1871 नई प्राथमिक शालायें खोली गयीं, जो राजस्थान के निर्माण के बाद, मेरे ख्याल में, प्रथम बार एक ऐसा वर्ष आया है जब इतने सारे स्कूल खोले गये हों। वह भी खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी एरिया में, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर में, जोधपुर में, जालौर आदि आदि में, जहां शिक्षा की दर बहुत नीचे थी, वहां पर स्कूल्स खोली गयीं। 300 तक की आबादी के करीब सभी गांव इसमें कवर किये गये,। इसके बाद भी ढाणियों, मजरों में जो लोग रहते थे, एक गांव की सीमा आठ मील तक है, वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे। उन ढाणियों में, मजरों में स्कूल खुलने से वहां के लोगों ने प्रथम बार यह महसूस किया है कि आजाद मुल्क के रहने वाले हैं। उन बच्चों को प्रथम बार स्कूल में जाने का अवसर मिला है। यह निर्णय राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने लिया था। 300 से ज्यादा और 300 तक की आबादी के गांव बगैर प्राइमरी स्कूल के नहीं बचे, उसके तहत यह कदम उठाये गये। यह अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि है।

यहां पर यह भी कहा गया कि गरीबी की रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहा है उनको 750 रुपये छप्पर के लिए अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। इस वर्ष 13333 व्यक्तियों को यह रकम दी गयी, जो एक करोड़ रुपये होती है। 1 करोड़ सहायता के तौर पर दिये गये, इनका उपयोग किया गया।

यहां पर यह भी कहा गया है कि कई घोटाले, धांधलियां होती हैं। 750 रुपये में कुछ गड़बड़ी होती है, ऋण में कुछ गड़बड़ी होती है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने इसका एक प्रश्न प्रस्तुत किया था, उनको भी मैंने उत्तर दिया था। आज मैं घोषणा करता हूं, जो अनुदान पंचायत समितियों के माध्यम से पंचायतों को मिलेगा, वह चाहे कर्ज हो, अनुदान हो, उसके माध्यम से जो भी रकम मिलेगी अदायगी, कर्ज की स्वीकृती हो, उस सब की एक सूचना पंचायत समिति के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी, अमुक अमुक गांव को, अमुक पंचायत को, अमुक व्यक्ति को यह सहायता, यह ऋण मिला है ताकि गड़बड़ी की कोई बात नहीं रहे।

(श्री शीशराम ओला)

यहां जो मकानों के लिए मैंने आपको निवेदन किया, इसमें राज्य सरकार ने 9 करोड़ रुपये खर्च किये हैं 83-84 में। हमने पंचायत समितियों को अनुदान दिया है 82-83 में, 71 की जनगणना के हिसाब से, 55,17 000 रुपये पंचायत समितियों को राजस्थान में दिये और पंचायतों को 4,82,69,000 रुपये-इस तरह से 82-83 का योग है 5,37,86,000 रुपये। 83-84 में 1981 की जनगणना के मुताबिक 67,93,000 रुपये दिये पंचायत समितियों को, 6,08,66,000 रुपये दिये पंचायतों को।

एक माननीय सदस्य : अनुदान की राशि बढ़ी, घटी ?

श्री शीशराम ओला : अनुदान की राशि वही है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बढ़ गयी। इस प्रकार एक करोड़ से अधिक देना पड़ा हमको इस पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ढाई रुपये हैं या पौने तीन ?

श्री शीशराम ओला : ढाई रुपये हैं, उसमें सवा दो रुपये ग्राम पचायतों को और चार आना पंचायत समितियों को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्षमा करना इन्ट्रप्शन के लिए। सरकार ने एक बार घोषणा की थी कि ढाई रुपये की बजाय पौने तीन रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा।

श्री शीशराम ओला : यह लागू नहीं है। ढाई रुपये है, सवा दो तो पचायतों को जायेगा और चार आना पंचायत समितियों को, उसमें ग्राम सेवक की तनख्वाह वगैरह सब कुछ आ जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक घोषणा के बारे में कह रहा हूं सरकार ने इसी सदन में घोषणा की है कि पौने तीन रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्राम पचायतों को अनुदान दिया जायेगा।

श्री शीशराम ओला : इस वर्ष नहीं है, मैं मालूम करके आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी सदन में कहा हुआ है।

श्री शीशराम ओला : इस प्रकार पंचायत समितियों को 77 नई जीप डीजल की दी गयी। 10 हजार मकान पैंक ऋण द्वारा कार्यान्वित किये गये। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति को 4 प्रतिशत कर्ज पर, 4 प्रतिशत ब्याज पर 3739 मकान बनाये गये।

ग्राम सेवक वर्तमान में 3993 हैं। कुल पंचायतें 7292 है। अगर एक पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक दिया जाता है तो 3349 पदों की और आवश्यकता होगी, जिन पर करीब 3 करोड़ 45 लाख राशि की और आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इसको अलाऊ नहीं करती। इसलिए फिलहाल प्रत्येक पंचायत को उप-सचिव और ग्राम सेवक देना सम्भव

(श्री शीशराम ओला)

प्रतीत नहीं होता। वर्तमान में जैसलमेर जिले की प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम सेवक तथा अन्य पंचायतों में 1971 की जनसंख्या के अनुसार, 4 हजार से ऊपर वाली पंचायतों में एक ग्राम सेवक तथा शेष में 2 पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवक का पद स्वीकृत है, फिलहाल राज्य सरकार 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम सेवकों के पद स्वीकृत करने पर विचार कर रही है जिसके अनुसार 500 अतिरिक्त पद तथा 50 लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। पिछले 2 वर्ष में 4,900 अध्यापकों के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। 22,209 शालायें हैं तथा 41,446 अध्यापक तथा इस वर्ष 1871 शालायें खोली गई हैं। राजस्थान का विकास सभी प्रकार से किया गया। 76,724 पंचों में से 46,899 पंचों को प्रशिक्षित किया गया जो 61 प्रतिशत हैं। वर्ष 1982-83, 1983-84 में 7,270 सरपंचों में से 6,313 सरपंचों को प्रशिक्षित किया गया जो 86.8 प्रतिशत है।

माननीय यदुनाथ जी ने जिला परिषद भरतपुर और........

श्री यदुनाथ सिंह : दूसरी बात बोलिये टायर सिस्टम बनाइये, कन्स्टीट्यूशन में संशोधन लाइये उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं.... सरकार कह रही है कि ओला साहब कह रहे हैं ?

श्री शीशराम ओला : उसके बारे में मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। जिला परिषद भरतपुर और धौलपुर का विघटन कर शीघ्र जिला परिषद, भरतपुर और जिला परिषद, धौलपुर के गठन हेतु अधिसूचना जारी हो रही है और इस बात के आदेश कर दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जायें........

श्री यदुनाथ सिंह : कितने टाइम में ? दो महीने के पहले आपने घोषणा की थी।

श्री शीशराम ओला : ऐसा है कि उसमें कुछ कानूनी बाधायें थीं। विधि विभाग से सारा स्पष्टीकरण होने के बाद आदेश जारी हो गये हैं और जल्दी ही चुनाव हो जायेंगे।

माननीय भैरूसिंह जी ने यहां पर मारवाड़ जंक्शन को म्युनिसपेलिटी को वापिस पंचायत बनाने के लिए कहा, मारवाड़ जंक्शन को 3-2-1982 नगर-पालिका बनाने का नोटिफिकेशन डायरेक्टर लोकल बॉडी ने निकाला उस पर हाई कोर्ट ने 24-9-1983 को स्टे दे दिया और यह कहा कि ग्राम पंचायत है। इसका जब तक फैसला न हो जाय तब तक ग्राम पंचायत है, हाई कोर्ट का निर्णय होने तक। इसका हमने तहसीलदार को दिनांक 15-3-1984 को प्रशासक नियुक्त किया गया, इसलिये वह पंचायत है।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री शीशराम ओला : यहां पर कहा गया है कि कुछ सरपंचों को इसके आधार पर सस्पेण्ड कर दिया गया है कि वह जनता

(श्री शीशराम ओला)

पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं माननीय सभापति जी....

श्री यदुनाथ सिंह : यह गलत कह रहे हैं आप.......

श्री शीशराम ओला : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी किसी भी सरपंच को पार्टी के आधार पर सस्पेण्ड नहीं किया है और न ही मैं करूंगा, मैं तो गुण-दोष के आधार पर कोई केस आता है तो उसको ठीक से देखने के बाद यदि सस्पेण्ड करने की स्थिति है तो किया जाता है अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

पुष्पा जी ने यह बात कही थी जांच के लिए कोई एप्लीकेशन दी गई। तो उस प्रार्थना पत्र पर यह कहा गया कि फीस जमा कराओ। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है और कहीं भी जांच कराने के लिए कोई फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है. यह डिपार्टमेंट का कर्त्तव्य है, सरकार का कर्त्तव्य है, कोई भी जांच आवे उसकी जांच कराई जाये और जो नतीजे आयें उस पर एक्शन लें।

तावड़ साहब ने दो रुपये 50 पैसे अनुदान को कम बताया है। सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तत्काल राशि को अनुदान के रूप में और बढ़ा दिया जाय। कुछ माननीय सदस्यों ने पंचायत राज को अधिक अधिकार देने की बात कही, बीकानेर में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पंचायती राज सम्मेलन में जो घोषणायें की थीं वह करीब करीब सब लागू हो गई हैं और इस प्रकार से पंचायती राज आज राजस्थान में एक व्यापक क्षेत्र में कार्यरत है और बीस सूत्री कार्यक्रम जो ग्रामीण जनता से सम्बन्ध रखता है, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, वहां के कोई भी कार्य हों, चाहे ई.एल.डी. एन.टी. का है सारे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होते है और मुझे कहते हुए संतोष है कि राजस्थान आज प्रथम आ रहा है, पूरे राष्ट्र में, बीस सूत्री कार्यक्रम में। उसमें ग्राम पंचायतों जिला परिषदों और पंचायत समितियों का बड़ा अच्छा योगदान है।

मैं इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि विभाग की मांगों पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय........

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरे तो समझ में कम आया कि गांधी......

श्री सभापति : मैं अवसर दे दूंगा, कृपया बिराजें।

श्री बंशीलाल पटवा।

मैंने इन्हे अवसर दे दिया है।

श्री बंशीलाल पटवा : मंत्री महोदय से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि सुहाणा पंचायत के सरपंच को 18 फरवरी को शो

(श्री बंशीलाल पटवा)

काज नोटि दिया गया और 18 फरवरी को शो-काज नोटिस दे करके 19 मार्च तक की उसकी अवधि दीं, उत्तर देने के लिए. लेकिन 18 तारीख को जो शो-काज नोटिस दिया, उसी दिन उनको निलम्बित कर दिया गया। क्या आप इसको उचित मानते हैं ?

श्री शीशराम ओला : मेरे पास इसकी फाइल नहीं है, माननीय सदस्य । अगर आप चाहेंगे तो मैं कल आपको बतादूंगा फाइल देखकर । मेरे पास इस समय सही जानकारी नहीं है तब कहने से क्या फायदा........

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री शीशराम ओला : एक चीज जो माननीय सदस्यों ने उठाई थी मैं उसको और स्पष्ट करना चाहता हूं, यह विकास अधिकारियों के चयन के बारे में है। माननीय सदस्यों ने उस पर काफी चर्चा की है यह विकास अधिकारी हैं यह कोई एडहाक नहीं हैं. यह तो डेपूटेशन पर लिये गये हैं और डेपूटेशन पर जब लिये जाते हैं तब रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर विभाग इनके कार्य से सतुष्ट नहीं है तो एक घण्टे के अन्दर उसको वापिस जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। इसलिए यह जो मुद्दा था यहां पर लागू नहीं होता है।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहती हूं आपकी ही बात जरा समझ में नहीं आई— आपने यह कहा कि गांधी गृह का गांवों में निर्माण कराया गया आपने यह कहा था क्या ?

श्री शीशराम ओला: नहीं, मैंने यह नहीं कहा ।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान में पंचायत विभाग में पिछले वर्षों में जो काम हुए हैं उनमें करीब-करीब एक लाख मामले आपकी आडिट पार्टी ने 50 करोड़ के घोटाले और दुरुपयोग के पकड़े हैं और उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, पिछले कई वर्षों से लम्बित पड़े हुए हैं ? आप कब तक उसका निर्णय कराना उचित समझते हैं, एक बात ?

दूसरे विभाग की सेवायें हैं उनको सेपरेट करने के बारे मे कोई विचार कर रहे हैं क्या ?

श्री शीशराम ओला : यह जो अनियमिततायें हुई है, या ऑडिट आब्जेक्शन हैं उसकी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसका सारा निपटारा किया जायेगा ।

विकास विभाग की अलग से सेवायें करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि इस पर विचार किया जायेगा और वाजिब हुआ तो केबिनेट के समक्ष रखा जायेगा अन्यथा आज इस प्रकार का विचार सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि ग्राम सेवकों के पद और स्वीकृत किये जायें लेकिन जो स्वीकृत पद हैं वह ही खाली पड़े हुए हैं। स्वीकृत पदों के अगेन्स्ट जो ग्राम सेवक कार्य करने के लिए आते नहीं हैं। इसलिए पचायत समितियों को अधिकार दे दिये जायें ताकि कम से कम काम तो चल जायेगा, सारा काम रुका हुआ है........

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, चार-चार साल से पद खाली पड़े हैं लोग आते नहीं हैं, बार-बार अनुरोध करते हैं.......

श्री सभापति : आप विराजिये....।

श्री शीशराम ओला : सभापति जी, विभाग यह सोच रहा है कि जो ऐसे जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और कोई भी जिले हैं जहां मलेवन्ड लोग वहां जाकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं ऐसे जिलों में यह व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि 50 प्रतिशत रिक्त पदों के खिलाफ 50 प्रतिशत वहां के लोकल व्यक्तियों को ले लिया जाय ताकि कम से कम वे वहां रहकर काम चला सकें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, पंचायती राज की मांगों के बारे में मैंने मन्त्री महोदय, का ध्यान तीन बातों की ओर आकर्षित किया था। एक मुद्दा तो यह था कि वर्तमान में जो सरपंच पर पैसों की जिम्मेदारी व्यय करने की है वह प्रक्रिया है इसमें सरपंच और ग्रुप सचिव जो.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य पूरी बहस मत कीजिये। जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वह पूछ लीजिये। आप भाषण नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रश्न ही पूछ रहा हूं माननीय सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि एक पचायत में जो बहुत बड़ी तादाद में पैसे पड़े रहते हैं वह बैंक या डाकखाने में नहीं जमा कराते हैं और बहुत लम्बे समय तक पड़े रहते हैं तो इसके बारे में कोई नीति स्पष्ट करें।

श्री शीशराम ओला : यह तो, सभापति महोदय, व्यवस्थापक करता है यह तो एक प्रक्रिया है नई बात नहीं है। यह तो एक प्रक्रिया बनी हुई है इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं कई बार दौरे पर गया और वहां पर शिकायतें आई हैं........

मांग संख्या 27, 36, 41 व 49 का पारण

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्रश्न यह है कि मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,63,57,85,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36 प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36 सहकारिता के सबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री सभापति)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,28,35,000 रुपये (छब्बीस करोड़, अठाइस लाख अठानवे हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-41 प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,02,98,000 (पन्द्रह करोड़ दो लाख अठानवे राशि रुपये) रुपये तक की हजार जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,16,04,000 रुपये (सात करोड़ सोलह लाख चार हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.52 बजे बुधवार दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

Page No. 298

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 704 की सूची

पम्प सैट लगाने का स्थान	फिटिंग का दिनांक	बन्द होने का दिनांक
1-विकास कालोनी, डीडवाना	4-3-78	4-3-78
2-सरदारपुरा कलां	1-4-78	1-1-79
3-वनवासा	7-2-78	13-12-78
4-बुगालियों की ढाणी	21-3-78	21-3-78
5-ग्रासलसर	21-1-78	13-12-78
6-सुद्रासन	8-2-78	8-2-78
7-बावड़ी	30-3-78	30-3-78
8-बांसा	24-1-78	24-1-78
9-बरडवा	30-1-78	30-1-78 से डीजल इंजन पेटी में बन्द पड़ा हुग्रा है।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 705 की सूची

परिशिष्ट "अ"

जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर की जीप पर वर्ष 1982–83 में हुए कुल व्यय का विवरण :—

क्र. सं.	बिल नं. व दिनांक	डीजल/आयल पर व्यय	मरम्मत सर्विस पर व्यय	पूर्जे, टायर, ट्यूब एवं बैट्री पर व्यय	ड्रम क्रय	योग
1.	211/5.11.82	259.00	405.25	860.90	225.00	1750.15
2.	237/4.12.82	323.00	–	–	–	323.00
3.	320/22.2.83	174.50	–	–	–	174.50
4.	264/3.1.83	135.60	–	–	–	135.60
5.	371/19.3.83	456.00	–	–	–	456.00
6.	346/10.3.83	17.70	–	–	–	17.70
7.	337/8.3.83	56.60	791.25	122.70	–	970.55
8.	310/17.2.83	398.00	–	–	–	398.00
9.	111/19.7.82	112.90	–	–	–	112.90
10.	160/7.9.82	111.90	–	–	–	111.90
11.	46/20.5.82	96.90	684.00	–	–	780.90
12.	73/19.6.82	95.75	–	–	–	95.75
13.	135/7.8.82	71.60	–	–	–	71.60
14.	188/7.10.82	919.25	–	–	–	919.25
15.	310/17.2.83	398.00	–	–	–	398.00
16.	324/25.2.83	–	–	1672.95	–	1672.95
17.	211/5.11.82	–	–	727.00	–	727.00
	योग	3626.70	1880.50	3383.55	225.00	9115.76

(300)

परिशिष्ट "ब"

जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, नागौर की जीप पर वर्ष 1983–84 में हुए कुल व्यय का विवरण :—

क्र. स.	बिल नं. दिनांक	डीजल/ग्रायल पर व्यय	मरम्मत व सर्विस पर व्यय	पूर्जे, टायर, ट्यूब एवं बैट्री पर व्यय	योग
1.	31/5.5.83	132.35	–	–	132.35
2.	43/8.5.83	87.80	–	–	87.80
3.	32/5.5.83	247.80	375.00	1483.45	2016.25
4.	41/17.5.83	296.35	40.00	–	336.35
5.	76/4.6.83	203.40	118.50	–	321.90
6.	93/18.6.83	452.10	17.00	–	469.10
7.	121/15.7.83	96.95	326.25	–	423.20
8.	166/13.8.83	618.70	139.00	307.75	1065.45
9.	206/30.9.83	643.60	168.00	–	811.60
10.	255/9.11.83	155.65	–	1649.90	1805.55
11.	288/5.12.83	542.80	6.00	–	548.80
12.	312/4.1.84	283.70	379.05	–	622.75
13.	331/19.1.84	256.45	5.00	–	261.45
14.	381/24.2.84	333.75	–	–	333.75
	योग–	4351.40	1573.80	3441.10	9366.30

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 706 की तालिका

राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में विभिन्न कालों में लागू श्रमिकों एवं मिस्त्रियों की दरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण–पत्र

(दर रुपयों में)

क्र. संख्या	मद	इकाई	1.4.77 से 31.5.78	1.6.78 से 14.1.81	15.1.81 से 10.5.83	11.5.83 से निरन्तर	विशेष विवरण
1–	मिस्त्री श्रे. प्रथम	प्रतिदिन	12 से 15	18 से 22	22 से 25	30 से 35	(1) यात्रा भत्तों के अलावा सभी भत्तों को संम्मिलित करते हुए श्रमिकों की दरें हैं।
2–	मिस्त्री श्रे. द्वितीय	–हू–	12 से 15	15 से 18	18 से 22	22 से 25	
3–	बेलदार	–हू–	5 से 7	5 से 8	7 से 9	9 से 12	(2) कुशल श्रमिकों "की दरें" समस्त आवश्यक औजारों जिन्हें सामान्यत: उनके द्वारा प्रदेश में व्यवसायिक प्रेक्टिस के अनुसार ले जाया जाता है, सम्मिलित करती है।

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 709 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा क्रय की गई ट्रकों का विवरण :--

क्र. सं.	वर्ष	मेक	राशि
1.	1976-77	मिनी बस हिन्दुस्तान	61,566 48
2.	1977	टाटा एस. मोडल	1,03,236.10
3.	1977	जे06 हिन्दुस्तान	84,832.80
4.	1977	अशोक लिलेण्ड	1,04.375.15
5.	1979	टाटा ट्रक एस. मोडल	1,08,664.26
6.	1980	1210 टाटा	1,44,744 04
7.	1980	1210 टाटा	1,44,744.04
8.	1980	1210 टाटा	1,44,744.04
9.	1982	1210 टाटा	1,72,928.98
10.	1983	प्रिमियर रोड मास्टर (मिनी ट्रक)	1,29,459.68
11.	1983	प्रिमियर रोड मास्टर (मिनी ट्रक)	1,29,459.68

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा ट्रकों की बोडी बनाने के लिये चुकाई गई राशि का विवरण :--

क्र. सं.	वर्ष	मेक (ट्रक)	बोडी की राशि
1.	1980	1210 टाटा	24,801.10
2.	1980	1210 टाटा	24,901 10
3.	1980	1210 टाटा	24,901.10
4.	1977	हिन्दुस्तान जे-6	74,050.00

1	2	3	4
5.	1977	अशोक लिलेण्ड	16,500.00
6.	1976	मिनीबस हिन्दुस्तान	38,335.00
7.	1977	टाटा ट्रक एस. मोडल	16,500.00
8.	1979	टाटा ट्रक एस. मोडल	13,895.00
9.	1982	1210 टाटा (चल उपभोक्ता वाहन)	76,452.14
10.	1983	प्रिमियर रोड मास्टर	37,612.99
11.	1983	प्रिमियर रोड मास्टर	37,612.99
12.	1982	पुरानी ट्रक के ऊपर चल उपभोक्ता बाडी बनायी	54,544.95

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न सं. 710 की सूचिया

राज्य में प्राप्त आयातित खाद्य तेल का आवंटन एवं वितरण का मानचित्र

किस्म खाद्य तेल	वित्तिय वर्ष एवं माह	प्राप्ति का श्रोत	आवंटन टनों में	दर	उठाव का श्रोत	उठाव टनों में	वितरण दर
आर. बी. डी. पाम आयल	अप्रैल 82	एस. टी. सी. जयपुर	300	8.500 रु. प्रति टन	राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर।	291-55	9-70 रु. प्रतिकिलो
	मई, 82	"	400			168-795	"
	जून, 82	"	450	"		—	"
	जुलाई, 82	"	500	"		404-085	"
	अगस्त, 82	"	550	"		255-750	"
	सितम्बर, 82	"	685	"		179-025	"
	अक्टूबर, 82	"	685	"		259-207	"
	नवम्बर, 82	"	550	"		102-300	"
	दिसम्बर, 82	"	190	"		143-220	"
	जनवरी, 83	"	190	"		240-405	"
	फरवरी, 83	"	190	"		285-532	"
	मार्च, 83	"	190	"		205-065	"
		योग:–	4880			2534-939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आर. बी. डी.	अप्रैल, 83	एस. टी. सी.	350	8,500 रु,	राज. राज्य	128–30	9–70 प्रति	विशेष विवरण
पाम आयल	मई, 83	जयपुर ।	350	प्रति टन	सहकारी उपभोक्ता	173–724	किलो	
	जून, 83	,,	510	,,	संघ लि., जयपुर ।	285–696	,,	
	जुलाई, 83	,,	1010	,,		108–004	,,	
	अगस्त, 83	,,	1010	,,		453–561	,,	
	सितम्बर, 83	,,	1010	,,		262–183	,,	
	अक्टूबर, 83	,,	1010	,,		424–325	,,	
	नवम्बर, 83	,,	1010	,,		384–105	,,	
	दिसम्बर, 83	,,	1010	,,		509–395	,,	
	जनवरी, 84	,,	1000	,,		525–627	,,	
	फरवरी, 84	,,	1000	,,		949–050	,,	एन. सी. सी. एफ द्वारा
	मार्च, 84	,,	1000	,,		700–000	,,	फरवरी, 84 में 235–
		योग :–	10270			4903–700	,,	550 मै. टन एवं मार्च, 84
								में 200 मै. टन पाम आयल उठाया
								जो उठाव की कुल मात्रा में सम्मिलित है ।

(305)

[603 परिशिष्ट 17 अप्रैल, 1984–परिशिष्ट

राजस्थान सरकार
[खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग]

क्रमांक एफ 50 (3) खा. ले. नीति/79 जयपुर, दिनांक : 26-2-82

आदेश

भारत सरकार द्वारा आर.बी.डी. पाम आयल एवं रिफाईन्ड रेपसीड आयल के भावों में वृद्धि के फलस्वरूप निर्देश जारी किया जाना आपेक्षित है।

अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के क्लाज 20 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा आर. बी. डी पाम आयल तथा रिफाइन्ड रेपसीड़ आयल के वितरण के लिए निम्न निर्देश जारी करती है।

(1) आर. बी. डी. पाम आयल का विक्रय पूर्वानुसार केवल नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड पर किया जायेगा।

(2) यह खाद्य तेल उपभोक्ता को 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वितरित किया जायेगा। इस प्रकार अधिकतम मासिक मात्रा 5 व्यक्तियों के राशन कार्ड पर 2 किलो दी जा सकेगी। अधिक सदस्य संख्या होने पर प्रति व्यक्ति 400 ग्राम प्रति माह के हिसाब से वृद्धि की जा सकेगी।

आर. बी. डी पाम आयल तथा रिफाइन्ड रपेसीड़ आयल की खुदरा दर पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

	आर. बी. डी. पाम आयल प्रति किलो ग्राम। रु. पै.	रिफाइन्ड रेपसीड़ आयल प्रति किलो ग्राम। रु. पै.
निर्गम दर	8.50	8.50
विक्रय कर	0.68	8.43
आर. बी. डी. पाम आयल 8% रिफाइन्ड रेपसीड़ आयल 5%		
औसत चुंगी	0.02	0.02

(307)

1	2	3
विभिन्न स्तरों पर मार्जिन	0.50	0.50
खुदरा विक्रय दर	9.70	9.45

खुदरा विक्रेताओं को मुक्त खाली टिन एवं रु. 1/-प्रति टिन कमीशन देय होगा। कमीशन की राशि खुदरा मूल्य में सम्मिलित है।

ये आदेश दिनांक 1-3-1982 से लागू होगा

ह.
अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन उपशासन सचिव
राजस्थान-जयपुर

क्रमांक : एफ 40 (3) खा. ले:/नीति/79 जयपुर, दिनांक : 25-2-82

प्रतिलिपि :-

(1) समस्त जिलाधीश (रसद) राजस्थान।

(2) समत जिला रसद अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 1-3-1982 के प्रारम्भिक शेष की अन्तर राशि उप थोक विक्रेता व खुदरा विक्रेताओं से वसूल कर निम्न मद में जमा करायें, तथा प्रगति से इस विभाग को अवगत करावें।

088-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
(क)-सिविल पूर्ति
(।।।) अन्य विविध प्राप्तियां।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर।

(4) समस्त अधिकारी, खाद्य विभाग, राज. जयपुर।

(5) लेखाकार अंकेक्षण (5 प्रतियां)

(6) विधि शाखा/खाद्य तेल शाखा खाद्य विभाग, राज. जयपुर।

ह.
अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन उपशासन
सचिव, राजस्थान, जयपुर।

308

[605 परिशिष्ट-17 अप्रेल, 1984-परिशिष्ट

राजस्थान सरकार
[खाद्य एव नागरिक रसद विभाग]

क्रमांक : एफ-4 (2) खा. वि./खाद्य तेल/83-84 जयपुर, दिनांक : 2-2-1984

समस्त जिलाधीश,
समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:-- आयातित खाद्य तेल का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग की ओर से आयातित खाद्य तेल का आवटन जारी करते हुए इसे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समान मात्रा में वितरण कराने के आदेश दिये जाते हैं।

इस बीच जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ की जो मीटिंग्स ली गई उनमें कुछ ऐसी भ्रान्तियां सुनने को मिलीं कि पाम आयल को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कराने के आदेश नहीं हैं।

विभाग की ओर से निर्देशानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पाम आयल का वितरण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मेंसमान मात्रा में कराया जावे तथा फरवरी, 84 से 400 ग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर 500 ग्राम प्रति यूनिट कराया जावे।

उपायुक्त [खाद्य]

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ 74(2)खावि/पा.आ./83-84 जयपुर, दिनांक : 7-2-84

समस्त जिलाधीश,
राजस्थान।

महोदय,

आपके जिले को हर माह पाम आयल का आवटन किया जा रहा है। इसके उठवाने की तथा वितरण कराने की व्यवस्था के बारे में जिला रसद अधिकारियों को पत्र लिखे जाते रहे हैं. लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं रही है जबकि अन्य खाद्य तेलों की तुलना में यह काफी सस्ता है।

पाम आयल आपके जिले में जितना प्राप्त होता है, उसका वितरण उपभोक्ताओं को हो, इस दृष्टि से इसका चैकिंग करवाना भी आवश्यक है।

अत: निवेदन है कि खाद्य विभाग के अलावा आपके अधीन अन्य ऐजेन्सियों के माध्यम से इसके वितरण बाबत् चैंकिंग कराकर कृपया विभाग का अवगत करायें कि आपके जिले में प्राप्त होने वाला पाम आयल उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं।

यह आपकी जानकारी में होगा कि माह फरवरी, 84 से पाम आयल के वितरण की मात्रा 400 ग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति व्यक्ति कर दी गई है तथा प्रति राशन कार्ड दो किलो की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 5 किलो प्रति राशन कार्ड कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में इसके उठाव में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होनी चाहिये तथा आपके जिले को आवंटित खाद्य तेल को पूरी मात्रा में उठवाये जाने की व्यवस्था करानी चाहिए।

भवदीय,
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि : समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकार की वितरण की मात्रा बढ़ा दिये जाने से इसे पूरी मात्रा में बय बैंक-लाग के उठवाने की तुरन्त व्यवस्था करें अन्यथा आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

परिशिष्ट—6

तारांकित प्रश्न संख्या 711 की सूची

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम		प्राथमिक शाला का नाम	अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या	दिनांक 1-7-83 को कार्यरत अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का विवरण पदों की संख्या	रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का दिनांक	अध्यापकों के पद रिक्त रहने का कारण	भरने के लिये किये गये प्रयासों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	पीसांगन				कोई रिक्त पद नहीं था।					
2.	भिनाय	1	भिनाय	12	10	2	2	11-7-83	अध्यापकों के दिनांक 30-6-83 को सेवा-निवृति के फलस्वरूप	सत्र 82-83 में नियोजन कार्यालय अजमेर द्वारा भेजी गई सूची से पूर्व में कार्यरत सत्र 83-84 में 11-7-83 को पुनः नियुक्ति देकर रिक्त पदों की पूर्ति की गई
		2	टाटोलो	5	4	1	1	11-7-83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	मसूदा	3	बस्सी	2	1	1	-	17-9-83		
								परन्तु नवनियुक्त	अध्यापकों के	पंचायत समिति द्वारा

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
								अध्यापकों ने कार्य-भार ग्रहण नहीं किया।	शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण सेवा निवृति व जिला शिक्षा अधिकारी को मैरिट सूची से आशार्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण	उनके आदेश दिनांक 17–9–83 1–11–83 18–2–84 15–3–84 द्वारा नियुक्ति किये जाने की कार्यवाही की गई
		4.	मसूदा छात्र	12	11	1	1	17–9–83	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
		5.	मसूदा कन्या	6	5	1	1	17–9–83 व 15–3–84	,,	,,
4.	केकड़ी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	श्रीनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	अराई	6.	अराई	9	7	2	2	19–8–83 2–8–83	अध्यापकों के द्वारा जिला शिक्षा अधि-	पंचायत समिति द्वारा जिला शिक्षा अधि-
		7,	मण्डावरिया	2	1	1	1	9–7–83	कारी मैरिट सूची से	कारी मैरिट सूची व
		8.	झाडोल	2	1	1	1	19–3–84	कार्यभार ग्रहण पर्याप्त	नियोजन कार्यालय के
		9.	गोगुन्दा	2	1	1	1	28–12–83	मात्रा में न करने व	द्वारा तथा जिला कर्म-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		10.	ढसूक	6	4	2	2	19-8-83	शिक्षा विभाग में	चारी वर्ग से चयनित
		11.	मंडा वरियाखुर्द	2	1	1	1	19-8-83	अध्यापकों के स्था-	आशार्थी आवंटन पर
		12.	बोराडा	5	3	2	2	7-8-83,	नान्तरण	निम्न आदेशों से नियुक्ति
								28-12-83 व	19-3-84	दी गई दि. 25-4-83,
		13.	मनोहरपुरा	5	4	1	2	28-12-83		5-7-83, 13-7-83,
		14.	फतेहगढ़	6	4	2	2	28-12-83 व		16-7-83, 7-12-83
								19-3-84		19-3-84
		15.	सरसून्दा	2	1	1	2	28-12-83		
		16.	हिगांनिया	6	4	2	2	19-8-83		
		17.	पिपरोली	2	1	1	1	28-12-83		
		18.	होगतंडा	2	1	1	1	28-12-83		
		19.	सापूरदा	3	2	1	1	19-3-84		
		20.	काशिर	2	1	1	1	19-3-84		
		21.	देवपुरी	3	2	1	1	19-3-84		
7.	किशनगढ़	22.	रारी	1	–	1	1	14-8-83	अध्यापकों के पद रिक्त	जिला परिषद अजमेर
		23.	सरगांव	2	1	1	1	14-8-83	रहने के कारण अध्या-	जिला शिक्षा अधि-
		24.	खण्चांच	2	1	1	1	9-3-84	पकों की सेवानिवृति,	कारी एवं नियोजन
		25.	बांदरसिंघरी (छात्र)	5	3	2	2	7-11-83	शिक्षा विभाग में एवं	कार्यालय से आशार्थी
									अन्य पंचायत समिति	उपलब्ध कर पूर्ति की

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		26.	बांदरसिघरी (कन्या)	2	1	1	1	9-3-84	में स्थानान्तरण के कारण एवं जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आशार्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करना	गई व सेवा चयन आयोग से अवशेष रहे रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा चयनित आशार्थी सूची उनके पत्र दिनांक 9-3-84 से प्राप्त हो चुकी है।
		27.	मुण्डोती	2	1	1	1	7-11-83		
		28.	चुन्दरी	2	1	1	1	9-3-84		
		29,	हुढमाडा	8	6	?	2	14-8-83		

सूचना—इन समस्त विद्यालयों के लिए कालम 10 व 11 से अनुसार ही है।

2) जिला कर्मचारी वर्ग समिति अजमेर द्वारा चयनित आशार्थी दि. 9-3-84 से आवंटन के फलस्वरूप रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	जवाजा	30.	सरूपा	1	–	1	1	25-8-83	जिला शिक्षा अजमेर द्वारा प्राप्त सूची में से पर्याप्त आशार्थियों का उपस्थित नहीं होना	जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा प्राप्त 89 आशार्थियों की सूची में से केवल 5 उपस्थित हुए
		31.	बड़ाखेड़ा	5	3	2	2	27-10-83		
		32.	देवलफतेहपुर	1	–	1	1	8-1-84		
		33.	नून्दी मेन्दरा	7	6	1	1	9-2-84		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		34.	सुहावा	3	2	1	1		तथा नियुक्ति के बाद भी कार्यभार नहीं संभाला है एवं अध्यापकों के शिक्षा विभाग व अन्य समितियों में स्थानान्तरण के कारण पद रिक्त हुए हैं।	जिन्हें 25-8-83 को नियुक्ति दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा प्राप्त 100 आशार्थियों की सूची में से 38 आशार्थी उपस्थित हुए उनमें केवल मात्र 10 ने दि. 27-10-83 के तहत कार्यभार संभाला। जिला नियोजन कार्यालय अजमेर द्वारा प्राप्त सूची से से 38 आशार्थियों ने पंचायत समिति के आदेश दि. 9-1-84 एवं 9-2-84 में नियुक्ति दी जाकर सभी रिक्त पद भरे गये।
		35.	टाटगढ़	6	4	2	2			
		36.	नेगडिया	2	1	1	1			
		37.	बीरण	1	–	1	1			
		38.	खेडादन्ती	2	1	1	1			
		39.	मूरियाखेड़ा	2	1	1	1			
		40.	सरबिना	1	–	1	1			
			योग	151	101	50	49			

315

परिशिष्ट–7

(तारांकित प्रश्न संख्या 712 की सूची)

जोहड़पायतन के विशेष आवंटन एवं भूमि तथा उससे प्राप्त होने वाली आय के बारे में विवरण निम्नानुसार है:-

भूमि की किस्म	जोहड़पायतन आवंटित भूमिहीनों की संख्या	विशेष आवंटन के आवंटितियों की संख्या	क्षेत्रफल (बीघों में)	राशि जो प्राप्त होगी
1	2	3	4	5
जोहड़पायतन	202		2067	7097821-80 रु.
,, ,,	–	59	819	3935054-00 "

परिशिष्ट–8

तारांकित प्रश्न संख्या 714 की सूची 'अ'

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मकान नम्बर एवं श्रेणी	योजना	कब से
1.	राजस्थान आवासन मण्डल, उपआवासन आयुक्त, कोटा वृत, कोटा।	डिस्पेन्सरी भवन एम. आई. जी.	दादा बाड़ी, कोटा	जून, 1982
2.	आवासन अभियन्ता खण्ड प्रथम, कोटा।	एम. पी. ए. 3,4 एम. आई. जी.	महावीर नगर	दिसम्बर, 1982
3.	आवासन अभियन्ता खण्ड द्वितीय, कोटा	4( )ए 1,2,3, एम. आई जी.	तलवण्डी	जनवरी, 1982
4.	आवासन अभियन्ता खण्ड तृतीय, कोटा।	एम. पी. ए. 1,2 एच. आई. जी.	महावीर नगर	नवम्बर, 1982
5.	आवासन अभियन्ता खण्ड चतुर्थ, कोटा।	एम. पी. ए. 5,6 एच. आई. जी.	महावीर नगर	जनवरी, 1983
6.	आवासन अभियन्ता खण्ड पंचम, कोटा।	एम. पी. ए. 16,17 एच. आई. जी.	महावीर नगर	नवम्बर, 1983

सूची 'ब'

क्रमांक	अधिकारियों के नाम	मकान नं.	कब से	किराया प्रतिमाह	31/3/84 तक वसूल किया हुआ किराया
1.	श्री अनिल कुमार गर्ग	1–प– 1	27.2.84	144/-	168.00
2.	श्री ताराचन्द शर्मा	1–ख–28	1.8.80	79.50	3418.50
3.	श्री सी. पी. पुरोहित	1–ख–27	1.8.80	146.00	6278.00
4.	श्री के. ओ. पुरोहित	1–ख–26	1.6.82	137.50	2887.50
5.	श्री जे. पी. जोशी	1–ख–25	1.6.75	140.00	14700.00
					27452.00

(57)

परिशिष्ट–9

तारांकित प्रश्न संख्या 715 का विवरण

जांच रिपोर्ट

साप्ताहिक उद्बोधन पत्र में छपा समाचार विभाग में कार्यरत अधीक्षक श्री भीमसिंह देवड़ा के विरुद्ध अनियमितताएँ, रिश्वत लेने, भ्रष्टाचार आदि करने की कटींग माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज ने निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर अंकित किया है कि इस मामले की जांच की जाकर वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत कराया जावे।

इस संबंध में श्री मालाराम, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा विधान सभा में प्रश्न उठाया गया है। अ. प्रश्न संख्या 2033/अ. तां. का जो उत्तर विभाग द्वारा विधान सभा सदन की मेज पर रखा गया है वह पृष्ठ 12 से 16/सी. पर अवलोकनीय है। विभाग ने प्रश्न के बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 का द्वितीय भाग में जी हां के रूप में उत्तर भिजवाकर यह स्वीकार किया है कि कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाकर दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री भीम सिंह देवड़ा कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध साप्ताहिक उद्बोधन पत्र में निम्न आरोप लगाये गये हैं जिनकी रेकार्ड के आधार पर जांच की जाकर तथा प्रत्येक आरोपों पर टिप्पणी अंकित कर दी गई है :—

शिक़ायत	जांच की जाकर रेकार्ड के आधार पर तथ्य
(1) श्री देवड़ा द्वारा 250.00 रुपये गरीब महिला से लेकर शराब व अस्मत लूटने का आरोप लगाया है।	(1) इस शिकायत में न तो महिला का नाम पता दिया है और न ही उस महिला से संबंधित मामले (पदस्थापना या ट्रांसफर या विभागीय जांच आदि) का विवरण दिया है। अतः कार्यवाही सम्भव नहीं है।
(2) श्री देवड़ा द्वारा 6 माह का अनुचित रुपया आफिसियेटिंग का उठाया जबकि कार्यालय में कार्य का बटवारा हुआ कोई विशेष भत्ता देय नहीं है।	(2) इस संबंध में संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया तो विभागीय आदेश क्रमांक एफ ( ) संस्था/सी. डी. पी./प्रशा–1/2354 दि. 30.4.82 के

3/10

1	2
	द्वारा श्री माधोसिंह तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन) के सेवा निवृत होने के कारण कार्यालय अधीक्षक का चार्ज भी श्री भीमसिंह देवड़ा कार्यालय अधीक्षक जांच को अपने कार्य के अतिरिक्त दिया गया। साथ ही उक्त आदेश में भी अंकित किया गया है कि प्रशासन शाखा का कुछ कार्य ही उनके नियंत्रण में रहेगा बाकी सीधा डिलिंग क्लर्क द्वारा संबंधित अधिकारी को भिजवाया जावेगा। श्री देवड़ा को विभागीय आदेश के अनुसार दि. 1.5.82 से दि. 6.11.82 मे 31.10.82 तक राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ब) के अनुसार स्वयं के वेतन का 1/5 भाग कार्यवाहक भत्ता स्वीकृत किया गया है। श्री भीमसिंह देवड़ा कार्यालय अधीक्षकने दिनांक 14.9.82 को निदेशक, महोदयको यह लिखकर दिया है कि वे कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन) का कार्य नहीं करना चाहते। जबकि उन्होंने कार्यवाहक भत्ता दिनांक 1.5.82 से 31.10.82 तक उठाया है।
(3) श्री देवड़ा ने ग्राम पंचायत सनेट के सरपंच को चार्ज के संबंध में अवर सचिव के बजाय स्वयं के हस्ताक्षर कर के पत्र जारी किया जबकि न्यायालय में याचिका दायर थी।	(3) इस संबंध में जांच शाखा की पत्रावली क्रमांक एफ 3 (ए जे) स. मा./82 पंचायत सनेट का अवलोकन किया गया। श्री बृजमानसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत सनेट ने दिनांक 4.10.82 को निदेशक महोदय को इस आशय का आवेदन पत्र विभाग में प्रस्तुत किया कि पूर्व सरपंच द्वारा पंचायत का चार्ज नहीं सम्भलाया जा रहा है। कार्यालय अधीक्षक श्री देवड़ा ने उक्त पत्र पर दिनांक 4.10.82 को पत्रावली प्रस्तुत करने के आदेश देकर श्री गुप्ता व माथुर लिपिक को मार्क किया। संबंधित लिपिक द्वारा कार्यालय टिप्पणी पर कोई नोट नहीं दिया गया और न ही स्थिति अवगत कराई

गई है। दिनांक 12.10.82 को उप विकास आयुक्त (जांच) श्री पी. सी. बलाई कार्यालय में उपस्थित थे किंतु कार्यालय अधीक्षक श्री भीमसिंह देवड़ा ने उनके समक्ष न तो पत्रावली ही प्रस्तुत की और न ही आदेश प्राप्त किये। उन्होंने दिनांक 12.10.82 को अवर सचिव (जांच) के स्थान पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एक पत्र जिलाधीश सवाई-माधोपुर को जारी किया कि सरपंच सनेट को शीघ्र नियमानुसार चार्ज दिलाया जाकर विभाग को अवगत करें उक्त पत्र की प्रतिलिपि सरपंच व विकास अधिकारी हिन्डौन को भी दी गई। पृष्ट 25/सी. अवलोकन है।

इस प्रकार रेकार्ड के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से आता है कि श्री भीमसिंह देवड़ा, अधीक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग कर सम्बन्धित अधिकारी के बिना नोटिस में लाये स्वयं के हस्ताक्षरों से अवर सचिव (जांच) के स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर पत्र जारी किया जबकि उनको यह अधिकार नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा कि यह मामला मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है और न्यायालय द्वारा पूर्व सरपंच की रिट याचिका पर "स्टे आर्डर" दिया हुआ है।

(4) कार्यालय अधीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ़ (जयपुर) के पूर्व सरपंच से उनके किसी मामले में पैसे लेने का आरोप है।

(4) साप्ताहिक उद्बोधन दिनांक 11 मार्च, 83 में श्री भीमसिंह देवड़ा कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत यह भी छपी है कि उन्होंने पूर्व सरपंच रामगढ़ से नकल देने में पैसे लिये। समाचार पत्र में दिया गया उद्धरण भी छपा है कि नकल कई चक्कर काटने पर व श्री देवड़ा को रुपये देने पर ही मिली।

इस संबंध में जांच शाखा की पत्रावली एफ 3 (ए जे/15) जयपुर/68/का अवलोकन किया गया। रेकार्ड से यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री छीतरमल पूर्व सरपंच रामगढ़ ने दिनांक 16.8.82 को विभागीय आदेश दिनांक 28.4.78 की नकल चाहने हेतु निर्धारित फार्म पर 1/रुपये का कोर्ट फीस टिकिट लगा नकल चाही। इस आवेदन पत्र पर भी श्री भीमसिह देवड़ा कार्यालय अधीक्षक (जांच) ने दिनांक 30.8.82 को नियमानुसार नकल किये जाने के आदेश देकर पत्र संबंधित लिपिक श्री पी. सी. कुमावत कनिष्ठ लिपिक को दिया। इस पत्र क्रमांक 1618 दिनांक 30.8.82 जांच शाखा की जरनल रिसिट का नम्बर लगा हुआ है। जांच शाखा की जनरल रिसीट' का रजिस्टर भी देखा गया तो यह पत्र इस नम्बर पर दर्ज होना नहीं पाया गया बल्कि 1618 नम्बर खाली रखा जाकर 1619 नम्बर चालू किया गया। संबधित लिपिक की दैनिक डायरी में भी यह पत्र दर्ज होना नहीं पाया जाता है जबकि अन्य पत्र दर्ज हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि यह पत्र विभाग में डाक द्वारा प्राप्त हुआ अथवा पूर्व सरपंच द्वारा दस्ती दिया गया क्योंकि हस्ताक्षर करने वाले ने 16.8.82 दिनांक अंकित किया है और कार्यालय अधीक्षक ने 30.8.82 को आदेश दिये हैं।

सम्बन्धित लिपिक ने नोटशीट पर नकल देने के कोई आदेश प्राप्त नहीं कर पत्र के पीछे ही नियमानुसार देय है अतः हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं" लिखकर दिनांक 30.8.82 को कार्यालय अधीक्षक को तथा अवर सचिव (जांच) को मार्क किया। जबकि अवर सचिव (जांच) को यह भेजा ही नहीं गया

321

1	2
	ग्रौर नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि पर कार्यालय ग्रधीक्षक (जांच) द्वारा दिनांक 30.8.82 को हस्ताक्षर किये गये हैं। यहां यह भी उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि यह सारी कार्यवाही दिनांक 30.8.82 को एक ही दिन में पूरी करली गई जबकि नकल साधारण टिकट 1/1/-रुपये पर दी गई है जिसकी मियाद कम से कम 3 दिन की होती है। शंका का विषय है। कार्यालय ग्रधीक्षक को कोई स्टाम्प पर नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर देने का कोई ग्रधिकार नहीं है यह ग्रधिकार केवल राजपत्रित ग्रधिकारी को ही प्रदत्त है। इस प्रकार श्री भीमसिंह देवड़ा कार्यालय ग्रधीक्षक (जांच) ने ग्रपने पद का पूर्ण दुरुपयोग कर ग्रपने ग्रधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही की है।

इस संबंध में पैरा (1) एन पर माननीय मंत्री महोदय पंचायतीराज ने इस मामले की जांच कर वस्तुस्थिति से ग्रवगत कराने के ग्रादेश दिये हैं। रेकार्ड के ग्राधार पर श्री श्री भीमसिंह देवड़ा का. ग्रधीक्षक (जांच) के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करना तथा ग्रपने पद का पूर्ण दुरुपयोग कर रेकार्ड में हेराफेरी करना पाया जाता है। श्री देवड़ा ग्रस्थाई कार्यालय ग्रधीक्षक हैं। ग्रत: मेरा सुझाव है कि पैरा 6/एन के पालना में 17/सी. सी. ए. नियम की कार्यवाही की जावे तथा उन्हें या तो तत्काल निलम्बित कराया जावे ग्रथवा पदावनत कराया जावे।

ह०
(के. एन. गुप्ता)
उप शासन सचिव एवं पदेन
उप विकास ग्रायुक्त (प्रशासन)

परिशिष्ट- 10

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सकेत तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

आवासन मण्डल द्वारा मकानों के आवंटित एवं कब्जा दिये जाने के समय मकानों की स्थिति

717. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :–क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या राजस्थान आवासन मंडल में पंजीयन व आरक्षण के समय ही मकान का नम्बर, स्थान, नाप, प्लान, आवंटन की अवधि और कीमत की जानकारी लिखित में दे दी जाती है जिसमें फिर परिवर्तन न किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों और या सरकार अब ऐसी व्यवस्था करेगी ?

(2) पंजीयन के बाद आवंटन की क्या प्रक्रिया है ? आवंटन के बाद कब्जा नियमानुसार कितने समय में दे दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन व कब्जे के समय मकान पूरे नहीं होते व किश्तें चालू हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार इस प्रकार की अव्यवस्था को कैसे दूर करेगी ?

उत्तर

(1) पंजीकरण के समय आवेदन के आय प्रवर्ग, पंजीकरण के शहर का नाम एवं मकान के संभावित विक्रय मूल्य की सूचना दी जाती है। मकान का माप, नम्बर व स्थान की सूचना लाटरी निकालने के पश्चात दी जाती है।

(2) वर्तमान प्रक्रियानुसार आवंटन पूर्णत: अधिमानी सूचियों में से पंजीकरण वर्ष की वरिष्ठता एवं आय वर्गानुसार लाटरी के द्वारा किया जाता है। नियमों में समय निर्धारित नहीं है। आवंटी द्वारा वांछित राशि जमा कराने एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर व मकान पूर्ण होने पर मकान का कब्जा पत्र जारी कर दिया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) अव्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटित भूमि

718. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा) :- क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले तीन वर्षों में बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषकों/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से कितने-कितने आवेदन पत्र भूमि आवंटन बाबत प्राप्त हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरजाराम टाक)

(2) इनमें से कितनों को भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा कितनों के मामले विचाराधीन हैं एवं कितने आवंटियों के मुरब्बे (चक) खारिज कर दिये गए हैं ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले तीन सालों में बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के 1908, अनुसूचित जनजाति के शून्य, भूमिहीन कृषकों के 5195 व गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के 12359 आवेदन पत्र भूमि आवंटन हेतु प्राप्त हुए हैं।

(2) उपरोक्त प्राप्त आवेदन पत्रों के व्यक्तियों में से गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के 730, भूमिहीनों के 2053 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 3719 व्यक्तियों को भूमि का पुख्ता आवंटन किया जा चुका है। अनुसूचित जाति के 701, अन्य भूमिहीनों के 2349 तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 5028 व्यक्तियों के आवेदन पत्र वर्तमान में विचाराधीन हैं। उपरोक्त आवंटियों में से किसी के भी मुरब्बे का आवंटन खारिज नहीं किया गया है।

आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित मकान।

719. **श्री राम कंवर बैरवा** (फागी):- क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11-5-1983 को 925 मकान अनुसूचित जाति व जनजाति के सांसद विधायक व छोटे बड़े कर्मचारियों को लाटरी द्वारा आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कृपया मकान की श्रेणियां व संख्या, नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लाटरी निकालते समय, मकानों की सूचियां बनाते समय पक्षपात बरता जाने की शिकायतें हुईं जिनमें जवाहर नगर कालोनी, जयपुर में प्रभावशाली लोगों को ही एक साथ मकान आवटन करना सम्मिलित है ?

(3) कृपया उक्त तिथि की सूची में जवाहर नगर में स्वतंत्र एक मंजिले मकान आवंटियों के नाम, पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जारी शर्तों के अनुसरण में स्वतंत्र मकानों हेतु जिनका पंजीकरण उच्च आय वर्ग में किया गया था उनको छोटे मकान व फ्लेट्स देकर अधिक राशि वसूल करने का प्रयास किया गया और इस सम्बन्धी लिखित व मौखिक शिकायतों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) 938 आवेदकों का आरक्षण/आवंटन किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ठ "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जांच की जा रही है।

(324)

प्रश्न संख्या 719 का परिशिष्ट "अ"

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

उच्च आय वर्ग में पंजीकृत/अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों की
वरिष्ठता/आवंटन परिणाम सूची

शहर का नाम	जयपुर
आयवर्ग	उच्च आयवर्ग
भुगतान पद्धति	किराया क्रय पद्धति
लाटरी तिथि	11/5/83

क्र. सं.	आवेदक का नाम	चालान नं.	मकान नं.
	जी. आर. एस. 1973		
1.	श्री सोहन लाल सूरेला	1919	मा. नं. 6/279
2.	,, जगदीश प्रसाद	23478	ज. नं. 4/170
3.	श्रीमती घीसी देवी	32412	,, 4/51 एस. एफ./टी.
4.	श्री राजेश कुमार	49428	,, 4/158
5.	श्रीमती तीजा देवी	14254	,, 4/169 टी./जी. एफ. प्रो.

325

1	2	3	4
6.	श्रीमती नाथी देवी	25959	ज. न. 4/157 जी. एफ.
7.	श्री लक्ष्मी नारायण	37414	मा. नं. 6/21 डी. सी.
8.	,, गोहरी लाल	49133	,, 7/185 श्रो. श्रार. डी.
9.	,, तुलसीराम	35593	,, 7/186 एस. डी. सी.

जी. श्रार. एस., 1979

नकद भुगतान पद्धति

1.	श्री एन. के. बैरवा	53304	ज. नं. 4–त–9
2.	,, गुरुदेव सिंह	41875	,, 4–त–7
3.	कुमारी लक्ष्मी	63915	,, 4–त–4
4.	श्री गंगाराम सोनगरा	30023	,, 4–त–2
5.	सुश्री बादाम बैरवा	33586	,, 4–त–5

जी. श्रार. एस., 1979

किराया क्रय पद्धति

1.	श्री जमनालाल वर्मा	63878	मा. नं. 7/452 श्रो. श्रार. डी.
2.	श्रीमती मोहनी चंदेलिया	26146	,, 12/90 जी. एफ
3.	श्री रामेश्वरलाल	50032	ज. नं. 4/39 एफ. एफ.
4.	श्रीमती कमला चंदेलिया	35828	मा. नं. 6/276 श्रो. श्रार. डी.
5.	श्री परमानन्द ककोया	93	,, 7/449
6.	श्रीमती रामप्यारी	77479	,, 12/05 सी. एफ.

एस. श्रार. एस., 1975

1.	भीखा भाई	14	मा. नं. 7/448 श्रो. श्रार. डी.

ह०

सचिव

राज. आवासन मण्डल

जयपुर।

(326)

1	2	3	4
	एस. आर. एस. 1980-11		
	नकद भुगतान पद्धति		
1.	श्री सोहन लाल बंसीवाल	32132	ज. नं. 4 त 3
2.	श्री टूलाराम	35094	ज. न. 4 त 6
3.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	29361	ज. न. 4 त 1
4.	श्री छोगाराम बाकोलिया	34565	,, 4 त 8
	एस. आर. एस. 1980-81		
	किराया क्रय पद्धति		
1.	श्री समरथलाल	31418	मा. नं. 12/159 एफ एफ
2.	,, सुन्दरलाल	32005	,, 12/157 जी एफ
3.	,, पूंजीलाल (पूंजीलाल खराड़ी)	31455	ज. नं. 4/172 एफ एफ
4.	श्री भैरूलाल	35340	मा. नं. 12/06 जी एफ
5.	श्रीमती भगवती देवी	34554	,, 12/158 जी एफ
6.	श्री पीरूराम	34561	,, 6/270 ओ आर डी
7.	,, छोगालाल कंवरिया	32019	,, 12/153 जी एफ
8,	,, बीरबल	34574	,, 7/450 ओ आर डी
9.	,, भरतराम मीणा	35326	,, 12/156 एफ एफ
10.	,, द्वारका प्रसाद	31420	ज. न. 4/161जी एफ
11.	,, गोविन्द आमलिया	35350	मा. न. 6/275 ओ आर डी
12.	,, हरसहाय मीणा	34076	,, 12/89 जी एफ
13.	,, भंवरलाल	34552	,, 12/192 एफ एफ
14.	श्रीमती कमला मीणा	35010	जा. न. 1/137 जी एफ टी
15.	श्री शिवदान सिंह रावत	35026	,, 4/159 एफ एफ
16.	,, कैलाश मेघवाल	32120	मा. न. 6/277 ओ आर डी
17.	,, परसराम मोरदिया	31427	,, 7/454 ,,
18.	,, राजकुमार बैरवा	35303	,, 12/04 एफ एफ
	मध्यम आय वर्ग "ब" 1973		
	किराया व क्रय पद्धति		
1.	श्री ओमप्रकाश	14130	मा न. 13/70 एफ एफ
2.	,, श्रीराम	7927	,, 11/53 जी एफ

1	2	3	4
3.	श्री जे. पी गोठवाल	0392	मा. न. 13/112 जी एफ
4.	,, त्रिलोकराम सिंह	25503	,, 10/43 एफ एफ
5.	श्रीमती मवरी देवी	0939	,, 11/77 जी एफ
6.	श्री शिवराम	7927	,, 13/107 एफ एफ
7.	,, प्रेमचन्द	5797	,, 11/54 जी एफ
8.	,, चौहान	13506	,, 11/72 एफ एफ
9.	,, नोताराम	39249	,, 13/905 ,,
10.	,, विश्वंभरदयाल	22533	,,
11.		6733	,, 11/62 जी एफ
12.	,, मोहनलाल	35571	,, 13/76 एफ एफ
13.	,, जे. डी. सिंह	19048	,, 14/903 ,,
14.	,, एस. एम. मीणा	12449	,, 11/65 जी एफ
15.	,, टीकाराम	31473	,, 10/17 ,,
16.	,, राम रतन	4190	,, 13/970 ,,
17.	,, के. एल. बुंदेला	4925	,, 13/109 ,,
18.	,, वी. आर. हरिजन	39715	,, 13/110 ,,
19.	,, चौथमल	31670	,, 10/42 ,,
20.	,, सेडूलाल	21950	,, 10/30 ,,
21.	,, प्रेम कुमार	39253	,, 0/0 ओ आर. डी
22.	,, श्योजीराम	11000	,, 10/20 एफ एफ
23.	,, जी. सी. सोयल	35033	,, 11/52 ,,
24.	,, स्वराजमल	7307	,, 13/973 जी एफ
25.	,, जगदीश प्रसाद	30309	,, 11/51 एफ एफ
26.	,, घासीलाल	40043	,, 0/2 ओ आर. डी.
27.	,, प्रभात	2429	,, 0/4 ,,
28.	,, वी. एस. चौहान	0056	,, 0/5 ,,
29.	श्रीमती रूकमणी देवी	14277	,, 10/20 एफ एफ
30.	श्री रामसिंह	22022	,, 10/33 जी एफ
31.	,, रूपनारायण	2052	,, 13/980 एफ एफ
32.	,, रघुनाथ खीची	31395	,, 13/969 जी एफ
33.	,, एस. सी. भीराम	30409	,, 11/50 ,,
34.	,, रामनारायण	4276	,, 11/01 ,,

(328)

1	2	3	4
35.	श्री एम. एल. सोलंकी	10035	मा. न 10/15 एफ एफ
36.	,, तेजाराम	14250	,, 13/903 ,,
37.	,, मदनलाल	4227	,, 11/63 ,,
38.	,, रामप्रसाद	22747	,, 11/67 ,,
39.	,, बनवारी लाल	36919	,, 10/19 ,,
40,	,, भंवरलाल	25975	,, 13/902 जी एफ
41.	,, जीवनराम	25970	,, 11/00 एफ एफ
42.	,, चैतसिह	25062	,, 11/61 जी एफ
43.	,, रणजीत सिंह	44039	,, 11/56 एफ एफ
44.	के. एल. बैरवा	7309	,, 11/64 ,,

जी. आर. एस. 1979 मध्यम आय वर्ग "ब"

नकद भुगतान पद्धति

1.	श्री चरणदास	47237	मा. न. 13/05 एफ एफ
2.	,, रोड़राम बागड़ी	15005	,, 13/61 जी एफ
3.	,, भीम कुमार	60205	,, 13/73 एफ एफ
4.	,, विरधीचन्द	15150	,, 13/105 ,,
5.	,, रामगोपाल	57732	,, 10/21 जी एफ
6.	,, गौतम कुमार	50090	,, 13/99 ,,
7.	,, रूप सिंह	55735	,, 10/16 एफ एफ
8.	,, कल्याण सहाय बैरवा	65995	,, 13/60 जी एफ
9.	,, भौरी सिंह	36657	,, 13/143 ,,
10.	,, आर. सी. सिनगार	61365	,, 13/122 एफ एफ
11.	,, फूलचन्द आर्य	37055	,, 13/63 जी एफ
12.	,, छोटेलाल	20160	,, 10/22 ,,
13.	,, प्रहलादराय	60799	,, 13/162 ,,
14.	,, हीरालाल	37124	,, 13/90 ,,
15.	,, प्रेम किशोर	37106	,, 13/199 ,,
16.	,, जगदीश प्रसाद	79260	,, 13/77 ,,
17.	श्रीमती मोहनी देवी	44269	,, 10/24 ,,
18.	श्री राकेश कुमार	53017	,, 13/64 ,,
19.	श्रीमती लाली देवी	26349	,, 13/130 एफ एफ
20.	श्री रामशरण	43633	,, 13/76 ,,

1	2	3	4
	मध्यम आय वर्ग "ब" 1979 किराया क्रय पद्धति		
1.	श्री शंकरलाल	17005	मा. न. 13/92 एफ एफ
2.	,, बंसीलाल	46002	,, 13/00 जी एफ
3.	,, प्रभुदयाल	17724	,, 10/14 जी एफ
4.	,, मंगल सिंह	30503	,, 13/.17 एफ एफ
5.	,, भगवान सहाय	44605	,, 13/964 ,,
6.	,, जयसिंह	69129	,, 13/974 जी एफ
7.	,, आत्मा राम	36167	,, 0/5 एस डी सी
8.	,, एच. एस. काला	22005	,, 13/01 जी एफ
9.	, सूरजभान	63079	,, 13/120 जी एफ
10.	,, शंकर लाल	54221	,, 13/133 एफ एफ
11.	,, रामगोपाल	45217	,, 13/07 ,,
12.	,, राम पथिक	46211	,, 13/979 ,,
13.	,, दिलीप कुमार	31174	,, 13/147 जी एफ
14.	,, रामसिंह	23577	,, 13/144 ,,
15.	,, रामगोपाल	10794	,, 13/136 एफ एफ
16.	,, कृष्ण कुमार शर्मा	29530	,, 16/40 ,,
17.	,, वीरावत सिंह	50523	,, 13/125 जी एफ
18.	,, प्रताप सिंह	56763	,, 13/132 ,,
19.	,, रामस्वरूप	35300	,, 10/47 एफ एफ
20.	,, लक्ष्मी नारायण	64501	,, 13/00 ,,
21.	श्रीमती शकुंतला देवी	4724	,, 13/123 ,,
22.	श्री ओंकार मल	26667	,, 13/970 जी एफ
23.	,, इन्द्र कुमार	79305	,, 13/120 एफ एफ
24.	,, गोपी चन्द	21725	,, 13/901 जी एफ
25.	श्रीमती चन्द्रावती	70106	,, 10/44 एफ एफ
26.	श्री भंवरलाल	41011	,, 13/103 ,,
27.	,, रमेश चन्द्र	15030	,, 10/41 जी एफ
28.	,, फूलचन्द	20077	,, 13/90 एफ एफ
29.	,, लक्ष्मीनारायण	64191	,, 3/04 जी एफ
30.	,, रामावतार	9237	,, 11/74 ,,
31.	,, भगवती प्रसाद	24322	,, 11/66 ,,
32.	,, छीतरमल	53156	,, 13/63 ,,

Page No. 330

(330)

1	2	3	4	5
33.	श्री रामजीलाल	2700	मा. न	13/961 ,,
34.	,, गुलजारी लाल	51339	,,	13/972 एफ एफ
35.	,, रामपाल	6027	,,	10/13 जी एफ
36,	,, चौथमल	66654	,,	13/97 ,,
37.	,, दयाचन्द	56704	,,	13/09 ,,
38.	,, ओम प्रकाश	24901	,,	13/152 एफ एफ
39.	,, रामजीलाल	69202	,,	13/74 ,,
40.	,, रामस्वरूप	63324	,,	13/140 जी एफ
41.	,, देवचन्द	17901	,,	10/31 एफ एफ
42.	,, सुरेन्द्र कुमार	26030	,,	13/15 ,,
43.	,, राधेश्याम	36002	,,	10/29 जी एफ
44.	,, लादूराम लोटन	26655	,,	13/95 ,,
45.	,, कुंदनमल	62200	,,	13/971 ,,
46.	,, प्यारेलाल	63620	,,	13/116 जी एफ
47.	,, हीरालाल	22016	,,	10/54 ,,
48.	,, के. एल. मीणा	33935	,,	13/96 ,,
49.	,, करतार चन्द्र	49742	,,	10/34 ,,
50.	,, नन्दलाल	56964	,,	13/62 ,,
51,	,, छीतरमल	62030	,,	13/161 ,,
52.	,, अजय कुमार	66090	,,	13/150 ,,
53.	,, मोहनलाल	31787	,,	13/159 ,,
54.	,, मूलचन्द	16116	,,	13/145 ,,
55.	,, धीरेन्द्र कुमार	70970	,,	13/130 ,,
56.	,, बाबूलाल	5435	,,	10/50 ,,
57.	,, आर के. ठाकुर	62341	,,	11/76 एफ एफ
58.	,, कन्हैयालाल	54736	,,	10/51 ,,
59.	,, नरेश पाल	15072	,,	13/134 ,,
60.	,, रामकिशोर मीणा	71059	,,	13/137 ,,
61.	,, के. एस. लखरा	14206	,,	11/50 जी एफ
62.	,, बाबूलाल	77423	,,	10/52 ,,
63.	,, प्रहलाद राय	22521	,,	13/60 ,,
64.	,, कैलाश प्रसाद	44343	,,	13/91 एफ एफ

1	2	3	4
65.	श्री फूलचन्द	53022	मा. नं 13/142 जी एफ
66.	,, लक्ष्मीनारायण	17007	,, 13/115 ,,
67.	,, चदंगीराम	71270	,, 13/147 ,,
68.	,, भरतराय	27203	,, 13/101 एफ एफ
69.	,, राम	77225	,, 13/149 ,,
70.	,, धरम सिह	61923	,, 13/129 जी एफ
71.	,, फूलसिह	21062	,, 13/113 ,,

मध्यम आय वर्ग "ब" एस. आर. एस. 1980–81
किराया क्रय पद्धति

1.	श्री भरोसीलाल	32625	मा. न. 13/65 जी एफ
2.	,, मांगीलाल आर्य	35327	,, 11/111 ,,
3.	,, नरपतराय	35324	,, 13/141 ,,
4.	,, गोपाल पचेरवाल	32011	,, 1/57 ,,
5.	,, रंगजी मीणा	35323	,, 1/69 ,,
6.	,, नाथूराम	31436	,, 10/53 ,,
7.	,, मंगला भाई	31436	,, 13/94 ,,
8.	,, बालचन्द	31420	,, 13/114 ,,
9.	नाना लाल	34079	,, 8/6 ओ आर डी
10.	,, मेघराज तावड़	34572	,, 3/62 जी एफ
11.	,, अमर चन्द	35321	,, 13/977 ,,
12.	,, चेतराम	34600	,, 0/3 ओ आर डी
13.	,, नाथूराम	32109	,, 10/45 जी एफ
14.	,, कुंजीलाल	34002	,, 13/127 ,,
15.	,, भैरूंराम	34506	,, 13/76 ,,
16.	,, फतेह सिंह	32018	,, 13/966 ,,
17.	,, रामकिशोर	35330	,, 0/7 ओ आर डी
18.	,, सूरजाराम	35334	,, 13/101 जी एफ
19.	,, रामप्रसाद	31426	,, 13/160 ,,

(332)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

मध्यम आय "अ" में पंजीकृत अनुसूचित जाति/जन जाति के आवेदकों
वरिष्ठता/आवंटन परिणाम सूची

शहर का नाम	:	जयपुर
पंजीकरण वर्ष	:	सा.प. योजना 1973
आय वर्ग	:	मध्यम वर्ग "अ"
लाटरी तिथि	:	12-5-83

क्र. सं.	आवेदन का नाम	चालान नं.	मकान नं.	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
	अनुसूचित जाति/जन जाति (किराया क्रय पद्धति)			
1.	श्री मूलचन्द	37150	13/255	जी.एफ. मा. न.
2.	,, चेतनदास	42886	13/231	एफ.एफ. ,,
3.	,, थान सिंह	29648	13/1004	,, ,,
4.	,, राम कल्याण	42462	13/248	,, ,,
5.	,, हीरालाल	3004	13/169	,, ,,
6.	,, पास्कल	20566	13/204	,, ,,
7.	,, गोवर्धन लाल	24397	13/177	जी.एफ. ,,
8.	,, राम चन्द्र	7014	13/1005	,, ,,
9.	,, नोहक	2600	13/166	एफ.एफ. ,,
10.	,, बस्तीराम	44528	13/354	जी.एफ. ,,
11.	श्रीपती किसन देवी	12425	13/189	,, ,,
12.	श्री सुभाष चन्द	22823	13/1001	,, ,,
13	,, जी. एल. सालवी	22585	17.5×15 17/22	ओआरडी
14.	,, भंवर लाल	13992	13/259	जी.एफ. ,,
15.	श्रीमती टोपा देवी	20399	13/244	,, ,,
16.	श्री चेतराम	20798	13/220	एफ.एफ. ,,
17.	,, लक्ष्मी चन्द	22273	17.5×15 16/150	एस.डीजी.
18.	,, बाबूलाल	39160	7/132	एस.डी सी. ,,
18.	,, प्रभुलाल	38385	13/164	जी.एफ. ,,
20.	,, मोहर सिंह	5904	13/170	एफ.एफ. ,,

(333)

1.	2.	3.	4.	5.
21.	श्री मूलचन्द	40112 17.5×15	16/156	ओआरडी
22.	,, अमरसिंह	31982	13/232	एफ.एफ. ,,
23.	श्रीमती दुर्गादेवी	23637	13/1002	जी.एफ. ,,
24.	श्री यशवन्त सिंह	14072	13/251	,, ,,
25.	,, घासी लाल	20534	13/181	,, ,,
26.	,, नारायण	7355 17.5×15	17/16	ओआरडी
27.	,, भवर लाल	20727	13/218	एफ.एफ. ,,
28.	,, हरी प्रसाद	22738	13/167	,, ,,
29.	,, शक्ति कुमार	20378 17.5×15	17/13	ओआरडी
30.	,, गोपाल चन्द	3209	13/198	एफ.एफ. ,,
31.	,, बाबूलाल	40466	13/213	,, ,,
32.	श्रीमती कृष्णा देवी	21938 17.5×15	16/154	ओआरडी
33.	श्री पुरुषोत्तम लाल	24670	13/220	एफ.एफ. ,,
34.	,, श्रवणकुमार	21747	13/246	,, ,,
35.	,, राम कृष्ण	38637	13/197	,, ,,
36.	,, कालूराम	40435 17.5×15	16/171	ओआरडी
37.	,, बाबू लाल	16432	6/173	डी.सी. ,,
38.	,, नाथू लाल	18246	7/20	ओआरडी
39.	,, राम पाल	20795	14/243	जी.एफ. ,,
40.	,, चन्द्र प्रकाश	1877	13/1006	,, ,,
41.	,, प्रेम सिंह	25527	13/173	,, ,,

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

मध्यम आय वर्ग "अ" में पंजीकृत अनुसूचित जाति/जन जाति के आवेदकों की वरिष्ठता/आवंटन सूची

शहर का नाम	जयपुर
पंजीकरण का वर्ष	सा. प. यो. 1979
आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग "अ"
लाटरी तिथि	12-5-83

(334)

क्र.सं.	आवेदक का नाम	चालान नं.	मकान नं.	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

अनुसूचित जाति/जन जाति (नकद भुगतान)

1.	श्रीमती कान्ता	67564 (7.5 × 15)	7/14	ओआरडी मा नगर
2.	,, मक्खन लाल	77024 ,,	6/152	,, ,,
3.	,, बाबू राम	22272	13/203	एफ.एफ. ,,
4.	,, जगदीश प्रसाद	15738 (7.5 × 15)	7/24	ओआरडी ,,
5.	,, हरी सिंह	15759	13/196	जी.एफ. ,,
6.	,, बजरंग लाल	68245	13/175	जी.एफ. ,,
7,	,, जगदीश नारायण	24081	13/235	एफ.एफ. ,,
8.	,, निरंजनसिंह	42578	13/229	,, ,,
9.	,, कन्हैया लाल	61439	13/252	,, ,,
10.	,, गोपाल लाल वर्मा	78685	13/257	जी.एफ. ,,
11.	,, शंकर लाल	58217	13/188	एफ.एफ. ,,
12.	,, मोती लाल	42604	13/245	,, ,,
13.	,, रामपाल बैरवा	60991	13/242	जी.एफ, ,,
14.	,, रामस्वरुप मेहरा	67337	13/223	,, ,,
15.	,, सोनी राम	14961	13/191	,, ,,
16.	,, भूरामल बालोटिया	59103 (7.5 × 15)	6/174	ओआरडी ,,
17.	,, श्रीकृष्ण मीना	18656	13/146	एफ.एफ. ,,
18.	,, शान्तीराम वर्मा	67052	13/225	,, ,,
19.	,, चिरंजी लाल	58402	13/185	,, ,,
20.	,, दुर्गा सहाय योगी	58393	13/190	जी.एफ. ,,
21.	,, कन्हैयालाल कालोटिया	29444	13/209	,, ,,
22.	,, राजा राम	45727	13/205	एफ.एफ. ,,
23.	,, गणेश लाल	51850	13/172	,, ,,
24.	,, रामलाल तंवर	30376	13/253	जी.एफ. ,,
25.	,, दीनाराम राघव	38306	13/168	एफ.एफ. ,,
26.	,, नाथूराम	26347	13/187	,, ,,
27.	,, गोपाल लाल	78312	13/234	,, ,,
28.	,, लेखराम वर्मा	48971	13/207	जी.एफ. ,,
29.	,, बंशीलाल बुनकर	38942	13/171	एफ.एफ. ,,

1.	2.	3.	4.	5.	
30.	श्री रामसहाय मीना	54619 (7.5×15)	6/157	ओआरडी	मा.नगर
31	,, सोहनलाल वर्मा	11475	13/199	जी.एफ.	,,
32.	,, रामगोपाल वर्मा	77236	13/240	,,	,,
33.	,, पूरणमल कावत	48234	13/207	एफ.एफ.	,,
34.	,, मूरीब सिंह	46000	13/1007	,,	,,
35.	,, राम लाल	16132	13/219	,,	,,
36.	,, प्रेम चन्द	37111 (7.5×15)	7/23	ओआरडी	,,

मध्यम आय वर्ग "अ" (किराया क्रय पद्धति)

1.	श्री बाला सहाय	40350 (7.5×15)	7/2	ओआरडी	मा.न.
2.	,, मोहनलाल	55844	13/203	जी.एफ.	,,
3.	,, मोहरी लाल कोली	20894	13/222	,,	,,
4.	,, जगनलाल मीना	1730 (7.5×15)	7/19	ओआरडी	,,
5.	,, मांगी लाल	76775	13/174	जी.एफ.	,,
6.	,, मोहरी लाल मीना	76044 (7.5×15)	7/12	ओआरडी	,,
7.	,, घासी लाल	66897	13/174	जी.एफ.	,,
8.	,, बद्री प्रसाद मीना	21391 (7.5×15)	6/155	ओआरडी.	,,
9.	,, मोहनलाल	15398	7/17	,,	,,
10.	,, बी.एस. पाठक	25730 ,,	6/153	,,	,,
11.	,, धन्ना लाल मीना	73505 (7.5×15)	6/151	,,	,,
12.	,, डी.आर. पालडिया	65482	13/238	जी.एफ.	,,
13.	,, हरी शंकर	63528	13/184	एफ.एफ.	,,
14.	श्रीमती मूली देवी	76772	13/205	जी.एफ.	,,
15	श्री हरी सिंह	64467	13/249	एफ.एफ.	,,
16.	,, कैलाश चन्द्र	12745	11/204	जी.एफ.	,,
17.	,, परमानन्द	42535	13/228	,,	,,
18.	,, मंगतूराम	43535 (7.5×15)	7/25	डी.सी.	,,
19.	,, रामचन्द्र धनवाल	22900	13/256	जी.एफ.	,,
20.	,, रामगोपाल मीना	65904	13/176	,,	,,
21.	श्रीमती दाफली देवी	14582	13/247	एफ.एफ.	,,

1.	2.	3.	4.	5.	
22.	श्री मूरली मोहन	12538	13/202	एफ एफ ला.	नगर
23.	,, फली राम	63387 (7.5×15)	7/18	ओआरडी	,,
24.	,, गोविन्द राम	17815	13/183	एफ.एफ.	,,
25.	,, छीतर मल	57825	13/155	जी.एफ.	,,
26.	,, देवी लाल	52178	13/203	,,	,,
27.	,, भागीरथ	42238	13/22	,,	,,
28.	,, राम किशोर	16422	13/256	एफ.एफ.	,,
29.	,, रेवती लाल	6 574	13/227	जी.एफ.	,,
30.	,, घनश्याम	714	7/15	ओआरडी	,,
31.	,, हर भजन	42032	13/211	जी.एफ.	,,
32.	,, मनोहर लाल	65063	13/239	,,	,,
33.	,, जे. आर. मीना	57825	13/1000	,,	,,
34.	,, राम नारायण	69006	13/1008	,,	,,
35.	,, लाल चन्द	21401	13/212	जी.एफ.	,,
36.	,, सोनाती लाल	10342	13/1003	एफ एफ.	,,
37.	,, एन. वी. चेलानी	52698	13/165	,,	,,
38.	,, राम सिंह	58470	13/163	जी.एफ.	,,
39.	,, राधा कृष्ण	30384	13/199	एफ.एफ.	,,
40.	,, लाल खटीक	42179	13/176	जी.एफ.	,,
41.	,, शिव लाल खटीक	48200	13/	,,	,,
42.	,, कु. सन्तोष	77470	6/175	ओआरडी	,,
43.	श्री घासी लाल	59684	13/241	जी.एफ.	,,
44.	प्रेम नारायण	42166	7/133	एसडीसी	,,
46.	,, हीरा लाल	33894	6/172	,,	,,
46.	,, देवी लाल	57049	7/11	,,	,,
47.	श्रीमती हर देवी	43300	13/237	जी.एफ.	,,
48	श्री सुख राम	23876	13/233	एफ.एफ.	,,
49.	,, उदय राम खटीक	37459	13/226	जी.एफ.	,,
50.	,, सी.एम. रेगर	36168	13/258	,,	,,
51	नानू राम	26976	13/192	,,	,,
52.	,, राम सिंह	47164	13/217	एफ.एफ.	,,
53.	,, राम गोपाल	72476	13/280	जी.एफ.	,,

1.	2.	3.	4.	5.	
54.	श्री अड्डी राम	61537	13/194	जी.ऐफ.	मा. नगर
55.	,, सत्य नारायण	23820	13/206	,,	,,
56.	,, राम चरण	19591	13/214	ऐफ.ऐफ.	,,
57.	,, नानक राम	51474	13/200	,,	,,
58.	,, हर फूल	14473	13/182	,,	,,
59.	,, दुर्गा प्रसाद	51068	13/216	,,	,,
60.	,, टेक चन्द	30312	13/230	,,	,,
61.	,, भगवान दास	73968	14/21	,,	,,
62.	,, हीरा लाल	41503	13/178	जी.एफ.	,,
63.	श्रीमती संजय मीना	61846	13/170	एफ.एफ.	,,
64.	श्री गोविन्द नारायन मीना	76535	13/188	,,	,,
65.	,, राम किशन	46075	13/169	,,	,,
66.	,, श्रवण लाल	51357	13/163	,,	,,
67.	,, हरी नारायण	51743	13/189	,,	,,
68.	,, मोती लाल	14551	13/190	,,	,,
69.	,, राम गोपाल	26407	13/174	,,	,,
70.	,, जगदीश प्रसाद	60579	13/179	जी.ऐफ.	,,
71.	,, राम चन्द्र	67011	13/166	ऐफ.ऐफ.	,,
72.	,, नाथू लाल	78359	13/181	,,	,,
73.	,, केसर राम	80007	13/183	,,	,,
74.	,, चिरंजी लाल	78328	13/167	,,	,,
75.	,, ओम प्रकाश	62382	13/175	जी.एफ.	,,
76.	,, ब्रह्मपाल	71857	13/94	,,	,,
77.	,, रामावतार पाटनी	97051	13/183	एफ.एफ.	,,
78.	,, फूलचन्द	62466	13/168	,,	,,
79	,, रामजी लाल मीना	59441	13/164	जी.एफ.	,,
80.	,, बृज मोहन	59818	13/184	एफ.एफ.	,,
81.	,, मोहरी लाल	21051	13/165	,,	,,
82.	,, कालू राम	18035	13/172	,,	,,
83.	,, श्रवण कुमार	18046	13/180	जी.ऐफ.	,,
84.	,, राम सिंह	14504	13/176	,,	,,
85.	,, चन्दा लाल	581	13/192	,,	,,

Page No. 338

(340)

1.	2.	3.	4.	5.
86.	श्री प्रेम नारायण	30229	13/172	एफ.एफ. मा. नगर
87.	,, राम चन्द्र	55513	13/191	,, ,,
88.	,, सी.ऐल. मीना	37479	13/191	,, ,,
89.	,, लक्ष्मण लाल	39034	13/192	एफ.एफ. ,,
90,	,, राजेन्द्र सिंह	33037	13/186	,, ,,
91.	,, सुभाष चन्द मीना	39285	13/177	जी.एफ. ,,
92.	श्रीमती नारायणी देवी	51937	13/171	एफ.एफ. ,,
93.	श्री लक्ष्मी नारायण	75882	13/187	जी.एफ. ,,

(आरक्षण)

94.	श्री हरिश कुमार गहलोत	63458
95.	" कन्हैयालाल मीणा	39378
96.	" सोहन लाल	36212
97.	" विरदी चन्द	62352
98.	" बंशी मोहन	24300
99.	" महेन्द्र कुमार	77050
100.	" गोपीराम मीना	6157
101.	" मोती लाल	27630
102.	" खेम चन्द्र	28716
103.	" तोता राम मीना	73210
104.	" चान्द्र शेखर	51407
105.	" मोहन लाल	6803
106.	" मवल किशोर	4747
107.	" प्रभाती लाल	23496
108.	" गोपीराम शंखला	34120
109,	" तेज राम नेरुला	40469
110.	" वंशीधर	31758
111.	" नवरतन सिंह	57484
112.	" जे.आर. आर्य	66974
113.	" रामजी लाल मीना	57993
114.	" चरण दास	43431

2.	2.	3.	4.	5.
115,	श्री बद्री प्रसाद	53305		
116.	" कपूर चन्द मीना	20697		
117.	" राम सहाय बोहरा	76650		
118.	" मोहन लाल	32473		
119.	" हीरा लाल	64852		
120.	" फूलचन्द्र	20270		
121.	" आर.ऐस. मीना	54621		
122.	" प्रभु दयाल	53120		
123.	" राम कुमार वर्मा	61820		
124.	" राम चन्द्र वल्लभ	22240		
125.	" नानक राम	50113		
126.	" रमा कान्त	65006		
127.	" हरी नारायण	31441		
128.	" मुरारी लाल	22012		
129.	" लखन सिंह	44623		
131.	" भगवान सहाय	33735		
130.	" प्रभु दयाल	17129		
132.	" हीरा लाल	76773		
133.	" धर्मपाल	44138		
134.	" गोपीचन्द गंगवाल	29434		
235.	" श्याम लाल	23462		
136.	" बच्चू सिंह	49155		
137.	" मक्खन लाल	55993		
138.	" रामेश्वर दयाल	28741		
139.	" गिर्राज सिंह	73377		
240.	" कालूराम	28741		
141.	श्रीमती शान्ति देवी	33293		
142.	श्री प्रेम सिंह	69167		
143.	" भोंहरी लाल	54001		
144.	" कुन्दन लाल	24412		
145.	" बोधन लाल	74944		
146.	" लक्ष्मी नारायण	70676		
147.	" छगन लाल	80071		

(340)

1	2	3	4	5
148.	श्री किशोरी लाल	71758		
149.	" फूल सिंह	58528		
150-	" प्रभु दयाल	61910		
151.	" गौरी शंकर चन्देल	59765		
152.	श्रीमती कुसुम कुमारी	17032		
153.	" सुगन चन्द	31984		
154.	श्री पोती लाल	31548		

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सामान्य पंजीकरण योजना 1979 में अनुसूचित जाति/जनजाति के पंजीकृत आवेदकों की वरिष्ठता एवं आरक्षण सूची।

शहर का नाम	जयपुर
पंजीकरण वर्ष	1971
साइज एवं आयवर्ग	एल. आई. जी.
ड्रा की तारीख	13-5-83

क. संख्या	आवेदक का नाम	चालान नं.	मकान नं.	विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री भगवत स्वरूप	6335	8/226	मा. न.
2.	श्री सोहनलाल	3553	8/225	मा. न.

सामान्य पंजीकरण योजना 1973 (किराया क्र. प.)

1.	श्री योगेन्द्रसिंह	2393	10/99	मा. न. एस. एफ.
2.	श्री प्रभु	18839	10/119	मा. न. एफ. एफ.
3.	श्री जगदीश नारायण	16994	2/302	ज. नगर
4.	श्री भागूराम	32719	10/82	एस. एफ. मा. न.
5.	श्री कन्हैयालाल	25042	10/147	" " " "

1	2	3	4	5
6.	श्री जितेन्द्र कुमार	22625	10/140	एफ.एफ. मा.नगर
7.	श्री हरिशंकर बैरवा	20367	10/187	,, ,, ,, ,,
8.	श्री नाथूलाल	19366	10/83	जी. एफ. ,, ,,
9.	श्री बालम	17604	2/256	जवाहर नगर
10.	श्री रामपाल राना	16158	10/138	एस. एफ. मा. न.
11.	श्री छाजूराम	24193	2/248	ज. न.
12.	श्री मती दाखादेवी	8737	10/115	एफ. एफ. मा. न.
13.	श्री कानाराम	25090	10/86	,, ,, ,, ,,
14.	श्री दुर्गालाल	17236	10/175	एस. एफ. मा. न.
15.	,, रामचन्द्र	4200	10/129	एस. एफ. ,, ,,
16.	,, मोहनलाल	8640	10/133	एफ. एफ. मा. न.
17.	,, फूलचन्द	14420	10/171	एस. एफ. मा. न.
18.	,, लक्ष्मी नारायण	25998	10/142	एफ. एफ. ,, ,,
19.	,, लक्ष्मी नारायण	46002	2/303	जव. नगर
20.	,, बुद्धि प्रकाश	3785	10/106	एफ. एफ. मा. न.
21.	,, राम स्वरुप	22825	10/178	,, ,, ,, ,,
22.	,, रामसहाय	6668	10/81	जी. एफ. ,, ,,
23.	,, राधाकिशन	39952	10/173	एस. एफ. ,, ,,
24.	,, भंवरलाल	39446	10/117	एस. एफ. ,, ,,
25.	,, रामदयाल	22744	10/158	एफ. एफ. ,, ,,
26.	श्रीमती ग्यारसीदेवी	37454	10/105	,, ,, ,, ,,
27.	श्री सोहनसिंह	1919	10/187	,, ,, ,, ,,
28.	,, डालूराम	3154	10/144	,, ,, ,, ,,
29.	,, बिरदीचन्द	1259	10/103	ओ. एफ. ,, ,,
30.	,, प्रेम चन्द	9740	10/152	मा. न. जी एफ.
31.	,, मनोहरिलाल	32720	10/89	,, ,, एफ. एफ.
32.	,, भंवरलाल	7707	10/112	,, ,, जी एफ.
33.	,, करनसिंह	29644	10/126	,, ,, ,, ,,
34.	,, नानकराम	15998	10/144	,, ,, ,, ,,
35.	,, रमेश	22292	2/505	जन. नग. एस. एफ.
36.	,, बाबूलाल	18336	10/177	मा. न. एफ. एफ.
37.	रामजीलाल	22292	10/104	मा. म. ,, ,,

342

1	2	3	4	5
38.	कुमारी उर्मिला सोलंकी	18834	10/192	मा. म. जी. एफ.
38.	श्री रामनिवास	6296	10/127	,, ,, ,, ,,
39.	अपना शकर	37155	10/131	,, ,, एफ. एफ.
41.	,, कन्हैयालाल	9789	10/153	,, ,, जी. एफ.
42.	,, नाथूराम	39159	10/110	,, ,, ,, ,,
43.	,, कालू	93	10/156	,, ,, जी. एफ.
44.	,, भंवरीलाल	49369	2/504	जवा. न. एस. एफ.
45.	,, सीताराम	49955	10/175	मा. न. जी एफ.

सामान्य पंजीकरण योजना, 1979 (नकद भुगतान पद्धति)

1.	श्री कन्हैयालाल	30611	1/264	वन विहार कार्नर
2.	,, बी. एन. छापोलिया	15245	1/309	,, ,, कार्नर
3.	,, केशर देव	37185	2/320	,, ,, आर. डी.
4.	,, राम करण मीना	58676	1/261	,, ,, कार्नर
5.	,, प्रभुनारायण	18076	1/308	,, ,, आर. डी.
6.	,, जगदीश प्रसाद	51465	1/261	,, ,, कार्नर
7.	,, राधेश्याम	18168	2/312	,, ,, कार्नर
8.	,, राधेश्याम	64514	2/312	,, ,, आर. डी.
9.	,, सीया राम	14687	1/75	,, ,, कार्नर
10.	,, गौरी शंकर	76233	2/576	जवाहर नगर, एस.एफ.
11.	,, दीपकचकुमार	36002	1/373	वन विहार कार्नर
12,	,, रामलाल वर्मा	49312	10/88	मालवीय नगर एफ.एफ.
13.	,, देवी सहाय	73083	2/305	वन विहार आर.डी.
14.	,, जगदीशकुमार	60281	10/85	मा. न. जी. एफ.
15.	,, नन्दलाल मीणा	54618	10/122	मा. न. ,, ,,
16.	,, सम्पतलाल	66099	10/182	,, ,, ,, ,,
17.	,, मनफूल वर्मा	39318	1/381	वन विहार आडीनरी

सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के अल्प आयवर्ग (किराया क्रय पद्धति)

1.	,, बिरदी चन्द	24553	1/357	व. वि. आर. डी.
2.	,, भंवरलाल	31944	1/200	,, ,, ,, ,

1	2	3	4	5
3.	,, हजारीलाल	41505	1/173	वन वि आर. डी.
4.	,, छगन जाटव	62265	1/397	,, ,, ,, ,,
5.	,, नानग राम	29643	10/188	मा. न. एफ. एफ.
6.	,, कालूराम	24548	10/119	,, ,, जी. एफ
7.	,, हीरालाल	52790	10/197	वन विहार कार्नर
8.	,, राम सहाय रेंगर	15850	10/93	मा. न. जी. एफ.
9.	,, चिरंजीलाल रेंगर	65170	14/149	मा. न. एफ.एफ.
10.	,, गिरीराज प्रसाद	42054	10/123	,, ,, ,, ,,
11.	,, नन्दकिशोर वर्मा	40495	10/154	मा. न. जी. एफ.
12.	,, गोरूलाल	68700	10/165	वन. विहार कार्नर
13.	मागूलाल	25858	10/184	,, ,, आरडीनरी
14.	श्रीमती मुन्नी देवी	43819	1/157	वन विहार आरडीनरी
15.	श्री गोविन्दराम	60764	10/165	मा. न. जी. एफ.
16.	,, नारायणलाल मीणा	63412	1/213	वन विहार आडीनरी
17.	,, बन्शीलाल	62363	10/139	मा. न. ए. एफ.
18.	,, फूलचन्द	54316	2/263	जवाहर नगर,
19.	,, शनिराम	45605	1/317	वन विहार आर. डी.
20.	,, विरदीचन्द मीणा	61036	10216	,, ,, ,, ,,
21.	,, हरिसिंह	75353	2/301	व. वि. आर्डीनरी
22.	,, जगदीश प्रसाद	65983	1/400	वन वि. कार्नर
23.	,, महेशप्रसाद	54475	2/276	जवाहर नगर
24.	,, रामनारायण	25518	10/161	माल. नगर एफ.एफ.
25.	,, चन्द्राराम	64800	10/179	,, ,, एफ. एफ.
26.	,, रामलाल	62204	10/141	,, ,, ,, ,,
27.	,, बंशीधर	23389	1/280	वन वि. आर. डी.
28.	,, गंगाराम	48981	1/392	,, ,, ,, ,,
29.	,, भोमालाल	71428	1/240	,, ,, ,, ,,
30.	,, राम स्वरूप	27934	2/575	ज. नगर एस.एफ.
31.	,, नाथीलाल	13627	10/18	मा. नगर एफ.एफ.
32.	,, बुद्धालाल	62630	1/144	वन वि. आर्डीनरी
33.	,, भैरूलाल	69181	10/184	मा. न. जी. एफ.
34.	,, भोमसिंह	61991	10/137	,, ,, ,, ,,

(344)

1	2	3	4	5
35.	श्री ईश्वरलाल	64034	2/52	व. वि. जी. एफ.
36.	,, शंकरदास	46801	10/87	मा. न एफ. एफ.
37.	,, हनुमान सहाय	14090	10/145	,, ,, जी. एफ.
38.	,, मोहनलाल	65196	10/96	,, ,, एफ. एफ.
39.	,, भरतलाल	44336	2/140	व. वि. कार्नर
40.	,, बाबूलाल	42823	10/160	मा. न. जी. एफ.
41.	,, शंकरलाल	14464	1/160	वन. वि. कार्नर
42.	,, कल्याण मल	35834	1/229	कार्नर व. वि.
43.	,, लखा मीणा	70444	10/111	जी. एफ. मा. न.
44.	,, गोविन्दनारायण मीणा	76902	10/159	मा. न. एफ.
45.	,, मोतीराम	29924	10/191	,, ,, जी. एफ.
46.	,, मोतीलाल	48074	10/136	,, ,, ,, ,,
47.	श्रीमती नारायणीदेवी	60735	10/157	,, ,, ,, ,,
48.	श्री रामकिपाल	25718	10/169	मा. न एफ. एफ.
49.	,, भागचन्द	31697	1/142	व. वि. आर्डीनरी
50.	,, सत्यनारायण	16405	2/225	,, ,, ,, ,,
51.	,, फूलचन्द हरिजन	49119	10/160	मा. न. एफ. एफ.
52.	,, रामनरायण मीणा	68093	1/349	वन विहार आर्डीनरी
53.	,, बुधाराम	77866	10/181	मा. न. जी. एफ.
54.	श्रीमती भवर कुमारी	23853	1/220	,, ,, व. वि. आ.
55.	श्री बसंतलाल	74463	1/138	व. वि. आर्डीनरी
56.	,, कैलाशचन्द	48939	2/302	जवाहर नगर
57.	,, गिरधारीलाल	20882	1/147	व. वि. आर्डीनरी
58.	,, जवाहरलाल	33598	1/302	व. वि. नगर
59.	,, भीमसिंह	56518	10/148	मा. न. एस. एफ.
60.	,, रामकुमार	10371	1/389	व. वि. आर्डीनरी
61.	,, राधेश्याम	29435	2/308	,, ,, ,,
62.	,, राजेन्द्रकुमार	38405	10/146	मा. न. एस. एफ.
63.	,, रामनारायण	30609	10192	व. वि. कार्नर
64.	,, बालकिशन	72390	10/92	मा. न. जी. एफ.
65.	,, प्रभुनारायण मीणा	69464	10/170	मा. न. एफ.एफ.
65.	,, अशोककुमार	23992	10/108	मा. न. जी. एफ.
67.	,, रामलाल	58547	10/130	,, ,, ,, ,,

1	2	3	4	5
68.	श्री प्रेमचन्द	72751	1/552	वन. वि. आर्डीनरी
60.	,, नवलकिशोर	85160	1/328	,, ,, ,, ,,
70.	,, लोहनलाल बैरवा	66240	2/294	जवाहर नगर
71.	,, जगदीशचन्द	66969	2/477	ज. न. एस. एफ.
72.	,, हनुमान सहाय	31679	10/185	मा. न. एफ. एफ.
73.	,, कन्हैयालाल बैरबा	61583	1/253	वन वि. आर्डीनरी
74.	,, रघुनाथ प्रसाद मीणा	75220	1/243	,, ,, ,, ,,
75.	,, घन्नलाल	64825	2/293	जवाहर नगर
76.	,, राम स्वरूप	62180	10/163	मा. न. जी. एफ.
77.	,, आनन्दीलाल	2428	10/95	मा. न. एफ. एफ.
78.	,, मदनलाल कोली	16119	10/109	,, ,, जी. एफ.
79.	,, मुक्तिलाल	55817	10/132	,, ,, एफ. एफ.
80.	श्रीमती शांति देवी	34293	2/240	व. वि. आर्डीतरी
81.	श्री जगदीश मीना	78483	1/293	,, ,, ,, ,,
82.	,, हरिसिंह	74506	10/172	मा. न. एस. एफ.
83.	,, दयानन्द	72718	2/73	व. वि. आर्डीनरी
84.	भमवानदास	63470	1/221	व. वि. आर्डीनर
85.	,, राम गोपाल महावर	70473	10/139	मा. न. एफ.एफ.
86.	,, हनुमान सहाय	26855	1/405	व. वि. कार्नर
87.	,, बालकिशन	76678	1/237	व. वि. आर्डीनरी
88.	,, बन्दालाल मीणा	43042	10/100	मा. न. जी. एफ.
89.	,, नेकी राम	40808	10/112	,, ,, ,, ,,
90.	,, अभाई देव	14929	1/232	व. वि. आर्डीनरी
91.	,, सीताराम सांवल	27537	2/221	व. वि. कार्नर
92.	श्रीमती राधा	33578	10/118	मा. न. जी एफ.
93.	,, मोतीलाल	77031	10/190	,, ,, ,, ,,
94.	,, महेन्द्रसिंह	53692	1/333	व. वि. आर्ठीनरी
95.	,, रामकिशन	74016	1/245	व. विहारी
96.	,, हीरालाल वर्मा	45850	10/185	मा. न. जी. एफ
97.	,, कल्याण सहाय	29100	2/237	व. वि. आर्डीनरी
98.	,, जितेन्द्रकुनार	25788	1/153	,, ,, कार्नर
99.	,, सुलतानमल धाबाई	56373	10/189	मा. न. जी. एफ.
100.	,, सोभराज	14177	10/91	,, ,, ,, ,,

1	2	3	4	5
101.	श्री मुलचन्द	18097	8/224	मा .न. आर्डीनरी
102.	,, प्रमुलाल खन्डोकर	42507	1/336	,, ,, कार्नर
103.	,, मदनलाल	67285	10/193	,, ,, जी. एफ.
104.	,, विनोदकुमार	39380	10/164	,, ,, ,, ,,
105.	,, हेमराज बैरवा	56852	1/205	व. वि. आर्डीनरी
106.	,, अमरालाल	41510	1/224	,, ,, कार्नर
107.	,, मालकचन्द	130	1/269	,, ,, आर्डीनरी
108.	,, मदनलाल धोबी	77027	1/365	व. वि. आर्डीनरी
109.	,, छोटूसिंह	37868	10/120	मा. न. जी. एफ.
110.	,, दीनदयाल	21512	10/84	,, ,, ,, ,,
111.	,, रामलाल	37727	1/341	व. वि. कार्नर
112.	श्रीमती कमला	50526	10/98	मा. न. एफ.एफ.
114.	श्री नानराम	21973	10/151	मा. न. ,, ,,
113.	कुमारी बी. कापडिया	31550	10/180	मा. न. जी. एफ.
115.	श्री प्रेमकुमार	71897	8/228	मा. न. डी. सी.
116.	,, रूपचन्द	52503	1/290	व. वि. आर्डीनरी
118.	,, सन्तोषकुमार	59863	1/208	,, ,, ,, ,,
117.	,, कानाराम मीणा	52642	1/168	,, ,, ,, ,,
119.	,, रूपनारायण	47543	1/149	,, ,, ,, ,,
120.	,, राम प्रकाश मीणा	57411	10/168	मा. न. एफ.एफ.
121.	,, कन्हैयालाल	26919	10/90	मा. न. जी. एफ.
122.	,, राजेन्द्रसिंह	33954	1/312	व. वि. आर्डीनरी
123.	,, फूलचन्द	65192	1/304	व. वि. कार्नर
124.	,, मोहनलाल	26760	1/256	,, ,, ,,
125.	,, पूरणमल वर्मा	78162	10/94	मा. न. जी. एफ.
126.	,, दुर्गा	63499	1/344	व. वि. आर्डीनरी
127.	,, कैलाशचन्द	54279	1/376	,, ,, ,, ,,
128.	,, देवीसहाय	30309	10/150	मा. न. एफ.एफ.
129.	,, नवलकिशोर	65154	10/124	,, ,, ,, ,,
130.	,, ज्ञानचन्द	76000	2/523	ज. न. एस. एफ.
131.	,, सत्यनारायण	40793	10/97	मा. न. एफ. ,,
132.	,, नेमीचन्द	59585	2/317	व. वि. आर्डीनरी
133.	श्रीमती कानी देवी	16115	10/128	मा. न. जी. एफ.

1	2	3	4	5
134.	कुमारी सुलोचना	62652	2/172	व.वि. आर.डी.
135.	श्री कालूराम	60241	2/265	जवाहर नगर
136.	,, दीपचन्द	75997	10/143	मा. न. एफ.एफ.
137.	,, कालूराम खटीक	31868	10/116	,, ,, ,, ,,
138.	,, दिगम्बरसिंह	38554	1/205	व. वि. आर्डीनरी
139.	,, छुट्टनलाल	45391	2/233	,, ,, ,,
140.	,, रामेश्वर प्रसाद	50265	10/107	मा. न. एफ.एफ.
141.	,, रामकरण बैरवा	24889	1/273	व. वि. कार्नर
142.	,, श्योजी राम मीणा	62405	10/155	मा. न. जी. एफ.
143.	,, रामधन	64548	2/217	व. वि. कार्नर
144.	,, शीभुदयाल	74420	1/296	,, ,, आर्डीनरी
146.	,, एस. एल. वर्मा	41743	10/186	मा. न. एफ.एफ.
146.	,, उदयसिंह रावत	33085	1/189	व. वि. आर्डीनरी
147.	,, चिरंजीलाल	76939	1/325	,, ,, ,,
148.	,, ताराचन्द	31968	10/125	मा. न. एफ.एफ.
149.	,, कन्हैयालाल बैरवा	61821	1/360	व. वि. आर्डीनरी
150.	,, प्यारेसिंह	73072	10/101	मा. न. जी. एफ.
161.	,, प्रेमराज	58323	2/236	व. वि. आर्डीनरी
152.	,, छोटूराम बैरवा	68927	10/135	मा. न. जी. एफ.
153.	,, गोरधनराम मीणा	732 6	1/368	व. वि. कार्नर
154.	,, प्रकाश बैरवा	14348	1/384	व. वि. आर्डीनरी
155.	,, गुलाबसिंह	53509	8/227	,, ,, ,,
156.	,, मनोहरलाल	80444	2/312	ज. न. एस. एस.
157.	,, रामचन्द्र	35322	1/413	व. वि. आर्डीनरी
158.	,, प्रकाशचन्द्र	54737	10/152	मा. न. एफ.एफ.
159.	,, एस. पी. साचोरिया	32192	2/232	व. वि. आर्डीनरी
160.	,, सुखाराम	77175	2/229	व. वि. कार्नर
161.	,, उत्तमसिंह	10829	1/181	,, ,, ,,

सामान्य पंजीकरण योजना, 79 में पंजीकृत अल्प आय वर्ग के आरक्षित/उम्मीदवार
(किराया क्रय पद्धति)

162.	,, सोहनलाल खटीक	59841		

Page No. 348

(348)

1	2	3	4	5
163.	श्री रामकुमार मीणा	28357		
164.	,, श्रीकिशन	24545		
165.	,, सज्जनराम	31093		
166.	,, गोपाललाल खांगर	78195		
167.	,, सुभाषचन्द	40610		
168.	,, रघुवीरसिंह	21681		
169.	,, शंकरलाल	31336		
170.	,, सुरेश	34957		
171.	,, कन्हैयालाल	73613		
172.	,, छोटूराम	26488		
173.	,, पूरण धोबी	65229		
174.	,, पुरणलाल	59136		
175.	,. देवेन्द्रकुमार	58057		
176.	,, मुन्नालाल	16729		
177.	,, कैलाशचन्द	17489		
178.	,, कमला प्रसाद	27541		
179.	,. राधाकिशन	65029		
180.	,, भवरलाल	73539		
182.	,, ताराचन्द	22860		
182.	,, रामकुमार	62168		
183.	कुमारी त्रिपता	51731		
184.	श्री ग्यासीलाल	67744		
185.	,, रोशनलाल	18580		
186.	,, प्रकाशचन्द	82191		
187.	,. धर्मपालसिंह गिरी	26693		
188.	" गुलाबचन्द	17314		
189.	" शिवलाल	28732		
190.	" घासीलाल	69450		
191.	" पुरणलाल	64316		
192.	'. रामचरण	51955		
193.	लक्ष्मीनारायण	37738		
194.	बाबूलाल	23846		
195.	श्रीमती कुलाती	53155		

1.	2.	3.	4.	5.
196.	श्री सूवालाल	62477		
197.	नारायणकुमार	61139		
198.	मोतीलाल	63647		
199.	ओमप्रकाश	14453		
200.	हरिसिंह	22337		
201.	मोहनलाल	27836		
202.	रामलाल	75187		
203.	छगन लाल	23132		
204.	रूपनारायण	59957		
205.	राम खत्री	42055		
206.	नेमी चन्द	45214		
207.	टी. सी. महातर	64439		
208.	कंवरप्रसाद	64584		
209.	सुखपाल	69165		
210.	ओम प्रकाश बैरवा	77604		

राजस्थान आवासन मण्डल

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में पंजीकृत अनुसूचित जाति/जन जाति के आवेदकों

की वरिष्ठता/आवंटन सूची

शहर का नाम — जयपुर
पंजीकरण का वर्ष — 1973 (सा. पं. योजना 1973)
आय वर्ग — आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग
लॉटरी तिथि — 12-5-83 अनुसूचित जाति/जन जाति किराया क्रय

1.	श्री बाबू लाल	32409	13/645	सी. एफ. मा. न.
2.	" शिव नारायण	16029	13/480	" "
3.	" नारायण	13307	13/672	" "
4.	" परमानन्द	28351	13/655	" "
5.	" चिरंजीलाल	28492	13/612	" "
6.	श्रीमती सोनी देवी	958015.3×8. 251	61/88	एफ. एफ. "
7.	श्री छोटी लाल	40327	13/510	एफ. एफ. "

Page No. 350

(350)

1	2	3	4	5	
8.	श्री चौथमल	31613	13/634	एफ. एफ म.	नं.
9.	" खेम सिंह	1908	13/703	जी. एफ.	"
10.	" गणेश लाल	22586	13/455	"	"
11.	" प्रहलाद राय	40362	13/477	"	"
12.	" भीमसिंह	6767	6/190	एस. डी, पी.	"
13	" कैलाश चन्द	36075	13/500	जी. एफ.	"
14.	" राम प्रताप	28293	13/533	एफ. एफ.	"
15.	" शम्भू दयाल	8252	13/512	"	"
16.	श्रीमती मूर्ति देवी	3756	13/476	जी. एफ.	"
17.	श्री देवीसिंह	14009	13/533	एफ. एफ.	"
18.	" काना राम	35374	13/591	"	"
19.	" कन्हैया लाल	39955	6/207	"	"
20.	" छगन लाल	49015	13/626	"	"
21.	" नौरंग लाल	24974	13/607	एफ. एफ.	"
22.	" छोटेलाल धोबी	19951	13/800	पी. एफ	"
23.	" ओम प्रकाश	14803	13/469	"	"
24.	" रामेश्वर प्रसाद	35396	13/589	"	"
25,	श्रीमती प्रभाती देवी	31959	13/465	"	"
26.	श्री राधेश्याम	23217	13/537	"	"
27.	" गोविन्द	42541	13/679	"	"
28.	" राम जी लाल	31741	13/415	"	"
29.	" राम सहाय	35372	13/619	पी. एफ.	"
30.	" नाथू लाल	33892	6/195	ओ. आर. डी	"
31.	" प्रभूदयाल	27510	13/691	जी. एफ.	"
32.	" चुन्नी लाल	25343	13/539	एफ. एफ.	"
33.	" भैरू राम	7734	13/416	एफ. एफ.	"
34.	" राम सहाय	49851	13/514	"	"
35.	" गंगाराम	1089	13/692	जी. एफ.	"
36.	" जगदीश प्रसाद	23478	13/690	"	"
37.	" राम लाल	16719	13/570	"	"
38.	श्री दौलत राम	40361	13/532	जी. एफ. पा.	न.
39.	" चौथू सिंह	24943	13/560	एफ. एफ.	"
40.	" हीरा लाल	47759	13/516	"	"

1,	2.	3.	4.	5.	
41.	श्री देव प्रकाश	39158	13/676	जी. एफ. मा. न.	
42.	" पुरूषोत्तम लाल	4170	6/196	ओ. आर. डी.	"
43.	" गंगा राम	12715	13/433	जी. एफ.	"
44.	" राम प्रताप	37160	13/640	"	"
45.	" प्यारे लाल	7657	13/513	एफ. एफ.	"
46.	" प्रेम चन्द	47617	13/493	जी एफ.	"
47	" टेलाराम	5354	13/405	"	"
48.	" सत्य नारायण	39157	13/649	"	"
49.	" राधेश्याम	3826	13/424	"	"
50.	": जगदीश	2263	13/468	एफ. एफ.	"
51.	" जगदीश	30432	13/450	जी. एफ.	"
52.	" राकेश कुमार	28734	13/683	एफ. एफ.	"
53.	" गोपाल लाल	23267	13/574	जी. एफ.	"
54.	" नन्द लाल	5639	13/542	"	"
55.	" सूरज मल	38388	13/693	"	"
56.	" श्यामसुन्दर	12744	6/186	ओ. आर. डी.	"
57.	" शिव दयाल	21663	13/677	एफ. एफ.	"
58.	" राम पाल	20056	13/583	एफ. एफ.	"
59.	लालू लाल	40418	13/447	जी. एफ.	"
60.	" राज गोपाल	4206	6/191	ओ. आर. डी.	"

जनता–वर्ष–1973

1.	श्री चन्दू	28614	13/622	जी. एफ.	"
2.	" लाल चन्द	18716	13/675	"	"
3.	" रूप नारायण	2052	13/684	एफ. एफ.	"
4.	" गणपत लाल	35592	13/630	"	"
5.	श्रीमती प्यारी देवी	30725	13/427	जी. एफ	"
6.	श्री प्रहलाद	24369	13/585	एफ. एफ.	"
7.	श्रीमती गुल्ली देवी	37287	13/530	जी. एफ.	"
8.	श्री जगदीश प्रसाद	24941	13/620	जी. एफ.	"
9.	" वुदा	30447	13/605	"	"
10.	" रामकुमार	35388	13/614	जी. एफ.	"

Page No. 352

(352)

1	2	3	4	5	
11.	श्री पाँचू लाल	19677	13/538	एफ एफ.	मा. न.
12.	" सूवा	4268	13/475	जी. एफ.	"
13.	" लल्लू लाल	30398	13/472	"	"
14.	" तुलसी राम	34668	13/590	"	"
15.	" कजोड़ मल	37876	6/189	ओ. आर. डी.	"
16.	" छोटू	21772	13/529	जी. एफ.	"
17.	" उमाराम राजोरिया	47731	13/673	जी. एफ.	"
18.	" राम चरण	36102	13/505	जी. एफ.	"
19.	" गोपाल लाल	4472	13/687	जी. एफ.	"
20.	" शोभा राम मीना	44794	13/565	जी. एफ.	मा. न.
21.	श्रीमती मथुरा देवी	18104	13/665	"	"
22.	श्री गोपी	22214	13/577	"	"
23.	" राम कवंर	12599	13/497	"	"
24.	" हरी शंकर	28208	13/464	एफ. एफ.	"
25.	" नानक राम	14416	13/634	"	"
26.	" टोडर मल	47795	13/598	जी. एफ.	"
27.	" शम्भू दयाल	23009	13/536	एफ. एफ.	"
28.	" भीम सिंह	32423	13/642	जी. एफ.	"
29.	" बनवारी लाल	27944	13/554	"	"
30.	" सुन्दर लाल	2051	13/684	"	"
31.	" भंवर लाल	15953	13/553	"	"
32.	" बाबु लाल	28823	13/564	"	"
33.	" जमना प्रसाद	32282	13/557	"	"
34.	" कन्हैयालाल	22716	13/401	"	"
35.	श्रीमती कौशल्या देवी	22697	13/615	"	"
36.	श्री भैरू राम	13504	13/662	"	"
37.	श्रीमती अंगूरी देवी	42588	13/690	"	"
38.	श्री छुट्टन लाल	28133	13/461	"	"
39.	" नाथ्या	12145	13/460	"	"
40.	" पूरण चन्द	28527	13/408	"	"
41.	" श्रवण कुमार	9349	13/559	"	"
42.	" बिरदी चन्द	44796	13/592	"	"

1	2	3	4	5
43.	श्री जगदीश चन्द	2922	13/688	जी.एफ. मा. नगर
44.	" बद्री लाल .	20142	13/420	एफ. एफ. "
45.	" ज्ञान चन्द	20796	13/521	जी. एफ. "
46.	" नानगा	12589	13/399	" "
47.	" हनुमान सहाय	35272	13/440	एफ. एफ. "

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-1979 : नकद भुगतान पद्धति

1.	श्री नेमी चन्द	64029	13/659	एफ. एफ. "
2.	" मोहन लाल	78382	13/652	जी. एफ. "
3.	" सेवा लाल	75025	13/551	जी. एफ. "
4.	" घासी लाल	70846	13/457	" "

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-1979 : किराया क्रय पद्धति

1.	श्री भँवर लाल	65135	6/199	एस. डी. सी. "
2.	" राम सहाय	61013	13/485	एफ. एफ. "
3.	" गोपाल लाल	51979	13/623	जी. एफ. "
4.	" नरेन्द्र कुमार	22722	13/474	जी. एफ. "
5.	" लाल चन्द	76683	13/664	" "
6.	" डाल चन्द	62073	13/406	" "
7.	" नारायण धोबी	78127	13/666	" "
8.	" श्याम लाल	39018	13/624	" "
9.	" राम किशोर	66454	13/625	" "
10.	" राम चन्द्र	65514	13/660	एफ. एफ. "
11.	श्री पूरण मल	38701	6/192	ओ आर डी मा. न.
12.	,, बाबूलाल	79772	6/200	एस डी सी ,,
13.	,, सुरेश चन्द	52044	13/488	एफ एफ
14.	,, बाबूराम	69951	6/201	ओ आर डी ,,
15.	,, नाथू लाल	66706	13/413	एफ एफ ,,
16.	,, नानक चन्द	61401	13/621	जी एफ ,,
17.	,, रामनारायण	27808	13/489	एफ एफ ,,
18.	,, रायदीन	28446	13/601	जी एफ ,,
19.	श्रीमती रेखा रानी	51343	14/518	,, ,,
20.	श्री ग्यारसा राम	64388	13/561	एफ एफ ,,

1	2	3	4	5	6
21.	श्री ग्यारसी लाल	62160	13/658	एफ एफ	मा. न
22.	,, गणेश लाल	77051	13/694	जी एफ	,,
23.	,, गोधा राम	76766	13/552	,,	,,
24.	,, गोपाल लाल	75293	13/647	,,	,,
25.	,, राम किशोर	64998	13/432	,,	,,
26.	,, बजरंग लाल	72193	6/182	ओ आर डी	,,
27.	,, घासी लाल	55730	13/671	जी एफ	,,
28.	,, रामजी लाल	62656	13/627	,,	,,
29.	,, दशरथ	19423	13/430	,,	,,
30.	,, राम प्रसाद	65077	13/459	,,	,,
31.	,, राकेश कुमार	21977	13/549	,,	,,
32.	,, अशोक कुमार	76008	4/436	,,	,,
33.	,, आया राम	63064	13/463	,,	,,
34.	,, देवी लाल	60672	13/643	,,	,,
35.	,, दादू राम	60031	13/522	,,	,,
36.	,, गोविन्द नारायण	201	13/628	,,	,,
37.	,, अर्जुन राम	6767	13/550	,,	,,
38.	,, मोती लाल	44283	6/185	ओ आर डी	,,
39.	,, लक्ष्मी नारायण	28131	13/689	जी एफ	,,
40.	,, शंकर लाल	50051	13/600	,,	,,
41.	,, रामधन	67720	13/443	एफ एफ	,,
42.	,, मोती लाल	1413	13/663	जी एफ	,,
43.	श्रीमती मोजा देवी	76031	13/602	,,	,,
44.	श्री मुरारी लाल	3901	13/479	,,	,,
45.	,, बद्री चन्द	62654	13/371	,,	,,
46.	,, सुख देव	62492	13/608	एफ एफ	,,
47.	,, अशोक कुमार	14066	13/558	,,	,,
48.	,, रूप चन्द	80081	13/403	जी एफ	
49.	,, सीताराम	3[illegible]097	13/400	,,	
50.	,, कानाराम	25660	13/428	,,	
51.	,, देश राम	73389	13/545	,,	
52.	,, अशोक कुमार	24955	13/631	,,	

755

1	2	3	4	5
53.	श्रीमती घलजा देवी	79883	4/439	जी एफ
54.	श्री राकेश कुमार	55632	13/616	,,
55.	,, प्रकाश चन्द्र	57767	13/456	,,
56.	,, शिव शंकर	74015	13/566	,,
57.	,, भवानी सिह	27575	13/657	एफ एफ
58.	,, रतन लाल	78528	13/422	जी एफ
59.	,, फूल चन्द	65984	13/429	,,
60.	,, सीताराम	19029	13/633	,,
61.	,, लक्ष्मी नारायण	54850	13/478	,,
62.	,, तारा चन्द	47034	13/534	एफ एफ
63.	,, टीकम चन्द	47213	13/609	,,
64.	,, लेखराज	34975	13/481	जी एफ
65.	,, प्रेमा धोबी	65138	13/611	एफ एफ
66.	,, रामजी लाल	70337	13/646	जी एफ
67.	,, लक्ष्मी नारायण	16347	13/576	,,
68.	,, केदार नाथ	66977	6/197	आर्डीनरी
69.	श्रीमती कमला देवी	18440	13/397	जी एफ
70.	,, श्रीमती मूली	45096	13/446	,,
71.	श्री देवी लाल	72122	13/411	,,
72.	कैलाश चन्द्र	65834	13/610	एफ एफ
73.	,, बाबू लाल	68823	13/526	जी एफ
74.	,, नन्द राम	71388	13/527	,,
75.	,, दुर्गालाल	78516	13/483	,,
76.	,, मोहन लाल	63196	13/520	,,
77.	,, पूरखा राम	49601	13/599	,,
78.	,, जगदीश प्रसाद	54851	13/523	,,
79.	,, पदम चन्द	39825	13/661	,,
80.	,, सुवा लाल	51110	13/604	,,
81.	,, घनश्याम	28132	4/435	,,
82.	,, सत्यनारायण	25194	13/412	,,
83.	,, श्याम लाल	66231	13/656	एफ एफ
84.	,, सियाराम	59506	13/841	जी एफ

1	2	3	4	5
85.	श्री रामस्वरूप	15835		13/131 एफ एफ
86.	,, राजेन्द्र कुमार	68804		13/484 ,,
87.	, नाथू राम	60901		13/586 ,,
88.	,, भोला राम	29205		13/572 जी एफ
89.	,, छीतर मल	60360		13/674 ,,
90.	,, गोरधन लाल	26724		13/445 ,,
91.	,, रघुनाथ	27737		13/670 जी. एफ.
92.	,, रामदीन	48020		13/584 ,,
93.	,, सीताम	14980		13/448 ,,
94.	,, भगतसिंह	21509		13/499 ,,
95,	,, प्रहलाद कुमार	31453		13/698 ,,
96.	,, प्यारे लाल	52893		13/418 एफ. ए.फ.
97.	,, नाथू लाल	48694		13/452 जी. ए.फ.
98.	,, चन्द्र कान्त	44937		13/495 ,,
99.	,, श्यामलाल	36330		13/414 एफ. एफ.
100.	,, श्री हेमराज	28061		23/528 जी. एफ.
101.	,, राजकुमार	21556		13/451 ,,
102.	,, मोहन लाल	49626		13/606 ,,
103.	,, मदन लाल	72475		13/490 ,,
104.	,, उदाराम	17476		13/508 ,,
105.	श्रीमती रूकमणी देवी	62385		13/578 ,,
106,	श्री किशोर कुमार	53021		13/636 ,,
107.	,, जगदीश	60394		13/490 ,,
108.	,, मूलचन्द	70234		13/462 ,,
109.	,, जगदीश प्रसाद	13708		13/404 जी. एफ.
110.	,, जगदीश धोबी	80011		13/563 एफ.एफ.
111.	,, चगन लाल	78300		13/597 जी. एफ.
112.	,,तेजराम	53020		13/504 ,,
113.	,, मदन लाल	62408		13/653 ,,
114.	,, अनिल कुमार	60711	5.3×	6/181 आरडीनरी
115.	,, रामावतार	35202	8.25	13/417 एफ एफ
116,	श्रीमती मनफूली	35564		13/473 जी एफ

1	2	3	4 5
117.	श्री मुरलीधर	32713	13/423 जी एफ
118.	,, बाबूलाल	76118	13/453 ,,
119.	,, बोदूराम	59104	13/629 एफ एफ
120.	,, विनोद कुमार	60943	13/629 ,,
121.	,, ओम प्रकाश	75261	13/603 जी एफ
122.	,, दूली चन्द	70066	13/586 एफ एफ
123.	,, विश्मबर दयाल	63224	13/600 ,,
124.	,, मुन्नालाल	67662	13/496 जी एफ

परिशिष्ट "ब"

प्रश्न संख्या 3 का उत्तर

क्र. सं.	नाम	पद	पजी. वर्ष	मकान सं.	भुगतान पद्धति
1–	गुरुदेव सिंह	आई. ए. एस.	1979	4 त 7	नकद
2–	मंगतराम सोनगरा	डाक्टर	,,	4 त 2	,,
3–	कु. बादाम बैरवा	आर. पी. एस.	,,	4 त 5	,,
4–	कु. लक्ष्मी बैरवा	आर. ए. एस.	,,	4 त 4	,,
5–	एन. के. बैरवा	आई. ए. एस.	,,	4 त 9	,,
6.	स्व. सोहनलाल बंशीवाल	भू. पू. विधायक	1980–81	4 त 3	,,
7.	दुलाराम	आवासन मंत्री	,,	4 त 6	,,
8.	जगन्नाथ पहाड़िया	भू. पू. मुख्य मंत्री	,,	4 त 1	,,
9.	छोगालाल बाकोलिया	उप मंत्री	,,	4 त 8	,,

आर. डी. 1130 से 1132-500 के कार्य की बकाया राशि

721. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर)-क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर परियोजना पर जनवरी, 1983 से सितम्बर, 1983 की अवधि में आर. डी. 1130 से आर. डी. 1132-500 पर सख्त चट्टानों की खुदाई व निकासी कार्य "जी" शेड्यूल व ब्लूप्रिंट मुताबिक 6" साइज व बैंड ओवर के अतिरिक्त कार्य जो ठेकेदार द्वारा किया गया है वह कार्य कब शुरू हुआ तथा कब खत्म हुआ अथवा बाकी है ? क्या उस कार्य का भुगतान कर दिया गया है अथवा बाकी है तो कितनी राशि ? भुगतान किन कारणों से रोका गया ?

(2) क्या आर. डी. 1130 से 1132-500 में 6" साइड व बैंड ओवर का कार्य हो जाने के पश्चात ही नहर में पानी छोड़ा गया था ?

उत्तर

1-राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 1130-1132½ में सख्त चट्टानों की खुदाई व निकासी का कार्य साइड व बैड में डिजाइन लेवल से लगभग 6" अतिरिक्त खुदाई का कार्य इस रीच के मूल कार्य के साथ साथ ही किया गया व माह जनवरी में प्रारम्भ कर माह सितम्बर, 1983 में पूरा किया गया। मूल खुदाई एवं अतिरिक्त खुदाई का लगभग 50,000/-रु. का भुगतान बाकी है जिस के अन्तिम अदायगी बिल तैयार किये जा चुके हैं तथा उनकी लेखा शाखा में जांच की जा रही है। चैकिंग पूरी होने पर भुगतान कर दिया जावेगा।

2-आर. 1130 से 1132.500 में मूल खुदाई एवं अतिरिक्त खुदाई तथा लाईनिंग कर देने के पश्चात ही नहर में पानी छोड़ा गया था।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से स्वीकृत अनुदान राशि

722. श्री रामजी मीणा (सपोटरा)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)-क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ओर से स्वीकृत अनुदान का राजस्थान में सबसे कम उपयोग होता है ? क्या यह भी सही है कि अन्य राज्यों के मुकाबले यहां समाज कल्याण की सबसे कम योजनाएं एवं कार्यक्रम चल रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय अनुदान राशि का उपयोग कम करने के कारण राज्य को दिया जाने वाला अनुदान अन्य राज्यों को चला जाता है ?

(3) वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई और उसमें से राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्राप्त कर कितनी

(श्री कैलाश मेघवाल)

का उपयोग किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के आवंटन के अनुसार राज्य में योजनाएँ चलाई जाती हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

प्रश्न संख्या 722 का विवरण

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा राजस्थान में प्रायोजित कार्यक्रम एवं वित्तीय स्थिति

वर्ष 1982-83　　-----　　वर्ष 1983-84

क्र. सं.	कार्यक्रम	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा दिया गया बजट प्रावधान	राज्य बोर्ड द्वारा अनुदान उपयोग	केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बजट प्रावधान	राज्य बोर्ड द्वारा अनुदान उपयोग
1.	एक वर्षीय अनुदान (बालबाड़ी, क्राफ्ट आदि)	3,20,000	3,31,400	3,61,000	3,57,500
2.	योजना अवधि अनुदान	10,000	10,000	10,000	10,000
3.	पोषाहार	4,20,000	3,75,764	4,33,000	3,95,000
4.	महिला मण्डल	2,92,189	2,99,189	2,73,327	2,73,327
5.	संक्षिप्त पाठ्यक्रम (प्रौढ़ महिला)	केन्द्रीय बोर्ड ने 33 कोर्स हेतु स्वीकृति जारी की ।		22 कोर्स	28 कोर्स
6.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम				
	1. लघु उद्योग	9,00,000	11,88,290	9,00,000	10,00,000

Page No. 360

(360)

1	2	3	4	5	6
	2. डेयरी	4,00,000	6,67,840	4,00,000	6,00,000
7.	शिशु पालना गृह	केन्द्रीय बोर्ड ने कुल 42 यूनिट स्वीकृत किये हैं।		केन्द्रीय बोर्ड ने कुल 139 यूनिट स्वीकृत किये हैं।	
8.	बाल अवकाश शिविर	1,80,000	1,79,000	1,30,000	1,30,000
9.	एकीकृत स्कूल पूर्व योजना	12,620	12,620	12,620	12,620
10.	परिवार कल्याण शिविर	26,000 (130 शिविर)	26,000 (130 शिविर)	1,00,000 (500 शिविर)	98,800
11.	समाज कल्याण योजना (शहरी)	19,800	19,800	19,800	10,800
12.	ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर	34 शिवर	1,53,000	63,000 (14 कैम्प्स)	1,26,000 (28 कैम्प्स)
13.	समाज कल्याण योजना (सी. डी.)	4,80,000 (केन्द्रीय बोर्ड)	4,80,000 (केन्द्रीय बोर्ड)	5,09,822	5,09,822
14	समाज कल्याण योजना (सीमा क्षेत्र)	6,30,900	6,30,900	5,41,045	5,89,420

लाडनूं की पंचायत कसुम्बी में अनुसूचित जाति के मोहल्ले में समाज कल्याण भवन बनाने को स्वीकृति

723. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनूं)–क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं पंचायत कसुम्बी में जिलाधीश द्वारा अनुसूचित जाति के मोहल्ले में समाज कल्याण भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो किस तिथि को तथा कार्य शुरू कराने की सूचना पंचायत को कब तक दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 8-11-1983 को कार्य शुरू किया और उसके 10 रोज बाद ही स्वीकृति निरस्त कर दी गई ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस अधूरे कार्य को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति लाडनूं की पंचायत कसुम्बी में समाज कल्याण भवन (धर्मशाला) बनाने की स्वीकृति दिनांक 24-6-83 को जिलाधीश (विकास) द्वारा दी गई थी तथा कार्य शुरू करने की सूचना पंचायत को दिनांक 30-7-83 को दे दी गई थी।

(2) जी नहीं। सरपंच द्वारा कार्य शुरू करने की सूचना जिलाधीश कार्यालय को नहीं दी गई और न ही कार्य शुरू किया गया। अतः दिनांक 19-11-83 को स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

(3) जब कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ तो पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डी. पी. ए. पी. कार्यों में प्रदत्त अनुदान

724. **श्री नंदलाल मीणा** (प्रतापगढ़)–क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों में डी. पी. ए. पी. के तहत नलकूप पर विभागीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है? वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई और कितनी व्यय हुई?

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा मांडा क्षेत्र को उक्त अनुदान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों, तथा चित्तौड़गढ़ को कब तक डी. पी. ए. पी. के तहत अनुदान उपलब्ध करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के केवल दो जिले डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा ही डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 1980–81 से 1983-84 तक नलकूपों पर विभागीय अनुदान के लिये कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(2) जी हां। क्योंकि यह डी. पी. ए. पी. क्षेत्र घोषित नहीं है। चित्तौड़गढ़ को डी. पी. ए. पी. में लिया जाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के मानकों (नार्मस) के अनुसार यह जिला डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता।

पंचायत समिति टौंक के गांवों की प्राथमिक पाठशालाएं

725. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक)–क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति टौंक (जिला टौंक) में कितने गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं हैं?

(2) उक्त पाठशालाओं में कितने कितने छात्र अध्ययनरत हैं? कितने अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शालाओं में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अध्यापक नहीं हैं? यदि हां, तो अध्यापक मापदण्डानुसार कब तक लगा दिये जावेंगे?

(362)

उत्तर

(1) पंचायत समिति टौंक के 111 गांवों में प्राथमिक पाठशालाऐं हैं।

(2) पंचायत समिति टौंक की पाठशालाओं में 9442 छात्र अध्ययनरत हैं तथा 176 अध्यापक कार्यरत हैं। जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 78 अध्यापकों की कमी है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजन हेतु शिक्षा विभाग को लिखा हुआ है शिक्षा विभाग से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त होने पर पंचायत समिति टौंक को भी पद आंवटन कर दिये जावेंगें।

तारांकित प्रश्न संख्या 725 के भाग (2) से सम्बन्धित सूचना की सूची

क्र. सं.	शालाओं के नाम	पाठशाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या	पाठशाला में कार्यरत अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
1.	बरोनी	143	4
2.	शुक्लपुरा	124	2
3.	देवअरनियां	33	1
4.	हथोना	265	4
5.	कन्या पराना	43	1
6.	वजीराबाद	86	1
7.	खलीलाबाद	30	1
8.	दादियां	62	1
9.	मोदूका	42	1
10.	दौताना	35	1

1	2	3	4
11.	हाड़ीकलां	148	2
12.	हाड़ीखुर्द	63	1
13.	बगड़ी	324	5
14.	अनवरपुराखेड़ा	92	1
15.	मौलीपुरा	70	1
16.	पीपलू	418	5
17.	काशीपुरा	89	1
18.	नाथड़ी	76	1
19.	ढूढ़िया	52	1
20.	प्यावड़ी	112	2
21.	अनवरनगर	48	1
22.	बनवाड़ा	129	2
23.	बगड़वा	88	1
24.	रानोली	281	4
25.	कठमाना	278	4
26.	मोहनी	54	1
27.	सीसोला	57	1
28.	जयकिशनपुरा	73	1
29.	लॉक	55	1
30.	नीमोड़ा	67	1
31.	जवाली	123	2
32.	नयाटीला	156	3
33.	सोंधीफल	45	1
34.	हरीपुरा	72	1
35.	अरनिया काकड़	58	1
36.	गावर्धनपुरा	96	1
37.	मालीपुरा	60	1
38.	मुमाना	59	1
39.	बीजवाड़ा	57	1
40.	चौगाई	114	2
41.	समदपुरा	40	1
42.	हतौनियां	48	1
43.	रहीमपुरा तानेर	109	1

2.	2.	3.	4.
44.	मदारीपुरा	45	1
45.	इब्राहीमपुरा	36	1
46.	ढीढरिया	85	1
47.	मोलाईपुरा	108	2
48.	कररिया	63	1
49.	पीतावास	50	1
50.	अहमदपुरा	40	1
51.	मुंडिया	34	1
52.	लाम्बा	135	2
53.	लड़न	94	1
54.	गिलोद	101	2
55.	घोलाखेडा	40	1
56.	शकूरपुरा	35	1
57.	हाजीपुरा	27	1
58.	बीचपुड़ी	35	1
59.	खुरेड़ी	62	1
60.	मोहम्मदपुरा	42	1
61.	देवली	100	2
62.	किशनपुरा	112	2
63.	पालड़ी	111	2
64.	पालड़ा	103	1
65.	शिवपुरी	89	3
66.	मांची	66	1
67.	सीतारामपुरा	136	2
68.	रहीमपुरा घांस	26	1
69.	मोहरपुरा	84	1
70.	सरवरदाबाद	79	2
71.	बाडोजरकिला	60	1
72.	वजीरपुरा खुर्द	60	1
73.	मेहन्दवास	143	3
74.	जवाबपुरा	54	1
75.	ककराजकलां	44	1

1	2	3	4
76.	कारोला	46	1
77.	अल्लापुरा	36	1
78.	हाजीपुरा	33	1
79.	खजूरिया	113	2
80.	लवादर	94	2
81.	ऊंटीटाना	66	1
82.	बोरड़ी	64	1
83.	याकूबगंज	68	1
84.	हरचन्देड़ा	92	1
85.	काबरा	61	1
86.	भालरा	57	1
87.	यूसूफगंज	27	1
88.	बीठोला	52	1
89.	ताखोली	45	1
90.	इलाहीपुरा	49	1
91.	साड़ागांव	98	1
92.	अहमदपुरा चौकी	55	1
93.	अरनिया माल	155	3
94.	देवपुरा	80	1
95.	नीमोला	118	2
96.	सण्डीला	101	2
97.	वजीरपुरा कलां	52	1
98.	महुवा	116	3
99.	थली	161	3
100.	निर्माणा	117	2
101.	अरनिया निल	118	2
102.	छाण	255	4
103.	रानीपुरा	58	1
104	अमीरपुरा खेडा	51	1
105.	करीमपुरा	47	1
106.	लक्ष्मीपुरा	65	1
107.	बम्बोर	25	1
108.	अलीपुरा छाण	25	1

Page No. 366

1	2	3	4	5
109.	गफूरपुरा	30	1	
110.	तालोपुरा	20	1	
111.	इस्लामपुरा	20	1	
	योग	9442	166	

क्रमोन्नत शालाओं पर प्रतिनियुक्ति पर निम्न प्रकार से :

1.	सोरण		3
2.	चिरोंज		2
3.	कन्या पीपलू		2
4.	नोरगपुरा		1
5.	चन्दलाई		2
	योग		10
	कुल योग	9442	176

कस्बा उच्चैन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मकानों पर कब्जा

726. श्री रामप्रसाद (रूपवास)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रूपवास कस्बा उच्चैन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कच्चे मकानों पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ?

(2) क्या सरकार जबरन कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके मकान वापस दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(3) जी हां । सर्वश्री टुन्डा, चेता, चुन्नी व सालिया तथा श्री दुल्ली, श्री रेवती, श्री रामचरन के मकानों पर श्री कमल पुत्र सुन्दर श्री प्यारसिंह पुत्र गोपाल सिंह तथा

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

श्री जगदीश, श्री रनवीर एवं श्री मोहनसिंह धर्मसिंह, मानसिंह, दिलीपसिंह, प्रतापसिंह जाति गुर्जर व लालाराम, चिरंजी विसरान मोरया काम जोगी साकिन उच्चैन का कब्जा है।

(2) इस सम्बन्ध में दिनांक 1-6-83 को एक रिपोर्ट न. 39/83 थाना उच्चैन में धारा 447, 448, आई.पी.सी. दर्ज हुआ। जिसकी तफ्तीश की जाकर चालान अतिरिक्त मुनसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बयाना के कोर्ट में दिनांक 17-8-83 को चालान पेश किया जा चुका है। मामला कोर्ट के विचाराधीन है।

पंचायत समिति बड़ी सादड़ी एवं डूंगला के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

727. **श्री उदयराम धाकड़** (बड़ी सादड़ी)–क्या पचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति बड़ी सादड़ी एवं डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) रिक्त पदों की सरकार कब तक पूर्ति करने का विचार रखती?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बड़ी सादड़ी, में शिक्षकों के 10 पद रिक्त हैं। पंचायत समिति, डूंगला में शिक्षकों का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) रिक्त पदों की पूर्ति पचायत समितियों द्वारा की जाती है। पचायत समिति बड़ी सादड़ी द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

हरिजनों को समुचित एवं स्वच्छ स्थान पर बसाने की योजना

728. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर)–क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार की हरिजनों को समुचित एव स्वच्छ स्थान पर वसाने की कोई योजना है? यदि हां, तो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केशरीसिंहपुरा के गांव चक 13 क्यू व 14 क्यू तथा मोहनपुरा पंचायत व साधूवाली पंचायत के समस्त गांवों में जो हरिजन गलियों में बिना छप्पर के ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उन्हें आवास हेतु भूमि अलाट की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नये बीस सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर एव ग्रामीण दस्तकारों, जिनके पास आवासीय मकान अथवा भूखण्ड नहीं हैं को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने की योजना है।

वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक ग्राम पंचायत साधूवाली के ग्राम साध

(श्री पंचायत राज मन्त्री)

वाली में अनुसूचित जाति के 127 व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किये गये हैं जिनमें 4 हरिजन भी हैं। इस अवधि में पंचायत मोहनपुरा के ग्राम मोहनपुरा में 3 मजवी परिवार के व्यक्तियों को तथा ग्राम 13 क्यू के 3 हरिजन परिवार के व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।

गांव चक 13 क्यू व 14 क्यू तथा पंचायत मोहनपुरा व साधूवाली (पंचायत समिति श्री गंगानगर) के ग्रामों में कोई ऐसा हरिजन अथवा अनुसूचित जाति का परिवार नहीं है जो गलियों में बिना छप्पर के जीवन निर्वाह कर रहा हो। ऐसे किसी परिवार का भू-खण्ड हेतु कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

यदि किसी हरिजन द्वारा भू-खण्ड के के लिए आवेदन किया जावेगा तो उसे भू-खण्ड आवटित कर दिया जावेगा।

369

परिशिष्ट-11

अ. ता. प्रश्न संख्या 912 की सूची

चक सो. एच. सी. पी.

क्र. सं.	नाम काश्तकार	मूरब्बा नं.	सिंचाई 1983-84 (बीघों में) रबी	खरीफ
1	2	3	4	5
1.	श्री गंगाराम पुत्र श्री गणेशराम	12?/57	13.53	14.00
2.	,, चिमनाराम पुत्र श्री गोविन्दराम	122/49	5.00	11.50
3.	,, बीराम राम पुत्र श्री चिन्नाराम	222/49	7.00	9.00
4.	,, मोडाराम पुत्र श्री करणाराम	122/42	7.00	8.00
5.	,, श्रवणाराम पुत्र श्री मोडाराम	122/42	2.50	3.00
6.	,, लादूराम पुत्र श्री फुलनाथ	122/4६	7 00	9.00
7	,, किश्ना पुत्र श्री करणाराम	122/58	10.50	13.50
8.	,, हरीराम पुत्र श्री मेघराम	142/2	5.00	8.00
9.	,. चिमनाराम पुत्र श्री गोविन्दराम	122/50	3.00	—
10.	,, मोकाराम पुत्र श्री गंगाराम	122.50	8.50	7.00
11.	., श्रवणाराम पुत्र श्री धनाराम	122/59	4.00	2.00
12.	,, पन्नालाल पुत्र श्री रामचन्द्र	122/51	3.00	4.50
13.	,, छोटे खां पुत्र श्री मुखे खां	122/52	8.00	8.00
14.	,. प्रेमनाथ पुत्र श्री गणेशनाथ	122/44	7.50	7.50
15.	., मेघराम पुत्र श्री भानाराम	122/53	6.00	7.00
16.	,, अतर खां पुत्र श्री हुसेन खां	122/62	7.50	7.00
17.	,, फतेहमोहम्मद पुत्र श्री श्री वेसूखां	122/45	2.00	1.00
18.	,, हनुमान पुत्र श्री बन्नाराम	122/54	5.50	5.00
19.	,, सुखराम पुत्र श्री स्याराम	122/55	5.00	4.50
20.	,, कानाराम पुत्र श्री रूपराम	122/56	4.00	1.50
21.	,, अमराराम पुत्र श्री मंगलाराम	122/60	2.50	2.00
22.	,, सुरजाराम पुत्र श्री गणेशाराम	122/61	5.00	2.50

1	2	3	4	5
23.	श्री नारायणराम पुत्र श्री गयाराम	142/5	2.50	6.00
24.	,, नारायण पुत्र श्री जेठमल	142/6	5.50	4.00
25.	,, फूलाराम पुत्र मानीराम	12/7	3.50	11.00
26.	,, किशोरीलाल पुत्र श्री मघामल	122/64	3.50	5.00
27.	,, बभूखां पुत्र श्री भाठो खां	122/63	13.50	13.00

परिशिष्ट–12

जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर

प्रश्न संख्या 915 का परिशिष्ट–1

गत एक वर्ष 82-83	कहाँ कहाँ (जिले का नाम	कब कब अवधि	किस किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी के नाम	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में
1	2	3	4	5	6
1.	जिला अजमेर	82–83	1. जमनालाल सोमानी	86	364–500
			2. सुरेश माथुर	76	366–000
			3. भोराराम पी ओ	2	6–750
			4. हिरेन्द्रसिंह चौधरी	36	141–000
			5. अशोक गोस्वामी	16	48–000
			6. प्रभुदयाल पाटीदार	62	395–250
			7. राजकुमार पी ओ	3	9–000
			8. झंझारसिंह	3	1–125
			9. मुकेश भार्गव	19	51–750
			10. नवरतनमल कांकरिया	48	129–750
			11. नारायणसिंह चौधरी	15	68–250
				366	1581–375
2.	जिला–टोंक		1. रामकुमार पीओ	1	3–000
			2. रामानन्द शुक्ला	19	28–500
			3. जगदीश प्रसाद शर्मा	49	66–000
			4. इन्द्रसिंह	7	15–000
			5. जुगलकिशोर	25	28–500
			6. उपेन्द्र सिंह	45	72–750
			7. बन्नाराम	16	46–875
				162	260–625

1	2	3	4	5	6
3.	जिला-भीलबाड़ा		1. अशोक भट्नागर	66	494-250
			2. दुर्गालाल गुप्ता	97	741-000
			3. हस्तीमल	18	18-000
			4. देवकिशन	63	51-000
			5. अर्जुनलाल	32	63-000
			6. मनोहरलाल	32	49-500
			7. राजेन्द्र पी. श्रो.	5	18-000
			8. ईरशाद अहमद खां	27	72-750
			9. चन्द्रशेखर विजय	56	93-750
			10. लक्ष्मीकान्त	44	77-250
			11. हरनाथसिंह	110	362-250
				550	2040-750

परिशिष्ट–1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–1 भरतपुर–धौलपुर–स. माधोपुर

गत एक वर्ष (82–83)	कहां कहां (जिले का नाम)	कब कब अवधि (82–83)	किस किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या)	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में)	
1	2	3	4	5	6	
82–83	भरतपुर	82–83	1. मनमोहन लाल अा. नि	66	375 बल्क लीटर	885 लीटर
			2. श्री ज्ञानशंकर शर्मा, प्रहराधिकारी	5	6 ,,	20 लीटर
			3. श्री रामचन्द जोशी अा. नि.	19	45.75 ,,	2340 लीटर
			4. श्री अोम प्रकाश यादव अा. नि	19	172.500 ,,	20 लीटर
			5. श्री प्रभु दयाल वर्मा अा. नि.	36	168.750 ,,	440 लीटर
			6 श्री नानगा राम मीणा	36	84.00 ,,	1500 लीटर
			योग	181	852 000	5205

1	2	3	4	5	6	
	धौलपुर	82–83	1. श्री राजेन्द्रप्रसाद माथुर ग्रा. नि'	4	15 बल्क लीटर	–
			2. श्री शिवलाल, प्रहराधिकारी	7	43.500 ,,	160 लीटर
			3. श्री जगत सिंह भाटी	28	157.500 ,,	–
			4. श्री कल्याण राम मीणा	2	37.500 ,,	–
			योग	41	253.500	160
	अलवर	82–83	1. श्री रामानन्द मीणा ग्रा. नि.	11	67.500 बल्क लीटर	–
			2. श्री विजेन्द्र सिंह ग्रा. नि.	47	802.500 ,,	700 लीटर
			3. ,, मोहन प्रकाश माथुर, प्र. धिकारी	32	523.500 ,,	–
			4. ,, ईसम सिंह ग्रा. नि.	120	1522.500 ,,	8820 लीटर
			5. ,, ललित मोहन शर्मा ग्रा. नि.	33	61.500 ,,	140 ,,
			6. ,, गोविन्द लाल मीणा ग्रा. नि	2	5.250 ,,	240 ,,
			7. ,, सुरेश चन्द लाल ग्रा. नि.	12	37.500 ,,	60 ,,
			8. ,, सुबोध कुमार तिवाड़ी ग्रा. नि	5	24.00 ,,	–
			9. ,, रामसिंह, प्रहराधिकारी	21	1537.500 ,,	5500 ,,
			10. श्री अशोक मंगल ग्रा. नि.	12	24.750 ,,	80 ,,
			11. ,, मनी राम, प्रहराधिकारी	13	70.500 ,,	40 ,,
				308	4,677.00	15580

1	2	3	4		5	6
	स. माधोपुर	82–83	1. श्री रामेश्वर लाल, प्रहराधिकारी	32	120 बल्क लीटर ,,	100 लीटर
			2. ,, विष्णु लाल शर्मा ग्रा. नि.	8	27 ,,	–
			3. ,, घीसा लाल मीणा ग्रा. नि.	53	185 ,,	620 ,,
			4. ,, ललित मोहन शर्मा ग्रा. नि.	10	36.375 ,,	–
			5. ,, भागीरथ सिंह मीणा ग्रा. नि.	17	21.000 ,,	440 लीटर
			6. ,, लाला राम	1	0.750 ,,	–
			7. ,, रामचन्द्र जोशी ग्रा. नि.	57	300.750 बल्क लीटर	1400 लीटर
			8. ,, जगदीश प्रसाद शर्मा ग्रा. नि	4	45.00 ,,	20 ,,
			9. ,, कल्याण राम मीणा ग्रा. नि.	11	11.600 ,,	20 लीटर
			10. श्री बुद्धाराम वर्मा	1	2.625 ,,	–
				194	709.600	2184.00

राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर, जयपुर

राजस्व जिला जयपुर

प्रश्न पहले का उत्तर निम्न प्रपत्र से भरें--

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557

गत एक वर्ष 1982-83 [अभि. संख्या]	कहां कहां जिले का नाम	कब कब अवधि (82-83)	किस किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या)	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में)
1	2	3	4	5	6
63	वृत्त शाहपुरा (जयपुर)	1-4-82 से 8-6-82	श्री इशमसिंह आबकारी निरीक्षक	22	749
		22-7-82 से 28-2-83	श्री मण्डलेश्वर पुरोहित आबकारी निरीक्षक	40	230
		23-3-83 से 31-3-83	श्री दयालपुरी गोस्वामी आबकारी निरीक्षक	1	10
				63	989

1	2	3	4	5	6
41	चौमूं (जिला जयपुर)	25-5-82 से 19-3-83	श्री मण्डलेश्वर पुरोहित आबकारी निरीक्षक	41	215
				41	215
53	वृत्त सांगानेर (जिला जयपुर)	12-4-82 से 22-6-82	श्री नवरतन कांकरिया आबकारी निरीक्षक	14	208
		4-8-82 से 8-3-83	श्री महेश चन्द्र परिहार आबकारी निरीक्षक	39	1628
				53	1836
33	वृत्त फुलेरा	11-4-82	श्री नरेन्द्र सिंह पेट्रोलिंग आफीसर	4	20
		19-6-82 से 20-6-82	श्री बनवारी लाल आबकारी निरीक्षक	6	336
		11-7-82 से 30-8-82	श्री दयालपुरी गोस्वामी आबकारी निरीक्षक	6	121

1	2	3	4	5	6
		30-8-82	श्री अविनाश माथुर पेट्रोलिंग आफीसर	2	161
		31-8-82 से 11-3-83	श्री दयालपुरी गोस्वामी आबकारी निरीक्षक	15	179
				33	817
70	वृत्त फागी (जिला जयपुर)	4-4-82 से 21-3-83	श्री बनवारी लाल आबकारी निरीक्षक	70	2760
				70	2760
58	वृत्त बांदीकुई (जिला जयपुर)	4-4-82 से 16-9-82	श्री प्रभुदयाल आबकारी निरीक्षक	30	194
		6-10-82 से 17-3-83	श्री ओम प्रकाश आबकारी निरीक्षक	28	194
				58	388

1	2	3	4	5	6
46	वृत्त दौसा	23-4-82 से 6-7-82	श्री मदनसिंह आबकारी निरीक्षक	8	68
		6-7-82 से 18-7-82	श्री अशोक कुमार पेट्रोलिंग आफीसर	4	101
		19-7-82	श्री मदन सिंह आवकारी निरीक्षक	2	140
		19-7-82	श्री अशोक कुमार पेट्रोलिंग आफीसर	2	80
		6-8-82 से 25-3-83	श्री मदनसिंह आबकारी निरीक्षक	30	362
				46	751
76	वृत जयपुर पूर्व	1-4-82 से 31-3-83	श्री गोपीकिशन भट्ट आबकारी निरीक्षक	76	1925
				76	1925

1	2	3	4	5	6
27	वृत्त जयपुर पश्चिम	1-4-82 से 31-3-83	श्री आर. डी. भरतरी आबकारी निरीक्षक	27	273
				27	273
80	वृत्त जयपुर उत्तर	1-4-82 से 10-7-82	श्री घीसाराम मीना आबकारी निरीक्षक	31	1020
		11-7-82 से 31-3-83	श्री बसन्ती लाल सुराणा आबकारी निरीक्षक	49	922
				80	1942
57	वृत्त जयपुर दक्षिण	1-4-82 से 31-3-83	श्री द्वारकाप्रसाद दिक्षित आबकारी निरीक्षक	57	2121
604	जयपुर जिले का — कुल योग :			604	14017

परिशिष्ट-1

जयपुर

राजस्थान-सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर

राजस्व जिला सीकर : प्रश्न पहले का उत्तर निम्न प्रपत्र में भरें

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557

गत एक वर्ष 1982-83	कहां कहां जिले का नाम	कब कब अवधि (82-83)	किस किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या)	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में)
1	2	3	4	5	6
53	वृत्त श्रीमाधोपुर जिला सीकर	1-4-82 से 24-7-82	श्री नाथूलाल वर्मा आबकारी निरीक्षक	26	457
,,	,,	22-9-82 31-3-83	श्री जय सिंह आबकारी निरीक्षक	27	575
). 84	वृत्त सीकर जिला सीकर	1-4-82 से 21-7-82	श्री बजरंगलाल गुलेरिया आबकारी निरीक्षक	26	219
		25-7-82	1) श्री बजरंग लाल आब. निरी. 2) श्री हर्ष नारायण अति. आयुक्त	9	20

381

1	2	3	4	5	6
			3) श्री शिवराज सिंह सहा. आब. अधि. सीकर		
		3-8-82 से 31-383	श्री बजरंगलाल गुलेरिया आब. निरी.	49	595
42	वृत:– नीमका थाना (जिला सीकर)	1-4-82 से 23-5-83	श्री कोजाराम आबकारी निरीक्षक	12	58
		24-682 से 6-1-83	श्री हंसाराम आबकारी निरोधक	22	492
		28-1-83	श्री नरेन्द्रसिंह (प्रहराधिकारी) अधिकारी निरोधक दल	1	9010
		16-1-83 से			
		15-3-83 31-3-83	श्री हंसाराम आबकारी निरीक्षक	7	51
				174	2477

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर 'ग्रामीण' जयपुर।

राजस्व जिला झुन्झुनूं : प्रश्न पहले का उत्तर निम्न प्रपत्र में भरें

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557

गत एक वर्ष 1982–83	कहां-कहां जिले का नाम	कब-कब अवधि (82–83)	किस किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या)	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में)
139	वृत– चिडावा	1-4-82 17-6-82	श्री मानीराम आबकारी निरीक्षक	25	200

1	2	3	4	5	6
	(जिला झुन्झुनू)	15-6-82 से 17-6-82	श्री मोहम्मद उमंर ए. पी. पी.	8	50
		18-6-82	,, रामसिंह पी. ओ	6	150
		18-6-82 से 20-6-82	,, श्यामसिंह राघव आ. निरी.	55	2040
		21-6-82 से 26-6-82	,, हर्षनारायण अति. आयु आ. निरो. दल		
		7-10-82	श्री पृथ्वीसिंह आब. निरी.	2	15
		31-10-82	,, केशवकुमार तिवाड़ी आ. निरी.	9	150
		1-11-82 से 28-11-82	,, नरेन्द्रसिंह पी. ओ.	22	300
		29-1-83 से 31-1-83	,, सुबोध कुमार तिवाड़ी	7	100
	वृत चिड़ावा	7-2-83 से 31-3-83	श्री बजरंग लाल गुलेरिया आ. नि.	5	150
			योग:-	139	3115
35 वृत उदयपुर वाटी जिला झुन्झुनू		1-4-82 से 4-4-82	श्री नरेन्द्रसिंह प्रहराधिकारी आ. नि. दल	1	5
		8-4-82 से	,, संघर्षसिंह	6	38

1	2	3	4	5	6
		10-4-82	श्री सघर्षसिंह ग्राब. निरी.		
		30-4-82 से 26-7-82	,, ,, ,,	15	76
		21-6-82 से 31-8-82	श्री नरेन्द्र सिंह प. अ. नि. दल	2	30
		19-1-83	,, ,, ,,	1	1
		21-8-82 से 31-3-83	,, सम्पूर्णसिंह ग्राब. नि.	10	125
82	वृत झुन्झुनू	1-4-82 से 24-4-82	श्री मोहनसिंह प्रहराधिकारी	1	1
		14-4-82 से 27-6-82	,, सुभाष चन्द्र गोवर ग्रा. निरी.	17	60
		7-7-82	श्री मोहम्मद उमर सहा. ग्राब. अधि	1	40
		3-7-82 से 14-8-82	,, जगदीश प्रसाद शर्मा ग्राब. निरी.	20	190
वृत :- झुन्झुनू		23-8-82	,, नरेन्द्रसिंह प्रहराधिकारी	1	3
जिला झुन्झुनू		29-8-82 से 1-9-82	,, जगदीश प्रसाद शर्मा ग्रा. निरी.	3	18

Page No. 385

1	2	3	4	5	6
		5-8-82 से 20-9-82	,, मोहम्मद उमर सहा. ग्रा. अवि.	4	30
		21-9-82	,, नरेन्द्रसिंह प्रहराधिकारी	2	2
		6-10-82 से 3-11-82	,, जगदीश शर्मा आब. निरी.	11	124
		13-11-82 से	" नरेन्द्रसिंह प्रहराधिकारी	3	25
		21-11-82 से 4-12-82	,, जगदीश प्रसाद आ. निरी.	11	155
		8-12-83	श्री नरेन्द्रसिंह प्रहराधिकारी	1	
		4-1-83 से 31-3-83	,, जगदीश प्रसाद शर्मा आ. नि.	7	65
				256	4403

परिशिष्ट–1

जि. अ. अ. बीकानेर

क्र. सं.	गत वर्ष 82–83 कहां कहां	कब–कब	किस किस अधिकारी द्वारा	कितने व्यक्तियों से	कितनी मात्रा मे अवैध शराब पकड़ी गई [बी. एल.]	
1	2	3	4	5	6	7
1.	वृत नगर 82–83	श्री हुक्माराम सी. आई.	11	64.500	1-5-82 से	
	,, ,,	,, बनेसिंह सी. आई.	13	333.000	21-9-82 से 31-3-83	
2.	वृत ग्रामीण 82–83	,, पृथ्वीसिंह सी. आई	9	25.500	9-4-82	

1	2	3	4	5	6	7
	82-83	श्री नूर मोहम्मद पी. ग्रो	55	45.750	1-4-82	
3. वृत ग्रामीण ,,	,,	,, बनवारीलाल सी. ग्राई	4	6.000	,,	
,,	,,	,, उम्मेद सिंह पी. ग्रो	20	43.500	,,	
,,	,,	,, बनेसिंह सी. ग्राई	1	3.050	,,	
,,	,,	,, श्यामसिंह सी. ग्राई	1	7.500	,,	
,,	,,	,, हरीसिंह यादव सी. ग्राई	2	8.250	,,	
,,	,,	,, गजेन्द्रसिंह	1	0.750	,,	
		जिला बीकानेर योग	72	507.800 (बी. एल)		
वृत चूरू	82-83	श्री धौकलराम सी. ग्राई	37	100.500	1-4-82 से	31-3-83
,,	,,	,, गजेन्द्रसिंह पी. ग्रो	5	15.00	1-4-82 से	
4. वृत रतनगढ़	,,	,, अशोक कुमार सी. ग्राई	18	24.000	1-4-82 से	27-2-83
,,	,,	,, भाकरराम पी ग्रो	7	6.750	1-4-82	
,,	,,	,, प्रभुसिंह मीणा सी. ग्राई	2	4.500	28-2-83 से	31-3-83
5. वृत रामगढ़	82-83	श्री श्यामसुन्दर सी. ग्राई	12	46.500	20-582 से	31-3-82
,,	,,	,, धौकल राम सी. ग्राई	2	1.500	17-8-82	
,,	,,	,, गजेन्द्रसिंह पी. ग्रो	10	23.500	1-4-82 से	31-3-83
6. वृत सुजानगढ़	,,	,, भीमसिंह सी ग्राई	6	24.750	2-4-82 से	4-6-82
,,	,,	,, मेवासिंह सी. ग्राई	31	100.000	5-6-82 से	
,,	,,	,, भाकरराम पी ग्रो	7	22.500	1-4-82 से	
		जिला चूरू योग	137	369.550 बी. एल.		
7. वृत नागौर	,,	श्री बनवारीलाल कुकड़ सी. ग्राई	4	9.000		

1	2	3	4	5	6	7
	वृत नागौर	82–83	श्री भीमारामपी. ओ	–	–	
	,,	,,	,, जगदीश प्रसाद सी. आई	12	75 000	
	,,	,,	,, बलबीर सिंह पी. ओ	10	39.000	
8.	वृत डीडवाना	82–83	श्री शिवदानसिंह भाटी सी. आई	23	69 000	
9.	वृत नावां	,,	,, मैरूराम चौधरी सी. आई	14	90.750	
	,,	,,	,, यशपाल सिंह सी. आई	24	89.250	
	,,	,,	,, सवाई सिंह भाटी पी. ओ	11	52.500	
10.	वृत मेड़तासिटी	82–83	श्री सोहनलाल सोनी सी. आई.	1.6	49.000	
	,,	,,	,, भीमाराम पी. ओ	4	7.000	
	,,	,,	,, राजीव लोचन सी. आई	28	91.000	
			जिला नागौर योग	146	571.500 बी. एल.	

(3880)

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी श्री गंगानगर

मानचित्र विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557 बाबत जिला गंगानगर

प्रश्न संख्या 1 का उत्तर

गत एक वर्ष (82–83) – –	कहां कहां जिले का नाम	कब कब अवधि 82–83	किस किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से अभियुक्तों की संख्या	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा
1	2	3	4	5	6
82-83	जिला श्रीगंगानगर	82–83	श्री मदनलाल गुप्ता आ. नि.	1	141.00
			श्री दयालपुरी गोस्वामी आ. नि.	6	58.500
			श्री मनीराम ईनानिया आ. नि.	23	291.00
			श्री सुभाषचन्द्र ग्रोवर आ. नि.	43	232.250
			चांद प्रकाश कवातरा आ. नि.	32	82.00
			श्री कोजाराम आ. नि.	21	90.00
			श्री यशपालसिंह आ. नि.	1	1.500
			श्री भगवान सहाय शर्मा आ. नि.	1	0.500
			श्री केसर राम आ. नि.	77	547.975
			,, किशनलाल सोमपुरा आ. नि.	1	1.750
			श्री भैरूंराम आ. नि.	89	832.250
			,, सोहनलाल सोनी आ. नि.	33	150.950
			श्री भीमसिंह सोडा आ. नि.	4	27.00
			श्री नाथूलाल निरीक्षक	10	58.875

1	2	3	4	5	6
			श्री श्यामसिंह ग्रा. नि.	6	123.00
			,, भागीरथ मीना ग्रा. नि.	9	17.000
			,, हीरेन्द्रसिंह ग्रा. नि.	5	17.000
			,, जैयनारायण पी. ग्रो.	7	300.50
			,, गुमानसिंह ,,	3	19.125
			,, विजेन्द्रसिंह ,,	4	1.150
			,, मोहनसिंह ,,	4	189.750
			,, भाखरा राम ,,	14	52.500
			,, भंवरसिंह ,,	8	139.750
			,, लक्ष्मीलाल कजर ,,	3	28·250
			,, निरेन्द्रसिंह ,,	19	74.250
			,, गोपाल पसह ,,	18	57.500
			,, जसराम ,,	24	189.750
			,, सुरजभानसिंह ,,	21	69.750
			,, छोगसिंह ,,	1	3.000
			,, मनरूपसिंह ,,	12	20.750
			,, रामसिंह ,,	11	21.00
			,, गिरधारीसिंह ,,	1	1.500
			,, सत्यप्रकाश शर्मा ,,	9	22.000
			,, इन्द्रसिंह ,,	1	12.000
			,, जैयसिंह जमादार	1	4.500
			कुल योग :–	538	3230 875

जिला आबकारी अधिकारी
श्री गंगानगर

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर

प्रश्न पहले का उत्तर (मांचचित्र संख्या 1)

गत एक वर्ष 82-83	कहां कहां जिले का नाम	कब कब अवधि 82-83	किस किस अधिकारी के द्वारा अधिकारी का नाम	कितने व्यक्तियों से अभियुक्तों की संख्या	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा ब्लक लीटर्स में
1	2	3	4	5	6
82.83	जोधपुर पूर्व	1.4.82 से 16.6.82	श्री बसन्तीलाल सुराणा आ. नि.	33	71
		5.7.82 से 31.3.83	श्री अशोक गोस्वामी आ. नि.	109	258
,,	वृत जोधपुर पश्चिम	1.4.82 से 21.4.82	श्री जुगल किशोर आ. नि.	11	29
		17.7.82 से 31.3.83	श्री शिवकुमार शर्मा आ. नि.	19	302
,,	वृत बीलाड़ा	1.4.82 से 22.8.82 तक	श्री जयसिंह आ. नि.	29	57
		6.10.82 से 31.3.83 तक	श्री भीमसिंह आ. नि.	35	32
,,	वृत फलोदी	1.4.82 से 29.5.82 तक	श्री चन्द्र प्रकाश कवातरा आ. नि.	10	25
		24.8.82 से 31.3.83 तक	श्री किशन लाल सोमपुरा आ. नि.	24	25
,,	,, पाली	1.4.82 से 20.6.82 तक	श्री शान्ती जी आ. नि. टिमरवा	30	188
		24.6.82 से 31.3.83 तक	श्री मांगीलाल जैन	67	249
,,	,, बाली	1.4.82 से 4.5.82 तक	श्री मोहनलाल पालीवाल आ. नि.	6	50
		14.7.82 से 31.3.83 तक	श्री भवानीलाल माथुर आ. नि.	40	147

391

1	2	3	4	5	6
82-83	वृत्त सोजत	1.4.82 से 23.5.82 तक	श्री केसाराम ग्रा. नि.	9	8
		4.7.82 से 31.3.83 तक	श्री नन्दकिशोर ,,	40	104
,,	,, जेतारण	1.4.82 से 27.4.82 तक	श्री भवानीलाल माथुर ग्रा. नि.	18	88
		18.7.82 से 31.3.83 तक	राजेन्द्र प्रसाद ग्रा. नि.	61	185
,,	,, बाड़मेर	1.4.82 से 31.3.83 तक	श्री जवरमलदवे ग्रा. नि.	98	547
,,	,, बालोतरा	1.4.82 से 30 9.82 तक	श्री नानूराम खटीक ग्रा. नि.	31	257
		21.10.82 से 31.3.83 तक	श्री खेमाराम परमार ग्रा. नि.	23	45
,,	,, जैसलमेर	1.4.82 से 24.4.82 तक	श्री देवकिशन चौहान ग्रा. नि.	10	141
		17.7.82 से 18.7.82 तक	श्री किशनलाल सोमपुरा ग्रा. नि.	5	8
		28.7 82 से 11.11.82 तक	श्री मोहनलाल पालीवाल ग्रा. नि.	9	55
		24.11.82 से 31.3.83 तक	श्री अयूब बेग मिर्जा ग्रा. नि.	24	61

जिला आबकारी अधिकारी,
जोधपुर।

परिशिष्ट–1

1-4-82से 1-3-83 तक कोटा संभाग में विभिन्न अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब संबंधी सूचना—

गत एक वर्ष (82–83)	कहां–कहां (जिले का नाम)	कब–कब अवधि (82–83)	किस–किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या)	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में)
1.	2.	3.	4.	5.	6
82–83	इन्दिरागांधी नगर, नान्ता, गुमानपुरा छावनी, कोटड़ी, गोरधनपुरा, नयापुरा, विज्ञान नगर, पीलीखान, अथेड़ा, तलाब, सिन्धी कालोनी, नोहरा,, अनन्तपुरा, रामपुरिया, केशवपुरा, रंगबाड़ी, कोटा–बून्दी रोड़, गोबरियां, बावड़ी जिला कोटा	82–83	श्री सूरजप्रकाश राठौड़ आबकारी निरीक्षक	39	307.500
82–83	नयापुरा, रंगबाड़ी गोबरियां बावड़ी, कोटा–रावतभाटा रोड, गडेयान, मुल्तानपुर, कैथून, मोतीकुआं, खेड़ली-	82–83	श्री कमलप्रकाश दीवाना आबकारी निरीक्षक	115	378.250

1	2	3	4	5	6
	गांव, कवरापाड़ा, अलोरा, दरबीड़ी, अलनिया बांध, कवल का कुआं, केवलनगर, नया गॉव, बड़ोद, डडवाड़ा, जगपुरा, ओडा-की टापरियां, रापनगर, सिमलखेड़ी, चावलियां, नावयां, बराना, कंवरपुरा, दीगोद मूंडला, कसार, जोधपुरा, विलास की झोपड़ियाँ				
82-83	मण्डोला वार्ड, हनौतियां, देवपुरा, लुहावद, बराना, मांगरोल, वामला, घटीघटा, ग्राम मामौनी, शहबाद	82-83	श्री रामानन्द शुक्ला आबकारी निरीक्षक	25	66.750
82-83	रंगबाड़ी, आभेड़ातलाब, सकतपुरा, अकेलगढ़, बल्लभबाड़ी, नान्तारोड, रामनगर, शोपिंग-सेन्टर, नयापुरा, कन्डारापारा, विलास की झोपड़िया, खजूरिया, बन्जारों की टापरियाँ, जाखमुण्ड, रामपुरिया, मैजननी की पुलिया, केशोरायपाटन समिधि, एवरा, देवपुरा, मोखमपुरा	82-83	श्री जोरावरसिंह प्रहराधिकारी	33	279.000

1	2	3	4	5	6
82–83	अन्ता, ककरावदा, अटरू-वारां रोड, बटावदा छत्रपुरा, सिमलीवाली, ग्राम भडोद, ग्राम फरेरा, ठीकरियाँ, विलास की झोपड़िया, ककरावदा, केलवाड़ा,	82–83	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा आबकारी निरीक्षक	13	75000
82–83	गुलाबपुरा, रोहीखेराबाद, छत्रपुरा की टापरियाँ तालयावड़ी, राजूखेड़ा, कुदालिया, मगलपुरा, की टापरियाँ, समलखेड़ी, नूरपुरा, कूकड़ा, काल्याखेड़ी, खेड़ा विशनपुरा, सलावद, बूलेट	82–83	श्री पुरुषोतम विजय आबकारी निरीक्षक	49	320.000
82–83	केलवाड़ा, घटी-घटा, चिचोणी, कुशियारा, नकखेड, ग्राम प्रानिया, नाहरगढ़, चिनोद, छटबोलिया, आंवलहेड़ा, बांसखेड़ी, गड़ावली, रींछवा, मेंठुन, गोरियाखेड़ा, खेड़ी, मौमर, बैसार, भवरा, काजलिया, मदनपुरीया, अमेठा, किशनखेड़ा, ठीकरिया,	82-83	श्री राजपाल सिंह ढ़ाका	48	110.500
82–83	लंकागेट, गोविन्दपुरा, मदारीपाड़ा, कालीसिल नदी, मोतीकुआं.	82–83	श्री लक्ष्मीलाल कंजर प्रहराधिकारी	7	66.000

395

1	2	3	4	5	6
82–83	नान्ता, मालरोड, कसार, बड़ोद, जगपुरा कोटा रावतभाटा रोड,	82–83	श्री नरेन्द्र कुमार प्रहराधिकारी	5	11.750
82–83	बारां, अमलपुरा की झोपड़िया, कलमन्डा, मन्डोलावार्ड, मांगरोल, खजूरपाडा, किशनगंज शाहबाद माचोनी गणेशपुरा, सोड़ाना, चारानी अनायशर, छीपाबड़ीद मूंडला, बिसोनी	82–83	श्री तेजकरण प्रहराधिकारी	17	76.250
82–83	घटीघटा, मेहरापाड़ा, छबड़ा, लक्ष्मीपुरा, बंजारी हरनावदा, दीगोद, जागीर दहल-पुरा, सेतुकोलू, चैनपुरिया, मुसेनमाता, छीपाबड़ोद,इकलेरा रोड, देगनी, देवनियां, कुम्भाखेड़ी, ग्राम रेलाई, भेरूतलाई, कवाई, लक्ष्मीपुरा, प्रेमपुरिया	82–83	श्री शकरलाल पानेरी आबकारी निरीक्षक	68	177.750
82–83	झालावाड़ा, बसेड़ा मोहल्ला, कारामोहल्का, खेड़ा के पास, सेहसर, नोलाव, झालावाड, झालरापाटन, डूंगरगांव, मानपुरा, गोदान-की तलाई, खेरखेड़ा, केचनी, नया गांव पटपड़िया	82–83	श्री दुर्गाप्रसाद मीणा आबकारी निरीक्षक	57	327.000

1	2	3	4	5	6
	भमालपुरा, कुनाड़ा,ग्रावभर, नग्रापुरातलाव के पास, ग्रांवदा, सेमली, मंवरासा, ग्रा/दा				
82-83	डग, बनी	82-83	श्री मोठालाल प्रहरा.	17	24.500
82-83	पाटन, गुडागली, हरिजनबस्ती, मोतीकुग्रा, इकवासा, खेरखेड़ारोड, नयागांव, मंगलपुरा, पटपड़िया, हरिगढ़, बागेर, बन्या,	82-83	श्री मदनलाल प्रहरा.	21	81.750
82-83	भेरूपुरा, गडावलिया, मुग्राखां, ग्रडमालिया, देवाड़ी, गगधार, जरखोदा, बिजोलिया रोड, तालेड़ा, बड़ागांव, कलवाडागांव, गादेगाल, भीलू की टापरियां, ठीकरदा, मान की ढ़ाबी	82-83	श्री इरशाद ग्रहमद ग्राबकारी निरीक्षक	39	116.500
82-83	मोहनपुरा, खजूरिया, देही, विजयगढ़, खड़खड़, देही, बोरखेड़ा, कटोरिया डवलाना, सुरुची, सांवलपुरा, पीपलिया, छानपुरा, मोहनपुरा, लक्ष्मीपुरा, वांलापुरा, केमलिया हरिपुरा, श्रीपुरा, विजयगढ़ वसीली	82-83	श्री शकरलाल पानेरी ग्राबकारी निरीक्षक	16	46.500
82-83	सेबसी, झालरापाटन, नारायणपुरा, कंजरकालोनी मंवरासा,ग्राजन्दा, हाथी मोहल्ला, पटपड़िया,	82-83	श्री गोविन्द लाल मीणा ग्राबकारी निरीक्षक	16	38.000

1	2	3	4	5	6
82–83	पिड़ावां, भवानीमंडी, गोविन्दपुरा, कोयला, आखयाखेड़ी, रायपुर, पचपहाड़, अलमानिया,	82–83	श्री आयुर्वेग मिर्जा आबकारी निरीक्षक	15	36.000
82–83	लाखेरी, पदमपुरा, खेड़ली, नयापुरा, भीम-की घाडी, लेसरदा, पाड़ला खावदा, रेल्वे-रूटे, लाखेरी, सामला लाखेरी, बसवाड़ा, सखावदा, अरनेठा, गोशाला की टापरियाँ, बड़ावली, कापरेन, बून्दीरोड पीपलियां बड़ाखेड़ा के. पाटन, वोरदा, वालिता,	82-83	श्री अब्दुल कदीर खां आबकारी निरीक्षक	19	252 000
82-83	बलदेवपुरा की टापरियाँ, बारली बून्दी, आजाद चौक, मीरागेट, गोपाल निवास, किशनपुरा, कूडल्या, बाजेड़, मरोली, गुराडी, छत्रपुरा, डूंगरी खोरखेड़ा बसस्टेवबून्दी, हीरालाल की बावड़ी तीरथ, कैथूड़ा,	82–83	श्री महेश चन्द्र परिहार आबकारी निरीक्षक	25	48000
82–83	बून्दी,-चित्तौड़ रोड, नन्दपुरा, देवपुरा, तालावगाँव, ठींकरदा, राजपूत भोजनालय, बून्दी, विजोलियारोड, बायपास बून्दी	82–83	श्री सुबोध कुमार तिवारी आबकारी निरीक्षक	11	44 250

1	2	3	4	5	6
82-83	ठीकरिया, पाडलिया, नाथूखेड़ी, उन्हेल, सालरिया, पीपलिया, पीपलाई, खेलावड़ी, विसनिया का खेड़ा, दुधालिया, कोला गांव	82-83	श्री भगवान सहाय शर्मा आबकारी निरीक्षक	14	52.500
82-83	बसोली, डबलाना, वाछोला, बहादुरपुरा, धोवड़ा, वासनी, बोरिया की झोपड़ी, इन्द्रगढ़, आलोद, नयागांव, देवली, मोती-पुरा, मदनपुरा झोपड़ियाँ, बड़गाँव, कंजर-कालोनी, विजयगढ़, टाकला, लक्ष्मीपुरा,	82-83	श्री भगवत सिंह आबकारी निरीक्षक	34	84.000
82-83	कागजीदेवरा, विजोलिया रोड, बून्दी, देवली रोड-बून्दी, उमेलों की डूँगरी, पटपड़िया, रामगंज, बून्दी-जयपुर, रोड, वाइपासरोड, बून्दी, वाछोला	82-83	श्री त्रिलोक पालीवाल प्रहराधिकारी	13	54.750
82-83	गोपाल निवास, गुराड़ी, गामछ, गुराड़ी, शोपुरा, लक्ष्मीपुरा, शिवजी की टापरी, सतूर, वालली, बून्दी, विजयगढ़,	82-83	श्री कल्याण सिंह प्रहराधिकारी	9	33.000

परिशिष्ट-1

जिला: आ. अ. उदयपुर

प्रश्न पहला

गत एक वर्ष (82-83)	कहां-कहां (जिले का नाम)	कब-कब अवधि (82-83)	किस-किस अधिकारी के द्वारा (अधिकारी का नाम)	कितने व्यक्तियों से (अभियुक्तों की संख्या)	अवैध शराब पकड़ी गई की मात्रा (बल्क लीटर्स में)
1	2	3	4	5	6
1— 82-83	जिला उदयपुर	82-83	श्री दिलीपसिंह, आबकारी निरीक्षक	66	1323.000
			,, रामस्वरूप, आबकारी निरीक्षक	86	562.000
			,, नन्दकिशोर, आबकारी निरीक्षक	19	72.000
			,, जुंझारसिंह, आबकारी निरीक्षक	52	229.000
			,, शिवकुमार, आबकारी निरीक्षक	37	81.000
			,, शान्ती टिमरवा, आ. नि.	37	85.000
			,, जितेन्द्रनाथ आ. नि.	62	136.000
			,, गंगासिंह, प्रहराधिकारी	36	870.500
			,, देवेन्द्र दशोरा, प्रहराधिकारी	19	88.000
			,, राजेन्द्र भाणावत, प्रहराधिकारी	24	80.500
			,, राकेशकुमार, प्रहराधिकारी	3	132.000

1	2	3	4	5	6
			श्री कुलदीप बक्षी, प्रहराधिकारी	5	7.000
			,, राजेन्द्र शर्मा, प्रहराधिकारी	23	157.000
			,, महेन्द्रकुमार, प्रहराधिकारी	1	9.000
			,, शिवदयालसिंह, प्रहराधिकारी	3	36.000
			योग :—	473	3,868.000 लोटसं
1982–83	चितौड़गढ़	82–83	,, रतनसिंह राठौड़ ग्रा. नि.	70	232.000
			,, रतनसिंह बाबेल, ग्रा. नि.	59	315.000
			,, चन्द्रशेखरसिंह, ग्रा. नि.	72	104.000
			,, मनोहरलाल, ग्रा. नि.	19	230.000
			,, अशोक कुमार, ग्रा. नि.	29	115.000
			,, राजाराम, ग्रा. नि.	13	29.000
			,, इन्द्रसिंह, ग्रा. नि.	37	41.750
			,, अशोक कुंगल, ग्रा. नि.	15	13.000
			,, नानूराम, ग्रा. नि.	24	27.000
			,, देवेन्द्र दशोरा, प्रहराधिकारी	11	16.000
			,, शिवदयालसिंह, प्रहराधिकारी	47	88.000
			,, ऋषीराजसिंह, प्रहराधिकारी	14	23.000
			,, चन्द्रभानसिंह, प्रहराधिकारी	5	20.000
			,, सूर्यभानसिंह, प्रहराधिकारी	2	3.000
			योग :—	417	1256.750

परिशिष्ट—1

कार्यालय उपायुक्त आबकारी टेम्परेन्स राजस्थान, उदयपुर

1	2	3	4	5	6
1—1982-83	डूंगरपुर	1982-83	श्री मांगीलाल जैन, आ. नि.	60	250-500
"			" कुलदीप बक्शी प्र. अ.		
			" हस्तीमल आ. नि.		
			" प्रेमशंकर त्रिपाठी स. आ. अ.		
			" मेहमूद अहमद स. आ अ.		
	सागवाड़ा	"	" नारायणसिंह आ. नि.	27	235-125
			" कुलदीप बक्शी प्र. अ.		
			" हस्तीमल आ. नि		
			" मेहमूद अहमद स. आ. अ.		
	जिला डूंगरपुर			87	485-625
2—	जालोर		" ज्ञानशंकर शर्मा प्र. अ.	37	39-000
			" जगदीश प्रसाद आ. नि.		
			" शिवदत्त पुरोहित स आ. अ.		
			" नरेन्द्र सिंह पानेरी प्र. आ.		
			" शेरसिंह स. आ. अ.		
			" अभयकुमार जैन उपा. आ. टेम्पू		
	भीनमाल		" यशवन्तकुमार सोमानी आ. नि.		

1	2	3	4	5	6
			श्री ज्ञानशंकर प्र. अ.	55	116-000
			,, शेरसिंह स. आ. अ.		
	जिला जालौर			92	155-000
3—1982-83	उदयपुर (खेरवाँड़ा)	82–83	,, गोपालसिंह आ. नि.	53	216-750
			,, रिषीराजसिंह प्र. आ.		
			,, लालाराम प्र. अ.		
			,, प्रेमशंकर त्रिपाठी स. आ. अ.		
			,, देवेन्द्र दशोरा प्र. आ.		
			,, महेन्द्रकुमार जोशी प्र. आ.		
			,, गंगासिंह प्र. आ.		
,,	(गोगून्दा)		,, उपकार करण माथुर आ. नि.	49	54-000
			,, महेन्द्र कुमार जोशी प्र. अ.		
	(धरियावद)		,, श्यामसुन्दर शर्मा आ. नि.	26	114-750
			,, चन्द्रभानसिंह प्र. अ.		
	जिला उदयपुर			128	385-500
82–83	सिरोही	82–83	,, खीमाराम परमार आबकारी निरीक्षक	21	30 275

1	2	3	4	5	6
			श्री एस. एस. सिमलोत आबकारी अधिकारी, ,, शेरसिंह ए. ई ओ. ,, नरेन्द्रसिंह भ.दविया प्रहराधिकारी ,, अर्जुनलाल, आ. नि.		
82-83	आबूरोड़	82-83	,, भवानीसिंह, आ. नि. ,, नरेन्द्रसिंह भादविया पब्लिक प्रहराधिकारी ,, शेरसिंह, ए.ई.ओ. ,, नरेन्द्रकुमार पानेरी प्रहिराधिकारी	43	108.500
	जिला सिरोही			64	138.775
82-83	बांसवाड़ा	82-83	श्री दुर्लेसिंह, आ. नि. ,, मांगीलाल जैन, आ. नि. ,, रिषीराजसिंह, प्रहराधिकारी ,, भगवानलाल माथुर, ए.ई.ओ.	89	325.750

1	2	3	4	5	6
			श्री राजाराम, ग्रा. नि.		
			,, कुलदीप बक्षी, प्रहराधिकारी		
			,, राकेश चौरे, प्रहराधिकारी		
			,, गंगासिंह, प्रहराधिकारी		
			,, अभय कुमार जैन, आयुक्त (टे)		
82–83	कुशलगढ़	82–83	,, महावीरसिंह, ग्रा. नि.	28	198.750
			,, मागीलाल जैन, ग्रा. नि.		
			,, भगवानलाल माथुर, ए.ई.ओ.		
			,, राकेश चौरे, प्रहराधिकारी		
	जिला बांसवाड़ा		,, मेहमुद एहमद, ए.ई.ओ.	117	524.500

परिशिष्ट–2

विधान सभा अतारांकित प्रश्न सख्या–2
भरतपुर धौलपुर स. माधोपुर व अलवर

पकड़े गये व्यक्ति (अभियुक्तों की सं.) प्रश्न सं. पहले के कालम 5 से।	वर्ष 82-83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने के मामले किस किस कोर्ट में पेश किये (अभियुक्त की सख्या मय कोर्ट का नाम)	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामलों मे से कितने व्यक्तियों को सजा हुई (सख्या व सजा देने वाली कोर्ट का नाम)	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये मामलों मे से कितने अभियुक्तों के मामलें कोर्ट में चल रहे हैं (सं. मय कोर्ट का नाम)	अगर वर्ष 82-83 में पकड़े गये मामलों को कोर्ट में चालान पेश नही किया है तो उसका कारण (कोर्ट में पेश नहीं किये गये मामलों की सख्या)
1	2	3	4	5
724	36 जे. एम. भरतपुर	1 एम एण्ड जे. एम. स. माधोपुर	261	461
	16 जे. एम. डीग	1 सी. जे. एम. भरतपुर		इनमें से 6 अभियोग

1	2	3	4	5
	2 एम. जे. एम. कॉमा 2 ए. एम. जे. एम. बयाना 15 ए. एम. जे. एम. नं. 1 धौलपुर व एम. जे. एम. बाड़ी 80 जे एम. नं. 1/एण्ड 2 अलवर 8 सी. जे. एम. भरतपुर एम. जे. एम. लक्ष्मनगढ़, राजगढ़ 23 एम. जे एम. बहरोड़, बानसूर, किशनगढ़वास 37 एम. जे. एम. सवाई माधोपुर 14 एम. जे. एम. गंगापुर 23 जे. एम. हिन्डौन 7 जे. एम. करौली			टाईम बार्ड होने के कारण दोषी निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन है इन अभियोगों में से चालान हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी है शेष समस्त अभियोगों के लगभग अब न्यायालय में चालान किये जा चुके हैं। नोट :–इन अभियोगों की केमीकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से चालान नहीं किए जा सके हैं। अब समस्त अभियोगों के चालान हो चुके हैं।
724	263	2	261	461

परिशिष्ट–2

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर जयपुर

राजस्व जिला जयपुर — प्रश्न दूसरे का उत्तर निम्न प्रपत्र में– — विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557

पकड़े गये व्यक्ति (अभियुक्तों की संख्या) प्रश्न संख्या पहले के कालम 5 से	वर्ष 82-83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने के मामले किस-किस कोर्ट में पेश किये गये		वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामलों में से कितने व्यक्तियों को सजा हुई (सजा देने वाले कोर्ट का नाम)		वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामलों में से कितने अभियुक्तों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं (स. मय कोर्ट का नाम)		अगर वर्ष 82-83 में पकड़े मामलों के कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है तो उसका कारण (कोर्ट में पेश नहीं किये गये मामलों की सं.)
1	2		3		4		5
63 वृत शाहपुरा	शाहपुरा कोर्ट	22	–		शाहपुरा कोर्ट	22	–
(जयपुर)	कोटपुतली कोर्ट	41	–		कोटपुतली	41	–
41 वृत चौमूं	एम. जे. एम. चौमूं	32	–		एम.जे.एम. चौमूं	32	–
(जयपुर)	जे.एम. नं. 2 जयपुर	9	जे.एम. नं. 2	4	जे.एम. नं. 2	5	–
53 वृत सांगानेर	जे.एम. नं. 2	50	जे.एम. नं. 2	3	जे.एम. नं. 2	47	–
	जे.एम. दौसा	3	जे.एम. दौसा	–	जे.एम. दौसा	3	–
33 वृत फुलेरा	ए.सी.जे.एम. सांभर	31	ए.सी.जे.एम. सांभर	4	ए.सी.जे.एम. सांभर	27	–
(जयपुर)	मुंसिफ कोर्ट सांभर	2	–		मुंसिफ कोर्ट सांभर	2	–

Page No. 407

1	2	3	4	5
70 वृत फागी (जयपुर)	ए.सी.जे.एम. सांभर 48	ए.सी.जे. एम. सांभर सजा 5 डिस्चार्ज 1	ए.सी. जे. एम. सांभर 42	पांच अभियोगों का चालान नहीं हुआ है। (विभागीय कार्यवाही में होने कारण)
	मुंसिफ कोर्ट सांभर 2	–	मुंसिफ कोर्ट सांभर 5	–
	जे.एम. नं. 2 जयपुर 12	–	जे.एम. नं. 2 12	–
58 वृत बांदीकुई (जयपुर)	मुंसिफ कोर्ट बांदीकुई	मुंसिफ कोर्ट बांदीकुई 2	मुंसिफ कोर्ट बांदीकुई 56	–
46 वृत दौसा (जयपुर)	जे.एम. कोर्ट दौसा 28	जे.एस. कोर्ट दौसा 13	जे.एम. कोर्ट दौसा 15	–
	ए.एम.जे.एम. दौसा 18	ए.एम.जे.एम. दौसा 2	ए.एम.जे.एम. दौसा 16	–
76 वृत जयपुर पूर्व	जे.एम. नं. 2 जयपुर 60	जे.एम. नं. 2 जयपुर 8	जे.एम. नं. 2 जयपुर 52	–
	जे.एम. नं. 9 जयपुर 16	जे.एम. नं. 9 जयपुर 1	जे.एम. नं. 9 जयपुर 15	–
27 वृत जयपुर पश्चिम	जे.एम. नं. 2 जयपुर 18	जे.एम. नं. 2 जयपुर 4	जे.एम. नं. 2 जयपुर 14	–
	जे.एम. नं. 9 जयपुर 9	जे.एम. नं. 9 जयपुर 1	जे.एम. नं. 9 जयपुर 8	–
80 वृत जयपुर उत्तर	जे.एम. नं. 2 जयपुर 67	जे.एम. नं. 2 जयपुर 5	जे.एम. नं. 2 जयपुर 62	–
	जे.एम. नं. 9 जयपुर 13	जे.एम. नं. 9 जयपुर 2	जे.एम. नं. 9 जयपुर 11	–
57 वृत जयपुर दक्षिण	जे.एम. नं. 2 जयपुर 50	जे.एम. नं. 2 जयपुर 3	जे.एम. नं. 2 जयपुर 47	–
	जे.एम. नं. 9 जयपुर 7	जे.एम. नं. 9 जयपुर 1	जे.एम. नं. 9 जयपुर 6	–
योग :–604	599	59	540	

परिशिष्ठ-2

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर "ग्रामीण", अजमेर।

राजस्व जिला सीकर : प्रश्न दूसरा का उत्तर निम्न प्रथम में : विधानसभा अतारांकित पत्र प्रश्न संख्या 1557

पकड़े गये व्यक्ति (अभियोग की सं.) प्रश्न सं. मसले के कालम 5 से 1	वर्ष 82-83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने के मामले किस-किस कोर्ट में पेश किये गये।		वर्ष 82-83 मे कोर्ट में पेश किये गये मामले में से कितने व्यक्तियों को सजा हुई(मुख्य सजा देने वाले कोर्ट का नाम)	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामले में से कितने अभियुक्तों के मामलें कोर्ट में चल रहे हैं (ह. मय कोर्ट का नाम)		अगर वर्ष 82-85 में पकड़े मामलों को कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है तो उसका वारन्ट(कोर्ट में पेश नहीं किये गये मामलों की संख्या)
1	2		3	4		5
53	एम. जे. एम. श्रीमाधोपुर	36	निल	49 कोर्ट में सन्यमान		
				एम.जे.एम. श्रीमाधोपुर	34	
	एम.जे.एम. रामगढ़दाता	12		एम.जे.एम. दातारामगढ़	12	
	एम.जे.एम. नीमकाथाना	2		एम.जे.एम. नीमकाथाना	1	
	एम.जे.एम. सीकर	3		एम.जे.एम. सीकर	2	
		53			49	

नोट :- चार अभियोगों में-फैसला हो चुका है।

1	2	3	4	5
84	जे.एम. कोर्ट सीकर 46 एम.जे.एम. फतेहपुर 27 एम.जेएम. दातारामगढ़ 11	निल	84 अभियोग ही विचाराधीन है जे.एम. कोर्ट सीकर 46 एम.जे.एम. फतेहपुर 27 एम.जे.एम. दातारामगढ़ 11	
	84		84	
42	42 एम.जे.एम. नीमकाथाना	1 एम.जे एम. नीमकाथाना	41 अभियोग कोर्ट में विचाराधीन है	
179	179	1	4 बरी	174

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर "ग्रामीण"

जिला झुन्झुनूं : प्रश्न दूसरा का उत्तर निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत हैं : विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557

पकड़े गये व्यक्ति (अभियोगो की संख्या) प्रश्न स. पहले के कालम 5 से 1		वर्ष 82-83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने के मामले किस किस कोर्ट में पेश किये गयें।	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामले में से कितने व्यक्तियों को सुनवाई(सं. व सजा देने वाले कोर्ट का नाम)	वर्ष 82-83 कोर्ट में पेश किये गये मामलों में से कितने व्यक्तियों के मामले कोर्ट में चल रहे है मय कोर्ट का नाम	अगर वर्ष 82-83 में पकड़े गये मामलों को कोर्ट में चालान पेश नहीं किया तो उसका कारण (कोर्ट में पेश नहीं किये गये मामलों की संख्या)
1		2	3	4	5
139	चिडावा	एम.जे एम. चिडावा 60 एम.जे.एम. खेतड़ी 59	एम जे.एम. चिडावा 15 एम.जे.एम. खेतड़ी 9	एम.जे.एम. चिडावा 60 एम.जे.एम. खेतड़ी 55	

Page No. 410

1	2	3	4	5
35 उदयपुरवाटी	एम.जे.एम. नवलगढ़ 35	निल	35 कोर्ट में चल रहे हैं	
82 वृत: झुन्झुनू	56 एम.जे.एम. झुन्झुनू 20 ,, ,, ,, नवलगढ़ 6 ,, ,, ,, चिड़ावा	7 अभियोगो एम.जे.एम. झुन्झुनू	75 अभियोग कोर्ट में चल रहे हैं।	
256	256	31	225	

परिशिष्ठ–2

जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर

पकड़े गये व्यक्तियों (अभियुक्तों) की संख्या	वर्ष 82–83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने मामले किस-किस कोर्ट में पेश किये गये न्यायालय का नाम	सख्या	वर्ष 82–83 में कोर्ट में पेश किये गये मामलों में से कितने व्यक्तियों को सजा हुई नाम कोर्ट	संख्या	वर्ष 82–83 में कोर्ट में पेश किये मामलों में से कितने अभियुक्तों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं नाम कोर्ट	सख्या	अगर 82–83 में पकड़े गये मामलों को कोर्ट में चालान पेश नहीं किया तो उसका कारण व सं. संख्या	कारण
1	2		3		4		5	
बीकानेर 72	जे.एम. बीकानेर एम.जे.एम, बीकानेर	72	—	—	2	72	--	

1		2		3		4		5
चूरू	137	एम.जे.एम. चूरू) ,, रामगढ़) ,, सरदारशहर) ,, सुजानगढ़) ,, रतनगढ़) ,, रतनगढ़)	137	--	--	5	137	--
नागौर	146	एम.जे.एम.मेड़ता) ,, डीडवाना) ,, लाडनूं) ,, डेगाना) ,, नावा) ,, परबतसर) ,, मकराना)	114	--	51	7	63	32 में कमीकल रिपोर्ट नहीं आने के कारण चालान नहीं किया जा सका था
कुल योग	335		323	—	51	272	33	

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, श्री गंगानगर (राजस्थान)

माननीय विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1557 के प्रश्न संख्या 1 का उत्तर
जिला श्री गंगानगर

पकड़े गये व्यक्ति अभियुक्तों की सं. प्रश्न सं. पहले के कालम 5 से	वर्ष 82-83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने के मामले किस किस कोर्ट में पेश किये अभियुक्तों की सं. मय कोर्ट का नाम	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामलों में से कितने व्यक्तियों को सजा हुई (स.) व सजा देने वाली कोर्ट का नाम	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये मामलों में से कितने अभियुक्तों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं (सं) मय कोर्ट का नाम	अगर वर्ष 82-83 में पकड़े मामलों का कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है तो उसका कारण (कोर्ट में पेश नहीं किये गये मामलों की संख्या।
1	2	3	4	5
538	129 जे.एम. नं. 2 गंगानगर	निल	129 जे.एम. नं. 2 गंगानगर	निल
	24 एम.जे.एम. पदमपुरा	1	23 एम.जे.एम. पदमपुरा	निल
	89 एम.जे.एम. करणपुर	14	75 एम.जे.एम. करणपुर	निल
	52 एम.जे.एम. रायसिंहनगर	2	50 एम.जे.एम. रायसिंहनगर	निल
	25 एम.जे.एम. सुरतगढ़	2	23 एम.जे.एम. सुरतगढ़	निल
	29 एम.जे.एम. अनुपगढ़	1	18 एम.जे.एम. अनुपगढ़	निल
	11 एम.जे.एम. नोहर	2	9 एम.जे.एम. नोहर	निल
	9 एम.जे.एम.	1	8 एम.जे.एम.	निल

(413)

1	2	3	4	5
	भादरा 26 एम.जे.एम. संगरीयां	–	भादरा 26 एम.जे.एम. सगरीया	निल
	154 जे.एम. नं. 2 हनुमानगढ़	1	153 जे.एम. न. 2 हनुमानगढ़	निल
	538	24	514	

परिशिष्ट–2

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर

(मानचित्र संख्या 2)

प्रश्न दूसरा का उत्तर

1	2	3	4	5
349 जिला जोधपुर	232 जे.एम. कोर्ट न. 1 व 2 जोधपुर एम.जे.एम. बीलाड़ा पीपाड़ ओसिया फलोदी	71 जे.एम. कोर्ट न. 1 व 2 जोधपुर एम.जे.एम. बीलाड़ा पीपाड़ ओसिया फलोदी	161 जे एम कोर्ट नं. 1 व जोधपुर एम जे एम. बीलाड़ा पीपाड़ फलोदी	2 अभियोग चालान नहीं करने से मयाद बाहर हुये निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही मुख्यालय द्वारा जारी है। शेष 115 अनुसंधान में।
271 जिला पाली	177 एम.जे.एम. पाली बाली देसूरी, सुमेरपुर, सोजत जेतारण	95 एम.जे.एम. पाली बाली, देसूरी, सुमेरपुर, सोजत, जेतारण	82 एम.जे.एम. पाली, बाली. देसूरी, सुमेरपुर, सोजत, जेतारण	5 अभियोग चालान पेश नहीं करने से मयाद बाहर हो गये निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही मुख्यालय द्वारा जारी है। शेष 89 अनुसंधान में।
152 जिला बाड़मेर	72 एम.जे.एम. बाड़-	26 एम.जे.एम. बाडमेर	46 एम.जे.एम.	80 अनुसंधान में।

(414)

1	2	3	4	5
	मेर, बालोतरा, सिवाना	बालोतरा, सिवाना	बाड़मेर, बालोतरा, सिवाना	
48 जिला जैसलमेर	27 सी जे.एम. जैसलमेर एम.जे.एम. पोकरण	10 सी.जे.एम. जैसलमेर एम.जे.एम. पोकरण	17 सी जे.एम. जैसलमेर एम.जे.एम पोकरण	15 अभियोग चालान समय पर पेश नहीं करने से मयाद बाहर निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही मुख्यालय द्वारा जारी है। 6 अनुसंधान में।

परिशिष्ट-2

1982-83 में कोटा संभाग में पकड़े गये अवैध शराब सम्बन्धी मामलों को न्यायालय में चालान एवं सजाओं का विवरण

पकड़े गये व्यक्ति (अभियुक्तों की संख्या) प्रश्न संख्या पहले के कालम 5 से।	वर्ष 82-83 में पकड़े गये अभियुक्तों में से कितने के मामले किस-किस कोर्ट में पेश किये (अभियुक्त की संख्या मय कोर्ट का नाम)	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये गये मामलों में से कितने व्यक्तियों को सजा हुई (सं. व सजा देने वाली कोर्ट का नाम)	वर्ष 82-83 में कोर्ट में पेश किये मामलों में से कितने अभियुक्तों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं (सं. मय कोर्ट का नाम)	अगर वर्ष 82-83 में पकड़े गये मामलों का कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है तो उसका कारण (कोर्ट में पेश नहीं किये गये मामलों की संख्या)
1	2	3	4	5
726	एम.जे.एम. उत्तर, कोटा 54	1. एम.जे.एम. कोर्ट	एम.जे.एम. उत्तर, कोटा 53	समस्त
	,, दक्षिण, कोटा 82	उत्तर कोटा	,, दक्षिण कोटा 80	केसेज
	,, बारां 57	2. एम.जे.एम. दक्षिण कोटा	,, बारां 57	चालान
	,, छबड़ा 38	(कुल तीन व्यक्तियों	,, छबड़ा 38	किये
	,, अटरू 7	को सजा हुई)	,, अटरू 7	जा चुके हैं।
	,, रामगंजमण्डी 42		,, रामगंजमंडी 32	82-83 में कुल 84
	,, सांगोद 10		,, सांगोद 10	मुकदमों के चालान
	,, बून्दी 181		,, बून्दी 181	पेश किये जाना शेष थे.

Page No. 416

1	2	3	4	5
726 एम.जे.एम.	झालावाड़ 83		एम.जे.एम. झालावाड़ 83	उनके अब संबंधित
,,	भवानी मण्डी 49		,, भवानी मण्डी 49	न्यायालयों में चालान
,,	इकलेरा 39		,, इकलेरा 39	पेश किये जा चुके हैं।
	योग 642	3	योग 639	
473	172 एम.जे.एम. प्रथम, उदयपुर	न्यायालय में विचाराधीन	172 एम.जे.एम. प्रथम उदयपुर	111 मामलों में केमी-
	30 ,, ,, भीम	,, ,,	30 ,, भीम	कल जाच रिपोर्ट प्राप्त
	27 ,, ,, देवगढ़	,, ,,	27 ,, देवगढ़	नहीं होने व अनुसंधान
	58 ,, ,, मावली	,, ,,	58 ,, मावली	पूर्ण नहीं होने से
	8 ,, ,, कानोड़	,, ,,	8 ,, कानोड़	लम्बमान थी। अब
	20 ,, ,, रेलमगरा	,, ,,	20 ,, रेलमगरा	लम्बमान नहीं है।
	30 ,, ,, नाथद्वारा	,, ,,	30 ,, नाथद्वारा	
	10 ,, ,, राजसमन्द	,, ,,	10 ,, राजसमन्द	
	3 ,, ,, केलवाड़ा	,, ,,	3 ,, केलवाड़ा	
	4 जे.एम. राजसमन्द	,, ,,	4 जे.एम. राजसमन्द	
योग :-473	362		362	111
417	77 न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	न्यायालय में विचाराधीन	77 न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	151 मामलों में
	45 एम.जे.एम. प्रतापगढ़	,, ,,	45 एम.जे एम प्रतापगढ़	केमीकल जाच रिपोर्ट
	32 ,, छोटीसादड़ी	,, ,,	32 छोटीसादड़ी	प्राप्त नहीं होने व

1	2	3	4	5
	32 एम.जे.एम. निम्बाहेड़ा	न्यायालय में विचाराधीन	32 ,, निम्बाहेड़ा	अनुसंधान पूर्ण नहीं
	34 ,, कपासन	,, ,,	34 ,, कपासन	होने से लम्बमान थे।
	5 ,, कानोड़	,, ,,	5 ,, कानोड़	अब लम्बमान नहीं
	33 ,, वेगू	,, ,,	33 ,, वेगू	हैं।
	8 ए.सी.जे.एम. प्रतापगढ़	,, ,,	8 ए.सी.जे.एम. प्रतापगढ़	
योग :-417	266		266	151

परिशिष्ट-2

1	2	3	4	5
1-60	41-सी.जी.एम. डूंगरपुर	1-सी.जी.एम. डूंगरपुर	59	सभी अभियोगों का
(जिला डूंगरपुर)	19-ए.जे.एम. ,,			चालान पेश हो चुका
27	27 ए.जे.एम. सागवाड़ा	5-एम.जे.एम. सागवाड़ा	29	,, ,,
योग:-87	87	6	81	
2-37	37 ए.जे.एम. जालोर	निल	37	,, ,,
55	49 एम.जे.एम. भीनमाल	3-एम.जे.एम. भीनमाल	46 एम.जे.एम. भीनमाल	
(जिला जालोर)	6 ,, सांचोर	1- ,, सांचोर	5 ,, सांचोर	
योग :-92	92	4	88	

1	2	3	4	5
3–53 (जिला उदयपुर)	29 ए.जे.एम. खेरवाड़ा	13 एम.जे.एम. खेरवाड़ा	16 एम.जे.एम खेरवाड़ा	सभी अभियोगों का चालान पेश हो चुका है
	24 ,, सलूम्बर	10 ,, सलूम्बर	14 ,, सलूम्बर	
49	49 एम.जे.एम. गोगून्दा	निल	49 एम.जे.एम. गोगून्दा	,, ,,
26	25 ,, धरियावद	- -	25 ,, धरियावद	,, ,,
	1 ,, कानोड़	निल	1 ,, कानोड़	,, ,,
128	128	23	105	
21	21 एम.जे.एम. सिरोही	निल	21	सभी अभियुक्तों का कोर्ट में चालान पेश हो चुका है।
43	43 एम.जे.एम. आबूरोड़	निल	43	,, ,, ,,
64	64	–	64	
89	89 सी.जे.एम/एम.जे.एम. बांसवाड़ा	निल	89	सभी अभियुक्तों का कोर्ट में चालान पेश हो चुका है।
28	27 एम.जे.एम. कुशलगढ़	निल	27	एक मामले में केमीकल रिपोर्ट निल आने से व ए.पी.पी. की राय अनुसार चालान पेश नहीं किया गया।
117	116	–	116	

(419)

परिशिष्ट-13

अ. ता. प्रश्न संख्या 917 की सूची

जिला एवं सत्र न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्र. सं.	जिला एवं सत्र न्यायालय का नाम	कुल मुकदमें
1-	अजमेर	1289
2-	अलवर	996
3-	बीकानेर	1663
4-	भीलवाड़ा	1256
5-	भरतपुर	834
6-	बून्दी	723
7-	बालोतरा	655
8-	डूंगरपुर	356
9-	जालोर	588
10-	झुन्झुनूं	1092
11-	झालावाड़	671
12-	पाली	842
13-	सिरोही	931
14-	सीकर	1212
15-	सवाई माधोपुर	1853
16-	धौलपुर	460
17-	टोंक	732
18-	प्रतापगढ़	2771
19-	चुरू	1096
20-	जोधपुर	1081
21-	मेड़ता	1146
22-	जयपुर जिला	1042
23-	जयपुर शहर	14843
24-	कोटा	566
25-	गंगानगर	1500
26-	बांसवाड़ा	400
27-	उदयपुर	1430

परिशिष्ट–14

अ. ता. प्रश्न संख्या 919 का विवरण

लेम्पसों में बकाया राशि का विवरण

उदयपुर (पूर्व)

क्र सं.	नाम लेम्पस	मूल	ब्याज	योग
1.	काया	75,893 02	10,548.58	86,441.60
2.	कुरावड़	92,514.77	21,909.63	1,14,424.40
3.	देबारी	—	268.45	268.45
4.	लकड़वास	—	6,532.86	6,532.86
5.	कानपुर	56 576.00	5,254.29	61,830.29
6.	साकरोदा	19,804.59	6,838 74	26,643.33
7.	बम्बोरा	4,243.16	37.80	4,280.96
8.	नाई	85,136.41	17,466.35	1,02,602.76
9.	सिसारमा	30,644.38	9,200.38	39,844.75
10.	तितरड़ी	16.419.53	6,269.60	22,689 13
11.	घरियावद	4,57,813 09	1,66,319.29	6 24,132.38
12.	लसाडिया	2,53,075.36	70,831.70	3,23,307.06
13.	पारसोला	22,367.64	6,994 63	29,362.27
14.	मुंगाणा	8,013.97(–)	1,121.07	6,892.90
15.	पारेल	47,872.66	4,429.13	52,301 79
16.	कुण	19,450.70	4,871.71	24,322.41
17.	खूंता	24,577.04	2,088.76	26,665.80
18.	डाल	1,09,038.47	42,009.38	1,51,107.85
19.	भवराना	16,798.91	2,182.69	18,981.60
20.	गींगला	—	255.88	255.88
21.	ओडवाड़िया	—	2,092.49	2,092.49
22.	गावड़ापाल	43,088.72	10,178.13	53,266.85
23.	वस्सी	—	1,536.37	1,536.37
24.	इटालीखेड़ा	—	1,076.09	1,076.09
25.	जेताणा	67,476.21	8,953.31	76,429.52
26.	भलारा	82,253.63	19,565.00	1,01,818.63
27.	सेरिया	—	410.96	410.96
28.	अचलपुर	1,66,634.80	59,083.63	2,25,718.43

1,	2.	3.	4.	5.
29.	अरनोद	2,40,854.20	55,330.52	2,96,184.72
30.	दलोट	1,83,684.62	79,000.39	2,62,685.01
31.	कुलमीपुरा	12,181.60	57,733.01	69,914.61
		21,36,413.48	6,77,608.68	28,14,022.16

उदयपुर (पश्चिम)

क्र. सं.	नाम लेम्पस	मूल	ब्याज	योग
1.	कोटड़ा	3,36,146.45	43,980.25	3,80,054.70
2.	वास	53,440.23	11,566.95	65,007.18
3.	माण्डवा	11,294.89	—	11,294.89
4.	जाडोल	1,49,599.05	19,942.55	1,69,541.60
5.	फलासिया	1,49,976.06	21,897.70	1,71,873.76
6.	मादड़ी	14,519.89	4,682.10	19,201.99
7.	गोगंला	76,390.36	10,173.60	86,563.96
8.	ओगणा	9,096.47	3,831.60	12,928.07
9.	घरावण	1,43,212.28	6,237.20	1,49,449.58
10.	खेरवाड़ा	4,49,289.70	48,704.95	4,97,994.65
11.	केशरियाजी	2,69,282.77	35,310.05	3,04,592.82
12.	आड़ीवली	3,129.91	754.35	3,884.26
13.	छाणी	48,264.34	3,783.70	52,048.04
14.	डबायचा	21,994.55	850.10	22,844.69
15.	सुलई	45,411.45	3,419.25	48,830.70
16.	ठीकवास	13,581.06	847.55	14,428.61
17.	सराड़ा	3,29,702.10	42,519.15	3,72,22 .25
18.	सेमारी	1,64,409.69	22,643.70	1,87,053.39
19.	वीरपुरा	22,776.16	481.00	23,260.16
20.	धावडीया	6,623.14	1,775.85	8,398.99
21.	परसाद	29,481.23	1,585.85	31,067.08
22.	झाडोल (सराड़ा)	39,260.55	368.00	39,628.55
23.	सुरखंड खेड़ा	89,614.41	1,435.65	91,050.06

1.	2.	3.	4.	5.
24.	मूंगथला	3,821.20	200.00	4,021.20
25.	नीचलागढ़	9,349.37	—	9,349.37
26.	सान्तपुर	1,233.41	—	1,233.41
		24,90,903.76	2,86,919.20	27,77,822.96

बांसवाड़ा

क्र. सं.	नाम लेम्पस	मूल	ब्याज	योग
1.	अलसीपाडा	73.178.32	5,015.14	78,193.46
3.	आनन्दपुरी	1,70,064.73	29,534.56	1,99,599.29
3.	बागीदौरा	2,21,395.13	71,945.24	2,93,340.37
4.	बड़वास	13,143.96	11,861.83	97,853.83
5.	छोटी सरवा	84,186.78	13,667 04	97,853.82
6.	चान्दरवाड़ा	27,329.78	5.195.99	32,525.77
7.	दानपुर	21,618.84	10,860.76	32,479.60
8.	डूंगरिया	1,51,544.63	44,228.99	1,95,773 62
9.	घाटोल	15,080.61	85,960.66	1,01,041.27
10.	गढ़ी	52,013.23	2,620.54	54,633.77
11.	गांगड़तलाई	1,71,223.62	20,672.16	1,91,895.78
12.	कुशलगढ़	1,96,696.54	97,506.71	2,94,203.25
13.	कसारवाड़ी	1,09,900.12	14,803.79	1,24.703.91
14.	लोहारिया	76,322.86	2,591.49	78,914.35
15.	मोधमपुरा	31,881.16	12,273.59	44,154.75
16.	पालोदा	67,469.25	23,810.07	91,279 32
17.	पीपलखूट	1,48,066.19	22,226.96	1,70,293.15
18.	पाटन	13,038.32	2,311.84	15,350.16
19.	सज्जनगढ़	1,70,551.86	30,666.44	2,01,218.30
20.	ठीकरिया	70,202.38	55,694.89	1,25,897.27
21.	तलवाड़ा	88,628.86	44,536.43	1,33,165.29
	योग	19,73,537.17	5,97,985.12	25,71, 22.29

423

डूंगरपुर

क्र. सं.	नाम लेम्पस	मूल राशि	ब्याज	योग
1.	पुनाली	2,26,661.51	53,322 89	2,79,984.40
2.	पुंजपुर	2,22,690.38	30,255.57	2,52,945 95
3.	रीछा	1,46,519.03	45,827.85	1,92,346.88
4.	ओवरी	1,47,029.99	52,448.96	1,99,478.95
5.	सरोदा	1,29,985.60	32,311.41	1,62,297.01
6.	देवल	26,450.74	9,226.63	35,677.37
7.	बिच्छीवाड़ा	1,15,157.23	28,205.68	1,43,662.91
8.	भीण्डा	1,52,422.07	36,419.47	1,88,841.54
9.	सीमलवाड़ा	2,32,204.90	51,635.65	2,83,840.55
10.	कूआं	1,81,619.70	45,819.53	2,27,439.23
11.	माण्डव	79,502.10	10,933 30	90,433.40
12.	भीणूडा	78,841.13	6,777.00	85,618.13
13.	वरसिंहपुर	79,745.62	7,916.35	87,661.97
14.	टामटिया	97,927.88	8,997.88	1,06,925.76
15.	ठाकरड़ा	49,739.83	4,393.13	54,132.96
16.	वरदा	47,417.98	6,229.65	53,647 63
17.	गोवाड़ी	95,631.32	7,230.72	1,02,862.04
18.	माण्डवा	1,09,677.44	8,306.19	1,17,983.63
19.	दीवड़ा	43,682.39	5,927.79	49,610.18
20.	जोगपुर	61,361.58	10,672.68	72,034.26
	योग	23,24,268.42	4,62,858.33	27,87,126.75

कोटा (बारां)

क्र. सं.	नाम लेम्पस	मूल राशि	ब्याज राशि	योग
1.	शाहबाद	1,20,902 99	लेम्पसवार सूचना उपलब्ध नहीं है।	
2.	कस्बाथाना	1,45,753.51		
3.	देवरी	1,35,921.71		
4.	समरानिया	3,02,325.30		
5.	केलवाड़ा	1,57,992.65		

1.	2.	3.	4.	5.
6.	किशनगन्ज	1,12,407.76		
7.	नाहरगढ़	1,14,244.71		
8.	जलवाड़ा	87,422.20		
9.	माधोगरड़ा	4,27,427.29		
10.	शोभागपुरा	3,12,888.89		
	योग	19,15,297.05	2,13,318.25	21,28,615.30

"ब"

नाई सीसारमा, लेरिया, लसाड़िया एवं कोटड़ा लेम्पस के गबनों की जांच प्रतिवेदन

1: कोटड़ा लेम्पस :—

पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने जांच पत्रावली अधीक्षक सी. आई. डी. (4) (सी. बी.) राजस्थान जयपुर को अग्रीम अनुसधान वास्ते प्रेषित की है। इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा रुपये 50,000/- से भी अधिक राशि का गबन किया हुआ है। गबन की प्राथमिक जांचें दिनांक 21-8-81 को की गई थी। धारा 74 के तहत रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा की गई जांच के आधार पर मामला वसूली वास्ते न्यायालय में ले जाया जा रहा है।

2. नाई लेम्पस :—

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के निरीक्षण नोट दिनांक 8-3-83 के अनुसार रुपये 84,921.54 का गबन घोटाला प्रकाश में आया था जिसके लिये सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत विस्तृत जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानीय सहायक पंजीयक को लिखा गया है।

3. सीसारमा लेम्पस :—

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के निरीक्षण नोट दिनांक 8-2-83 के अनुसार रुपये 25,786.89 का गबन पाया गया जिसके अनुसार स्थानीय सहायक पंजीयक को सहकारी अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही करने वास्ते लिखा जा चुका है। साथ ही यह मामला स्थानीय पुलिस अधीक्षक सी. आई. डी. (सी. बी) को भी वास्ते आवश्यक कार्यवाही दिया हुआ है।

425

4. सेरिया लेम्पस :—

सहायक क्षेत्रीय प्रवन्धक के निरीक्षण नोट दिनांक 16-3-83 के अनुसार रुपये 11,408.64 का घोटाला पाया गया। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 74 की कार्यवाही प्रगति पर है।

5. लसाड़िया लेम्पस :—

लेम्पस के संचालक मण्डल की नकल प्रस्ताव के आधार पर 78 बोरी शक्कर रुपये 28,158/– का मामला प्रकाश में आया है जिसकी जांच चल रही है। जिला रसद अधिकारी स्तर से यह मामला न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

★

(426)

परिशिष्ट-15

अ. ता. प्रश्न संख्या 920 की सूची

अजमेर नगर एवं जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों के
लिए चलाये जा रहे छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम योजना	स्थान
1-	अनुसूचित जाति	अजमेर नगर
2-	,, ,,	पुष्कर
3-	,, ,,	गगवाना
4-	,, ,,	पिसांगन (अनुदानित)
5-	, ,,	भिनाय ,,
6-	,, ,,	हटुण्डी ,,
7-	भंगी कष्ट मुक्ति	ब्यावर
8-	,, ,,	अजमेर नगर
9-	अनुसूचित जन जाति	ममूदा
10-	,, ,, ,,	विजयनगर

प्रवेश हेतु पात्रता

1. छात्र अनुसूचित जाति/जन जाति का हो।
2. कक्षा 6 से 11 वीं तक अध्ययन करने वाला हो।
3. छात्र के माता-पिता आयकर दाता न हों।
4. छात्र द्वारा पिछली कक्षा उत्तीर्ण की गई है।

उक्त आधार पर प्रवेश छात्रावास में प्रवेश सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिया जाता है।

परिशिष्ट-16

अ. ता. प्रश्न संख्या 921 की सूची

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में समस्या रहित ग्रामों की सूची

क. सं.	जिला/तहसील	कुल समस्या रहित ग्रामों की संख्या	समस्या रहित ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये गये ग्रामों की संख्या 80-81	8 -82	82-83	83-84
1.	**उदयपुर जिला**					
1.	गिर्वा (बड़गांव ब्लाक)	40	–	–	–	–
2.	कोटडा	112	–	–	–	–
3.	फलासिया	95	–	–	–	–
4.	लसाडिया	89	–	–	–	–
5.	साराडा	9	–	–	–	–
6.	सलूम्बर	52	–	–	–	–
7.	खेरवाड़ा	26	–	–	–	–
	योग :—	423	–	–	–	–
2.	**डूंगरपुर जिला**					
1.	डूंगरपुर	–	–	–	–	–
2.	आसपुर	–	–	–	–	–
3.	सागवाड़ा	–	–	–	–	–
3.	**बांसवाड़ा जिला**					
1.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–
2.	घाटोल	–	–	–	–	–
3.	गढ़ी	–	–	–	–	–
4,	बागीडोरा	–	–	–	–	–
5.	कुशलगढ़	–	–	–	–	–
4.	**चित्तौड़गढ़**					
1.	प्रतापगढ़	360	6	–	4	–
5.	**सिरोही जिला**					
1.	आबूरोड़	17	–	–	2	1

(120)

परिशिष्ट-17

अ. तां. प्रश्न संख्या 922 की सूची

परिशिष्ट "क"

समाज कल्याण विभाग में दिनांक 31-12-83 तक स्वीकृत पद

क्र.स.	नाम पद	स्वीकृत पद
1.	निदेशक (भारतीय प्रशासनिक सेवा)	1
2.	अतिरिक्त निदेशक (राज. प्रशासनिक सेवा)	2
3.	परियोजना निदेशक (,, ,, ,,)	1
4.	उप निदेशक ,, ,, ,,	3
5.	,, ,, (कम्पोनेन्ट प्लान) (सांख्यिकी)	1
6.	,, ,,	5
7.	प्रोग्राम आफीसर	1
8.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1
9.	सहायक निदेशक	11
10.	सहायक लेखाधिकारी	2
11.	सचिव, अनाथालय बोर्ड	1
12.	मुख्य बालक अधिकारी	1
13.	मुख्य परवीक्षा अधिकारी	1
14.	क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी (बाल विकास)	45
15.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	21
16.	जिला बालक अधिकारी	7
17.	अधीक्षक (गृह)	20
18.	परियोजना अधिकारी	1
19.	परिवीक्षा अधिकारी (मुख्यावास)	1
20.	,, ,, (वर्गीकरण)	1
21.	सहायक शोध अधिकारी	1
22.	समाज कल्याण अधिकारी	1
23.	सहायक अधीक्षक (गृह)	7
24.	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	16
25.	कल्याण निरीक्षक	28
26.	पोषाहार निरीक्षक	19

1	2	3
27.	अन्वेषक (सर्वेक्षण)	3
28.	,, (गृह)	8
29.	,,	3
30.	सहायक छात्रावास अधीक्षक (प्रथम श्रेणी)	85
31.	,, ,, ,, (द्वितीय श्रेणी)	191
32.	महिला पर्यवेक्षक	239
33.	कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-I)	2
34.	,, ,, (ग्रेड-II)	2
35.	,, सहायक	9
36.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	2
37.	,, ग्रेड-II	8
38.	वरिष्ठ लिपिक	118
39.	कनिष्ठ ,,	186
40.	लेखाकार	10
41.	कनिष्ठ लेखाकार	83
42.	सांख्यिकी सहायक	6
43.	संगणक	6
44.	ड्राइवर	60
45.	नर्स	5
46.	क्राफ्ट टीचर	1
47.	फोटोग्राफर	1
48.	मैकेनिक	1
49.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
50.	आपरेटर	4
51.	कम्पाउण्डर	2
52.	केयरटेकर	7
53.	जमादार	25
54.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	468
55.	बाल सहायक	29
56.	मैट	3
57.	हैल्पर	1
58.	लिफ्ट मैन	1

(430)

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1982-83 में रिक्त रहे पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम पद	अवधि
1.	उप निदेशक (कम्पोनेन्ट प्लान)	11-3-83 से 6-7-83
2.	,, (विकलांग कल्याण)	1-9-82 से 14-4-83
3.	,, (पि.वाति).	1-1-82 से 17-7-82
4.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (जैसलमेर)	1.1-83 से अब तक
5	परिवीक्षा अधिकारी (मुख्यावास)	1-5-82 से 6-9-83
6.	,, ,, (वर्गीकरण)	1-8-82 से अब तक
7.	सहायक अधीक्षक (अनाथालय) बीकानेर	1-9-82 से 30-6-83
8.	महिला पर्यवेक्षक 121	22-6-82 से 1-11-82
9.	सहायक छात्रावास अधीक्षक 25	1-10-82 से लगातार
10.	वरिष्ठ लिपिक 15	1-4-82 से लगातार
11.	कनिष्ट ,, 10	1-4-82 से अब तक
12.	लेखाकार- 1	8-82 से 12-83 तक
13.	कनिष्ठ लेखाकार 4	4-1-82 से अब तक
14.	सांख्यिकी सहायक 1	1-2-83 से अब तक
15.	केयरटेकर 1	1-12-82 से अब तक

बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बालक अधिकारी
एवं परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के
पदों के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	नाम पद	जिले का नाम	पद स्वीकृत संख्या	रिक्त पद
1.	बाल विकास परि. अधि. (क्षेत्रीय परियोजना अधि,)	बासवाडा	4	
2.	,, ,, ,,	सिरोही	3	1-4-83 से अब तक एक पद
3.	,, ,, ,,	चित्तौड़गढ़	2	1-9-83 से अब तक 1 पद

(431)

1	2	3	4	5
4.	बाल विकास परियोजना (क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी)	कोटा	3	1 पद 1-5-83 मे 31-12-83 तक
5.	,, ,, ,,	स. माधोपुर	3	
6.	,, ,, ,,	धौलपुर	1	
7.	,, ,, ,,	उदयपुर	7	25-10-82 से अब तक 1 पद 1-4-83 से अब तक 1 पद
8.	,, ,, ,,	जयपुर	3	
9.	,, ,, ,,	अलवर	1	
10.	,, ,, ,,	बाड़मेर	2	
11.	,, ,, ,,	भीलवाड़ा	1	
12.	,, ,, ,,	टौंक	1	
13.	,, ,, ,,	जालौर	1	
14.	,, ,, ,,	डूंगरपुर	5	1 पद 9-8-83 से अब तक 2 पद 1-4-83 से तक
15.	,, ,, ,,	जोधपुर	3	
16.	,, ,, ,,	पाली	2	
17.	,, ,, ,,	भरतपुर	2	1 पद 9-8-83 से 16-11-83 1 पद 1-4-83 से31-12-83
18.	,, ,, ,,	नागौर	1	

योग :—45

19.	जिला बालक अधिकारी	जयपुर	1	
20.	,, ,, ,,	अजमेर	1	1-8-83 से अबतक
21.	,, ,, ,,	बीकानेर	1	
22.	,, ,, ,,	भरतपुर	1	
23.	,, ,, ,,	जोधपुर	1	1-5-83 से अब तक
24.	,, ,, ,,	उदयपुर	1	,, ,,
25.	,, ,, ,,	कोटा	1	,, ,,

योग:—7

432

1	2	3	4	5
26.	परि. एवं कारा. क. अधि.	जयपुर	2	
27.	,, ,, ,,	अजमेर	1	
28	,, ,, ,,	भीलवाड़ा	1	
29.	,, ,, ,,	टोंक	1	
30.	,, ,, ,,	अलवर	1	
3 .	,, ,, ,,	कोटा	1	
32.	,, ,, ,,	जोधपुर	1	
33.	,, ,, ,,	चूरू	1	12-10-82 से अब तक
34.	,, ,, ,,	श्रीगंगानगर	1	12-10-83 से अब तक
35.	,, ,, ,,	सीकर	1	
36.	,, ,, ,,	झालावाड़	1	
37.	,, ,, ,,	पाली	1	
38.	,, ,, ,,	बीकानेर	1	
39.	,, ,, ,,	उदयपुर	1	

रिक्त पदों की सूचना उनके सामने अंकित करदी गई है।

परिशिष्ट "घ"

गत 2 वर्षों में 1-2-84 तक नये स्वीकृत पदों की सूचना

क्र. सं.	नाम पद	वेतन शृंखला	स्वीकृत संख्या
1.	उप निदेशक (आई सी.डी एस.)	19	2
2.	क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी	17	29
3.	महिला सुपरवाईजर	9	145
4.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधि.	16	1
5.	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधि.	15	3
6.	जिला बालक अधिकारी	16	2
7.	अधीक्षक	16	2
8.	वरिष्ठ लिपिक	9	34
9.	कनिष्ट लिपिक	7	32
10.	सहायक छात्रावास अधीक्षक	7	53
11.	वाहन चालक	7	29

433

1	2	3	4
12.	वार्डर कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	6
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	53
14.	कुक कम फर्राश	1	2
15.	कनिष्ठ लेखाकार	11	30
16.	कार्यालय सहायक	12	2
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	29

"च"

रिक्त पदों की सूचना जिसके लिये चयन किया जाकर
नियुक्ति की गई।

क्र. सं.	नाम पद	पदों की संख्या जो भरे गये
1.	महिला सुपरवाइजर	143
2.	सहायक छात्रावास अधीक्षक	51
3.	वाहन चालक	25
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	53

परिशिष्ट–18

अ. ता. प्रश्न संख्या 923 की सूची

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पोषाहार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पोषाहार कार्यक्रम केन्द्रों की सूचना जिले के सम्मुख अंकित की गई है :–

क्र. सं.	नाम जिला	केन्द्र संख्या
1.	पाली	75
2.	भरतपुर	135
3.	सवाई माधोपुर	120
4.	धौलपुर	25
5.	नागौर	80

435

परिशिष्ट—19

अता. प्रश्न संख्या 924 की सूची

TRIBE

Biannual : Vols, I, II, III
Quarterly : Vol. IV onwards.

1.	Vol.	I,	No. 1	Octomber, 1964
			No. 2	
2.	Vol.	II,	No. 1 & 2	
3.	Vol.	III,	No. 1	
			No. 2	*Nomadic Tribes
4.	Vol.	IV,	No. 1	
			No. 2	
			No. 3	* Survey of Simalwara T. D. Block–I.
			No. 4	* Survey of Simalwara T. D. Block–II.
5.	Vol.	V,	No. 1	* Trible Development in Rajasthan.
			No. 2	Area Development.
			No. 3	
			No. 4	* Forest Co-operatives.
6.	Vol.	VI,	No. 1	
			No. 2	* Backward classes Hostels in Rajasthan.
			No. 3	
7.	Vol.	VII,	No. 1	
			No. 2	* Frointer Bhils and Meghwals
			No. 3	
8.	Vol.	VIII,	No. 1 & 2	* Drop outs in a Tribal Situtioin.
			No. 3 & 4	

1	2	3	4
9.	Vol.	IX. No. 3	
		No. 4	
10.	Vol.	X, No. 1 & 2	
		No. 3	
		No. 4	
11.	Vol.	XI, No. 1	
		No. 2-4	* Bhil Sanskritik Paripekshya. men.
12.	Vol.	XII, No. 1	
		No. 2-4	* Disease Culture contact and Tribals.
13.	Vol.	XIII, No. 1	
		No. 2-4	* Social Forestry inTribal Development.
14.	Vol.	XIV, No. 1	

15. Rajasthan Bhils.

16. Jawaher Nagar Resettlement study.

17. Scheduled Tribes of Rajasthan.

18. Report om Seharia Development Plan.

19. Survey of Sagri System among the Scheduled Tribes.

20. Kadana Resettlement : A study of Tribal Displacement.

21. Concentration of poverty and backwardness : Kotra a Profile.

22. Peasantisation of Bhil Economy : A study of Economic changes among Bhils.

23. Special Nutrition for Urban Poor : Some Socio-economic Aspects.

24. Impact of Hand Pumps Programme : A sample study of I. T, D. P. Banswara.

25. Impact of Tribal Development Programme : Evaluation of I. T, D. P. Banswara.

26. Potential Survey (T. S. P Area).

27. Impact of Rural Electrification : A study of Sajjangarh Panchayat Samiti (Banswara)

28. Land Alienation and Indebtedness : A study of Tribal Village Kanba.
29. Tribal Sub-Plan Area Industrial Potential and Action Plan for Industrialisation.
30. Institutional Finance and Tribal Sub-Plan Area.
31. Trible Development Programme.
32. Health coverage : A study of Jhadol panchayat Samiti.
33. Ethnographic study of Meena.
34. Indebtedness and credit Requirment in Pratapgarh Integrated Tribal Development Project.
35. Evaluation of Saharia Development Project.
36. A Survey of post Matric Scholarship.
37. Tribal Some-Plan Area Project.
38. Integrated Trible Development Project. Banswara,
39. Integrated Trible Development Project Dungarpur.
40. Integrated Tribal Development Project Udaipur,
41. Integrated Tribal Development Project Pratapgarh Sub Division.
42, राजस्थान के भील ।
43. राजस्थान में सागड़ी व्यवस्था और उन्मूलन ।
44. राजस्थान के आदिवासी ।
45. बनजारा ।
46, आदिवासी राजस्थान : चित्रमय ।
47. राजस्थान के सहरिया ।
48. डूंगरपुर जिले में बन्धक मजदूरों का पुनर्वास : सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ।
49. कोटडा तहसील में तेन्दु पत्ते एकत्रित करने के कार्य का सर्वेक्षण ।
50. पिछड़े वर्ग के छात्रावास ।
51. अस्पृश्यता : एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ।
52. आदिवासी, लघु एवं सीमान्त कृषकों में साख व ऋण वितरण की आवश्यकता-एक अध्ययन ।
53. उत्तर मेट्रिक छात्रवृति ।
54. जनजाति क्षेत्र में भ्रमणशील इकाइयों के कार्य की समीक्षा ।

(438)

55. ग्राम सभा प्रशिक्षण (विवरण पत्रिका)
56. बेन्च मार्क सर्वेक्षण : जनजाति उपयोजना क्षेत्र (राज)
57. बैंच मार्क सर्वेक्षण : जनजाति उपयोजना क्षेत्र, बाँसवाड़ा ।
58. बैन्च मार्क सर्वेक्षण : जनजाति उपयोजना क्षेत्र, डूंगरपुर ।
59. बैन्च मार्क सर्वेक्षण : जनजाति उपयोजना क्षेत्र, उदयपुर ।
60. बैन्च मार्क सर्वेक्षण : जनजाति उपयोजना क्षेत्र, चित्तोड़गढ़ ।
61. बैन्च मार्क सर्वेक्षण : जनजाति उपयोजना क्षेत्र, सिरोही ।

* Special Issue of our Quarterly journal Tribe.

परिशिष्ट–20

अ. ता. प्रश्न संख्या 925 का विवरण

तालिका "अ"

क. सं.	रा मैटेरियल का नाम	मात्रा	फर्म का नाम	दर	रकम	कार्य पूरा करने की अवधि
1.	जिप्सम	14,675	मैं. सेम इण्डिया	260/–	3867.50	19.9.82 से 12.6.82
2.	पोजोलाना	103. 51	मै. सेम इण्डिया	220/–	22,772.20	14.7.82 से 13.9.82
3.	लाइम	101. 88	मैं. सेम इण्डिया	225/–	12,923.00	14.7.82 से 13.9.82
4.	पोजोलाना	199. 91	रेड रोज इण्डिया	220/–	43,980.00	21.8.82 से 20.9.82
5.	जिप्सम	14. 59	मै. विनोद बिल्डर्स	250/–	3,793.40	8.12.82 से 25.12.82
6.	लाइम	21.905	रेड रोज इण्डिया	225/–	47,678.62	27.8.82 से 28.9.82
7.	जिप्सम	27.155	रेड रोज इण्डिया	260/–	7,068.62	30.10.82 से 14.11.82
8.	पोजोलाना	158. 85	मै. रेड रोज इण्डिया	220/–	34,947.00	30.10.82 से 29.11.82
9.	लाइम	322.335	मै. रेड रोज इण्डिया	225/–	72,385.37	30 10.82 से 29. 1.82
10.	जिप्सम	15. 00	मै. रेड रोज इण्डिया	260/–	7,631.00	21. 8.82 सें 20. 9.82
11.	पोजोलाना	292.765	मै. श्याम स्टोन सप्लार्स	220/–	57,808.00	8.12.82 से 7. 1.83
12.	लाइम	324. 38	मै. विनोद बिल्डर्स	225/–	72,085.00	9.12 82 से 22. 1.83

तालिका "ब"

ग्राइन्डिग के कार्य का विवरण

क. सं.	फर्म के नाम	कार्य करने की अवधि	दर	मात्रा	रकम
1.	मै. सेम इण्डिया	14.7.82 से 13.10.82	110/–	1155. 01	1,27,051.10
2.	मै. सेम इण्डिया	9.2.82 से 8. 1.83	110/–	6'5.465	67,811.00

(440)

परिशिष्ट–21

अ. ता. प्रश्न संख्या 926 को परिशिष्ट 'अ' सूची

क्र. सं.	नाम संस्था	स्थान	खोलने का वर्ष
1.	राजकीय सेवा सदन	जयपुर	1972
2.	राजकीय सेवा शदन	अजमेर	1967
3.	राजकीय सेवा सदन	उदयपुर	1973

पंचों

परिशिष्ट--22

अतारांकित प्रश्न संख्या 929 की सूची

समस्त राजकीय छात्रावासों को वर्ष 1981–82 के लिये राशन की न्यूनतम दरों की सूची :—

क्र. सं.	नाम पार्टी	नाम वस्तु	दर
1.	श्री लक्ष्मी चन्द मोदी	आटा सफेद गेहूं छना हुआ	245.00 प्रति क्विंटल
2.		मूंग की दाल छिलका	6.00 प्रति किलो
3.		उड़द की दाल छिलका	5.00 ,,
4.		मसूर की दाल	6.00 ,,
5.		अरहर की दाल	6.00 ,,
6.		बेसर चने की दाल	6.00 ,,
7.		चावल खिचड़ी का	3.00 ,,
8.		कन्ट्रोल का आटा क्रय कर सफाई छनाई पिसाई ढुलाई आदि सहित	30.00 ,,
9.		लकड़ी बबूल सूखी	35.00 प्रतिक्विंटल
10.		लकड़ी ओक सूखी	35.00 ,,
11.		तेल मूंगफली	16.00 प्रति किलो
12.		हल्दी साबुत	5.00 ,,
13.		जीरा साबूत साफ	16.00 ,,
14.		मिर्च लाल	12.00 ,,
15.		धनिया सूखा	10.00 ,,
16.		लहसून सूखा	6.00 ,,
17.		नमक पिसा	0.60 ,,
18.		गुड देशी	6.00 ,,
19.		हींग	200.00 ,,
20.		चीनी दानेदार	10.00 ,,
21.		साबुन जनता सोप	14.00 ,,
22.		मिट्टी का तेल	
23.		माचिस	2.25 प्रति दर्जन
24.		खोपरे का तेल	30.00 प्रति किलो
25.		सब्जी मौसम के अनुसार	2.00 ,,

1.	2.	3.	4.
26.		आल देशी	2.00 प्रतिकिलो
27.		प्याज लाल सफेद	2.50 ,,
28.		दूध	
29.		नमकीन	14.00 ,,
30.		मूंगफली दाना	14.00 ,,
31.		चना तला हुआ	7.00 ,,
32.		चना भुना हुआ	7.00 ,,

सवाई माधोपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास, सवाई माधोपुर खण्डार, महुआ एव करोली के लिए वर्ष 1980-81 (दिनांक 1-7-80 से 30-6-81 तक) के लिए खाद्य एवं अन्य सामग्री की क्रय हेतु न्यूनतम दर एवं व्यापारियों की सूची :—

खण्ड "अ" **राजकीय छात्रावास, सवाई माधोपुर**

क्र. सं.	नाम वस्तु	न्यूनतम दर	नाम व्यापारी
1.	सफेद गेहूं का आटा उत्तम बना हुआ	173.00 प्र. कु.	मैंसर्स प्रेमचन्द जैन पापुलर टेलर
2.	मूंग की दाल छिलके वाली	4.75 ,,	,,
3.	अरहर की दाल	3.85 ,,	,,
4.	बेशन चने की दाल का	3.50 ,,	,,
5.	कन्ट्रोल के गेहूं का आटा तैयार (समस्त मजदूरी सहित पिसाई, ढुलाई एवं बिनाई आदि)	15.00 ,,	,,
6.	लकड़ी बबूल पलटी हुई सूखी चुल्हे में जलाने योग्य	23.80 ,,	,,
7.	तेल मूंगफली	11.70 ,,	,,
8.	जीरा साफ	13.00 ,,	,,
9.	धनिया साबुत	5.85 ,,	,,
10.	लहसून सुखा साबुत	3.70 ,,	,,
11.	नमक पिसा हुआ	0.45 ,,	,,
12.	गुड	3.10 ,,	,,

443

1.	2.	3.	4.
13.	उड़द की दाल छिलके वाली	4.30 प्र.कु.	मै. रामगोपाल पुरुषोत्त-मलाल
14.	मसूर की दाल .	4 24 ,,	
15.	हींग	149.00 ,,	,,
16.	साबुन जनता सोप या 1.10 पैसे की कीमत का	1.10 प्रति पेटी	,,
17.	चावल खिचड़ी	21.50 प्रति किलो	मै. महेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार
18.	खोपरे का तेल	21.50 ,,	,,
19.	हल्दी साबूत	5.50 ,,	,,
20.	मिर्च लाल सूखी साबुत	8.00 ,,	,,
21.	माचिस टिक्का मार्का 27 नम्बर	1.75 प्रति पैकेट	मै. प्रेमचन्द जैन पापूलर टेलर

खण्ड "ब"

1.	प्याज सूखे लाल सफेद	0.90 प्रति किलो	मै. प्रेमचन्द जैन पापूलर टेलर
2.	आलू	1.40 ,,	मैं. महेन्द्रकुमार राजेन्द्र कुमार
3.	हरी सब्जी मौसम के अनुसार	0.90 ,,	,, .

खण्ड "स"

1.	दूध	2.40 प्रति किलो	मै. प्रेमचन्द जैन पापूलर टेलर
2.	नमकीन	8.20 ,,	,,
3.	मूंगफली का दाना	7.70 ,,	,,
4.	एक कप चाय व एक पराठा	0.60 ,,	,,
5.	चना तला हुआ	4.70 ,,	,,
6.	केले मौसम के अनुसार	1.35 ,,	मै. महेन्द्र कुमार राजेन्द्रकुमार
7.	दलिया गेहूं का	2.00 ,,	,,
8.	चना भुना हुआ	3.50 ,,	,,

राजकीय छात्रावास, खण्डार

1.	2.	3.	4.
1.	आटा सफेद गेहूं का छना हुआ उत्तम किस्म का	169.75 प्रति कुन्टल	मै. प्रेमचन्द जैन
2.	चावल खिचडी	2.50 प्रति किलो	,,
3.	मूंग की दाल छिलके वाली	5.00 ,,	मै. लक्ष्मीचन्द मोदी
4.	उड़द की दाल	4.75 ,,	,,
5.	मसूर की दाल	4.75 ,,	,,
6.	अरहर की दाल	5.00 ,,	,,
7.	बेसर चने की दाल का	3.50 ,,	,,
8.	कन्ट्रोल का आटा तैयार समस्त मजदूरी	22.00 ,,	,,
9.	लकड़ी बबूल फटी सुखी जलाने योग्य	15.00 ,,	,,
10.	तेल मूंगफली	12.50 ,,	,,
11.	हल्दी साबुत	8.00 ,,	,,
12.	जीरा ,,	22.00 ,,	,,
13.	मिर्च लाल साबुत	8.00 ,,	,,
14.	धनिया सूखा साबुत	8.00 ,,	,,
15.	लहसुन सूखा साबुत	5.00 ,,	,,
16.	नमक पिसा हुआ	0.50 ,,	,,
17.	गुड़	3.24 ,,	,,
18.	हींग	140.00 ,,	,,
19.	खोपरे का तेल	20.00 ,,	,,

खण्ड "ब"

1.	दूध	1.50 प्रति कि.	,,
2.	प्याज सूखे लाल सफेद	1.50 ,,	,,
3.	हरी सब्जी मौसम के अनुसार	1.25 ,,	मै. प्रेमचन्द जैन

खण्ड "स"

1.	आलू देशी	3.00 ,,	मै. लक्ष्मीचन्द मोदी
2.	नमकीन	10.00 ,,	,,
3.	मूंगफली दाना	10.00 ,,	,,
4.	चना तला हुआ	4.50 ,,	,,
5.	मैले मौसम के अनुसार	2.50 ,,	,,

1.	2.	3.	4.
6.	दलिया गेहूं का	1.90 प्रति क्वि.	मै. लक्ष्मीचन्द मोदी
7.	चना भुना हुआ	4.50 ,,	,,

राजकीय छात्रावास महुआ

1.	आटा सफेद गेहूं का छना हुआ उत्तम किस्म का	165.00 प्रति कुन्टल	मै. लक्ष्मीचन्द मोदी
2.	मूंग की दाल छिलके वाली	4.70 ,,	,,
3.	उड़द की दाल ,,	3.80 ,,	,,
4.	मसूर की दाल	4.00 ,,	,,
5.	अरहर की दाल	4.50 ,,	,,
6.	बेसन चने की दाल का	4.20 ,,	,,
7.	चावल खिचड़ी का	2.50 ,,	,,
8.	कन्ट्रोल का आटा तैयार समस्त मजदूरी सहित	20.00 प्रतिकुन्टल	,,
9.	लकड़ी बबूल सूखी जलाने योग्य	27.00 ,,	,,
10.	जीरा साबुत साफ	16.00 प्रति किलो	,,
11.	मिर्च लाल साबुत सूखी	7.00 ,,	,,
12.	धनिया साबुत सूखा हुआ	5 75 ,,	,,
13.	लहसून साबुत सूखा	4.00 ,,	,,
14.	नमक पिसा हुआ	0.40 ,,	,,
15.	हल्दी साबुत	6.00 ,,	,,
16.	माचिस टिक्का, जवाहर 27 नम्बर	1.60 प्रति दर्जन	,,
17.	हींग	120.00 प्रति किलो	,,
18.	तेल मूंगफली का	11.40 ,,	,,
19.	गुड़ देशी	3.74 ,,	मै. रामगोपाल पुरुषोत्तम करोली
20.	खोपरे का तेल	19.99 ,,	,,

राजकीय छात्रावास करौली

खण्ड "अ"

1.	आटा सफेद गेहूं का	161.00 प्रतिकुन्टल	,,
2.	मूंग की दाल छिलके वाली	4.80 प्रतिकिलो	,,

Page No. 446

(146)

1.	2.	3.	4.
3.	मसूर की दाल	3.72 प्रतिकिलो	मै. रामगोपाल पुरुषोत्तम, करोली
4.	अरहर की दाल	4.20 ,,	
5.	बेसन चने की दाल का	4.00 ,,	,,
6.	कन्ट्रोल का आटा तैयार समस्त मजदूरी सहित	14.00 ,,	,,
7.	लकड़ी सुखी बबूल, फटी जलाने योग्य	23.99 ,,	,,
8.	हल्दी साबुत	4.40 ,,	,,
9.	मिर्च लाल साबुत सुखी	8.00 ,,	,,
10.	धनिया साबुत सुखा	6.00 ,,	,,
11.	लहसून साबुत सुखा	3.00 ,,	,,
12.	नमक पिसा हुआ	0.40 ,,	,,
13.	हींग	90.00 ,,	,,
14.	उड़द की दाल छिलके वाली	3.99 ,,	,,
15.	तेल मूंगफली	11.48 ,,	मै. पुरुषोत्तमलाल सतेन्द्रकुमार अनाज मंडी, करोली
16.	गुड़ देशी	3.74 ,,	,,
17.	खोपरे का तेल	19.74 ,,	,,
18.	चावल खिचड़ी	2.50 ,,	मै. रामस्वरूप गोयल गंगा मंदिर, भरतपुर
19.	जीरा साबूत	13.00 ,,	,,
खण्ड "ब"			
1.	आलू देशी	1.40 ,,	मै. लक्ष्मीचन्द मोदी सवाई माधोपुर
2.	हरी सब्जी मौसम के अनुसार	0.95 ,,	,,
3.	प्याज सुखा लाल सफेद	0.83 ,,	मै. प्रेमचन्द्र पापूलर टेलर, सवाई माधोपुर
खण्ड "स"			
1.	दूध	2.27 प्रतिकिलो	प्रेमचन्द पापूलर टेलर, सवाई माधोपुर
2.	मूंगफली का दाना	6.95 ,,	,,

1.	2.	3.	4.
3.	नमकीन	7.80 प्रतिकिलो	मै. लक्ष्मीचन्द मोदी सवाई माधोपुर
4.	चना तला हुआ	4.25 "	"
5.	चना भुना हुआ	4.20 "	"
6.	दलिया गेहूं का	1.60 "	"
7.	केले मौसम के अनुसार	1.40 "	"

(440)

परिशिष्ट-23

अ. ता. प्रश्न सख्या 930 की सूची

परिशिष्ट-अ

प्रश्न में अंकित अरनोद एवं धरियावद पंचायत समिति के अतिरिक्त अन्य पंचायत समितियों में चलने वाली सम्भावित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की पंचायत समिति वार सूची

	नाम पंचायत समिति	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	केन्द्र कब से प्रारम्भ हुआ	प्रत्येक केन्द्र से वर्ष 83-84 में लाभान्वित होने वालों की औसत संख्या
1.	प्रतापगढ़	50	मार्च, 1983	100
2.	सलुम्बर	83	वर्ष 82-83 में 60 केन्द्र तथा 83-84 में 23 केन्द्र	61
3.	सराड़ा	40	माह मई, 83 से नवम्बर, 83 तक	100
4.	खेरवाड़ा(ऋषभदेव)	125	83-84	80
5.	गोगून्दा	51	83-84	55
6.	झाडोल (फलासिया)	115	82-83	44
7.	कोटडा	17	83-84	53

पंचायत समिति प्रतापगढ़ में चलने वाली आंगनबाडियों की ग्रामवार सूची

क्र0 सं0	नाम केन्द्र (ग्राम)	क्र0 सं0	नाम केन्द्र (ग्राम)
1.	प्रतापगढ़ मेघवाल बस्ती	9.	केशरपुरा
2.	प्रतापगढ़ हरिजन बस्ती	10.	खोरिया
3.	रघुनाथपुरा	11.	कचोडिया
4.	अमलावद	12.	सुहागपुरा
5.	मुवासिया	13.	डांगपुरा
6.	पानमोडी	14.	सुजानपुरा
7.	कडियावद	15.	वीरपुर
8.	थडा	16.	पटेलिया

449

1	2	1	2
17.	लुहारिया	34.	चारावरदा
18.	चिकलास	35.	कल्याणपुरा
19.	नकोर	36.	पीलू
20.	देवगढ़	37.	डावडा
21.	पांच इमली	38.	रिछावरा
22.	अचलपुर	39.	प्रतापपुरा
23.	हाजी का पठार	40.	सेलारपुरा
24.	गयासपुर	41.	कुणी
25.	माण्डकला	42.	अक्षयपुर
26.	पाल खलेल	43.	झांसडी
27.	रामपुरिया	44.	खैरोट
28.	वगवास	45.	जहाजपुर
29.	वमोतर	46.	हाथरा खोरा कुनी
30.	गोपालपुरा	47.	केरपुर
31.	सिद्धपुरा	48.	कुलथाना
32.	कुलमीपुरा	49.	मानपुरा
33.	धमोतर	50.	मनोहरगढ़

कार्यरत कर्मचारियों (आंगनवाडी कार्यकर्ता) में 6 अनुसूचित जनजाति की व 5 अनुसूचित जाति के हैं।

(450)

परिशिष्ट–24

अ. ता. प्रश्न संख्या 931 की सूची

सवाईमाधोपुर जिले में वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति के परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अनुदान सुविधा का पंचायत समितिवार विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	संख्या	अनुसूचित जाति अनुदान राशि	संख्या	अनुसूचित जनजाति अनुदान राशि
1.	सवाईमाधोपुर	894	7,831	847	14,662
2.	बोंली	862	8,133	578	8,351
3.	खण्डार	1081	11,589	134	1,884
4.	गंगापुर	1246	11,810	471	8,900
5.	बामनवास	775	7,220	635	9,805
6.	नादोती	826	7,923	486	6,790
7.	करोली	941	8,798	593	9,388
8.	सपोटरा	897	8,802	555	8,487
9.	हिण्डोन	1884	17,539	340	5,233
10	टोडाभीम	924	8,523	603	10,066
11.	महुवा	1042	8,559	354	5,174
	योग	11369	1,06,727	5536	88,730

(451)

परिशिष्ट–25

अ. ता. प्रश्न सं. 932 की सूची

प्रश्न के भाग 1 की सूची (मात्रा टनों में)

नाम वस्तु	वित्तीय वर्ष 1982-83 आवंटन	वित्तीय वर्ष 1982-83 उठाव	वित्तीय वर्ष 1983-84 आवंटन	वित्तीय वर्ष 1983-84 उठाव
गेहूं	309000	155967	336000	13663
पाम आयल	4880	2335	10270	4904
चावल	19000	7815	12000	5546
चीनी	176705-2	175263-6	184815-1	131.740-1
मिट्टी का तेल	197126 (कि. ली.)	192354 (कि. ली.)	208385 (कि. ली.)	206497 (कि. ली.)
सीमेन्ट	242200	**पब्लिक सेल हेतु आवंटन उठाव** 102100 79726	269200	**पब्लिक सेल हेतु आवंटन उठाव** 115800 72535

नोट:–

1. गेहूं के उठाव में समाज कल्याण विभाग, जैल, अस्पतालों को जो कोटा आवंटन किया जाता है, उसके उठाव की मात्रा सम्मिलित नहीं है।
2. करोसिन के उठाव में औद्योगिक ईकाइयों के द्वारा प्राप्त की गई मात्रा सम्मिलित नहीं है।
3. पब्लिक सेल हेतु आवंटित सीमेन्ट के उठाव की मोनेटरिंग ही विभाग द्वारा की जाती है।

परिशिष्ट-26

अतारांकित प्रश्न संख्या 937 की सूची :—

कार्यालय पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन (जिला पाली)

(जून, 1980 से फरवरी, 1984 तक का विवरण)

पंचायत समिति का नाम		ग्राम का नाम	ऋण दिये जाने का वर्ष	अनु. जाति/अनु. जन जाति के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें विभिन्न प्रकार के ऋण दिये गये। एल. आई. सी. के अन्तर्गत (संख्या)	जी. आई. सी. के अन्तर्गत (संख्या)	हुड़को	अन्य योजना के अन्तर्गत	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	मा. जं.	सिनला	80-81	1	–	–	–	1
		अरवावास	,,	4	–	–	–	4
		बीडांडाकलां	,,	1	–	–	–	1
		कराडी	,,	1	–	–	–	1
		राणावास	,,	3	–	–	–	3
		कन्टालिया	,,	1	–	–	–	1
		मा. जंक्शन	,,	1	–	–	–	1
		फुलाद	,,	1	–	–	–	1
		कराडी	82-83	2	–	–	–	2
		राणावास	,,	2	–	–	–	2
		कन्टालिया	,,	1	–	–	–	1
		आउवा	,,	1	–	–	–	1
		गादाना	,,	1	–	–	–	1
		सारण	,,	2	–	–	–	2
		बोगला	,,	1	–	–	–	1
		खारची	,,	4	–	–	–	4
		दुदोड	,,	1	–	–	–	1
		भलसप बावड़ी	,,	2	–	–	–	2
		कन्डालिया	83-84	1	–	–	–	1
		आउवा	,,	1	–	–	–	1
		सारन	,,	1	–	–	–	1
		बोमला	,,	1	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		मलसा बावड़ी	83-84	1	–	–	–	1
		बाडसा	,,	1	–	–	–	1
		जैंतपुरा	,,	1	–	–	–	1
		नगागांव	,,	1	–	–	–	1
		शेरवावास	,,	1	–	–	–	1
		कराड़ी	,,	–	–	–	2	2
		सवराड	,,	–	–	–	2	2
		राणावास	,,	–	–	–	2	2
		सुगालिया	,,	–	–	–	1	1
		दुदोड़	,,	–	–	–	1	1
		देवलीं	,,	–	–	–	2	2
		बोपारी	,,	–	–	–	1	1
				39	–	–	11	50

कार्यालय पंचायत समिति रानी स्टेशन जिला पाली (राजस्थान)

आवासीय ऋण योजना

1980-81

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जाति	संख्या
1.	किशनपुरा	चौधरी	2
		दर्जी	1
		साद	1
2.	बिगरला	लुहार	3
		माली	1
		योग	8

1981-82

1.	डुठारिया	पुरी	1
2.	चांचौडी	दर्जी	1
		योग	2

(५७६)

1	2	3	4
		1982-83	
		—निल —	
		1983-84	
1.	चाचौड़ी	पुरोहित	1
2.	रानी	मुसलमान	1
		भाट	2
3.	बिजोवा	गाडोलिया लुहार	2
		योग	6

कार्यालय पंचायत समिति देसूरी जिला पाली

भाग (1) से सबन्धित सूची

(जून, 1980 से 1984 तक का विवरण)

पंचायत समिति का नाम	ग्राम का नाम	अनु. जाति/अनु.सूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें बिभिन्न प्रकार के ऋण दिये गये हैं — ऋण दिये जाने का वर्ष	एल. आई. सी. के अन्तर्गत (संख्या)	जी. आई. सी. के अन्तर्गत (संख्या) (5000/-रु.	हुडकों योजना अन्तर्गत	अन्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	7,	8.	9.
1. देसूरी	दादाई	1980-81	–	3	–	–	3
	डायलाना	,,	–	1	–	–	1
	नागेल	,,	–	2	–	–	2
	देसूरी	,,	–	9	–	–	9
	नारलाई	,,	–	1	–	–	1
	माण्डपुर	,,	–	1	–	–	1
	कोटर्डा	,,	–	3	–	–	3
	योग	1980-81	–	20	–	–	20

455

भाग (2) से सबन्धित सूची

रिहायशी आवंटन भू-खण्डों का विवरण पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन

क्र. सं.	ग्राम का नाम	भू-खण्ड दिये जाने का वर्ष	अनु. जाति/अनु. जन जाति वाले व्यक्तियों की सं जिन्हें भू-खण्ड आंवटित किये गये ।	स्वर्ण जाति वाले व्यक्तियों की सं. जिन्हें भू-खण्ड आंवटित किये गये	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	गुढारामसिंह	81-82	4	24	28
2.	गुढाकेसरसिंह	"	1	2	3
3.	जानूदा	"	8	11	19
4.	इसाली	"	3	4	7
5.	हिगोला खुर्द	"	4	1	5
6.	बीठोडाकलां	"	5	9	14
7.	चवाडिया	"	6	–	6
8.	बाडसा	"	19	8	27
9.	कन्टालिया	"	5	10	15
10.	भीमालिया	"	4	14	18
11.	कराडी	"	15	10	25
12.	वाता	"	2	10	12
13.	फुलाद	"	9	12	21
14.	सिरियारी	"	11	21	32
15.	बोगारी	"	4	5	9
16.	मांण्डा	"	4	6	10
17.	मारवाड़ जंक्शन	"	6	15	21
18.	राणावास	"	8	–	8
19.	मलसा बावडी	"	11	3	14
20.	गुढासूरसिंह	"	4	–	4
21.	जाडन	"	28	7	35
22.	पाचेटिया	"	16	4	20
23.	भगोड़ा	"	5	5	10
24.	चौकडिया	"	4	6	10
25.	दूदौड	"	6	2	8
26.	सिनला	"	12	10	22

456

1	2	3	4	5	6
27	आउबा	81-82	10	26	36
28.	देवली	"	6	18	24
29.	वासनी	"	7	30	37
30.	घनला	82-83	19	1	20
31.	गुडारामसिंह	"	2	3	5
32.	लाणुदा	"	7	4	11
33.	इमाली	"	7	4	11
34.	ढ्गिोता खुर्द	"	5	12	17
35.	चवाडिया	"	5	9	14
36.	कन्टालिया	"	4	6	10
37.	निभालिया	"	5	6	11
38.	कराड़ी	"	4	8	12
39.	बाता	"	4	4	8
40.	माड़ा	"	3	7	10
41.	मारवाड जंक्शन	82-83	30	19	49
42.	राणावास	"	10	15	25
43.	भगोडा	"	1	–	1
44.	चौकडिया	"	6	13	19
45.	दुदौड	"	19	1	20
46.	सिन्दला	"	3	7	10
47.	आउवा	"	12	13	25
48.	वासनी	"	9	–	9
49.	बोरीभादा	"	16	17	33
50.	गुढाकेसरसिंह	83-84	–	3	3
51.	इसाती	"	3	7	10
52.	बोठौडाकलां	"	5	–	5
53.	बाडसा	"	1	–	1
54.	कन्टालिया	"	8	14	22
55.	बाता	"	2	8	10
56.	फलाद	"	5	7	12
57.	सीरियाई	"	–	1	1
58.	माडा	"	2	8	10

(457)

1	2	3	4	5	6
59.	मलसावावडी	83-84	1	1	2
60.	गुढ़ासूरसिंह	,,	2	—	2
61.	पान्नेडिया	,,	21	9	30
62.	मूगोडा	,,	—	3	3
63.	चोपडिया	,,	1	4	5
64.	दूदोड़	,,	7	2	9
65.	सिमला	,,	9	14	23
66.	आउवा	,,	7	3	10
67.	वासनी	,,	3	2	5
68.	धनला	,,	3	2	5
69.	सेहवाज	,,	1	2	3
70.	हेमखुर्द	,,	5	1	6
71.	सवराड़	,,	13	2	15
72.	गादाणा	,,	2	4	6
73.	निमली	,,	3	—	3
			502	519	1021

भाग (2) से सम्बन्धित सूची

कार्यालय पंचायत समिति रानी स्टेशन जिला पाली राजस्थान

निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन 1983-84

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	अनु. जाति	जनजाति	भूमिहीन मजदूर	कारीगर लघु.	कृषक सी.	योग
1.	सालरिया	18	9	4	5	—	—	36
2.	खोड	15	7	—	—	—	—	22
3.	वरकाणा	3	—	5	2	—	—	10
4.	किशनपुरा	1	—	3	1	—	—	5
5.	रानीकला	8	1	1	1	4	—	15
6.	ढारिया	8	—	2	—	—	—	10
7.	जीवन्तकला	5	—	7	—	—	—	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	खीमाड़ा	1	–	11	6	4	–	22
9.	इटेन्दडा मेडतियान	5	–	6	4	–	–	15
10	निम्बाडा	6	4	6	–	–	–	16
11.	नादानाभाटान	9	1	–	–	–	–	10
12.	पिलोवणी	1	–	5	–	–	–	6
13.	सोमेसर	8	–	10	6	14	4	42
	योग	88	22	60	25	22	4	221
	1982-83							
1.	जीवन्दकला	7	–	–	6	1	6	20
2.	रानीकला	3	–	2	–	5	–	10
3.	देवली	4	–	4	2	–	–	10
4.	गजनीपुरा	2	–	8	–	–	–	10
5.	सालरिया	5	3	2	–	–	–	10
6.	इटेन्दडामेडतियान	9	1	–	–	–	–	10
7.	बालराई	12	1	7	–	1	–	21
8.	जवाली	15	2	7	1	–	–	25
9.	नादानाभाटान	3	–	2	3	2	–	10
10.	घेनड़ी	1	–	11	1	–	–	13
11.	पिलोवणी	3	–	11	2	–	–	16
12.	निम्बाडा	12	–	2	–	–	–	14
13.	किशनपुरा	19	–	1	1	–	–	21
14.	ढारिया	6	–	3	1	5	–	15
15.	सावलता	4	–	5	–	–	1	10
16.	चाचोड़ी	3	–	4	4	–	3	14
17.	केरली	2	–	–	2	–	–	4
18.	नीपल	3	1	1	4	–	–	9
19.	कीरवा	8	1	–	–	–	–	9
20.	सोमेसर	8	1	4	4	–	–	20
21.	वरकाणा	3	–	1	–	–	6	10
22.	बणदार	7	–	7	–	–	–	14
23.	माण्डल	3	5	3	1	3	3	18
	योग	142	15	85	32	20	19	313

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 1981-82								
1.	केरली	2	–	–	–	–	–	2
2.	वरकाणा	7	1	3	2	–	–	13
3.	किशनपुरा	2	2	10	3	–	2	19
4.	घेनडी	12	–	12	–	–	9	33
5.	वणदार	4	–	21	1	–	–	26
6.	मार्वलता	11	–	1	4	2	–	18
7.	जीवन्द खुर्द	1	–	6	–	4	2	13
8.	सिवास	5	2	2	2	1	–	12
9.	ढारियम	19	–	–	–	–	–	19
10.	नीपल	5	2	1	2	–	–	10
11	नादाना भाटान	15	2	–	1	–	–	18
12.	रानीगाव	23	1	13	3	1	2	43
13.	इटेन्दडा मेड़तियान	5	–	–	1	2	–	8
14.	माण्डल	15	–	12	2	1	15	45
15.	चाचोडी	17	3	10	5	3	2	50
16.	निम्बाडा	15	3	–	–	–	–	18
17.	खौड़	5	–	4	–	1	–	10
18.	विजोवा	16	1	10	8	1	–	36
19.	वालराई	12	5	4	1	1	9	32
20.	रानी स्टेशन	30	6	7	4	–	2	49
21.	इटेन्दडा चारणान	4	–	1	–	–	–	5
22.	सिवास	4	–	–	2	–	–	6
	रद्द किये गये	229	28	127	41	17	43	485
		2	–	15	–	5	–	22
	कुल योग	227	28	112	51	12	43	463

(460)

रिहयशी आंवटित भूखण्डों का विवरण पंचायत समिति देसूरी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	भूखण्ड दिये जानें का वर्ष	अनु. जाति/अनु ज. वाले व्यक्तियों की सं. जिन्हें भूखण्ड	स्वर्ण जाति वाले व्यक्तियों की सं. आंवटित किये गये	योग
1	2	3	4	5	6
वर्ष 1980-81					
वर्ष 1981-82					
1.	देसूरी	81-82	10	5	15
2.	गांथी	„	6	2	8
3.	नापी	„	2	2	2
4.	गुडा ग्रासकरण	„	3	4	7
5.	माडपुरा	„	2	1	3
6.	नाडोल	„	23	28	51
7.	कोटडी	„	5	-	5
8.	करणवा	„	4	7	11
9.	गुडापृथ्वीराज	„	9	-	9
10,	ढालोप	„	4	8	12
11.	थिरमपुरा	„	4	-	4
12.	दादाई	„	2	3	5
13.	नारलाई	„	17	4	21
14.	ग्राना	„	6	4	10
15.	सारगांवास	„	1	4	5
16.	शोभावास	„	5	2	(5) 6
17.	सोनाना	„	4	1	5
18.	घाणेराव	„	4	21	25
19.	दूदापुरा	„	8	2	10
20.	छोडा	„	3	6	9
21.	सुथारों का गुडा	„	1	1	2
22.	जोवा	„	2	2	4
23.	माडिगढ़	„	43	1	44
24.	गुडाजाटान	„	1	-	1
25.	केसूली	„	5	2	7

1	2	3	3	4	5
26.	गुडा अरवेगज	1981–82	5	–	(5) 6
27.	गुडारखोबा	,,	1	–	1
28.	अटरटिया	,,	4	–	4
29.	आणेवा	,,	4	–	4
30.	ढेलडी	,,	2	–	2
31.	डायलाना	,,	18	7	25
32.	मादा	,,	9	–	9
33.	पानोता	,,	3	3	6
34.	आसापुरा	,	1	4	5
35.	मेवी	,,	5	–	5
36.	कोटसोलकियान	,,	5	2	7
37.	नयागाँव	,,	1	2	3
38.	गुडागोपीनाथ	,,	–	1	1
39	गुडादुर्जन	,,	1	2	3
40.	साररी	,,	3	–	3
41.	मगरतालाव	,,	3	8	11
42.	गुडाजेतावतान	,,	–	12	12
43.	माणका	,,	9	2	11
44.	कोलर	,,	–	4	4
45.	बागोल	,,	4	11	15
46.	गुडादेवडान	,,	2	6	8
47.	मोररवा	,,	1	3	4
48.	जूणा	,,	15	5	20
49.	सिन्दरली	,,	4	1	5
50.	गुडापाटियान	,,	–	2	2
51.	बडोद	,,	6	–	6
52.	गिराली	,,	3	1	4
			283	182	465

1982–83

1.	पनोता	82–83	7	3	10
2.	कोठमोलकियान	,,	4	1	5
3.	मगरतालाव	,,	8 (8)	2	10
4.	नाम्बोल	,,	18	7	25

1.	2.	3.	4.	5.	6
5.	कोटडी	82-83	10	5	15
6.	दादाई	,,	8	4	12
7.	ढालोप	,,	16	4	20
8.	सिन्दरली	,,	7	3	10
9.	मोररवा	,,	4	4	8
10.	बडोद	,,	15	5	20
11.	आना	,,	15	5	20
12.	दुदापुरा	,,	4	6	10
13.	नारलाई	,,	15	5	20
14.	डायलाना	,,	13	7	20
15.	केसूली	,,	13	7	20
16.	घाणेराव	,,	3	2	5
17.	सुमेर	,,	18	2	20
18.	बागोल	,,	5	5	10
19.	मान्डीगढ़	,,	20	10	30
20.	मादा	,,	7	3	10
	योग		210	90	30

वर्ष 1983-84

1.	गुडा देवडान	83-84	1	1	2
2.	मगरतालाब	,,	1	4	5
3.	कोलर	,,	1	4	5
4.	रवारची	,,	–	1	
5.	भाणका	,,	–	1	1
6.	पनोता	,,	6	4	10
7.	माकलवास	,,	7	1	8
8.	बागोल	,,	4	1	5
9.	कोटतो	,,	7	3	10
10.	गुडागोपीनाथ	,,	1	–	1
11.	गुडा अर्जुन	,,	1	–	1
12.	सासरी	,,	2	–	2
13.	नयागांव	,,	1	1	2
14.	डायलाना	,,	6	9	15

Page No. 463

463

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	गांधी	83-84	3	1	4
16.	लार्पा	,,	2	5	7
17.	सुमेर	,,	3	2	5
18.	गुडा आसकरण	83-84	–	11	11
19.	माड़पुर	83-34	–	5	5
20.	सुथारों का गुढा	83-84	1	1	2
21.	बिरमापुर	,,	1	–	1
22.	छोडा	,,	–	2	2
23.	जोवा	,,	–	2	2
24.	दुलापुरा	,,	–	5	5
25.	काणा	,,	–	9	9
26.	नारलाई	,,	26	14	40
27.	राजपुरा	,,	42	1	43
28.	मादा	83-83	2	5	7
29.	मुठाणा	,,	–	5	5
30.	जुणा	,,	1	–	1
31.	मोररवा	,,	6	6	6
वर्ष 1983-84					
32.	सिन्दरली	,,	8	4	12
33.	वारासो	83-84	2	2	4
34.	केसूली	,,	2	1	3
35.	अणेवा	,,	1	1	2
36.	गुडा अरवैराज	,,	–	1	1
			132	113	245

परिशिष्ट—27

अतरांकित प्रश्न संख्या 940 की सूची

वर्ष 1980–81

क्र. स.	ग्राम का नाम	नए कूप निर्माण के लिए स्वीकृत राशि	स्वीकृति का दिनांक	पूर्ण हुए कुओं की संख्या	अपूर्ण कुओं की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	नव कूप धुढेल	9,860/-	1-3-81	–	अपूर्ण
2.	नव कूप बसवाड़ा	35,500/-	30-3-81	–	,,
3.	नव कूप मेन्डोली	31,850/-	30-3-81	–	,,
4.	नव कूप जहूरिया	25,800/-	30-3-81	पूर्ण	–
5.	नव कूप लोहली	25,800/-	30-3-81	–	अपूर्ण
6.	नव कूप बरानी	25,800/-	30-3-81	–	,
7.	नव कूप माखीदा	48,750/-	30-3-81	–	,,
8.	नव कूप बडगांव	44,925/-	30-3-81	–	,,
9.	नव कूप करीरिया	44,925/-	30-3-81	–	,,
10.	नव कूप खरावता	18,000/-	30-3-81	–	,,
11.	नव कूप डांगाहेडी	9,860/-	1-3-81	पूर्ण	–
		3,21,070/-		2	9

वर्ष 1981–82

1.	हरीजन कूप डडवाडा	25,350/-	30-5-81	–	अपूर्ण
2.	लक्ष्मीपुरा कूप	20,735/-	9-6-81	–	,,
3.	नव कूप कोटाखुर्द	49,130/-	1-6-81	–	,,
4.	नव कूप पीपल्दा थाना	49,130/-	1-6-81	–	,,
5.	कूप भाडोल	20,950/-	9-7-81	पूर्ण	–
6.	कूप निर्माण डगटा	22,500/-	9-7-81	–	अपूर्ण
7.	नव कूप गोपालपुरा	18,980/-	9-7-81	पूर्ण	–
		2,06,775/-		2	5

वर्ष 1982–83

इस अवधि में कोई नवीन कूप स्वीकृत नहीं किया गया।

वर्ष 1983–84

	कूप निर्माण मात्रोराजपुरा	30,890/-	7-5-83	पूर्ण	–
		30-890/-		1	–

परिशिष्ट-29

अतारांकित प्रश्न संख्या 531 को दृ

वर्ष वार खोले गये एवं क्रमोन्नत किये गये वि

नाम जिला/ पंचायत समिति	1980-81 प्रावि	उप्रावि	मावि	1981-82 प्रावि	उप्रावि	1982-83 उप्रावि	उमावि		
चित्तौड़गढ़									
प्रतापगढ़	1	–	–	3	1	–	–	7	[illegible]
अरणोद	–	–	–	2	2	–	–	2	2
उदयपुर									
झाडोल	3	1	2	3	2	–	–	7	5
खेरवाड़ा	6	1	1	7	3	2	–	10	5
कोटड़ा	3	–	–	1	–	–	–	6	1
सराड़ा	2	1	1	1	2	2	–	5	1
सलूम्बर	12	–	2	–	2	4	–	5	4
धरियावद	1	1	–	5	1	1	–	4	2
गिरवा	5	–	1	3	2	2	–	7	3
सिरोही									
आबूरोड	1	1	–	5	1	1	–	3	3
डूंगरपुर									
सिमलवाड़ा	3	1	–	4	1	1	–	10	2
सागवाड़ा	5	1	1	5	2	1	1	1	3
आसपुर	3	–	1	4	2	2	1	1	2
विछीवाड़ा	1	1	–	5	1	1	–	–	3
डूंगरपुर	5	1	4	4	5	2	2	1	5
बांसवाड़ा									
घाटोल	5	1	3	5	2	2	1	10	8
गढ़ी	3	1	–	2	4	4	1	2	7
बागीदोरा	2	1	1	5	3	–	1	14	5
कुशलगढ़	2	1	1	3	2	–	1	15	2
बांसवाड़ा	2	–	1	2	3	1	1	6	4
योग —	65	13	19	69	41	28	9	116	66

उप योजना जनजाति क्षेत्र में निर्माण कराये गये भवनों को सूची :—

जिला चित्तौड़गढ़

वर्ष	विद्यालय
1980-81	निल
1981-82	हिंगोरिया, बोरी, गोपालपुरा, केशरपुरा, खोडकाजिलो, लुहारियां, बड़ी लांफ जालर, भगरो, भाडलिया, केसवास, कुलथाना असावता, अरनिया कल्याणपुरा, बडोदिया दतियार, भगेरिया देलारा ।
1982-83	कचोटिया, खातोदी, सुजानपुरा ।
1983-84	विहारा, देवद बसेरा, मरदोड़ी, वासपुर बगगोरां, बरखोडी भुवालियां, टोमरदा बजरंगगढ़, चोकडी डिडोरका खेड़ा खवडोकला धारियां खेड़ी कचनारा ।
1980-81	रामनगर, कानगढ़, मोठिया प्रतापपुरा, फतेहगढ़ कन्या सालमगढ़ वीरपुर ।
1981-82	भाकड खरलदा, कचनारा, वड़वास, घोकली, पिपली आंनीरामा ।
1982-83	लालगढ़, अचलावद, हिंगलट सेवाना, सरकार ।
1983-84	लिलिया, मानुपुरा, देवड़दी ।

जिला सिरोही

1980-81	निचला खेड़ा, मड़िखेड़ा चण्डेला, मोरगढ़ मा. वि. और प्रा. वि. सांतपुर ।

जिला उदयपुर

1980-81	बोरी कुआ, टीडी, भाबला, लकडवास, भालों का गढ़, खारवा, मामादेव, चोसदा देवदा, चोटिया ।
1981-82	नलाफला, आम्बुआ खरवड़िया रामज, मेंकड़ा, नदिवेला, बनकड़ा बोरी आवरा, बुथेल ।
1982-83	रावतपुरा, सुराणा ।
1983-84	सामाखेड़ा, कालीवास ।
1980-81	लालपुरा, वल्लभ, कुमारियाखेड़ा ।

467

परिशिष्ट-29

अतारांकित प्रश्न संख्या 541 की सूची

कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत की जिलेवार सूची

क. सं.	नाम जिला परिषद	ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायतों के स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पचायत की संख्या			
			अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सीकर	158	5	3	142	150
2.	झालावाड़	109	4	–	105	109
3.	बून्दी	72	5	2	66	73
4.	अजमेर	135	1	1	130	132
5.	अलवर	230	5	2	223	230
6.	जालोर	116	8	1	101	110
7.	धौलपुर	74	2	1	75	78
8.	पाली	162	8	–	159	167
9.	सवाई माधोपुर	202	11	10	181	202
10.	नागौर	192	6	–	137	143
11.	बाडमेर	132	3	–	77	80
12.	बीकानेर	66	4	–	36	40
13.	गंगानगर	210	6	–	198	204
14.	डूंगरपुर	91	1	10	71	82
15.	चूरू	103	2	–	77	79
16.	कोटा	155	8	3	142	153
17.	बांसवाड़ा	106	1	20	85	106
18.	सिरोही	70	5	3	62	70
19.	चित्तौड़गढ़	155	9	–	162	171
20.	जैसलमेर	93	2	2	52	56
21.	जोधपुर	139	3	1	106	110
22.	उदयपुर	287	10	8	259	277
23.	झुन्झुनू	134	1	–	81	82
24.	भरतपुर	157	8	1	197	206
25.	टोंक	99	2	5	105	112

1,	2.	3.	4.	5.	6.	7.
26.	भीलवाड़ा	180	9	1	185	195
27.	जयपुर	316	14	5	305	324
	योग :—	3943	143	79	3519	3741

नोट :— 1. जहां स्वीकृत पदों से अधिक ग्राम सेवक कार्यरत हैं, वहां रिवर्स डेपूटेशन से लौटे हुए ग्रामसेवकों के समायोजन के कारण स्थानान्तरित या सेवा से हटाये गये ग्राम सेवकों के स्थगन आदेश प्राप्त करने के मामले हैं।

2. जो ग्राम सेवक अभी रिवर्स डेपूटेशन पर हैं उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

469

परिशिष्ट–17 अप्रेल, 1984–परिशिष्ट

परिशिष्ट–30

अ. ता. प्रश्न संख्या 638 की सूची

ांसवाड़ा जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची

नाम छात्रावास	स्थान जहां संचालित है	स्वीकृत छात्र संख्या
ाकीय बालक छात्रावास, बांसवाड़ा	बांसवाडा	100
ाकीय कन्या छात्रावास, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	70
ाकीय बालक छात्रावास, कुशलगढ़	कुशलगढ़	60
जकीय कन्या छात्रावास, कुशलगढ़	कुशलगढ़	25
जकीय बालक छात्रावास, घाटोल	घाटोल	125
जकीय बालक छात्रावास, गढ़ी	गढ़ी	100
जकीय कन्या छात्रावास, गढ़ी	गढ़ी	50
जकीय बालक छात्रावास, सज्जनगढ़	सज्जनगढ़	70
जकीय बालक छात्रावास, दानपुर	दानपुर	50
ाजकीय बालक छात्रावास, बोरी	बोरी	60
ाजकीय बालक छात्रावास, लुहारिया	लुहारिया	35
ाजकीय बालक छात्रावास, तलवाड़ा	तलवाड़ा	25
राजकीय बालक छात्रावास, आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	25
राजकीय बालक छात्रावास नरवाली	नरवाली	25
राजकीय बालक छात्रावास, घन्टाली	घन्टाली	25
राजकीय बालक छात्रावास, बड़ोदिया	बड़ोदिया	25
राजकीय छात्रावास (बालक), छोटा डूंगरा	छोटा डूंगरा	25
राजकीय बालक छात्रावास, माही डेम	माही डेम	25
राजकीय बालक छात्रावास, छोटी सरवा	छोटी सरवा	25
राजकीय बालक छात्रावास, सल्लोपाट	सल्लोपाट	25
राजकीय बालक छात्रावास, पाडोली राठोड़	पाडोली राठोड़	25
राजकीय बालक छात्रावास, ताम्बेसरा	ताम्बेसरा	25

(470)

बांसवाड़ा जिले के अनुसूचित जन जाति छात्रावासों की सूची जि
बनाये जा चुके हैं:-

1. राजकीय बालक छात्रावास, बांसवाड़ा
2. राजकीय कन्या छात्रावास, बांसवाड़ा
3. राजकीय बालक छात्रावास, घाटोला
4. राजकीय कन्या छात्राबास, गढ़ी
5. राजकीय बालक छात्रावास, सज्जनगढ़
6. राजकीय कन्या छात्रावास, कुशलगढ़।
7. राजकीय बालक छात्रावास, बोरी।